उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ७४

बृहस्पतिवार, १ जून, सन् १९५० ई० से
शुक्रवार, ९ जून, सन् १९५० ई० तक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेख सामग्री,
उत्तर प्रदेश के प्रबन्ध से मुद्रित।

मूल्य ४ आना।

विषय सूची

खण्ड ७४

बृहस्पतिवार, १ जून, सन् १९५० ई०

शुक्रवार, २ जून, सन् १९५० ई०

पृष्ठ

पृष्ठ

शुक्रवार, ९ जून, सन् १९५० ई०

शासन

राज्यपाल

महामान्य हारमसजी पेरोशा मोदी

मंत्रि-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल एल०, बी०, मुख्य मंत्री तथा न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन मंत्री।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल एल०, बी०, यातायात मंत्री।

माननीय डा० सम्पूर्णानन्द, बी० एस सी०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मंत्री।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल एल०, बी०, वन तथा माल मंत्री।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल एल०, बी०, कृषि तथा पशु-पालन मंत्री।

माननीय श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर मंत्री।

माननीय श्री लालबहादुर, गृह, (पुलिस) तथा परिवहन मंत्री।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस सी०, उद्योग तथा विकास मंत्री।

सभा-सचिव

माननीय मुख्य मंत्री के सभा-सचिव—

१—श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस सी०, एल एल०, बी०, एम० एल० ए०।

२—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस सी०, एल एल०, बी०, एम० एल० ए०।

माननीय यातायात मंत्री के सभा-सचिव—

१—श्री लताफ़त हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग मंत्री के सभा-सचिव—

१—श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल मंत्री तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव—

१—श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अचल सिंह	...	आगरा नगर।
२—अजित प्रताप सिंह	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
३—अब्दुल ग़नी अन्सारी	...	जिला आजमगढ़ (पश्चिम) ।
४—अब्दुल बाक़ी	...	जिला आजमगढ़ (पूर्व) ।
५—अब्दुल मजीद	...	मुरादाबाद, अमरोहा-चन्दौसी नगर।
६—अब्दुल मजीद ख्वाजा	...	अलीगढ़, हाथरस—मथुरा नगर।
७—अब्दुल वाजिद, श्रीमती	...	मुरादाबाद जिला (उत्तर पूर्व) ।
८—अब्दुल हमीद	...	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
९—अम्मार अहमद खां	...	जिला बुलन्दशहर (पूर्व) ।
१०—अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स	...	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई ।
११—अगलू राय शास्त्री	...	जिला आजमगढ़ (उत्तर पूर्व) ।
१२—अली जरीर जाफ़री	...	जिला गोंडा (उत्तर पूर्व) ।
१३—अल्फ्रेड धर्मदास	...	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
१४—असग़र अली खां	...	जिला मुजफ़्फ़रनगर (पश्चिम) ।
१५—अक्षयवर सिंह	...	जिला गोरखपुर (पश्चिम) ।
१६—आत्माराम गोविन्द खेर माननीय श्री	...	फ़र्रुखाबाद—इटावा—झाँसी नगर।
१७—आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम	...	संयुक्त प्रान्तीय ऐंग्लो इंडियन।
१८—इन्द्रदेव त्रिपाठी	...	जिला गाज़ीपुर (पश्चिम) ।
१९—इनाम हबीबुल्ला, बेगम	...	लखनऊ नगर ।
२०—इर्तिजा हुसैन	...	मेरठ-हापुड़ — बुलन्दशहर—खुरजा—नगीना नगर।
२१—उदयबीर सिंह	...	जिला बस्ती (दक्षिण) ।
२२—ऐजाज़ रसूल	...	जिला हरदोई।
२३—कमलापति तिवारी	...	जिला बनारस (पूर्व) ।
२४—करीमुर्रजा खां	...	बदायूं—शाहजहांपुर—सम्भल नगर ।
२५—कालीचरण टन्डन	...	जिला फ़र्रुखाबाद (दक्षिण) ।
२६—किशनचन्द पुरी	...	संयुक्त प्रान्तीय चेम्बर आफ़ कामर्स तथा संयुक्त प्रान्तीय मर्चेन्ट्स चेम्बर।
२७—कुंजबिहारीलाल शिवानी	...	जिला झाँसी (उत्तर) ।
२८—कुशलानन्द गैरोला	...	जिला गढ़वाल (उत्तर पश्चिम) ।
२९—कृपाशंकर	...	जिला बस्ती (दक्षिण) ।
३०—कृष्णचन्द्र	...	जिला मथुरा (पश्चिम) ।
३१—कृष्णचन्द्र गुप्त	...	जिला सीतापुर (दक्षिण) ।

६७—जाकिर अली	...	आगरा—फर्रुखाबाद—इटावा नगर
६८—जाहिद हसन	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
६९—जुगुल किशोर	...	मथुरा—अलीगढ़—हाथरस नगर।
७०—त्रिलोकी सिंह	...	जिला लखनऊ
७१—त्रेपन सिंह	...	टेहरी गढ़वाल स्टेट।
७२—दयालदास	...	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७३—दाऊदयाल खन्ना	...	जिला मुरादाबाद (पूर्व)।
७४—द्वारिकाप्रसाद मौर्य	...	जिला जौनपुर (पूर्व)।
७५—दीनदयालु अवस्थी	...	जिला इटावा (पश्चिम)।
७६—दीनदयालु शास्त्री	...	सहारनपुर—हरिद्वार—देहरादून—मुजफ्फरनगर नगर।
७७—दीपनारायण वर्मा	...	जौनपुर—मिर्जापुर—गाजीपुर—गोरखपुर नगर।
७८—नफीसुल हसन	...	जिला इटावा और कानपुर।
७९—नवाजिश अली खाँ	...	फैजाबाद—सीतापुर—बहराइच नगर।
८०—नवाब सिंह चौहान	...	जिला अलीगढ़ (पूर्व)।
८१—नाजिम अली	...	जिला सुल्तानपुर
८२—नारायण दास	...	लखनऊ नगर।
८३—निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	...	जिला मैनपुरी और एटा।
८४—निहालुद्दीन	...	जिला बदायूं (पूर्व)
८५—परागीलाल	...	जिला सीतापुर (उत्तर पश्चिम)।
८६—पुरुषोत्तम दास टंडन, माननीय श्री		इलाहाबाद नगर।
८७—पूर्णमासी	...	जिला गोरखपुर (उत्तर)।
८८—पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती	...	जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)।
८९—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	...	जिला मेरठ (उत्तर)।
९०—प्रयागनारायण	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन
९१—प्रेमकिशन खन्ना	...	जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
९२—प्रेमलाल वैद्य	...	टेहरी गढ़वाल स्टेट।
९३—फखरुल इस्लाम	...	जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर पूर्व)।
९४—फजलुर्रहमान खाँ	...	जिला शाहजहांपुर।
९५—फतेह सिंह राणा	...	जिला मुजफ्फर नगर (पश्चिम)
९६—फूल सिंह	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)
९७—बदन सिंह	...	जिला बदायूं (पश्चिम)
९८—बनारसी दास	...	जिला बुलन्दशहर (उत्तर)

९९—बलदेव प्रसाद	...	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१००—बशीर अहमद हकीम	...	जिला सीतापुर।
१०१—बशीर अहमद अन्सारी	...	जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व)।
१०२—बादशाह गुप्त	...	जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)
१०३—बाबूराम वर्मा	...	जिला एटा (उत्तर)।
१०४—बृजमोहनलाल शास्त्री	...	जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम)
१०५—बेचनराम गुप्त	...	बनारस स्टेट।
१०६—भगवतीप्रसाद दुबे	...	जिला गोरखपुर (दक्षिण पश्चिम)।
१०७—भगवतीप्रसाद शुक्ल	...	जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम)।
१०८—भगवानदीन	...	कानपुर नगर।
१०९—भगवानदीन मिश्र	...	जिला बहराइच (दक्षिण)।
११०—भगवान सिंह	...	जिला पीलीभीत (दक्षिण)।
१११—भारत सिंह	...	जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)।
११२—भीमसेन	...	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
११३—मंगलाप्रसाद	...	जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
११४—मसुरियादीन	...	इलाहाबाद नगर।
११५—महफ़ूजुर्रहमान	...	जिला बहराइच (दक्षिण)
११६—महमूद अली खां	...	देहरादून—हरिद्वार—सहारनपुर—मुजफ़्फ़रनगर नगर।
११७—महमूद अली खां	...	रामपुर स्टेट।
११८—मिजाजी लाल	..	जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
११९—मुकुन्दलाल अग्रवाल	...	जिला पीलीभीत (उत्तर)।
१२०—मुजफ़्फ़र हुसेन	...	लखनऊ नगर।
१२१—मुहम्मद अदील अब्बासी	...	जिला बस्ती (पश्चिम)।
१२२—मुहम्मद असरार अहमद	...	जिला बुदायूँ (पश्चिम)।
१२३—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री		जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
१२४—मुहम्मद इस्माईल	...	जिला मुरादाबाद (दक्षिण-पूर्व)।
१२५—मुहम्मद उबैदुरहमान खां शेरवानी	...	जिला अलीगढ़।
१२६—मुहम्मद जमशेद अली खां	...	जिला मेरठ (पश्चिम)।
१२७—मुहम्मद नबी, सैयद	...	जिला मुजफ़्फ़र नगर (पूर्व)।
१२८—मुहम्मद नजीर	...	जिला बनारस और मिर्जापुर
१२९—मुहम्मद फ़ारूक़	...	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१३०—मुहम्मद याक़ूब	...	जिला ग़ाजीपुर और बलिया।
१३१—मुहम्मद यूसुफ़	...	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।
१३२—मुहम्मद रजा खां	...	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)

१३३—मुहम्मद शकूर	...	बनारस—मिर्ज़ापुर नगर।
१३४—मुहम्मद शमीम	...	जिला रायबरेली।
१३५—मुहम्मद शाहिद फाख़री	...	गाज़ीपुर—जौनपुर—गोरखपुर नगर।
१३६—मुहम्मद शौकत अली खां	...	जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१३७—मुहम्मद सआदत अली खां	...	जिला बहराइच (उत्तर)।
१३८—मुहम्मद सुलेमान अधमी	...	जिला बस्ती (उत्तर पूर्व)।
१३९—यज्ञनारायण उपाध्याय	...	जिला बनारस (पश्चिम)।
१४०—रघुनाथ विनायक धुलेकर	...	जिला झांसी (दक्षिण)।
१४१—रघुवंशनारायण सिंह	...	जिला मेरठ (पूर्व)।
१४२—रघुवीर सहाय	...	जिला बुदायूं (पूर्व)।
१४३—राघवदास	...	फ़ैजाबाद—बहराइच सीतापुर नगर।
१४४—राजकुँवार सिंह	...	आगरा प्रान्त ज़मींदार एसोसियेशन।
१४५—राजाराम मिश्र	...	जिला फ़ैज़ाबाद (पश्चिम)।
१४६—राजराम शास्त्री	...	कानपुर औद्योगिक श्रम।
१४७—राधाकृष्ण अग्रवाल	...	जिला हरदोई (मध्य)।
१४८—राधामोहन सिंह	...	जिला बलिया (दक्षिण)।
१४९—राधेश्याम शर्मा	...	जिला बस्ती (पश्चिम)।
१५०—रामकुमार शास्त्री	...	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१५१—रामकृपाल सिंह	...	बुलन्दशहर—मेरठ—हापुड़—खुर्जा नगीना नगर।
१५२—रामचन्द्र सेहरा	...	आगरा नगर।
१५३—रामचन्द्र पालीवाल	...	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१५४—रामजी सहाय	...	जिला गोरखपुर (मध्य)।
१५५—रामधर मिश्र	...	इलाहाबाद—लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय।
१५६—रामधारी पांडे	...	जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
१५७—रामनंदन सिंह	...	बनारस स्टेट।
१५८—रामनारायण	...	अपर इंडिया चेम्बर अफ़ कामर्स।
१५९—रामबली मिश्र	...	जिला सुलतापुर (नपूर्व)।
१६०—राममूर्ति	...	जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)।
१६१—रामशंकरलाल	...	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
१६२—रामशरण	...	मुरादाबाद—अमरोहा—सम्भल—चन्दौसी—नगर।
१६३—रामस्वरूप गुप्त	...	ज़िला कानपुर (दक्षिण)।
१६४—रामेश्वरसहाय सिंह	...	ज़िला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)।
१६५—रुक्नुद्दीन खां	...	ज़िला प्रतापगढ़।

१६६—रोशन ज़मां खां	...	ज़िला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम) ।
१६७—लक्ष्मी देवी, श्रीमती	...	ज़िला फ़ैजाबाद (पश्चिम) ।
१६८—लताफ़त हुसैन	...	ज़िला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम) ।
१६९—लाखनदास जाटव	...	ज़िला बदायूँ (पूर्व) ।
१७०—लालबहादुर, माननीय श्री	...	ज़िला इलाहाबाद (गंगापार) ।
१७१—लालबिहारी टंडन	...	ज़िला गोंडा (पश्चिम) ।
१७२—लीलाधर अष्ठाना	...	ज़िला उन्नाव (पूर्व) ।
१७३—लुत्फ़ अली खां	...	ज़िला मेरठ (पूर्व) ।
१७४—लोटनराम	...	ज़िला जालौन ।
१७५—वंशगोपाल	...	ज़िला फ़तेहपुर (पूर्व) ।
१७६—वंशीधर मिश्र	...	ज़िला खीरी (दक्षिण-पश्चिम) ।
१७७—विजयानन्द मिश्र	...	ज़िला मिरज़ापुर (उत्तर) ।
१७८—विद्याधर वाजपेई	...	ज़िला सुल्तानपुर (पश्चिम) ।
१७९—विद्यावती राठोर, श्रीमती	...	ज़िला एटा (दक्षिण) ।
१८०—विनयकुमार मुकर्जी	...	लखनऊ--आगरा--अलीगढ़--इलाहाबाद अद्योगिक मिल श्रम ।
१८१—विश्वनाथ प्रसाद	...	ज़िला मिरजापुर (उत्तर) ।
१८२—विश्वनाथ राय	...	ज़िल गाज़ीपुर (पूर्व) ।
१८३—विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी	...	ज़िला उन्नाव (पश्चिम)
१८४—विष्णुशरण दुब्लिश	...	ज़िला मेरठ (उत्तर) ।
१८५—वीरबल सिंह	...	ज़िला जौनपुर (पश्चिम) ।
१८६—वीरेन्द्र शाह	...	आगरा प्रान्त ज़मींदार एसोसिएशन ।
१८७—वेंकटेश नारायण तिवारी	...	ज़िला कानपुर (उत्तर-पूर्व) ।
१८८—शंकर दत्त शर्मा	...	ज़िला मुरादाबाद (पश्चिम) ।
१८९—शान्ति प्रपन्न शर्मा	...	ज़िला देहरादून ।
१९०—शिवकुमार पाण्डेय	...	ज़िला इलाहाबाद (द्वाबा) ।
१९१—शिवकुमार मिश्र	...	ज़िला शाहजहांपुर (पूर्व) ।
१९२—शिवदयाल उपाध्याय	...	ज़िला फतेहपुर (पश्चिम) ।
१९३—शिवदान सिंह	...	ज़िला अलीगढ़ (पश्चिम) ।
१९४—शिवमंगल सिंह	...	ज़िला मथुरा (पूर्व) और ज़िला एटा (पश्चिम) ।
१९५—शिवमंगल सिंह कपूर	...	ज़िला आजमगढ़ (दक्षिण) ।
१९६—श्यामलाल वर्मा	...	ज़िला नैनीताल
१९७—श्यामसुन्दर शुक्ल	...	ज़िला प्रतापगढ़ (पूर्व) ।
१९८—श्रीचन्द सिंघल	...	ज़िला अलीगढ़ (मध्य) ।
१९९—श्रीपति सहाय	...	ज़िला हमीरपुर ।

२००—सज्जन देवी महनोत	...	बनारस नगर।
२०१—सम्पूर्णानन्द, माननीय डा०	...	बनारस नगर।
२०२—सरबत हुसैन	...	जिला मुरादाबाद (उत्तर पूर्व)।
२०३—सलीम हामिद खाँ	...	जिला झाँसी, जालौन और हमीरपुर।
२०४—साजिद हुसैन	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
२०५—सालिगराम जयसवाल	...	जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।
२०६—सिंहासन सिंह	...	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
२०७—सिराज हुसैन	...	जिला पीलीभीत।
२०८—सीताराम अष्ठाना	...	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
२०९—सुदामा प्रसाद	...	जिला गोरखपुर (उत्तर)।
२१०—सुरेन्द्र बहादुर सिंह	...	जिला रायबरेली (उत्तर पूर्व)।
२११—सुल्तान आलम खाँ	...	जिला फर्रुखाबाद।
२१२—सूर्यप्रसाद अवस्थी	...	जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२१३—सईद अहमद	...	जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२१४—हबीबुर्रहमान अंसारी	...	जिला लखनऊ तथा उन्नाव।
२१५—हबीबुर्रहमान खाँ	...	जिला खीरी।
२१६—हरगोविन्द पन्त	...	जिला अल्मोड़ा।
२१७—हरप्रसाद [सत्य-प्रेमी]	...	जिला बाराबंकी (दक्षिण)।
२१८—हरप्रसादसिंह	...	जिला बाँदा (दक्षिण)।
२१९—हसरत मोहानी	...	कानपुर नगर।
२२०—हुकुम सिंह, माननीय श्री	...	जिला बहराइच (उत्तर)।
२२१—होतीलाल अग्रवाल	...	जिला इटावा (पूर्व)।
२२२—हैदर बख्श	...	जिला मथुरा तथा आगरा।
२२३—(रिक्त)	...	जिला बस्ती (दक्षिण पूर्व), मुस्लिम ग्रामीण।
२२४—(रिक्त)	...	बरेली—पीलीभीत नगर, मुस्लिम नागर।
२२५—(रिक्त)	...	अवध लैंड-होल्डर्स का ब्रिटिश इंडियन ऐसोसियेशन।
२२६—(रिक्त)	...	जिला फैजाबाद, मुस्लिम ग्रामीण।
२२७—(रिक्त)	...	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम), सामान्य ग्रामीण।
२२८—(रिक्त)	...	जिला बाँदा (उत्तर), सामान्य ग्रामीण।
२२९—(रिक्त)	...	जिला सहारनपुर (उत्तर), मुस्लिम ग्रामीण।

२३०—(रिक्त) ... जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व), महिला निर्वाचन-क्षेत्र।

२३१—(रिक्त) ... ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र।

२३२—(रिक्त) ... जिला फतेहपुर और बाँदा, मुस्लिम ग्रामीण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

१—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

२—श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०

सचिव

३—श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

४—श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० (५-६-५० से अवकाश पर)

५—श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०
[स्थानापन्न ५-६-५० से]

अधीक्षक

६—श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए० ।

७—रामप्रकाश, बी० कॉम०, एल-एल० बी०, (स्थानापन्न ५-६-५० से)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १ जून, १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में प्रातःकाल ७ बजे आरम्भ हुई।

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१०६)

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गणपति सहाय, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री
नफीसुल हसन, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निहालुद्दीन, श्री
परागीलाल, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
भगवान दीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां (रामपुर), श्री
मिजाजी लला, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामशंकर लाल, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंश गोपाल, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडे, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हर प्रसाद सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ जून, १९५० ई०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

*१—४—श्री राजाराम मिश्र—[तारीख ५ जून के लिये स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

सहकारी विभाग के सुपरवाइजरों तथा ग्राम-सुधार इंस्पेक्टरों की नियुक्ति तथा वेतन-क्रम आदि के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सहकारी विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले सुपरवाइजरों का वेतन उनके समकक्ष पदों पर अन्य विभागों (कृषि,—ईख उन्नति विभाग) में काम करने वाले सुपरवाइजरों की अपेक्षा कम है? यदि हां, तो क्यों?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (उद्योग मंत्री) (अनुपस्थित)—जी हां। कारण यह है कि सहकारी विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले सुपरवाइजर यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के मुलाजिम हैं। वे कृषि, ईख—उन्नति विभाग के सुपरवाइजरों की तरह सरकारी मुलाजिमात में नहीं हैं। उक्त यूनियन सरकार की सहायता तथा सहकारी बैंकों और दूसरी सहकारी समितियों के चन्दे से अपने सुपरवाइजरों को वेतन इत्यादि देती है। उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वह अन्य विभागों (कृषि, ईख उन्नति विभाग) के बराबर अपने सुपरवाइजरों को वेतन दे सके।

*२—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम—सुधार इन्स्पेक्टरों की जो सहयोग विभाग की ट्रेनिंग में अनुत्तीर्ण होने के कारण दोबारा परीक्षा ली गयी थी उनका परीक्षा फल प्रकाशित हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)---जी नहीं। परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाता है। जो पास होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और जो फेल होते हैं उन्हें नहीं लिया जाता और उन्हें सूचित कर दिया जाता है।

*३---श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)---(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४६ ई० या उसके बाद कितने ग्राम-सुधार इन्सपेक्टर सहकारी विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त किये गये?

(ख) उनमें से कितनों को तरक्की (इन्क्रीमेंट) दी गयी?

(ग) कितने ग्राम-सुधार इन्स्पेक्टरों को अब तक तरक्की (इन्क्रीमेंट) नहीं दी गई और क्यों?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)---(क) ६१।

(ख) ५१।

(ग) १० को तरक्की नहीं दी गई है जिसका कारण यह है कि वे विभाग सम्बन्धी परीक्षा को दुबारा भी नहीं पास कर सके। उनकी स्थिति विचाराधीन है।

*४---श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित) (क)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि को-आपरेटिव सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग के बाद होने वाली परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें उस विषय में, जिसमें अनुत्तीर्ण होते हैं, पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ग्राम-सुधार विभाग के सर्किल आर्गेनाइजरों को, जो को-आपरेटिव सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग में अनुत्तीर्ण हुए, पुनः परीक्षा न लेकर निकाल दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)---(क) जी हां।

(ख) जी हां। यू० पी० को-आपरेटिव यूनियन की माली हालत के अनुसार सुपरवाइजरों की संख्या में कमी करने की जरूरत हुई। छटनी के नियमों में परीक्षा में फेल शुदा व्यक्तियों को भी हटाना निश्चय किया गया। इसलिये फेल शुदा-को आपरेटिव सुपरवाइजरों के साथ-साथ ग्राम-सुधार विभाग के सर्किल आर्गेनाइजरों को भी मुलाजिमत से निकाल दिया गया।

*५---श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)---(क) क्या यह सच है कि ग्राम-सुधार विभाग को सहकारी विभाग में विलय करते समय ग्राम-सुधार विभाग के कर्मचारियों की परीक्षा लेकर ही सहयोग विभाग में विलय करने का निर्णय किया गया था?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि देने की कृपा करेगी?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)---(क) जी हां।

(ख) सरकारी पत्र की एक† प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के मेज पर रख दी गई।

*६---श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--- [स्थगित किया गया।]

*७---श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कितने सहायक ग्राम सुधार इन्स्पेक्टर, सहयोग विभाग में किन-किन स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं और इस समय कितने शेष हैं?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)---इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की मेज पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २० पर)

---

† प्रतिलिपि यहां पर छापी नहीं गई।

*८--श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में इस समय सहयोग विभाग में कितने आडीटरों की आवश्यकता है?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)--सहकारी विभाग में इस समय २०६ आडीटरों की आवश्यकता है।

*९--श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक ग्राम सुधार इन्स्पेक्टरों और सहयोग विभाग के मातहत दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्कों के वेतन-क्रम क्या हैं?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)--सहायक ग्राम-सुधार इन्स्पेक्टर का वेतन-क्रम ६०--४--१००--५--१५० रु० और सहयोग विभाग के मातहत दफ्तरों के क्लर्कों का वेतन-क्रम ६०--३--९०--४--११० रु० है।

*१०--श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--(क) क्या यह सत्य है कि कुछ सहायक ग्राम-सुधार इन्स्पेक्टर सहयोग विभाग के अन्तर्गत क्लर्क बना दिये गये हैं?

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य सहायक इन्स्पेक्टरों की भांति आडीटर पद पर क्यों नहीं नियुक्त किया गया?

(ग) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने सहायक इन्स्पेक्टर सहयोग विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त किये गये हैं?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)--(क) जी हां।

(ख) इसका कारण यह है कि या तो वे लोग ट्रेनिंग के समाप्त होने पर परीक्षा में बुरी तरह फेल हुये या उनके सर्विस का रेकार्ड खराब होने के कारण उनको आडीटरों के पद के लिये नाकाबिल समझा गया।

(ग) कोई भी नहीं, सिवा तीन के जो स्थानीय शासन सम्बन्धी सुविधा के कारण इन्स्पेक्टर के पद पर आरजी तौर पर काम कर रहे हैं और जैसे ही आडीटरों की ट्रेनिंग शुरू होगी वहां चले जायेंगे।

भदरुख डेयरी फार्म (लखनऊ) के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*११--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या सरकार निम्नलिखित सूचनाएं मेज पर रखने की कृपा करेगी:--

(क) भदरुख डेयरी फार्म (लखनऊ) में सन् १९४९ ई० में कितने मवेशी थे? इनमें कितने दूध देने वाले थे?

(ख) उक्त डेयरी फार्म के पशुओं के लिए सन् १९४९ ई० में कितना चारा और भूसा संलग्न कृषि फार्म से पैदा किया गया?

(ग) प्रथम जनवरी सन् १९४९ ई० से अन्तिम दिसम्बर सन् १९४९ ई० तक कितना भूसा और चारा खरीदा गया?

(घ) यह भूसा किस ठेकेदार से खरीदा गया और किस दर से?

(ङ) इसकी सप्लाई की मियाद क्या थी?

(च) क्या यह भूसा मियाद के भीतर सप्लाई हुआ?

(छ) यदि नहीं, तो कब हुआ?

(ज) क्या यह सच है कि जब यह भूसा दिया गया उस समय भूसा का भाव बहुत बढ़ गया था?

(झ) यदि हां, तो ठेके की दर और प्रचलित भूसे की दर में क्या अन्तर था?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषिमंत्री)--(क) १,१२८, जिनमें ४६८ दूध देने वाले जानवर थे।

(ख) हरा चारा .. ८०,८०५ मन।

	भूसा	..	६,२५५ मन।
(ग)	चारा	..	८०,८०५ मन।
	भूसा	..	५६,९८३ मन।
(घ)	(१) सर्वश्री रामलाल सेठी पर ऐंड कंपनी, लखनऊ।		३८,३५८ मन ११ सेर गेहूँ का भूसा भदरुख फार्म मय पहुँचाई के ४ रु० ६ आने फी मन की दर से।
(२)	भद्रुक कृषि फार्म	..	६,२५५ मन गेहूँ का भूसा ५ रु० फी मन की दर से।
(३)	मुकामी खरीद	..	१२,३७० मन गेहूँ का भूसा ५ रु० से लेकर ७ रु० १४ आने फी मन तक।

(ङ) ३० जून, १९४९ सर्वश्री सेठी के लिये।

(च) जी नहीं।

(छ) ३१ दिसम्बर, १९४९ तक।

(ज) जी हां।

(झ) बाजार का भाव ५ रु० से लेकर ७ रु० १४ आने फी मन तक था और ठेकेदार को ४ रु० ६ आने फी मन की दर से सप्लाई करना था।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो गेहूँ खरीदा गया था उसकी दर किस प्रकार से निर्धारित की गई थी?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जवाब में गेहूँ खरीदना तो नहीं बताया गया।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--भूसा जो खरीदा गया वह किस दर से?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--उसके मुताल्लिक जवाब में अर्ज किया जा चुका है कि डाइरेक्टर, एनीमल हस्बैंड्री के साथ एक कमेटी बना दी गई है। जो कुछ भी खरीददारी हुई है वह उसी कमेटी के फैसले के मुताबिक हुई है।

श्री बादशाह गुप्त--जो दर से अधिक रुपया दिया गया उसकी हानि सरकार को उठानी पड़ी या ठेकेदार को?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--ठेकेदार से जो मुआहिदा किया गया था उसको उसी दर से दिया गया। ठेकेदार को ४ रुपये ६ आने की दर से दिया गया। उसने जिस दर से खरीदा हो यह सरकार को नहीं मालूम।

*१२--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या भदरुख दुग्धशाला (लखनऊ) के पशुओं के लिए सन् १९४९ ई० में चूनी और दाना खरीदा गया? यदि हां, तो किसके द्वारा?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हां। नीचे लिखे हुए लोगों से खरीदारी की गई:--

(१) सर्वश्री गंगा सहाय नरायन दास।

(२) सर्वश्री रामलाल सेठी ऐंड कम्पनी।

(३) रीजनल फूड कंट्रोलर।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दाना खरीदा गया वह जिस समय टेंडर मंजूर हुआ था उस समय उसकी दर ज्यादा थी और जिस समय सप्लाई की गई थी उस समय बाजार का दर कम था?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इसका जवाब दे चुका हूँ।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भदरुख डेयरी फार्म के लिये जो चारा और भूसा, चूनी और दाना खरीदा जाता है वह सब का सब डेयरी में खर्च होता है या और लोगों को दिया जाता है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जहां तक मुझे याद है वह वहां खर्च होता है।

*१३--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या उक्त खरीद में बिला टेंडर मांगे किसी ठेकेदार को ठेका चूनी आदि खरीदने को दिया गया ? यदि हां, तो किसको, कितने मन का और किस भाव से ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हां। नीचे लिखी हुई खरीदारियां कम्पेटीटिव रेट्स पर की गई :--

फर्म का नाम	दर फी मन		मिकदार
	रु०	आ०	
सर्वश्री गंगासहाय नरायन दास ..	१०		५०८ मन चूनी।
	९		५८५ मन, और २७ सेर अरहर की भूसी।
..	१०		६० मन १९ सेर अरहर की चूनी।
..	१०	४	४२५ मन चोकर।
सर्वश्री रामलाल सेठी एन्ड कम्पनी ..	६	८	७२९ मन ३१ सेर १२ छटांक मिली हुई चूनी।

*१४--श्री चतुर्भुज शर्मा--यह चूनी कब सप्लाई की गयी और उस समय बाजार-भाव क्या था ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--(१) अगस्त १९४९ से जनवरी १९५० तक

(२) बाजार का भाव ७ रु० से लेकर १० रु० ८ आने फी मन तक।

*१५--श्री चतुर्भुज शर्मा--भदरुख दुग्धशाला के ठेके आदि कौन अफसर देते हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--डाइरेक्टर, एनीमल हसबेंड्री, जिनकी एक डिपार्टमेंटल कमेटी मदद करती है।

श्री बादशाह गुप्त--जो कमेटी बनाई गई वह किन-किन सज्जनों की थी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--उन सबके नाम तो मैं जबानी नहीं बता सकता। उनमें से एक साहब ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आश्रम में बहुत दिनों तक इस सिलसिले में काम कर चुके हैं।

*१६--श्री चतुर्भुज शर्मा--भदरुख दुग्धशाला में अभी तक सरकार ने कितने रुपये की लागत लगायी है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--पिछले ३ वर्षों में भदरुख डेयरी पर कुल ९,१२,८१९ रुपया १ आना खर्च हुआ।

*१७--श्री चतुर्भुज शर्मा--पिछले तीन सालों में इस दुग्धशाला में लाभ हुआ या हानि और कितनी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--दिसम्बर, १९४९ के आखीर तक ३,१३,००० रुपया आमदनी से ज्यादा खर्च हुआ।

श्री बादशाह गुप्त--गत तीन वर्ष में जो तीन लाख से अधिक की हानि हुई है उसको लाभ में परिणित करने के लिये सरकार ने आगे साल के लिये क्या उपाय किये हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--यह असल में तो हानि नहीं कही जा सकती इस लिये कि ये उसमें जो हमारे पास जानवरों के बच्चे हैं उनकी कीमत नहीं लगाई गई है। आखिर वह भी खाते हैं, पीते हैं और उन पर भी खर्च तो होता ही ह। दूसरी चीज यह है कि हमारे भदरख डेयरी फार्म के दूध का जो भाव है वह इतना कम है कि अच्छी से अच्छी जगह उतने कम भाव पर दूध नहीं बिकता। मिलिटरी डेयरी फार्म में ११ आन सेर दूध फौजियों को दिया जाता है। यहां जो और सहयोगी समितियां हैं वह भी १० आने सेर के हिसाब से चार्ज करती हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि जहां तक मुमकिन हो सके भाव को ठीक किया जाये। इस वक्त गवर्नमेंट उन पर काफी रुपया भी खर्च कर रही है। इन सब बातों पर विचार करके गवर्नमेंट के जेरे गौर यह है कि भदरख डेयरी फार्म का दूध जो लखनऊ का सबसे ज्यादा अनएडल्टरेटेड दूध समझा जाता है उसका भाव १० आने या १२ आने सेर मुकर्रर करे। अगर यह १० आने या १२ आने सेर हो जाता है तो न सिर्फ यह कि जो नुक़सान है वह निकल जायेगा बल्कि उसके ऊपर कुछ मुनाफा भी होगा। जहां तक इस वक्त जो कुछ भी नुक़सान है वह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि असल में नुक़सान नहीं है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि फार्म में जो बछड़े हैं उनकी कीमत क्या होगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--उनमें बाज तो ऐसे हैं जिनकी कीमत मौजूदा बाजार के हिसाब से पांच हजार तक होगी और कुछ ऐसे हैं जिनकी कीमत एक-एक हजार होगी। लेकिन आमतौर से मैं समझता हूं कि हर बछड़े की कीमत ३००-४०० लगाई जाती है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या मैं यह समझूं कि जो बछड़े डेरी फार्म में इस समय मौजूद हैं उनकी कीमत ३,३७,००० रुपये होगी, जोकि घाटा है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--मैं सही अन्दाजा नहीं बता सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम १॥ लाख जरूर होगी।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कोई भी डेयरी खोलना चाहे उसे वह सब्सिडी देगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हां, सरकार की माली हालत जितनी इजाजत देती है वह देती है और आइन्दा भी देगी ?

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार की यह योजना है कि डेयरी बिना सब्सिडी के चल नहीं सकती या बिना घाटे के चल नहीं सकती ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--हुकूमत को जो कुछ तजुर्बा इस वक्त तक है वह यह है कि बगैर काफी जमीन के डेयरी को फायदे के साथ नहीं चलाया जा सकता है। जिनके पास काफी जमीन है वह डेयरी को फायदे के साथ चला सकते हैं।

गवर्नमेंट को भदरख में जो ज्यादा नुक़सान हुआ उसकी वजह यह है कि यहां लखनऊ में दूध की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और जमीन जो हमारे पास थी वह छिन गई, जो जमीन हमारी दारोमदार थी उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने छीन लिया। नतीजा यह हुआ कि इतनी तादाद में जानवरों को रखना पड़ा और उनको पालने के लिये तकरीबन कुल का कुल चारा खरीदना पड़ता है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि भदरुख डेरी का दूध लखनऊ के किस-किस क्षेत्र में जाता है और जिस-जिस क्षेत्र मे जाता है उस क्षेत्र के सभी वर्गों को, चाहे वे सरकारी नौकर हों या न हों, दिया जाता है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां, इसमें कोई तफरका नहीं किया जाता।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायत आई है कि भदरुख डेरी का दूध सिर्फ चुने हुये लोगों को दिया जाता है और आम गरीब जनता और गरीब सरकारी नौकर उससे बंचित रहते हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां, शिकायतें अक्सर आई हैं, मगर हुकूमत के लिये यह बड़ा मुश्किल है कि जो दरख्वास्तें आयें उनमें खासतौर से एक चीज देखे, यानी उनकी आमदनी। इसके लिये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अमलों की जरूरत है? गवर्नमेंट के पास जो दरख्वास्तें आती हैं उनमें जो पहले की दरख्वास्तें हैं उन पर पहले गोर किया जाता है और जो बाद की दरख्वास्तें हैं उन पर बाद में गौर किया जाता है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—सरकार ने भदरुख डेयरी के दूध के वितरण का क्या नियम रखा है ? क्या प्रोरिटी के लिहाज से ही दूध दिया जाता है या कोई और नियम रखा है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—ज्यादातर यह नियम है कि जैसे-जैसे दरख्वास्तें आती हैं उन पर गौर किया जाता है।

*१८—श्री चतुर्भुज शर्मा—भदरुख दुग्धशाला में कितने आफ़िसर काम करते हैं ? क्या कोई डेयरी विकास आफिसर नये नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन ? उनका वेतन क्या है और उनके क्या कर्त्तव्य हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—डेयरी मैनेजर, जोकि क्लास टू अफसर हैं, उनकी मदद के लिये एक ग्रुप वन असिस्टेंट डेयरी मैनेजर हाल ही में रक्खा गया है। इस कार्य के लिये कोई नया डेयरी डेवेलपमेंट अफसर नहीं रक्खा गया है।

*१९—श्री चतुर्भुज शर्मा—भदरुख दुग्धशाला किसके चार्ज में है और वे कब से काम कर रहे हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह डेयरी फार्म से यानी नवम्बर, १९४७ से श्री आर० सी० अग्रवाल डेयरी मैनेजर के चार्ज में है।

*२०—श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या सरकारी दुग्धशालायों के लिये पशु खरीदने के सम्बन्ध में कोई ट्रकें खरीदी गयीं ? यदि हां, तो कितनी और कितने रुपये में ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां। १९४८-४९ और १९४९-५० में पूर्वी पंजाब से जानवर खरीदने के लिये ८ ट्रकें २,१९,४२४ रुपये १२ आने में खरीदी गयीं।

*२१—श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या उक्त ट्रकें पशुओं की खरीद में इस्तेमाल की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—आठ ट्रकों में से ३ ट्रकें जानवर खरीदने के लिये इस्तेमाल की गईं, एक सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ में इस्तेमाल हो रही है और बाकी ४ ट्रकें जानवर खरीदने के लिये इस्तेमाल न हो सकीं क्योंकि वे बाडी बिल्डिंग के लिये गवर्नमेंट वर्कशाप, ताल कटोरा भेज दी गई थीं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—यह जो चार ट्रक्स वर्कशाप में बाडी बनाने के लिये दिये गये थे उनकी बाडी जल्द क्यों नहीं बनी और इतने लम्बे समय में क्यों बनी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—ठीक समय तो मैं नहीं बतला सकता हूं बहरहाल जहां तक मुमकिन हो सका और जहां तक हमारे इक्विपमेंट ने इजाजत दी उसके लिहाज

से कोई देरी नहीं हुई, गवर्नमेंट ने खासतौर से ख्याल रक्खा कि इस बात की पूरे तौर पर जांच की जाये कि इस काम में देरी तो नहीं हो रही है।

श्री राधा कृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब गवर्नमेंट की वर्कशाप ठीक तरह से नहीं बना सकी तो दूसरे उपाय क्यों नहीं किये गये ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--अपने वर्कशाप को भी तो काम देना है अपने वर्कशाप को छोड़कर दूसरी जगह काम बनाया जाना सही नहीं है।

*२२--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या बिजली की मोटरें दुग्धशाला, भदरुख में मंगायी गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी और कितने में ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हां। १० बिजली की मोटरें ४,०१६ रुपये में खरीदी गईं।

*२३--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या उक्त मोटरें प्रयोग में लाई गईं या नहीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हां, वह इस्तेमाल की जा रही हैं।

*२४--श्री चतुर्भुज शर्मा--उक्त मोटरों को खरीदने की क्या आवश्यकता थी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--ये मोटरें दूध को पैस्चराइज (pasteurise) और बोतलों को साफ करने के लिये खरीदी गईं थीं।

पीलीभीत में शक्कर मिल के होते हुये दूसरे जिलों से शक्कर का आयात

*२५--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि पीलीभीत शहर में एक बहुत बड़ी शक्कर की फैक्टरी है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासनमंत्री)--जी हां।

*२६--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--उपरोक्त फैक्टरी का वार्षिक औसत शक्कर का उत्पादन क्या है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर हिसाब लगाने से वार्षिक औसत उत्पादन ४९९,९१९ मन होता है।

*२७--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि गत नियंत्रण काल में पीलीभीत जिले की आवश्यकताओं के लिये उपरोक्त फैक्टरी की ही बनी हुई शक्कर दी जाती रही ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-- जी हां।

*२८--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल (अनुपस्थित) --क्या यह सत्य है कि चालू सीजन मात्रा पीलीभीत में उपभोग के लिये पूर्ववत् स्थानीय कारखाने से न देकर एक बहुत बड़ी दानेदार शक्कर की किसी दूसरे जिले की शकर फैक्टरी से दी गयी ? यदि हां, तो--

(क) उस कारखाने का क्या नाम है और यह कारखाना किस जिले में किस स्थान पर स्थित है ?

(ख) पीलीभीत से वह स्थान कितनी दूर है और उस स्थान में पीलीभीत के लिये यातायात के क्या साधन उपलब्ध हैं ?

(ग) कितनी बोरी शक्कर उस स्थान से पीलीभीत के उपभोग के लिये दी गयी ?

(घ) यदि वह शक्कर रेल से आयी या आने वाली है तो कितने वैगन उसको लाने के लिये लगे या लगेंगे और कितने दिन वह वैगन इस काम में लगे रहे या लगे रहेंगे ?

(ङ) कितना अधिक व्यय प्रति बोरी पीलीभीत में उपरोक्त स्थान से शक्कर लाने में लगा या लगेगा और कुल कितना, अतिरिक्त व्यय लगा या लगेगा और अधिक व्यय किसको देना पड़ेगा ?

नोट--तारांकित प्रश्न सं० २५--३० श्री खुशवक्त राय ने पूछे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां। लेकिन सितम्बर, १९४९ ई० से कुल १०,६२२ बोरे दिये गये, जिनमें, से, थोड़े ही, यानी १,६८३ बोरे, जो फरवरी १९५० ई० में दिये गये, जिले के बाहर की मिल के थे। उस महीने के पीलीभीत के कोटे को पूरा करने के लिये ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि भारत सरकार ने स्थानीय मिलों से ८० टन, अर्थात् ७९२ बोरे देने के लिये नियत किये थे।

(क) ऐरा शुगर फैक्टरी, ऐरा, तहसील निघासन, जिला खेरी--लखीमपुर।

(ख) ऐरा से लखीमपुर--खेरी की दूरी, कच्ची सड़क से, २४ मील है। आमतौर पर फैक्टरी की लारियों से चीनी लखीमपुर भेजी जाती है जहां से पीलीभीत की दूरी, रेल द्वारा (ओ० टी० रेलवे), ८० मील है।

(ग) १,६८३ बोरे।

(घ) १६ वैगन लगे और ये वैगन ५ दिन तक इस काम में लगे रहे।

(ङ) खेरी से पीलीभीत चीनी भेजने में प्रति बोरा १ रु० ८ आना प्रासंगिक व्यय हुआ और २ सेर प्रति बोरे के हिसाब से अतिरिक्त कमी सम्मिलित करके प्रति बोरे पर कुल खर्चा ३ रु० ४ आना हुआ। यह व्यय उन प्रासंगिक खर्चों के अन्दर है जो व्यापारी मूल्य की गणना करते समय अपने हिसाब में जोड़ सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो शक्कर पीलीभीत जिले में वहां की मिलों को न दे कर दूसरे जिलों को दी गई वह किस नियम के आधार पर दी गई?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उत्तरों में स्पष्ट कर दिया गया कि जितनी चीनी पीलीभीत जिले को दी गयी अधिकतर वह वहीं के मिल की थी। फरवरी के महीने में कुछ कमी पड़ने से, उस कमी को दूर करने के लिये दूसरे मिल की चीनी उसको दी गयी।

*२९--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या पीलीभीत के कारखाने की शक्कर चालू सीजन में कहीं बाहर भेजी गयी? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी-कितनी और कब-कब?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--एक नकशा मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि उक्त मिल से इस राज्य के जिलों को कितनी चीनी दी गयी। मिलों से दूसरे राज्यों को कोटा भारत सरकार का कृषि विभाग देता है। हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१ पर)

*३०--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--स्थानीय उत्पादित आवश्यक वस्तुओं को स्थानीय उपभोग के लिये सुरक्षित न रख कर बाहर से उन्हीं वस्तुओं को मंगाने और स्थानीय उत्पादन को बाहर भेजने की नीति का अनुसरण सरकार क्यों करती है और इसमें उपभोक्ताओं या सरकार अथवा दोनों का क्या लाभ है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस राज्य के उपभोग के लिये विशिष्ट मात्राओं के (मिलवार) कोटे भारत सरकार नियत करती है और वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्य की सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह जिस मिल से चाहे चीनी ले सके।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार जो कोटा नियत करती है उस सम्बन्ध में वह राजकीय सरकार से कोई सिफारिश मांगती है या नहीं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--कुछ पूछ-ताछ अवश्य होती है, लेकिन इस विषय पर इतने डिटेल में पूछ-ताछ हुई या नहीं, इसके बारे में शंका है।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पीलीभीत के लिये कोटा नियत होने से पहले भारत सरकार ने राजकीय सरकार से कोई सलाह की थी या नहीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं इस प्रश्न के लिये नोटिस चाहता हूं।

श्री खुशवक्त राय--क्या राजकीय सरकार को यह सूचना है कि दूसरे जिले से चीनी जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--हां, यह तो स्पष्ट है कि एक जिले से दूसरे जिले में चीनी जाये तो उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जायगी।

*३१--३४--श्री जगमोहन सिंह नेगी--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये।]

*३५--श्री प्रेमलाल वैद्य--[स्थगित किया गया।]

लोहे में चोर-बाजारी करने वालों के गिरोह की गिरफ्तारी

*३६--श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार बतलायेगी कि १ मार्च के लगभग लोहे के ब्लैक करने वालों का एक गिरोह पकड़ा गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री) (अनुपस्थित)--(क) सरकार को ऐसे किसी गिरोह के पकड़े जाने की सूचना नहीं है।

(ख) उपरोक्त उत्तर के बाद प्रश्न नहीं उठता। यदि माननीय सदस्य एक किसी गिरोह का विवरण बतायें तो उसकी जांच की जायेगी।

*३७--४७--श्री खुशी राम--[स्थगित किये गये।]

*४८--५३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--[स्थगित किये गये।]

*५४--५५--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--[स्थगित किये गये।]

*५६--६०--श्री गंगा प्रसाद--[स्थगित किये गये।]

ग्राम-सभा, लहंगपुर, जिला जौनपुर की आमदनी व खर्च का ब्योरा

*६१--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार ग्राम-सभा, लहंगपुर, तहसील केराकत, जिला जौनपुर के तारीख १५ अगस्त, १९४९ ई० से तारीख २८ फरवरी, १९५० ई० तक के आमदनी और खर्च के वास्तविक ब्योरे का एक नकशा मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--ग्राम-सभा, लहंगपुर, तहसील केराकत के तारीख १५ अगस्त, १९४९ ई० से तारीख २८ फरवरी, १९५० ई० तक के आमदनी व खर्च की वांछित सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२ पर)

अदालती पंचायत विजयगिरि जिला जौनपुर के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

*६२--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अदालती पंचायत विजयगिरि, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के सरपंच के विरुद्ध अदालत का फैसला बदल कर पुनः दूसरा फैसला देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो उक्त सरपंच के हटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, सरपंच को पृथक करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री सिराज हुसैन का विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना-पत्र

माननीय अध्यक्ष--अब मैं कार्यक्रम की मद दो को लेता हूं, वह है "उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम ६ के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री सिराज हुसैन के प्रार्थना पत्र पर विचार।"

श्री सिराज हुसैन का २१ मार्च का*प्रार्थना-पत्र इसके साथ छपा हुआ है। उसके बाद यह मसला एक से अधिक बार इस सदन में आ चुका है। पिछली मर्तबा १८ अप्रैल को यह विषय आया था। तब यह निश्चित हुआ था कि लगभग एक मास के बाद यह विषय रखा जाय। उस समय से, जब लगभग एक मास पूरा हुआ तब यह सदन बैठा नहीं था, आज बैठा है। इसलिये आज आपके सामने फिर यह प्रश्न है। अब श्री सिराज हुसैन की अनुपस्थिति ६९ दिन की हो चुकी है ,आज को छोड़ कर। अगर आज को भी हम गिनें तो ७० दिन की अनुपस्थिति उनको हो गयी है। नियम के अनुसार ६० दिन की अनुपस्थिति के बाद इस सदन को अधिकार होता है कि उनका स्थान रिक्त घोषित करे या न करे। उन्होंने तो छुट्टी मांगी थी, भवन ने उनको अभी तक छुट्टी नहीं दी। बीच-बीच में उनके कई तार आए। उनका आखिरी तार माननीय हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम साहब के पास आया है। यह तार ३० तारीख का है और कल मेरे दफ्तर में हाफिज साहब के दफ्तर से भेजा गया है। तार यह है--

"Dr. Hamid of Lucknow examined me and advised rest till July. Also prohibited travelling in heat to Lucknow. Have, therefore, sent resignation from Assembly through High Commissioner."

(लखनऊ के डाक्टर हमीद ने मेरे रोग की परीक्षा की और उन्होंने मुझे जुलाई तक आराम करने की सलाह दी और गर्मी में लखनऊ जाने का भी निषेध किया। अतः मैं हाई कमिश्नर के द्वारा विधान सभा से त्याग-पत्र दे रहा हूं।)

मेरे पास उनका कोई रेजिगनेशन आया नहीं है। सदन के सामने यह मसला अब विचार के लिये है। इस विषय में क्या गवर्नमेंट का कोई मत है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह तार परसों ही आया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा तो आया नहीं है। इस्तीफ़ा आ जाय तो स्वीकार करने में कोई एतराज की बात नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर उनकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई तो भी वह सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। दूसरा तरीक़ा यह हो सकता है कि इस्तीफ़े के लिये हम सदन से प्रार्थना करें कि कुछ दिन बाद इस पर विचार किया जाय। मैं तो यह उचित समझता हूं कि जब उनकी स्पष्ट राय मालूम हो जाती है कि वह सदन के सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, तो इसके करने में कोई एतराज की बात नहीं होगी कि हम उनकी छुट्टी नामंजूर कर दें।

श्री निहालुद्दीन---जनाबेसदर, गवर्नमेंट की जानिब से इस मसले पर यह राय जाहिर की गई है कि सिराज हुसैन साहब के इस्तीफे का इंतजार न किया जाय और उनकी छुट्टी की दरख्वास्त जो भवन के सामने है वह नामंजूर कर दी जाय। इसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि दरख्वास्त में जो उन्होंने अपनी वजह असेम्बली से गैरहाजिरी की बताई है वह ८ मार्च, १९५० ई० से लेकर उस वक्त तक, यानी २१ मार्च, १९५० ई० तक अपनी अलालत की बताई है। कोई वजह नहीं मालूम होती कि उनके इस बयान को यक़ीन क्यों न किया जाय। रूल्स में हुजूरवाला को अख्तियार है कि इस क़िस्म के मेम्बर की दरख्वास्त मंजूर की जा सकती है। मेरे नजदीक उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाय और उनके इस्तीफे

* देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३ पर।

का हमें इन्तजार करना चाहिये। अगर वह सेहत के लिहाज से या किसी और असबाब के इस क़ाबिल नहीं हैं कि वह हममें रह सकें, तो फिर उनके इस्तीफे पर हम मुनासिब वक्त ग़ौर करेंगे। इसलिये मैं गवर्नमेंट के इस प्रोपोजल की मुखालिफ़त करता हूं कि उनकी दरख्वास्त नामंजूर करके उनको अनसीट (स्थान-च्युत) कर दिया जाय, बल्कि मेरी राय यह है कि उनके इस्तीफ़े का इंतजार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--इस विषय पर अधिक बहस गैरजरूरी है। नियम के अनुसार हमारे सामने सिर्फ़ छुट्टी का मसला है। जहां तक उनके स्थान को रिक्त करने का सम्बन्ध है, वह प्रश्न प्रस्ताव पर ही सामने आ सकता था। नियम यह है---

"A member shall give 3 days' notice of such a motion and shall, with his notice, forward a complete statement of the dates on which the member, whose seat is to be declared vacant, was absent."

(किसी सदस्य को ऐसे प्रस्ताव की ३ दिन की सूचना देनी होगी और अपनी सूचना के साथ एक पूर्ण विवरणात्मक तिथियों को सूची भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह सदस्य, जिसका स्थान रिक्त घोषित किया जा रहा है, अनुपस्थित रहा हो।)

किसी मेम्बर ने हमको कोई सूचना नहीं दी इसलिये आज उनके स्थान को रिक्त करने का सवाल मैं लेता ही नहीं। इस वक्त तो सवाल सिर्फ यह है कि सदन उनको छुट्टी देता है या नहीं। मैंने माननीय स्वशासन मंत्री के बयान से यह समझा कि वह छुट्टी देने के पक्ष में नहीं हैं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, यही मैंने कहा।

माननीय अध्यक्ष--श्री निहालुद्दीन की राय है कि उनको छुट्टी दी जाय। इस समय हमारे सामने केवल यह प्रश्न है कि उनको छुट्टी दी जाय या नहीं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और छुट्टी की प्रार्थना अस्वीकृत हुई।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन)* विधेयक

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन) विधेयक की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गए निम्नलिखित संशोधन सहित सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय:---

धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय:---

६---मूल ऐक्ट में किसी बात के होते हुए भी---

"(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे चलकर अमेंडिंग ऐक्ट कहा जायगा) के द्वारा संशोधन होने के पहले धारा १४ जैसी थी उसमें कहे गए प्रकार का कोई कर, यदि संशोधन होने पर भी, किसी टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया, लिया या निर्धारित किया जाता रहा हो, तो वह विधितः ठीक और वैध होगा और इसके द्वारा ठीक और वैध घोषित किया जाता है, मानो उक्त संशोधन हुआ ही नहीं था और ऐसा कोई भी कर ३१ मार्च, १९५० ई० तक उसी प्रकार लगाया, लिया और निर्धारित किया जा सकता है;

(२) केवल इस आधार पर कि उक्त अमेंडिंग ऐक्ट द्वारा धारा १४ के संशोधन के बाद टाउन एरिया कमेटी को वह कर लगाने, लेने या निर्धारित करने का अधिकार नहीं था, कोई न्यायालय खंड (१) में उल्लिखित कर की वापसी के दावे को ग्रहण नहीं करेगा;

*यहां पर छापा नहीं गया।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

(३) ऐसे सब वाद या दूसरी कार्रवाइयां, जो खंड (१) और (२) में उल्लिखित आधारों पर ऐसे किसी टैक्स की वापसी के लिये या उसके वैध होने के आक्षेप के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, या इसके बाद प्रस्तुत की जायं, विरत (अबेट) हो जायंगी और खारिज कर दी जायंगी।''

सदस्यों को यह मालूम ही है कि टाउन एरियाज ऐक्ट में इस प्रकार का सुधार कुछ महीनों पहले यह सदन स्वयं पास कर चुका है। उसके बाद जैसा कि इस सदन ने बिल पास किया था वह विधान परिषद् में पेश किया गया और वहां धारा ६ में कुछ गलतियां पाई गई। अनुवाद में कुछ गलतियां हो गयी थीं। अंग्रेजी में तो सही चीज रही लेकिन अनुवाद में कुछ लाइनें छूट गयीं और यह गलती विधान परिषद में पकड़ी गयीं और फिर अनुवाद ठीक तौर से किया गया और जिसे गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। उसी सुधार के साथ मैं इस बिल को फिर इस सदन के सामने लाया हूं। इसमें कोई सिद्धांत का परिवर्तन नहीं है, केवल शाब्दिक परिवर्तन थोड़ा-बहुत हुआ है, जोकि मैंने इस सदन के सामने पेश कर दिया है और मुझे आशा है कि सदन इस पर विचार करेगा।

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैं इसकी मुखालिफत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज की निहायत ही लापरवाही और बेतवज्जही थी जिसकी वजह से यह टैक्स जो कि कानूनन बन्द कर दिया गया था जारी रखा गया। उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में दावे किये और हाई कोर्ट में, जो टैक्सेज लगाये गये थे उसकी बिना पर, उनको इल्लीगल (अवैध) करार दिया और उस कार्रवाई को पूरा करने के लिये और दुरुस्त करने के लिये गवर्नमेंट यह तरमीम लाई। और कब्ल लाने के एक आर्डिनेंस भी नाफिज किया। हजारों आदमी जो टाउन एरियाज में रहते थे उनके ऊपर टैक्सेज लग गये और बिला वजह उनको परेशानी में मुब्तिला होना पड़ा। इस सिलसिले में होना तो यह चाहिये था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और उनके अधिकारियों को ऐक्ट को देखना चाहिये था और ऐक्ट देखने के बाद अगर किसी टाउन एरिया ने टैक्स लगाया तो उनको बन्द कर देना चाहिये था। लेकिन नतीजा जो कुछ होना था वह तो हुआ, अब उन गलतियों को सुधारने के लिये गवर्नमेंट को यह तरमीम लानी पड़ी है। अब मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दफा २७६, कांस्टीट्यूशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उससे साफ जाहिर है कि नये टैक्सेज के लगाने की इजाजत नहीं है सिर्फ जिस जगह लगे हुए हैं वहीं इजाजत दी है। लिहाजा आनरेबिल मिनिस्टर साहब को यह अपने जिलों के अफसरों से दरियाफ्त करना चाहिये कि कितने फ्रेश टैक्सेशन लग गये हैं और अगर लगे हैं तो यह गलती होगी। लिहाजा मैं इसकी मुखालिफत तो नहीं करता लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की मशीनरी को दुरुस्त चलना चाहिये, ठीक रास्ते पर चलना चाहिये और देखना चाहिये कि आइन्दा से ऐसी गलतियां न हों।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय स्पीकर महोदय, नवाब ऐजाज रसूल साहब ने इस बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट की और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का जिक्र किया और यह भी कहा कि जो नाजायज टैक्सेज थे, वे तो लोगों पर लग गये। जहां तक कि लोगों पर टैक्स लगने का सवाल है इस कानून के द्वारा वह टैक्स जारी किये जा रहे हैं। अगर यह कानून सही है तो वह टैक्स वसूल कर लेना भी पिछले वक्त पर भी वसूल कर लेना, इससे पब्लिक के ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ा। जहां तक लापरवाही का ताल्लुक है मैं मंजूर करता हूं कि लापरवाही स्थानीय हुक्कामों की थी और उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। मैं साफ तौर से कहता हूं कि मेरी गलती है। मुझे कम से कम इस बात को देख लेना था कि ऐसे टैक्स बहुत लगते चले जा रहे

हैं। लेकिन टाउन एरियाज से जो मसले गवर्नमेंट के पास तक आते वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक रह जाते हैं। इस वजह से पता नहीं चला। जब हाई कोर्ट में मसला आया तो इस बात की कोशिश की गयी कि इस कानून को दुरुस्त कर दिया जाय, नहीं तो टाउन एरियाज का काम नहीं चलेगा। तो जब ऐसी सूरत पैदा हो गयी तो उस गलती को दुरुस्त करना लाजिमी समझा गया और मैं गलती जरूर कबूल करता हूं। लेकिन इतनी बात कहूंगा कि जब कानून विधान परिषद से आ गया फिर भी गलती हो गयी और अधिकारियों को ताकीद कर दी गयी है इस किस्म की गलती नहीं होनी चाहिये। लेकिन आज मसला इसबात का है कि गलती हो जाने के बाद टाउन एरियाज का काम चलना है या नहीं चलना ह। अगर उनका काम चलना है तो इस तरह का कानून पास हो जाना चाहिए जिसमें उनका दिवाला न निकले, क्योंकि वह अच्छे कामों में ही रुपया खर्च करने के लिये संस्थाएं खुली हैं। एक गलती के पीछे अच्छे कामों को रोक देना कहां तक मुनासिब है, इस बात पर सदन विचार करे और इसे स्वीकार करे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--अब मैं विधान परिषद के संशोधन को सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :--

६--मूल ऐक्ट में किसी बात के होते हुए भी--

"(१) यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे चलकर अमेंडिंग ऐक्ट कहा जायगा) के द्वारा संशोधन होने के पहले धारा १४ जैसी थी उसमें कहे गए प्रकार का कोई कर, यदि संशोधन होने पर भी, किसी टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया, लिया या निर्धारित किया जाता रहा हो, तो वह विधितः ठीक और वैध होगा और इसके द्वारा ठीक और वैध घोषित किया जाता है, मानो उक्त संशोधन हुआ ही नहीं था और ऐसा कोई भी कर ३१ मार्च, १९५० ई० तक उसी प्रकार लगाया, लिया और निर्धारित किया जा सकता है;

(२) केवल इस आधार पर कि उक्त अमेंडिंग ऐक्ट द्वारा धारा १४ के संशोधन के बाद टाउन एरिया कमेटी को वह कर लगाने, लेने या निर्धारित करने का अधिकार नहीं था, कोई न्यायालय खंड (१) में उल्लिखित कर की वापसी के दावे को ग्रहण नहीं करेगा;

(३) ऐसे सब वाद या दूसरी कार्रवाइयां, जो खंड (१) और (२) में उल्लिखित आधारों पर ऐसे किसी टैक्स की वापसी के लिये या उसके वैध होने के आक्षेप के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, या इसके बाद प्रस्तुत की जायं, विरत (अबेट) हो जायंगी और खारिज कर दी जायंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक, जैसा कि यह विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की समकालीन सदस्यता का निषेधक विधेयक

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमान् जी, संविधान के अनुसार कोई सदस्स स्टेट्स को असेम्बली और कौंसिल, यानी इस भवन और परिषद इन दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। संविधान की दफा १९० में भी यह दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार कोई मेम्बर चुना जाय तो उसके एक स्थान को रिक्त करने के सम्बन्ध में राज्य की जो असेम्बलियां हैं वह अपने यहां कानून पास कर सकती हैं कि किस प्रकार से वह स्थान रिक्त कर दिया जाय। इसलिये यह आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का बिल यहां लाकर उसमें यह विधान बना दें कि दोनों विधान सभा और परिषद का अगर कोई सदस्य चुना जाय तो वह एक स्थान रिक्त कर सकता है।

सदन के सदस्यों के सामने इस बिल का मसविदा रखा गया है और मुझे आशा है कि यह छोटा सा बिल है और सदन इसके ऊपर विचार करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषधक विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हुआ है विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

दोनों सदनों के लिये निर्वाचित सदस्यों के द्वारा स्थान को रिक्त करना।

२--(१) यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित किया गया हो, तो वह किसी सदन में अपने स्थान पर आसीन होने से पूर्व और इस प्रकार निर्वाचित होने की घोषणा के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से १० दिन के भीतर, अथवा यदि इस प्रकार का प्रकाशन भिन्न-भिन्न दिनांकों पर किया गया हो तो ऐसे दिनांकों के सबसे पिछले दिनांक से १० दिन के भीतर, जैसी भी दशा हो, ऐसे लिखित नोटिस द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हों और जो दोनों सदनों के सेक्रेटरियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस सम्बन्ध में गवर्नर अधिकृत करें, दिया गया हो, यह सूचित करेगा कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है और उसका इस प्रकार सूचित किया गया वरण अन्तिम होगा।

(२) यदि ऐसा व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार की सूचना नहीं देगा तो उत्तर प्रदेश विधान सभा में उसका स्थान उपधारा (१) में लिखित अवधि की समाप्ति के बाद रिक्त हो जायगा।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन जो मुझे पेश करना है वह यह है। धारा २ की उपधारा (२) की पहली पंक्ति में जहां शब्द "विधान सभा" लिखा है उसकी जगह पर "विधान परिषद" लिख दिया जाय।

इस बारे में ऐसे तो किसी सज्जन की दो राय नहीं हो सकती कि अगर कोई सज्जन दो सदनों का सदस्य चुना जाता है तो उसे एक से अलग हो जाना चाहिये और दस दिन तक में यह इच्छा प्रकट करनी चाहिये कि वह किस भवन का मेम्बर रहना चाहता है लेकिन अगर किसी कारण से कोई ऐसा नहीं कर सका तो बजाय इसके कि विधान सभा में उसका स्थान रिक्त माना जाय विधान परिषद में उसकी जगह खाली समझी जाय। हम सब जानते हैं कि इन दोनों सभा भवनों में विधान सभा की जगह ज्यादा अच्छी है और यह भवन शक्तिशाली भवन माना जाता है। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई सज्जन इन दोनों सदनों का सदस्य चुना गया हो तो कोई कारण नहीं है कि उसको बजाय इसके कि इस भवन से अलग किया जाय,

अपर हाउस से अलग क्यों न किया जाय ? मुझे उम्मीद है कि सरकार को इसमें कोई विरोध नहीं होगा । इसमें कोई बड़े सिद्धान्त की बात नहीं है । इसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर किसी मेम्बर को यह खुसूसियत हासिल है कि वह जनसाधारण के वोट से इस सदन का सदस्य चुना गया तो उसको वह मौका देना चाहिये । अगर किसी कारणवश वह इसकी नोटिस न दे सका कि वह किस भवन का सदस्य रहे तो ऐसी हालत में मैं समझती हूं कि वह विधान सभा का ही सदस्य बना रहे तो अच्छा है । मैं इन शब्दों के साथ अपना संशोधन पेश करती हूं ।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय मुझे अफसोस है कि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने अपने संशोधन के सिलसिले में जो बहस की उसको सुनने के बाद भी उनसे सहमत नहीं हो सका । जब कोई दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो उसका कर्तव्य होना चाहिये कि वह नोटिस दे कर यह बताये कि वह किस सदन से इस्तीफा देता है और इसके लिये १० रोज का समय उसको दिया जाता है । अगर यह बात स्पष्ट है कि यह भवन ज्यादा जिम्मेदार है और महत्व का है तो भवन के सदस्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये । अगर वह इतनी भी जिम्मेदारी न समझे कि दस रोज के अन्दर नोटिस दे कर वह पता देवे कि किस जगह वह रहना चाहता है और किस जगह नहीं रहना चाहता तो जो ज्यादा कीमती चीज है उसको खोना चाहिये न कि जो मामूली चीज है उसको खोना चाहिये । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि अगर उसकी कीमती चीज के खोने का डर हो तो वह फौरन अपना फैसला तय कर के १० रोज के अन्दर दे सकता है । मैं समझता हूं कि जो १० रोज के अन्दर यह फैसला नहीं कर सकता उसको इस भवन का सदस्य रहने का क्या हक होना चाहिये ? उसे तो अपर हाउस में ही जाकर होना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह जरूरी है और सोच कर इसमें यह रखा गया है ।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय श्री मंत्री जी ने इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया । मैंने जिस उद्देश्य से इसे पेश किया था उसके पीछे किसी को दंड देने की भावना नहीं थी । माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसा कारण नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं कही, जिससे मुझमें यह समझ आ जाय कि आप जो कहते हैं वह सही है । लेकिन मजबूरी है, अगर वह स्वीकार नहीं करते और सदस्यों को यह संशोधन स्वीकार नहीं है तो आप जैसा उचित समझें वैसा करें ।

(कुछ रुक कर)

मैं इस संशोधन को वापस लेती हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २ इस विधेयक का अंश मानी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धाराएं ३ और ४

३—यदि कोई व्यक्ति पहले ही से उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य हो और ऐसी विधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जाय, तो गजट में इस घोषणा के प्रकाशित होने पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है, उत्तर प्रदेश विधान सभा में उसका स्थान रिक्त हो जायगा ।

विधान सभा के सदस्य को विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने पर उसके स्थान का रिक्त होना ।

४—यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधान परिषद का पहले से ही सदस्य हो और ऐ परिषद में अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सद निर्वाचित किया जाय तो इस घोषणा के प्रकाशित होने पर, कि वह इस प्रकार निर्वाचित कि गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उसका स्थान रिक्त हो जायगा।

विधान परिषद के सदस्य का विधान सभा में सदस्य निर्वाचित होने पर उसके स्थान का रिक्त होना।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धाराएं ३ और ४ इस विधेयक के अंश माने जा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १

१—(१) इस अधिनियम का नाम विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषे अधिनियम, १९५० ई० होगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

प्रस्तावना।

भारत संविधान के अनुच्छेद १९० (१) में अन्य विषयों के अतिरिक्त यह भी व्यव की गई है कि राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इस बात की व्यवस्था करेगा कि वह व्य जो राज्य में विधान मंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना गया हो, उनमें से किसी एक में अ स्थान को रिक्त कर दे;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० का उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक विधेयक, जैसा कि वह उ प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हुआ है, स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस का निषेधक विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हुआ स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा के कार्य क्रम के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

श्री ऐजाज रसूल—हुजूर वाला से मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कल का एजेंडा होगा। हम मेम्बरों को इसकी कोई इत्तला नहीं है। दो रोज पहले गवर्नमेंट को इ मेम्बरों को देना चाहिए ताकि तैयार हो कर आयें।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर––अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बाद कल दो–तीन बिल आयेंगे। बार कौंसिल बिल, सेल्स टैक्स और एक–आध बिल और आयेंगे। तीन बिल होंगे। तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्पच्यूट्स अमेंडमेंट बिल होगा। यह सब आपके सामने पेश हो चुके हैं।

(इसके बाद सदन ८ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन प्रातः काल ७ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१ जून सन् १९५० ई०।

कृष्ण बहादुर सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३ पर)

(१) २८ सहायक इन्सपेक्टर आडीटर के पद पर नियुक्त कर दिये गये हैं।

(२) १२ सहायक इन्सपेक्टर आडीटर के पद के लिये इस शर्त पर चुन लिये गये हैं कि वे सहकारिता की ट्रेनिंग प्राप्त कर लें।

(३) १३ सहायक इन्सपेक्टर क्लर्कों के पद पर नियुक्त कर दिये गये हैं।

(४) १ सहायक इन्सपेक्टर सुपरवाइजरी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

(५) १ सहायक इन्सपेक्टर ने त्याग-पत्र दे दिया है।

(६) १ इन्सपेक्टर ने आडीटर का पद ग्रहण करने से इन्कार कर दिया है।

(७) २ सहायक इन्सपेक्टर कई बार आज्ञा देने पर भी ट्रेनिंग में नहीं गये हैं।

(८) ५ सहायक इन्सपेक्टरों ने विभाग को छोड़ दिया है।

(९) १ सहायक इन्सपेक्टर को उसकी असली जगह पर वापस कर दिया गया है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सहायक इन्सपेक्टरी के पद पर ग़लत हुई थी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

नक़शा जिसमें ब्योरेवार यह दिखाया गया है कि एल० एच० शुगर फैक्टरी ऐंड आयल लिमिटेड, पीलीभीत से भिन्न-भिन्न जिलों को कितनी चीनी दी गई

उन ज़िलों के नाम जिन्हें ऊपर बताई गई फैक्टरी ने चीनी दी गई	जितनी चीनी दी गयी बोरों में	जिस तारीख को दी गई
बरेली	२,३५२	सितम्बर, १९४९
बदायूं	१,५३४	
शाहजहांपुर	३९०	
पीलीभीत	७६०	
अल्मोड़ा	६१४	
बरेली	१,२२०	अक्तूबर, १९४९
पीलीभीत	९३०	
बदायूं	३२०	
एटा	४००	
शाहजहांपुर	१४०	
फर्रुखाबाद	२२०	
अल्मोड़ा	११०	
बुलन्दशहर	४००	नवम्बर, १९४९
पीलीभीत	१,५८४	दिसम्बर, १९४९
अल्मोड़ा	६९३	
कानपुर	३,६६३	
पीलीभीत	१,२१०	
शाहजहांपुर	३३०	जनवरी, १९५०
एटा	३३०	
अल्मोड़ा	११०	
पीलीभीत	७९२	फरवरी, १९५०
बदायूं	५,७४२	अप्रैल, १९५०
पीलीभीत	३,६६३	
मुरादाबाद	१,२८७	
बिजनौर	१,१८८	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

ग्राम सभा लहंगपुर, तहसील केराकत, जिला जौनपुर के १५ अगस्त, १९४९ ई० से २८ फरवरी, १९५० ई० तक के आमदनी और व्यय के वास्तविक ब्योरे का विवरण

आमदनी	रु०	आ०	पा०	व्यय	रु०	आ०	पा०
(१) चन्दे से ..	५४	१०	०	(१) डुग्गी द्वारा सूचना देने पर	•	६	०
				(२) अखबार पर ..	१८	४	०
				(३) किताबों तथा रसीदबही का दाम। ..	६	३	०
				(४) डाक खर्च ..	०	२	०
				(५) २६ जनवरी, १९५० ई० के उत्सव में बच्चों को मिठाई वितरण पर।	५	०	०
कुल आमदनी ..	५४	१०	०	कुल व्यय ..	२९	१५	०

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ट १२ पर)

C/o COLLECTOR OF CUSTOM,
CUSTOM HOUSE,
KARACHI
21st March, 1950

To

THE HON'BLE SPEAKER,
U. P. LEGISLATIVE ASSEMBLY,
LUCKNOW.

SIR,

I HAD come here on professional engagement and expected to return on the 8th March, 1950. I had not been feeling well since the 5th March, 1950, and so I was advised to delay my departure by 10 or 12 days. Accordingly I sent a telegram to Lucknow that I could not reach there on the 13th March for an important case at Bahraich. I sent a similar telegram to local counsel at Bahraich, Sardar Balbir Singh. I had requested that 28th March may be fixed at Bahraich instead of 13th to enable me to reach there conveniently. In the meantime I continued to do light work in connexion with one or two applications which had been pending here in part heard matters in the Chief Court. Nobody realised that all this time I was passing through a phase of heart trouble. It was Thursday the 16th March, when I was arguing an application in the Chief Court at about 2 o'clock a regular heart attack began. I was carried home and have been confined to bed. Since yesterday afternoon for the first time boiled food has been given to me. I am advised that the crisis is over but I am not likely to be in a position to move for a number of weeks.

Under the circumstances I request that my absence from the Assmbly may be condoned under rule 6 of the United Provinces Legislative Assembly Rules. I have already instructed my son on telephone yesterday, who is in Lucknow, to move an application in this respect.

As soon as I am better and in a position to travel I hope to present myself in the Assmbly.

I remain,
Yours faithfully,
SIRAJ HUSAIN.

उपर्युक्त पत्र का अनुवाद

द्वारा कलक्टर आफ़ कस्टम,
कस्टम हाउस,
कराची।
२१ मार्च, १९५० ई०।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली,
लखनऊ।

श्रीमान्,

मैं यहां व्यावसायिक कार्य से आया था और ८ मार्च, १९५० ई० को वापस लौटना चाहता था। ५ मार्च, १९५० ई० से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अतः मुझे परामर्श दिया गया है कि १० या

१२ दिन मुझे यहीं रहना चाहिए। तदनुसार मैंने लखनऊ को एक तार भेजा कि मैं बहराइच के एक खास मुक़द्दमे के सम्बन्ध में १३ मार्च को नहीं पहुंच सकता। मैंने इसी प्रकार का एक तार स्थानीय वकील सरदार बलबीर सिंह को भी भेजा। मैंने प्रार्थना की थी कि बहराइच में १३ मार्च के स्थान पर २९ मार्च नियत किया जाय, जिससे कि मैं सुविधानुसार वहां पहुंच सकूं। इसी बीच मैंने उन एक या दो प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में हलका सा कार्य किया जो यहां चीफ़ कोर्ट में लम्बित थे और जिन पर आंशिक रूप से सुनवाई हो चुकी थी। किसी ने भी इस बात को नहीं समझा कि इस अवधि के बीच मुझ पर हृदय-रोग का आक्रमण हो रहा था। बृहस्पतिवार, १६ मार्च को मैं चीफ़ कोर्ट में लगभग २ बजे एक प्रार्थना-पत्र पर तर्क प्रस्तुत कर रहा था कि मुझ पर वास्तविक हृदय-रोग का आक्रमण हुआ। मैं घर पहुंचाया गया और बिस्तर में लिटाया गया। कल दोपहर के पश्चात् से मुझे उबाला हुआ खाना दिया जा रहा है। मुझे परामर्श दिया गया है कि विपद्काल समाप्त हो चुका है, किन्तु अभी कुछ सप्ताह मैं चलने के योग्य नहीं हूं।

इन परिस्थितियों में मेरी विनती है कि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियम ६ के अनुसार मेरी विधान सभा से अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाय। मैंने कल अपने पुत्र को लखनऊ में टेलीफोन से निर्देश दिया है कि वह इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दे दे।

ज्योंही स्वस्थ होकर चलने योग्य हो सकूंगा मैं आशा करता हूं कि असेम्बली में उपस्थित हो जाऊंगा।

आपका विश्वासपात्र,

सिराज हुसैन।

पी० एस० यू० पी०--५१ एल० ए०--१९५०--५०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

शुक्रवार, २ जून, सन् १९५० ई०

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में प्रातः काल ७ बजे आरम्भ हुई

—:o:—

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१२६)

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशालानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशवक्तराय, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज़ाकिर अली, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाज़िश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री

प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बल्देव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानसिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुज़फ्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद रज़ा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डे, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिव दान सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हरप्रसाद सिंह, श्री
हसरत मोहानी, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

सदस्यों का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की —

१—श्री अब्दुल मुईज़ खां

२—श्री जमीलुर्रहमान किदवाई

प्रश्नोत्तर

—:o:—

शुक्रवार, २ जून सन् १९५० ई०

—:o:—

तारांकित प्रश्न

एपेण्डिक्स पांच, पैरा १० एजूकेशन कोड के अनुसार शिक्षकों का नौकरियों से पृथक्करण

*१—श्री गंगासहाय चौबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष एजूकेशन कोड के एपेण्डिक्स पांच, पैरा १० के अनुसार कितने शिक्षक अपनी नौकरियों से अलग किये गये हैं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मन्त्री)—सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय तथा प्राइवेट उच्चतर विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतनादि में अन्तर

*२—श्री गंगासहाय चौबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार पृथक-पृथक बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के राजकीय तथा प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राजकीय ६५, प्राइवेट ७६० ।

*३—श्री गंगा सहाय चौबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय और प्राइवेट उच्चतर विद्यालयों के करिक्यूलम इक्सट्रा कैरिकुलर ऐक्टीविटीज़, निरीक्षण तथा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं में क्या अन्तर है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई अन्तर नहीं है।

*४—श्री गंगा सहाय चौबे (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि एक ही काम करने तथा एक ही योग्यता रखने वाले राजकीय तथा प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन तथा मंहगाई में अन्तर है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४ तक श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने पूछे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५—**नज़िम अली**—[स्थगित किया गया।]

राज्य में सीमेंट के वितरण में कठिनाइयां

*६—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आइरन व स्टील कन्ट्रोलर द्वारा भिन्न-भिन्न जिलों के लिए सीमेंट का कोटा निश्चित करने के उसूल क्या हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—प्रत्येक जिले का कोटा उसके नियत किये हुये हाउसिंग यूनिट की संस्थाओं के अनुसार निश्चित किया जाता है। एक हाउसिंग यूनिट ३०' टन सीमेन्ट के बराबर होता है। जो २५००० रु० के मकान के बनाने के लिये पर्याप्त होता है। हाउसिंग यूनिट की संख्या जिले के फैलाव और महत्व विशेषतः वहां के नागरिक जनसंख्या के अनुसार नियत की जाती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आयरन और स्टील का जिलेवार जो कोटा नियुक्त किया गया है वह जिलों से क्यों नहीं दिया जाता दूसरी जगह से क्यों दिया जाता है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जहां से आयरन और स्टील उपलब्ध हो वहीं से दिया जाता है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—अब जिलों में जो नई स्कीम के मुताबिक कोटा निर्धारित किया गया है वह जिलों में ही कोटा उपलब्ध हो सके इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इसके लिये सरकार यही व्यवस्था कर रही है कि जहां जहां जितनी आवश्यकता जिलों में रहती है और जहां से वह कोटा उपलब्ध हो सकता है वहां से लेने का प्रयत्न किया जाता है।

*७—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या यह सच है कि जिला हाउसिंग कमेटी की राय से जिलाधीशों को पृथक-पृथक व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों पर सीमेंट के परमिट देने में इस कारण अति विलम्ब होता है कि जिला इन्जीनियर अकेले दूर-दूर स्थानों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की आवश्यकताओं की अल्पकाल में जांचों करके रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—संभव है कि कहीं पर प्रार्थना-पत्रों की जांच जिला इन्जीनियर से कराई गई हो और अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जांच करने में जिला इन्जीनियर को देर हुई हो। किन्तु हाउसिंग कमेटी के सामने किसी भी योग्यता प्राप्त इन्जीनियर की तसदीक स्वीकृत की जा सकती है

और प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर जिला इन्जीनियर की जांच आवश्यक नहीं है। अभी हाल में यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रार्थना-पत्रों पर किसी भी इन्जीनियर की तसदीक की आवश्यकता न होगी।

श्री बादशाह गुप्त—किसी इंजीनियर की तस्दीक की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशा में क्या वहां के गांव सभा के प्रधान या अदालत के सरपंच या सेक्रेटरी की तस्दीक काफी होगी या नहीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जब किसी इंजीनियर की तस्दीक की आवश्यकता नहीं है तो जिम्मेदार लोगों की तस्दीक आवश्यक समझा जाना आवश्यक है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—क्या सरकार यह जानती है कि देहात में रहनेवालों को इंजीनियर का सर्टीफिकेट लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—अब इन इंजीनियरों के सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी यह मैंने अपने जवाब में कह दिया है।

अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत देहात में कुयें, नालियां आदि बनवाने के लिए सीमेन्ट देना

*८—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार की नीति अधिक अन्न उपजाओ योजना को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के लिए कुएं, नालियां आदि बनाने को सीमेंट देने की है ? क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में कोई आज्ञाएं जारी की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—जी हां। इस संबंध में सरकार ने जो आज्ञायें जारी की हैं उनकी एक प्रतिलिपि नत्थी है।

श्री बादशाह गुप्त—इस अधिक अन्न उपजाओ योजना के सम्बन्ध में सन् १९४९-५० ई० में २३,५०० कुएं बनने की योजना थी तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४९-५० ई० में २३,५०० कुओं में से कितने कुओं का निर्माण हो चुका है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—ठीक संख्या देने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बादशाह गुप्त—यह १·३ राज्य सहायता जो सारे खर्चे की उनको दी जाती है वह आजकल भी दी जाती है या नहीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—आजकल तो नहीं दी जाती है।

*प्रतिलिपि यहां पर छापी नहीं गई।

श्री बादशाह गुप्त—क्या इस सहायता न देने का यह असर पड़ेगा कि लोग कुएं कम बना पायेंगे और उससे खेती को नुकसान पहुंचेगा ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—इस अधिक अन्न उपजाओ योजना के सम्बन्ध में जो परामर्शदात्री समिति बनाई गई है इसमें कौन कौन से सदस्य हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—वहां हर जिले में एक फूड एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। उसमें जिला मजिस्ट्रेट चेयरमैन हैं, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट असोसियेशन, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान और चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसके सदस्य हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्रो मोर फूड के अन्तर्गत जो कुएं बनाने की योजना है उसके लिये कोयला किसके द्वारा वितरण होता है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—फूड कमेटी के जरिये से।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत सी जगहों में और खास कर जौनपुर जिले में अभी तक कोयला इसलिये वितरण नहीं हो सका कि स्टेशनों पर डेमरेज बहुत अधिक लग गया और रेलवे अधिकारी कोयला नहीं छोड़ रहे हैं और उनका मामला अभी तय नहीं हुआ जिसकी वजह से कुएं नहीं बन पा रहे हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जहां तक मुझे याद है गवर्नमेंट के पास इस किस्म की शिकायत नहीं आयी है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह मालूम है कि कोयले का वितरण मेकैनिकल इन्जीनियर के द्वारा होता है और उन्होंने अभी तक बहुत सी जगहों पर कोयला वितरित नहीं किया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसके लिये एक डिवीजन क़ायम किया गया है और जो कुएं उसके जरिये से बनते हैं उसका कोयला उसीके काम आता है। मगर जहां तक मुझे ख्याल है इसका वितरण फूड कमेटी के जरिये से होता है।

श्री बादशाह गुप्त—प्रतिबन्ध नम्बर ६, संगठन, इसमें सन् १९४९-५० ई० में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि पूर्वी जिलों में ९,५०० कुएं बनाने थे और शेष जिलों में १४,०००। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से किस औसत से कुएं पिछले वर्ष में बन पाये ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—मुझे इस समय उनकी ठीक औसत याद नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या इन कुंओं के बनाने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह हिदायतें जारी की गई हैं कि प्रति मास और हर छः माह बाद इसकी रिपोर्टें सरकार को दी जाय कि किस हिसाब से उनमें प्रगति हुई है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी, हां।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने साल के अन्त में यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि उसे कुएं बनाने की योजना में कितने प्रतिशत सफलता हुई है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां।

श्री बादशाह गुप्त—उस सफलता का प्रतिशत क्या है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह नोटिस मिलने पर बता सकेंगे।

श्री नाजिम अली—क्या गवर्नमेंट की नजर में ग्रो मोर फूड की स्कीम संतोषजनक है और सन् १९५१ ई० में हमारा सूबा दूसरी जगह से गल्ला मांगने का मोहताज न रहेगा?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां। जो आंकड़े हमारे पास आये हैं उनसे मालूम होता है कि जितनी हम उम्मीद करते थे कि गल्ला बढ़ाना चाहिये उससे ज्यादा बढ़ा है।

*९-१०—**श्री बादशाह गुप्त**—[स्थगित किये गये।]

हरिद्वार के मेले में फिल्मी गानों के प्रचार से असंतोष

*११—**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल**—(क) क्या यह सही है कि हरिद्वार के मेले में लाउड-स्पीकर द्वारा फिल्मी गानों का प्रचार किया गया था?

(ख) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि जनता में इस बात से बहुत असन्तोष रहा कि रामायण और गीता के पाठ के स्थान पर फिल्मी गाने गाये गये?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—कुम्भ के अवसर पर जिन गानों का प्रचार किया गया था उनका चयन किसने किया था?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जहां तक इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, उनकी तरफ से बात होने की जिम्मेदारी उन पर है। पब्लिक की तरफ से जो लाउड स्पीकर वगैरह चलते थे, उनके गानों का चयन उनके मालिक किया करते होंगे।

***१२-१५—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल**— [स्थगित किये गये।]

बाग़ टोला चौक, लखनऊ के पार्क के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

***१६—श्री खुशवक्त राय**— (क) क्या यह सच है कि बाग़ टोला चौक, लखनऊ में काफी घनी बस्ती है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बाग़ टोला में घनी बस्ती देखकर स्वर्गीय बाबू गंगा प्रसाद वर्मा ने एक पार्क म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ के द्वारा बनवा दिया था ?

(ग) यह पार्क कब बनाया गया था ?

(घ) क्या यह सच है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ ने उक्त पार्क की लीज किसी व्यक्ति को दे दी है ?

(ङ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह लीज जिस व्यक्ति को दी गई है, उसका नाम, पता व पेशा क्या है और यह लीज किस काम के लिये दी गई है ?

(च) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन तथा एक्जीक्यूटिव आफिसर कौन कौन सज्जन हैं ?

(छ) क्या यह सच है कि जिन सज्जन को यह लीज दी गई है वह किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य हैं ?

(ज) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस पार्क के न रहने से इस बस्ती के निवासियों को खुली हवा मिलना दुर्लभ हो गई है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ ने स्वयं ही इस क्षेत्र में एक पार्क बनवाया था।

(ग) १६२७ ई० में।

(घ) पार्क किसी व्यक्ति को लीज पर नहीं दिया गया है।

(ङ) केवल श्री राम कृष्ण दास, खत्री, रईस, मुहल्ला बाग टोला चौक, लखनऊ से एक एग्रीमेन्ट हुआ है कि वह उस पार्क को जनता के लिये ठीक तरह से बनाये रखेंगे।

(च) श्री पुलिन बिहारी बनर्जी चेयरमैन तथा श्री विपिन चन्द्र पाल इक्जीक्यूटिव आफ़िसर हैं।

(छ) वे पक्के कांग्रेस मैन हैं ऐसा समझा जाता है।

(ज) पार्क अब भी पहिले की भांति बना है अतः खुली हवा न मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री खुशवक्त राय—श्री राम कृष्ण दास खत्री से ऐसा एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत हुई?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—यह पार्क गन्दी हालत में रहता था। कई बार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बना बना कर म्यूनिसिपैलिटी को सौंपने का प्रयत्न किया परन्तु म्यूनिसिपैलिटी ने कई पार्कों को लेने से इंकार कर दिया। यह सोच कर कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का रुपया खर्च न हो और पार्क भी गंदा न रहे, किसी अड़ोस पड़ोस के आदमी को पार्क दे देना उचित समझा गया।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार को मालूम है कि श्री राम कृष्ण दास ने एग्रीमेंट होने के बाद वहां से लोगों का निकलना बन्द कर दिया है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—ऐसी कोई इत्तिला नहीं है। अगर ऐसी इत्तिला मिलेगी तो उस पर सरकार कड़ी योग्य कार्यवाही करेगी।

काशी विद्यापीठ, बनारस से शिक्षा-प्राप्त श्रम अधिकारी

*१७—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने १-७-४८ से काशी विद्यापीठ, बनारस में श्रम-अधिकारियों के शिक्षण का प्रबन्ध किया है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*१८—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपरोक्त शिक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देगी:—

(क) योजना का ब्योरा,

(ख) उद्देश्य,

(ग) शिक्षा के विषय,

(घ) शिक्षा की अवधि,

(ङ) शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता,

(च) शिक्षा समाप्त होने पर शिक्षार्थियों का भविष्य?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) संक्षिप्त ब्योरा प्रश्न १८(ख) से प्रश्न २० के उत्तरों से ज्ञात होगा। सम्पूर्ण ब्योरा श्रम-विभाग द्वारा प्रकाशित सन् ४९ की रिपोर्ट की प्रतिलिपि से ज्ञात हो सकता है।

(ख) मिलों और फैक्टरियों में, ट्रेड यूनियनों में और सरकारी श्रम-विभाग के कार्यालयों में काम करने के लिये श्रम तथा श्रमिकों सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किये हुये कार्य-कर्ताओं का उपलब्ध कराना।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १७-२५ श्री राधा कृष्ण अग्रवाल ने पूछे।

(ग) सिलेबस सन् १९४९ की श्रम-विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के साथ छपा है, रिपोर्ट की एक एक प्रति सदस्यों को बजट के अधिवेशन के समय दे दी गई है।

(घ) शिक्षा की अवधि १० मास है।

(ङ) (अ) जो शिक्षार्थी कारखानों अथवा श्रमिक-संघों में काम नहीं किये हैं उनके लिये बी० ए० (अर्थ शास्त्र सहित) होना आवश्यक है।

(ब) कारखानों के श्रम अधिकारियों तथा श्रमिक-संघ के कार्य-कर्ताओं के लिये इन्टरमीडियेट (अर्थ शास्त्र सहित) आवश्यक है।

(स) श्रमिक संघों के ऐसे कार्य-कर्ता जो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं स्वाध्याय द्वारा ऊंची योग्यता प्राप्त कर चुके हों, उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त किये जा सकते हैं। हिन्दी भाषा, नागरी लिपि, में काम करने की योग्यता सब के लिये अनिवार्य है।

श्रेणी (अ) के लिये २१ से ३५ वर्ष तक होना आवश्यक है। आयु की अवधि का उच्चस्तर हरिजनों और पीड़ित राजनीतिक कार्य-कर्ताओं के लिये क्रमशः ३ और ४ वर्ष अधिक हो सकता है।

कारखानों के श्रम-अधिकारियों और श्रमिक-संघों के कार्य-कर्ताओं के लिये आयु का प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है।

(च) शिक्षा समाप्त होने पर शिक्षार्थी अपनी प्राप्त योग्यता और उपलब्ध अवसर के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रम-विभाग में और कारखानों में, विशेषतः श्रम अधिकारियों के पदों को, प्राप्त कर सकेंगे। तथा श्रमिक संघों के कुशल कार्य-कर्ता बन सकेंगे।

*१९—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—अब तक कितने शिक्षार्थियों ने उपरोक्त शिक्षा प्राप्त की, उनमें से कितने नियुक्त हो गये और कितने अभी शेष हैं? जो नियुक्त नहीं हुए हैं, वह क्यों नियुक्त नहीं हो पाये और उनकी नियुक्ति की कब तक आशा की जा सकती है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या अब तक ७२ है। श्रम-विभाग में २ उत्तीर्ण व्यक्ति अब तक नियुक्त हुये हैं। शेष प्रायः सभी कारखानों में श्रम-अधिकारी के पद के लिये लेबर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। आशा है कि इन्हें जगहें शीघ्र मिल जायेंगी। किन्तु यह बात स्मरण रहे की काशी विद्यापीठ में श्रम-अधिकारी की शिक्षा का प्रबन्ध करके सरकार ने इन शिक्षार्थियों को नौकरियां दिलाने का कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया है। चाहनेवालों के लिये यह एक विशेष प्रकार की शिक्षा सुलभ की गई है। उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को अपना भविष्य आप सोचना पड़ेगा।

*२०—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि इन शिक्षार्थियों की शिक्षा विशेषतः श्रम सम्बन्धी विषयों में हुई है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२१—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स नियम, ४६ का प्रकाशन २६–६–४६ को हुआ ? क्या सरकार इन नियमों की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। नियमों की एक **प्रति मेज पर रखी है।

*२२—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त नियमों में नियम ५ (२) के अनुसार श्रम अधिकारी पदाकांक्षियों की स्वीकृत सूची २–८–४६ तक बन जानी चाहिये थी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियम ५ (१) के अनुसार प्रथम वर्ष की सूची के प्रकाशन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। नियम ५ (२) के अनुसार १ अगस्त को सूची प्रकाशित होने का नियम आगामी वर्षों के लिए लागू होगा।

इन नियमों के लागू करने का यह प्रथम वर्ष होने के कारण इस वर्ष बहुत सी प्रारम्भिक कठिनाइयां थीं जिन्हें सूची प्रकाशन से पहिले ही सुलझाना आवश्यक था। इस कारण सूची की तैयारी में देर होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य था।

*२३—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त नियम अभी तक कार्यान्वित नहीं हुए हैं और न स्वीकृत सूची अभी तक बन पाई हैं ? इस विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार बतावेगी कि उक्त नियम कार्यान्वित कब तक होंगे ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ये नियम दिनांक ५ जुलाई, सन् १६४६ की सरकारी विज्ञप्ति द्वारा लागू किये जा चुके हैं। इनको कार्यान्वित करने में प्रथम वर्ष होने के कारण बहुत सी कठिनाइयां थीं जैसा कि प्रश्नोत्तर २२ में बतलाया जा चुका है। इस कारण विलम्ब अनिवार्य था। परन्तु अब नियमों के कार्यान्वित करने के लिये दिनांक ३ मई की प्रेस विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है जिसमें मिल मालिकों को आदेश दिया गया है कि श्रम अधिकारियों की नियुक्ति स्वीकृत सूची में से एक मास के भीतर कर लें और श्रम कमिश्नर को इसकी सूचना भेज दें। श्रम अधिकारियों की स्वीकृत सूची दिनांक १५–४–५० के सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपाकर यह बतलायेगी कि श्रम अधिकारियों की सूची बनाने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया था।

**प्रति यहां पर छापी नहीं गई है।

क्या यह चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ था या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेबर कमिश्नर के द्वारा यह बात पहिले ही विज्ञप्ति कर दी गई थी कि लेबर कमिश्नर सूची बनायेंगे।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ये चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्यों नहीं किये गये ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है सरकारी नौकरियों के लिये लोगों को नियुक्त करना। लेकिन यहां तो केवल जो इम्तहान में पास हुए उन्हीं की सूची बनानी है। किसी पद के लिए सूची नहीं बनाई गई।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि जो सूची बनाई गई उसमें ३ ग्रेड रखे गये थे, 'ए' 'बी' और 'सी' ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि वह जो मिल मालिक हैं उनको क्यों नहीं अधिकार दिया गया कि वह जिसको चाहें जिस ग्रेड में नौकरी दें ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्यों से मैं यह आशा करता हूं कि हमारे जो क्लास खोले गये थे उसमें जो नियम रखे गए थे उनको उन्होंने पढ़ लिया होगा। उसमें यह साफ लिखा है कि जिन्होंने बिलकुल काम नहीं किया होगा उनको तीसरे ग्रेड में रखा जायगा, जिन्होंने इतने दिनों से इतने दिनों तक काम किया होगा वह 'बी' ग्रेड में और जिन्होंने इतने से इतने दिनों तक काम किया होगा वह 'ए' ग्रेड में रहेंगे।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि ग्रेड 'ए' और 'बी' में कुछ ऐसे भी लोग रखे गये जिन्होंने काशी विद्यापीठ से ट्रेनिंग नहीं पास की ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इसका उत्तर दे दिया गया है, जो नियम बनाये गये थे उसमें शुरू में ही लिखा हुआ था कि काशी विद्यापीठ के अलावा, इस किस्म की कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग और इसी तरह की ट्रेनिंग पाये हुये जितने भी लोग हैं सभी लेजिबिल होंगे।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि ऐसे लोग भी ग्रेड 'ए' 'बी' में रखे गये जिन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की और उनको इस कंडीशन के साथ में रखा गया कि वह काशी विद्यापीठ से ट्रेनिंग हासिल करलें ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी मुझको सूचना नहीं है।

*२४—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सत्य है कि स्वीकृत सूची बनाने के हेतु सब शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों को भेंट के लिए नहीं बुलाया गया ?

(ख) क्या कुछ अन्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया ?

(ग) क्या सरकार का विचार सब उपरोक्त शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों को न लेकर कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी लेने का है ? यदि ऐसा है, तो क्यों और किस आधार पर ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) निर्धारित योग्यता प्राप्त सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने कि इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र भेजे थे, भेंट के लिये बुलाया गया-था।

(ख) हां। ऐसे अन्य प्रार्थियों को भी भेंट के लिये बुलाया गया था जो निर्धारित योग्यता रखते थे।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्धारित नियम स्पष्ट है। नियम ४ और १२ विशेष रूप में देखना चाहिये।

*२५—**श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल** (अनुपस्थित) — (क) क्या यह सत्य है कि काशी विद्यापीठ के श्रम शिक्षार्थी संघ ने उत्तर प्रदेश के माननीय श्रम मन्त्री को नियमों के कार्यान्वित न होने के सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र श्री काशी विद्यापीठ, बनारस के प्रधानाध्यक्ष के द्वारा दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति पटल पर रखेगी और बतावेगी कि उसने उस आवेदन पत्र पर क्या निश्चय किया, और यदि अभी तक कोई निश्चय नहीं किया, तो कब तक निश्चय करने का वह विचार रखती है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) काशी विद्यापीठ के श्रम शिक्षार्थियों ने एक आवेदन पत्र दिया था।

(ख) * * आवेदन पत्र की एक प्रति मेज पर रखी है। इन आज के प्रश्नों के उत्तर से ही शिक्षार्थियों के आवेदन पत्र पर सरकार का क्या निर्णय है यह स्पष्ट हो जायगा

*२६-३०—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किये गये।]

*३१-३२—**श्री बेचनराम गुप्त**—[स्थगित किये गये।]

*३३—**श्री बेचनराम गुप्त**—[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया।]

*३४-३५—**श्री बेचनराम गुप्त**—[स्थगित किये गये।]

---

* *आवेदन पत्र यहां पर छापा नहीं गया।

*३६—**श्री खुशवक्त राय**—[स्थगित किया गया।]

मद्य-निषेध की सरकारी नीति में विभागों का सहयोग

*३७—**श्री खुशवक्त राय**— (क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार की मद्य-निषेध की जो नीति है, उसमें सब ही अन्तर्गत विभागों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है ?

(ख) यदि ऐसा नहीं है, तो क्यों ?

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक-कर-मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार को यह मालूम है कि ट्रांसपोर्ट विभाग की जो सिटी सर्विस चलती है उसपर लोटस बार के कोल्ड ड्रिंक्स का ऐडवर्टीजमेंट होता है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल—इसकी मुझको कोई इत्तिला नहीं मिली।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो उसकी मद्य-निषेध की नीति है उसके फलस्वरूप मद्य का प्रयोग कम नहीं हुआ है बल्कि अधिक हो गया है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल—यह मालूम है कि उसका प्रयोग हुआ है।

*३८-४०—**श्री बादशाह गुप्त**—[स्थगित किये गये।]

शुद्ध दूध का स्थानपूरक (सब्स्टीटयूट)

*४१—**श्री बादशाह गुप्त**— क्या सरकार शुद्ध दूध का स्थानपूरक (सब्स्टीटयूट) खोज निकालने में सफल हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह क्या है, और वह उपयुक्त व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है या नहीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—१–इस प्रकार का कोई यत्न सरकार ने नहीं किया।

२–दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*४२—४४—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य**—[स्थगित किये गये]

*४५—**श्री राम नन्दन सिंह**—[स्थगित किया गया।]

*४६—**श्री खुशवक्त राय**—[स्थगित किया गया।]

घी की कमी होते हुए राज्य से घी का निर्यात

*४७—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध घी का मिलना विशेषतया नगरों में दुर्लभ हो गया है ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश का कितना घी इन्डियन यूनियन के अन्य प्रदेशों को भेजा गया ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जब उत्तर प्रदेश में घी की कमी है, तो यहां से घी का निर्यात क्यों न बन्द किया गया ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—(क) जी हां, यह सत्य है कि शुद्ध घी का मिलना सरलतया उत्तर प्रदेश और अधिकांश शहरों में दुर्लभ हो गया है।

(ख) एक नकशा, जिसमें जितना घी इस प्रदेश से निर्यात किया गया है, माननीय सदस्यों की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०४ पर)

(ग) कारण ये हैं।

(१) उत्तर प्रदेश में "आग मार्क" घी के व्यवसाय की सुविधा प्राप्त रहे।

(२) उन डैफिसिट क्षेत्रों को जो कि गत समय में उत्तर प्रदेश से घी की सप्लाई प्राप्त करते रहे थे, सहायता मिलती रहे।

(३) केन्द्रीय सरकार और डैफिसिट क्षेत्रों को यह शंका न रहे कि हम अन्य क्षेत्रों के हितों के प्रति उदासीन हैं। घी का निर्यात बहुत कम पैमाने पर तथा इस ढंग से हुआ है कि घी के मूल्य को कन्ट्रोल के अन्तर्गत रक्खा जा सके।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि घी मिलने में जो दुर्बलता है उसको दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—घी और दूध का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न सरकार जोर से कर रही है जैसा कि घी का उत्पादन बढ़ा है।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले तीन सालों में घी का उत्पादन कितना बढ़ा है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इसके लिये मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब उत्तर प्रदेश में घी की कमी है तो घी का निर्यात क्यों किया जाता है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैंने ४७ (ग) के उत्तर में बता दिया कि हम हिन्दुस्तान को एक ही समझते हैं। जितनी वस्तुएँ उपलब्ध हैं, उनसे हम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह दृष्टिकोण हमारा हमेशा रहा है। तो जिस प्रदेश में हमेशा घी जाया करता था, वहां एक दम घी भेजना बन्द कर देना उचित नहीं है। जितना घी मौजूद है हमें थोड़ी—थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके उतने में ही काम चलाना है। अगर हम सारा घी बन्द कर दें तो दूसरे प्रान्त भी दूसरी चीजें जो भेजते हैं, सारी की सारी बन्द करके हमें लाचार कर सकते हैं।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से भी घी आता है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—विन्ध्य प्रदेश से आता ही है। ग्वालियर से भी आता है। इसी प्रकार परस्पर लेना देना लगा रहता है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—सरकार ने जिस नीति का वर्णन किया है क्या उसके आधार पर मैं यह समझूं कि सरकार इस नीति में विश्वास करती है कि प्रत्येक वस्तु देश में खुले तौर से आये और जाये ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैंने जवाब में यह कहा कि रोकटोक काफी रही है। इसी वजह से घी कम तादाद में गया है नहीं तो अधिक मात्रा में चला जाता।

*४८—५३—**श्री खुशवक्त राय**—[स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में कार्य करने के लिये तीन सदस्यों का निर्वाचन, जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, एकल—सँक्रमणीय मतानुसार (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट द्वारा) किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में कार्य करने के लिये ३ सदस्यों का निर्वाचन, जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, एकल—संक्रमणीय मतानुसार (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट द्वारा) किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का इण्डियन बार काउंसिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५० ई० के इण्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को देख लिया होगा। जबकि हमारे यहां दोनों हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट थे तो अवध बार काउंसिल्स अलग थी और इलाहाबाद की अलग थी। जब दोनों मिल कर एक में आई तो उस वक्त एक आर्डिनेंस जारी किया गया था जिसके अनुसार दोनों को मिलाकर एक बार कांउन्सिल कायम की गई थी। अब वह आर्डिनेंस खत्म हो गया। इसलिये इस विधेयक के द्वारा वह बात की जा रही है जो अब तक आर्डिनेंस के जरियै से होती रही। यानी बार काउन्सिल एक पूरे हाई कोर्ट के लिये होगी, जिसका अधिकार क्षेत्र सारे प्रदेश के ऊपर होगा। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि बार काउन्सिल बराबर जो खत्म हो जाया करती है वह न हो कर एक परमानेंट बाडी रहेगी जिसके आधे मेम्बर हर तीसरे साल रिटायर (निवृत्त) होते रहेंगे और उनकी जगह पर आधे नये मेम्बर चुने जाते रहेंगे और तीसरी चीज यह है कि जब तक इस तरीके पर चुनाव वगैरा हों तब तक चीफ जस्टिस द्वारा एक एडहाक बार काउन्सिल बना दी जाय और जब चुनाव हो जाय तब उनकी नियुक्त की हुई बार काउन्सिल अलग हो जाय। इसके अन्दर चौथी बात यह भी है कि वकीलों के खिलाफ कई बातें आती हैं जिनके अन्दर रिपोर्ट आना जरूरी हो जाता है कि उनको सजा दी जा
आने में देर हो जाती है तो मामला
सा हो जाता है। इसलिये इसमें रख
और जिस मियाद के लिये भेजा गय

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

करवा ले और जांच के बाद जो सजा मुनासिब समझे उसे दे। हाई कोर्ट से इसके मुताल्लिक राय ले ली गई है और बार एसोसियेशंस से इसके मुताल्लिक राय ले ली गई है। और सब इसके पक्ष में हैं। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि यह बिल स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, मैं इस बिल की जो इस एवान में अभी पेश हुआ है मुखालिफत करता हूं और उसकी मुखालिफत की वजह बुनियादी तौर पर यह है कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के मुताबिक यह चीज ठीक नहीं है। मैं इस कांस्टीट्यूशन की दफा २४६ के अल्फाज आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूँ।

"246. (1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3) parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the seventh schedule (in this constitution referred to as the union List "

[२४६ (१) खण्ड २ और ३ में किसी बात के होते हुए भी संसद को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में "संघ-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।]

यानी दफा २४६ के मुताबिक जो शिड्यूल (अनुसूची) पेज २४१ पर है उसमें यह है—

"Constitution, organisation, of the High Courts except provisions as to officers and servants of High Courts, persons entitled to practise before the High Courts,"

[उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी और भृत्यों के बारे के उपबन्धों को छोड़ कर उच्च न्यायालयों का गठन, और संघठन, उच्च न्यायालयों के सामने विधि व्यवसाय करने का हक रखने वाला व्यक्ति]

यानी वे लोग जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके आर्गनाइजेशन के मुताल्लिक अगर कोई कानून बन सकता है तो वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया की पार्लियामेंट में बन सकता है। इस सदन को इस किस्म का कोई अधिकार नहीं है कि जिन कानूनों का ताल्लुक गवर्नमेंट आफ इन्डिया से है यह यहां पर बनाये। जो कानून हमारे सामने है उसकी अहमियत और जरूरत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जहां तक इस कानूनी अड़चन का सवाल है उसके पेशेनजर मैं यह समझता हूं कि सदन को इन मसायल के अन्दर कोई राय रखने का अख्तियार नहीं है। जनाबवाला, बार एसोसियेशन का भी यही ख्याल है, जो कि उन्होंने इस तरह की तजवीज होने पर गवर्नमेंट के पास भेजा था, कि यह कानून एक ऐसा कानून है जिसका ताल्लुक सेंटर से है और इस मामले के अन्दर सूबे को कोई दखल नहीं देना चाहिये और कोई ऐसी जहमत नहीं पैदा करनी

चाहिये। हो सकता है कि गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर्स ने कांकरेंट ज्युरिस्डिक्शन के सिलसिले में यह राय दी हो कि उसके मातहत ऐसी कार्यवाही की जा सकती है, जैसा कि दफा २२६, पेज २३६, पर है कि कांकरेंट ज्युरिस्डिक्शन इन लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक कि हाई कोर्ट के लीगल प्रैक्टीशनर्स और एडवोकेट्स का ताल्लुक है, वे इस दफा के अन्दर नहीं आते हैं। जहां तक कि हाईकोर्ट के एडवोकेट्स के मुताल्लिक कोई कानून बनाने का सवाल है, वह इस सदन में नहीं बन सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ।

श्री अब्दुल बाकी—जनाबवाला, इस बिल के मुताल्लिक मेरी राय भी वही है जो कि मुफ्ती फखरुल इस्लाम ने अभी पेश की है। जहां तक कि इंडियन बार काउन्सिल्स का ताल्लुक है, जब आप पुराने ऐक्ट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस ऐक्ट को पास करने का, उसमें दस्तदाजी करने का अख्तियार इस सूबे को नहीं था, बल्कि इस ऐक्ट को सेंटर ने पास किया था।

अगर्चे इस बिल में शुबहा पैदा करनेवाली चीज का उनवान में ही जिक्र कर दिया गया है और मेरे ख्याल में इस वजह से किया गया कि इस बिल के पढ़ने वाले जब इस पर निगाह डालें तो उनको शुबहा पैदा हो कि इस सूबे की असेम्बली को भी इसमें दस्तन्दाजी का हक हासिल नहीं है। चुनांचे जो उनवान रखा गया है, मैं आपकी इजाजत से उसका अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ना चाहता हूं।

"To amend the Indian Bar Councils Act, 1926 in its application to Uttar Pradesh."

(उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिये सन् १९२६ के इण्डियन बार काउन्सिल्स ऐक्ट में संशोधन करने के लिये)।

वह सिर्फ हकीकत पर परदा डालने के लिये रखा गया है ताकि सरसरी तौर पर पढ़ने से मालूम हो जाये कि दर हकीकत हम जो तरमीम करना चाहते हैं वह इसी हद तक करना चाहते हैं, जिसका ताल्लुक सूबे के साथ है, मगर मैं अर्ज करूंगा कि इस ऐक्ट को सेन्टर ने पास किया है और उसकी रजामन्दी पर ही यह जारी हुआ। आपने जो ऐक्ट पेश किया है इसकी मन्शा यह मालूम होती है कि इससे पहले अवध चीफकोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट्स दो हाईकोर्ट्स हैं। आपने इनको इकजा कर दिया है, इनको अमलगमेट कर दिया है और अमलगमेशन के बाद शायद आनरेबिल मिनिस्टर का यह ख्याल पैदा हुआ कि कोई नया इस्तहकाक दखलन्दाजी का पैदा न हो जाये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब चीफ कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का वजूद था और उस वक्त जब आप दस्तन्दाजी नहीं कर सकते थे तो आज भी आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप बार कौंसिल के मुताल्लिक कोई ऐसी तरमीम लायें जिसके जरिये से आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों के लिये और कमेटीज के फारमेशन के लिये कोई नया तरीका अख्तियार करें। मुझे उस सेकशन के

[श्री अब्दुल बाकी]

दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है जो फखरुल इस्लाम साहब ने पढ़ा है। अगर आप ऐसा कोई अख्तियार लेना चाहते हैं तो आप पहले कांस्टीट्यूशन को तरमीम करलें। वह जब तरमीम हो जायेगा और इस सूबे को अख्तियार हासिल हो जायेगा कि बार कौंसिल में और उसके मातहत जो कमेटियां बनें उनमें दस्तन्दाजी करने का हक हासिल हो तब यह कानून आ सकता है।

इसकी दूसरी मन्शा यह भी है कि हाई कोर्ट इस सूबे के मातहत नहीं है इस का ताल्लुक बराहरास्त सेन्टर से है। अगर इस कानून को आप लाना चाहते हैं तो इसकी मन्शा यह है कि हाई कोर्ट को इस सूबे के मातहत करना चाहते हैं और हमें जो पुराना और तल्ख तजुर्बा है वह हमारे सामने है। रेवेन्यू कोर्टस जो इस सूबे के मातहत हैं और सिविल कोर्टस जो हाई कोर्ट के मातहत हैं अगर जिले में कोई सरसरी मुआयना करे तो उसको इनके अमल और तरीके में जमीन आसमान का फर्क मालूम होगा। अगर आप रेवेन्यू कोर्टस में जायेंगे तो वहां पायेंगे कि कोई निजाम ही नहीं है और सिविल कोर्टस में आप हर चीज को मुरत्तिब पायेंगे। मुझे डर है और सही है कि जिस वक्त यह अख्तियार सूबे को दे दिया जायगा कि इसको बार कौंसिल के रिफार्मेशन में हक हासिल हो तो हम तस्लीम कर लेंगे कि इसको हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन के मुताल्लिक भी अख्तियार है। और यह चीज खुद बड़ी डेंजरस है। जिस तरह से गवर्नमेंट आज तक रेवेन्यू के मुताल्लिक कर रही है वही तरीकेअमल वहां शुरु हो जाएगा इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं और इस बुनियाद पर करता हूँ कि अव्वलन तो यह बिल यहां आना ही नहीं चाहिए। कौंसिल ने पास कर दिया। गालिबन कौंसिल की निगाह में यह चीज नहीं गयी। दूसरे कौंसिल या असेम्बली, उत्तर प्रदेश को यह हक हासिल नहीं है कि वे इस किस्म का कोई कानून लाए जो हाई कोर्ट की बार कौंसिल में किसी किस्म की दखलंदाजी करे। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स—श्रीमान स्पीकर महोदय, मैं आपके जरिए से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला यह कि आया हाई कोर्ट ने इसके मुताल्लिक कोई व्यूज (विचार) गवर्नमेंट के पास भेजे हैं या नहीं। अगर भेजे हैं तो उनको यहां हाउस की इनफार्मेशन के लिए पढ़ कर सुना दिया जाए। दूसरे यह कि बार कौंसिल ऐक्ट की कोई रिपोर्ट मुखालिफत या मुआफिकत में या किसी तरह से ओपीनियन (राय) पब्लिक की तरफ से या बार कौंसिल की तरफ से आई है। अगर आई है तो उसे भी इस हाउस के सामने पढ़ कर सुना दिया जाए या कम से कम ऐसी जगह रख दिया जाए जहां से हम सब उसे देख सकें और हाउस उससे फायदा उठा सके।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने इस समय उपस्थित है उस सम्बन्ध में आवश्यकता जो उसे उपस्थित

करने की हुई उसे माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप में अपने भाषण में बताया है। हमारे विरोधी दल के सदस्य श्री फखरुल इस्लाम साहब ने इस सम्बन्ध में एक कांस्टिट्यूशनल आपत्ति उठाई है। कांस्टिट्यूशन के अनुसार इस भवन को अधिकार नहीं है कि एडवोकेट्स के सम्बन्ध में कोई कानून इस किस्म का भवन के सामने उपस्थित किया जा सके। जहां तक एडवोकेट्स के अधिकार का प्रश्न है उस सम्बन्ध में तो कोई बात इस विधेयक में नहीं कही गयी है। सम्बन्ध इस बात से है कि उनका जो आर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से उसको ऐक्ट करना है, उस सम्बन्ध में यह विधेयक उपस्थित किया जा रहा है और उसका इस भवन को पूरा अधिकार है। पहले जो बार कौंसिल थी उसको भंग करने और नयी बार कौंसिल बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई, इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध चीफ कोर्ट एक कर दी गयी है। इसलिए एक नया ऐक्ट बनाना आवश्यक है। लेकिन इस ऐक्ट से किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ती। एडवोकेट्स के जो अधिकार हैं उनको सीमित नहीं किया गया है, बल्कि उनको अंदरूनी मामलात में पूरा अधिकार इस भवन को है कि वह उनकी व्यवस्था करे। उनके तौर तरीके, उनके व्यवहार की बातों में कानून बनाने का अधिकार इस भवन को है। इसलिये जो कांस्टिट्यूशनल दिक्कत बतलाई जाती है यह वास्तव में हमारे रास्ते में अड़चन नहीं डालती। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन को यह अधिकार है और यह भवन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबवाला, मेरी तजवीज़ है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मुफ्ती साहब ने इस ऐवान के सामने लीगल डिफीकल्टीज़ (वैध कठिनाइयां) पेश कर दी हैं। अपर हाउस में भी इसी किस्म का एतराज़ हुआ था। इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट आफ इंडिया ही कानून बना सकती है और फिर हम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि हाई कोर्ट और दूसरे बार एसोशियेशन्स की इसके बारे में क्या राय है। आपने हम लोगों को डार्क में रखा। लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों पर मुनासिब तौर पर गौर करने के लिये इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मैं यह नहीं चाहता हूं कि इसको बहुत दिनों के लिये टाल दिया जाय उसके लिये आप सिर्फ एक हफ्ते का वक्त मुकर्रर कर दीजिये। अगर गवर्नमेंट मेरी इस तजवीज़ को मान लेगी तो मैं उसकी सलाह से नाम भी पेश कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ ऐजुकेशन मेरी तजवीज़ पर गौर फरमायेंगे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया, किसी माननीय सदस्य को बिल के अन्दर जो प्रावीजन्स हैं, उसकी बाबत कोई खास एतराज़ नहीं है। हां, उनको यह अंदेशा है कि हमारा जो कांस्टीटयूशन है उसके खिलाफ शायद यह बिल पेश किया जा रहा है और यह बिल्कुल उचित

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बात ही है कि हम लोग कांस्टीटयूशन के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें। यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट और दूसरे बार एसोशियेशंस ने इसके बारे में क्या राय जाहिर की है। यह मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हाई कोर्ट वगैरह से राय ले ली गई है। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, बार एसोशियेशंस ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा ३-४ साहबों ने निजी राय भी दी है। हमारे यहां जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने भी इस मसले पर गौर कर लिया है। उन्होंने लिखा है:—

"The proposed amendment does not deal with the question as to who are entitled to practise before the high court but deals with the constitution of the bar council of the amalgamated high court and in my opinion, it is a subject which could be dealt with by a state legislature."

(प्रस्तावित संशोधन इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता कि हाई कोर्ट में किस को वकालत करने का अधिकार है किन्तु इसका संबन्ध एकत्रीकृत हाई कोर्ट की बार काउन्सिल के विधान से है और मेरी सम्मति में यह एक ऐसा विषय है जिसका संबन्ध राज्य के विधान से हो सकता है।)

हाई कोर्ट ने अपनी राय ६ मार्च को भेजी। उन्होंने ३, ४ अमेंडमेंट बताये थे जिनमें से एक कर भी दिया गया है। इसी प्रकार से इलाहाबाद बार एसोशियेशन ने भी ३, ४ माइनर अमेंडमेंट्स भेजे थे। अवध बार एसोशियेशन की जो राय आई है उन्होंने उसमें लिखा है कि यह चीज़ बहुत थोड़ी है और भी ज्यादा होनी चाहिये, ताकि जो और बातें रह गई हैं वे भी आ जायं। यह कांस्टीटयूशन के खिलाफ किसी तरीके से भी नहीं है, क्योंकि उनके प्रैक्टिस करने के अख्तियारों के ऊपर कोई दखल नहीं दिया गया है। हमें इस बात का संतोष है कि हम इस चीज को यहां ला सकते हैं। हाई कोर्ट ने इस चीज़ का समर्थन किया है।

इससे काम में हरजा हो रहा है। बार काउन्सिल वाले चाहते हैं कि यह जल्द ही पास हो जाय और हाई कोर्ट भी यही चाहता है कि यह जल्द पास हो जाय ताकि वह जल्दी से काम करने लग जांय। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इसको मंजूर करेगा।

श्री ई० एम० फिलिप्स—सेलेक्ट कमेटी के लिये आपने कोई अपनी राय नहीं दी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सेलेक्ट कमेटी की बाबत राय देने की बात यह है कि यह कोई बड़ा गम्भीर मसला है नहीं, जिन लोगों से इसका खास ताल्लुक है उनकी राय मालूम हो चुकी है। बार काउन्सिल के बड़े लोगों की राय मालूम है, हाई कोर्ट की राय मालूम है, एडवोकेट जनरल की राय मालूम है। इसलिये सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई खास जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन १९५० ई० का इंडियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हुआ है एक सेलेक्ट कमेटी (विशिष्ट समिति) के सुपुर्द किया जाय।

सदन में पत्र प्रतिनिधियों का सदस्यों के पास जाकर बातें करना

माननीय अध्यक्ष—मैं देखता हूं कि एक पत्र प्रतिनिधि सदस्यों की सीट पर बैठ कर बातें कर रहे हैं। यह अनुचित है। किसी पत्र प्रतिनिधि को सदस्यों के आसन पर बैठने की इजाजत नहीं है। वह आसन केवल सदस्यों के लिये है। यहां जो प्रेस प्रतिनिधि अपना काम करते हैं उनसे यह आशा की जाती है कि यहां शिष्टाचार के जो नियम हैं उनकी पाबन्दी करेंगे।

सन् १९५० ई० का इंडियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन १९५० ई० का इंडियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हुआ है, एक सेलेक्ट कमेटी, अर्थात् विशिष्ट समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में १२
विपक्ष में ६०)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई- के इंडियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं १ से १३ तक और प्रस्तावना

१—(१) इस अधिनियम का नाम इण्डियन बार काउन्सिलस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५० ई० होगा। संक्षिप्तनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

(३) अध्याय १ के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह १६ मार्च, १९५० ई० से लागू हो गया और अध्याय २ तुरन्त लागू होगा।

२—इस विधान में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर

(क) "निश्चित दिन" और "नये हाईकोर्ट" के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्राविंसेज हाई कोर्ट (अमलगमेशन) आर्डर, परिभाषा

१६४८ ई० में क्रमशः "एप्वाइन्टेड डे" और "न्यू हाई कोर्ट" को दिये गए हैं।

(ख) "इलाहाबाद काउन्सिल" और "अवध काउन्सिल" से तात्पर्य उन बार काउन्सिलों से है, जो क्रमशः इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध चीफ कोर्ट के लिये, जिन्हें उक्त आर्डर में वर्तमान (एक्जिस्टिंग) हाई कोर्ट्स कहा गया है, निश्चित दिन से पूर्व स्थापित की गई थीं;

(ग) "चीफ जस्टिस" का तात्पर्य नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से है;

(घ) "आर्डिनेंस" का तात्पर्य इन्डियन बार काउन्सिलस (यू० पी० अमेण्डमेण्ट एण्ड वैलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेन्स, १६४६ ई० से है, जिसे १६ अक्तूबर, १६४६ ई० को प्रचारित किया गया था।

वर्तमान बार काउन्सिल्स का भंग होना

३—इन्डियन बार काउन्सिल्स ऐक्ट, १६२६ ई० (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) या यूनाइटेड प्राविंसेज़ हाई कोर्ट (अमलगमेशन) आर्डर, १६४८ ई० में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी—

ऐक्ट सं० ३८, १६२६

(क) आर्डिनेन्स के आरम्भ होने की तारीख से इलाहाबाद काउन्सिल और अवध काउन्सिल भंग हो जायेंगी,

(ख) विज्ञप्ति संख्या २५६, दिनांक १७ नवम्बर, १६४६ ई० के अधीन विज्ञापित, नये हाई कोर्ट की बार काउन्सिल के लिए सभी निर्वाचन विधि (ला) की दृष्टि में अवैध होंगे और इसके द्वारा अवैध घोषित किए जाते हैं, और उक्त विज्ञप्ति द्वारा कोई बार काउन्सिल स्थापित हुई नहीं समझी जायगी,

(ग) इन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के निदेशों के अनुसार, नए हाई कोर्ट के लिए यथाशीघ्र एक बार काउन्सिल स्थापित की जायगी।

यू० पी० आर्डिनेंस सं० ८, १६४६ की समाप्ति।

४—यू० पी० जेनरल क्लाज़ेज़ ऐक्ट १६०४ की धारा ६ और २४ के निर्देश, जहां तक कि वे इस अधिनियम के निदेशों के प्रतिकूल न हों, इंडियन बार काउन्सिल्स (यू० पी० एमेंडमेंट एंड वैलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेन्स, १६४६ की समाप्ति पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त आर्डिनेन्स एक ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) था जो किसी यूनाइटेड प्राविंसेज़ ऐक्ट द्वारा रद्द (रिपील) किया गया हो।

५—(१) जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के निर्देशों के अनुसार, नए हाई कोर्ट के लिए बार काउन्सिल स्थापित न हो जाय, चीफ जस्टिस एक ऐसी ऐडहाक (तदर्थ) बार काउन्सिल स्थापित कर सकते हैं, जो बार काउन्सिल को मिले ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों और कर्तव्यों को करेगी जो चीफ जस्टिस समय-समय पर घोषित करें। ऐड हक बार काउन्सिल

(२) ऐडहाक बार काउन्सिल में ऐडवोकेट जनरल तथा दस अन्य सदस्य होंगे, जो नए हाई कोर्ट के ऐडवोकेटों में से चीफ जस्टिस द्वारा नामांकित किए जायेंगे।

(३) ऐडवोकेट जनरल ऐडहाक बार काउन्सिल के पदेन (एक्स आफिशियो) सभापति होंगे।

(४) ऐडहाक बार काउन्सिल के अधिवेशन के लिए सदस्यों की इयत्ता (कोरम) चार होगी।

(५) धारा १२ और १३ के प्रयोजनों के लिए ऐडहाक बार काउन्सिल के विषय में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन स्थापित बार काउन्सिल है।

(६) इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के निदेशों के अनुसार बार काउन्सिल जिस तारीख को स्थापित होगी उस तारीख को ऐडहाक बार काउन्सिल समाप्त हो जायगी और उसका भंग हो जायगा।

६—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (२) में— ऐक्ट सं० ३८, १९२६ की धारा १ का संशोधन

(क) शब्द "Allahabad" निकाल दिया जाय ; और

(ख) शब्द "Patna" के बाद शब्द "and the High Court of Judicature at Allahabad constituted by the High Court (Amalgamation) Order, 1948" बढ़ाए जांय।

७—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायः— ऐक्ट सं० ३८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन

"4. (1) The Bar Council for the High Court of Judicature at Allahabad shall consist of— Composition of the Bar Council for the High Court, Allahabad.

(a) the Advocate General, who shall be ex-officio Chairman of the Bar Council ;

(b) four advocates not being persons holding a Judicial office nominated by the Chief Justice ;

(c) seven persons elected from amongst them by the Advocates of the High Court, who have their permanent place of business in Allahabad or Lucknow ;

(d) nine persons elected from amongst them by the Advocates other than those referred to in clause (c).

(2) There shall be a Vice-Chairman of the Bar Council elected by the Council in such manner as may be prescribed.

(3) The term of office of the nominated and elected members of the Bar Council shall be six years.

(4) A member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be elected or nominated to serve for the remainder of his predecessor's term of office.

(5) The quorum for a meeting of the Bar Council shall be six members :

Provided that the validity of any proceedings in the Bar Council shall not be called in question on account of any vacancy in the Bar Council."

एक्ट ३८, १९२६ की धारा ५ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय:—

"5. (1) The members to be elected under clause (d) of sub-section (1) of section 4 shall be chosen in such territorial constituencies as may be Prescribed :

Election of members.

Provided that not more than one member shall be returned from each such constituency.

(2) There shall, for purposes of elections under clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 4, be prepared in the manner prescribed:—

(a) an electoral list of advocates entitled to vote under clause (c) aforesaid ;

(b) separately in respect of each territorial constituency referred to in sub-section (1), territorial electoral lists of advocates entitled to vote in such constituencies: Provided that the first electoral lists shall be prepared by the High Court.

(3) The list prepared under sub-section (2) may, from time to time, be revised in the manner prescribed.

(4) No advocate shall be entitled to have his name included in more than one electoral list.

(5) Where an advocate is otherwise qualified to have his name included in more than one electoral list, he shall be entitled at his option exercised in the manner prescribed, to have his name entered in any one of the aforesaid electoral lists.

(6) An option exercised under sub-section (5) shall be final and cannot be revised during the continuance of the electoral list except in the manner and for reasons to be prescribed.

(7) A person ceasing to be a member by reason of the expiry of his term of office shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election or re-nomination."

९—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित नयी धारा 5-A. बढ़ायी जायः— ऐक्ट ३८, १९२६ में नयी धारा ५-A का बढ़ाया जाना।

"5-A. (1) The Bar Council for the High Court of Judicature at Allahabad shall be a permanent body not subject to dissolution, but as nearly as may be one half of the members nominated or elected under clauses (*b*) to (*d*) of sub-section (1) of section 4 shall retire in accordance with the provisions of sub-section (2)

Retirement of members.

(2) The High Court shall, by order, make such provision as it thinks fit, by curtailing the term of office of some of the members, for securing that, as nearly as may be, one half of the members nominated or elected under clauses (*b*) to (*d*) of sub-section (1) of section 4 shall retire in every third year thereafter."

१०—मूल अधिनियम की धारा ६ की ऐक्ट ३८, १९२६ की धारा ६ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के खण्ड (a) में से

(क) शब्द "the method of determining in accordance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of

section 4, the candidates who shall be declared to have been elected" निकाल दिये जायं ;

(ख) (*b*) निकाल दिया जाय।

(ग) खण्ड (*d*) में से शब्द "and the quorum necessary for the transaction of business thereat" निकाल दिये जायं।

(घ) खण्ड (e) में शब्द "the respective terms of office of the chairman in cases where the Chairman is to be elected and" के स्थान पर शब्द "the term of office" रखे जायेंगे।

(२) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

कार्य आदि का वैधीकरण (वैलिडेशन)

११—मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार या अधीन अधिकारों के अभिप्रेत (परपर्टेड) प्रयोग में, निश्चित दिन से लेकर धारा ३ के अधीन उनके भंग होने तक इलाहाबाद काउन्सिल या अवध काउन्सिल द्वारा दी गयी सब आज्ञाएं, किये हुए कार्य या कार्यवाहियां, दिये हुए निदेश या उपयोग में लाये हुए अधिकारों, के विषय में यह समझा जायगा कि वे सब विधि (ला) की दृष्टि में उसी प्रकार ठीक और वैध (वैलिड) हैं, मानों मूल अधिनियम के अधीन नये हाई कोर्ट के लिए उचित रीति से स्थापित बार काउन्सिल द्वारा यह आज्ञायें दी गयी थीं, कार्य या कार्यवाहियां की गयी थीं, निर्देश दिये गये थे या अधिक प्रयोग में लाये गये थे।

इलाहाबाद काउन्सिल और अवध काउन्सिल द्वारा या उनके विरुद्ध विचाराधीन कार्य या कायवाही।

१२—यदि कोई कार्य या कार्यवाही आर्डिनेंस के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, इलाहाबाद काउन्सिल या अवध काउन्सिल द्वारा या उसके समक्ष या विरुद्ध प्रारम्भ की गयी हो और उक्त तारीख पर विचाराधीन हो तो वह नये हाई कोर्ट के लिए स्थापित बार काउन्सिल द्वारा या उसके समक्ष या विरुध इस प्रकार जारी रहेगी मानों नये हाई कोर्ट के लिए स्थापित बार काउन्सिल द्वारा या उसके समक्ष या विरुद्ध वह कार्य या कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।

इलाहाबाद काउन्सिल और अवध काउन्सिल की पूंजी (एसेटस) और दायित्व (लाइबिलिटीज।

१३—जो भी सम्पत्ति, कोष (फन्ड) और पूंजी (एसेट्स) आर्डिनेंस के प्रारम्भ होने की तारीखों पर इलाहाबाद काउन्सिल या अवध काउन्सिल के हों या उनमें निहित हों, और ऐसे सब दायित्व और आभार (लाइबिलिटीज एन्ड आब्लिगेशन) जो उक्त काउन्सिलों पर रहे हों, या जो उनके विरुद्ध प्रयोग में लाये जा सकते हों, उक्त तारीख से नये हाई कोर्ट के लिए स्थापित बार काउन्सिल को संक्रामित (ट्रांस्फर्ड) हो जायेंगे या उसमें निहित हो जायेंगे या उसके विरुद्ध प्रयोग में लाये जा सकेंगे।

प्रस्तावना

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में इन्डियन बार काउन्सिल्स ऐक्ट, १९२६ में संशोधन करना आवश्यक है; ऐक्ट सं० ३८, १९२६

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

माननीय अध्यक्ष—इस विधेयक पर कोई संशोधन किसी धारा के सम्बन्ध में मेरे पास नहीं आया है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी धारा में कोई संशोधन करना चाहते हों तो मैं अलग-अलग धारायें उपस्थित करूं, किन्तु यदि कोई संशोधन नहीं है तो मैं कुल धाराओं को एक साथ ले लूंगा। मैं एक मिनट रुकता हूं। (कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि धारा ए १ से १३ तक और प्रस्तावना, इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ, कि सन् १९५० ई० का इण्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का इण्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगडों का (संशोधक) विधेयक उपस्थित करता हूं। (कुछ रुक कर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन्१९५० ई० के उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के (संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत छोटा सा, परन्तु कई दृष्टियों से बहुत आवश्यक है। हम इसके द्वारा कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे कामों में जो कुछ दिनों से होते चले आ रहे हैं और सफलता पूर्वक होते चले आ रहे हैं कुछ अड़चनें पड़ गई हैं और उनको दूर करने के लिये हमारा यह प्रयास है। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यों तो वर्क्स कमेटीज़ को कायम करने का अधिकार इस देश में सभी गवर्नमेंट को है परन्तु जितनी अधिक वर्कस कमेटीज इस प्रदेश में कायम की गई उतनी और कहीं कायम नहीं की गई। उनके सम्बन्ध में कई तरह के मतभेद हो सकते हैं और हैं,

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं इस बात को जानता हूं। हो सकता है कि उन कमेटीज के कामों पर जो आक्षेप किये जाते हैं उनमें कुछ तत्व भी हों, फिर भी यह बात सभी को स्वीकार करनी होगी कि इन कमेटीज ने जो कारखानों में हैं बहुत सा अच्छा काम भी किया है। बहुत से झगड़े जो बहुत दिनों तक खिन्च जाते हैं इन कमेटीज के के द्वारा जल्दी तय हो सके और जो औद्योगिक शांति कायम रही है उसके बनाये रखने में भी बहुत कुछ श्रेय इन वर्कर्स कमेटियों को है।

परन्तु हाल के कुछ अदालती फैसलों से कुछ ऐसा संदेह सा होने लगा है, कि शायद वर्कर्स कमेट्रियां कायम हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। यह जो विधेयक पेश किया गया है इसके द्वारा वर्कर्स कमेटियों के कायम करने का अधिकार इस सदन से मांगा जा रहा है। सम्भव है कि आगे चल करके और कोई कमेटियां कायम करनी पड़ें जिनमें मजदूरों के प्रतिनिधि रहें और मिल मालिकों के प्रतिनिधि रहें, तो उसके लिए हमें स्पष्ट रूप से अधिकार ले लेना है ताकि आगे चलकर किसी किस्म की कोई कानूनी अड़चन न पड़ सके। वर्कर्स कमेटियों का निर्माण कैसे हो, वर्कर्स कमेटियों का चुनाव कैसे हो, इसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की रायें हो सकती हैं। अभी तक जो हमारा तरीका वर्कर्स कमेटियों के बनाने का रहा है मुमकिन है कि आगे चलकर उसको छोड़ देना पड़े और कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़े और फिर आगे अनुभव के बाद मुमकिन है कि कोई और तीसरा तरीका अख्तियार करना पड़े, इन सब बातों के लिए गुंजायश इसमें रख दी गयी है। वर्कर्स कमेटियों का निर्माण होगा, उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे और मिल मालिकों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन चुनाव किस तरीके का होगा इसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया है। जैसी परिस्थिति होगी, वैसा काम किया जायगा। एक अधिकार यह है जो हम इसके द्वारा मांग रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारा तरीका यह रहा है कि यदि किसी कारखाने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेते हैं और एक अथराईज्ड कंट्रोलर मुकर्रर करते हैं, जो मजदूरों की मजदूरी देता है, सामान खरीदता है, सामान तैयार कराता है, सामान बिकवाता है और अपना कमीशन ले करके जो मुनाफा बचता है वह कारखाने के मालिक को दे देता है। अभी तक यह दस्तूर था लेकिन हाल में हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है कि गवर्नमेंट अथराईज्ड कंट्रोलर मुकर्रर कर सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मिल मालिक अथराईज्ड कंट्रोलर का कहना मानें। यह एक रुकावट हमारे रास्ते में आ गयी है और इसके लिये हमने दो बातें इस विधेयक में की हैं, एक तो यह कि जहां-जहां हमारे अथराईज्ड कंट्रोलर नियुक्त हैं उनका अधिकार जारी रहे और बीच में उनका अधिकार खत्म न हो जाय जिससे मजदूरों की मजदूरी रुक जाय और खास कर गन्ने के कारखानों में जो रुपया बाकी है वह न रुक जाय।

दूसरी बात यह है कि आगरा में और दूसरी जगह कुछ ऐसे कारखाने हैं जिनमें कई आदमी मालिक हैं और कोई बाकायदा कम्पनी नहीं है। आपस में झगड़ा होने की वजह से वे कारखाने बन्द पड़े हैं। जो उन कारखानों के मालिक हैं उनमें से कुछ यह चाहते हैं कि वे कारखाने गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले लें और कुछ यह नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से हजारों मजदूर बेकार बैठे हुये हैं महज इसलिये कि कारखाने वालों में झगड़े हैं और वे आपस में कोई चीज तय नहीं कर पाते हैं। इसलिये इसके जरिये यह अधिकार मांगा गया है कि अगर ऐसे कारखानों के कुछ मालिक यह चाहें कि उनके कारखानों को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, तो गवर्नमेंट उनको अपने हाथ में ले सकती है। मैं समझता हूँ कि इन सब आवश्यकताओं को देखते हुये सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजाराम शास्त्री—जो बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया है उसका उद्देश्य बतलाया गया है कि सरकार कारखानों के अन्दर कारखाना समितियां बनाने का अधिकार चाहती है। साथ ही साथ जिन कारखानों में अव्य-वस्था है उनके प्रबन्ध को भी जरूरत पड़ने पर हाथ में लेना चाहती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यू० पी० का जो इन्डस्ट्रियल ऐक्ट है उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट को वैसे ही अधिकार है कि वह कारखानों के अन्दर कारखाना समितियां बना सकती है और उस अधिकार का प्रयोग करके इस प्रान्त में करीब-करीब सभी कारखानों में गवर्नमेंट ने कारखाना समितियां बनादी हैं और जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री ने कहा कि ये कारखाना समितियां बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, फिर क्या आवश्यकता पड़ गई इस वक्त कि इस तरह का बिल हाउस के सामने पेश किया गया? यह कहा गया कि हुकूमत ने जो यह काम किया है या करना चाहती है, उसके बारे में सन्देह प्रगट किया गया है। जिस वक्त इस सूबे में सरकार ने कारखानों के अन्दर कारखाना समितियां बनाई थीं, उस वक्त हमारे जैसे विचार के लोगों ने इस बात का विरोध किया था और यह कहा था कि हुकूमत जिस तरीके से वर्क्स कमेटियां बना रही है, वह तरीका गलत है। शायद सरकार के अधिकार में यह बात नहीं थी। उसने जो उसकी पावर थी उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके एक तरह से मनमानी की और एक खास पार्टी के साथ पक्षपात करके वर्क्स कमेटी का निर्माण किया। अभी तक जो वर्क्स कमेटियां यू० पी० में बनाई गईं, उनमें एक बात का ध्यान रखा गया और वह यह कि चूंकि सारे देश में आई० एन० टी० यू० सी० की मेम्बरशिप सबसे ज्यादा है, इसलिये हुकूमत ने यह सिद्धान्त मान लिया कि देश की हर व्यवस्था में और हर कारखाने में अगर कोई यूनियन आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बद्ध हो तो उसको उन्होंने यह अधिकार प्रदान कर दिया कि वर्क्स कमेटी के नुमाइन्दों को वह बिना चुने हुवे ही, अपने आप नियुक्त कर सकती है। यह नियुक्ति करने का तरीका जो रखा गया वह बिलकुल गलत है, उसका परिणाम क्या होगा?

[श्री राजाराम शास्त्री]

वास्तव में वर्क्स कमेटियों के बनाने की जिस वक्त घोषणा की गई थी उस वक्त लोगों में काफी उत्साह था। एक जमाना यह था कि जब कारखानों के अन्दर मालिक अपनी मनमानी करते थे, जब चाहते थे मजदूरों को निकाल देते थे, उनकी नौकरी की शर्तों में परिवर्तन कर देते थे और हर तरह से मनमानी करते थे। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था कि उनसे बात कर सकें या उनके साथ बराबरी की हैसियत से बैठ सकें। मजदूरों की बहुत दिनों से यह मांग रही कि कारखानों के अन्दर कैसी व्यवस्था की जाय, मालिक मजदूर का सम्बन्ध कैसे अच्छा बने। इसके सम्बन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों को मालिक की बराबरी की हैसियत दी जाय, इस मांग के आधार पर जब वर्क्स कमेटियां बनाई गईं और मजदूरों को मालिकों की बराबरी का अधिकार दिया गया, यह मजदूरों की बहुत बड़ी विजय थी और मजदूर समझते थे कि अब उनको मालिकों की बराबरी का अधिकार मिला है और अब उनको तरक्की करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जैसी कि हमारे देश की राजनीति है और यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक पार्टियों की वजह से, सिद्धान्तों के संघर्ष की वजह से हमारे देश के मजदूरों का संगठन बिलकुल छिन्न भिन्न हो चुका है। एक जमाना ऐसा था कि जब मजदूरों में एका कायम हुआ तो कितने ही बड़े-बड़े संघर्षों में मजदूरों ने आर्थिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से कमजोर होते हुए भी बड़े-बड़े व्यवसायपतियों को परास्त किया, लेकिन अफसोस कि जिस वक्त राजनीतिक संघर्ष देश में आया, मजदूर आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, विभिन्न दलों में विभाजित हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी जगह पर आज मजदूर संगठित होकर अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाये।

ऐसे मौके पर जब कि वर्क्स कमेटियां कानूनी तौर पर बनीं तो मजदूर यह समझते थे कि अब जिन व्यक्तियों पर हमारा विश्वास होगा वही प्रतिनिधि वर्क्स कमेटियों में जायंगे और अपने अधिकारों के लिये लड़ेंगे। और इस प्रकार मालिक और मजदूर मिलकर कारखानों के प्रबन्ध को सुचारु रूप से चला सकेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मजदूर आन्दोलन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बन गयीं और देश की हुकूमत भी एक पार्टी की बनी। तो उस हुकूमत के दिल में यह ख्वाहिश होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि मजदूरों में उसकी पार्टी कम-जोर थी और उसको हुकूमत की मदद की जरूरत थी। इसलिये हुकूमत ने पार्टी की मदद करनी शुरू की। नतीजा क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद करीब-करीब सभी कारखानों में मजदूरों के बीच में विभिन्न राजनीतिक मतों का एक संघर्ष पैदा हो गया। अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि यू० पी० में जितनी वर्क्स कमेटियां बनायी गयीं हैं उतनी किसी सूबे में नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यू० पी० में जो पक्षपात आई० एन० टी० यू० सी० के साथ किया गया, हिन्दुस्तान के किसी सूबे में इस तरह से कमेटियां नहीं बनायी गयीं। कई जगह पर ऐसा हुआ कि जहां पर एक आध बार चुनाव किया गया वहां पर आई० एन०

टी० यू० सी० की बुरी तरह से हार हुई। धीरे धीरे यह कोशिश की जा रही है कि सभी जगह ऐसा कानून बनावें, जिससे जो आजकल कांग्रेस की हुकूमत की आलोचना करने वाली या विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, या जिनके असर में मज़दूर आन्दोलन है वे न पनपने पायें। और केवल सरकारी मज़दूर आन्दोलन ही पनपने पाये। अगर यू० पी० की नीति सारे देश में अपनाई गयी तो मैं इसे मज़दूर आन्दोलन के बहुत दुर्भाग्य की बात समझूँगा।

वर्क्स कमेटियां जिस ढ़ंग से आज काम कर रही हैं वे और भी अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, वे कारखानों में अच्छा वातावरण पैदा कर सकती हैं और मजदूर अपने अधिकारों के लिये सफलतापूर्वक लड़ सकता है, बशर्ते कि जो लोग वर्क्स कमेटियों में बैठते हैं उन पर मज़दूरों का पूर्ण विश्वास हो। उसके जानने के लिये एकमात्र यही तरीका है कि जन गणना की जाती है। लोकमत जानने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि वोट डाले जांय और जिस की तरफ अधिकांश मत हो उसी को प्रतिनिधि माना जाय। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह हुकूमत जो अपने को जनवादी कहती है, दुनिया के सामने कहती है कि वह एकतंत्रवाद में विश्वास नहीं करती, प्रजातन्त्रवाद में विश्वास करती है, वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातन्त्रवाद में विश्वास करती है लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में वह प्रजातन्त्रवाद की हत्या कर रही है। अगर हुकूमत का विश्वास है कि प्रजातन्त्रवाद का तरीका ही सब से अच्छा तरीका है तो क्या वजह है कि कारखाने के अन्दर या वर्क्स कमेटी में जब मजदूरों को अधिकार दिये जाते हैं, तो वहां पर प्रजातन्त्र का तरीका क्यों नहीं बरतती ? हमें खुशी है कि हमारे मन्त्री महोदय ने शकर के कारखानों में इस प्रजातन्त्रवाद को माना है जिसकी वजह से सारे देश में हमारे सूबे की शोहरत हुई कि वास्तव में हर एक मजदूर को यह अधिकार दिया गया कि वह जिस को चाहता है उस को अपना वोट दे सकता है। और जो परिणाम निकला वह भी हमारे सामने हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जीतने वालों में एकता न रही। लेकिन मज़दूरों ने यह जाहिर कर दिया कि उनका विश्वास किस पर है। इसी तरीके से अभी-अभी मालूम हुआ है, यू० पी० के लेबर कमिश्नर का पिछला अवार्ड हमारे सामने है, उससे मैं यह बतलाऊंगा कि जो वर्क्स कमेटियां काम कर रही हैं, उनके लिये किस तरीके से कारखानों में झगड़े होते हैं। १९ मई को उनका अवार्ड हुआ था। कानपुर में एक बंगाल केमिकल फर्मास्युटिकल वर्क्स है। इस बात के जानने की जरूरत पड़ती है कि कौन सी यूनियन रिप्रेजेन्टेटिव बाडी (प्रतिनिधि संस्था) है और कौन सी नहीं है। इस कारखाने के अन्दर दो यूनियनें काम करती हैं। एक का नाम केमिकल मज़दूर यूनियन और दूसरी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल मजदूर यूनियन। राष्ट्रीय केमिकल मजदूर यूनियन कांग्रेस के प्रभाव में है और आई० एन० टी० यू० सी० के हाथ में है और केमिकल मजदूर यूनियन समाजवादी हिन्द मजदूर सभा में सम्मिलित है। यह जानना था कि इनमें से कौन सी प्रतिनिधि

[श्री राजाराम शास्त्री]

संस्था है। लेबर कमिश्नर ने यह लिखा है कि वह रजिस्ट्रार के आफिस से यह नहीं जान सके कि किस संस्था के कितने मेम्बर्स (सदस्य) हैं। उन्होंने सीक्रेट बेलट लिया और वोटिंग के बाद उन्होंने यह लिखा है कि सिर्फ ४६ आदमी वहां प्रेजेंट थे जिनमें सिर्फ ४५ ने वोट किया और उन ४५ के पैंतालिसों ने केमिकल मजदूर यूनियन जो हिन्द मजदूर सभा में सम्मिलित है उसके लिये वोट किया और आई० एन० टी० यू० सी० के पक्ष में एक भी वोट न पड़ा। आपने स्टैंडिंग आर्डर्स के लिये तो केमिकल वर्क्स मजदूर यूनियन को डेमाक्रेसी के सिद्धान्त के मुताबिक मान लिया, लेकिन श्रम मन्त्री जी ने जो वर्क्स कमेटियां बनाईं वे जिस तरह से बनी हैं उनमें जिनको एक भी वोट नहीं मिला है वह रिप्रेजेन्टेटिव बाडी मानी जायगी और जिसको पैंतालिस में पैंतालिसों वोट मिले वह अनरिप्रेजेन्टेटिव बाडी (अप्रतिनिधि संस्था) मानी जायगी। मैं यह पूछता हूँ कि यह क्या प्रजातंत्रवाद है, यह कौन सी डेमोक्रेसी है और क्या मजदूर इससे प्रजातंत्रवाद की शिक्षा ले सकते हैं। हो सकता है कि इससे आपकी पार्टी को और आई० एन० टी० यू० सी० को मदद मिले, लेकिन हुकूमत पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं की जानी चाहिये। होना यह चाहिये कि पैंतालिस में पैंतालिसों वोट जिनको मिले हैं उनको चाहे वर्क्स कमेटी हो चाहे स्टैंडिंग आर्डर्स हो, सब जगह उन्हीं को नुमाइन्दगी मिलनी चाहिये। और जिनको एक भी वोट नहीं मिला है उनको वहां नुमाइंदगी नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद मेरा यह भी कहना है कि आज सभी कारखाने के मजदूर यह अनुभव करने लगे हैं कि आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन तो पक्षपातपूर्ण ढंग से जबर्दस्ती हुकूमत उनके ऊपर लाद रही है, क्योंकि जब कभी मतगणना का अवसर आया है मजदूरों ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनका रिप्रजेंटेटिव (प्रतिनिधि) कौन है। शुगर मिल्स में मतगणना हुई तो आई० एन० टी० यू० सी० २७ हजार वोटों से हारी और केमिकल वर्क्स में हुई तो ४५ के पैंतालिसों वोटों से हार गई। मेरा यह विश्वास है कि अगर आज यू० पी० के अन्दर विभिन्न व्यवसायों में मतगणना की जाय और सच्चा प्रजातंत्र कायम किया जाय तो माननीय श्रम मन्त्री जी को विश्वास हो जायगा कि उनकी नीति गलत है। जिस नीति के बारे में यहां प्रशंसात्मक शब्द कहे जाते हैं कि उस पर इस सूबे को गर्व हो सकता है। मैं भी इस बात को कह सकता हूं कि हमारे श्रम मन्त्री जी ने बहुत सी चीजें मजदूरों के लिये ऐसी की हैं जिनपर हमें गर्व हो सकता है लेकिन यह एक ऐसा काम है जहां पर प्रजातंत्रवाद के सिद्धान्त के खिलाफ बात जाती है। मैं नहीं समझा कि यह फिर क्यों रखा जाता है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि शैशवावस्था में जरूर मदद की जाती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाय तो उसको मैदान में छोड़िये, कम्पेटीशन में छोड़िये, संघर्ष करने दीजिये और संघर्ष करते-करते ही वह मजबूत होगा। आखिर कितने दिनों तक उसको पक्षपातपूर्ण ढंग से दूध पिलाते जाइयेगा। अब तो बड़े-बड़े नेता आई० एन० टी० यू० सी० में हैं

सरकार की भी मदद है और मिल मालिकों का भी इसारा उनके पास है, उनके पास कोई कमी नहीं है। अगर आज आई० एन० टी० यू० सी० कमजोर होती है या एलेक्शंस में हार रही है तो वह डिफीट आई० एन० टी० यू० सी० की कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि आपका यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार उसको चौपट किये दे रहा है। दूसरों का मुकाबला करने दीजिये, दो चार दफा हारने दीजिये और हार-हार कर मजबूत होने दीजिये। जैसे कांग्रेस ने तमाम पार्टियों को बराबर पराजित किया और संघर्ष में उतरी। संघर्ष किया और संघर्ष करते-करते शक्ति आई और आज वह विजयी हुई। संघर्ष से जीवन आता है और संघर्ष ही शक्ति देता है। और इसी तरह से ही इंसान और राजनीतिक पार्टियां मजबूत हुआ करती हैं। वर्क्स कमेटियों के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि इस बिल में यह साफ नहीं किया गया है कि वर्क्स कमेटियां कैसे बनाई जायगी। यह चीज एक खूबी भी हो सकती है। इसमें क्या एतराज है कि आप साफ कह दें कि वर्क्स कमेटी किस तरह से बनाई जांय। इसको गोलमोल रखना ठीक नहीं । आप सत्य बात रखिये कि मजदूरों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो चुने हुये प्रतिनिधि होंगे, वे इसमें होंगे। इस चीज को मान लेने से माननीय श्रम मंत्री जी का हाथ और आई० एन० टी० यू० सी० का हाथ जो खुला हुआ है, वह जरा बंध जायगा। मैं साथ साथ यह कहूंगा कि इस चीज को गोलमोल न रखें, साफ कर दें कि आपका इशारा किस तरफ है। क्या आप यह गुंजाइश किये हुये हैं कि भविष्य में जो कमेटियां बनेंगी उनका चुनाव करेंगे, या तो जिस तरह से अब तक चल रहा है यानी कि एक पार्टी को आपने अधिकार दे दिया है कि वह जिस तरह से चाहते हैं अपने काम को चलाते हैं, अगर यही विचार है, तो इसका क्या नतीजा होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा यह हो रहा है कि आई० एन० टी यू० सी० के लीडर्स जो कुछ चाहते हैं करते हैं और कोई भी शख्श जो कि उनकी बात को नहीं मानता है वह निकाल दिया जाता है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि चौबे जी वगैरह, उसमें नहीं रहे हैं। इनकी साफ इच्छा यही थी, इसका उसूल साफ यही था कि आई० एन० टी० यू० सी० में रहेंगे लेकिन उसकी धांधली को नहीं मानेंगे, कांग्रेस में रहेंगे लेकिन धांधली को नहीं चलने देंगे। अब चौबे जी ने आज अखबारों में वक्तव्य दिया है कि किसी भी ईमानदार और डेमोक्रेट आदमी के लिये अब आई० एन० टी० यू० सी० में जगह नहीं है। हो सकता है कि कल शायद यह वक्तव्य निकले, या निकट भविष्य में यह निकले कि ईमानदार और सच्चे आदमी के लिये कांग्रेस में जगह नहीं है। समझदार आदमी वह है जो ठोकर लगने से पहले सोचले, जब ठोकर लगे तब सोचे तो यह कोई दूरन्देशी की बात नहीं है। हम जितने मजदूर तहरीक में काम करने वाले हैं, वह सब इसका अनुभव कर रहे हैं कि मालिकों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस मालूम पड़ता है कि हमारे यू० पी० का लेबर मूवमेंट बिलकुल चौपट हो रहा है। स्वयं बढ़ने की हमा

[श्री राजाराम शास्त्री]

अपने संगठन और एकाकी शक्ति से जो कुछ भी मुकाबिला और झगड़ा मालिकों से करते थे और मजदूरों के अधिकारों की जितनी भी रक्षा करते थे, वह शक्ति अब क्षीण हो रही है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि आप वर्क्स कमेटियां बनावें, उनको नये-नये अधिकार दीजिये, उनका चुनाव कीजिये और इस तरह से, इस ढंग से काम करें कि उनकी शक्ति बढ़ जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्क्स कमेटियां जिस उद्देश्य से बनाई जाती हैं वह उद्देश्य पूरा होना चाहिये। होता यह है कि अगर कोई मजदूर निकाल दिया जाता है तो खूब बहस होती है कि यह सही निकाला गया या नहीं, लेकिन जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, कारखाने के प्रबन्ध का ताल्लुक है, वहां वर्क्स कमेटियों की कोई पहुंच नहीं है। मालिकों के हाथ खुले हुये हैं कि चाहे जितना कुप्रबन्ध कारखाने के अन्दर करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्क्स कमेटियां तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं, तब तक कारखाने के अन्दर अमनोअमान कायम नहीं हो सकता है, जब तक कि वर्क्स कमेटियों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि कारखाने के अन्दर जो मालिक का प्रबन्ध है उसके अन्दर भी उनका हाथ है। जब तक उनको यह अख्तियार नहीं मिलेगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। मालिक अपनी मनमानी करते जायंगे, कारखाने में कुप्रबन्ध बना रहेगा, झगड़े झंझट होते रहेंगे और मजदूरों की हालत बद से बदतर होती रहेगी, वे सदा पिसते रहेंगे।

इस बिल का जो दूसरा हिस्सा है उसके सम्बन्ध में मुझे बड़ी खुशी है कि हुकूमत ने यह अधिकार लिया है कि अगर ५० प्रति सैकड़ा या उसके अधिक हिस्सेदार प्रार्थना पत्र दें तो हुकूमत कारखाने को चलाने के लिये प्रबन्धक नियुक्त करेगी। मेरा यह ख्याल है कि इसमें ५० प्रतिशत या उससे अधिक की जो कैद है वह ज्यादा है। हम यह चाहते हैं और यह ठीक समझते हैं कि ५० प्रतिशत का बगैर विचार रखे हुये अगर पर्याप्त संख्या में हिस्सेदार इस चीज को चाहते हैं कि कारखाने का कुप्रबन्ध हो रहा है और गवर्नमेंट को उसका प्रबन्ध लेना चाहिये, तो गवर्नमेंट को उसमें फिर देरी नहीं करना चाहिये कि ५० प्रतिशत हो जांय या उससे ज्यादा हो जायं तभी उस कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में ले।

मैं समझता हूँ कि ५० फीसदी से कम हो या काफी तादाद ऐसी हो जिससे हुकूमत को विश्वास हो जाय कि कारखाने का इंतजाम गलत है तो हुकूमत उस कारखाने को अपने हाथ में ले ले। दूसरे मैं यह देखता हूं कि जिस तरह से कारखाने का प्रबन्ध है उस तरह के प्रबन्ध को हाथ में ले लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि यह होना चाहिये कि जिस रूप में कारखाना लिया जाता है तो उसको और अच्छा बनाने के लिये और बिस्तार करने के लिये और जिस तरह से हुकूमत को उसका प्रयोग करना चाहिये उस तरह से प्रयोग करने के लिये

उसको हुकूमत को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। वास्तव में हमारे सूबे का जो व्यवसायीकरण रुका हुआ है उसका यही कारण है हालांकि कारखानों के मालिक कहते हैं कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और गो लो की पालिसी काम में लाते हैं जिससे देश का उत्पादन ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसके अलावा नाना प्रकार के वह कारण बतलाते हैं। जिन कारखानों के मुताल्लिक मालूम हो कि वहां का उत्पादन कम हो रहा है उनको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले और दूसरे वहां के मैनेजमेंट में रद्दोबदल करने का राइट गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। यदि ऐसा हो जाय तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत हद तक कारखानों के मालिक स्वयं प्रबन्ध ठीक करेंगे जो फिर भी ऐसा नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाय। जब यह मालूम हो जायगा कि हुकूमत कारखानों को जनता के हित में लेती है और वह प्रबन्ध करने वालों को निकाल सकती है तो हमारा पूरा विश्वास है कि यू० पी० के अन्दर कारखाने ठीक तरह से चलेंगे।

इस बिल के जो उद्देश्य हैं उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत उनको पूरा करने के लिये जो मुनासिब तरीके हमने पेश किये हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और हमें विश्वास है कि यू० पी० में व्यवसाय आगे बढ़ेगा और यहां की जनता समृद्धिशाली होगी। हम हुकूमत के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनतन्त्रवाद जिसका हमने जिक्र किया है हुकूमत उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और उसे स्वीकार करेगी और फिर जब बिल पास होगा तो उससे हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री जी ने आजकल के कारखानों में मजदूरों और मालिकों के दरमियान में कैसा व्यवहार होना चाहिये और उद्योग धन्धे किस तरह से चलते रहें उस सम्बन्ध में वर्क्स समिति ठीक तरह से काम कर रही है उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। अभी कुछ समय पहले यह आवाज आती रहती थी कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी बहुत कम मिलती है और उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिये और कुछ दल ऐसे भी थे जिनका एक मात्र उद्देश्य यही था कि जो साधारण वातावरण है उसे विषाद में परवर्तित कर दें।

मेरे मित्र श्री राजाराम शास्त्री यह कहते हैं कि राजनीतिक संघर्ष के कारण मजदूर आंदोलन छिन्न-भिन्न हो गया है। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि उसका एक मात्र कारण यह है कि विभिन्न दल हैं, और उनके जो अधिनायक तथा नेता हैं वे पैटी बुजुआ क्लास के हैं और जब नेता उन मजदूरों में से पैदा नहीं होते हैं और उधार के नेता आते हैं। इसी वजह से यह आंदोलन गड़बड़ी की हालत में है। अब जरूरत श्री राजाराम शास्त्री की नहीं है, गंगा सहाय चौबे की नहीं है और सूरजप्रसाद अवस्थी की नहीं है। कानपुर के मजदूरों में अगर कोई अग्रगण्य काम करनेवाला है जो सुबह से शाम तक श्रम करके रोटी कमाता है अगर वह मजदूरों का नेता होता है तो मजदूर आंदोलनसफल हो सकता है

[श्री रामकुमार शास्त्री]

आपने इस सिलसिले में आई० एन० टी० यू० सी० का जिक्र किया है। कोई भी हुकूमत हो उसको एक न एक जगह पर अपना पांव अड़ाना पड़ेगा। उसके दिमाग में यह था कि आई० एन० टी० यू० सी० के जरिए मजदूरों का काम चल रहा है। लेकिन अभी हाल में मजदूर आंन्दोलन, जिसके संचालक शिब्बन लाल सक्सेना थे, उस सिलसिले में मतगणना हुई तो मालूम हुआ कि आई० एन० टी० यू० सी० का प्रभुत्व नहीं है, लिहाजा शिब्बन लाल सक्सेना की नीति के अनुसार काम फिर शुरु हुआ। जब मतगणना में सफलता हुई तो मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं सोशलिस्ट पार्टी से कि अब यह हरदोई और गोरखपुर में क्या बात है। मजदूर आन्दोलन को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वास्तव में अगर कोई बिखेरता है, उसे नष्ट भ्रष्ट करता है तो वह हैं मध्यम वर्ग के लोग। बहुत सी बातों में हमारा हुकुमत के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन ईमानदारी का तकाजा यही है कि जहां सच्चाई के रास्ते पर हुकुमत चलती रही वहां हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। आप कहते हैं कि इस विधेयक के उदेश्य से आप सहमत हैं, जब उदेश्य उत्तम है, इसम मजदूरों का कल्याण है और अगर कहीं थोडी बहुत त्रुटियां हैं भी, तो माननीय श्रम मंत्री के कमरे में आप अनेकानेक बार जाते हैं, वहां आप उन्हें वह सलाह दे सकते हैं। लकिन आप यहां श्रम मंत्री जी का घोर विरोध करते हैं। मैं तो मुक्त कंठ से इस बात की प्रशंसा करूंगा कि जब जबदस्त आन्दोलन चल रहा था, देश में खाने पीने और तरह तरह की सामग्रियों की कमी थी और एक आन्दोलन हड़ताल करा कर खड़ा किया जाने वाला था, तब यहां की हुकूमत ने वर्कस कमेटीज को कायम किया। मैं यह नहीं कहता कि वे उत्तम प्रकार की थीं, परिस्थिति को देख कर उन्होंने जो कार्य किया वह प्रशंसनीय है। आप मानते हैं कि बिल का उद्देश्य उत्तम है। यहां उद्योग धन्धे अच्छी तरह से चल सकते हैं अगर मिलमालिकों और मजदूरों में समन्वय की नीति बर्ती जाए। जो रास्ता यह हुकूमत अख्तियार करती है, हमारा कर्तव्य है कि जहां श्रम मंत्री भूल करते हों उसे हम ठीक कराने की कोशिश करें। जिस जिले और जिस कमिश्नरी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वहां हजारों नहीं लाखों मन चीनी बनती है, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। सन् '३१ से ईख संघ में मैंने काम किया है। वहां सांइटिफिक ढंग के मजदूर नहीं होते क्योंकि ईख वाले और चीनी वाले मजदूरों में बड़ा फर्क होता है। आप जो कानून बनाने जा रहे है उसमें सबका समावेश है। जो वर्कस कमेटीज काम कर रही हैं वे संतोषप्रद काम कर रही हैं। हुकूमत को अगर ऊंचे दर्जे पर आई० एन० टी० यू० सी० को ले जाना है तो पक्षपात की जो बात आती है, उस हद तक तो नहीं जिस हद तक अलाचना की गई है, क्योंकि आलोचक बहुत सी चीजों को बढ़ा-चढ़ा कर कहता है, उसे रोकने की चेष्टा करनी चाहिये। हमारे श्रम मन्त्री जी को मजदूरों की स्थिति पर संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये ताकि वह अच्छी तरह से फलते-फूलते रहें। उनके हाथ में लेबर, शिक्षा और फाइनेन्स हैं, पढ़े लिखे उच्च कोटि के आप विद्वान हैं, फिलास्फर हैं, मुझे आशा है कि आप

पक्षपात से काम नहीं करेंगे। इन चन्द अल्फाज के साथ जो विधेयक यहां रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—माननीय अध्यक्ष जी, जो विधेयक इस समय पेश है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जो खास तौर से एतराज किया गया है वह है वर्क्स कमेटियों के बारे में। जहां तक वर्क्स कमेटियों का सम्बन्ध है हमारे माननीय मन्त्री ने काफी प्रकाश डाला है। अब आवश्यकता इस बात की थी कि हम इस बात पर विचार करते कि वर्क्स कमेटियों ने क्या-क्या काम किये, उनके सामने क्या-क्या दिक्कतें आईं और उनमें किस तरह से सुधार किया जाय। इसके विरुद्ध हमारे सामने यह चीज लाई गई कि आई० एन० टी० यू० सी० को वर्क्स कमेटियां क्यों दे दी गईं उसके साथ क्यों पक्षपात किया जा रहा है और जैसा कि उनका हमेशा का कायदा है हमारे मित्र एक आध पर्चा कहीं से फटा पुराना ले आते हैं और उसको यहां पेश कर देते हैं। इसके बाद यहां पर विवाद शुरू कर देते हैं। पहिले मैं इस पर्चे की ओर हाउस का ध्यान दिलाऊंगा कि उसका क्या महत्व है। हमारे मित्र को याद होगा और अगर उनको याद नहीं है तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनको याद दिलाना चाहता हूं कि शुरू-शुरू में जब वर्क्स कमेटियां बनीं तो कुछ मिलें ऐसी थीं जिनमें आई० एन० टी० यू० सी० का कोई असर नहीं था। वहां उसकी मेम्बरशिप भी नहीं थी। खासतौर से वहां कानपुर में जो १३ मिलें हैं उनमें से एक मिल में ऐसा था। मैं स्वयं राजाराम जी से मिला और कहा कि उस मिल में मेरे मेम्बर्स नहीं हैं आप अपने नाम मुझे दे दीजिये और उनकी सलाह के अनुसार हमने मेम्बरों को रखा। जब वहां पर हमारी मेम्बरशिप ही नहीं थी तो चुनाव का सवाल ही क्या पैदा होता था। और आज राजाराम जी २ साल बाद पर्चा निकाल कर इस तरह से पेश कर रहे हैं। जहां तक कैमिकल वर्क्स का ताल्लुक है यह सच है कि उस कारखाने में हमारी मेम्बरशिप नहीं थी लेकिन चूंकि हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था थी इसलिये उससे पूछा जाना जरूरी था और लेबर कमिश्नर ने अगर जांच की और कुछ पता चलाया तो फिर हम यह कैसे कह सकते थे कि हम उन लोगों के नुमायंदा हैं, जब कि वहां हमारी मेम्बरशिप ही नहीं थी। हमने यह कई बार किया है। इसलिये मैं राजाराम जी से कहूंगा कि वह मजदूरों के बीच में इस तरीके की बातों को न लायें, जो बात सच्ची हो उसीको वह सामने लायें। मैं देखता हूं और अभी तक मेरे देश में यह तरीका रहा है कि राजनीति में सैद्धांतिक तरीके से बातचीत होती थी लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि राजनीति में भी अब वह चीज आ रही है जो व्यवसाय के अन्दर अब तक देखी जाती थी। लेकिन राजाराम जी कम से कम मजदूरों के बीच में ऐसी चीजें न लायें।

मेरे मित्र को यह मालूम है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वे कितने टाइप की हैं और एक इन्डस्ट्री के लिए एक ही तरीके के नियम लागू हैं। तब हमें इस बात की जरूरत होती है कि एक वर्क्स कमेटी में क्या एक ही प्रकार के नियम लागू करें। मान

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

लीजिए कि एक मिल ढ़ाई आना रुपया बोनस देती है और दूसर मिल ४ आना रुपया देती है तो क्या यह ठीक होगा कि हम यह कहें कि पहली मिल में ढ़ाई आना रुपया मिल रहा है इसमें भी यही मिलेगा चाहे मेजोरिटी (बहुमत) चार आने के पक्ष में क्यों न हो। इसी तरीके से और भी दूसरी चीजें हैं। मान लीजिए कि यह सवाल उठाया जाय कि वीविंग डिपार्टमेंट में एक सी मजदूरी कर दी जायं। एक मील वाला कहता है कि मैं इतनी मजदूरी नहीं दे सकता और दूसरा कहता है कि मैं इसे दे सकता हूं। मैं आपको याद दिलाऊँगा कि वर्क्स कमेटियों ने गलती की है और उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आगरा के एक मिल वाले जब वह श्रम मन्त्री जी के पास आते हैं और अपनी मिल बन्द करने को कहते हैं तो श्रम मन्त्री उसका विरोध करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम केस चलायेंगे। लेकिन वह अब यहां से गये तो उन्होंने वहां जाकर उस मामले को वर्क्स कमेटी में रखा और उसने यूनानिमस (निर्विरोध) फैसला करके यह तय किया कि इसको बन्द कर दिया जाय। नतीजा यह हुआ कि श्रम मंत्री जी के कहने के बावजूद भी उन्होंने उसके विरुद्ध किया और इस तरह से कोई भी संस्था कर सकती है। तो ऐसी हालत में सिद्धान्त की बात तो यह है कि आया एक इंडस्ट्री के लिए, एक व्यवसाय के लिए एक ही तरीके का कार्य किया जाय या एक व्यवसाय के लिए अलग अलग तरीके का कार्य किया जाय। जरूरत इस बात की थी कि इन नियमों में इन चीजों को मानकर यहां पर इन चीजों पर बहस कर ली जाती। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, इस चीज को यह हाउस तय कर सकता है कि हर इन्डस्ट्री के लिए एक ही नियम हो या हर इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग हों। लेकिन जहां तक व्यवसाय का सवाल है उनमें एकही किस्म के नियम बनाये जांय तो लाभदायक है। उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जो सब जगह बरता जाता है और दूसरा रास्ता जो हमारे श्रम मन्त्री जी ने अख्तयार किया है। हमारे श्रम मन्त्री जी जिस किसी कार्य को करते हैं उसको बिलकुल अन्तिम जगह पहुंचाकर छोड़ते हैं। कहा जाता है कि हमारे सूबे में उद्योग-धन्धों के लिए प्रजातन्त्रवाद नहीं है मगर हमारे श्रम मन्त्री जीने तो हद करदी है। जो लोग उसके सदस्य नहीं हैं और जिनका यूनियन से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो बराबर उसकी मुखालिफ़त करते हैं उनको भी वोट करने का अवसर दिया कि वह भी वोट कर सकते हैं, जिस यूनियन के साथ चाहें वे वोट करें और हम लोगों ने इस चीज को माना। सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट और आर० एस० एस० सबने मिलकर विरोध किया, लेकिन उसको नहीं माना गया। शिब्बनलाल सक्सेना ने अपनी मर्जी के मुताबिक दो आदमियों को एक हरदोई और दूसरे गोरखपुर के आदमियों को निकाल दिया तो हम यह देखते हैं कि इस तरह से अनुशासन हीनता नहीं होनी चाहिये। आई० एन० टी० यू० सी० का यह फर्ज था कि जो उन लोगों का फर्ज था और जो उन लोगों ने प्लेज लिया था उसके मुताबिक अमल करें और उनको वहां से न निकालें। इन वर्क्स कमेटी और

आई० एन० टी० यू० सी० की बाबत जो हवाला दिया गया था लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट का वह मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। यह लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट सन् १९४९ ई० का हवाला सवालों के जवाब के सिलसिले में भी दिया गया था। इसके पेज ५३ पर यह कहा गया है कि—

> "कुछ मामलों में यद्यपि मालिकों की अड़ंगेबाजी की प्रवृत्ति से कार्य में बाधा पड़ी अथवा मजदूरों के अनेक दलों में नेतृत्व के लिये परस्पर संघर्ष बाधक हुआ। एक या दो मामलों में कारखाना समिति सफलतापूर्वक इसलिये कार्य नहीं कर सकी कि भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ कांग्रेस के भिन्न-भिन्न दलों ने इन मजदूरों के मामलों में बाधा डाली, क्योंकि उनमें प्रतिनिधि प्रतिद्वन्दी दल द्वारा निर्वाचित थे।"

आप बताइये कि हमको किसने काम नहीं करने दिया। हमको काम आपने नहीं करने दिया अपनी लीडरी की वजह से। दूसरा कारण था इन वर्क्स कमेटियों का। इसमें यह दिया हुआ है कि सन् १९४९ ई० में कुल १०,१६७ मुकदमे आये जिनमें ५, ६३७ शुगर इंडस्ट्री के थे और ४, ५३० दूसरी इंडस्ट्रीज के थे। इन १०, १६७ मुकदमों में से ४,१४२ मामले तो मिल मालिकों ने मान लिये लेकिन बाकी नहीं माने। उसके बाद लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट है और राजाराम जी कहते हैं कि बाकी मुकदमे हैं उन पर गवर्नमेंट ने क्या ऐक्शन लिया। यह लोग बस यह कह देंगे कि आई० एन० टी० यू० सी० के हाथ में आपने पावर (शक्ति) दे दी है इसलिये नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि वास्तव में उस तरीके का सपोर्ट (समर्थन) गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है जिस तरीके का आप चिल्ला रहे हैं। अगर उस तरह का मिला होता तो गवर्नमेंट के जो फीगर्स (आंकड़े) हैं और राजाराम जी जो कहते हैं वह न होता।

आप एक बात और कहते हैं कि दूसरे सूबों में वर्क्स कमेटी नहीं बनीं। इसका कारण है। इसमें शक नहीं कि हमारे सूबे में ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो विकास हुआ है उसका श्रेय हमारे प्रान्त के श्रम मन्त्री जी को है और इसके दो कारण हैं। एक तो जब श्रम मंत्री जी श्रम मंत्री नहीं थे उसके पहले प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सभापति थे, और तब तक एक साल मुझे भी उनका मंत्री होने का सौभाग्य मिला था, उस समय वह बराबर कहा करते थे कि यहां ट्रेड यूनियन्स काफी मजबूत बनाई जायें और उनकी माली हालत और कानूनी हालत दोनों ठीक होनी चाहिये और उसको राजनीति से अलग रखना चाहिये। यह उस समय से बराबर उनका विचार था और जब वह श्रम मंत्री हुये तो आप इसी रिपोर्ट में देखेंगे कि यहां की यूनियनों की संख्या दूने से भी ज्यादा होगी, पहले २३७ थीं और आजकल ४५० के करीब हैं। तो एक तरफ तो जहां ट्रेड यूनियन्स की संख्या बढ़ी और उनकी हालत मजबूत और संगठित हुई वहां दूसरी तरफ एक सवाल था कि कहीं यह संगठन छिन्न-भिन्न न हो जाय और

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

कहीं जो ऊपर के नेताओं की पार्टी बाजी है यह उनको अलग न ले जाय। इसलिये एक चीज उठी और वह यह थी कि उस संस्था को ही जिसकी मेम्बरशिप ज्यादा हो मजदूरों का प्रतिनिधि माना जाय। इंटरनेशनल लेबर कांफ्रेंस हो रही है और वहां पर भी मेरे मित्र की पार्टी ने कहा था और संसार का यह नियम रहा है कि जो मेम्बरशिप होती है उसी मेम्बरशिप पर पता लगाया जाता है। हमारे श्रम मंत्री जी ने एक साहब जोशी जी थे उनको मुकर्रर किया और उनकी रिपोर्ट यह थी कि आई० एन० टी० यू० सी० की मेम्बरशिप ज्यादा है और उसी की बिना पर आपने आई० एन० टी० यू० सी० को माना था।

दूसरे सूबों की यह हालत है कि कोई भी यूनियन इतनी मेजारिटी के साथ नहीं है जितनी इस सूबे में है। आप बम्बई को ले लीजिये, अहमदाबाद को ले लीजिये। अहमदाबाद में बराबर वर्क्स कमेटियां काम कर रही हैं, प्रोडेक्शन कमेटियां काम कर रही हैं, लेकिन उन सूबों में वहां के मजदूर इतने विकसित नहीं हुए हैं जितने यू० पी० में हुये हैं। वहां दिक्कतें हैं। हमारे सूबे में भी मैं समझता हूँ कि अगर ४९ और ५१ की स्थिति होती तो मैं मानता हूं कि उस समय यह जरूरी होता कि वह किसको मानें। मैंने अपनी बजट की स्पीच में यह कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर सब इन्डस्ट्रीज में देख लेते कि किसकी मेम्बरशिप ज्यादा है। उसके बाद देश का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, यह आप देखेंगे और आपकी सरकार देखेगी।

श्री गंगासहाय चौबे—अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि सभी लोगों ने इस बात को तसलीम कर लिया कि पार्टीबन्दी और पोलीटिकल पार्टीज के कारण मजदूर आन्दोलन चौपट हो रहा है। मुझे यह भी कहते हुये हर्ष होता है कि मजदूर ने भी इस बात का अनुभव कर लिया है और समझ लिया है और इसलिये वह अपने पैरों पर खुद खड़ा हो रहा है। वह पोलीटिकल पार्टीज से सावधान हो गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में जो अनुभव हुआ, उसको देखकर और अपने देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखकर अगर हम कोई निर्णय करें तो वह ठीक होगा वरना नहीं। अभी राजाराम जी ने और साथ ही साथ अवस्थी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरह से शकर में मजदूरों में मतदान हुआ और उससे हम किसी निश्चय पर पहुंचे तो उसी तरह और भी मामलों में निर्णय कर लिया जाय कि मजदूर क्या चाहते हैं और वे किस बात को अपने लिये ठीक समझते हैं, यह मुनासिब ही होगा। अभी कहा गया कि सिर्फ किताब में मेम्बरों के आंकड़ों को लेकर इसका निश्चय किया जाय। यह बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन इसका कंट्रेडिक्शन यह है कि पोलिटिकल पार्टीज अपनी किताबें किस तरह से तैयार करती हैं और यह हम सबको पता है। अगर शकर का मतदान भी रजिस्टरों की बिना पर होता तो मुझे यकीन है कि रजिस्टरों

के मेम्बरों की तादाद मजदूरों की तादाद से अगर सब मिला लिये जाते तो दुगने से कम नहीं होती। इसलिये जरूरी यह है कि इंटरनेशनल में तो यह नहीं हो सकता है कि वहां से आकर वे इस तरह से मतदान करावें लेकिन सही वाकयात के जानने के लिये सिर्फ रजिस्टर को आधार मान लेना ठीक नहीं होगा।

अब एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान और ले जाना चाहता हूँ। जब हमारे मुल्क में स्वराज्य आया, मजदूर में भी यह आकांक्षा हुई कि उनकी हालत सुधरेगी। राष्ट्र की आवश्यकता भी थी और सन् ४६ और ४७ की जो धूमधाम और हड़तालें हुईं उनको लेकर के ट्रूस हुई और उसके परिणामस्वरूप वर्क्स कमेटियां और दूसरी कमेटियां बनीं। मजदूर ने यह साबित कर दिया कि उसने प्रोडेक्शन बढ़ाया। यह बात सरकारी रिपोर्टों से ही साबित होती है। मुझे उसके लिये दलील देने की जरूरत नहीं है। परन्तु अब मजदूर देख रहा है कि इसकी सजा उसको यह मिली कि आज हजारों की तादाद में वह बेकार पड़ा है यानी करीब आधे मजदूर बेकार पड़े हुये हैं। कहा जाता है कि व्यापार की असुविधायें है। हो सकता है कि कुछ असुविधायें हों लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि मिल मालिकों ने उसे अपने चंगुल में फांस लिया है। कंट्रोलों के कारण ब्लैकमार्केट से ज्यादा मुनाफा कमाने का चसका मिल मालिक की दाढ़ को लग गया है और वह उसे किसी तरह से भी छोड़ने को तैयार नहीं है। कम्पटीशन के तरीके में तो यह था कि उत्पादन बढ़ायें और मुनाफा कम लें, लेकिन आज तो हालत यह है कि जितना उत्पादन बढ़ता है उतना ही ब्लैकमार्केट और मुनाफा भी बढ़ता है। इस तरह इस आर्थिक नीति के परिवर्तन से सारे व्यापार का ढांचा ही बदल गया है। मैं आपसे इसलिये निवेदन करता हूं कि इस आर्थिक परिवर्तन को ठीक रास्ते पर लाने के लिये आप ठीक तरह से यत्न करें। वर्क्स कमेटी के सम्बन्ध में सब लोगों ने कुछ कहा। मैं भी यह कहता हूं कि दो वर्ष में इस बात का तजुर्बा आपको हो गया होगा कि जिस तरह से जो इत्तिलायें आपके पास गयीं, जब वक्त आया तब वह इत्तिलायें गलत साबित हुईं। यह हमको मालूम है कि सरकार को जो जो इत्तिलायें दी गयीं वे इत्तिलायें सही नहीं निकलीं। शुगर के मामले की बात अभी अवस्थी जी ने कही और मुझे भी मालूम था कि ९५ फीसदी वोट आई० एन० टी० यू० सी० को मिलेंगे लेकिन नतीजा उसका उलटा हुआ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इत्तिलायें आपको मिलती हैं आप उन इत्तिलाओं पर और उन इत्तिला देने वालों पर समझ बूझ कर यकीन करें।

एक सदस्य—आप भी तो इत्तिला देते हैं।

श्री गंगा सहाय चौबे—मैं इत्तिला नहीं देता हूं और मेरी इत्तिला मानी भी नहीं जाती है। इत्तिला देने का काम आप के जिम्मे है, इसलिये आप उसको ठीक से दीजिये। खैर, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ हुआ उसमें एक जगह आपके प्रबन्ध में बड़ी कमी है। मैं इसकी शिकायत नहीं करता कि मैं

[श्री गंगा सहाय चौबे]

आई० एन० टी० यू० सी० से निकाला गया। मैंने कानून तोड़ा था और निकाल देना उनका फर्ज था और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं भी अपने फर्ज को पूरा करूंगा खैर फर्ज की बात मैं इस वक्त यहां नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जुलाई के महीने में मैंने आपसे यह कहा था कि जिस तरह से इन्डस्ट्रीज का सिलसिला चल रहा है उसमें जो संकट आयेगा उससे मजदूर तबाह हो जायंगे और उसके बाद मैंने कहा था कि उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा और मैंने प्रयत्न किया। जब मैंने मुकदमा दायर किया तो मैं बार बार यह कहता रहा कि यह मुकदमा सारे कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से है और इस मुकदमे के होते हुये अलग अलग समझौता नहीं होना चाहिये लेकिन उसके बावजूद हमारे पीछे जो समझौता हुआ उससे सब किया कराया चौपट होगया इसके आलावा ८ महीने बाद लेबर डिपार्टमेंट इस निर्णय पर पहुंचा कि वह मुकदमा उसके अधिकार के बाहर था। उन ८ महीने में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आगयीं और मजदूर तबाह हो गये। इस तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके अधिकारियों को यह मालूम होना चाहिये कि जल्दी से इन बातों को वह जान लिया करें। अगर कोई बात उनकी समझ में न आये तो उसे पूछ लिया करें। हमको यह बतलाया गया है कि अब लेबर के प्रतिनिधि यूनियन्स की तरफ से नहीं होते हैं, बल्कि लेबर कमिश्नर उनको रखते हैं। मेरा निवेदन यह है कि अगर यूनियन की जगह पर लेबर कमिश्नर ऐसा करते हैं तो यह नीति मुझे ठीक नहीं लगती है और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। इस तरह इन बातों में परिवर्तन होना चाहिये। तो आपको नये तजुर्बा से यह बात मालूम हुई कि आपको शुगर के मामले में जो इंफारमेशन थी वह करेक्ट नहीं थी और मजदूरों को भी यह बात मालूम हुई कि वर्क्स कमेटीज में ठीक काम करने के नतीजे में उनको बेकारी मिली और वह भी इससे नाराज हैं और असंतुष्ट हैं। आप यह अधिकार ले रहे हैं कि अगर ५१ फीसदी शेयर होल्डर कहें कि प्रबन्ध ठीक नहीं है तो आप प्रबन्ध हाथ में ले लेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, मुमकिन है कि गलत हो, कि मिल मालिक इस तरह का षड्यंत्र कर लेंगे कि ५१ फीसदी कभी लिख कर नहीं देंगे, लेकिन अगर मजदूर भी लिख कर देते हैं तो उसकी कहीं सुनवाई होगी या नहीं, इस बात का हमको अभी तक पता नहीं लगा है। मुझे मालूम है कि कानपुर में जो मिलें बन्द हुई रुई न होने के कारण, उनमें बहुत सी गांठें रुई की पड़ी हुई थीं लेकिन मुश्किल यह थी कि लेबर कमिश्नर के अधिकार में ही यह नहीं था कि वह वहां जांय और मैं यह चाहता हूँ कि मजदूरों के अधिकार बढ़ने चाहिये। अगर मजदूरों की कोई संस्था आप से कुछ अधिकारपूर्ण ढंग से करने के लिये कहे तो आप वैसा कीजिये। अगर उसकी बात गलत साबित हो तो उसको आप सजा दे सकते हैं। लेकिन उसको भी तो अधिकार होना चाहिये कि इंडस्ट्री की बहबूदी और

इंडस्ट्री के साथ-साथ अपनी रोटी के सवाल में उसको भी कुछ कहने का दखल मैं चाहता हूँ कि यह अधिकार आपको हाथ में लेना चाहिये और यह आप लें। उसीके साथ साथ मैं यह चाहूंगा कि एक अधिकार आप और लें और वह अधिकार उनको भी दिलाने की कृपा करें। वह यह है कि अगर मजदूर और मजदूर के साथ में कंज्यूमर देखते हैं कि कारखानों के अन्दर मिसमेनेजमेंट है और यह खुद कारखाने को चलाने को तैयार हो जाय तो आप उनको वह कारखाना दिलादें। कोई मुजायका नहीं कि वह फेल हों। आप उनको यह तजुर्बा करने दीजिये। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा। जैसा अभी सब लोग कहते हैं कि मजदूरों को जिम्मेदारी की बातों में अधिकार नहीं मिलना चाहिये, मैं इसे नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि स्वराज्य मिलने पर अगर हमको ठीक काम करने का अधिकार मिल गया है तो गलत काम करने का भी अधिकार मिल गया है और गलती करके अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मजदूर को भी अनुभव हो गया है। वह अपने राष्ट्र और समाज की आवश्यकताओं को समझता है, अपनी आवश्यकताओं को भी समझता है और उसका अधिक से अधिक सामजस्य करने को भी तैयार हो सकता है। जिन मजदूरों के सम्पर्क में आने का मुझे साबका पड़ा है मैं जानता हूं कि इन बातों को वह भी अनुभव करते हैं, लेकिन अगर आप उनको कुछ अधिकार काम के नहीं देंगे तो उनकी समझ कुंठित हो जायगी और उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इस वास्ते मजदूरों को भी आप अधिकार दें कि वह भी इस तरह से कार्य करें। अब सिर्फ एक बात रह गयी, वह आई० एन० टी० यू० सी० का और हमारा झगड़ा। उसकी बात करने में मैं अधिक टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर उसकी हालत यही रही कि आर्थिक उन्नति में उसे अपने पांव पर खड़ी नहीं होने दिया गया, दूसरी पार्टी या सरकार या कोई और उसकी मदद करता रहा तो वह बच्चा ही रहेगी, वह अपने पांव पर नहीं खड़ी हो पायेगी और यह हालत उस चीज का परिणाम है कि उसको अपने पांव खड़ा नहीं होने दिया जाता और इसकी वजह से वह इस दशा में पहुंच गई कि वह अब अपने पांव पर खड़े होने को तैयार भी नहीं, इसलिए इस नीति को पलटना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने एक स्टेटमेंट आपका देखा, वह आपका नहीं बल्कि आपके डिपार्टमेंट की ओर से निकाला गया था। उसमें आई० एन० टी० यू० सी० का इशारा किया गया था कि वह किस तरह से डील करे। वह बात मुझे ऐसी लगी कि न वह गवर्नमेंट के क्रेडिट में थी न मजदूर के और न आई० एन० टी० यू० सी० के क्रेडिट में थी, सबके डिस्क्रेडिट में थी। इस तरह के अगर आपकी तरफ से निर्देश निकलेंगे और इशारे होंगे तो उसमें आप कुछ ज्यादा नामवरी हासिल करेंगे, ऐसा ख्याल मेरा नहीं है। अगर आप ऐसा करें भी तो उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी आ जायगी और उससे न आप बचेंगे और न आई० एन० टी० यू० सी० ही बचेगी। उसमें सब से बड़ा जो आई० एन० टी०

[श्री गंगा सहाय चौबे]

यू० सी० का नुक्सान होगा वह यह होगा कि सरकार की ओर से कोई डिक्लेयर्ड (घोषित) नीति नहीं कि आई० एन० टी० यू० सी० से सरकार का कोई वास्ता है, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वह चीज़ गलत है। तो इस तरह से मेरा यह निवेदन है और इस निवेदन के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो वर्क्स कमेटियां आप बनाएंगे, प्रोटेक्शन कमेटियां बनायेंगे और जितनी कमेटियां बनायेंगे उनमें इस बात का ध्यान रक्खें कि जो मजदूर ठीक से इस राष्ट्रीय नीति को मानते हैं और उसमें आपका साथ देते हैं तो उनको आई० एन० टी० यू० सी० के साथ ही नहीं जोड़ा जायगा, नहीं तो उसका परिणाम ठीक न होगा। जब मजदूर को ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी और सरकार के द्वारा वह शोषित है, तो महज़ इसी ख्याल से उनमें रिवोल्ट (राजद्रोह) की भावना पैदा हो रही है।

तो मैं यह चाहूँगा कि समाधान के लिये हमको आपको, आई० एन० टी० यू० सी० सब को सजग हो कर आगे बढ़ना है उसको ठीक नतीजे पर पहुंचाना है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि मजदूर सब परिस्थितियों को समझने लगे हैं। उन्होंने इस तरीके की पार्टियां बनाई हैं कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से डामिनेट (अधिकृत) न होंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि शुरू में मैंने जो कुछ कहा उसको सुनने के बाद श्री राजाराम शास्त्री अपने संशोधन को पेश ही न करेंगे। मैंने यह कहा कि वर्क्स कमेटियों का निर्माण किस प्रकार किया जाय इसके सम्बन्ध में कई रायें हैं। आज हमारे यहां वर्क्स कमेटियां एक प्रकार से बनी हुई हैं। यह हो सकता है कि आगे चलकर हम वर्क्स कमेटियों का निर्माण किसी दूसरे तरीके पर करें। इस लिये इसी वास्ते इतना ही लिखा गया है कि हम वर्क्स कमेटियों के निर्माण करने का अधिकार चाहते हैं। किस प्रकार निर्माण होगा यह जैसा अनुभव और परिस्थिति बतलायेगी उस प्रकार होगा।

आई एन टी० यू० सी० का प्रश्न भी उठाया गया। मेरी समझ में वह अप्रासंगिक है। इसलिये मैं सदन का समय उस शास्त्रार्थ में पड़ कर नहीं लेना चाहता हूँ। आज हमारे यहां उद्योग के सम्बन्ध में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। बहुत सी बेरोजगारी का प्रश्न पैदा हो गया है जो कि स्वयं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका सम्बन्ध केवल इस प्रदेश से नहीं वरन सारे देश से है। कुछ न कुछ उस रोग का उपचार हम अपने यहां कर सकते हैं और करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन जो सार्वदेशिक रोग है उसका उपचार भी सार्वदेशिक, आल इंडिया बेसिक पर ही निकालना होगा, इसलिये इस प्रश्न के विषय में भी मैं विचार नहीं करूंगा।

एक बात मैं राजाराम जी से कहूँगा। श्री राम कुमार शास्त्री ने जिन बातों को कहा उनको उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। हो सकता है कि सरकार ने अपने कानून से मजदूरों का थोड़ा बहुत अहित कर दिया हो। परन्तु इस समय जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ लोगों का हाथ है जो कि अपने किसी न किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिये मजदूरों को एक्स्प्लायट (लूटना) करना चाहते हैं। नहीं तो अगर गवर्नमेंट बुरा करना भी चाहती तो नहीं कर सकती। और मजदूर आन्दोलन की आज जो हालत है उससे कहीं आगे बढ़ा होता।

वर्कर्स कमेटी की बात मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात कहूँगा, आज से कुछ दिन पहले तो सिवा राजाराम शास्त्री जी के जितने लोग इस सदन में हैं जो मजदूरों के सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं वे सब लोग वर्क्स कमेटियों के बनाने के समर्थक रहे हैं। चौबे जी भी रहे हैं। उनके जो व्याख्यान इस सदन में हुए हैं उनमें उन्होंने समर्थन किया है। परन्तु मैं कहूंगा कि वर्कर्स कमेटियों ने कई हजार मुकदमे किये। हो सकता है कि उनसे कहीं गलती भी हुई हो। लेकिन श्री राजाराम शास्त्री को यह कहने का अधिकार हो कि वे लोग जो सोशलिस्ट पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते वे सारे के सारे मजदूर बेईमान हैं। मैं तो हिन्दू हूँ हिन्दू और छोटी बड़ी सभी मूर्तियों के सामने सिर झुकाता हूँ। मेरे लिये सभी मजदूर भले हैं, जो पांच छः हजार मुकदमे हुए मैं तो समझता हूं कि एक आध को छोड़ कर सारे फैसले मजदूरों के हक में ही हुये होंगे, क्योंकि मजदूरों के ही वे सदस्य हैं। मजदूर होने के नाते उनके फैसले मजदूरों के हक में ही होंगे।

शक्कर मिलों में जो सेंसस हुआ उसका भी जिक्र किया गया। अभी तक हमारे पास यह मानने के पुष्ट कारण थे कि आई० एन० टी० यू० सी० का प्रतिनिधित्व सब से अधिक था।

कुछ लोगों का कहना था कि यह ख्याल गलत है कि आई० एन० टी० यू० सी० रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने इस बात को चैलेंज किया था और हमने इस बात को स्वीकार किया कि हमें इस मामले से कोई मतलब नहीं, हमारे जो प्रमाण थे उनके आधार पर उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी और अब किस की संख्या सबसे अधिक है यह मालूम हो जाने पर हम उसको मान्यता देने को तैयार हैं। इसके लिये गिनती की गई। गिनती करने के बाद जो आई० एन० टी० यू० सी० वाली संस्था थी वह हार गई और हमने फौरन इस बात की घोषणा की कि जो मान्यता हमने उस वक्त तक उन लोगों को दी थी वह उन लोगों को दे देंगे जो जीतने वाले हैं। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि जो हारने वाले हैं उनका पता तो है, लेकिन जो जीतने वाले हैं उनका पता नहीं है, यद्यपि जो जीते हैं हम उनको बिल्कुल सब अधिकार देने के लिये तैयार हैं। हमने वर्कर्स कमेटी निर्माण का जो तरीका रखा था वह अगर ठीक नहीं है तो जो जीते हैं उनसे सलाह करके कोई और तरीका रखते। हरदोई में कांफ्रेन्स हुई। सब कुछ संयुक्त रूप से फैसला हुआ। लेकिन मुश्किल यह है कि सेक्रेटरियों में

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हमें नाम बतलाये गये एक शिब्बनलाल जी सक्सेना और एक बृज किशोर शास्त्री। फिर शिब्बनलाल जी ने बृजकिशोर शास्त्री को निकाल बाहर कर दिया। कहां से निकाला और कहां से नहीं निकाला यह कुछ पता नहीं। दूसरी कान्फ्रेन्स में श्री बृजकिशोर शास्त्री ने श्री शिब्बनलाल सक्सेना को निकाल दिया। जो हरदोई में कान्फ्रेन्स हुई उसको कहा जाता है कि सम्मिलित कान्फ्रेंस हुई। शिब्बनलाल जी ने लिखा कि अमुक सज्जन उस कान्फ्रेन्स के सभापति थे। दूसरे सज्जन की तरफ से दूसरा नाम आया। कि साहब उनके सभापतित्व में कान्फ्रेन्स हुई। हमारे पास भी समझिये पुलिस से सी० आई० डी० से कोई न कोई सूचना तो है। लेकिन उस बात को छोड़ दीजिये अब जो दो दल बन गये तो हम किससे सलाह लें और किससे न लें। सवाल सिर्फ वर्क्स कमेटी के निर्माण करने का है। जो भी तरीका उचित समझा जायगा उस तरीके से वर्क्स कमेटी का निर्माण किया जायगा। हम तो खाली वर्क्स कमेटी का निर्माण चाहते हैं। मैं राजाराम जी से कहना चाहता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और यदि नहीं लेते तो मैं आशा करता हूं कि सदन उनके संशोधन को अस्वीकार कर देगा।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी संशोधन का सवाल नहीं आया। अभी तो जनरल डिस्कशन (साधारण वादविवाद) हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष—मुझे ऐसा लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ भ्रम हुआ है। अभी संशोधन उपस्थित नहीं है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो उसको जाने दीजिये।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के (संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन में पत्र प्रतिनिधियों का सदस्यों के पास जा कर बातें करना

माननीय अध्यक्ष—मेरे पास समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों की ओर से एक सूचना आई है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति सदस्यों की किसी जगह पर नहीं बैठा था। जब मैंने इसकी चर्चा थोड़ी देर हुई की थी तो मुझे भ्रम हो गया था। उनका कहना ठीक है। मुझे अभी अपने सचिव से मालूम हुआ कि वह पत्र प्रतिनिधि जो बातें करने के लिए एक सदस्य के पास गए थे वह सदस्यों की जगह पर नहीं बैठे थे किन्तु दो कुर्सियों के बीच में जो जगह है उसमें बैठे थे। इस सदन के पत्र प्रतिनिधियों को अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कितनी बार माननीय सदस्यों को और सरकारी अधिकारियों को, जब वे दूसरे की मेजों पर जाकर खड़े होकर बातें करते हैं, रोका है। किसी पत्र प्रतिनिधि का किसी सदस्य के पास जाकर और सामने खड़े होकर या दो कुर्सियों के बीच बैठ कर बातें करना अनुचित है। मैं चाहता हूं कि हमारे पत्र प्रतिनिधि समझें कि

मैं उनके प्रति कोई विशेष कड़ाई का व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मेरा तात्पर्य केवल यही था कि जो नियंत्रण इस सदन में मैं दूसरे के लिए रखता हूँ वह उनके ऊपर भी लागू होता है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो अभी कहा उसके तथ्य की ओर वे ध्यान देंगे और नियंत्रण रखने के कार्य में सहायक होंगे।

सन् १६५० ई० का उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) विधेयक

माननीय अध्यक्ष—अब जो सन्शोधन आये हैं उनको मैं लेता हूं।

धारा २

२—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १६४७ ई० की (जो आगे चल कर मूल अधिनियम कहलायेगा) धारा ३ में खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (गग) रखा जाय — यू० पी० ऐक्ट, २८, १६४७ का धारा ३ का संशोधन

"(गग) मालिक और मजदूरों के बीच में सौहार्द और अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने और औद्योगिक झगड़ों को समझौते द्वारा तय करने के लिये मालिक तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों की समिति नियुक्त करने के लिये और उत्पादन, संगठन, कल्याण और निपुणता से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर परामर्श करने और सलाह देने के लिये।"

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन का मैं प्रस्ताव करता हूँ वह इस तरह से है —

'धारा २ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित खन्ड (गग) की पंक्ति ३ में "मजदूरों के" तथा "प्रतिनिधियोंके" बीच में शब्द "चुने हुये" जोड दिये जायं।'

इस सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है और मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो बातें अभी हाउस के सामने पेश की थीं कि मैं क्यों चुनाव के तरीके को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, उसका मतलब, मुझे अफसोस है यह लगाया गया कि मैं हाउस के सामने खड़े होकर तो माननीय मन्त्री जी का विरोध करता हूँ और अकेले में जा करके उनके पास बैठ जाने की धृष्टता करता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं कुछ ज्यादा न कह करके इतना ही कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी के सम्बन्ध में मेरे अन्दर जितनी श्रद्धा और भक्ति है उतनी दूसरे के अन्दर नहीं हो सकती। बचपन में मैंने उनसे शिक्षा पाई है और उनके प्रति मेरे अन्दर श्रद्धा है। जहां पर सिद्धांत का सवाल होता है, जहां मैं मजदूरों का हित समझता हूँ, जहां सिद्धांत की बात आती है वहां पर मैं इस हाउस में एक मजदूर के प्रतिनिधि की हैसियत से अड़ना चाहता हूं, लेकिन जहां तक हाउस के बाहर का ताल

[श्री राजाराम शास्त्री]
मेरे लिये मान्य हैं इतनी बहस हुई मुझे बड़ा अफसोस है कि बहस इधर से उध चली गई लेकिन जहां तक उसूली चीज का ताल्लुक है अवस्थी जी ने काफी स्पीच की लेकिन इस सम्बन्ध में विचार जाहिर नहीं किये कि मैं जो तरीका बतला रहा हूं कि जहां पर मजदूरों के प्रतिनिधित्व का सवाल आये वहां पर चुनाव का तरीका सर्व श्रेष्ठ है। यह कहा गया कि इसमें क्या है। यह तो माननीय मन्त्री जी का सिद्धान्त था उन्होंने उसके मुताबिक कार्य समितियां बना दीं इसमें कोई खास बात नहीं है।

(इस समय ६ बजकर ४० मिनट पर माननीय अध्यक्ष के उठ जाने पर उपाध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

दूसरी खास बात यह कही कि एक व्यवसाय के अन्दर एक से ही कानून लागू होने चाहिये। इसलिये एक ही यूनियन जब फैसला करेगी तो सारे कारखानों में एक क़ायदे कानून बनेंगे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि एक व्यवसाय के अन्दर एक ही तरह के कायदे क़ानून बनने चाहिये। अब सवाल यह उठता है कि वह यूनियन जो कारखानों के मालिकों से या सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करेगी जिससे एक से कायदे कानून बनाने में मदद मिले वह यूनियन कौन सी हो। जैसा कि अवस्थी जी ने कहा मैं उनकी हर बात को मानने के लिये तैयार हूं अगर आप यह समझते हैं कि यूनियन को ही फैसला करने का राइट हो तो केवल उसीको हो जिसके सम्बन्ध में मतगणना हो गई हो कि उस पर मजदूरों का विश्वास है या नहीं। जिस काबलियत के साथ माननीय सदस्य श्री चौबे जी ने कहा कि अगर आप केवल रजिस्टर को देखकर ही फैसला करेंगे कि कौन सी यूनियन प्रभावशाली या मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधित्व रखती है तो मजदूर आंदोलन में बोगस मेम्बरशिप बढ़ जायगी और लोग जालसाजी करने लगेंगे। मैंने बहुत दिनों से मजदूर आंदोलन में काम किया है और कम्यूनिस्ट जीवन से भी मेरा सम्बन्ध रहा है और मुझे तजुर्बा है और मुझे अनुभव हो रहा है इस बात का कि मजदूर नेता खासतौर से माहिर होते हैं कि एक दिन में या एक रात में एक नया यूनियन बना दें और उसके एक हजार मेम्बर बना लें और कारखाने के फाटक तक न जायें। अवस्थी जी की क्या दलील है कि रजिस्टर के मुताबिक ही कोई संस्था प्रतिनिधित्व संस्था बनेगी। श्री चौबे जी ने कहा कि अगर शुगर इंडस्ट्रीज के सिलसिले में रजिस्टर ही देखे जाते तो आई० एन० टी० यू० सी० ही सबसे बड़ी संस्था मानी जाती लेकिन मजदूरों ने तय कर दिया। ऐसा ही और भी संस्थाओं में हो सकता है। नतीजा क्या होगा जब आप यह करेंगे तो हर यूनियन अपने अपने मेम्बरों की तादाद बढ़ाने की कोशिश करेगी और असली मजदूर आंदोलन पीछे रह जायेगा और बोगस मेम्बरयज्दा पर्शा हो जायगी। मैं तो यहां तक जाने के लिये तैयार हूं कि अगर किसी संस्था की शक्ति देखना हो तो उसका रजिस्टर न देखिये बल्कि यह देखिये कि उसने मजदूरों के लिये कितनी कुरबानी और तपस्या की है। इससे उसकी शक्ति पहचानी

जा सकती है। जैसा कि अवस्थी जी ने कहा, उसके मुताबिक अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की आबादी के लिहाज से मेम्बरशिप देखी जाती तो वह कोई बड़ी भारी नहीं थी जिसने सरकार को चुनौती दी थी और कांग्रेस की आवाज सारे देश की आवाज थी। जब कांग्रेस किसी कार्य को लेकर निकलती थी तो कोई संस्था उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी बल्कि उसने विदेशी हुकूमत तक को झुका दिया था लेकिन उसके रजिस्टर में मेम्बरशिप बहुत कम थी। क्या यह नहीं हो सकता कि किसी संस्था के मेम्बर्स बहुत कम हों लेकिन वह रोटी की लड़ाई लड़ती हो और मजदूरों के लिये कुरबानी करती हो। इसलिये जब यह मसला पेश हो और प्रतिनिधित्व का सवाल आये तो उस मौके पर यह उसूल मान लें कि जिस संस्था की मेम्बरशिप ज्यादा होगी उसको मानेंगे तो यह गलत हो सकता है और धोखा हो सकता है।

अगर आप यह चाहते हैं कि यूनियन को अधिकार दिया जाए कि वे वर्क्स कमेटी के प्रतिनिधियों को चुने तो मैं यह कहता हूं कि मतगणना कराइये। अगर चार यूनियन्स हैं और सवाल उठता है कि वर्क्स कमेटी को चुनना है तो सारी इंडस्ट्री में मतगणना कराइये। चारों के अलग अलग बाक्स रखिये और मजदूरों से पूछिये कि किस संस्था पर तुम्हारा विश्वास है। जिस वक्त मजदूरों के सामने हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी, हमको वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा और कहेंगे कि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तब वह चुनाव इस बात का सबूत होगा कि उनके प्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया है या नहीं। अगर आप यह समझते हैं कि यूनियन को हम यह राइट नहीं दे सकते तो दूसरा तरीका यह है कि हर कारखाने में आप मजदूरों में आम चुनाव कराइये, कौन से सात नुमाइंदे हैं जिनको मजदूर जमात चुनना चाहती है यहां सवाल आई० एन० टी० यू० सी० या हिन्द मजदूर सभा का सवाल नहीं है। आई० एन० टी० यू० सी० इस बात को मानती है जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि जिसके रजिस्टर पर ज्यादा मेम्बर्स हों उसे मान लेना चाहिए, उसी तरह से हम सोशलिस्ट, यही मुनासिब समझते हैं कि इसे मजदूरों पर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि हमारी हुकूमत ने वर्क्स कमेटीज बनाने का जो तरीका अख्तियार किया है उसे मैं गलत समझा हूं। मैं कोई सरकार को बदनाम नहीं करता, न कोई आक्षेप ही करता हूं जैसा कि रामकुमार शास्त्री जी ने कहा कि हमें न सरकार की फिक्र है, न मजदूर आन्दोलन की। हमें तो केवल हुकूमत को क्रिटिसाइज (आलोचना) करना है। ऐसी बात नहीं है। सवाल वसूल का है। आई० एन० टी० यू० सी० और सरकार एक तरफ खड़े हैं, हमारे जैसे लोग दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। यहां बहस इस उसूल की है क्या वजह है कि आप चुनाव को नहीं मानते। अवस्थी जी ने सारी किताब पेश कीं लेकिन यह दलील कहीं नहीं दी कि चुनाव से क्यों घबड़ाते हैं। आप चुनाव करके प्रतिनिधि बन कर यहां बैठे हैं, आप डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं तो मजदूर आन्दोलन में आप डेमोक्रेसी को मानने से क्यों

[श्री राजाराम शास्त्री]

इन्कार करते हैं। चुनाव का तरीका गलत है या सही इसे आप बताइये। गलत है तो क्यों गलत है। सही है तो उसे आप क्यों नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मजदूर तहरीक में काम करने वालों को क्या क्या मुसीबत उठानी पड़ती है। जाने क्यों हुकूमत को यह अक्ल नहीं आई कि गांव में ग्राम पंचायतें बनाते वक्त यह कानून बना देती कि जिसकी सबसे ज्यादा मेम्बरशिप है उसी संस्था के लोग गांव पंचायत बनाएंगे। उसका क्या नतीजा होता वह आप के सामने आता। हर कांग्रेसी कहता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं, मुझे बनाया जाए। हजार हमारे कहने पर हमारे श्रम मन्त्री जी को यह बात समझ में नहीं आती, वह मानने को तैयार भी नहीं कि यह कैसे हो सकता है कोई आदमी वर्क्स कमेटीज की गद्दी पर बैठे तो जो दूसरी पार्टी मजदूरों में काम करती है उसके लिए सद्भावना न हो, उनके दिल में बदला लेने की भावना हो। वह ऊंची जगह पर बैठते हैं, वह ऐसी बातें नहीं करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में यह बात नही आती कि इतनी छोटी बात हो सकती है। अगर ऐसी बात न होती तो उनके कई बार कहने पर मैं हर्गिज इस बात को न दोहराता। लेकिन हम लोग जो सोशलिस्ट पार्टी की मजदूर तहरीक में काम करते हैं और बहुत कुछ अनुभव हमें दलबन्दी का है कि जब राजनीतिक दलबन्दी की लड़ाई होती है तो बड़े से बड़े लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया में छोटी से छोटी बात को करने से नहीं हिचकते। अपने विरोधियों को कुचलने के लिए तो आप एक बड़े से बड़े नेता से लेकर नीचे तक चले जाइये, अकेले में बैठ कर बात कीजिये तो आपको इस बात का अनुभव होगा। आप विचारेंगे कि जब यह दशा डिमोक्रेसी की है तो उससे देश का क्या भला होगा। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जब बड़े से बड़े नेता भी इस कदर नीचे गिर सकते हैं तो वह मिल का मजदूर जो कारखाने में काम करता है, पढ़ा लिखा नहीं है वह समझता है कि वह एक गद्दी पर बिठा दिया गया है और वहां मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का उसको राइट मिला हुआ है और जब भी यह मसला पेश होगा कि फलां मजदूर को निकाल दिया जाय या फलां को न निकाला जाय और सबसे कमाल की बात यह है कि जो वर्क्स कमेटी फैसला कर दे कि निकाल दिया जाय तो उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो सकती। अब जरूर उसमें कुछ संशोधन हुआ है। एक ओर तो कांग्रेस के मजदूर हैं और दूसरी तरफ सोशलिस्ट मजदूर हैं। सोशलिस्ट मजदूर को निकाल दिया जाय ऐसा वर्क्स कमेटी तय कर देती है और वह इस वजह से कि दूसरी पार्टी मजबूत हो जाय, शक्तिशाली हो जाय। अब इस गद्दी पर बैठने वाले की कोई आलोचना नहीं हो सकती। उसको वहां से हटा दे ऐसी भी कोई ताकत नहीं है। जिस व्यक्ति को हमने आपने चुना नहीं है बल्कि उसको यूनियन की तरफ से बैठा दिया गया है इसलिये ही मैं यह कहता हूँ कि आप यह कर दीजिये कि एक साल या दो साल के बाद चुनाव आयेगा और जो चुना जायगा वहां वह आ सकेगा तब वहां गद्दी पर बैठने वाला मजदूर अच्छा काम करेगा। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो मजदूर नेता वहां काम करता

है, वह ठीक ही करता है। हम यह नहीं कहते कि वर्क्स कमेटी में बैठने वाला आदमी गलत है, हमने यह कभी भी दावा नहीं किया कि सारी सच्चाई के ठेकेदार हम ही हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि अगर किसी के अन्दर गलत किस्म की भावना पैदा हो गई और उसने गलत ढंग से शक्ति का इस्तेमाल किया तो बुराई पैदा हो जायेगी उसको कैसे दूर किया जायेगा। हो सकता है उसमें कुछ दिनों के बाद बुराई आ जाय और हमारा अकीदा है कि आप जिस तरीके से इसको रख रहे हैं उसमें बुराई है। इसलिये जहां आपने रखा है "मजदूर प्रतिनिधि" हमने उनकी जगह "चुने हुये मजदूर प्रतिनिधि" रख दिया है। मुझे तो यकीन है कि अगर माननीय मन्त्री जी या यू० पी० सरकार ने अपनी एक पालिसी न बना ली होती तो ऐसी बात नहीं आ सकती थी, क्योंकि जो पार्टी जीवन भर डेमोक्रेसी के लिये लड़ती रही और आज भी उसके लिये स्टैंड करती है और उसका सारा निर्माण भी इसी आधार पर किया जा रहा है और मेरा दिल तो यह कहता है कि हमारे श्रम मन्त्री समाजवादी विचारधारा के एक ईमानदार डेमोक्रेट हैं वे कभी भी चुनी हुई बात को मानने से इन्कार नहीं करते। जो नीति उन्होंने रखी है उसके द्वारा आइ० एन० टी० यू० सी० काफी फली फूली है। उन्होंने कहा कि अभी तक फैसले अच्छे हुये हैं, मैं फिर आपसे एक उसूली सवाल उठाता हूँ कि मैं अच्छे शासन को स्वशासन से अच्छा मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। मान लिया कि आपकी हुकूमत अच्छी है, मान लिया कि आपकी हुकूमत ने अच्छा काम किया और आपने वर्क्स कमेटियों में जो लोग रक्खे, उन्होंने भी अच्छे फैसले दिये, तो इससे हजार गुना ज्यादा मैं इस बात को पसन्द करूँगा कि चुने हुये नुमाइन्दे बैठाये जायें और गलत फैसले करें। इसमें मैं कोई हर्ज की बात नहीं समझता।

मजदूर गलती करेगा और गलत काम करेगा लेकिन इससे वह सीखेंगे। A good Government can never be a scubstitute for self Government. (कोई अच्छी सरकार भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती)। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इस उसूल को जब मैं इंडस्ट्रियल डिमोक्रेसी की बात करता हूं तो कानून के अन्दर लाना जरूरी है ताकि मजदूर अपना प्रतिनिधि चुन सकें। मैं दावे से कहता हूं कि मजदूर गलत काम कर सकता है, लेकिन जो शक्ति आज काम कर रही है वह उससे अच्छा काम करेगी। इसलिये मैं उन तमाम बातों में न जाता हुआ जो इसके सम्बन्ध में कही गई हैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ। यहां पर इस संशोधन से हमारी मन्शा यह है कि इस उसूल के लिये हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ और बातें इस सम्बन्ध में कही गई हैं कि हिन्दुस्तान में मजदूर आन्दोलन चौपट होता जाता है और हमारे माननीय सदस्यों ने भी इसके ऊपर काफी जोर दिया। श्रम मन्त्री जी ने कहा कि हमको रामकुमार जी की बातों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं आपसे कहता हूं कि आज यह समझ बैठना कि हिन्दुस्तान में

[श्री राजाराम शास्त्री]

मजदूरों की तहरीक चौपट हो रही है क्योंकि यहां पर राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ती हैं, यह पूर्ण सत्य नहीं है। उस तरफ के बैठने वालों में बहुत से लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी की रट लगाई, किसानों का राज्य और मजदूरों के राज्य का नारा लगाया, लेकिन आप जानते हैं कि उससे हिन्दुस्तान में कितनी अशान्ति मची और कितनी गड़बड़ी पैदा हुई, लेकिन उससे कामयाबी हासिल हुई और उसका सारा श्रेय कांग्रेस को है। मज़दूरों के आन्दोलन को हमेशा प्रगति हासिल हुई है और उसने काम करके दिखाया है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी मालिक के पास किसी मज़दूर को भेजते हैं जो उसको नौकरी देता है और जिसके हाथ में उसकी नौकरी है तो वह उसको काफी डराता और सख्ती करता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे नौकर को उनके पास भेजते हैं जिसकी हाथ में उसकी सर्विस नहीं है तो वह काफी कहता है और किसी तरह से डरने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिये अगर इस चीज़ को अलग कर दिया जाय तो इससे काफी उन्नति इसमें आ सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस उसूल को नहीं मानती है और मजदूर तहरीक में तो बहुत लागों ने काम किया है। पं० जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस ने काम किया है और भी दूसरे लोगों ने काम किया है। उससे मजदूर वर्ग को उनकी रहनुमाई मिली और मजदूर तहरीक को आगे बढ़ने का मौका मिला। अगर मालिकों के हाथ में उनकी सर्विस न रहे तो यह मजदूर तहरीक बहुत आगे बढ़ सकती है क्योंकि मालिकों को उनको दबाने का मौका नहीं मिलेगा और मजदूर आजादी से काम कर सकेंगे। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि यह चीज़ कानून के अन्दर आ जाय तो इससे मज़दूरवर्ग का बहुत भला हो सकता है और उनको कानूनी अधिकार भी प्राप्त हो जायेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूरों का सवाल सिर्फ राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना नहीं है। मैं यह आपसे दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस सरकार मजदूर आन्दोलन के खिलाफ है। कांग्रेस सरकार ने उनके लिये कानून बनाया, लेकिन उन मज़दूरों के पास वक्त भी नहीं है कि उनको वह पढ़ सकें और आपने उन कानूनों को हिन्दी उर्दू में भी नहीं छपवाया कि जिससे कोई चीज़ वह मज़दूर वर्ग के लोग जान सकें। तो ऐसी हालत में मैं यह कहता हूँ कि यह राजनीतिक पार्टियां ज़रूर हैं और हमें बड़ा अफसोस है कि इसकी वजह से मजदूर आन्दोलन चौपट हो रहा है, लेकिन मैं यह भी आप से कह दूँ कि यह सैद्धान्तिक लड़ाइयां आसमान से नहीं उतर आयीं। यह कोई दो, एक व्यक्तियों की वजह से दिमाग़ में फितूर नहीं है। सिद्धान्त इस ज़मीन पर बनते हैं। आर्थिक कारणों से सिद्धान्त बनते हैं। क्या कारण है कि कल तक आप एक उसूल को मानते थे लेकिन आज गद्दी पर बैठने के बाद दूसरे उसूल को मानने लगे। कल आपके दिमाग़ में एक बात दूसरे तरह की थी और आज आपका उसूल दूसरे तरह का हो गया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज देश के अन्दर जो विचार धारा सम्बन्धी टक्कर हो रही है, मेरा भाव यह है कि यह राजनीतिक लड़ाइयां कम नहीं होंगी, यह और बढ़ेंगी। देश में

पूंजीपति अपनी जड़ों को मजबूत करते जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार पूंजीवाद को खत्म नहीं कर रही है। ऐसी सूरत में कांग्रेस की विचारधारा एक नीति होगी और उसके मुकाबिले में एक दूसरी विचारधारा उनकी होगी जो कांग्रेस के सिद्धान्तों में विश्वास करते रहे हैं, चाहे उससे अलग ही क्यों न हों जो गांधी जी के आदर्शों को मान कर आज तक काम कर रहे हैं, जो आज भी यह समझते हैं कि जनता की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, भारतवर्ष आजाद हो गया है, लेकिन जनता आजाद नहीं हुई है। जो इन उसूलों को मान कर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जनता को शोषण के चंगुल से मुक्त करना चाहते हैं उनके सामने आज भी संघर्ष है। तो इस तरह से दो विचारधारायें हैं। एक तरफ तो वे लोग हैं जो पूंजीवाद को मिटा नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो समझते हैं कि पूंजीवाद का विनाश हमें करना है और अगर हम पूंजीवाद का विनाश कर सकते हैं तो मजदूरों की शक्ति से और मजदूरों की शक्ति तब बढ़ सकती है जब उनके सच्चे प्रतिनिधि हों। मैं जब मजदूरों में काम करने के लिये जाता हूँ, मजदूरों में संगठन करता हूं तो देखता हूं कि उस मौके पर कहीं दफा १४४ लगी हुई है, कहीं मजदूर नेता जेलों में डाल दिये जाते हैं। मजदूर यह अनुभव करने लगा है कि हम अपनी लड़ाई में कभी विजय नहीं पा सकते, जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में न हो। यही चेतना है जो उनको आगे ले जायगी। हमारा मतलब यह हर्गिज नहीं है कि राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिये या अपना उल्लू सीधा करने के लिये हम उनको इस्तेमाल करते हैं। हम तो उनको समाजवाद के मार्ग पर ले जा रहे हैं, जिसमें उनका कल्याण है। अफसोस यह है कि मैं उस किताब को लाया नहीं जो कुछ दिन पहले लेबर कमिश्नर साहब ने इतने वर्षों के तजुर्बे के बाद लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब स्वराज प्राप्त हुआ उसके बाद एक लहर आई मजदूर तहरीक के अन्दर मालिक घबरा गया कि मजदूरों के अन्दर एक शक्ति आ गई।

उपाध्यक्ष—आप मसले से बहुत काफी दूर हो गये हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह बतलाया गया कि वर्क्स कमेटियां बनाई गयी हैं। उससे यह स्पष्ट होता है कि मजदूर तहरीक बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मैं लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट से यह साबित करना चाहता हूं कि मजदूर तहरीक दब गयी है, आगे नहीं बढ़ी है।

उपाध्यक्ष—आपको तो सिर्फ इस प्रश्न पर ही कहना है कि कार्य समिति के प्रतिनिधि चुने हुये हों।

श्री राजाराम शास्त्री—खैर, छोड़िये इस बात को। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मजदूर तहरीक अब दब गयी, मालिक अब शेर हो गया। आपको यह

[श्री राजा राम शास्त्री]
सोचना चाहिये कि आखिर वर्क्स कमेटियां क्यों बनाई हैं। इसलिये बना दी हैं कि कारखानों का काम ठीक से चले और साथ ही साथ जो मजदूरों के हुकूक हैं उनकी हिफाजत हो। मगर मैं यह देखता हूँ कि मजदूरों की हिफाजत नहीं होती है, उनका संगठन आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको तरीका सोचना पड़ेगा जिससे उनकी शक्ति बढ़े। और उनकी शक्ति तभी बढ़ सकती है जब उनके प्रतिनिधि चुने हुये हों।

मुझे इस बात को सुन कर बड़ी खुशी हुई जब मंत्री जी ने कहा कि अभी तक तो हमारा एक तरीका रहा वर्क्स कमेटियां बनाने का, हो सकता है कि भविष्य में हम कोई दूसरा तरीका अख्तियार करें। इससे मुझे यह खुशी हुई कि कम से कम एक चीज सामने आ रही है। अभी तक तो मुझे उनकी कुछ जिद सी मालूम पड़ती थी कि एक तरीका उन्होंने मान लिया है इसलिये बस वही सत्य है और उसी पर टिके हुए हैं। आज उनकी बात सुनकर मुझे कुछ ऐसी उम्मीद हुई कि हो सकता है कि भविष्य में वे इस मार्ग को छोड़कर कोई दूसरा तरीका अख्तियार करें। ठीक है और बड़ी खुशी की बात है और जिस वक्त वे ऐसा तरीका अपनावेंगे तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अगर वह तरीका मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के पक्ष में होगा तो मैं पूरी शक्ति के साथ उनका साथ दूंगा और उनकी मदद करूंगा, लेकिन चूंकि अभी इसमें कोई चीज स्पष्ट नहीं है और मैं समझता हूँ कि इससे मजदूरों की ताकत नहीं बढ़ेगी इसलिये मैं यह संशोधन चाहता हूं। श्रम मन्त्री जी न समझें कि मैं जिद की वजह से कोई बात कर रहा हूँ या मुझे यह शौक सवार है कि मैं उनको बदनाम करूं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से मजदूर तबका आगे बढ़ेगा और इसलिये अगर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री विनयकुमार मुकर्जी—मुझे कुछ ज्यादा इस अमेंडमेंट पर नहीं कहना है। मैं सिर्फ एक क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। मूल ऐक्ट अंग्रेजी में है और इस वास्ते अमेंडमेंट भी अंग्रेजी में होना चाहिये था। जो संशोधन चाहा गया है वह सेक्शन (सी० सी०) में कहां ठीक बैठेगा ? अगर यह बतला दिया जाय कि वह कैसे फिट इन होगा तो ज्यादा आसानी होगी।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा ख्याल है कि मूल ऐक्ट हिन्दी में है।

श्री विनयकुमार मुकर्जी—इंगलिश में है. ऐक्ट २८ आफ १९४७।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो जिन साहबान ने संशोधन पेश किया है वह जानें।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है कि मूल ऐक्ट तो अंग्रेजी में है, उसमें यह हिन्दी का पेवन्द कैसे लगेगा।

श्री राजाराम शास्त्री—लेकिन हमारे सामने जो बिल पेश किया गया है वह तो हिन्दी में है। उनको इंगलिश में मिला होगा, हमको तो हिन्दी में मिला है

हिन्दी के बिल में हम इंग्लिश में कैसे संशोधन ला सकते हैं। हिन्दी के बिल में हमारा संशोधन ठीक बैठता है।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि मूल ऐक्ट हिन्दी में है या नहीं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे याद है, मूल ऐक्ट हिन्दी में है।

उपाध्यक्ष—अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मूल ऐक्ट हिंदी में मंत्री महोदय बताते हैं, इसलिए वह ऐक्ट हिन्दी में होगा।

श्री विनयकुमार मुकर्जी—मूल ऐक्ट से मतलब ऐक्ट २ आफ १९४७ ई० से है।

उपाध्यक्ष—मेरे पास इस ऐक्ट की जो प्रति है वह हिन्दी में है और गालिबन मूल ऐक्ट हिन्दी में ही पास हुआ था।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूँ कि हाउस में ऐक्ट हिन्दी में पास हुआ है।

उपाध्यक्ष—तो अब श्री राजाराम जी के संशोधन पर बहस जारी रहेगी।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राजाराम शास्त्री जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ राजाराम जी ने अबकी बार के अपने भाषण के पहले भाग में संजीदगी दिखलाई। और मुझे आशा थी कि आखिर तक वह संजीदगी चलती रहेगी, लेकिन आदत के अनुसार वह नहीं चल सकी। एक बात उन्होंने यह उठाई है कि वह यह जानना चाहते हैं कि वर्क्स कमेटियां चुनाव के जरिये होंगी या नामिनेट (नामांकित) की जाएंगी। यह उन्हें मानना चाहिए कि वर्क्स कमेटियां आजकल चुनाव के जरिए एक प्रकार से बनती हैं और हम यह चाहते हैं कि वह जो चुनाव का तरीका है वह रहना चाहिए। आजकल जो चुनाव का तरीका है वह यह है कि जो मजदूर मिलों में काम करते हैं वह किसी यूनियन के मेम्बर बनते हैं और वह यूनियन उन लोगों में से किसी को नामिनेट करती है। इस तरह चुनाव के ही द्वारा लोग वर्क्स कमेटियों में नियुक्त होते हैं। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि इधर हालांकि गवर्नमेंट की कोई आज्ञा नहीं थी फिर भी आई० एन० टी० यू० सी० ने अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाया और उसने यह किया कि हर मिल से जो मेम्बर होते हैं उन्हीं लोगों से चुनाव कराके लोगों को वह नामिनेट कराती है। इसलिये मैं आपको बताऊं कि जो वर्क्स कमेटियां आजकल हैं वह चुनाव के जरिये हैं और वह किसी एक आदमी या किसी एक संस्था की नामिनेट (नामांकन) की हुई नहीं हैं। आप यह चाहते हैं कि जनरल

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

मजदूरों की राय से चुनाव हो, चाहे वह किसी यूनियन के मेम्बर हों या न हों। मैं यह कहूँगा कि अगर सब मजदूरों को वोट का अधिकार दिया गया तो जो दशा शुगर फैक्ट्राज की हुई वही और जगह होगी। ऐसी दशा में जरूरत इस बात की है कि जो चीज इस वक्त चल रही है वही चलती रहे। अगर मन्त्री जी भविष्य में कोई परिवर्तन करना चाहें तो यह उनके अधिकार की बात है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस वक्त जो वर्क्स कमेटियों में मेम्बर हो रहे हैं वे चुन करके हो रहे हैं। राजाराम जी यह चाहते हैं कि आउटसाईडर्स (बाह्यके) होना चाहिए, इसलिए मजदूर ठीक से बात नहीं कर पाते। हमें मजदूरों का संवटन करना है और इस तरह संघटन करना है कि वे अपने पैरों पर चल सकें। और उसको चलाने के लिये जरूरत इस बात की है कि कुछ आदमी बाहर से रहें या न रहें लेकिन इस तरह से उसका संचालन हो जो वास्तव में मजदूरों के लिये हितकारी हो। अगर हमने वर्क्स कमेटी को जनरल कर दिया तो आप ही कहते हैं कि मजदूर मालिक से घबराते हैं और बाद को राजाराम शास्त्री का सहारा लेकर अड़ जाते हैं, तो इस तरह से आप मालिक को अधिकार दे देते हैं कि वह उन लोगों को लेकर के वर्क्स कमेटियां बना लेगा जिन्हें वह पसन्द करता है। आप कहते हैं कि वर्क्स कमेटी के मेम्बर को निकालने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने लेबर कमिश्नर को अधिकार दिया है कि अगर किसी मेम्बर को वह यह समझे कि वह मजदूरों के हित में नहीं है तो वह उसको निकाल सकता है। और मैं आपकी याददाश्त के लिये बतलाऊं कि यह आर्डर गवर्नमेंट का ९ अगस्त, सन् ४९ ई० का है। मैं आपको एलगिन मिल की वर्क्स कमेटी की बात बतलाऊं कि जब उसकी शिकायत मजदूरों ने की तो वहां का सेक्रेटरी निकाल दिया गया। तो जहां तक वर्क्स कमेटी में जाने का ताल्लुक है जो लोग किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं समझते उनके वहां जाने के मौके को कम करना है। दूसरी तरफ अगर आप जनरल मजदूरों के हाथ में देते हैं तो एक तरह से आप मालिक के हाथ में ही हथियार दे रहे हैं। आप कहते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में है, तो मुझको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके हाल में मजदूरों की पावर और सब काम दिये गये हैं वह एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसकी हम सब मुखालिफत कर रहे हैं। बार-बार उनके मंत्री मंडल में यह होता है कि कारखानों को १० वर्ष के बाद हम लेंगे, कभी कहते हैं कि २० वर्ष के बाद लेंगे और कभी कहा जाता है कि अभी इरादा नहीं है। तो सवाल तो है उस गवर्नमेंट का जिसके बारे में प्रेसीडेंट ने भी हाउस में कहा कि आपकी पालिसी का कोई पता नहीं, आप पूंजीपतियों के हाथ में बिक रहे हैं। हमारे सूबे की सरकार ने तो उनसे अधिकार छीना और हमारे सूबे के मिल मालिक झगड़ा मचाये हुए हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट सारे

अधिकार अपने हाथ में ले ले और प्राविंशयल गवर्नमेंट से हमको बचाये, जिसकी हम और आप दोनों मुखालिफत कर रहे हैं। तो आपको तय करना है कि वर्क्स कमेटी के मेम्बरों को आप ऐम्पलायर्स (मिल मालिकों) के हाथ में देना चाहते हैं या ऐसी संस्था के हाथ में देना चाहते हैं जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को कुछ न कुछ जानती है और उसके साथ सहानुभूति रखती है और किसी हालत में उसको चला रही है। आपको और सरकार को तय करना है कि जो लोग वर्क्स कमेटी में जा रहे हैं वह चुने हुए जा रहे हैं या किसी तरह से जा रहे हैं। हर वर्क्स कमेटी के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी चुने हुए लोग होते हैं और वह चुनकर के आते हैं और अपने सदस्यों को चुनते हैं। तो तीसरा जो तरीका अख्तियार किया है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो दशा शुगर इण्डस्ट्री की हुई है कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, कोई भी उनको लेने को तैयार नहीं है तो यही हालत और भी इण्डस्ट्रीज़ की हो जायगी। यही संक्षेप में कहा गया है, बाकी जो आपका भाषण है वह पब्लिक मीटिंग का है।

श्री साजिद हुसैन—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बहस को बहुत गौर से सुन रहा था और इरादा तो मेरा नहीं था कि मैं इसमें हिस्सा लूँ, मगर जो बहस का तरीका और जो सूरत थी उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी कुछ कहूँ। इस वक्त यह सवाल है कि ख्वाह वह अवस्थी जी हों या राजाराम शास्त्री हों, दावेदार इस बात के हैं कि हम सबसे ज्यादा मजदूरों के दोस्त हैं। मगर जो इस वक्त एक उसूली सवाल शास्त्री जी ने उठाया कि चुने हुए मजदूर प्रतिनिधि हों या चुने हुए न हों, यह बहुत बड़ा मसला है और डेमाक्रेसी की एक बुनियाद कहा जाता है। मेरा यह ख्याल था कि कांग्रेस सरकार जहां चुने हुये लफ्ज का ताल्लुक है वह फौरन मंजूर कर लेगी। क्योंकि वह हमेशा इस बात का दावा करती है कि हम डेमोक्रेसी से बेहतर दुनियां में कोई चीज नहीं समझते। फिर आज इस मौके पर उनके तकल्लुफ का पेश आना कुछ समझ में नहीं आता कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या उनके उसूल हैं। सिर्फ इससे एक बात जाहिर होती है कि इस सरकार का जहां तक ताल्लुक है उसूलों से उसको कोई मतलब नहीं है। बल्कि यह प्रैक्टिकल सरकार है। जैसा मौका होता है वैसा काम करती है। प्रैक्टिकल आदमी दुनियां में सबसे बुरा नहीं कहा जा सकता। अक्सर प्रैक्टिकल आदमियों की ही जरूरत होती है और प्रैक्टिकल बातों की जरूरत होती है। मगर जब यह सूरत है तो फिर यह सरकार अपने को उसूल की मानने वाली क्यों कहती है। इसको तसलीम कर लेना चाहिये कि हम प्रैक्टिकल लोग हैं। जैसा मौका देखते हैं वैसा काम करते हैं। जैसा मतलब होता है वैसा अपना काम निकाल लेते हैं। तो यह चीज इस मौके पर साबित हो गई कि यह गवर्नमेंट निहायत प्रैक्टिकल गवर्नमेंट है जिसको अलल अमल वक्त कहते हैं। जिधर भी उसको फायदा हो जिधर से भी उसको उम्मीद हो कि हमारी

[श्री साजिद हुसैन]

कुर्सियां मजबूती से हमसे चिपकी रहेंगी वही रास्ता उनके लिये मुनासिब रास्ता है। उमर खय्याम की फिलासफी देखिये, ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, फार टुमारो वी डाई। आज तो चैन से गुजरती है आखिरश की खुदा जाने। सबसे बड़ा उसूल यह है कि कुर्सियों से चिपके रहो। पावर अपने हाथ में रहे। बहरहाल एक तरीका देखने का है कि क्या हम उसको ऊँचा समझते हैं। बाज लोग यह कहते हैं कि हम चाहे मर जांय लेकिन हम अपने उसूलों से नहीं हटेंगे। वे लोग आइडियलिस्ट (आदर्शवादी) कहलाते हैं दरअसल यह गवर्नमेंट आइडियलिस्ट (आदर्शवादी) नहीं है हर तरीके से पावर को हाथ में रखना है। किसी को किसी तरीके से चाहे भूमिधर बना कर, चाहे प्रतिनिधि चुन कर या बिला चुने हुए गरजे कि कोई ऐसा आला हाथ में आ जाय कि पावर हाथ में रहे। तो वह उसको इस्तेमाल करने में कभी नहीं चूकेगी। उसका अगर कोई प्रिन्सिपल है तो यह है कि कुर्सी उससे न छूटे। यही इसका लब्बोलवाब है।

श्री कालीचरण टण्डन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस मसले पर अब बहस खत्म की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के सम्बन्ध में अवस्थी जी ने जो एक बात कही उससे थोड़ी सी गुमराही हो सकती है। उसको मैं ठीक करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि आजकल भी कारखानों में मजदूर वर्क्स कमेटियों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। उनको आई० एन० टी० यू० सी० स्वीकार कर लेती है। इसके माने यह हैं कि जो भी आज वर्क्स कमेटियां हैं वह इस माने में चुनी हुई हैं। यह चीज गलत है। इस माने में गलत है कि एक चीज जो सफाई के साथ नहीं कही गई वह यह है कि आजकल मजदूर जो वर्क्स कमेटी को चुनते हैं वह केवल वही मजदूर हैं जो आई० एन० टी० यू० सी० के मेम्बर्स हैं। दूसरे मजदूर जो आई० एन० टी० यू० सी० के मेम्बर्स नहीं हैं उनको वोट का अधिकार नहीं है और जो किसी यूनियन के मेम्बर नहीं हैं उनको तो नहीं ही है। यह करीब करीब ऐसी बात है जैसे कांग्रेस कहा करती थी कि कांग्रेस ही भारतवर्ष है। वैसे ही आज अवस्थी जी का कहना है कि आई० एन० टी० यू० सी० का यूनियन पूरा कारखाना है। अगर आई० एन० टी० यू० सी० का यूनियन किसी कारखाने में वोट डालता है तो वह कहते हैं कि चुनाव हो गया और वर्क्स कमेटी चुन गई और यह चुनाव मान लिया जाय। यह तरीका गलत है और केवल आई० एन० टी० यू० सी० के चुनाव को पूरा चुनाव करार दिया जाना यह बिलकुल गलत है। हम कहते हैं कि अगर आप आम चुनाव की बात नहीं मानते तो आइये दूसरी चीज कर लीजिये और हम उसीको मान

लेंगे कि जितनी भी यूनियनें हैं उनको चुनाव करने दिया जाय। मजदूर को उनमें से चुनने दीजिये और देखिये कि उनमें कौन सी प्रतिनिधि संस्था है। वहां केवल आई० एन० टी० यू० सी० का सवाल नहीं है। आप सिर्फ डेमोक्रेसी को घुमाते फिराते हैं और बहसें करते हैं और हाउस में ऐसी बातें करते हैं कि पूरी डेमोक्रेसी केवल आई० एन० टी० यू० सी० के आदमियों को वोट का हक दिये जाने से ही पूरी होती है और वही डेमोक्रेसी है।

श्री सूर्या प्रसाद अवस्थी—नया कानून क्या कहता है ?

श्री राजाराम शास्त्री—जब नया कानून आयेगा तो उसको भी देखा जायेगा। हां तो इस तरह की बहसें की जाती हैं जिससे हाउस को यह मालूम हो जाय कि आजकल जिस तरह से वर्क्स कमेटियां बनाई गई हैं वह डेमोक्रेसी के आधार पर हैं। लेकिन मैं यह साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यह बात नहीं है और जो वर्क्स कमेटियां बनाई गई हैं वह डेमोक्रेसी के आधार पर नहीं हैं और सिर्फ आई० एन० टी० यू० सी० के मेम्बर्स वहां वोट देते हैं। अवस्थी जी ने जिस ढंग से चीज को पेश किया उसमें गुमराही हो सकती है कि पूरी डेमोक्रेसी मानी जाती है। यह चीज नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर आम चुनाव की बात आप नहीं मानना चाहते तो न मानें लेकिन जितनी यूनियनें हैं मजदूरों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह यह फैसला कर सकें कि उनका किस यूनियन में विश्वास है। आप इन दोनों में से जिस चीज को मानना चाहें मानिये। हम दोनों में से किसी को भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यह चीज मानने के लिये कतई तैयार नहीं हैं कि केवल आई० एन० टी० यू० सी० को चुनाव का अधिकार दे दिया जाय और उनके चुनाव को सर्वमान्य चुनाव घोषित कर दिया जाय। यह चीज गलत है बातचीत से उनकी यह भी मालूम पड़ा कि आप चाहते हैं कि अगर बाहर के आदमी रहें तो वह रहें जिन्हें मजदूर आन्दोलन का ज्ञान न हो। किसको ज्ञान है और किसको ज्ञान नहीं है यह कौन तय करेगा। केवल आई० एन० टी० यू० सी० के मेम्बर्स जिन लोगों को भेज देते हैं या जिन नेताओं को मान लेते हैं क्या केवल उन्हीं लोगों को मजदूर आन्दोलन का ज्ञान है और बाकी जितने बाहर हैं उनको ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी दम्भपूर्ण और अहंकारमय बात है जिसका करना ठीक नहीं है। मान लीजिये कि चौबे जी कल तक आई० एन० टी० यू० सी० में थे तो वह अक्लमंद थे और आज वह आई० एन० टी० यू० सी० में नहीं रहे तो कम अक्लमंद हो गये। मैं तो यह समझता हूं कि जो आई० एन० टी० यू० सी० के बाहर हैं उनको भी अक्ल है और आई० एन० टी० यू० सी० में जो हैं उनको भी अक्ल है। इसलिये मजदूरों को राय देने दीजिये। वे जिसको उचित समझें भेजेंगे। मैं आपकी दलीलों का कायल नहीं हूँ और इसलिये अपनी जगह पर अब भी वैसा ही खड़ा हुआ हूँ। चुनाव एक उसूली बात है जिसको माननीय मन्त्री जी भी स्वीकार करेंगे और इससे मजदूर आन्दोलन निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ेगा।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस से पहले ठीक शब्दों में राजाराम जी के संशोधन का विरोध कर चुका हूं इसलिये नहीं कि वह सब जो उन्होंने कहा वह निराधार है बल्कि इसलिये कि जो इसमें शब्द रखे गये हैं उनमें हर चीज के लिये जगह रखी गई है। जब जैसा मुनासिब हो तब वैसा किया जा सकता है। अगर किसी नई नीति की आवश्यकता हुई तो वह रखी जायगी और अगर यह वर्तमान नीति ही ठीक समझी गई तो यही रखी जायगी। चुनाव आज भी होता है। हो सकता है कि जिस किस्म का चुनाव राजाराम जी कहते हैं वह न होता हो, लेकिन चुनाव होता है। दूसरी बात यह है कि बराबर यह कहना भी गलत है, मैं राजाराम जी और अवस्थी जी की बातों में नहीं पड़ूंगा, कि इसके अन्दर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे यह निकलता हो कि आई० एन० टी० यू० सी० के हाथ में यह अधिकार दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी कहा कि आई० एन० टी० यू० सी० के हाथ में शुगर के मामले में अधिकार था लेकिन वह हार गये और दूसरे के हाथ में वह अधिकार आया। जिसका भी बहुमत होगा, जिस यूनियन का बहुमत होगा उसको हमने चुनने का अधिकार दिया है। हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि केवल आई० एन० टी० यू० सी० के हाथ में ही यह अधिकार रहे।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि यह संशोधन अनावश्यक है और नामुनासिब है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से सफाई के निमित्त एक बात पूछना चाहता हूं। आपने यह कहा कि जिस किसी यूनियन का बहुमत होगा उसको हम अधिकार देंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे मालूम होगा कि किसी यूनियन का बहुमत है या नहीं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सवाल तो पैदा नहीं होता। जब भी कोई ऐसा सवाल पैदा होता है, अभी शुगर का सवाल पैदा हुआ, तो किसी न किसी तरह से मालूम ही कर लेते हैं। श्री राजाराम जी खुद अपने को जीतने वाले समझते हैं और उनको मालूम ही हो गया होगा कि कैसे पता हुआ।

उपाध्यक्ष—मैं श्री मुकर्जी को यह बतला दूं कि मैंने असली मिसिल निकाल कर देख ली है। जो असली ऐक्ट है वह हिन्दी में है, आपका गलत ख्याल था।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि धारा २ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित खंड (गग) की पंक्ति ३ में "मजदूरों के" तथा "प्रतिनिधियों" के बीच में शब्द "चुने हुये" जोड़ दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में १०

अब्दुल बाक़ी, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
गंगाधर, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
साजिद हुसैन, श्री

विपक्ष में ३६

अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण शरन आर्य, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
जयपाल सिंह, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम शंकर लाल, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लुत्फ़ अली खां, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—३

यू० पी० ऐक्ट २८, १९४७ में नयी धारा ३-क और ३-ख का रखा जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के बाद निम्नलिखित नयी धाराएं ३-क और ३-ख के रूप में रखी जांय—

"३-क—(१) यदि सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस का कोई रोजगार या व्यवसाय या अन्य सहायक धंधा बन्द हो जाय या बन्द होने वाला हो तो कुल हिस्सेदारों की संख्या में से ऐसे आधे से अधिक के, जिनका उक्त रोजगार या व्यवसाय में कुल मिलाकर ५० प्रतिशत से अधिक अंश हो, प्रार्थना-पत्र पर, राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को वह रोजगार या व्यवसाय, ऐसी अवधि के लिए, उस रीति से और उस हद तक करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो:

सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा (सर्विस) के रोजगार या व्यवसाय एवं सहायक धंधों का नियन्त्रण।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक राज्य सरकार को यह सन्तोष न हो जाय कि ऐसा करना जनता की आवश्यक सेवाओं (एसेन्शियल सर्विसेज) और सामग्रियों (सप्लाइज) को कायम रखने और रोजगार को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, तब तक इस प्रकार की कोई आज्ञा न दी जायगी;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार समय समय पर गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा उपर्युक्त आज्ञा में दी हुई अवधि को बढ़ा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अधिकृत व्यक्ति, जब तक उक्त सेवा (सर्विस) या धंधा सम्बन्धी रोजगार या व्यवसाय कर रहा हो—

(क) तब तक ऐसा व्यक्ति ऐसी सेवा (सर्विस) या धंधा के सब कामों के प्रबन्ध का अधिकारी होगा, और फर्म की ओर से काय करते हुए या कार्य करने के लिए अभिप्रेत किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी अधिकार न होगा। पूर्वोक्त अधिकृत व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह प्रबन्ध के लिए ऐसे कर्मचारी या अभिकरण (एजेन्सी) नियुक्त कर सके जिसे वह उचित समझे;

(ख) हिस्सेदारों या किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार न होगा कि वह रोजगार या व्यवसाय के काम को अपने नियन्त्रण में रखे या उसके चलाने में कोई भाग ले;

(ग) ऐसे व्यक्ति के विषय में यह समझा जायगा कि वह उक्त सेवा (सर्विस) या धंधे के एजेन्ट के रूप में काम कर रहा है और उस व्यक्ति को केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार उस पर लगावे, उक्त सेवा सर्विस या धंधों के कामों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसे सब सामर्थ्य और अधिकार होंगे जो उक्त सेवा या धंधे के होते, यदि उसका रोजगार या व्यवसाय उपधारा (१) के अधीन ले लिया गया होता;

(घ) उपर्युक्त प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे मामलों के विषय में, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जांय, ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे आभार या बन्धन से बाधित न होगा जो उस पर ऐसी सेवा (सर्विस) या धंधे के एजेन्ट के रूप में, किसी विधि, आलेख्य या संविदा के द्वारा या अधीन लगाये गये हों;

(ङ) ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह ऐसी सेवा (सर्विस) या धंधे की सम्पत्ति से, उपर्युक्त प्रबन्ध के अथवा उसके आनुषंगिक सब लागत, भार और व्यय और ऐसा वेतन जो राज्य सरकार निश्चित करे, रख लेवे।

(३) कोई व्यक्ति जो उक्त सेवा या धंधे सम्बन्धी रोजगार या व्यवसाय करने के लिए उपधारा (१) के अधीन अधिकृत किया गया हो, ऐसे रोजगार या व्यवसाय के प्रबन्ध करने में सद्भावना से किये हुए कार्यों के लिये जाती तौर से उत्तरदायी न होगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा के प्रकाशित होने पर, राज्य सरकार, आज्ञा द्वारा, उक्त सेवा और धंधे के हिस्सेदारों, डाइरेक्टरों, सेक्रेटरी और मैनेजर को या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो उस के प्रबन्ध की देख रेख करता हो, यह आदेश देगी कि वह उक्त सेवा या धंधे के रोजगार या व्यवसाय का प्रबन्ध उक्त आज्ञा में उल्लिखित व्यक्ति को सौंप दे।

(५) उपधारा (१) के अधीन अधिकृत व्यक्ति के निवेदन पर, कलेक्टर, उक्त सेवा या धंधे का काम उक्त व्यक्ति को सौंप देगा, और ऐसा कार्य कर या करा सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर या करा सकेगा जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

धारा ३ (च) के अधीन नियन्त्रण को उपयोग में लाते हुये व्यक्ति का धारा ३-क के अधीन नियुक्त हुआ समझा जाना

३-ख—यदि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) अधिनियम' १९५० ई० के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर, कोई व्यक्ति धारा ३ के खण्ड (च) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार, सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा (सर्विस) या किसी सहायक धंधे के विषय में नियन्त्रण उपयोग में लाता रहा हो, तो उक्त खंड या धारा ३-क में किसी बात के रहते हुए भी, उसके विषय में यह समझा जायगा कि उक्त ऐक्ट के प्रारम्भ से भी वह ऐसा व्यक्ति रहा है जो धारा ३-क के अनुसार और उसके अधीन, वैध रूप से अधिकृत किया गया था, और उपर्युक्त आज्ञा का उसी प्रकार प्रभाव होगा मानो वह धारा ३-क के अधीन यथावत् और वैध रूप से दी गयी थी।"

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन मैंने पेश किया है वह इस प्रकार से है :

"धारा ३ में प्रस्तावित धारा ३ (क) (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'हो तो' के पश्चात् शब्द 'पर्याप्त संख्या में हिस्सेदारों के अथवा' बढा दिये जायें।"

अगर यह मंजूर कर लिया जाये तो इसका मतलब यह होगा कि जहां धारा ३ में आपने लिखा है कि किसी इंडस्ट्री के ५० फीसदी यह लिखकर दे दें कि वे अपने हाथ में इस इंडस्ट्री को ले लेंगे तो वह उनके हाथ में सौंप दी जा सकती है। अगर मेरा संशोधन मंजूर कर लें तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसे ५० फीसदी शेयर होल्डर्स या इससे कम यह लिख कर दें दें और गवर्नमेंट सैटिसफाइड (सन्तुष्ट) हो जाये कि वह काम को चला सकेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री जो खत्म होने के खतरे में है सरकार चला सकती है।

आपने देखा होगा कि इस बिल का स्वागत हर तरफ से हुआ है। इसका एक खास कारण यह था कि हमारे प्रांत में बेकारी बढ़ रही है और हर तरफ से आज आवाज निकलती है कि पैदावार ज्यादा होनी चाहिये। हमारे यहां जो कारखाने बंद होते दिखाई पड़ते हैं उनके लिये यह राय दी जाती है कि अगर यह बन्द होने जारहे हों तो सरकार खुद इनका संचालन करे ताकि जनता को जिन चीजों की आवश्यकता है वह उसको काफी तादाद में मिलती रहें और लोगों को भी नौकरी करने का मौका मिले। इसी ख्याल से इस कानून को यहां लाने की आवश्यकता पड़ी है। मैंने जो संशोधन पेश किया है वह इसी प्रिंसिपिल को सामने रखकर एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की है। अगर सरकार संतुष्ट है कि इतने शेयरहोल्डर्स काम को चला लेंगे तो ऐसी हालत में वह उनके हाथ में दे देना चाहिये ताकि हमारे देश में जो पैदावार है वह उसी तरह से कायम रहे और जिस उद्देश्य से यह बिल पेश किया गया है उसकी पूर्ति हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन आपके सामने पेश करती हूँ।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का जो उद्देश्य है उससे मैं सहमत हूं और मुझे पूरी सुहानुभूति है, लेकिन रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं इस वास्ते कि पर्याप्त संख्या का क्या अर्थ है। महज गवर्नमेंट के कह देने से काम नहीं चलेगा। जहां अल्फाज रख दिये जायेंगे और किसी कारखाने को ले लिया जायेगा वहां पर मालिक सिविल कोर्ट में जायेंगे और कहेंगे कि जो लेजिस्लेचर है उसका मतलब क्या है। इसका निर्णय गवर्नमेण्ट नहीं कर सकती है। वह कहेंगे कि प्रर्याप्त संख्या नहीं है। मामला चलेगा और हाई कोर्ट में जाये और न जाने कहा जायें। कहने का मतलब यह है कि मामला मुकद्दमेबाजी मे पड़ जायेगा और जिस उद्देश्य से कब्जा करना चाहेंगे वह खत्म हो जायेगा और महीनों वर्षों लग जायंगे। इसलिये मजबूरन हमें ऐसी संख्या रखनी पड़ी जो स्पष्ट हो। जैसा कि मैंने निवेदन किया ऐसे मामले हैं जो रुके हुये हैं इसी वजह से, जैसे आगरे का

(सत्रि

मसला था। वहां से दरख्वास्तें आ चुकी हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। इस कानून के पास होने के बाद उसे हम कर सकेंगे। हमने इसी से कोई गोल चीज नहीं रखी जिससे सिविल कोर्ट में मामला चला जाये और महीनों के लिए मामला रुक जाए। इसलिये मैं पूर्णिमा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—डिप्टी स्पीकर महोदय, जहां तक इस संशोधन के अलावा कोर्ट की पेचीदगियों का सवाल है यह तो मैंने जब इस संशोधन को लिखा तभी ख्याल किया था कि जो ५० परसेंट शेयरहोल्डर्स इसमें रखे हैं उनके हासिल करने में ही दिक्कत होगी और उस हालत में यह इंडस्ट्री शायद काबू में न ली जा सके। उसी सहूलियत को देने के लिये मैंने यह संशोधन रखा। मैं जानती हूं कि सिविल कोर्ट में अगर मामला चला जाए तो लेजिस्लेचर से जो बहुत से उद्देश्य होते हैं वे पूरे नहीं किये जा सकते, काफी हद तक जनता को तकलीफ होती है। लेकिन सिविल कोर्ट में मामला जायेगा, जनता की तकलीफ बढ़ेगी यह सोचकर हम उसके सामने सर झुका दें और कोई काम न करें, यह एक हद तक नामुनासिब चीज है। मैं माननीय मंत्री जी की आज्ञा को शिरोधार्य करती हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि जहां तक इस तरह के मामलों में दखल दे कर अपने हाथ में लेकर सुविधा देने की बात होगी, उसे वह जरूर करेंगे बावजूद इन दिक्कतों के। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को वापस लेती।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जो संशोधन मैंने इस वक्त पेश किया है वह इस प्रकार है "धारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ३-क की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में शब्द "कायम रखने" 'के बाद शब्द' "या विस्तार" और उसी पंक्ति में शब्द "बनाये रखने के लिये" के बाद शब्द "और बढ़ाने के लिये" जोड़ दिए जांय। डिप्टी स्पीकर महोदय, इस संशोधन का भी मतलब कुछ इसी प्रकार का है। जहां यह बिल कहता है कि उन हालात में जहां एक इंडस्ट्री चलती हो उसके बन्द हो जाने का डर हो और वह समाज के लिये एसेन्शियल हो और एम्प्लायमेंट को जारी करने के लिए आवश्यक हो, इसलिये इन कारणों से इस इंडस्ट्री को सरकार औरों के हाथ में दे कर चला सके। मेरा कहना यह है कि एम्प्लायमेंट बनाये रखने के लिये ही नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के लिये भी अगर जरूरत पड़े तो आप उस इंडस्ट्री को अपने हाथ में ले सकते हैं। हमने सप्लीमेंटरी बजट और बजट सेशन के दौरान में देखा कि बार बार श्रम मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रान्त में अनएम्प्लायमेंट बढ़ता जा रहा है और सिवाय इसके कि उनकी फिर से जरूरत पड़ने पर उनको रखा जाय आपने कोई उपाय नहीं रखा। इन मजदूरों को किस तरह से लगाया जायगा, यह एक बहुत भयानक मसला हमारे सामने है।

[श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी]

लोगों को हमें इस बात का मौका देना चाहिए कि वह अपनी रोटी कमा सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे इस शासन के प्रति लोगों की क्या भावना होगी और उनको नजर में उसकी क्या वकअत होगी, यह सोचने की बात है। इस संशोधन में एम्प्लायमेंट की बात कही गई है। हम जानते हैं कि किसी देश में डेमोक्रेसी की स्थापना करने से, वोट ले लेने से या यहां आकर बहस कर लेने से उस देश की शक्ति नहीं बढ़ सकती है उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि हर एक आदमी को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए और मेहनत करने का मौका मिलना चाहिये। आप हजारों किस्म के नियम बनायें, अस्पताल बनायें शिक्षालय खोलें वे तमाम चीजें इसकी जगह नहीं ले सकतीं कि मनुष्य में मनुष्यता हो, उसे यह अभिमान हो की वह अपनी मेहनत से अपने पेट को भरता है। हम आजकल रोज ही देख रहे हैं कि छटनी होती जा रही है और यह समस्या दिनों दिन हमारे सामने बढ़ती ही जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करके इसे स्वीकार कर लेंगे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विषय में भी यही निवेदन करूंगा कि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का जो उद्देश्य है वह सर्वथा स्तुत्य है, परन्तु उस उद्देश्य की सिद्धि इस जगह पर संशोधन करने से नहीं हो सकती। इस बिल के उद्देश्य और कारणों का जो विवरण है उनमें हमने लिखा है।

"सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा के व्यापार या व्यवसाय या ऐसे ऐसे धन्धे को जो बन्द हो गये हों या बन्द होने वाले हों चलाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को अधिकृत करने के विषय में सरकार की शक्ति के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां अनुभव में आई हैं। तदनुसार बिल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि धन्धे या सेवा के हिस्सेदार प्रार्थना-पत्र दें तो सरकार उक्त धन्धे या व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबन्धक नियुक्त कर सकती है। उक्त सेवा के व्यवसाय या व्यापार या धंधों को चलाने के अधिकृत व्यक्ति की सामर्थ्य के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था भी की गई है।"

अर्थात् जो कारखाने बन्द हैं या किसी वजह से नहीं चल रहे हैं, उनमें मजदूरों का रुपया नहीं दिया जा रहा है या जो रा मेटिरियल (कच्ची सामग्री) लिया गया, जैसे शुगर के कारखानों में गन्ने की कीमत नहीं दी जा रही है तो उन कारखानों को लेकर चलाने के लिए कुछ अधिकार मांगे गये हैं। उसमें जो विस्तार की बात कहकर श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने कहा है कि एम्प्लायमेंट को बढ़ाना चाहिए और जहां १० मजदूर काम करते हैं वहां १५ मजदूरों को काम करना चाहिए। १५ मजदूरों को काम देने के लिए रुपया चाहिए और मजदूरों से काम लेने के लिए मशीनरी चाहिए और उसके लिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट यह तय करे कि मजदूरों को काम पर लगाने के लिये जहां जहां लाख रुपये की मशीनें लगी हुई हैं वहां कर्जा लेकर १० लाख रुपये की मशीनें लगादी जांय

तो मेरी समझ में यह एक अच्छी बात नहीं होगी। हमने बदइन्तजामी की वजह से उसको थोड़े दिनों के लिए अपने हाथ में ले लिया, जो भी कर्जा लिया जायगा, उसका भार तो सब उसके ऊपर ही होगा। इसलिये ऐसा करना बेजा बात होगी। अगर किसी कारखाने को पूरे तौर पर मुआविजा देकर ले लिया जाय तो वह दूसरी बात है। यह कानून तो उसको पूरे तौर से लेने के लिये नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ मैंटिनेंस के लिये ही बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस निवेदन को ध्यान में रख कर श्रीमती बनर्जी इसको वापस ले लेंगी।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—डिप्टी स्पीकर महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे जो भी सवाल पेश होते हैं और सुधार सामने लाये जाते हैं, जिनसे जगत और समाज का सुधार हो, उनको नियमों में लाने के लिये इतनी बाधायें दिखाई देती हैं कि लोग परेशान होकर अपनी बेबसी महसूस करने लगते हैं। ज्यादती किसी भी आदमी की हो, लेकिन उसके कारखानों में पूँजी लगाकर लोगों का इन्करेजमेंट (प्रोत्साहन) दिया जाय ताकि कारखाने अच्छी तरह से काम करें। इससे उनकी शक्ति उत्पादन करने की बढ़ेगी और हालत सुधरेगी। उत्पादन की शक्ति बढ़े, ज्यादती मालूम पड़ना, मजदूरों का घटाया जाना यह सब ज्यादतियां जो हैं उनपर समाज विचार करे और अगर यह संशोधन इस जगह पर इस बिल में मौजूँ न हो तो किसी वजह से कानूनी अड़चन पैदा होती हो तो मैं यह उम्मीद करती हूं कि हमारा यह दृष्टिकोण हमारे सामने रहे कि जैसे हमारे देश में अनएम्प्लायमेंट (बेरोजगारी) बढ़ रहा है, जैसे कि कानपुर से खबरें आती हैं। उसको जब तक किसी न किसी रूप में कार्यान्वित न तब तक हम ज्यादा अच्छा शासन साबित नहीं कर सकते। मैं आशा क इस किस्म के नियम बनाये जायंगे कि जिससे इस प्रकार के सवाल हल ह भी इसका मौका हो इस किस्म के नियम बनाये जायं जिससे अनए (बेरोजगारी) को दूर करने में मदद मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस...... को वापस लेती हूं।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ३-क की उपधारा (२) (क) की चौथी पंक्ति में शब्द "पूर्वक्त" की जगह शब्द "पूर्वोक्त" रखा जाय:

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ३-क की उपधारा (२) (क) की चौथी पंक्ति में शब्द "पूर्वक्त" की जगह शब्द "पूर्वोक्त" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिकप्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ३ (ख) की आठवीं पंक्ति में शब्द "भी" की जगह शब्द "ही" रख दिया जाय।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ३-ख की आठवीं पंक्ति में शब्द "भी" की जगह शब्द "ही" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) अधिनियम, १६५० ई० होगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

आगे प्रतीत होने वाले कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, सन् १६४७ ई० (यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १६४७) में संशोधन करना आवश्यक है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १६५० ई० का उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) विधेयक स्वीकार किया जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १६५० ई० का उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) विधेयक जैसा कि वह इस सदन में संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) विधेयक उपस्थित करता है। (कुछ रुक कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भी बहुत छोटा सा है। सेल्स टैक्स का विषय तो बड़ा व्यापक है और उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। सम्भवतः इसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों को बहुत सी बातें कहनी होंगी, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि उन सब का अन्तर्भाव इस बिल के भीतर नहीं हो सकता। यहां तो हमारे उद्देश्य केवल दो हैं। जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है ऐसा ही प्रदेश मद्रास का है, लेकिन बिक्री-कर से मद्रास की आमदनी हम से ढाई गुने से अधिक है। इसके कई कारण हैं। एक तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर वे मल्टीपुल प्वाइंट टैक्स लेते हैं, हम केवल एक जगह लेते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हम किसी किस्म का टैक्स नहीं लेते हैं और वे लेते हैं। बहरहाल हम उनका मुकाबिला नहीं करना चाहते। हमें अपने यहां सेल्स टैक्स का बोझा इतना नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे लोगों को तकलीफ हो, लेकिन साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि एक बात हम सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिये, आमतौर से हम लोगों के जो लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं। सूबे की जो आमदनी है उसकी जो सूरत है, निकट भविष्य में उसकी जो सूरत हो सकती है उसका अन्दाज हम लोग कर सकते हैं। इस बात की कोई सम्भावना नहीं है वह बहुत ज्यादा बढ़ जायगी, वह घट सकती है, बढ़ने के कोई लक्षण नहीं हैं। देश स्वतन्त्र हुआ है, लोगों की बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं, स्कूल भी बढ़ने चाहिये, अध्यापकों की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिये, सड़कें भी बननी चाहिये। लोगों का ऐसा ख्याल करना बिल्कुल उचित है, आजादी मिलने के बाद ऐसा होना भी चाहिये। लेकिन जब आमदनी के कण्ट्रैक्सन की सूरत है और खर्च के एक्सपेन्सन (बिल्स) की सूरत है तो क्या किया जाय, यह हर शख्स को सोचना चाहिये। हो सकता है थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं गुंजाइश हो रिट्रेंचमेंट में, लेकिन खर्च बहुत बढ़ता जाता है। दस रुपये यहां से, सौ रुपये वहां से और हजार रुपये कहीं और से अगर बचा भी लिये तो खर्च में कमी नहीं की जा सकती है। तो जहां पर हम सेल्स टैक्स का कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं डालना चाहते वहां पर हमें यह भी देखना चाहिये कि जिनको उचित तरीके से सेल्स टैक्स देना चाहिये और नहीं दे रहे हैं, गलत तरीके से बच रहे हैं, उनसे वसूल करना चाहिये। जो पुराना कानून है उसमें शब्दों में एक आध चीजें गलत हो गई हैं।

एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। मिसाल के लिये समझिये कि कोई शख्स है जिसका टोटल टर्नओवर (कुल विक्रय) २२ हजार रुपये का है।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

१२ हजार रुपये मान लीजिये उसका टर्नओवर है कपड़े से और दस हजार पीतल के माल से। अब चूंकि १५ हजार से कम टर्नओवर (विक्रय) पर सेल्स टैक्स पड़ता नहीं है। पीतल से दस हजार है जिस पर वह एक पैसा नहीं देता है और कपड़े की ऐसी बात है कि वह फैक्ट्रीज से लिया जाता है। नतीजा यह है कि यद्यपि उसका टोटल टर्नओवर (कुल विक्रय) २२ हजार का है, लेकिन वह आदमी एक पैसा भी सेल्स टैक्स में नहीं देता। तो इसलिये हमारा यह कहना है कि जहां तक किसी आदमी का टर्नओवर २२ हजार है, लेकिन कपड़ा मलटीपिल प्वाइन्ट (बार-बार टैक्स लगने वाला) नहीं है, वह सिंगिल प्वाइन्ट (एक ही बार टैक्स) है जिस पर हम एक पैसा नहीं लगायेंगे तो उस वक्त जो पीतल का माल है उस पर हम सेल्स टैक्स ले लेंगे। वरना पीतल के माल से चाहे उसका टर्नओवर १० हजार, ११ हजार, १२ हजार, १३ हजार, १४ हजार तक हो, हम उससे सेल्स टैक्स नहीं ले सकते। इसलिये जब सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसके कुल टर्नओवर को जोड़ तो लेंगे लेकिन जिस माल पर नहीं लेना चाहिये उसको छोड़ देंगे और बाकी जो टर्नओवर है उसके ऊपर हम लेंगे। मैं समझता हूँ कि यह बिलकुल फेयर है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

दूसरी चीज एक और है। आप जानते हैं कि बहुत से व्यापारियों का एक रूल है कि वे एक लाइसेन्स फी देने से रोज-रोज सेल्स टैक्स देने से बच जाते हैं।

लाइसेंस फी की रकम इस वक्त मैक्सिमम ५०० रु० है। इसमें यह रखा गया है कि यह १,००० रु० कर दी जाय ताकि बड़े व्यापारियों से ज्यादा लिया जा सके। इनके सिवा इसमें कोई तीसरी उसूली बात नहीं है। जो लेजिस्लेचर का मकसद इस कानून के पास करते वक्त था उसी को सामने रखकर यह किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि सदन इसे मन्जूर करेगा।

श्री ई० एम० फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं, मैं यह बतला दूँ कि मैं सेल्स टैक्स के शुरू से खिलाफ हूं और अभी तक खिलाफ हूँ और रहूंगा। इसकी वजह यह है कि सेल्स टैक्स ने हमारे बिजनेस क्लास को और कंज्यूमर्स दोनों को इतना दुख दिया है जो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट पर बड़ी मुश्किल से जूं रेंग कर अभी तक इस हद तक पहुंची है कि वे यहां पर बहुत सी चीजों को मुस्तसना कर रहे हैं। जब सेल्स टैक्स शुरू में आया तो एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी, जिसका मैं भी मेम्बर था। उसमें हम लोगों ने बहुत सी बातें पेश कीं और उनमें से एक यह थी, और जो मन्जूर थी, कि खाने-पीने की सब चीजें मुस्तसना कर दी जायें और गवर्नमेंट ने इसका वायदा भी किया था। बल्कि मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक तरह का वायदा किया कि सेल्स टैक्स कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा और इसका बोझ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहेब पर था। उन्होंने यहां इस बात का स्टेटमेंट दिया कि सेल्स टैक्स कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा। मेरी बात पर अगर

शुबहा हो तो मैं वह हिस्सा पढ़ दूँ मगर मैं वक्त बचा लेना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे धोखा कंज्यूमर को तो हुआ ही, हाउस को भी और दूसरों को भी हुआ। ग़ालिबन उन्होंने या तो इस बात को स्टडी नहीं किया या गवर्नमेंट की मन्शा को नहीं समझा। बहरसूरत जो इस टैक्स से दुख हुआ वह यह हुआ कि एक चीज़ जो कि पैसे की थी, वह एक आने की हो गई और मैंने खुद तीन जिलों में शिकोहाबाद, आगरा और लखनऊ में, इस बात का टैस्ट किया जिससे यह पता चला कि एक चीज़ पर दूसरी जगह तक पहुंचने में ४ जगह टैक्स देना पड़ता है। मैंने जूते के कारखाने वालों का वाकया यहां पर बयान किया था और गवर्नमेंट ने उस पर ग़ौर करते हुये कुछ उसमें कमी की मगर इस तरीके के वाकयात अब भी मौजूद हैं। जिस वक्त यह ऐक्ट पास हो जावेगा तब भी वे वाकयात मौजूद रहेंगे कि एक-एक चीज़ पर दस-दस जगह टैक्स लग रहा है जिसकी वजह से न सिर्फ बिज़नेस क्लास ही बल्कि कंज्यूमर क्लास भी परेशान है। उनकी आमदनी तो कुछ बढ़ी नहीं है मगर टैक्स इतना लगाया गया है कि वह परेशान हैं कि किस तरह से अपना इसके साथ निभाव करें।

उपाध्यक्ष—आप जो कुछ अभी तक कह रहे हैं वह असल ऐक्ट के मुताल्लिक है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—इस ऐक्ट से उस ऐक्ट का ताल्लुक है।

उपाध्यक्ष—यह मैं जानता हूँ कि ताल्लुक है लेकिन यहां पर कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है कि वह ऐक्ट मंसूख कर दिया जाय। इस वक्त जो तजवीज़ आपके सामने चल रही है वह बिल की सूरत में है और उसी पर आपको बहस करना है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—लेकिन सेल्स टैक्स की जहां तक पालिसी का ताल्लुक है, मैं अर्ज कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष—यहां पालिसी का सवाल नहीं है। वह पालिसी यह हाउस पहले मन्ज़ूर कर चुका है। जो पालिसी इस बिल की है उसके ऊपर आप बहस कीजिये।

श्री ई० एम० फिलिप्स—उसी के ऊपर मैं अब आ गया हूं। मैं आपको बतलाऊँ कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस बिल में जिन चीज़ों को मुस्तस्ना करने की कोशिश की गई है उनके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ तवज्जह करने की ज़रूरत है, मसलन जलाने की लकड़ी। आप जानते हैं कि जलाने की लकड़ी की आज कल कितनी दिक्कत है, लेकिन सब जलाने वाली चीज़ों को मुस्तस्ना नहीं किया गया है। इसके अलावा आप बर्फ को देखिये। अस्पताल में लू के मारे हुये और धूप के सताये हुये जाते हैं उनपर मनों बर्फ खर्च हो जाती है लेकिन उसको सेल्स टैक्स से [illegible]

[श्री ई० एम० फिलिप्स]

पड़ता है। इस तरह से एक-एक चीज आपको नहीं बतलाई जा सकती है। गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स के मुताल्लिक दो तीन मर्तबा अमेंडमेंट किया है लेकिन अभी इसमें और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में मैं अपने लायक मंत्री जी से जनाब वाला आपके ज़रिए यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इसके ऊपर एक सेलेक्ट कमेटी बिठलायें जो दो या तीन दिन में रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद जब जरूरी अमेंडमेंट हो जाय तब यह अमेंडमेंट पास किया जाय। इस तरह सब दिक्कतें दूर हो जायगी। मैं यह समझता हूँ कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जल्दी करने की जरूरत हो इन सब बातों को देखते हुये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करने की अशद ज़रूरत है। सेल्स टैक्स के मुताल्लिक मैं लकड़ी तो बता चुका हूं लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं उस वक्त पेश करूँगा जब हमारे मन्त्री जी इस बात को मान लेंगे कि सेलेक्ट कमेटी बना दी जाय और ऐसे आदमियों के नाम भी मैं पेश करूंगा, जो उस कमेटी के मेम्बर हो सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विशिष्ट समिति को सुपुर्द करने के लिए फिलिप्स साहब ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। इस विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए विशिष्ट समिति के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया जाय। इसमें केवल दो ही बातें रखी गयी हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई व्यापारी का १५ हज़ार से अधिक टर्नओवर एक साल में होता है तो उस टर्नओवर के अन्दर कुछ माल इस किस्म का होता है जिस पर बिक्री कर लेना चाहिये और कुछ माल ऐसा होता है जिस पर बिक्री कर (टैक्स) नहीं लेना चाहिये। मूल ऐक्ट में यह था कि जिस माल पर बिक्री कर नहीं लेते हैं उसको छोड़ कर अगर बिक्री १५ हजार से कम होती थी तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उसका संशोधन यह रखा गया है कि अगर १५ हज़ार से अधिक उसका टर्नओवर होता है तो जिस माल पर बिक्री कर लेना चाहिये उस माल पर बिक्री कर देना उसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा जो एक प्वाइन्ट उसके अन्दर है वह यह है कि लाइसेंस फीस की धन राशि पांच सौ रुपया अभी तक थी, अब उस धन राशि को बढ़ा करके एक हज़ार रुपया करने का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा गया है। बहुत से बड़े-बड़े रोज़गारी इससे अनुचित लाभ उठाते थे और जबकि उनके रोजगार बहुत बड़े होते थे और हैं तो ऐसी सूरत में वह केवल ५०० रुपया देकर ही बच जाते थे। तो एक सुविधा तो उनके लिये यह कर दी गयी कि वह लाइसेंस फीस देकर के बिक्री कर (टैक्स) के हिसाब किताब से मुक्त किये गये लेकिन इस सुविधा में ५०० से कम की जो धनराशि रखी गयी थी उसमें अनुचित लाभ हो जाता था, इसलिये एक हज़ार किया गया। केवल यही दो विषय लेकर यह विधेयक इस भवन के सामने उपस्थित किया गया। इसमें मूल ऐक्ट की न कोई बात है और न बिक्री कर लेने का या न लेने का कोई सवाल है।

इनमें क्या अनौचित्य है इसको फिलिप्स साहब ने नहीं बतलाया। दोनों में से किसी बात का उन्होंने विरोध नहीं किया। न तो ५०० रुपये से जो एक हजार कर दिया गया उसका विरोध किया और रोजगारी जो कई चीजों का रोजगार करते हैं उनसे फीस लिये जाने का विरोध किया। केवल लकड़ी और बर्फ को लेकर उन्होंने इस सुझाव को पेश किया कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। तो यह कोई ऐसी खास दलील नहीं आई कि क्यों भेजा जाय। बर्फ तो आम तौर पर हजारों मन अपने आराम के लिये लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ने कहा कि अस्पतालों में दवाओं में खर्च होता है इसलिये टैक्स से बरी किया जाय और जहांतक लकड़ी का सवाल है वह तो कई तरह की होती है। जलाने के लिये भी लकड़ी होती है और मकान बनाने के लिये भी टिम्बर है, उसको क्यों बरी कर दिया जाय ? तो कोई दलील आपने नहीं रखी कि विशिष्ट समिति के सामने भेजना क्यों आवश्यक है। जो दो चीजें विधेयक में मौजूद हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बिल का स्कोप (क्षेत्र) तो बहुत सीमित है और जैसा कि फिलिप्स साहब ने स्वीकार किया कि सेल्स टैक्स का कानून बनने के बाद समय-समय पर गवर्नमेंट ऐग्जेम्पशन (मुक्ति) देती रही है। इसके मानी यह हैं कि जब एक सुझाव हमारे सामने आता है कि फलां चीजों के बारे में ऐसा होना चाहिये तो हम मानते ही हैं। इसलिये अगर किसी को कोई सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। इस वक्त तो सवाल दूसरा ही है, अगर कानून में संशोधन करना होगा तो वह हम कर सकते हैं। तो जहां तक सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल है बगैर किसी फाइनैंसियल ऐस्पेक्ट्स (आर्थिक पहलुओं) पर गौर किये, यह कहां तक मुनासिब है। अगर फिलिप्स साहब को लकड़ी या बरफ के ऊपर कोई सुझाव देना है तो वह दे सकते हैं। अगर वह मुनासिब होगा तो हम बगैर किसी संशोधन के ही कर देंगे।

श्री ई० एम० फिलिप्स—चूंकि हमारे लायक मन्त्री जी ने कहा है कि अगर मुझे कोई सुझाव देना है तो मैं उनकी खिदमत में भेज सकता हूं इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ३ क का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की (जो आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३-क में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "किसी भी माल अथवा माल की किस्मों की बिक्री से प्राप्त आय व्यापारी के विक्रय धन में सम्मिलित न की जायगी" के स्थान में शब्द "किसी माल अथवा माल की किस्मों के विक्रय-धन पर, कर नहीं लगेगा" रक्खे जांय।

(ख) उपधारा (२) में शब्द "व्यापारी के विक्रय-धन में ऐसे माल की बिक्री सम्मिलित है। ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में ऐसी दर से कर लगाया जायगा जो निर्दिष्ट किया जाय, किन्तु वह एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा, यदि बिक्री निम्नलिखित माल के सम्बन्ध में हो" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जांय:—

"ऐसे व्यापारी के विक्रय-धन पर, जो ऐसे माल की बिक्री पर कर देने का जिम्मेदार हो, ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में ऐसे दर से कर लगाया जायगा जो निर्दिष्ट किया जाय, किन्तु यदि बिक्री निम्नलिखित मालों के सम्बन्ध में हो तो वह एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा"।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३

यू० पी० एक्ट १५, १९४८ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय:—

कर से मुक्त ४—(१) निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगेगा:—

यू० पी० एक्ट १, १९३९।

(क) पानी, नमक, खाद्यान्न, दूध, गुड़, औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली, पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की, एवं मोटर स्पिरिट की, जिसकी परिभाषा यू० पी० सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन एक्ट, १९३९ में की गई है, बिक्री या किसी ऐसे माल की बिक्री जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय समय पर मुक्त कर दे, और

(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री जो आल इन्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो, या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियोंके

वर्गों द्वारा की गई हो जिन्हें राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर या ऐसे शुल्क देने पर, यदि कोई हों जो सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किये जांय किन्तु जो प्रति वर्ष १,००० रु० से अधिक न हो, समय समय पर मुक्त कर दे।

(२) उपधारा (१) के निदेश, उपधारा ३-ख में अभिलिखित बदनी (भविष्य के मुआहिदे) के सौदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ३ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ४ (१) (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "पुस्तकों" के पश्चात् शब्द "कापियों, बनस्पति और उनके बीजों" बढ़ा दिये जांय

श्रीमान् जी, इस धारा में कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जिन्हें बिक्री-कर से मुक्त किया गया है। मेरा प्रस्ताव यह है कि जो कापियां विद्यार्थियों के इस्तेमाल में आती हैं उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मुनासिब यह है कि कापियां भी इस टैक्स से बरी की जायं। बनस्पति और उनके बीजों का संशोधन पेश किया है। यह खाद्य पदार्थ है। और खाद्य पदार्थों को हमको तरक्की देना है। उन पर कोई टैक्स न लगने चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार की भी यही नीति है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री द्वारिका प्रसाद जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस समय इस संशोधन को वापस करलें। जैसा कि मैंने श्री फिलिप्स को जवाब देने में कहा इस किस्म के जो सुझाव सरकार के सामने आएंगे उन पर हम बराबर गौर करेंगे। जहां तक बनस्पति और बीज का ताल्लुक है, इस पर तो विचार हो भी रहा है। जैसा कि स्वयं द्वारिका प्रसाद जी ने कहा कि "लकड़ी" एक व्यापक शब्द है। लकड़ी जलाने वाली भी होती है, और मकान बनाने के काम में आने वाला टिम्बर भी लकड़ी है, वैसे ही "बनस्पति" भी एक व्यापक शब्द है। इस लिये एक साथ "बनस्पति शब्द" इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी। लेकिन हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि बनस्पति में कितनी चीजें हैं जिनको एग्जेम्पट (मुक्त) कर दिया जाय। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो सुझाव रखे जायंगे, उन पर भी हम विचार करेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी, जैसा कि आश्वासन दिया गया है, उसको देखते हुए मैं मुनासिब समझता हूं कि संशोधन को वापस करलूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिय

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० ऐक्ट १६४ धारा ा संशो

धारा १

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) अधिनियम, १६५० ई० होगा।

(२) यह १ जून, १६५० ई० से लागू होगा।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १ की उपधारा (२) में शब्द "१ जून सन्, १६५० ई० से" के स्थान पर शब्द "तुरन्त" रख दिया जाय।

जब हमने मसाविदा किया था तो खयाल था कि बिल पहली जून के पहले पास हो जायगा। पहली जून तो आज हो गयी। इस लिये मैं इस संशोधन को पेश करता हूं। आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १ की उपधारा (२) में शब्द "१ जून १६५० ई० से" के स्थान पर शब्द "तुरन्त" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यू० एक्ट १६४ धारा शोध

यू० पी० ऐक्ट १५, १६४८। कुछ प्रयोजनों के निमित्त, संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १६४८ ई० को संशोधित करना आवश्यक है,

इस लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

यू० ऐक्ट १६३

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १६५० ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधक) विधेयक को स्वीकार किया जाय।

श्री कालीचरण टण्डन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इस बिल के उस अंश का सम्बन्ध है कि पांच सौ रुपये के इक्जेम्प्शन (मुक्ति) के बजाय

एक हजार कर दिया जाय उसी सिलसिले में गवर्नमेंट के सामने एक खास बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत से सोने चांदी के व्यापारियों को आपने इक्जेम्प्ट (मुक्त) कर रखा है लेकिन जो उन्हें एक्ज़ेम्प्शन फी (मुक्ति कर) देना पड़ता है उस सबके ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिक्कत को जो अक्सर व्यापारियों को हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें जब एक हजार या पांच सौ एक्जेम्प्शन फी देनी पड़ती है उसे ४४ और ४५ हजार रुपये तक सेल्स टैक्स देने के लिये मजबूर होना पड़ता है। उस दिक्कत को दूर करने के लिये गवर्नमेंट को कोई न कोई उपाय सोचना चाहिये। पिनाल्टी (दण्ड) भी उसके न देने पर दुहरी और तिहरी पड़ती है और जिस की वजह से उसे बहुत नुक्सान होता है। इस दिक्कत की वजह से व्यापार को बहुत धक्का लगता है। वह दूर होनी चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारा हरगिज यह इरादा नहीं है कि किसी को परेशान किया जाय। बेशक उनको दिक्कतें हैं लेकिन हमें अफसोस है कि वह हमारी दिक्कतों को नहीं समझते। जो कालीचरण जी ने कहा है वह सही है। कुछ लोगों को नुक्सान हो जाता है लेकिन कुछ लोग जानबूझ कर दबा रखते हैं। फिर भी गवर्नमेंट इस पर गौर करने के लिये तैयार है ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो और अगर आप कोई सुझाव दें तो उस पर गवर्नमेंट गौर करेगी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) विधेयक जैसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है स्वीकार कर लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ११ बजकर ३० मिनट पर ५ जून, प्रातः काल ७ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कृष्ण बहादुर सक्सेना
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२ जून, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न सं० ४७ (ख) का उत्तर पीछे ३९ पृष्ठ पर)

वर्ष	क्षेत्र का नाम जहां निर्यात किया गया या आयात करने वाले प्रशासन का नाम		आग मार्क घी की कुल मात्रा जो निर्यात की गई (मनों में)	देशी घी की कुल मात्रा जो कि एक साल में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा निर्यात की गई (मनों में)
१९४६-४७	सूचना प्राप्त नहीं है		१३३९१	प्राप्त नहीं
१९४७-४८	ओ० टी० रेलवे		१५०	
	ई० आई० रेलवे		२१०	
	देहली		५३८	
	वेस्ट बंगाल		१५६७	
	पंजाब		१२०	
	टोटल	...	३३८५	+८,००
१९४८-४९	वेस्ट बंगाल		६३६०	
	देहली		६४८४	
	पंजाब		१३२०	
	टोटल	...	१४७९९	+६३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ जून, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में प्रातःकाल ७ बजे आरम्भ हुई।

अध्यक्ष——माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (११७)

अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खाँ, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
करीमुर्रज़ा खां, श्री
काली चरण टण्डन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुंजबिहारीलाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
खुशवक्तराय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण, श्री
फ़खरूलइस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बाबू राम वर्मा, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
महफूज़ुर्रहमान, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुज़फ्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञ नारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
राम नंदन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अस्थाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

श्री गुरूनारायण ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ जून, सन् १९५० ई०

अल्पसूचित ताराङ्कित प्रश्न

भूमिधरों से पूरे लगान की वसूली तथा उनके खेतों पर नाजायज़ कब्ज़ा

***१—श्री राजाराम मिश्र**—क्या यह सही है कि बहुत से जमींदारान उन किसानों से भी जिन्होंने भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं उनका पूरा लगान वसूल कर रहे हैं?

माननीय श्री हुकुमसिंह (माल मंत्री)—जी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं।

श्री राजाराम मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो शिकायतें आई हैं वे इस प्रकार की हैं कि कुछ जमींदारों ने भूमिधरों से पूरा लगान वसूल कर लिया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—एक आध ऐसी शिकायतें आई हैं।

श्री राजाराम मिश्र—जिन काश्तकारों से जमींदारों ने पूरा लगान वसूल कर लिया है उनको बचाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—उचित प्रबन्ध हो रहा है।

श्री राजाराम मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उचित प्रबन्ध क्या है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—कानूनी चाराजोई की जायेगी।

***२—श्री राजाराम मिश्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से जमींदारान भूमिधर के खेतों पर नाजायज़ क़ब्ज़ा कर रहे हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी नहीं।

जमींदारों को भूमिधरों के लगान की आधी रक़म की मुजराई

***३—श्री राजाराम मिश्र**—क्या सरकार को सूचना है कि सरकारी कर्म-

चारियों ने कुछ जिलों में उन जमींदारान को जिनके काश्तकारान भूमिधर बने हैं उन काश्तकारान के लगान की आधी रकम की मुजराई अभी तक नहीं दी है और न कोई सूचना ही सम्बन्धित जमींदारान को दी है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी हाँ।

***४—श्री राजाराम मिश्र**—क्या सरकार के पास शिकायत आयी है कि भूमिधरी आन्दोलन में जमींदारान के उक्त कार्य से बाधा पड़ने की सम्भावना ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

माननीय श्री हुकुमसिंह—शिकायतें इस हद तक नहीं हैं कि जिससे भूमिधरी आन्दोलन में बाधा पड़े।

तारांकित प्रश्न

कुमायूँ शिल्पकार व्यापार कंपनी से १ अप्रैल, १९४८, से पहले के काम पर बिक्री-कर

***१—श्री खुशीराम**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सेल्स टैक्स किस तारीख व सन् से लागू हुआ है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—सेल्स टैक्स इस प्रदेश में १ अप्रैल, १९४८ ई०, से लगाया गया है।

***२—श्री खुशीराम**—क्या यह सही है कि कुमायूँ शिल्पकार व्यापार कम्पनी का नैनीताल और रामनगर डिवीजन में सरकार द्वारा दिया हुआ साल तथा सैन के पेड़ों के टुकड़ों के ठेके का काम सेल्स टैक्स कानून लागू होने से पेश्तर खत्म हो गया था ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री खुशीराम—यह आवश्यक सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से एकत्र हो जायगी। बात यह है कि जिस कम्पनी को ठेका दिया गया था उन्होंने जमीन को बेच दिया, खुद काम नहीं किया, इसलिये सूचना मिलने में थोड़ी सी देर हो गई है।

***३-१३—श्री हरगोविन्द पन्त**—[माननीय निर्माण मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये।]

राज्य में कपास की उपज क बढ़ाने का प्रयत्न

*१४—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में वर्ष काल १९४८ व १९४९ में पृथक् पृथक् कितने कितने क्षेत्र में कपास बोई गई है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—उत्तर प्रदेश में सन् १९४८ में १,५१,३५९ एकड़ और सन् १९४९ में १,१६,३२२ एकड़ क्षेत्र में कपास बोई गई थी।

श्री बादशाह गुप्त—यह सन् १९४८ की अपेक्षा सन् १९४९ में जो कपास बोने के क्षेत्र में कमी हुई है उसका विशेष कारण सरकार की राय में क्या है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—कपास कम बोई गई।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि काश्तकारों ने १९४९ में किस कारण से १९४८ की अपेक्षा कम कपास बोई ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसलिये कि दूसरी फसलों के बोने में ज्यादा फायदा था।

श्री बादशाह गुप्त—यह आकर्षण दूसरी जिन्सों के बोने का जिसके कारण काश्तकार कपास नहीं बोता है इस को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—सरकार ने तमाम कृषि विभाग के कर्मचारियों को इस बात की ताकीद की है कि वह किसानों में कपास बोने के लिए रग़बत पैदा करें। बाज़ जगह में मुफ्त और बाज़ जगह में ५० फीसदी को सब्सीडी दी गई है। कोशिश यह की जा रही है कि जो खाद गवर्नमेंट के पास है वह कपास बोने वालों को ज्यादा मिकदार में दी जाये और यह भी कोशिश की जा रही है कि कपास के साथ और भी फसलें बोई जायें, मस्लन मूंगफली, उर्द और मूंग वगैरा। इसके तजुर्बे किसानों को दिखाये जा रहे हैं।

*१५—**श्री बादशाह गुप्त**—सरकार कपास की उपज बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है ? क्या मैनपुरी जिला भी सरकार के कपास की उपज बढ़ाने के कार्य-क्षेत्र में है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इस संबंध में एक विवरण पत्र माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है। मैनपुरी जिला भी सरकार की कपास की उपज बढ़ाने की योजना में शामिल है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८२ पर)

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि कपास की फ़सल पैदा करने के लिये सिंचाई के साधन जुटाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हाँ।

श्री बादशाह गुप्त—ज्वार और बाजरा की फ़सल भोजन पदार्थ है और जनता तथा देश के लिये उसकी बड़ी आवश्यकता है तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इस नीति को मुनासिब समझती है कि ज्वार और बाजरा के बदले कपास बोई जाय ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इस चीज की तरफ केन्द्रीय हुकूमत की तवज्जह दिलाई गई थी मगर फिर भी इस बात पर जोर दिया गया कि कपास की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जाये। जो जमीन कपास में आयेगी उस कदर पैदावार जरूर कम होगी।

श्री बादशाह गुप्त—विवरण पत्र के अंग दो बताये गये यू० पी० में बोटेनिकल स्कीम और एंटीमॉलोजीकल तरीके से सरकार का क्या अभिप्राय है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसमें यही है कि कपास के मुताल्लिक नये २ बीज निकाले जायें जिससे इसकी पैदावार वृद्धि हो।

श्री बादशाह गुप्त—कितने प्रकार के बीज निकालने में सरकार अब तक सफल हो सकी है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—एक बीज ३५/१ और दूसरा ५२० है इनके मुताल्लिक गवर्नमेंट ने तजुर्बा किया है कि इसमें ज्यादा पैदावार होती है।

श्री सुलतान आलम खां—क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि महकमा खेती बारी ने कोशिश की है कि बाहर के कपास के अच्छे किस्म के बीज को जैसे मिश्र और अमेरीका में हैं उनको यहां मंगाकर रायज किया जाय।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हाँ इसके मुताल्लिक कोशिश का सिलसिला जारी है और बाहर से बीज मंगाकर तजुर्बा किया गया है और इस से क्रॉस लेकर ३५/१ और ५२० निकाला गया है लेकिन यहां की आबहवा के लिहाज से इतनी पैदावार नहीं देते जितनी कि वह अपने यहाँ के खेतों में देते हैं।

*१६—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार की नीति कपास की उपज बढ़ाने के लिए धन सम्बन्धी सहायता देने की भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :—

(क) सहायता देने का आधार क्या रक्खा गया है ?

(ख) सहायता देने या न देने तथा उसकी मात्रा तय करने का अधिकार किस व्यक्ति अथवा कमेटी को है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी नहीं। क और ख का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील करहल, ज़िला मैनपुरी में फ़रवरी १९५० में जमींदारी उन्मूलन दरबार

*१७---श्री **बादशाह गुप्त**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिलाधीश मैनपुरी ने फरवरी, १९५० ई०, में जमींदारी उन्मूलन दरबार, तहसील करहल, जिला मैनपुरी, में किया था ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---जी हाँ।

*१८—श्री **बादशाह गुप्त**—क्या उक्त दरबार में कोई प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट या सनद) भी दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---दरबार में दो प्रकार के प्रमाण पत्र दिये गये थे। उनकी एक एक प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८३ पर)

*१९—श्री **बादशाह गुप्त**---क्या सरकार ग्राम दुंदपुर, सहन व फाजिलपुर, तहसील करहल, जिला मैनपुरी निवासी प्रमाण पत्र पाने वालों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—ग्राम दुंदपुर में श्री सुम्मीर सिंह तथा श्री जगन्नाथ सिंह और ग्राम सहन में श्री बाबू सिंह को प्रमाण पत्र दिये गये। फाजिलपुर के किसी निवासी को सनद नहीं दी गई।

श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं यह किसके मशविरे से दिए गए हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—लोकल आथारिटीज ने आपस में तै किया।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि जिन सज्जनों को यह प्रमाण पत्र दिए गए हैं उन्होंने अपने हिस्से का १० गुना लगान दे दिया है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—कोई वाक़यात सरकार के पास ऐसे नहीं थे जिससे यह पता चलाने की जरूरत समझी जाती।

*२०—**श्री गंगा प्रसाद**—[मा० पुलिस मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया।]

*२१—२४—**श्री नवाबसिंह चौहान**—[स्थगित किये गये।]

*२५—३१—**श्री केशव गुप्त** (अनुपस्थित)— [स्थगित किये गये।]

*३२—३५—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—[स्थगित किये गये।]

उद्योग विकास के लिए सन् १९४८-४९ में दिये गये ऋण की वसूली

*३६—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उद्योग के विकास के लिए सन् १९४८-४९ में कुल कितना रुपया क़र्ज़ दिया गया था?

(ख) इस क़र्ज़ में से कितना रुपया वसूल हुआ और कितना बाकी है?

(ग) जो रुपया बाकी है, सरकार उसकी वसूली का क्या प्रबन्ध कर रही है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) १,२४,००० रुपया।

(ख) ऋण का रुपया छोटी छोटी किस्तों में वसूल किया जाता है। किस्तों की निश्चित अवधि पर ऋण लेने वाले व्यक्ति ब्याज सहित किस्त जमा करते रहते हैं। इस प्रकार १,२४,००० रुपया में से किस्तों द्वारा १२,७३४ रुपया ६ आने ९ पाई मूल वसूल हो चुका है और १,११,२६५ रुपया ९ आने ३ पाई मूल अभी वसूल होने के लिये बाकी है।

(ग) उपरोक्त प्रकार से निश्चित अवधि पर किस्तों का रुपया जमा होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति निश्चित अवधि पर किस्त का रुपया जमा नहीं करता है तो जिला अधिकारियों द्वारा इस विभाग के कर्मचारियों की सहायता से उन लोगों से यह रुपया उसी प्रकार वसूल किया जाता है जिस प्रकार मालगुजारी का बकाया वसूल किया जाता है।

नोट:—टेकिनिकल संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बहुधा नवयुवक पूंजी न होने के कारण छोटे छोटे उद्योगों के चलाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इस तरह के तथा अन्य शिक्षित लोगों के लिये जो कि अनुदान अथवा ऋण लेकर छोटा मोटा धन्धा शुरू कर सकते हैं सरकार ने एक ऋण और अनुदान योजना बनाई है। १९४८-४९ में ऋण के लिये ३ लाख बजट में मंजूरी थी इसमें से १,२४,००० रुपया कर्ज दिया गया है। ऋण किस्तों में वापस लिया जाता है और इसके वापसी के वही ढंग हैं जो बकाया मालगुजारी के हैं।

श्री बादशाह गुप्त—यह रुपया जो दिया जाता है वह कितने साल की किस्तों पर दिया जाता है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—हर किस्त में मैं समझता हूँ मुख्तलिफ किस्तें होती हैं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने यह मालूम करने की कृपा की है कि सन् ४९ के अन्त में जिन किस्तों का पूरा रुपया वसूल होना था वह पूरा रुपया वसूल हो गया या उसमें से अधिक अंश मारा गया ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—संभवतः जो वाजिब था उनका रुपया वसूल हुआ।

बलरामपुर में कतिपय स्कूलों को सरकारी सहायता

*३७—**श्री बलदेव प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोंडा जिला के अन्तर्गत बलरामपुर में लायल कालेजियेट स्कूल, डी० ए० वी० स्कूल तथा गर्ल्स हाई स्कूल को वार्षिक सरकारी सहायता कितनी मिलती है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वर्ष १९४९-५० में इन विद्यालयों को निम्नांकित अनुदान मिला है :—

(१)	लायल कालेजियट हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर		१८२४० रु०
(२)	डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल,	,,	७८७२ ,,
(३)	गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल	,,	१३२७२ ,,

*३८—**श्री बलदेव प्रसाद** (अनुपस्थित)—पहली जनवरी, सन् १९५० ई०, को इन प्रत्येक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लायल कालेजियेट हायर सेकंडरी स्कूल बलरामपुर ५८६ (२) डी० ए० वी० हायर सेकंडरी स्कूल बलरामपुर ३८७ (३) गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल बलरामपुर ३६५।

विभिन्न जिलों में ट्रैक्टरों द्वारा भूमि की जुताई

*३९—**श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कितने और किन किन जिलों में ट्रैक्टर यूनिट्स रखे गये हैं ? हर यूनिट में कितने और किस प्रकार के ट्रैक्टर हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—एक नकशा, जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८४ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३९-४५ श्री राजाराम मिश्र ने पूछे।

*४०—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—जिलों में उक्त ट्रैक्टर यूनिट्स कब से भेजी गई हैं और तब से १५ मार्च, १९५०, तक इन ट्रैक्टरों से कितनी जमीन जोती गई है ? जुताई की दर क्या है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—ये यूनिटें उन तारीखों को भिन्न भिन्न (मुख्तलिफ़) जिलों में भेजी गई थीं जो माननीय सदस्य की मेज पर रक्खे गये नक्शे में दी गई हैं। १५ मार्च १९५० ई० तक ३०१६ एकड़ जमीन जोती गई। जिस दर से जोताई हुई वह नक्शे में दिखाई गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८५ पर)

श्री राजाराम मिश्र—कानपुर जिले में ५ ट्रैक्टर दिसंबर में भेजे गये अभी तक उनसे कोई जुताई नहीं हुई, इसका क्या कारण है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—गालिबन किसानों की तरफ से दरख्वास्तें नहीं आई होंगी।

श्री बादशाह गुप्त—जो जुताई की दरें नक्शे में दी गई हैं, क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि वे क्या हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—पहली जुताई के लिये २५ रुपया एकड़ और पहली हैरोइंग के लिये १२ रुपया और दूसरी हैरोइंग के लिये ८ रुपया फी ऐकड़ है।

*४१—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—जब से उक्त ट्रैक्टर यूनिट्स ने काम शुरू किया है तबसे १५ मार्च सन् १९५० ई० तक उन पर (ट्रैक्टरों का मूल्य छोड़कर) रख रखाव, वेतनादि पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—२६,२०५ रु०

*४२—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि समस्त ट्रैक्टर एक ही कम्पनी के (फोर्डसन) के खरीदे गये हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी नहीं।

*४३—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त यूनिटों में पर्ती जमीनों को तोड़ने के लिये चेन टाइप ट्रैक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—पड़ती जमीन अलग अलग

किस्म की होती है। इन यूनिटों से ऐसी जमीन जोती जा सकती है जिसमें बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें न हों।

*४४—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट द्वारा भेजी हुई ट्रैक्टरों की यूनिटें परती जमीन को तोड़ने से इनकार करती हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह उस जमीन की किस्म पर निर्भर है जिसे तोड़ा जाय।

*४५—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट का कोई आदेश ऐसा गया है कि कम से कम १०० एकड़ के ब्लाक को ही जोतने के लिये ट्रैक्टर भेजे जायं और वह भी परती जमीन को तोड़ने के लिये नहीं?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हाँ।

सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में पूछताछ

*४६—**श्री वन्शीधर मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जो सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार करते हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ।

*४७—**श्री वन्शीधर मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसे स्कूलों या संस्थाओं को कोई आर्थिक सहायता देती है? यदि हाँ, तो कितनी कितनी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ। सन् १९४९-५० में दी हुई सरकारी अनुदान की तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८६ पर)

*४८—**श्री वंशीधर मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या ऐसे स्कूलों से उत्तीर्ण छात्रों को सरकार नौकरी के लिये कोई विशेष सुविधा देती है? यदि हां तो वे सुविधायें क्या हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*४९—**श्री वन्शीधर मिश्र** (अनुपस्थित)—ऐसे स्कूलों या संस्थाओं में छात्रों के भरती होने के सम्बन्ध में क्या कोई रुकावट है? यदि हां, तो वे क्या हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*५०—**श्री वन्शीधर मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसे स्कूलों की मान्यता अब क़ायम रखना चाहती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारतीय संविधान की धारा ३३७ के अनुसार समस्त एंग्लो इंडियन तथा योरोपियन शिक्षा संस्थायें आगामी १० वर्षों के लिए कुछ प्रतिबन्धों के साथ सुरक्षित हैं। इसलिए इस समय उनकी मान्यता बनाये रखने या वापस ले लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टेहरी—गढ़वाल में विभिन्न पाठशालाओं की संख्या

*५१—**श्री प्रेमलाल वैद्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर तथा कन्या पाठशालायें कितनी हैं और इस वर्ष कितनी खोली जा रही हैं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—

(क) माननीय सदस्य की मेज़ पर एक तालिका रख दी गई है।

(ख) नये स्कूल खोलने का विषय विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८८ पर)

*५२—**श्री प्रेमलाल वैद्य** (अनुपस्थित)—[माननीय निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया।]

*५३—**श्री अब्दुल हमीद**—[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया।]

१८५७ के विद्रोह में ज़ब्त की गई ज़मीनों की वापसी

*५४—**श्री अलगूराय शास्त्री** (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ तथा ४५ जिनका अन्तःकालीन उत्तर ६ मई, सन् १९४८ ई०, को दिया गया था।]

*४४—क्या सरकार कृपया बताएगी कि कहां कहां और किस किस की ज़मीनें इस सूबे में उस सिलसिले में ज़ब्त हुईं ?

*४५—क्या सरकार को उन जायदादों को उनके मौलिक मालिकों को

नोट १—तारांकित प्रश्न संख्या ५१ श्री खुरशीद ने पूछा।

नोट २—तारांकित प्रश्न संख्या ५४ श्री बादशाह गुप्त ने पूछा।

वापस देने के लिए कोई सुझाव किसी ने भेजा है ? यदि हाँ, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ तथा ४५ के उत्तर में ६ मई, सन् १९४८ ई०, को जैसा कहा गया था, एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है ।]

*४४—पूछताछ की गई, परन्तु प्राप्त सूचना इतनी विस्तारपूर्ण है कि उसके संकलन में जितना परिश्रम करना पड़ेगा उतना उससे लाभ नहीं होगा ।

*४५—इस विषय पर जमींदारी उन्मूलन समिति ने विचार किया था। समिति ने सिफारिश की है कि प्रतिकर का निर्धारण इस पर निर्भर नहीं होना चाहिये कि जमींदारी कब और किस प्रकार प्राप्त की गई । इस कारण जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार बिल में ऐसा कोई निदेश नहीं रखा गया है जिससे उन लोगों को जिनकी जमींदारियाँ सन् १८५७ में जब्त हुई थीं प्रतिकर का कोई भाग मिल सके । यह विषय इस बिल के सम्बन्ध में अब विधान सभा के विचाराधीन है ।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (जारी)

धारा १०७

१०७ - इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी खानों को चलाने और उनसे खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से इस अध्याय के निदेशों द्वारा नियमित होगा (shall be governed by).

खानों के संचालन का इस अध्याय द्वारा नियमित होना ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १०७ इस विधेयक का अंश मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा १०८

१०८—(१) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ऐसी सब खानों के विषय में, जो इस विधान के अधीन हस्तगत किये गये आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत हों और उक्त दिनांक से ठीक पहले के

मध्यवर्ती द्वारा चलाई जाने वाली खान ।

दिनांक पर चालू रही हो तथा जिन्हें मध्यवर्ती स्वयं चला रहा हो, मध्यवर्ती के ऐसा चाहने पर यह समझा जायगा कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा मध्यवर्ती को पट्टे पर दे दी गई हैं और ऐसे मध्यवर्ती को उन खानों को पट्टेदार के नाते में अपने कब्जे में रखने का अधिकार होगा।

(२) प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले उक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध ऐसे होंगे, जो प्रांतीय सरकार और मध्यवर्ती के बीच तय हो जायं या यदि इस प्रकार तय न हो पायें तो वे, जिन्हें धारा १११ के अधीन नियुक्त खनिक विचारक मण्डल (Mines Tribunal) तय कर दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सब प्रतिबन्ध और शर्तें खान चलाने के नये पट्टों के प्रदान (grant of new mining leases) को नियमित करने के लिये समय विशेष पर प्रचलित केन्द्रीय (Central) विधान (Act) के निदेशों के अनुसार होंगी।

श्री राजाराम मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १०८ की उपधारा (१) की पंक्ति ६ में "नाते" के बाद शब्द "में" निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक शाब्दिक संशोधन है। "में" रहने से इसका अर्थ साफ जाहिर नहीं होता। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन शाब्दिक है। इससे जबान में जो खामी है वह ठीक हो जाती है। इस लिये मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १०८ की उपधारा (१) की पंक्ति ६ में "नाते" के बाद शब्द "में" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १०८ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १०९

खानों और खनिज पदार्थों के चालू पट्टे।

१०९—(१) यदि आस्थान या आस्थानों के स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले उक्त आस्थान अथवा उसके या उनके किसी भाग के, अन्तर्गत किसी खान या खनिज पदार्थों का कोई चालू पट्टा हो, तो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत सम्पूर्ण आस्थान या आस्थानों के अथवा उसके या उनके उस भाग के विषय में यह समझा जायगा कि स्वत्वाधिकार के दिनांक से उस चालू पट्टे के पट्टेदार के पक्ष में प्रान्तीय सरकार ने उस पट्टे को शेष अवधि के लिये खान या खनिज पदार्थों का पट्टा कर दिया है और ऐसे पट्टेदार को उस पट्टे की सम्पत्ति अपने कब्जे में रखने का अधिकार रहेगा।

(२) प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये पूर्वोक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध आवश्यक परिवर्तन के साथ वे ही होंगी, जो उपधारा (१) में अभिदिष्ट (referred) चालू पट्टे की थीं; किन्तु उनमें एक प्रतिबन्ध यह और होगा कि यदि प्रांतीय सरकार का यह मत हो कि पट्टेदार ने इस विधान के प्रारम्भ के दिनांक से पहिले कोई अन्वेषण(prospecting) या विकास (development) कार्य नहीं किया है, तो प्रांतीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय तीन मास का लिखित नोटिस देकर पट्टे को समाप्त कर दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वर्तमान खान सम्बन्धी पट्टों के परिष्कार का नियमन (regulating) करने वाले समय विशेष पर प्रचलित किसी केन्द्रीय विधान के निदेशों के अनुसार उक्त पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों में कोई परिष्कार करने में इस धारा में कही गई कोई बात बाधक नहीं समझी जायगी।

(३) उपधारा (१) में अभिदिष्ट खान और खनिज पदार्थों के पट्टेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि भूतपूर्व मध्यवर्ती से इस आधार पर कोई क्षतिपूर्ति मांग सके कि उक्त खान और खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा दिए गये पट्टे की शर्तें इस विधान का व्यापार प्रारम्भ (operation) हो जाने के कारण पूरी किये जाने के योग्य नहीं रह गई हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १०९ की उपधारा (१) की तीसरी पंक्ति में "आस्थान" और "अथवा" के बीच "या आस्थानों के" जोड़ दिया जाय और पंक्ति ३ में शब्द "के" के बाद "कामा" का चिन्ह निकाल दिया जाय।

यह केवल शाब्दिक सुधार है और इसको स्वीकार किया जाय।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं इस को स्वीकार करता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १०९ की उपधारा (१) की तीसरी पंक्ति में "आस्थान" और "अथवा" के बीच "या आस्थानों के" जोड़ दिया जाय और पंक्ति ३ में शब्द "के" के बाद "कामा" का चिन्ह निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १०९ की उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में "होंगी" के स्थान पर "होंगे" और चौथी पंक्ति में "की थी" के स्थान पर "के थे" रक्खा जाय।

यह भी भाषा के सुधार के लिए है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १०९ की उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में "होंगी" के स्थान पर "होंगे" और चौथी पंक्ति में "की थी" के स्थान पर "के थे" रक्खा जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १०९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११०

खानों से सम्बद्ध इमारतें और भूमि ।

११०—यदि किसी आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत खानों और खनिज पदार्थों का कोई पट्टा धारा १०८ या १०९ के कारण प्रांतीय सरकार द्वारा दिया हुआ समझा जाय, तो ऐसी सब इमारतें और भूमि, जो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत न हों, उस भूमि के सहित, जिस पर खान सम्बन्धी कोई निर्माण (works), मशीनरी, ट्रामवे या साइडिंग (siding) स्थित हों, आस्थान या आस्थानों के स्वत्वाधिकार में जाने के दिनांक से प्रांतीय सरकार द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर दे दी गई समझी जायेगी, चाहे वे उस आस्थान के अन्तर्गत हों या ऐसे किसी दूसरे आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत हों, जो इस विधान के व्यापार (operation) में आने के कारण महामहिम के स्वत्वाधिकार में आगए हों और पट्टे के अन्तर्गत खानों के चलाने और खनिज पदार्थों के निकालने से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए पट्टेदार के उपयोग और कब्जे में हों, और पट्टेदार को अधिकार होगा कि ऐसी सब इमारतें और भूमि ऐसे उचित और न्याय (fair and equitable) लगान पर अपने कब्जे में रखे, जो प्रान्तीय सरकार और पट्टेदार के बीच तय हो या यदि तय न हो, तो उस लगान पर, जिसे धारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मण्डल (Mines Tribunal) निश्चित कर दे ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान्‌जी की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ११० में निम्नलिखित संशोधन किये जायें ।

(१) नवीं पंक्ति में शब्द "में जाने" निकाल दिया जाय ।

(२) उन्नीसवीं पंक्ति में "कि" और "ऐसी" के बीच शब्द "वह" जोड़ दिया जाय, और

(३) बीसवीं पंक्ति में "न्याय" के स्थान पर "न्याय्य" रक्खा जाय ।
यह सब संशोधन शाब्दिक हैं ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुझे स्वीकार हैं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११० की नवीं पंक्ति में शब्द "में जाने" निकाल दिये जायं; १९वीं पंक्ति में "कि" और "ऐसी" के बीच शब्द "वह" जोड़ दिया जाय, बीसवीं पंक्ति में "न्याय" के स्थान पर "न्यायय" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ११० विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १११

खानिक विचारक मण्डल

१११—(१) धारा १०८ ,११० और ११२ के प्रयोजनों के लिये नियुक्त प्रत्येक खानिक विचारक मण्डल में एक अध्यक्ष (Chairman) और एक सदस्य होगा, जिनमें से पहला कोई डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा कोई खान विशेषज्ञ होगा और दोनों प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायँगे

(२) धारा १०८ के अधीन प्रान्तीय सरकार द्वारा किये गये पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों के तय करने में खानिक विचारक मण्डल को यह अवधारित करने का अधिकार रहेगा कि कितनी सम्पत्ति प्रान्तीय सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई समझी जाय।

(३) विचारक मण्डल उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

(४) यदि किसी विषय पर अध्यक्ष और सदस्य में कोई मतभेद हो, तो अध्यक्ष इस सम्बन्ध में चीफ जस्टिस द्वारा नामांकित (nominated) हाई कोर्ट के किसी जज के पास वह विषय अभिदेश (reference) के लिये भेज देगा और विचारक मण्डल ऐसे जज के निर्णय से बाध्य होगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १११ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११२

११२—(१) यदि धारा १०९ की उपधारा (२) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रतिबन्ध (additional condition) के अनुसार खानों या खनिज पदार्थों का कोई पट्टा प्रांतीय सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाय, तो समय से पूर्व पट्टे की समाप्ति के निमित्त पट्टेदार, प्रांतीय सरकार से ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा, जो प्रांतीय सरकार और पट्टेदार के बीच तय हो जाय या इस प्रकार तय न होने पर, जो धारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मंडल द्वारा अवधारित किया जाय।

समय से पूर्व खानों और खनिज पदार्थों की समाप्ति के निमित्त प्रतिकर।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय प्रतिकर अवधारित करते समय विचारक मंडल और बातों के साथ उस मामले (transaction) के जेन्य या अजेन्य (genuine or otherwise) होने का और ऐसे काल का, जिस तक वह पट्टा चालू रह चुका है, ध्यान रक्खेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११२ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११३

११३—प्रान्तीय सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११३ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११४

गांव - समाज की स्थापना और निगमीकरण।

११४—(१) प्रत्येक गांव के लिये ऐसे दिनांक या दिनांकों से और ऐसे नाम से, जो नियत किये जायं, एक सतत अनुक्रम वाले (having perpetual succession) ऐसे गांव-समाज की स्थापना की जायगी, जो एक निगमित संस्था (body corporate) होगी और, किसी दूसरे विधायन (enactment) को बाधित न करते हुए उसे यह भी सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित (aquire) कर सके, रख सके, उसका प्रशासन (administering) और हस्तान्तरण कर सके तथा संविदा भी कर सके;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार के निर्देशानुसार एक गांव से अधिक या कम के लिये भी एक गांव-समाज स्थापित हो सकेगा।

(२) वह क्षेत्र, जिसके लिये कोई गांव-समाज स्थापित किया जाय, मंडल (circle) कहलायेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११४ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११५

गांव-समाज का निर्माण और उसकी सदस्यता।

११५—गांव-समाज में ऐसे सब वयस्क (adult) व्यक्ति होंगे, जो समय विशेष पर—

(क) उस मण्डल में साधारणतया निवास करते हों, जिसके लिये गांव-समाज की स्थापना हुई हो, या

(ख) उस मण्डल में भूमिधर, सीरदार, असामी या अधिवासी के नाते भूमि रखते हों।

स्पष्टीकरण(१)—यदि कोई व्यक्ति किसी

मंडल में साधारणतया रहता हो या उसमें उसके कुटुम्ब के रहने का कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह कभी-कभी रहता हो या उसमें रहने का उसका कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह जब चाहे तब रह सके और जिसमें वह कभी-कभी रहता भी हो, तो यह समझा जायगा कि वह उस मण्डल में साधारणतया निवास करता है।

स्पष्टीकरण (२)—यदि कोई खाता, किसी न्यास (trust), संस्था (society) या व्यक्तियों के किसी दूसरे संघ (association) के पास हो, या उसकी ओर से किसी और के पास हो, तो ऐसे न्यास (trust) संस्था या संघ का प्रधान अधिकारी या कार्यकर्ता (functionary) इस धारा के प्रयोजनों के लिये खाते के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या आसामी समझा जायगा।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११५ की उपधारा (क) निकाल दी जाय।

हुज़ूरवाला के ज़रिए मैं विधान सभा की तवज्जह और आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह ज़मीन की डेफिनीशन 'परिभाषा' की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वह डेफिनीशन यह है—

" (n) land, except in sections 146 and 147, means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry."

[(८) 'भूमि' का तात्पर्य धारा १४६ और १४७ को छोड़ शेष ऐक्ट में ऐसी भूमि से है, जो किसी के पास या दखल में कृषि फलोत्पादन, पशुचर या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो,]

आप यह देखिये कि आपकी डेफ़िनीशन यह है कि एक गाँव का एक शख्स जो उस गाँव में आर्डिनरेली (साधारणतया) रहता हो यानी उसकी मुस्तकिल सकूनत न हो, कभी आता जाता हो, वह भी गाँव समाज का मेम्बर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस शख्स के पास भूमि बिलकुल नहीं है या लैंडलेस लेबरर है, वह अगर बालिग है तो गाँव समाज का मेम्बर हो सकता है। मेरा मतलब इस अमेंडमेंट को मूव करने का यह है कि वही शख्स जिसके लैंड की डेफिनीशन आखिर में है मेम्बर हो क्योंकि उसका इंटेरेस्ट हो सकता है। आप

[श्री ऐजाज़ रसूल]

देखिये कि जिनके पास जमीन नहीं है उनके सुपुर्द तमाम इंतिज़ामात कर देना कहां तक मुनासिब और दुरुस्त हो सकता है। उनकी तो हमेशा यही राय होगी कि जिनके पास जमीनें हैं उनको जमीनें न मिलें और वह हमेशा इस बात की तरकीबें निकालेंगे कि उनकी जमीनें निकल जायँ। लोगों ने अपने पास से रुपया दिया है तब भूमिधर बने हैं, लेकिन होगा यह कि दफा १२१ की रू से गाँव समाज सब इन्तज़ाम करेगी और समाज दफा १२ पंचायत राज ऐक्ट के जरिए बनेगा। अगर पंचायत राज ऐक्ट की दफा १२ आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि गाँव पंचायत के ३० से ५७ तक मेम्बर होंगे। देखना यह है कि प्रापर्टी का इंतजाम गाँव पंचायत के सुपुर्द कर देना कहाँ तक मुनासिब है। मैं यह समझता हूं कि जिनका जमीनों से वास्ता है उन्हीं को पंचायत का मेम्बर होना चाहिये और जिनका इससे वास्ता नहीं है उनको मेम्बर नहीं होना चाहिये।

आर्डिनरी का लफ्ज़ जो है वह बहुत वेग भ्रमात्मक और बड़ा ही मुबहम है कि किसी का मकान है उसी को मेम्बर कर दिया जाय। तो यह गवर्नमेंट के और वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिये मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है और मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब उसको कबूल करेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे नवाब साहब के इस संशोधन को सुनकर के बहुत ताज्जुब हुआ। मौजूदा प्रजातन्त्र के जमाने में इस किस्म की दलील देना और मनुष्य को पूर्ण रूप से उसके अधिकारों से वंचित कर देने का प्रयत्न करना यह मुनासिब नहीं मालूम होता। गाँव के अन्दर रहने वाले सभी व्यक्ति गाँव समाज बनाते हैं। गाँव समाज एक बाडी होगी, एक संस्था होगी जिसमें गाँव का हर बालिग उस समाज का सदस्य होगा। गाँव का इंतिज़ाम करने के लिये गाँव पंचायत होगी। अब नवाब साहब का यह कहना है कि जो खेती रखने वाले हैं वही गाँव समाज के सदस्य हों बकिया जिनके पास लैंड नहीं है उनको गाँव समाज से कोई वास्ता न हो, यह अजीब दलील है। गाँव के अन्दर बहुत से ऐसे व्यक्ति रहते हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, धोबी हैं वह एक तरह से गाँव के खेती करने वालों की मदद करते हैं और उनका गाँव के इन्तजाम में हाथ रहता है और वह गाँव के एक मेम्बर होते हैं। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि वह लोग जो खेत नहीं रखते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है वह गाँव समाज के सदस्य नहीं हों, यह तो उनके इनहेरेंट राइट्स जो है, जो उनके जन्म सिद्ध अधिकार हैं उनसे ही नवाब साहब उन्हें वंचित करना चाहते हैं। यह बहुत ही नामुनासिब संशोधन है। गाँव का हर व्यक्ति जो बालिग है उस भूमि का वह पूर्ण अधिकारी है। उसको उसके इन्तजाम में पूरा हक है। देश के हर बालिग बाशिन्दे को हिन्दोस्तान में बराबर का हक हासिल है और इस प्रकार के पुराने खयालात को नवाब साहब और उनके साथियों को अपने दिल से निकाल देना चाहिये कि ज़मीन के मालिक, जैसा कि अभी तक थोड़े से ज़मींदार

हुआ करते थे, वह हैं जिनके हाथ में ताकत है बकिया किसी को उससे वास्ता न हो, ऐसे पुराने खयालात को निकाल ही देना चाहिये। लेकिन मुझे ताज्जुब और अफसोस है कि अभी वही पुराने खयालात नवाब साहब और उनके साथी निकाल नहीं रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वे अपनी जहनियत को तबदील करेंगे और दुनिया की हालत और मौजूदा हालत को देखते हुए अपने को सुधारेंगे और हर एक को बराबर समझने की कोशिश करेंगे। यह नहीं कि केपिटलिस्ट मेंटलिटी एक तरह से बना रखें। दलील में तो नवाब साहब भी कितनी ही बार कहते हैं कि केपिटलिस्ट मेंटलिटी खत्म होनी चाहिये, लेकिन यहाँ आप कहते हैं कि जमीन में जिसका कैपिटल हो वही गाँव समाज का मालिक हो और किसी को गाँव में हकेमिल्कियत न हो वह गाँव समाज का मेम्बर न हो, यह बड़ी गलत चीज है। जमीन तो जोतने वाले की होगी उसको तो गाँ समाज नहीं ले लेगा लेकिन पूरे गाँव की मिल्कियत का जहाँ तक ताल्लुक है, एक इनकार्पोरेट बाडी होने का सवाल है कि तमाम गाँव जिस बाडी के अन्तर्गत रहे यह मुनासिब तरीके पर इस विधेयक में रखा गया कि हर गांव का रहने वाला बालिग गांव समाज का सदस्य होगा और गांव के बाहर रहने वाले व्यक्ति, अगर उन का भी वहां लगाव हो, चाहे वह अधिवासी हों या भूमिधर की हैसियत से हों उनको भी उस गांव समाज में इस अधिनियम के अनुसार मेम्बर होने का हक दिया गया है। पंचायत राज ऐक्ट में गांव के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को गांव समाज का सदस्य होने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें गांव समाज के अन्दर यह बात विशेष रूप से रखी गयी है कि बाहर का रहनेवाला भी अगर उसका किसी किस्म का जमीन में हक हो तो वह भी गांव समाज का सदस्य हो जायगा, इस तरह का ग गांव का पूरा मालिक होगा और उसका इंतजाम वहां की जो ग होगी पूरे तौर पर करेगी। इसी कुछ गलतफहमी के कारण आगे के भ हैं। जब उनका वक्त आयेगा तो मैं उस वक्त सफाई करने की करूंगा। लेकिन जो इस संशोधन के जरिये से नवाब साहब ने बात क वह तो एक पैदायशी हक को छीनने की बात कही गयी है।

मैं समझता हूँ कि नवाब साहब इस पर फिर गौर करेंगे और इसको वापस लेंगे।

श्री सुलतान आलम खां—जनाब स्पीकर साहब, जो संशोधन मेरे दोस्त ऐजाज रसूल साहब ने अभी पेश किया है और उस पर उन्होंने जो तकरीर की वह भी मैंने सुनी और मैंने धारा को भी पढ़ने की कोशिश की। और मैं इस बात को सफाई से कहना चाहता हूँ उसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में काफी उलझन पैदा हो गयी। इसमें शक नहीं और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता

[श्री सुल्तान आलम खां]

कि जहां तक आराजियों के इन्तजाम का ताल्लुक है हम यह उसूल मान चुके हैं कि गवर्नमेंट उनका इस तरीके पर बन्दोबस्त करना चाहती है कि गांव वाले ही उनका इन्तजाम करें। यह उसूल इस बिल की स्कीम में मान लिया गया है। देखना यह है कि जो उसूल हम ने मान लिया है, जो बिल के अन्दर हम प्राविजन कर रहे हैं उसे उसका कहां तक तकमीला हो सकता है। सबसे पहली चीज जो इस दफा को पढ़ने के बाद इंसान के दिमाग के ऊपर असर डालती है वह यह है कि हम ने एक नया इंस्टीट्यूशन पैदा करने की कोशिश की है जिस का नाम है गांव समाज। हम को यह भी मालूम है कि इस से पहले हम देहातों में गांव पंचायत और गांव सभा भी बना चुके हैं। एक मामूली अक्ल और फरासत का इंसान उस को अगर पहली नजर में देखता है तो उस के दिमाग में यह खयाल पैदा होता है कि यह एक बड़ा कनफ्यूजन (भ्रम) है कि एक तरफ से गांव सभा और गांव पंचायत हैं और दूसरी तरफ गांव समाज, एक नयी चीज पैदा कर दी गयी है। इस के अलावा दूसरी दिक्कत और दुश्वारी जो मुझे महसूस होती है वह यह है कि हमारा रोजमर्रा का तजुर्बा है कि किसी चीज का इंतजाम अगर बहुत से आदमियों के हाथ में दिया जाय तो वह इंतजाम कभी कारामद नहीं होता। एक मशहूर मसल है, अंग्रजी की "टू मेनी कुक्स स्पवायल दी ब्राथ"। (बहुते जोगिन मठ उजाड़) अगर इंतजाम को अच्छे तरीके पर चलाना है, इंतजाम को मुनासिब ढंग से चलाना है तो हम को ऐसे लोगों के हाथ में इंतजाम देना चाहिये, जो उसके अहल हों जिन के पास वक्त हो, दिमाग हो, जो इस को करने का हक रखते हों।

सिर्फ यह कह देना कि इस जनता राज्य के जमाने में किसी आदमी या किन्हीं थोड़े से आदमियों के हाथ में इस किस्म का इन्तजाम दे देना यह उसूले जम्हूरियत के खिलाफ है, मैं इसे मानने से इन्कार करता हूं। जम्हूरियत का असल मंशा तो यह है कि जो सरकार की नीति है वह इस तरह से चलाई जाय कि पूरा शासन जनता के मफाद के खातिर किया जाय। वह इस तरीके पर न किया जावे जैसा कि अब तक कुछ वेस्टेड इंटेरेस्ट्स में किया जाता था। उसका इंटेरेस्ट वह हो जो जनता का इंटेरेस्ट हो। यहां तक तो यह उसूल सही है। लेकिन अगर इस उसूल को इस चीज के ऊपर परखने की कोशिश करें कि यह किस तरह से कारामद होता है तो हमें दिक्कत मालूम होती है। क्या यह वाकया नहीं है कि डेमोक्रेसी के जमाने में एक जिले का इंतिजाम करने के लिये एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रखा जाता है? कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात आटोक्रेटिक हैं और यह एक पुराने जमाने का इंस्टीटियूशन है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स (अधिकार) ऐसे हैं जिनमें पबलिक वायस की पहुँच नहीं है तो यह एतराज बहुत हद तक सही हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी न सिर्फ अपने इस देश में ही बल्कि दुनिया में अगर इस बात पर गौर करें तो यह

सही है कि किसी इंस्टीट्यूशन का इंतिजाम अगर एक आदमी के हाथ में या एक मुख्तसिर सी जमात के हाथ में दिया जाय तो इंतिजाम ज्यादा अच्छी तरह से चल सकता है और काम अच्छे तरीके से हो सकता है बनिस्बत इसके कि बहुत से लोगों के हाथ में दिया जाय। पंचायत राज्य के कानून में ही देखिये। मैं पंचायत राज्य की स्कीम को मानता हूँ और उसकी कद्र करने वाला हूँ, लेकिन मसलन् उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे यहां पंचायतें जो बजट बनावेंगी तो पूरी पंचायत बैठेगी और बजट फ्रेम करेंगी। देखने में खयाल बड़ा ऊँचा है लेकिन हमें सोचना चाहिये कि यह किस तरीके से पूरा हो सकता है और क्या इसमें दिक्कत नहीं होती और फिर हम यह भी सोचें कि हम एक इब्तिदाई दौर से गुजर रहे हैं, हम एक एक्सपेरीमेंटल स्टेज (प्रयोगात्मक स्थिति) से गुजर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हम काम को इस तरीके पर चलावें कि जिससे उसकी बुनियादें मुस्तहकम हो जाँय और वह इमारत जो हम खड़ी करना चाहते हैं वह सही तौर पर खड़ी हो सके। लेकिन क्या होता है कि एक ऐसी स्कीम लाने की कोशिश है जो स्कीम बिल जाहिरा जहां तक स्लोगंस का ताल्लुक है बहुत ज्यादा खुशनुमा है लेकिन अगर अमली तौर पर उस पर काम नहीं हो सकता है तो हमें बराबर उसमें तरमीम करनी पड़ेगी और उस तरमीम के माने होंगे मायूसी, उस तरमीम के माने होंगे इंतिजाम में देर और खराबी। तो ऐसी सूरत में क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि इस मसले पर कि इस बुनियाद से इस तरीके पर गौर किया जाय कि हम बेशक इस उसूल को मानते हैं कि गांव का इंतिजाम गांव के लोगों के हाथ में होना चाहिये, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि कौन लोग उस इंतिजाम को चला सकते हैं? यह भी एक मुसल्लिमा उसूल है कि आप कोई कमेटी बनावेंगे तो आप उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को रखेंगे जो उसके माहिर हैं। आप यूनिवर्सिटी कौंसिल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनका तालीमी कैरियर हो। अगर आप डाक्टर्स की कोई अंजुमन बनाते हैं तो उसमें आप डाक्टर्स को रखेंगे, वकील को नहीं रखेंगे। अगर आप बार असोसियेशन का तखइयुल अपने सामने लाते हैं तो उसमें वकील, मुख्त्यार और बैरिस्टर होंगे। तो कुदरतन यह सवाल पैदा हो सकता है कि जमीन जिसके ऊपर हम सबकी जिन्दगी का दारोमदार है, जिसके ऊपर हमारे मुल्क की फलाह व बेहबूदी का दारोमदार है, अगर हम उसको सही तौर पर डेवलप करना चाहते हैं और मैं यह मानता हूँ कि हम करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारा इरादा ऐसा न होता तो जमींदारी खत्म करने की ऐसी बड़ी स्कीम को कैसे उठाते, इसलिये अगर स्कीम को कामयाब बनाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस इंतिजाम को हम किन लोगों के हाथ में दें। जाहिर है कि एक बढ़ई से लोहार का काम नहीं लिया जा सकता। आप किसी मिनिस्टर से ऐसा काम नहीं ले सकते जिस से वह वाकिफ न हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर स्कीम कामयाब हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि दो बुनियादी बातें हैं जो

[श्री सुल्तान आलम खां]
हमारे लिये खास तौर पर गौर करने के काबिल हैं। एक तो यह है कि जमाअत इतनी बड़ी न हो कि वह इंतिजाम न कर सके। एक खेत उठाने का मसला आता है। एक बड़ी लम्बी जमाअत बैठती है। तीन एक को उठाने के लिये कहते हैं, पाँच कहते हैं दूसरे को उठाई जाय, सात कहते हैं तीसरे को उठाई जावे और वह किसी को भी नहीं उठाई जा सकती है और वह बंजर पड़ी रहेगी जिस से गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और जिस से काश्त की तरक्की में भी रुकावट पड़ेगी। इसलिये एक अनव्रील्डी बाडी नहीं होनी चाहिये। शायद वह किसी को भी नहीं उठा सकेंगे और वह बंजर पड़ी रहेगी। इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और काश्त की जमीन की तरक्की में रुकावट पैदा होगी। ऐसी सूरत में अगर एक छोटी सी बाडी है तो इन्तजाम में बड़ी आसानी होगी और जो एडवाइजरी बाडी है उसको भी सुपरवाइज करने में आसानी होगी।

दूसरी बात जैसी कि अभी कही गई यह है कि इस पर भी अगर हम गौर करें तो बेजा न होगा कि हम उसका इन्तजाम ऐसे लोगों के हाथों में दें जो वाकई उस इन्तजाम से मुताल्लिक हैं, जो जमीन के प्राब्लेम्स (समस्याओं) को जानते हैं, और जिन्हें कि जमीन के उसूलों से वाकफियत है। इससे मेरा यह हर्गिज मंशा नहीं है कि आप सिर्फ जमींदारों को उसमें रख दीजिये। मैं तो यह कहता हूँ कि जो काश्त के मुतल्लिक लोग हैं, एग्रीकलचरिस्ट हैं उनके हाथ में यह काम होना चाहिये। अगर आप गैरमुताल्लिक लोगों को इसमें शामिल करते हैं तो बड़ी दिक्कत और दुश्वारी पैदा होगी। यह तो बुनियादी उसूल है, हर जगह माना गया है। अगर किसी फैक्टरी में किसी किस्म की कमेटी बनायें तो उसमें लेबर और मैनेजमेंट के लोगों को रखेंगे। फैक्टरी ओनर्स और फैक्टरी लेबरर्स ही दो लोग हैं जिनका कि उससे सम्बन्ध है, किसी तीसरे का नहीं। यह तो बुनियादी बात है, जिसे कि मान लिया गया है। आपका एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वह काम करता है, कोई नहीं कह सकता है कि वह इस जमाने में आटोक्रैट (निरंकुश) है। वह गवर्नमेंट का मुलाजिम है और उसकी ड्यूटी है कि जो गवर्नमेंट की पालिसी हो उसे कैरी आउट करे। यह हो सकता है कि बाज वक्त कुछ लोग गलती करें, गलत तरीके से काम चलायें, लेकिन हमारे पास इस बिल के जरिये से इतने काफी अख्तियारात हैं जिससे अगर कोई आदमी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो हम रोक सकते हैं। जब हमारे पास ये अख्तियारात हैं, ये बुनियादी उसूल हैं, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस मसले पर आपको ठन्डे दिल से गौर करना चाहिये।

एक चीज और है, चाहे हम उसे मानें या न मानें और जम्हूरी उसूलों को मानते हुये उस पर ज्यादा गौर न करें, लेकिन यह कहा गया है कि एक अक्लमंद के मुकाबिले में १०० बेवकूफों की जरूरत नहीं। मैं यह तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर एक आदमी

एफीसियेंट काम करने के लिये आपको मिल जाय तो १०० गैरएफीसियेंट आदमियों से ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा। यह ऐसा बुनियादी उसूल है जिस पर गौर करना चाहिये और मुझे उम्मीद है कि वजीर साहब, जिनकी यह ख्वाहिश है कि जब यह बिल पास हो तो एक सही बिल हो और इसमें बार बार तरमीमें लानी न पड़े, इस नुक्तेनजर से अगर इसको देखेंगे तो यकीनन इस बात को मानेंगे। अगर वह समझते हैं कि यह मसला गौर करने का है तो मैं यह नहीं कहता कि वह कह दें कि सरकार ने इसको मान लिया बल्कि अगर वह समझते हैं कि वाकई यह चीज ऐसी है जो गौर तलब है और जिस पर कि ठन्डे दिल से गौर करना जरूरी है, मैं उनको मश्विरा दूंगा और उनकी खिदमत में प्रार्थना करूँगा कि वह इस दफा को मुल्तवी कर दें और अच्छी तरह गौर करलें, शायद ऐसी सूरत निकल आये कि हम एक सही स्कीम बना सकें।

माननीय श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के द्वारा हमारे मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब की यह ख्वाहिश है कि धारा ११५ की उपधारा (क) निकाल दी जाय।

अपनी दौराने तकरीर में हमारे मित्र ने जो लफ्ज़ अंग्रेजी तर्जुमे में आर्डीनरेली है उसका हवाला देते हुए हिन्दी भाषा में जो मतलब उन्होंने समझा वह बतलाया। उन्होंने यह कहा कि जो शख्स वहाँ आता जाता है वह भी गाँव समाज का मेम्बर हो सकता है, अगर यह संशोधन मंजूर नहीं होता है। आर्डीनरेली के माने जहाँ तक मेरा खयाल है और मेरी तुच्छ राय में जो बात आती है वह यह कि महज आने जाने वाला उस तारीख में नहीं आता बल्कि वही शख्स आ सकता है जो एक तरह से वहाँ सकूनत रखता हो जैसे हमारे नवाब साहब हैं। यह मुस्तकिल रहने वाले सन्डीले के हैं, लेकिन लखनऊ में भी आर्डीनरीली मुकीम हैं लिहाजा आप यहाँके भी बाशिन्दे हो सकते हैं और उनको अगर लखनऊ के गाँव समाज में हक न दिया जाय तो उनके दिल से पूछिये कि उनको शिकायत होगी या नहीं। लिहाजा ऐसे लोग जो आर्डीनरेली किसी गाँव में रहते हैं उनको सदस्य होने का अधिकार दिया गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यह संशोधन गलतफहमी पर मबनी है। नवाब साहब अपनी मिसाल लेकर विचार करते या जिन साहबान ने उनको ऐसे संशोधन को पेश करने का मशविरा दिया है वह उनसे कह देते कि ऐसा संशोधन पेश करना अनुचित होगा और जो साधारणतया किसी गाँव या मौजे में रहता है उसको हक न देना उसके साथ अन्याय करना होगा।

जहाँ तक मैंने सुल्तान आलम खाँ साहब की बात सुनी उन्होंने यह बतलाया कि गाँव समाज से पहले ही पंचायत ऐक्ट से कई पंचायतें कायम हो चुकी हैं,

[माननीय श्री हुकुमसिंह]

जिससे कन्फ्यूजन होता है लेकिन अगर गाँव समाज का इजाफा होता है और भी कन्फ्यूजन में इजाफा होगा। उन्होंने यह भी फरमाया कि अगर यह गाँव समाज जो एक बड़ी बाडी होगी उसके सुपुर्द अगर इंतजाम किया जायेगा तो गड़बडी होने की सम्भावना होगी और उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ बहुत से कुक इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ खाना खराब कर देते हैं। इस सिद्धान्त को तो वह मानते हैं कि गाँव वालों को जमींदारी अबालिशन के बाद गाँव का इन्तजाम करने का अधिकार होना चाहिये जैसे कि गाँव पंचायतों में है। वह उसूल को तो मान चुके हैं। इस बिल में भी यही सिद्धान्त रखा गया है और हमारे मित्र भी मानते हैं। अगर हम उनकी दिक्कत दूर कर दें और यह साबित कर दें कि गाँव समाज को सारे अधिकार सिपुर्द नहीं किये बल्कि एक छोटी बाडी होगी जिसके सिपुर्द गाँव का इन्तजाम होगा तो हम समझते हैं कि हमारे मित्र का एतराज खत्म हो जायेगा। हम अपने मित्र की तवज्जुह धारा १२१, १२२ और १२३ की तरफ दिलाना चाहते हैं। वह अगर पढ़ें तो मालूम होगा कि गाँव पंचायत का हवाला और एक कमेटी का हवाला है जो जमीन के फैसले वगैरा करेगी। गाँव पंचायत से कमेटी छोटी है। लिहाजा हमारे मित्र का एतराज खत्म हो जाता है। अब मैं आशा करता हूँ गो उनको दुबारा बोलने का मौका नहीं है लेकिन वह किसी भी तरह से मेरी ताईद करेंगे और इस तरमीम की मुखालफत का इजहार करेंगे। हमारे नवाब साहब ने यह कहा कि आर्डीनरेली ऐसे लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है मौका नहीं देना चाहिये। मौजूदा भूमि-व्यवस्था के लिहाज से उनका खयाल पक्का है। हाँ जो बड़े घर में पैदा हुये, ताल्लुकेदार हैं, जिनके घर में काश्तकारी है उनको तो पैदायशी हक हो जाता है और मौजूदा भूमि-व्यवस्था के असरात हैं लेकिन जो गरीब लेबरर के घर में पैदा होता है उसके पास जमीन न होने से उसको हक नहीं होता है।

इस जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था बिल का यह उद्देश्य है कि हमारे देश में ऐसा कोई न रहे जिसका जमीन पर अधिकार न हो। इस बिल में भी हमने वही इंतजामात किए हैं। धारा १९४ और १९६ की रू से ग्राम पंचायत को यह हक होगा कि गांव में जो लेबरर्स रहते हैं, उनके हक में भी जमीन का फैसला किया जाए। आज हम यह ऐक्ट बनाएं कि जिसके पास जमीन न हो वह गांव समाज का मेम्बर नहीं हो सकता, जिस शक्ल में तरमीम है उस शक्ल में वह मंजूर होती है तो आज जो लैंडलेस है उसको बाद में जमीन मिल जाए तब भी वह गांव समाज का मेम्बर होने का हकदार नहीं होता। जब कि हमने इस बिल में यह निदेश रखा है कि लैंडलेस को भी जमीन दी जाए, वह लैंडलेस लेबरर न रहे बल्कि भूमिधर हो जाए, उसको हम आज अपने हक से वंचित कर दें तो यह बड़ी अन्यायपूर्ण बात होगी। नवाब साहब ने इस पहलू से इस संशोधन पर

विचार नहीं किया। मुझे आशा है कि हमारे गुरुनारायण साहब जो आज तशरीफ लाए हैं वह अपने मित्र नवाब साहब को सलाह देंगे। अभी मैं उनको अपनी पार्टी के असरात से पाक व साफ समझता हूँ और वह अपनी पार्टी को नया रास्ता दिखलाएंगे। जो मुनासिब और वाजिब तरमीमात होंगी वही पेश की जाएंगी, जो नामुनासिब हैं उनको पेश करके इस सदन का अमूल्य समय नष्ट न किया जायगा और जो उचित दफाएं हैं उन पर बहस करने का मौका हाथ से खो देना यह अनुचित सी बात होगी। मुझे आशा है कि ऐसी शिकायत अब आइंदा नहीं होगी और मेरे मित्र सही सलाह वक्तन-फवक्तन अपने साथियों को देंगे। ऐसी सूरत में मैं अब यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अब समाज का नए तरीके से संगठन होने वाला है। इस विधेयक का यही उद्देश्य है कि हमारे गांव के लोग सारी जमीन का इंतजाम खुद करें। जो आजकल लैंडलेस लेबरर्स हैं अगर गांव समाज से उन्हें जुदा करते हैं, उनको कुछ कहने का हक नहीं दिया जाता और उसमें वही लोग हों जिनके पास जमीनें हों, उसमें लैंडलेस लेबरर को कुछ कहने का हक न हो, उसके हुकूक पामाल किए जाएं, यह निहायत नामुनासिब बात होगी। लिहाजा उनको गाँव समाज में रखकर यह अधिकार उनको देना चाहिए कि वे अपनी आवाज उठा सकें और गाँव के प्रबन्ध में भाग ले सकें जिससे सारे गाँव का कल्याण हो। अब आने वाले समाज में पहले की सी पंक्ति भेद रखना सरासर अनुचित और नामुनासिब है। लिहाजा मैं आशा करता हूँ अपने मित्र ऐजाज रसूल साहब से कि वह अपना संशोधन वापिस ले लेवें। राजा साहब जगमनपुर उनको कुछ इशारा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वह अपनी आदत से बाज नहीं आयंगे। जब उनकी तरमीम हो, वह वापिस न लें लेकिन नवाब साहब अक्सर ठीक बात करते हैं, लिहाजा वह उनकी बातों में पड़कर गुमराह न होंगे और अपनी तरमीम वापिस ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, जो संशोधन हमारे नवाब ऐजाज रसूल साहब ने सदन के सामने पेश किया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे माननीय मंत्री ने दो दो मेम्बरों से यह अपील की कि यह संशोधन वापिस ले लें और उन्होने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपही के एक योग्य मेम्बर श्री चरण सिंह जी ने इस उसूल को एबोलिशन कमेटी के सामने रखा था, लेकिन वह मैजारिटी के सामने मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने यह तजवीज की कि जो काश्तकारी करता है, जो जमीन जोतता है वही गांव समाज का मेम्बर हो। उन्होंने बड़े समझकर इस चीज को कहा था, लेकिन अब आप कहते हैं कि गांव के जितने रहने वाले हैं, उन सब के इंतजाम में इस चीज को होना चाहिये। आप कहते हैं कि जमीन पर बोझ हो रहा है और लोगों को दूसरी जगह लगाया जाय, इधर आप ऐसे समाज का निर्माण करते

[श्री वीरेन्द्र शाह]

हैं। इस बात से कि एक लैंडलेंस लेबरर भी वहां का मेम्बर हो सिवाय इस बात के कि वहां पर झगड़ा हो और कुछ हो नहीं सकता। वह कहेगा कि हमको भी ज़मीन मिलनी चाहिए। एकोनामिक होल्डिंग (लाभदायक खाते) के लिए आपने तजवीज किया है कि पहिले भूमिधरों को मिले और जिनके पास सवा छै ऐकड़ से कम है उनको मिले। लेकिन इससे तो और भी अनऐकोनौमिक होल्डिंग बढ़ेगी। हमने जो संशोधन रखा है उसका मंशा यही है कि किसी के पास सवा छै ऐकड़ से कम न रहे। आपने जो यह उसूल रखा था उसी को आप बिगाड़ते हैं यह कह कर कि हर एक आदमी गांव समाज का मेम्बर होगा। इससे गांव समाज में बड़ी गड़बड़ होगी। किसी के पास ऐकोनौमिक होल्डिंग रह ही नहीं सकती। ज़मींदारी वर्ग तो ख़राब हो ही गया लेकिन अब पूंजीवादी वर्ग भी इसके ज़रिए से ख़राब हो जायगा। वह अपने रुपये के बल पर सब काम करा लेंगे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांवों में जो आप गांव समाज बना रहे हैं अगर आपका यही विचार था कि इंतजाम गांव सभा के ज़रिए से करेंगे तो इस गांव समाज की ज़रूरत ही न थी। यह तो आपने इसी उद्देश्य से बनाया था कि ज़मीदारों की जो विशेषाधिकार हैं वह गांव की एक खास बौडी को दिए जांय लेकिन अब आपने गांव समाज में सब मेम्बर रख दिए हैं जिससे झगड़ा पैदा होगा। आप कहते हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिल जाय। दफा १६६ में लिखा हुआ है कि गांव समाज जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दिलाने की कोशिश करेगा। फिर क्या ज़रूरत है कि लैंडलेस लोगों को भी उसका मेम्बर रखा जाय? इसलिए गांव समाज में वही मेम्बर होने चाहिए जिनके पास ज़मीन हो, जो काश्तकार हों, भूमिधर हों, सीरदार हों या आसामी हों। यह नहीं कि आज हमारा एक मकान है, कर्जा बैंटा हुआ है, गाँव समाज के मेम्बर होकर उसको कन्ट्रोल कर लें। मैं आपसे यह कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह साहब की जो राय थी वह बहुत ही मुनासिब राय थी। गाँव समाज के निर्माण में वही मेम्बर हों जो वहाँ मौजूद हों जिनके पास ज़मीन हो, वही वहाँ का इंतजाम करें इसी उसूल से यह संशोधन रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। हमारे मौर्य साहब ने बड़े जोर से फरमाया। उनका कहना ठीक भी है वे ऐसे संघ से सम्बन्ध रखते हैं जिसका उद्देश्य ही गड़बड़ करना है, विभाजन है। आप खुद गड़बड़ मचाते हैं आप क्यों शोषित संघ बनाये हुये हैं जब कि अब सब समाज एक है? मैं समझता हूँ सरकार विचारपूर्वक और ध्यानपूर्वक इस पर विचार करेगी। इस उसूल से बाद को बहुत गड़बड़ मचेगी। मैं इन शब्दों के साथ नवाब साहब के संशोधन का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामशंकर लाल—जो संशोधन हमारे लायक दोस्त ऐजाज़ रसूल

साहब ने पेश किया है उसका समर्थन सेलेक्ट कमेटी के तीन सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने किया है। हमारे मित्र राजा जगमनपुर ने यह स्वीकार किया है कि यह मसला सेलेक्ट कमेटी में बहुत देर तक बहस के अन्दर रहा और इस पर काफी गौर किया गया और उसके बाद इस नतीजे पर आये। जो लोग इस संशोधन के पक्ष में बोले हैं वह उस सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे। अब सवाल यह है कि गांव सभा के क्या अधिकार हों। वह दफा ११८ में दिये हुये हैं। गांव सभा जमीन के जो मसले हैं जैसे हाट, बाजार, जंगल वगैरा और इसके अलावा जो परती जमीन है वह उसका इन्तजाम करेगी। इस लिये यह कहना कि जो लोग गांव में रहते हैं और जिनका खेती से संबन्ध नहीं है वह इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं और उनका हाथ इसमें नहीं होना चाहिये, यह कहां तक मुनासिब है? यह आप गौर कर सकते हैं, और जैसा कि ११५ दफा में बताया गया है कि गांव सभा में वही लोग होंगे जो गांवों में रहते हैं और जिनका गांव की जरूरियात से ताल्लुक है और साथ ही इसमें वे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरे गांव के हों अगर उनकी जमीन उस गांव के अन्दर है। इस तरह से यह गांव सभा ऐसी बनाई जायगी कि खेती से ताल्लुक रखने वाले और गाँव से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग उसमें रहेंगे। सुलतान आलम साहब ने यह कहा कि यह बहुत बड़ी पार्टी हो जायगी और इसका ठीक तरह से इन्तजाम नहीं हो सकेगा। मालूम होता है आप ने १२२,१२३ को नहीं पढ़ा है। जब यह सब चीजें गांव सभा के अधिकार में आजायंगी तो वह इसका इन्तजाम करेगी और गांव सभा का का इन्तजाम गांव पंचायत करेगी। दफा १२३ के मुताबिक एक कमेटी बनाई जायगी जिसमें १० मेम्बर रहेंगे अगर एक ही गांव के १० मेम्बर नहीं होते हैं, उनकी तादाद कम है तो दूसरे लोग ले लिये जांयगे। तो यह कहना कि इसका इन्तजाम नहीं हो सकेगा और जमीन की हालत खराब हो जायगी यह ठीक नहीं है। इस उसूल पर बहुत बहस की गई है मैं ज्यादा लम्बा जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन गांव सभा का जो फंकशन है उसी की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि वह क्या इन्तजाम करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया वह ऐसाही करेगी जिससे दोनों का खेती करनेवालों का और दूसरे लोगों का वास्ता हो। गांव की जो परती जमीन है वह चराई के लिये ले ली जायगी। उनके ऊपर उन्हीं का अधिकार रहेगा जो गांव में रहते हैं। बाजार वगैरा भी ले लिये जांयगे। यह सब चीजें ऐसी हैं जिनका गांव में खेती करनेवालों से और गांव में रहनेवालों से ताल्लुक है। उसके लिये इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि गांव के अन्दर कौन रहते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह अधिकार गांववालों के हाथ में रहने चाहिये और इसी वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यह हाउस इसको नामंजूर करेगा।

श्री अब्दुल बाक़ी—मैं इस तरमीम की मुख़ालिफ़त करने लिये खड़ा हुआ हूं और मुझे ताज्जुब है कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेविन्यू ने उन बुनियादी उसूलों पर तवज्जह नहीं दिलाई जो इसकी बुनियाद को डालते हैं, इस दफा की। गांव सभा के मुताल्लिक़ यह देखना है कि अबालिशन के बाद गांव सभा में क्या चीज वैस्ट करेगी। अगर इसके चैप्टर को पढ़ेंगे तो जगह जगह आपको नजर आयेगा कि गांव सभा में इतनी चीजें वैस्ट करेंगी।

"(i) all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove,"

(समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं।)

माननीय अध्यक्ष — मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं और मैं पहले भी याद दिला चुका हूं कि बिल हिन्दी में है। जब वह बिल का हवाला दें तो उनको हिन्दी की धाराओं को पढ़ना चाहिए। अपनी जानकारी के लिए, अगर वह हिन्दी न पढ़ सकें तो उसका तर्जुमा अंग्रेजी में देख लें लेकिन जब वह बिल की किसी दफा का हवाला दें तो मूल बिल जो हिन्दी में है उसी का हवाला दें।

श्री अब्दुल बाक़ी—यह सही है कि ऐवान के सामने जो बिल है वह हिन्दी में है लेकिन मेरी जरा सी दुश्वारी यह है कि मैं हिन्दी बहुत दिक्कत से पढ़ पाता हूं और उस में सही अलफ़ाज अदा नहीं कर सकता। इसलिए अगर आनरेबिल स्पीकर मुझे अंग्रेजी में हवाला देने की इजाजत दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय अध्यक्ष— मैं हर तरह की सहूलियत देना चाहता हूं लेकिन कोई ग़लत रास्ता नहीं बनाना चाहता। मैं माननीय सदस्य को यह सहूलियत देता हूं कि वह कहीं कहीं पर अगर जरूरत हो तो अंग्रेजी का लफ़्ज बोल दें लेकिन बिल की दफ़ा हिन्दी में ही पढ़नी चाहिए। अगर उनको हिन्दी में दिक्कत है तो वह जो हवाला देना चाहते हैं उस को पहले से ऐसी तहरीर में लिख लें जिसे वह समझते हों। मैं जो बात मुनासिब समझता हूं उसी को सदन के सामने रख सकता हूं। मुझ को यह अच्छा नहीं लगता कि जब सदन की भाषा इतने दिनों से हिन्दी हो गई तब दफ़ाओं के पढ़ने में अंग्रेजी का सहारा बार बार लिया जाय।

श्री अब्दुल बाक़ी— मैं इस को पाबन्दी करूंगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब जमींदारी अबालिशन हो जायगा उस वक्त गांव के दरख्त, कुवें, आबादी, साइट, वगैरा, सब गांव समाज में वैस्ट करेंगी। इस के अलावा बाजार हाट और मुतफ़र्रिक चीजें या वह जमीनें जो जोरकाश्त नहीं हैं वह सब गांव समाज में वैस्ट करेंगी। अब मैं इसी बुनियादी उसूल पर अर्ज करूंगा कि जब आबादी भी गांव समाज में वैस्ट करेगी तो गांव का हर वह आदमी जो गांव में बसता है और आबाद है उस को भी हक हासिल होगा कि वह निगरानी करे उन तमाम हकूक

की जो उसे गांव समाज में वैस्ट होने के बाद हासिल हुए हैं। मेरे खयाल में नवाब साहब ने जो तरमीम पेश की है वह इसी बिना पर पेश की है कि शायद उन का खयाल है कि गांव समाज का ताल्लुक सिर्फ उस आराजी से होगा जो जोत में आती है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। नवाब साहब ने यह भी हवाला दिया है कि दफा २ में जो "लैंड" की डैफ़ीनिशन दी है उस का ताल्लुक आबादी वगैरा से नहीं है लेकिन उन्होंने शायद दफा २ के उनवान को नहीं पढ़ा जिस में कहा गया है कि अगर " लैंड " के दूसरे मानी निकलते हों तो लैंड एग्रीकल्चरल और हारटिकलचरल परपज़ेज़ के लिए ही न होगा बल्कि वह तमाम आराजी के लिए होगा जो असिल में लैंड के मानी हैं। जो सही माने डैफीनिशन में दिए गए हैं उससे कोई कनफ्लिक्ट न होगा और दफा में उस का कहीं जिक्र भी नहीं है। दूसरे इस में जो "आरडिनरीली रिज़ाइड" अलफ़ाज़ आए हैं। आते जाते रहने वाले के माने से यह नहीं हैं। "रेज़ीडैंट" के माने बाशिन्दे के हैं और इस के माने यह हैं कि बाशिन्दा वह माना जायगा कि जिस ने एक जगह पर मुस्तकिल तौर पर रहने का इरादा कर लिया है और अगर वह सर्विस वगैरह के सिलसिले में भी अगर कहीं जायगा तो उसकी फैमिली वहीं रहेगी। तो दफा ११५ में जो है उसका मतलब यह नहीं है कि आता जाता हो बल्कि मतलब यह है कि सकूनत रखता हो। और सकूनत और बाशिन्दगी के क़ानूनी माने हैं वह बिल्कुल जुदागाना हैं। इसलिये जहां पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि एक खास तरीके से गांवकी वह अराजी जो कुएं की है, हाट की है, बाज़ार की है, आबादी साइट की है वह वैस्ट करेगी गांव समाज में, इस पर अगर उन्होंने ग़ौर किया होता तो उनकी जो ग़लत-फ़हमी है, आर्डिनरी राइट की, वह वाजै हो जाती। तो जो यह रखा है कि जो गाँव में बाशिन्दा है वह जहाँ गाँव समाज में निहित करेगा तो इसके माने यह होंगे कि आबादी साइट की मिल्कियत मुन्तकिल हो जाती है गाँव सभा में। गाँव के जो बाशिन्दे हैं उनका इस्तहकाक रेज़ीडेन्स है। इस सूबे में एक बड़ा अहम मसला है राइट आफ़ रेज़ीडेन्स का कि यह ट्रान्सफरेबिल है या नहीं। यह ऐवान उन मेम्बरों को मालूम होगा जिन्होंने राइट आफ़ रेज़ीडेन्स के मसले पर ग़ौर किया होगा। इसलिये गाँव के वे बाशिन्दे जो सकूनत यहाँ पर रखते हैं उनका एक बड़ा अहम राइट है और वह किसी वक़्त इनफ्रिन्ज हो सकता है। इसलिये आर्डिनरी राइट का लफ्ज़ अगर नहीं रखा जायगा तो इसके यह माने होंगे कि गाँव के जो बाशिन्दे हैं उनके एक अहम राइट को हम इगनोर (उपेक्षा) करते हैं। इसलिये मेरे ख़याल में यह तरमीम बहुत बेजा है और मैं इसकी मुख़ालिफ़त करता हूँ। इसके माने तो यह हैं कि गाँव का वह बाशिन्दा जो हक़े सकूनत रखता हैं, वे लोग तो होंगे ही जो आराजी रखते हैं, भूमिधर, आसामी या अधिवासी हैं वे अपनी आराज़ी के इस्तहकाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जो

[श्री अब्दुल बाक़ी]
बाशिन्दा है वह अपने हक़े सकूनत से तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसलिये इन चन्द अलफ़ाज़ के साथ मैं नवाब साहब की तरमीम की मुख़ालिफ़त करता हूँ।

श्री गुरुनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरा विचार पहले कुछ कहने का न था लेकिन माननीय माल मंत्री की तक़रीर के बाद मुझे बोलना आवश्यक हो गया। हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि जो कोई भी संशोधन इधर से उपस्थित किये जाते हैं तो यह समझा जाता जाता है कि कुछ न कुछ इसमें ज़रूर ही चाल है, कुछ सिनिस्टर मोटिव ज़रूर है जिसकी वजह से सरकार का विरोध करना ज़रूरी है। जो संशोधन इस समय पेश है इसमें सिर्फ़ प्रश्न यह है कि गाँव समाज में, जिसके पास जमीन है उसी को अधिकार दिया जाय या और लोगों को भी उस ग्राम की भूमि-व्यवस्था का इन्तजाम करने के लिये अधिकार दिया जाय। सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि मान लीजिए कि कोई गांव है जिसमें कि कभी ऐसा हो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी तादाद ज्यादा हो जावे और जिनके पास ज़मीन है वे कम तादाद में रह जावें, तो इसके माने यह होंगे कि उस ग्राम का प्रबन्ध उनके अधिकार में होगा जिनके पास जमीन नहीं है यानी (Landless labourers) के हाथ में और जिन बेचारों के पास जमीन है वह उनके आश्रित हो जावेंगे। ऐसी स्थिति में झगड़ों की अधिक सम्भावना है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—कोई गाँव बताइये।

श्री गुरुनारायण—मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, मुमकिन है अभी कोई ऐसा गाँव न हो। लेकिन जब आप क़ानून बनाते हैं तो हर बात को सामने रख कर बनाते हैं कि आगे क्या होगा। जैसी स्थिति मैंने बताई हैं ऐसी स्थिति में परिणाम यह होगा कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके अधिकार अधिक हो जायेंगे और वह हुकूमत करेंगे उन पर जिनके पास जमीन है।

इस वजह से मैं यह जरूरी समझता हूं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं। जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उन्हीं को उनका अधिकार दिया जाय। अब यहाँ आप नानएग्रीकल्चरिस्ट्स को देना चाहते हैं। मेरा ख़याल यह है कि इसमें और बहुत सी दुश्वारियाँ भी पैदा हो जायेंगी और बाद को झगड़े ही बढ़ेंगे। इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबेवाला, मैंने मुख़ालिफ़त और मुवाफ़िक़त में भी तक़रीरें सुनीं। मैं आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह इस दफ़ा के एक्सप्लेनेशन (१) की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इसमें यह साफ लिखा है कि वह शख़्स इस गाँव-समाज का मेम्बर हो सकता है जो आर्डिनरीली रहता हो, यानी कि अगर उसका मकान वहाँ हो और कभी कभी आता जाता हो, या उसका ख़ान्दानी

मकान हो, या यह हो कि उसने एक मकान बना लिया है और अनकरीब आ करके बसनेवाला हो। ये तीन चीजें इस डैफीनीशन में लिखी हैं। आप आर्डीनरी रेज़ीडेंट के मतलब पर ज़रा गौर कीजिए। अगर उसका देहात में इंटरेस्ट होता तो वह आ करके वहां मुस्तकिल बाशिन्दा होता। अगर किसी काश्तकार का देहात में मकान है तो भी वह जिस जगह मुनासिब समझेगा उस जगह जाकर असरअन्दाज़ हो जावेगा। आपको यह देखना चाहिये कि अगर कोई मकान बनाकर अनकरीब बसनेवाला हो तो उसको हक़ देना कहां तक मुनासिब है। महज़ कयास करके उसको हकूक देना ठीक नहीं है। बाकी साहब ने तो जो मेरे दोस्त हैं और मेरे पास बैठे हैं, एक बुनियादी तरीके पर उसकी मुख़ालिफत कर दी और यह फरमाया कि उस हक को कायम रहना चाहिए और उसके लिये वह मुख़तलिफ डैफीनीशन्स ले आये अनकल्टीवेटेड लैंड, बंजर भूमि और तमाम चीजों की। अगर आप इस बिल की दफा १९६ देखें तो मालूम होगा कि लैंडलैस लेबरर की जगह क्लाज़ (सी) में दी गई है और कोई ज्यादा प्रीफेरेंस नहीं दिया गया है। अव्वल तो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया, दूसरे भूमिधरों को दिया गया, तीसरे टैन्योरहोल्डर्स को दिया गया और उसके बाद आखिर में हमारे मौर्य साहेब के दिल को खुश करने के लिये, उन्होंने (सी) क्लाज़ रख दिया है। कभी यह नौबत नहीं पहुचेगी कि लैंडलेस लेबरर को जमीन मिल सके। जैसा कि राजा साहेब ने फरमाया, अगर मौर्य साहेब गाँव को एक समाज में चलाना चाहते हैं तो उनको शोषित संघ बनाने की क्या जरूरत थी? उनको अलहदा जमाअत कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिये थी। वह उसके ज़रिये से खुद तरक्की हासिल करना चाहते हैं। जहाँ जैसा मौका होता है उस जगह वह उसी की मदद करते हैं। उनको तो कांग्रेसमैन होते हुये कोई दूसरा आर्गैनाइज़ेशन क़ायम करना ही नहीं चाहिये था क्योंकि कांग्रेस के अन्दर कोई दूसरा आर्गे-नाइज़ेशन नहीं हो सकता। जब वह खुद अलहदा एक चीज़ बना रहे हैं तो हमारे इस संशोधन में क्या हर्ज है?

जो कुछ और मेम्बर साहबान ने कहा या शंकर लाल जी ने कहा वह ठीक है क्योंकि वह ऐसी आर्गेनाइज़ेशन से नाता ही नहीं रखते हैं लेकिन मौर्य साहब का यह कहना अच्छा नहीं लगता है और उनको यह नहीं कहना चाहिये था। जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया, यह सही है कि एक कमेटी बनाई जायगी जो पंचायत की तरफ से इंतज़ाम करेगी जैसा कि दफा १२९ में है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि शुरू शुरू में मुख्तलिफ चीजें होंगी और हर शख्स यह कोशिश करेगा कि हम उस कमेटी पर काबिज़ हो जायें ताकि हम अपना पूरा इन्तज़ाम कर सकें। आप खुद खयाल कीजिये कि गवर्नमेंट लोगों से १० गुना रु० वसूल करके उनको भूमिधर बना रही है और यह कहती है कि यह अनमोल चीज़ है लेकिन अगर वह कमेटी में बिलकुल जीरो रहे तो फिर गवर्नमेंट को यही कहना

[श्री ऐजाज रसूल]

पड़ेगा कि हमने तुमको हक दिया लेकिन चूंकि तुम्हारा असर नहीं था इस लिये तुम कमेटी में नहीं आ सके और इंतजाम में तुम्हारी कोई ताकत नहीं रही। इस लिए मैं चाहता हूँ कि ख्वाह सीरदार हों, भूमिधर हों या आसामी हों, न लोगों के लिए ही ऐसा होना चाहिये कि वह कमेटी का इंतजाम कर सकें। आप देखिये कि गांवों में काफी तादाद जमीन जोतने वालों की है इसलिए उन्हीं को इंतजाम के लिए रखना चाहिये। इन्हीं सब बातों को देखते हुये मैंने यह अमेंडमैंट पेश किया है। जहां तक मिनिस्टर साहब ने कहा, उनकी बहुत कुछ बातें दुरुस्त और मुनासिब हैं। मैं इसका विरोध ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने कहा कि अकसर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को नुकसान पहुँच जाय अगर यह दफा न रखी जाय लेकिन अगर पूरे गांव समाज को देखा जाय तो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। इस लिए मैंने यह अमेंडमैंट मूव किया है और मुझे उम्मीद है कि इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जह करेगी।

अभी बाकी साहब ने फरमाया कि उसका हके सकूनत चला जायगा। वह तो वैसे ही बाशिन्दा नहीं है। उसका सिर्फ एक मकान वहां बना हुआ है। फर्ज कीजिये कि वह लखनऊ और कानपुर में तिजारत करता है लेकिन अगर वह पंचायत का मेम्बर हो गया तो वह क्या काम कर सकता है और कहाँ तक गांव में इंटरेस्ट ले सकता है? इन तमाम चीजों को देखते हुये मैंने अमेंडमैंट मूव किया है और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। अगर्चे मैं बहुत कुछ मिनिस्टर साहब की बातों से सहमत हूँ लेकिन और जो चीजें मैंने कही हैं उनकी वजह से मैंने यह अमेंडमैंट मूव किया है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र राजा साहब जगमनपुर ने श्री चरण सिंह साहब की बात का हवाला दिया। मैं राजा साहब से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने उस बात का हवाला दिया जिसको उन्होंने यह फरमाया कि सेलेक्ट कमेटी ने मंजूर नहीं किया। मैं राजा साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह श्री चरण सिंह की सभी राय इस विधेयक के सम्बन्ध में मानने को तैयार हैं। अगर वह उनकी सब राय इस विधेयक के सम्बन्ध में मान लें तो मैं समझूं कि राजा साहब ने जो कुछ कहा है उस पर मुझको भी गौर करना चाहिये।

श्री ऐजाज़ रसूल—जो मुनासिब थी वह मानी गयी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मेरी भी राय जो मुनासिब होगी उसीको यह सदन मानेगा, गैर मुनासिब को नहीं मानेगा। लिहाजा स्क्रिपचर से कोट करना, उसका हवाला देना, इससे अपोजीशन का काम बनता नहीं। जहां तक

हमारे कुंवर साहब का ताल्लुक है जबसे उनका नाम सुना मुझे बड़ी आशाएं थीं कि वह आकर के माकूल बात कहेंगे और अपनी पार्टी को माकूल सलाह और लीड देंगे, लेकिन वह भी उसी कचरे में फंस गये और एक ऐसी नामुनासिब तरमीम की ताईद करके मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। जहां तक कि नवाब ऐजाज रसूल का ताल्लुक है, आप फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को गाँव समाज का मेम्बर होने का हक न दिया जाय जो कि कभी कभी आता जाता है। आने जाने वाला तो वाकई मुस्तहक इस बात का नहीं लेकिन अगर किसी शख्स की कोई एस्टेट गांव में हो, कोई वेस्टेड इंटेरेस्ट हो फिर उसको उस गाँव समाज का मेम्बर न होने देना, मैं तो यह कहूँगा कि उसके साथ में अन्याय होगा। मैं श्रीमान् की आज्ञा से धारा ११५ के प्रथम स्पष्टीकरण को पढ़ना चाहता हूँ। हमारे मित्र नवाब साहब ने उसका हवाला तो दिया लेकिन अपने मतलब की दो एक बातें कहीं, पूरे जो वाकयात उसमें हैं उनको इस सदन से छुपाने की कोशिश की।

"यदि कोई व्यक्ति किसी मंडल में साधारणतया रहता हो या उसमें उसके कुटुम्ब के रहने का कोई ऐसा घर हो जिसमें वह कभी कभी रहता हो या उसमें रहने का उसका कोई ऐसा घर हो जिसमें वह जब चाहे तब रह सके और जिसमें वह कभी कभी रहता भी हो, तो यह समझा जायगा कि वह उस मंडल में साधारणतया निवास करता है।" इस स्पष्टीकरण से यह साफ स्पष्ट है कि उसका उस गाँव में स्थान है, वेस्टेड इंटेरेस्ट हैं तभी उसको गाँव में हक है। चूंकि उसके पास जमीन नहीं है उस गाँव में तो उसको गाँव समाज का मेम्बर न करना उसके साथ ज्यादती करना है। लिहाजा अगर इस दृष्टिकोण से और इस बात को देख करके अगर गौर किया जाय तो मैं कहूंगा कि यह संशोधन जो नवाब साहब ने पेश किया है वह सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोगों की काफी तादाद है जिनके साथ बड़ी ज्यादती होगी। हमारे कुंवर साहब ने शुरू शुरू में इस तरमीम की ताईद की। मेरा भी जी चाहता था कि मैं एक मर्तबा उनको ओब्लाइज कर दूँ लेकिन सैंस आफ ड्यूटी (कर्तव्यपालन भावना) मुझे मजबूर करता है कि जब किसी शख्स से किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी क्लास के साथ ज्यादती हो तो उस मौके पर किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई बात करना मुनासिब और जायज बात नहीं होगी। इसी खयाल से मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूँ। हमारे कुंवर साहब ने यह फरमाया, हालांकि उनके सामने यह पहला मौका है जब उधर की तरमीम की मैंने मुखालिफत की, कि जब इस तरफ से कोई तरमीम आती है तो समझा जाता है कि इसमें कोई भेद हैं, कोई इसमें पेचीदगी है। मैं कुंवर साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तरफ के लोग काफी समझदार हैं। जब कभी उधर से कोई तरमीम आती है तो ठीक ठीक इधर से समझ ली जाती है। उसमें कोई ऐसी बात होती ही

[माननीय श्री हुकुम सिंह]
नहीं है जो इस तरफ के लोगों की समझ के बाहर की बात हो। लिहाजा ऐसा कोई भ्रम हमारे कुंवर साहब के दिल में नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई पेचीदा बात आयेगी जो इधर के लोग समझने से कासिर होंगे। लिहाजा इस नुक्ते ख्याल से तरमीम की मुखालिफत नहीं की जाती बल्कि उसके असली हालात और कुल इम्पलिकेशंस (पेचीदगियों) पर विचार करके अगर वह मुनासिब हुई तो मंजूर भी हो जाती है। कई तरमीमें उस तरफ से आई जो मंजूर भी हो चुकी हैं जिस के शाहिद राजा जगमनपुर हैं। अगर एक है तो वह भी बड़े महत्व की तरमीम थी। लिहाजा यह कहना कि सारी तरमीमें उधर की जो आती हैं उनकी मुखालिफत की जाती है यह बात ठीक नहीं है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ फिर नवाब साहब से इस्तदुआ करूँगा कि वह अपनी तरमीम वापस ले लें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११५ की उपधारा (क) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११५ की उपधारा (ख) की पंक्ति २ के शब्द "असामी या अधिवासी" के स्थान पर शब्द 'या असामी' रख दिये जायं।

जनाबवाला, मेरी तरमीम का मतलब यह है कि अधिवासी निकाल दिये जायँ और सिर्फ तीन किस्म के काश्तकार रखे जायँ, भूमिधर, सीरदार और असामी। अधिवासी जो है वह सिफ एक लिमिटेड काश्तकार है। पाँच साल का सीर का काश्तकार है। अगर उसको गाँव का बालिग होने की हैसियत से बाँट देने का हक दिया जाय तो यह हो सकता है। लेकिन अधिवासी एक लिमिटेड इंटरेस्ट का काश्तकार है। उसको यह हक देना मुनासिब और जायज नहीं है। इसलिए मैंने यह तरमीम पेश की। मुझे उम्मीद है कि इस पर आनरेबिल मिनि-स्टर साहब गौर करेंगे और उसे मंजूर फरमाएंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के पहले वाली तरमीम के सम्बन्ध में यह कहा गया कि जिस शख्स के पास गाँव में जमीन नहीं उसको गाँव समाज का मेम्बर न होने दिया जाय। अब नवाब साहब यह फरमाते हैं कि अधिवासी के पास जमीन होते हुए भी उसको गाँव समाज का मेम्बर न होने दिया जाय। इस हक से वंचित कर दिया। वजह क्या बतलाई कि पाँच साल के लिए ही उसके पास जमीन है। लेकिन उस को यह भी हक दिया गया है कि पाँच साल के बाद वह भूमिधर हो सकता है। लिहाजा अगर आज हम उसे निकाल देते हैं तो पाँच साल के बाद वह भूमिधर नहीं हो

सकता। अगर ऐसी तरमीम होती कि जो लोग अधिवासी रहें और भूमिधर न बनें, उन को भी मेम्बर होना चाहिए, तब भी उस में कुछ तत्व की बात होती। जमीन रखते हुए गाँव समाज की मेम्बरी से वंचित रखना सरासर ज्यादती है। इस में शिकमी काश्तकार काफी हैं। शायद मेरे दोस्त ने इस तरफ गौर नहीं किया और अगर किया तो जान बूझकर अनाड़ी बनते हैं। उनकी एक काफी तादाद है। जब हम इस उसूल को मान चुके हैं कि जिनके पास जमीन न हो उनको भी हम गाँव समाज का मेम्बर बनाना चाहते हैं तो जिनके पास पाँच साल के लिए जमीन है उनको न बनाना, यह बहुत गलत बात होगी। लिहाजा मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूँ।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाबवाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तकरीर बहुत गौर से सुनी। उन्होंने कहा कि यह आरगूमेंट की फैलेसी है कि कोई अधिवासी भूमिधर होने की हैसियत से जो गाँव सभा का मेम्बर हो जायगा वह हम रोकना चाहते हैं। वह हम स्टाप (बंद) कर नहीं सकते। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने तो इस तरमीम को गवर्नमेंट की १० गुना वाली स्कीम को फायदा करने के लिए मूव (प्रस्तुत) किया है कि जल्दी से रुपया गवर्नमेंट को मिल जाय। यह सिर्फ आपकी मदद करने के लिये किया है कि जब अधिवासी यह देखेगा कि हमको अधिवासी होने की वजह से हक नहीं मिला तो वह जल्दी से रुपया दाखिल करके भूमिधर हो जायगा और आपकी १० गुना की स्कीम की कामयाबी में यह मदद देगा। मैं समझता था कि मिनिस्टर साहब को रुपये की बड़ी हाजत है और उस हाजत को देखते हुये इस तरमीम को जरूर मंजूर फरमा लेंगे। मैं इस तरमीम को फिर पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर इस पर फिर गौर करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११५ की उपधारा (ख) की पंक्ति २ के शब्द "असामी या अधिवासी" के स्थान पर शब्द "या असामी" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११५ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी वयस्क गाँव समाज का सदस्य होने या रहने का अधिकारी नहीं होगा, यदि वह

(क) विक्षिप्त (of unsound mind) हो, या

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]

(ख) कुष्ठ रोग (leprosy) से ग्रसित हो, या

(ग) अमुक्त दिवालिया (undischarged insolvent) हो, या

(घ) चारित्रिक अधमता (moral turpitude) के अपराध में दंडित हो या उसे कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिड्योर, १८९८ ई०, की धारा ११० के अधीन नेकचलनी की जमानतें देने का आदेश हुआ हो, और यह भी प्रतिबन्ध है उपरोक्त उपधारा ग या घ के अधीन अयोग्यता (disqualification) राज्य सरकार या नियत अधिकारी के आदेश से हटायी जा सकती है ।"

हुजूरवाला, मेरा मतलब इससे बहुत साफ है कि अगर किसी ऐक्ट को या किसी कांस्टीट्यूशन को देखा जाय तो यह मालूम होगा कि हर एक आदमी जो बालिग है उसको अख्तियार देने से उसका नतीजा यह हुआ है कि पागल आदमी भी जो है उसको भी यह अख्तियार हासिल हो जाता है कि वह गाँव सभा का मेम्बर हो जाय। यह कहाँ तक मुनासिब है कि वह कोई चीज समझ नहीं सकता है, न जान सकता है, लेकिन इस कानून की रू से अनसाउंड माइंड का आदमी (पागल) भी मेम्बर रह सकता है ? इसी तरह से लेप्रोसी ऐसी बीमारी है जिससे कि लोग दूर रहते हैं लेकिन इस रोग के रोगी को भी मेम्बर बनाया जा रहा है। इसी तरह से मारल टरपीट्यूड (चारित्रिक अधमता) के जो मुलजिम हैं, वे बदमाश भी गाँव सभा के मेम्बर इस कानून की रू से हो जायेंगे और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिये और इसीलिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है। अगर दुनिया के कांस्टीट्यूशंस को आप देखें, पंचायत राज ऐक्ट, और म्युनिसिपल ऐक्ट को देखें तो आपको मालूम होगा कि उन सब में ये डिसक्वालीफिकेशंस रखी गई हैं, लेकिन इस ऐक्ट में ऐसा न करके सबको मेम्बर बना दिया है। हाँ इसमें मैंने यह गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कि अगर वह मुनासिब समझे तो अनडिसचार्ज्ड इंसालवेंट (अमुक्त दिवालिया) और मारल टरपीट्यूड के मुलजिमों की डिसक्वालीफिकेशन (अयोग्यता) दूर कर सकते हैं।

मुझे इस तरमीम पर और ज्यादा रोशनी नहीं डालनी है। हमारे मिनिस्टर साहब बड़े लायक हैं, दुनिया के सारे विधान को देखा है, बड़ी जल्दी चीजों को समझ लेते हैं, इसलिये इस पर तकरीर करना बेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मेरे इस संशोधन को जरूर मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र नवाब साहब ने मेरी काफी तारीफ की और उन्होंने जो प्रशंसा की है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है इसमें एक दिक्कत है और मैं समझता हूँ कि हमारे मित्र उस दिक्कत पर गौर करेंगे और तरमीम को वापिस लेकर हमारी मुश्किल को आसान करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस

माननीय अध्यक्ष — प्रश्न यह है कि धारा ११७ विधेयक का अंश ी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११८

कुछ भूमि आदि का गाँव समाज के स्वत्वाधिकार में आना।

११८—धारा ६ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)—

(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

(३) खाते, बाग या आबादी के पेड़ों को छोड़ अन्य सभी पेड़,

(४) सार्वजनिक कुएं,

(५) मीनाशय,

(६) हाट, बाजार और मेले,

(७) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल-प्रणालियां (water channels), रास्ते और आबादी के स्थल (abadi sites),

जो मंडल में स्थित हों और इस विधान के अधीन महामहिम (His Maeisty) के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि [*] प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गांव-समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा

कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक (incidental and consequential) आज्ञाएं दे, जो आवश्यक हों,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु प्रान्तीय सरकार हस्तगत कर ले, तो गांव-समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त, जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किए गए किसी विकास-कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा।

श्री रामशंकर लाल—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ११८ के खंड (३) की पंक्ति १ में शब्द "के" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

'में अथवा खेतों की मेंडों पर स्थित'

यह एक बहुत छोटा संशोधन है। इसका मतलब यह है कि जो खेतों की मेंडों पर पेड़ हैं वह गांव सभा में वेस्ट (निहित) हो जायं और उनका प्रबन्ध गांव सभा करे। अभी ऐसे पेड़ों के लिए बहुत झगड़े रहते हैं, जब वे गांव सभा के हाथ में दे दिये जायंगे तब उनका उपयोग जनहित में होगा।

(इस समय ६ बजकर ४७ मिनट पर माननीय अध्यक्ष के उठ जाने पर उपाध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

मुझे आशा है कि माल मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११८ के खंड (३) की पंक्ति १ में शब्द 'के' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जायं।

"में अथवा खेतों की मेंडों पर स्थित"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामशंकर लाल—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ११८ के खंड (६) में शब्द 'हाट' के पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिए जायं—

"ऐसी भूमि पर जिसे धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक लागू होते हों, लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न"

यह कांसिक्वेंश्यल अमेंडमेंट (पारिणामिक संशोधन) है जिसमें हाट और बाजार इस संशोधन के जरिये से उस गाँव की गाँव समाज के मैनेजमेंट से अलग करने का सवाल है। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुखालिफ पार्टी के, ज़मींदार पार्टी के, लोग भी इसे मंजूर करेंगे।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११८ के खंड (६) में शब्द "हाट" के पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायँ—

"ऐसी भूमि पर, जिसे धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक लागू होते हों, लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री साजिद हुसैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११८ का पहला प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय। आप की आज्ञा से मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ।

"Provided that, if the uncultivated area situate in any village is, in the opinion of the Provincial Government, more than the ordinary requirements of the Gaon Samaj, it may exclude any portion of the uncultivated area from vesting in the Gaon Samaj under sub-section (1) and may make such incidental and consequential orders as may be necessary."

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गाँव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गाँव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक आज्ञाएं दे जो आवश्यक हों।]

इसके मानी यह हैं कि पहले तो सरकार जंगलात, कुवें, फिश्यरीज यह सब चीजें जितनी भी उसके अन्दर हैं, सब गाँव समाज को दे रही है। हम लोगों ने इस चीज पर कोई एतराज नहीं किया। अब हम एतराज इस पर करते हैं कि

[श्री साजिद हुसैन]

देने के बाद और यह ऐलान करने के बाद अब वह खुद सरकार हज्म करना चाहती है। यह गाँव समाज के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी है और इसमें सरकार की नीयत पर आक्षेप होता है लिहाजा उम्मीद है कि सरकार जो दावे करती है, उन पर वह कायम रहे और यह चीजें जो इसके अन्दर हैं और जमीन वगैरा यह गाँव समाज के अन्दर रहनी चाहिये। पहले तो उनको इस काबिल समझा गया और अब यह जो प्रतिबन्ध उन्होंने लगाया इसके मानी यह हैं कि जहाँ उनको मौका हो, जिस गाँव से खफा हों, जिस गाँव समाज से उनको बदला लेना हो उसको बिल्कुल गिरादें, कमजोर कर दें, यह कहाँ तक मुनासिब है। आइडिया (खयाल) तो यह है कि सरकार को डिसेंट्रलाइज (विकेन्द्रीयकरण) किया जाय सरकार ने जितनी पावर अपने हाथ में ले रखी है कोशिश इस सदन की और डिमाक्रेसी की और गाँधी जी की यही थी कि वह रफ़्ता-रफ़्ता सूबे की सरकार के हाथ से निकल कर विलेज रिपब्लिक्स (ग्राम समाज) के हाथ में दी जाय। मगर यह रिऐक्शनरी मूव (प्रतिक्रियाशील चाल) सरकार का निहायत नाजेबा है और उनके तमाम दावों पर पानी डाल देता है। लिहाजा उम्मीद है कि दुनिया को कम से कम दिखाने के लिये, अगर वह दिल से नहीं देना चाहते हैं, उनको यह रिऐक्शनरी प्रोवाइजो (प्रतिक्रियाशील प्रतिबन्ध) नहीं रखना चाहिये। उम्मीद है कि मेरे इस संशोधन को निहायत खुशी से वह मंजूर करेंगे और कम से कम अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और जो उनके दावे हैं उन पर तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ सदाकत और सचाई जाहिर हो।

ऐसी सूरत में मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मुनासिब तरमीम को मंजूर कर लेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जो दावे हैं वे जा हैं, सच हैं और जो दावे सरकार करती है उन पर हमेशा अमल करती आयी है और आइन्दा हमेशा उन पर अमल करेगी। इस प्रतिबन्ध के रखने से सरकार किसी गाँव समाज के हुकूक कम करना नहीं चाहती, पामाल करना नहीं चाहती, हड़प करना नहीं चाहती। कुछ इंतजामी बातें होती हैं जिन का भी लिहाज रखना सरकार के लिये निहायत जरूरी है। कोई भले ही गैर जिम्मेदारी की बात कहे, लेकिन सरकार को तो अपना काम पूरा करना है और उस काम के पूरा करने में बहुत दूर तक उसे देखना पड़ता है। हमारे राजा साहब ने बड़े कोताहअन्देशी से काम लिया और दूर तक नजर डालने की कोशिश नहीं की। अगर इसके अल्फाज गौर से पढ़े जाते तो उससे भी वह मंशा नहीं जाहिर होती जिसका जिक्र राजा साहब ने किया। मैं जनाब की इजाजत से पहला प्रतिबन्ध जो है उसका तरजुमा पढ़ना चाहता हूँ।

"Provided that, if the uncultivated area situate in any

village is, in the opinion of the Provincial Government, more than the ordinary requirements of the Gaon Samaj, it may exclude any portion of the uncultivated area from vesting in the Gaon Samaj under sub-section (1) and may make such incidental and consequential orders as may be necessary."

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गाँव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गाँव-समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गाँव समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रखे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक आज्ञाएं दे, जो आवश्यक हों।]

इससे तात्पर्य यह है कि अगर किसी गाँव में गैर मजरुआ आराजी उस गाँव की जरूरत से बहुत ज्यादा हो तो राज्य सरकार को यह अधिकार इससे मिलता है कि उसके बारे में मुनासिब हुक्म, जो जनहित में हो, दे। हमारे राजा साहब बहुत दूर दराज समुद्र पार तक गये हैं। मुझे आशा है कि बुन्देलखंड भी तशरीफ ले गये होंगे। झाँसी, हमीरपुर, बाँदा और जालौन जहाँ से हमारे राजा साहब जगमनपुर भी तशरीफ लाते हैं, वे यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं हैं, वरना वह इस बात के शाहिद होते। बुन्देलखंड के माननीय सदस्य हमारे धुलेकर जी यहाँ मौजूद हैं। उनकी भी यह पार्टी में माँग थी। झाँसी वगैरा में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर एक बीघा मजरुआ है; बाकी सब परती पड़ी हुई है। दस बीघा मजरुआ और एक या दो हजार बीघा परती है। यह इतना बड़ा रकबा गाँव समाज को दे दिया जाय तो गाँव समाज क्या इंतजाम करेगा। मवेशियों के चराने का जहाँ तक ताल्लुक है दो सौ, पाँच सौ हजार बीघा काफी है। लेकिन जो दश हजार बीघे परती पड़ी है वह गाँव समाज के इमकान के बाहर की बात है। लिहाजा बुन्देलखंड के हमारे यहाँ जो माननीय सदस्य हैं, उनकी यह माँग थी, कि ऐसे क्षेत्रों के लिये कोई ऐसा प्रतिबन्ध रखा जाय ताकि परती जमीन बरबाद न हो। लिहाजा उसका इन्तजाम करने के लिए यह प्रतिबन्ध रखा गया है, न कि जम्हूरियत को कुचलने के लिये यह सब बुनियादी बातें जो की जाती हैं, अगर गौर से देखा जाय कि कहाँ से प्राविजन किस हेतु रखा गया है तो इन सब बातों और डेमाक्रेसी की वकालत करने की जरूरत न पड़े। यह डेमाक्रेटिक गवर्नमेंट है। वह उतनी ही जैलसली (उत्साह से) डेमोक्रेसी को बरतना चाहती है जितनी कि राजा साहब।

मैं यह कैसे कहूँ कि गवर्नमेंट उनसे ज्यादा चाहती है हालांकि वाकया यही

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों के होते हुए भी ऐसी तरमीम लाने की क्या जरूरत हुई, यह मैं नहीं समझा। हाँ, अगर आपका यह ख्याल है कि हमारी जमींदारी तो गई अब वह दोजख में जाय और बरबाद हो जाय, अगर यह विचार हो तब तो इसे रखिये वरना अगर यह विचार हो कि जमींदारी अगर जा रही है तो उसके जाने के बाद उससे देश का कल्याण हो, सूबे की जनता का लाभ हो तो तरमीम को वापिस ले लीजिए, ताकि बुन्देलखण्ड में जो परती जमीन पड़ी हुई है, उसके लिए उचित प्रबन्ध किया जा सके। मैं राजा साहब से प्रार्थना करूँगा, राजा साहब मेरी प्रार्थना क्यों मानेंगे लेकिन फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी तरमीम वापिस ले लीजिये। राजा साहब जगमनपुर आ गये हैं। आप उनसे ही पूछ लीजिये। वे खुद बता देंगे कि बुंदेलखंड की क्या हालत है, इस सिलसिले में और राजा साहब जगमनपुर जहाँ रहते हैं वहाँ कितनी परती जमीन पड़ी हुई है। इन अल्फाज के साथ मैं चाहता हूँ कि राजा साहब अपनी तरमीम को वापिस ले लें और अगर आप वापिस नहीं लेते हैं तो मैं उसे मंजूर करने से मजबूर हूँ।

श्री वीरेन्द्र शाह—हमारे मन्त्री जी ने अभी बुन्देलखंड का जिक्र किया तो उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपको हमारी तरफ का ख्याल तो आया। आप जब उधर जायंगे तो देखेंगे कि उधर जमीन बहुत कम परती है। हमारे जिले जालौन में तो बहुत कम है। हो सकता है कि बांदा जिले में हो। राजा साहब की तरमीम पेश करने का मंशा सिर्फ यह था कि सरकार क्यों गाँव समाज से निकाल कर अपने कब्जे में लेना चाहती है। वह क्यों नहीं उसको गाँव समाज में रहने देती और वहीं मदद करती, ताकि गाँव समाज उसका अच्छा से अच्छा इंतजाम करे। क्या गाँव समाज के मेम्बरों पर सरकार को भरोसा नहीं है या उसे उनसे काम करवाने में शक होता है। अगर गाँव समाज की जमीन को उपजाऊ बनवाना है और गांव समाज नहीं कर पाता है तो सरकार उसकी मदद करे। मेरी समझ में तो यह आता है कि गांव समाज से जमीन निकालकर सरकार, जो नेतागण देहातों में हैं, उनकी मदद करना चाहती है और उन्हीं के लिए सरकार ने यह उपाय रखा है। जहांतक सहायता का सम्बन्ध है गांव समाज को ही मजबूत बनाइये, उसको रुपया दीजिये, उसको ट्रेक्टर खरीदकर दीजिये लेकिन आप तो जमीन को खुद ही हड़प लेना चाहते हैं, यह तो हम नहीं पसन्द करेंगे। इसलिए जो संशोधन राजा साहब ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बुन्देलखंड की सहायता करने के लिए आप तमाम सूबे को क्यों बरबाद करना चाहते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि जमीन गांव समाज में रहे और सरकार उसकी मदद करती रहे। इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब की तरमीम का समर्थन करता हूं।

श्री साजिद हुसैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिमाक्रेसी का हामी होते हुए भी मैंने यह बात कही। वे शायद मुझसे ज्यादा हामी हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुझसे ज्यादा तो आप ही उसके हामी हैं।

श्री साजिद हुसैन—मैंने तो कभी इस बात का दावा नहीं किया कि मैं डिमाक्रेसी का हामी हूँ। मैंने तो यह कहा कि डिमोक्रेसी के उसूल को आप मानते हैं और फिर डिमाक्रेसी का गला इस तरह से घोंटते हैं। मैंने तो हमेशा कहा कि डिमाक्रेसी इस मुल्क के लिए मौजूं नहीं है और कई दफे मैं कह चुका हूँ।

अब जहांतक कि इस संशोधन का ताल्लुक है, असलियत में जो बात थी वह जाहिर हो गई। गवर्नमेंट अपने कुछ आदमियों के लिए कुछ जमीन प्रोवाइड करना चाहती है, इसलिये गांव समाज से यह अधिकार निकाल लेना चाहती है, ताकि अपने हाली मुहालियों के लिए जमीनों का इंतजाम कर सके। गांव समाज पर सरकार का इतना विश्वास नहीं है कि वह उन लोगों को कुछ जमीनें दें, लिहाजा उनके अख्तियारात को लेकर के अपने फालोअर्स और हाली मुहालियों को नफा पहुंचाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि सरकार इसको नहीं मंजूर करेगी, क्योंकि अगर इसे मंजूर करती है तो जमीनें कहां से अपने हाली मुहालियों को देने के लिये मिल पायेंगी। हाँ, अगर कुछ वह डेमाक्रेसी का ख्याल रखती है तो शरमाहुजूरी में इसको मंजूर कर लेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो मेरे सामने कोई शरमाहुजूरी का सवाल है, न हाली मुहालियों को कोई जमीन देने का सवाल है। हमारे पास जब जमीन होगी तो राजा साजिद हुसैन साहब को अगर जरूरत होगी तो दे सकते हैं, हमारे नवाब साहब को जरूरत होगी तो उनको भी मिल सकती है, वह आम जनता की होगी और उस पर उनका भी उतना ही हक होगा जितना और लोगों का। अगर गांव समाज के अन्दर वह जमीन है तो गांव समाज के जरिये से बंटेगी और जब सरकार के पास आयेगी तो भी उन्हीं लोगों में बंटेगी और इंतजाम करेगी। हाँ, सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती है कि ४० गांव का खेत राजा साहब के नाम कर दे, जरूरत के मुताबिक उनको जमीन दी जा सकती है। राजा साहब को पहले से नाउम्मीद न होना चाहिये, ऐसा मौका आयेगा जब कि उन्हें भी जमीन मिलेगी।

जहाँ तक डेमाक्रेसी के हनन का सवाल है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले अर्ज किया कि बुन्देलखंड का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ १ हजार अगर मजरुआ है तो १२ हजार पड़ती है, लिहाजा गांव समाज के लिए इसका इंतजाम

[माननीय श्री हुकुम सिंह]
करना बिलकुल असंभव है, इसलिए सरकार इसको लेकर के इसका इंतजाम करेगी। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११८ का पहला प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११८ के दूसरे प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित तीसरा प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय।

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जो भूमि इस तरह हस्तगत की गई है और उसका विकास किया गया है वह गांव समाज के मंडल में रहेगी और उसके (गांव समाज के) अधिक्षेत्र से दूसरे अधिक्षेत्र में हस्तान्तरित नहीं की जायगी।"

हुजूरवाला, मेरा इस तरमीम को पेश करने का मतलब साफ और वाजे है कि अगरचे गवर्नमेंट को यह अख्तियारात दिये गये हैं कि वह जमीन जो अनकल्टीवेटेड (बंजर) है वह दूसरे गाँव को तब्दील कर सकती है लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो जमीन डेवलप (विकसित) हो गई है उसको उसी सर्किल में रखा जाये और गवर्नमेंट को अख्तियार न होगा कि उसको दूसरे गाँव समाज में मुन्तकिल कर सके। यह मामूली तरमीम है और गाँव के इंटरेस्ट में है। मेरे खयाल में मौर्य साहब भी इसको मंजूर फरमायेंगे क्योंकि यह गाँव के फायदे के लिये है। जिस गाँव ने किसी जमीन को मेहनत करके अच्छा बना लिया है वह किसी सूरत से दूसरे गाँव में मुन्तकिल नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जरूर इसको मंजूर फरमायेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नवाब साहब ने जो तरमीम पेश की है यह मंजूर करने के काबिल नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो दलील आपने दी वह उसूलन ठीक है लेकिन जो तरमीम आप पेश करते हैं न तो उसकी आवश्यकता है न विधेयक में ही कोई दिक्कत है। इसलिये इस तरमीम की मैं मुखालफत करता हूँ। यह नहीं होगा कि किसी गाँव के किसी हिस्से को दूसरे गाँव के समाज में मिला दिया जाये। पंचायत राज ऐक्ट के कानून में नवाब साहब ने देखा होगा कि कई गाँव मिलाकर एक गाँव सभा बनी है करीब करीब वैसे ही गाँव समाज का क्षेत्र भी होगा। अगर एक गाँव को एक गाँव समाज से दूसरे गाँव समाज में रखा जायेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई तब्दीली नहीं होगी। एक गाँव की कुछ जमीन दूसरे गाँव में नहीं डाली जायेगी बल्कि यह तो एक गाँव समाज के कंस्ट्रक्शन का सवाल है। जब कोई गाँव एक गाँव समाज से

निकाल कर दूसरे गाँव समाज में मिलाया जायेगा तो उसका इंतजाम भी दूसरे गाँव समाज में चला जायेगा। नवाब साहब जो समझते हैं कि किसी गाँव का वह हिस्सा जिसका विकास हो चुका है दूसरे गाँव समाज में मिला दिया जायेगा तो ऐसा नहीं होगा। एक छोटा गाँव है और कई गाँव मिलाकर गांव सभा बनाई जाती है तो ऐसी सूरत हो सकती है कि एक गाँव को दूसरे गाँव समाज में मिलाया जायेगा तो उसके इन्तजाम में फर्क नहीं पड़ेगा और जो विकास हुआ है उसमें भी कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। इस ख्याल से आपको जो अंदेशा है कि किसी गाँव के विकास हुए हिस्से को दूसरे गाँव समाज में मिला देने से दिक्कत होगी वह गलत है। ऐसा नहीं होगा बल्कि इन्तजाम के लिहाज से एक गांव दूसरे गाँव समाज में मिलेगा तो उसका इंतजाम उस गाँव समाज के साथ होगा और उस एरिया का जो मालिक होगा वह उस गांव समाज का एक सदस्य होगा इसलिये मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको रखेंगे तो अलबत्ता दिक्कत पैदा हो जायगी। अगर तरमीम को मंजूर किया जाए तो उसके यह मानी हो सकते हैं। एक गाँव है उस गाँव को निकाल कर दूसरे गाँव में मिलाना है लेकिन गाँव सभा में और जिस एरिया में आपने विकास किया है, विकास बड़ा वाइड टर्म है, एक नाली बना दी विकास हो गया, एक कुंवा बना दिया तो विकास हो गया, वह एरिया अलग रहेगा। तरमीम इस प्रकार है, "और यह भी प्रतिबन्ध है कि जो भूमि इस तरह हस्तगत की गई है और उसका विकास किया गया है वह गाँव समाज के मंडल में रहेगी और उसके (गाँव समाज के) अधिक्षेत्र से दूसरे अधिक्षेत्र में हस्तान्तरित नहीं की जायगी।" आप के कहने का मतलब यह है कि जिस ज़मीन का विकास किया गया है वह उस गाँव समाज से दूसरे गाँव समाज में नहीं जायगी। ऐसी सूरतें पैदा होंगी जब कि एक गाँव सभा दूसरी गाँव सभा में मिल जाएगी तो जिस एरिया का विकास हुआ है वह रहे उसी समाज में, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए इस तरमीम से कोई सहूलियत पैदा नहीं होगी बल्कि दिक्कत पैदा होगी। इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

उपाध्यक्ष—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ऐजाज रसूल साहब से। पहले प्रतिबन्ध के मुताल्लिक जो तरमीम थी वह नामंजूर हो गयी। लिहाजा पहले प्रतिबन्ध के रहते हुए यह प्रतिबन्ध इसके खिलाफ पड़ता है। उस में यह है "यदि प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गाँव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिस में खेती न होती हो, गाँव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गाँव समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक (incidental and consequential) आज्ञाएं दें, जो आवश्यक

[उपाध्यक्ष]

हों।" लेकिन आप यह अपनी तरमीम के द्वारा चाहते हैं कि वह गाँव मंडल में रहे और गाँव सभा उसका इंतजाम करे, यह चीज इसके खिलाफ पड़ती है। उसके रहते हुए यह तरमीम कैसे मंजूर हो सकती है ?

श्री ऐज़ाज रसूल—मेरा मतलब यह है कि अगर एक्सेस लैंड (अधिक भूमि) हो लेकिन अगर उसे गाँव ने डेवलप (विकास) कर लिया है, उस वक्त गवर्नमेंट यह खयाल करे कि आबादी कम है या किसी वजह से यह तब्दीली करना मुनासिब होगा।

उपाध्यक्ष—मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं कानूनी बात पूछ रहा हूँ। जब एक जगह यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि गाँव सभा के अख्तियार से वह जमीन अलग कर ली जाएगी और उसके मुताल्लिक जो जरूरी आज्ञाएं सरकार चाहेगी देगी, ऊपर यह मंजूर हो चुका है तो दूसरा प्रतिबन्ध रखना कि जो जमीन हासिल की गयी है वह गाँव मंडल में र`गी यह उस के खिलाफ पड़ जाता है जिस चीज को आप पहले पास कर चुके हैं।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—इस सेक्शन में जो पावर्स दी हुई हैं मैं इस तरमीम के जरिए उनको रेस्ट्रिक्ट (नियन्त्रित) करना चाहता हूँ। कोई लैंड डेवलप (भूमि विकसित) कर लिया है तो सरकार को पावर नहीं है कि वह उसका ट्रांस्फर (हस्तान्तरण) कर सके।

उपाध्यक्ष—लेकिन आप इसे जब रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर जो शब्द "में जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक [Incidental and consequential] आज्ञायें दे जो आवश्यक हों।" इसमें तो कहीं लिमीटेशन है नहीं तो जब वहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं तो यहाँ पर आप कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—आप अगर यह पढ़ें "और उसका विकास किया गया है वह गाँव समाज के मंडल में रहेगी" तो आपको मालूम होगा कि जो लैंड कल्चरेबिल (कृषि योग्य) होगी वह ट्रान्सफ़र (हस्तांतर) नहीं हो सकेगी और ऊपर जो पावर दी गई हैं उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें खेती न होती हो।

उपाध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जो जमीन ले ली है और उसका विकास कर लिया है वह जमीन गाँव समाज में रहेगी।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जी हाँ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं खुद बड़े चक्कर में था कि इस संशोधन का मतलब क्या है। मैंने उसे कई मर्तबा पढ़ा और जैसा श्रीमान् ने बताया उसी मतलब पर पहुँचा।

एक सदस्य—श्रीमान् जी की शरण न लीजिए।

माननीय श्री हुकुम सिंह—जब तक हम इस सदन में हैं तब तक श्रीमान् की शरण में रहने की जरूरत है जो नहीं रहना चाहते हैं वे बाहर चले जायँ। जैसा श्रीमान् ने फरमाया पहले प्रतिबंध और इस प्रतिबंध में बिल्कुल मेल नहीं है। हमारे माननीय सदस्य नवाब साहब ने ऐक्सप्लेन (स्पष्टीकरण) करने की कोशिश की। लेकिन पहले प्रतिबंध से सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी गाँव समाज की जमीन को अगर वह गैर-मजरुआ है और उसकी जरूरियात से ज्यादा है, तो उसके मुताल्लिक वह मुनासिब और जायज हुक्म सादिर करेगी। जो अधिकार ऊपर दिए गए हैं इस प्रतिबंध से उसके बिल्कुल बरकस बात कही गई है, दोनों में कोई मेल नहीं। नवाब साहब ने फरमाया कि पावर्स को रेस्ट्रिक्ट (सीमाबद्ध) किया जा रहा है, मैं तो यह कहूंगा कि रेस्ट्रिक्ट (सीमाबद्ध) नहीं कैंसिल ही किया जा रहा है। ऐसी सूरत में यह तरमीम ठीक नहीं है। जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है इससे कोई लाभ नहीं होने का। अगर दूसरे प्रतिबंध को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि उसके जरिये से सरकार को ऐसी जमीन के हासिल करने के अख्तियारात दिये गये हैं और उनमें यह रखा गया है कि गाँव समाज को कोई मुआविजा नहीं मिलेगा सिवाय डेवलपमेंट की शक्ल में। इसके अलावा सरकार जो जमीन हासिल करेगी वह अपने निजी काम के लिये नहीं करेगी। उस जमीन को हुकुमसिंह इस्तेमाल नहीं कर सकते वह तो पब्लिक परपजेज के लिये इस्तेमाल होगी। लिहाजा इस प्रतिबंध के आने से पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बात पड़ती है।

लिहाजा इस वजह से मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ। अव्वल तो यह इन-आर्डर नहीं है और दूसरे इस वजह से कि इससे कानून की शक्ल बिलकुल बेकार किये जाने का एहतमाल है और इससे कानूनी दिक्कत पैदा होगी। ऐसी सूरत में मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ।

श्री साजिद हुसैन—इस तरमीम के सिलसिले में मैंने देखा है कि काफी कनफ्यूजन (भ्रम) पैदा हो गया है। इसकी दो सूरत हो सकती हैं यानी एक सूरत तो यह है कि जमीन अक्वायर (हस्तगत) कर ली जाती है फिर उसके बाद उसको डेवलप (विकसित) किया गया और उसके बाद वह गाँव सभा में रही। अगर वह गाँव सभा के अधिकार में न रही तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी दूसरे आदमी को वह जमीन देगी और दूसरे मायने यह हो सकते हैं कि डेवलप की हुई जमीन सरकार ले ले। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो यह गाँव सभा के ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती है। इसका कुछ इशारा इसमें भी पाया जाता है कि उसको डेवलप करके उसका मुआविजा भी दिया जायगा। अभी सरकार ने यह कहा कि जो परती जमीन पड़ी हुई है अगर वह उनके अख्तियार के बाहर हैं तो उसको वह डेवलप नहीं करेगी वह जमीन ले लेगी और दूसरी तरफ यह

[श्री साजिद हुसैन]

कह रही है कि वह डेवलप की हुई जमीन का मुआविजा भी देगी तो यह एक कंट्राडिक्टरी (विरोध की) चीज हुई। आप बेकार जमीन को लेंगे तो फिर मुआविजा किस चीज का देंगे ? फिर इस बिल में यह भी कहा है कि 'Whether cultivable or otherwise'' (चाहे कृषि योग्य या अन्यथा हो,) या तो डेवलप की हुई लैंड ही कल्टीवेबिल कही जा सकती है हालां कि हर जमीन कल्टीवेबिल नहीं होती। मेरी समझ में नहीं आता कि वह इसको क्यों लेना चाहते हैं। एक आरबिट्रेरी पावर (स्वेच्छाधिकार) को भी गवर्नमेंट लेना चाहती है। यह तो बहुत बड़ी ज्यादती है। जब बेकार और अनडेवलप जमीन को लेना चाहती है तो फिर मुआवजे का सवाल क्यों करती है ? अगर ऐसी सूरत है तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिये और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके माने यह हैं कि वह दरअसल में गाँव सभा के लिये एक इन्तहाई रिस्क है। जो जी चाहे ले ले और जो जी न चाहे नहीं ले ले। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप इस तरमीम को मंजूर कर लें तो इससे यह सफाई हो जायगी कि यह गाँव सभा के लिये है।

श्री ऐजाज़ रसूल—मैंने मिनिस्टर साहब की तकरीर बड़े गौर के साथ सुनी। मुझे एक शैर याद आया और वह है कि:—

"यारब वह न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात"। जो कुछ भी वह कहेंगे उसको वह नहीं समझेंगे और न समझने की ही कोशिश करेंगे और हमेशा विरोध ही होता है। लेकिन यह गलत बात है। जो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर (हस्तगत) करती है वह बेकार जमीन होनी चाहिये डेवलप की हुई गाँव वालों की जो जमीन है उस पर गवर्नमेंट को अख्तियार नहीं होना चाहिये कि उसको किसी दूसरे के कब्जे में मुन्तकिल कर दे या किसी दूसरी सरकिल में मुन्तकिल कर दे।

आप यह देखें कि कितनी मेहनत से डेवलपमेंट किया गया और उसको अच्छी हालत में लाया गया। फर्ज कीजिए कि रहीमाबाद में बड़े जोर से गवर्नमें। जमीन का डेवलपमेंट कर रही है। और उस खाली जमीन को जब उसका डेवलपमेंट हो जायगा किसी और गाँव के लोगों को देना कहाँ तक जायज और मुनासिब होगा, यह जरा सोचने की और गौर करने की बात है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—कैसे आप को मालूम कि किसी और को दे देगी ?

श्री ऐजाज रसूल—मैं गवर्नमेंट को यह पावर नहीं देना चाहता बल्कि वहाँ के गांव वालों को जिनकी कुछ हस्ती नहीं है और जो वहाँ का लैंडलैस लेबरर (भूमि-रहित मजदूर) है उसको वह जमीन मिलनी चाहिये। हमारे मौर्य साहब को इसकी ताईद करना चाहिए, क्योंकि वह तो शोषित संघ के लीडर हैं। यह मुनासिब नहीं है कि दूसरे गांव वालों के असरात से जो हजारों एकड़ जमीन

डेवलप की जा रही है वह दूसरे गांव वालों को मुन्तकिल हो जाय। इससे उस गांव के रहने वालों का नुकसान होगा। अगर डेवलपमेंट न हुआ हो तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि प्राविजो के मुताबिक उसे दूसरे गांव में ट्रान्सफर कर दे। लेकिन डेवलपमेंट के बाद ट्रान्सफर करना कहाँ तक जायज और मुनासिब हो सकता है। बजाय इसके कि यह जमीन भूमिधरों को दी जाय। ज्यादा अच्छा यही है कि वह लैंडलैस लेबरर्स को दी जाय, जिसके मौर्य जी बहुत हामी हैं और इसमें कोई कनफ्यूज़न (भ्रम) वगैरह की बात भी नहीं है। आपको तो चूँकि तरमीम का विरोध करना था इसलिए आपने ऐसी बात कह दी। मैं फिर इसके मंजूर करने के लिए जोर देता हूँ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—जो एतराज मैंने शुरू में पेश किया था मैं उसके अलावा एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि यह संशोधन धारा ११६ को जिसको सदन अभी मंजूर कर चुका है कन्ट्रेवीन (विरोध) करता है और ऐसी सूरत में यह तरमीम किसी सूरत से भी मान्य नहीं है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११८ के दूसरे प्रतिबन्ध के पश्चात निम्नलिखित तीसरा प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय।

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जो भूमि इस तरह हस्तगत की गई है और उसका विकास किया गया है वह गांव समाज के मण्डल में रहेगी और उसके (गांव समाज के) अधिक्षेत्र से दूसरे अधिक्षेत्र में हस्तांतरित नहीं की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ११८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ११९

गांव-सभा द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध और नियंत्रण

११९—(१) इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गांव-सभा को गांव-समाज के लिए और उसकी ओर से ऐसी सब भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर के जंगलों, (खातों, बागों या आबादी के पेड़ों को छोड़) अन्य पेड़ों, सार्वजनिक कुंओं, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों, हाटों तथा बाजारों और मेलों के, जो धारा ११८ के अधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, सामान्य

अधीक्षण (general superintendence), प्रबन्ध और नियंत्रण का भार सौंप दिया जायगा।

(२) पूर्वोक्त निदेशों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, गांव-सभा के कार्यों और कर्त्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) कृषि का विकास और उन्नति,

(ख) जंगलों और पेड़ों [※] की रक्षा, रख-रखाव और विकास,

(ग) आबादी के स्थलों और गांव के गमनागमन मार्गों (village communications) का रख-रखाव और विकास,

(घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्ध,

(ङ) सहकारी खेती का विकास,

(च) पशुपालन का विकास,

(छ) खातों की चकबन्दी (consolidation of holdings),

(ज) गृह-उद्योगों (cottage industries) का विकास,

(झ) मीनाशयों, कुओं और तालाबों का रख-रखाव तथा विकास,

(ञ) [※]

(ट) अन्य ऐसे विषय, जो नियत किए जायं।

श्री वीरेन्द्र शाह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११६ की उपधारा (१) की पंक्ति २ के शब्द "गांव-सभा" के स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जांय और पंक्ति ३ के शब्द "गांव समाज" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिये जांय।

श्रीमान् जी, यह जो धारा ११६ (१) है इसमें लिखा हुआ है—

"इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गांव सभा की गांव समाज के लिए और उसकी ओर से ऐसी सब भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर के जंगलों, (खातों, बागों या आबादी के पेड़ों को छोड़) अन्य पेड़ों, सार्वजनिक कुंओं, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों, हाटों तथा बाजारों और मेलों के, जो धारा ११८ के अधीन गांव समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, सामान्य अधीक्षण (General Superintendence), प्रबन्ध और नियंत्रण का भार सौंप दिया जायगा।

※ संयुक्त विशिष्ट समिति ने निकाल दी।

मेरा मतलब सिर्फ यह है कि यहां गांव सभा रखने से यह भ्रम होगा कि सब चीजें गांव सभा में वेस्ट (निहित) करेंगी। आप यह सब चीजें गांव समाज में दे रहे हैं और उनका नियंत्रण उसी के जरिये से होगा। इसलिये यह संशोधन रखा है कि 'गांव सभा' हटा कर 'गांव समाज' रख दिया जाय तो यह साफ हो जायगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो मेरे मित्र ने इस अध्याय की सारी धाराओं को पढ़ा नहीं या महज संशोधन पेश करने की गरज से संशोधन पेश किये जाते हैं। मैंने सोचा था कि हमारे राजा साहब तरमीम के सम्बन्ध में कुछ रोशनी डालेंगे और कुछ बतायेंगे कि क्यों गांव समाज की जगह पर गांव सभा कराना चाहते हैं और गांव सभा की जगह पर गांव समाज कराना चाहते हैं। मैं इन्तजार में बैठा ही रहा और उन्होंने गालिबन् पूरा जुमला भी नहीं कहा या अगर कहा तो ऐसे कन्फ्यूज्ड भ्रमपूर्ण तरीके से कहा जिसके कोई माने न थे और न कोई माने मैं समझा और मेरे दोस्त अपनी जगह बैठ गये। एक बात मेरे कान तक पहुँची कि अगर गाँव सभा यहाँ रखा जायगा तो कन्फ्यूजन (भ्रम) इस बात का होगा या ऐसा लोग विचार करेंगे कि ये सब चीजें गांव सभा में वेस्ट (निहित) हुई। लेकिन अगर हमारे दोस्त ने धारा ११८ को पढ़ने की तकलीफ गवारा की होती तो उसमें बिलकुल साफ है। मैं श्री मान् की इजाजत से धारा ११८ का तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ—

118. At any time after the publication of the notification mentiond in section 6, the Provincial Government may, by notifcation in the Gazette, declare that, as from the date to be specified (hereinafter in this chapter called the specified date)

(i) all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove,

(ii) all forests within the village boundaries,

(iii) all trees (other than trees in a holding, grove, or abadi),

(iv) public wells,

(v) fisheries,

(vi) hats, bazars and melas,

(vii) tanks, ponds, private ferries, water channels, pathways and abadi sites,

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

situate in a circle, which had vested in His Majesty under this Act shall vest in the Gaon Samaj established for the circle

[११८—धारा ६ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकशित हो जाने पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगा कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो अध्याय में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)—

(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,

(२) गांव को सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

(३) खाते, बाग या आबादी के पेड़ों को छोड़ अन्य सभी पेड़,

(४) सार्वजनिक कुएं,

(५) मीनाशय,

(६) हाट, बाजार और मेले,

(७) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल-प्रणालियां रास्ते और आबादी के स्थल जो मंडल में स्थित हों और इस विधान के अधीन महामहिम के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ जायंगे;]

बहुत साफ़ है। लिहाज़ा ऐसे भ्रम की कोई गुंजायश नहीं जिसका इज़हार हमारे राजा साहब ने किया। मैं समझता हूं इस तरमीम को पेश करके दस पाँच मिनट इस सदन का अमूल्य समय लिया गया हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद है, नवाब जमशेद अली हमारे मित्र, आ गये हैं, वह उनको सलाह देंगे कि इस तरमीम को वापस ले लें।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान्‌जी, मंत्री के उत्तर के बाद मैं यह समझता हूं कि यह चीज साफ़ हो गई है जिसका हमको भ्रम था। उन्होंने पढ़ कर सुना दिया कि धारा ११८ में यह साफ़ है कि गांव समाज में ही वेस्ट (निहित) करेगी। यहां जो भ्रमित रूप में रखा था उससे हमको भ्रम था। मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, ५७७ नम्बर पर जो मेरा संशोधन

है उसे मैं आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। धारा ११९ की उपधारा (२) (क) के शब्द "उन्नति" के बाद शब्द "और खास तौर से खाद (कम्पोस्ट) का नियमानुसार प्रबन्ध" बढ़ा दिये जायं।

सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट की धारा ११९ के अन्तर्गत गाँव सभा को खेती की उन्नति के सम्बन्ध में अधिकार दिये गये हैं। इसमें मैं यह और जोड़ देना चाहता हूँ चूंकि खेती की उन्नति महज कहने से ही नहीं हो सकती है। खेती की उन्नति सभी चाहते हैं और गल्ले की पैदावार बढ़ाना भी सभी चाहते हैं। जो खेती करते हैं केवल वे ही नहीं, बल्कि जो खेती नहीं करते हैं उनकी भी यही कामना है कि पैदावार बढ़े, इसलिये कि सब को ही खाने की जरूरत होती है। लेकिन हमें इस पर जोर देना है कि वह पैदावार बढ़े कैसे। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि जहां गांव समाज को हम यह अधिकार दे रहे हैं कि वह खेती की उन्नति करे वहां इस चीज पर भी जोर डाला जाय कि खाद का प्रबन्ध हो और कम्पोस्ट के द्वारा हो। अगर इस चीज को रखना हम पसन्द नहीं करते या निरर्थक समझते हैं तो खेती की उन्नति नहीं हो सकती। मैंने सोच समझ कर ही यह चीज रखी है। मैंने यह नहीं समझा कि इसमें कोई दिक्कत है और यदि कोई होगी और मुझे मालूम होगी तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। मेरा संशोधन मंजूर कर लेने से सेलेक्ट कमेटी की धारा अधिक अच्छी और मजबूत होजाती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे मित्र त्रिपाठीजी की इच्छाओं का ताल्लुक है, मैं उनकी सराहना करता हूं। वह चाहते हैं कि खेती की उन्नति के लिये जहां और अधिकार गांव सभा को दिये गये हैं वहां कम्पोस्ट बनाने का खासतौर से दिया जाय। बहुत अच्छा है, जरूर होना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें कृषि का "विकास" और "उन्नति" दो शब्द हैं। खेती करने के लिये खाद्य की भी जरूरत हुआ करती है, आबपाशी की भी जरूरत हुआ करती है, खेतों की मेंढ़ बनाकर उनको सही हालत में रखने की और और बातों की जरूरत हुआ करती है। इसके साथ साथ और बहुत से काम हैं जो जरूरी हैं। ये सब 'डेवॅलपमेंट' और 'इम्प्रूवमेंट' के व्यापक शब्दों में आजाते हैं। अगर कम्पोस्ट के वास्ते खास तौर से कर दिया जायगा तो उसका यह मतलब भी निकाला जा सकता है, और हमारे राजा साहेब जगम्मनपुर तो जरूर ऐसा करेंगे, कि चूंकि कम्पोस्ट के लिये रखा गया इस वास्ते इसके अलावा और कोई काम गांव सभा नहीं कर सकती। "विकास" और उन्नति के दो व्यापक शब्दों में सभी बातें आजाती हैं और इस संशोधन की जरूरत नहीं रह जाती है। मैं अपने मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे वापिस ले लें।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, माल-मंत्री जी ने जो कुछ

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

फरमाया है उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुंआँ खेतों की मेंड और सिंचाई वगैरह पर बहुत पहले से सूबे की जनता का ध्यान जा चुका है और उसका प्रबंन्ध सब लोग अच्छी तरह से करते हैं लेकिन यह खाद का जो मामला है और कम्पोस्ट का जो मामला है इसका एक आन्दोलन गवर्नमेंट करना चाहती है और किसानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती है। खाद का मामला ऐसा है जिसमें किसान अभी तक सुस्ती करते हैं और उसका इंतजाम ठीक ठीक नहीं हो रहा है। मैं चाहता था कि गाँव सभा का ध्यान इस ओर बहुत जोर के साथ आकृष्ट किया जाय परन्तु यदि मंत्री जी ऐसा समझते हैं कि "उन्नति" शब्द में खाद का समावेश हो सकता है तो मैं इस आश्वासन के साथ अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरे दोस्त हैं वह यह कहते हैं कि जरा बढ़िया बोलिये, तो यह जो मेरा दूसरा संशोधन है वह भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। धारा ११६ की उपधारा (२) (क) की पंक्ति १ में शब्द "कृषि" के बाद शब्द "का" के स्थान पर शब्द "की" रख दिया जाय और शब्द "विकास" के पहिले शब्द "रक्षा" जोड़ दिया जाय।

मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति माल मंत्री जी को नहीं होगी। कृषि की उन्नति सभी चाहते हैं कि हो। चाहे कोई कृषि करता हो चाहे न करता हो लेकिन सभी लोग यह कोशिश करते हैं और यह चाहते हैं कि कृषि की उन्नति हो लेकिन मेरे खयाल में कृषि की उन्नति में एक यह चीज बहुत बाधक है कि लगी लगाई फसल कटवा दी जाती है। मवेशियों की कोई व्यवस्था न होने के कारण और सरकार की तरफ से कोई सख्ती न रहने के कारण लगी लगाई फसल मवेशियों द्वारा कटवाली जाती है। गाँव समाज को आप यह अधिकार दे रहे हैं कि खेती की उन्नति हो और यह बिलकुल ठीक भी है कि खेती की उन्नति हुये बिना हमारा देश ऊपर नहीं उठ सकता है। आज सब से बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वह खाने पीने का सवाल है और वह खेती द्वारा ही हल हो सकता है। तो जब आप कृषि पर इतना जोर देते हैं तो विधान में गाँव को यह अधिकार होना चाहिये कि खेती की रक्षा के लिए मुनासिब इंतजाम हो। गाँव समाज की तरफ से ऐसे ऐसे नियम बनाये जाँय जिनसे खेती की रक्षा हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा संशोधन मंजूर कर लिया जायगा। अगर यह मंजूर कर लिया गया तो इससे सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें न कोई तब्दीली ही होगी और न उसमें कोई खराबी ही आयेगी, इसलिए मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे मंजूर कर लेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के सम्बन्ध में भी मुझे वही बात कहनी है। डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में रक्षा भी आ

जाती है और गाँव समाज के लोग इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि जमीन में फस्ल बोयें और उसे तरक्की दें और फिर जानवरों से उसे चरा दें। उसकी रक्षा करना इसके अन्तर्गत है। इस तरमीम की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—मुझे जो संशोधन पेश करना है वह इस प्रकार है। धारा ११९ की उपधारा (२) (च) में शब्द "विकास" के बाद शब्द और "पशुचर भूमि" बढ़ा दिये जायँ। गाँव सभा को इस धारा के मुताबिक पशुओं की रक्षा, पालन और उन्नति का अधिकार दिया गया है। उसमें मैं इतना और रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि पशुओं की उन्नति तभी सम्भव है जब पशुचर भूमि का इन्तजाम गांव समाज करले। यदि ऐसा नहीं होता तो पशुओं की उन्नति असम्भव है पशुओं की आजकल की हालत को देखते हुए। इसलिये मेरा खयाल है कि माल मंत्री जी इस प्रस्ताव को जरूर ही मंजूर कर लेंगे, क्योंकि पशुचर भूमि के बिना पशुओं की उन्नति हो नहीं सकती।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ११८ के सबसेक्शन "ए" को मैं आपकी आज्ञा से हवाला देना चाहता हूं—

"all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove,"

[समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं।]

यह सब जमीन गाँव समाज में वेस्ट (निहित) करेगी। धारा ११९, सबक्लाज एफ के मुताबिक डेवलपमेंट आफ अनीमल हस्बेंडरी के काम भी गाँव समाज के सुपुर्द हैं और वह काम तभी मुकम्मिल हो सकता है जब पशुओं को चराने के चारे का ठीक प्रबन्ध गाँव समाज करे। उसके पास परती जमीन और जंगल होंगे। तो इस डेवलपमेंट आफ अनीमल हस्बैंडरी शब्द में सब आ जाता है। यह भी बड़ा व्यापक है। उसके लिये जितने काम जरूरी हैं वह सभी गाँव समाज को करने पड़ेंगे। यह नहीं होगा कि गाँव समाज नई नस्लें लावें, नये जानवर पैदा करने की कोशिश करें मगर उनके खाने पीने का प्रबन्ध न करे। ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लिहाजा जब उसके पास साधन हैं, परती जमीन और जंगलात हैं और डेवलपमेंट करना भी उनका फर्ज है तो उन साधनों से वह काम लेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गाँव समाज के लोग इन बातों में पूरी वाक्फियत रखते हैं और मुझसे ज्यादा समझदारी

से पशुपालन कर सकते हैं। वह इसका अवश्य प्रबन्ध करेंगे। इस संशोधन के लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माल मंत्री जी ने फरमाया कि गाँव सभा वाले हम लोगों से ज्यादा इस बात को करना चाहेंगे और उनसे यह बात छिपी नहीं रहेगी कि वह अधिकार व्यापक अधिकार है और गांव समाज के हाथ में जंगल और परती भूमि भी रहेगी। मैं माल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहुत से गांव और गांव सभाएं ऐसी हैं जहाँ जंगल और परती एक भी चीज़ नहीं है। तो वहां भी पशुचर भूमि बनानी पड़ेगी। वहां भी पशुओं के निकलने के लिये रास्ता बनाना पड़ेगा। तभी पशुओं की उन्नति हो सकती है। तो वहां तो खेतों को अक्वायर करके गोचर भूमि बनानी पड़ेगी। इस लिये मैंने एक खास बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन वह समझते हैं कि गांव समाज ही इस का इंतज़ाम कर लेगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री एेजाज़ रसूल—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ११९ की उपधारा (२) (ट) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायं—

"(ञ) मवेशी और पौदों की बीमारी को नष्ट करना;

(ट) उद्यान विद्या (Horticulture) का विकास और उन्नति;

(ठ) प्रदर्शन फ़ार्मों (Demonstration Farms) की स्थापना;

(ड) सहकारी बीज भण्डारों (Co-operative Seed Stores) की स्थापना;

(ढ) कृषि सम्बन्धी औज़ारों (Agricultural implements) के सहकारी भण्डारों (Co-operative Stores) की स्थापना;

(ण) ट्रैक्टर्स (tractors) मोल या किराये पर लेना (Purchase or hire of tractors);

(त) ऐसे जंगली जानवरों को नष्ट करना जो फ़स्ल या मवेशियों को हानि पहुँचाते हैं;

(थ) मुर्गी व मधुमक्खी पालन (Poultry Farming and Bee-keeping) को प्रोत्साहन (encouragement),

(द) भूमि को कटने से रोकना (Prevention of erosion),

(ध) सहकारी ऋण समितियों (Co-operative Credit Societies) को प्रोत्साहन ;

(न) उपज के बाजार में ले जाने और कुटीर उद्योग (Cottage Industry) द्वारा तैयार की हुई चीजों को बेचने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना व प्रोत्साहन और

(प) अन्य ऐसे नियम जो नियत किये जायं।

हुजूरवाला, अगर आप दफा ११९ देखें तो उस में गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें गांव सभा के सुपुर्द कर दी हैं, मसलन डेवलपमेंट आफ ऐग्रीकल्चर, मेंटिनेंस आफ फारेस्ट्स ऐंड ट्रीज, वगैरा वगैरा। यह सब चीजें रखी गयी हैं। मैं चाहता हूं कि उन के साथ यह चीजें भी बढ़ा दी जायं क्योंकि शायद किसी वजह से भूल हो गयी हो तो दुरुस्त हो जाय क्योंकि यह बहुत बड़ा बिल है। मसलन पौदों को जानवरों से बचाना, या हार्टीकल्चर को तरक्की देना, कोआपरेटिव सीड स्टोर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें उनके सुपुर्द कर दी जायं। अक्सर यह हो सकता है कि गांव सभा और गांव समाज में झगड़ा हो और कुछ कहें कि कानून में तो यह लिखा नहीं है कि, क्योंकि गांव समाज में ज्यादातर लोग इल्लिटरेट (अशिक्षित) होंगे। जो लोग मुखालिफत रखते होंगे वे लोग कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है, कानून में दर्ज नहीं है। इसलिये सब चीजों को साफ करने के लिये मैंने यह तरमीम रखी है। इस में कोई ऐसी बात नहीं है जो मिनिस्टर साहब को नामुनासिब मालूम हो। मैं उन्हें वाइड पावर्स और दे रहा हूं। लिहाजा उम्मीद है कि इस तरमीम को मिनिस्टर साहब जरूर मंजूर फरमाएंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक धारा १९ का ताल्लुक है और गांव समाज के फरायज और काम के बारे में जो फरायज दिये गये हैं वे ऐसे नहीं हैं जो एग्जास्टिव (व्यापक) हों, महज इलसट्रेटिव (उदाहरणात्मक) हैं और ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिन के बारे में यह सम्भव हो। गांव समाज के रिसोर्सेज (आधार) ऐसे हों कि उन को पूरे तौर से अंजाम दे सकें।

यह जो तरमीम पेश की गई है, उसमें इस बात का प्रयत्न तो किया गया लेकिन वह भी नाकामयाब रहा कि पूरी फेहरिस्त दे दी जाय, लेकिन आखिर में उन्हें मजबूर हो कर "प" में यह जोड़ना पड़ा "अन्य ऐसे नियम जो नियत किये जांय"। हमारे माननीय मित्रों ने सामूहिक तरीके से भी सोचा और चार

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

आदमी मिल कर भी फेहरिस्त को मुकम्मिल नहीं कर सके। आप चाहते हैं कि गांव समाज ट्रैक्टर खरीदें और किराये पर चलावे। आया गांव समाज के पास इतने रिसोर्सेज (आधार) होंगे भी या नहीं इसका ख्याल नहीं किया। आज तो सरसरी तौर से देखने से उनके पास इतने रिसोर्सेज (आधार) नहीं हैं। कहते हैं कि ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का स्टोर्स गांव समाज रखें। लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कहां आगे चल कर जब हो जायेंगे तो प्राविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं कि इनके अधिकारों को बढ़ाती जाय। इस वक्त एक लम्बी फेहरिस्त दे देना जिसको पूरा करना उनके लिये नामुमकिन हो। मैं तो इसे ठीक नहीं समझता। डेवलेपमेंट का सारा बोझ उस पर रखना आप इस तरमीम के जरिये से चाहते हैं। गांव समाज इस काबिल नहीं है। उसकी गांठ इतनी मजबूत नहीं है। आप प्राविंशियल गवर्नमेंट को इस जिम्मेदारी से सुबुकदोष करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस से हटना नहीं चाहती। यह सरकार जिम्मेदारी को पूरी तौर से निभाना चाहती है और इसे निभायेगी। लिहाजा यह कहना कि यह सब बातें गाँव समाज में रख दी जाँय वह बेचारी कहाँ से करेंगी। यह बिलकुल गलत सी बात है और आखिर आप लोग क्या करेंगे। हमारे और आपके लिये भी तो कुछ काम होना चाहिये। यहाँतक कि मुर्गी पालने के काम को भी आपने गाँव समाज को ही दे दिया है। यह काम आप ही करते रहिये आखिर जमींदारी खत्म होने के बाद कुछ तो आपके और हमारे लिये भी चाहिये सारे काम गाँव समाज पर रख देना और गवर्नमेंट भी एकतरफ हो जायं और आप भी एक तरफ हो जायँ और उनको अकेले छोड़कर अलहदा हो जाय यह ठीक नहीं है। जो मौजूदा है उसके सब क्लाज में यह बात रखी गई है, "सच अदर मैटर्स ऐज मे बि प्रेस्काइब्ड" (ऐसे और भी मामले जो निर्धारित हों) यह बात उसमें रखी गई है। आगे चल कर जब आप देखें कि हमारी फलां गांव समाज इतनी एफीशिएंट (दक्ष) हो गई है जो काम उसे सुपुर्द है उसे ठीक तरीके से निभा रही है और और भी जिम्मेदारी के कामों को ले सकती है तो आप खुशी से दीजिये और खुशी से हम उनको देंगे लेकिन आज ही ऐसा करना और फेहरिस्त बनाना जो नामुकम्मिल रहे, ठीक नहीं है और आपने खुद ही "प" ने रखा है कि ऐसे नियम जो नियत किये जायं। मुझे खुशी है कि आप जिस बात की मुखालिफत किया करते थे कि सरकार के हाथ में अधिकार नहीं देने चाहिये कि वह एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से पावर्स को बरते, लेकिन मुझे खुशी है कि भगवान ने आप को सुबुद्धि दी कि जिससे आपने प्राविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स दिये हैं कि जब जैसी जरूरत समझे अन्य नियम जो चाहे नियत कर दे। अब उसके बाद भी इस वक्त इतनी लम्बी फेहरिस्त कामों की बनाना और बाद में यह लिख देना कि प्राविंशियल गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे नियम बनावे मेरी समझ में निहायत नामुनासिब है। लिहाजा मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

श्री साजिद हुसैन—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि

यह एक ऐसा संशोधन है जिसको मंजूर करने में सरकार को कोई माली नुकसान नहीं पहुँचता और न किसी और किस्म के नुकसान का अन्देशा ही है। इन चन्द लफ्जों के बढ़ा देने से जिससे कि गाँव वालों को, गाँव समाज को, कुछ और अख्तियारात मिल जायं, कोई नुकसान सरकार का नहीं था, मगर सरकार का तो कोई अख्तियार किसी किस्म का गाँव वालों को देने का दरअसल में जी नहीं चाहता है। ये ऐसे अख्तियार नहीं हैं जिससे कि सरकार के अख्तियार कम होते हों या कुछ सरकार के अख्तियारात गाँव वालों को दिये जाते हों, बल्कि कुछ ऐसे अख्तियारात हैं जो नये हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरा के मुताल्लिक पौदों और फसलों के बचाव के मुताल्लिक, लेकिन ये भी उनको मंजूर नहीं हैं। वह गाँव समाज को निहायत जलील चीज समझते हैं और उनकीयह जहनियत बिल्कुल साफ जाहिर है। आइन्दा उनकी तरक्की हो, उनकी काबलियत बढ़े, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। नीयत उनकी कुछ है, इजहार उनका कुछ होता है, ऐसी सूरतमें मैं समझता हूं कि सरकार का मतलब क्या है। कुछ ऐसे मामूली अख्तियारात, जो कि गाँव के सुधार के मुताल्लिक हों, फसल के बचाव के मुताल्लिक हों, को देने में जब दरेग है तो मैं क्या समझूं सिवाय इसके कि जिद है कि जो हमने लिख दिया है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। शायद इसमें उनको अपनी बदनामी महसूस होती हो कि यह ऐसी बात विरोधी दल की तरफ से आई। वह यह दिखाना चाहते है कि विरोधी दल ने कोई बात नहीं कही और इसीलिये जो भी कोई बात कही जाती है उसे यहाँ पर ही दबा देना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा बड़ा नुकसान हो जायेगा, सरकार का कौन सा पैसा खर्च हो जायेगा, कौन सी चीज उनके अख्तियार से बाहर हो जायेगी, जो इसे सरकार नहीं मानना चाहती। आपने वगैरा वगैरा लिखा था सो हमने भी उसको लिख दिया फिर ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपने एक फेहरिस्त दी और हमने कुछ और ज्यादा दे दी तो कौन सा नुक्सान है। आइन्दा चल कर आपको अख्तियार है कि आप दुहरा दें। पूरा का पूरा बिल आप अमेंड किया करते हैं तो इसको भी अमेंड कर सकते हैं। कम से कम जो चीज रीजनेबिल (उचित) हो उसको तो मानना ही चाहिये। इसमें हमारे जमींदारों को क्या फायदा है, सरकार का क्या नुकसान है जो कुछ थोड़े से अख्तियार गाँव समाज को मिल जाते हैं? इसमें सरकार की जेब से कुछ नहीं जाता तो फिर इसको नामंजूर करने की क्या बात है।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ—जनाब वाला, जैसा कि अभी राजा साहब ने बहुत ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर क्यों गवर्नमेंट इस किस्म के अमेंडमेंट जो अपोजीशन की जानिब से आते हैं, उनकी भी मुखालिफत करती है, उसी तरह से मुझे भी ताज्जुब है कि वह न सिर्फ जो अमेंडमेंट्स अपोजीशन की तरफ से आते हैं उनकी मुखालिफत करना अपना फर्ज समझती है बल्कि जो तकरीरें इस तरफ से होती हैं उनको भी सुनना गवारा नहीं करती। जहाँ इस तरफ से

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

तकरीर शुरू हुई कि वह आपस में गुफ्तगू करने लग जाते हैं और खुदा जाने कौन सी राउण्ड टेबिल कान्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि वह गाँव सभा और गाँव समाज के मुताल्लिक साफ तौर से अपनी पोजीशन जाहिर कर दे।

मैं नहीं चाहता हूँ कि यह जो गाँव सभा या गाँव समाज बन रहे हैं उनके मुताल्लिक गलतफहमी हो और गाँव वालों में गलतफहमी रहे। गवर्नमेंट यह चाहती है कि उनका होम रूल हो, उन्हें हुकूमत करने का शऊर हो और उनके अन्दर लियाकत और काबिलियत पैदा हो जाय कि वह अपना इंतजाम खुद करें तो फिर आप अपनी पालिसी का क्यों नहीं एलान करते कि हमारा इरादा यह है कि हम मखसूस अख्तियारात देना चाहते हैं जिससे आयंदा इलेक्शन में हमें मदद मिले इसलिये हमने यह अख्तियारात दे दिये हैं। यह अमेंडमेंट जो हाउस के सामने है इसका मकसद यह है कि जो चीज आपने जानकर या बिना जाने छोड़ दी है उनको शामिल कर दिया जाये और वह अख्तियारात गाँव सभा और गाँव समाज को हैं और वह उस पर कारबंद हों।

मैं दो चार चीजें यहाँ पर नमूने के तौर पर पेश करता हूँ जिनके मुताल्लिक अमेंडमेंट के जरिये से यह जाहिर किया गया है कि यह गाँव सभा या गाँव समाज के सिपुर्द की जायें मस्लन इस्टेबलिशमेंट आफ डिमांसट्रेशन फारमिंग (प्रयोगात्मक फारमों की व्यवस्था)। अगर इनको गाँव सभा या गाँव समाज के सुपुर्द कर दिया जायगा तो क्या गजब हो जायगा। मैं समझता हूं कि गाँव समाज से बढ़ कर और कोई बाड़ी नहीं हो सकती जिसके सुपुर्द यह हो सकता हो। इसी तरीके से एनकरेजमेंट आफ पोल्टरी फार्मिंग एंड बी कीपिंग (मुर्गीपालन तथा मधुमक्खी पालन का प्रोत्साहन) है। इसको अगर गांव समाज के मातहत रखा जायेगा तो बड़ा माकूल इन्तिजाम होगा और इसकी तरक्की सही माने में हो सकती है। इसी तरीके से डेवलमेंट ऐण्ड इम्प्रूवमेंट आफ हार्टीकल्चर (फलों का विकास तथा सुधार) है। यानी बागात वगैरा लगाना। इनको कामयाब बनाने के लिये गांव समाज के अलावा और कोई जरिया नहीं है। यह तमाम चीजें हैं इसके लिये महज इस बिना पर कि आपोजीशन की तरफ से की गई हैं अगर आप इंकार कर दें तो यह कहां की सियासत है और कहां तक आप के लिये बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर यह बात मुनासिब है कि ख्वाह कोई चीज कितनी ही अच्छी क्यों न हो लेकिन वह आपकी तरफ से नहीं आई है इसलिये उसे मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हैं। आप क्यों नहीं कह देते कि तमाम अच्छी चीजों का आप और आपके रेवेन्यू मिनिस्टर ही जरिया हैं और किसी के दिमाग में यह चीजें नहीं आ सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस सिलसिले में साफ तौर पर यह बतला दें कि गांव सभा के अख्तियारात क्या होंगे। उनको धोखे में न रक्खें। क्या आप महज

व्हाइट वाशिंग करना चाहते हैं। आप अपनी पोजीशन साफ कर दें कि गांव सभा और गांव समाजके मुताल्लिक आपकी पोजीशन क्या है। आप कितने अख्तियारात उनको देना चाहते हैं। उनसे कोई मुफीद काम लेना चाहते हैं या नहीं। इस तरमीम को अगर आप मुस्तरद करते हैं तो मेरी बात को आप याद रखिये कि हर गांव वाला अब यह समझने के काबिल हो गया है कि क्या तरीका उनके साथ गवर्नमेंट अख्तियार कर रही है। जब यह चीज उनके सामने जायेगी कि यह तमाम चीजें गांव समाज के सुपुर्द करने के लिये गवर्नमेंट से कहा गया था परन्तु आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने इंकार कर दिया था तो यकीन कीजिये कि आप जब वोट लेने जायेंगे तो आपको दुश्वारियां पेश आयेंगी।

श्री अब्दुल बाकी—जनाब वाला मैं इस तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जब इस दफा का आप मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने इस बिल में ८ चीजों की तफ़सील दी है। इसके बाद गवर्नमेंट के दिमाग में और तफसील मौजूद नहीं थी कि आइंदा कंटेमप्लेशन हो। इसके बाद आती है तरमीम। आनरेबिल मिनिस्टर साहब यह बतला दें कि आइंदा जो तफ़सीलात दी जाएंगी उनमें यह आइटम्स नहीं होंगे तब तो यह तसलीम कर लिया जायगा कि वह इस तरमीम को नामजूर करते हैं और वह हकबजानिब है। लेकिन इसके मुताल्लिक आनरेबिल मिनिस्टर ने कोई लफ्ज नहीं फरमाया। जो तफसीलात अमेंडमेंट में दी गई हैं, आइंदा जो प्रेस्क्राइब (निर्धारित) किया जायगा, आइंदा जो रूल्स में दिखलाएंगे उसमें वह नहीं आएंगी; इस पर एक लफ्ज भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा। जहाँ तक मैं इस दफा को पढ़ रहा हूं, उससे इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह फेहरिस्त जो नवाब साहब ने दी है जो आज नामंजूर हो रही है कल वह चीज रूल्स में आएगी, और यकीनी तौर पर आएगी, वर्ना इसके कोई मानी नहीं थे "दैट मे बी प्रेस्क्राइब्ड" (जो निर्धारित हो)। आप बतलाएं कि क्या प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं, लेटर स्टेज में आप ये २ चीजें रखना चाहते हैं तब तो हम समझें कि दरहकीकत यह खास दो चीजें हैं जिनका आइंदा आप रूल्स में वजाहत से जिक्र करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करते तो एक शख्स के दिमाग में यह चीज उतर आई है कि यह चीजें हैं जिनको दफा ११९ में आना चाहिए और इंसाफ का तकाजा यह है, खुद इस प्राविजों का तकाजा है कि उन तफ़सीलात को तमामतर या कुछ तरमीम के साथ जरूर मंजूर कर लिया जाय। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं समझता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर फिर अपनी राय पर नजरसानी करेंगे और इस तरमीम को मंजूर करेंगे और उस जहमत से वह बचेंगे कि इस चीज को वह रूल्स में रिपोर्ट करें।

श्री ऐजाज रसूल—जनाब वाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर की तकरीर सुनी

[श्री ऐजाज़ रसूल]

और उन्होंने फरमाया कि मैंने यह अल्फाज "ऐज मे बी प्रेस्काइब्ड (जैसा कि निर्धारित हो)" रख दिये हैं और मैंने जो लिस्ट बनाई है वह एक्जास्टिव नहीं है। मैंने खुद भी इस बात को कहा आइंदा जो अधिकार गवर्नमेंट चाहे दे। लेकिन यदि कोई चीज जो गांव समाज में नहीं थी उसे मैंने क्लीयर करना चाहा तो उस पर मिनिस्टर साहब को नाराजगी क्यों हो गई। इंसान हर चीज को भूल सकता है, हर चीज याद नहीं रख सकता अगर उसकी तरफ मैंने उनका ध्यान दिला दिया कि यह भी अख्तियार गांव समाज को दिए जांय तो इसमें नाराजगी की क्या बात है। दुनिया में आप यह ढोंग रचाते हैं विलेज रिपब्लिक, विलेज रिपब्लिक। हमने दुनिया में ऐसा एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) किया है जैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया। एक तरफ आप विलेज रिपब्लिक कहते दूसरी तरफ आप उसे कोई अधिकार नहीं देना चाहते।

मैं यह पूछना चाहता हूं आनरेबिल मिनिस्टर से आया यह सब चीजें गांव सभा कर सकती हैं या नहीं, पौधों की बीमारियों को दूर करने और जानवरों की रक्षा करने के काम को। अक्सर हम देखते हैं कि जानवर बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं तो कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दी जाती है कि इसका इन्तजाम किया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसी मामूली बातों का इंतजाम गांव सभा के सुपुर्द कर दिया जाए। डिमांसट्रेशन फार्म यह एक ऐसी चीज है जिसे गवर्नमेंट अपने अख्तियार में रखना चाहती है। प्राइवेट पर्संस [निजी व्यक्ति] को भी आप इन फार्म्स को खोलने का अख्तियार दे रहे हैं। अगर गाँव वाले अपना डिमांसट्रेशन (प्रयोगात्मक फार्म) खोलना चाहें और उनके पास रुपया है तो कर सकते हैं। आप ने कहा कि हमने यह जो रखा है वह इलस्ट्रेटिव (उदाहरणात्मक) है, फायनल नहीं है तो मेरी इन चीजों को भी उस इलस्ट्रेटिव (उदाहरणात्मक) लिस्ट में जोड़ दिया जाय ताकि गांव वालों को मालूम हो सके कि यह यह चीजें हमारे अख्तियारात में बढ़ा दी गई हैं। विलेज रिपब्लिक को मालूम हो सके कि उनके अख्तियारात क्या हैं। हमारे राजा साहब और नवाब साहब ने फरमाया कि आप अपोजीशन की कोई चीज मंजूर नहीं करना चाहते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो, जिससे यह साबित हो कि आपकी नजर में कोई बात नहीं आई। अपोजीशन की जायज़ चीज़ भी मंजूर करना आप नाजायज़ समझते हैं। अगर यह तजवीज़ जायज न होती तो हमारे शंकर लाल साहब और मौर्य साहब जरूर अपोज करते। वह खुद यह समझते हैं कि यह चीज़ जायज़ है। यह चीज़ ठीक है, इसीलिये वे खामोश बैठे हैं। मिनिस्टर साहब ने सिर्फ अपोज़ किया है। अल खामोशी नीम रज़ा होती है, इससे मालूम होता है उनको इससे कोई अख्तिलाफ नहीं है क्योंकि मौर्य साहब हर अमेंडमेंट को अपोज़ करते हैं, अगर यह जायज अमेंडमेंट न होता तो उसको जरूर अपोज करते। लिहाजा इससे मैं यह समझता हूं कि वे इसकी

ताईद में हैं। अगर किसी चीज को मिनिस्टर साहब नामुनासिब समझते हैं तो हैं उसको डिलिट कर सकते हैं। मान लीजिये गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हम पाल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग करना चाहते हैं तो गांव पंचायत के अंदर कहा जायगा कि यह चीज कानून में कहां है और वे इस चीज को गवर्नमेंट को रिफर करेंगे और जब गवर्नमेंट इसकी आज्ञा देगी तब जाकर कहीं वह कर पायेंगे। इसलिये इस चीज से देहात में झगड़ा पैदा होगा। उसको ही बचाने के लिये यह तरमीम पेश की गई है। जब आप उनको कलेक्शन वगैरा के सब पावर्स देना चाहते क्या वजह है कि आप यह समझते हैं कि वे इसके काबिल नहीं हैं। लिहाजा यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्या तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं। मैं फिर पूरे जोर से अमेंडमेंट की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसको मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के मुताल्लिक हमारे दोस्त नवाब साहब ने जो डैमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बड़े जोर से तकरीर की और ऐजाज रसूल साहब ने बड़े जवाब बातों का एक एक करके मैं सब बताना चाहता हूं। कहा गया है कि मवेशियों और पौदों की बीमारियों को रोकने का इंतजाम करने के लिये गांव समाज को अख्तियारात दे दिये जायं। अव्वल तो ऐसा कोई कानून नहीं, जिसमें गांव समाज को ऐसा करने से रोका गया हो। ऐसा कहीं नहीं है जहां कहा गया हो कि बैल बीमार हो जाय या पेड़ों में कीड़ा लग जाय वहां पर कोई इलाज न किया जाय। मवेशियों की बीमारी के लिये वैटरनरी डाक्टर की जरूरत है। पेड़ों की बीमारी लिये बड़े बड़े माहिर एक्सपेरीमैंट्स (प्रयोग) कर रहे हैं लेकिन अभी तक मलीहाबाद के आम के पेड़ों में जो लस्सी लग रही है उसका इलाज अभी तक नहीं पाया गया। जरा अक्ल की बात कही जाय तो समझ में भी आये। हार्टीकल्चर का तमाम दिमाग इस काम में लगा हुआ है कि फलां चीज कहां पैदा होगी। यह चीज गांव समाज कैसे कर सकता है। हमारे नवाब साहब जिनके पास इतने रिसोर्सेज (आधार) से जब वह इंतजाम नहीं कर सके तो गांव समाज यह कैसे कर सकता है। बागपत में भी चीज ऐसी पैदा नहीं हो सकी।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—आन प्वाइन्ट आफ आर्डर मुझे यह अर्ज करना है कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेविन्यू ने जो दलील अभी पेश की है उसकी बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्राविंन्शियल गवर्नमेंट को यह अख्तियार नहीं है कि वह ऐसा न करे।

उपाध्यक्ष—यह कहां का प्वाइंट आफ आर्डर है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—इसमें यह ऐग्रीकल्चर शब्द कितना व्यापक है, अगर आप ज़रा अक़्ल पर ज़ोर दें तो यह बात आपकी समझ में आसकती है। मैं तो यह कहता हूं कि इस धारा के मातहत जो अख्तियार दिये गये हैं वे अख्तियार सब इस बिल के अन्दर आ जाते हैं। "In any matter which may be prescribed" (किसी भी ढंग से जो निर्धारित किया जाय) जो भी नियम बनाये जांयगे, वे सब नियम इस सदन के सामने रखे जांयगे। उनमें आप तरमीम कर सकते हैं। इसमें शायद मछली पालने का इन्तजाम नहीं है, उसका इन्तजाम फिर किया जायगा। उसकी शिकायत हो सकती है। लिहाजा इन सब बातों की तफसील देना गलत है। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं। लिहाजा इस मौके पर हाउस का ज्यादा वक्त लेना मैं मौजूं नहीं समझता। इस वास्ते मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११९ की उपधारा(२) (ट) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायं—

"(ञ) मवेशी और पौदों की बीमारी को नष्ट करना;

(ट) उद्यानविद्या (Horticulture) का विकास और उन्नति;

(ठ) प्रदर्शन फ़ार्मों (Demonstration Farms) की स्थापना;

(ड) सहकारी बीज भण्डारों (Co-operative Seed Stores) की स्थापना;

(ढ) कृषि सम्बन्धी औज़ारों (Agricultural implements) के सहकारी भण्डारों (Co-operative Stores) की स्थापना;

(ण) ट्रैक्टर्स (tractors) मोल या किराए पर लेना (purchase or hire of tractors);

(त) ऐसे जंगली जानवरों को नष्ट करना जो फ़स्ल या मवेशियों को हानि पहुँचाते हैं;

(थ) मुर्गी व मधुमक्खी पालन (Poultry Farming and Bee-keeping) को प्रोत्साहन (encouragement),

(द) भूमि को कटने से रोकना (prevention of erosion),

(ध) सहकारी ऋण समितियों (Co-operative Credit Societies) को प्रोत्साहन;

(न) उपज के बाजार में ले जाने और कुटीर उद्योग (Cottage Industry) द्वारा तैयार की हुई चीजों को बेचने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना व प्रोत्साहन और

(प) अन्य ऐसे नियम जो नियत किए जायं।"

प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ...

[पक्ष में--१०]

अब्दुल बाकी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
गुरु नारायण, श्री
नवाजिश अली खाँ, श्री
प्रयागनारायण, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खाँ, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
साजिद हुसैन, श्री

[विपक्ष में-- २५]

अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कृपाशंकर, श्री
खुशीराम, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बदनसिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारतसिंह यादवाचार्य, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राम नंदन सिंह, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सिंहासन सिंह, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ११९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ११ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन प्रातःकाल ७ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ जून, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

१—३५ और ५२० देशी कपास की उन्नति प्राप्त किस्मों की वृद्धि, बटवारे, खरीद, और फरोख्त के लिए एक योजना चलाई गई है और उसके ५० मन बीज मेरठ और मथुरा जिले में सन् १९४९ में बाँटे गये थे।

२—प्रांतीय सरकार द्वारा "U.P. Botanical Scheme for Agronomic work" नामक एक दूसरी योजना मंजूर की गई है। और जल्दी ही चालू की जायगी।

३—भारतीय सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित मक़ासिद को लेकर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कपास के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिये एक योजना और विशेष कर्मचारी स्वीकृत किये हैं।

(१) कपास की उपज वाले जिलों में खालिस कपास का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये कोशिश करना।

(२) मिली हुई कपास की फसल का क्षेत्रफल बढ़ाना। खासतौर से उन जिलों में जहाँ मूंगफली और उर्द वगैरा पैदा होती है।

(३) जिन क्षेत्रों में वृद्धि की आशा की जा सकती है उन में ज्वार और बाजरा इत्यादि फसलों के स्थान पर कपास बोना।

उपरोक्त योजनाओं के साथ साथ कृषि विभाग के संचालक ने मूंगफली और मूंग के साथ कपास बोने के लिये और नमी तथा हर एक मौसम में उगने वाले कपास के पेड़ गांव में मैदानों में और पहाड़ों में जहां आबादी है लगाने के लिये प्रान्त भर में एक गश्ती चिट्ठी (Circular) भेजी है।

इस से यह जाहिर होता है कि सरकार उत्तर प्रदेश में कपास के मिलने की तंगी की अवस्था से छुटकारा पाने के लिये चिन्तित है और यह आशा की जाती है कि इन योजनाओं के कार्यान्वित होने से कपासकी पैदावार और उस के कारखाने प्रान्त भर में शीघ्र ही फिर से स्थापित होंगे।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १११ पर)

प्रश्न १८ के उत्तर में उपस्थित प्रमाण पत्र

जय हिन्द

जमींदारी उन्मूलन कोष

राष्ट्रीय ध्वज

प्रसारित पत्र

सेवा में ....

....

जमींदारी उन्मूलन कोष संग्रह सम्बन्धी आपकी सराहनीय सहायता ३१-१२-४६ तक की गई है यह प्रमाण-स्वरुप आपको भेंट किया जाता है।

मैनपुरी — विशेश्वर नाथ

.... १६५०. — जिलाधीश,

प्रश्न १८ के उत्तर में उल्लिखित प्रमाण पत्र

जय हिन्द

जमींदारी उन्मूलन कोष

राष्ट्रीय ध्वज

यह प्रमाण पत्र श्री ....

....

को उनकी जमींदारी उन्मूलन कोष के संग्रह के सम्बन्ध में ३१-१२-४६ तक की गई सेवाओं के प्रमाण-स्वरूप प्रदान किया जाता है।

मैनपुरी — विशेश्वर नाथ

.... १६५०, — जिलाधीश,

नत्थी 'ग'

[देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर]

नक्शा जिसमें, उन ट्रैक्टर यूनिटों के नाम दिये गये हैं जो खेती की जाने वाली जमीन की जोताई और हेंगाई (Harrowing) के लिये उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न (मुख्तलिफ) इलाकों या जिलों में रक्खे गये हैं।

	जिले का नाम	ट्रैक्टर का मेक (make)	वर्तमान संख्या
१	कानपुर	५५ के २ नम्बर] ३० के ३ नम्बर]	५
२	बाराबंकी	फार्डसन	५
३.	सीतापुर	,,	५
४	हरदोई	,,	५
५	फैजाबाद	,,	५
६	सुल्तानपुर	,,	३
७	लखनऊ	फरगुसन्स ३] फार्डसन १]	४
८	आगरा	एसी. एचडी. ७	४
९	बरेली	एम. एच. ५५ के. २] केस १]	३
१०	मेरठ	फेरगुसन्स १] एम एच. २]	३
११	बनारस	एम. एच. ५५ के	१
१२	सहारनपुर	एम. एच. ५५ के. १] फेरगुसन्स २]	३
१३	खीरी लखीमपुर	एसी. एचडी. ७	६
१४	मुजफ्फरनगर	,,	५
१५	रामपुर	,,	२
१६	तराई एण्ड भाबर गवर्नमेंट स्टेट्स	,, क्लेट डोझो	१८

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४ पर)

क्रम संख्या	जिले का नाम	सप्लाई किये गये ट्रैक्टरों की संख्या	सप्लाई करने की तारीख	काम जो १५-३-५० तक हुआ बंजर	जोता हुआ	हेंगाया हुआ
१.	सहारनपुर	२	१६.२.५०	१०	...	....
२.	मुरादाबाद	२	२२.२.५०	८	....	५
३.	बरेली	३	नवम्बर ४९	...	१६८	२७७
४.	कानपुर	५	नवम्बर दिसम्बर ४९ और जनवरी ५०	...	...	...
५.	बाराबंकी	५	नवम्बर ४९	२७२	४५	२०५
६.	सीतापुर	५	,, ४९	१३२	८५	३८५
७.	हरदोई	५	दिसम्बर ४९	५८	५४.	१३२
८.	सुल्तानपुर	३	नवम्बर ४९	३२	...	१
९.	लखनऊ	४	अक्तूबर नवम्बर ४९	....	११४७	,,

इस प्रदेश की सरकार ने ट्रैक्टर द्वारा की जानी वाली क्रियाओं की जो दरें नियत की हैं ये नीचे दी जाती हैं:—

१.	बंजर भूमि का तोड़ना	३५
२.	बंजर भूमि की पहली हेंगाई	१२
३.	बंजर भूमि की दूसरी हेंगाई	८
४,	खेती की भूमि की जोताई	२५
५.	खेती की भूमि की पहली हेंगाई	१०
६.	खेती की भूमि की दूसरी हेंगाई	७

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

सन् १९४९-५० में योरोपियन स्कूलों को दी गई आर्थिक सहायता की तालिका ।

संस्थाओं के नाम	आर्डिनरी ग्राण्ट	सेलेरी ग्राण्ट	प्रा० फ० ग्रांट	बोर्डिंग ग्राण्ट	स्पेशल ग्राण्ट
१. सेण्ट जोजफ कालेज, नैनीताल ।	१४६५२ रु०	७५०८ रु०	१७२८ रु०	...	...
२. बिनवर्ग एलन हाई स्कूल, मसूरी ।	१४६४३ रु०	२५०३२ रु०	४१५८ रु०	१८०९८ रु०	७५०० रु०
३. सेण्ट जोजफ हाई स्कूल, इलाहाबाद ।	१०१३५ रु०	१८६८० रु०	२४८२ रु०	१७२८ रु०	...
४. ब्वायज हाई स्कूल, इलाहाबाद ।	६७७७ रु०	१५६१५ रु०	१३१२ रु०	१०३१४ रु०	४३६१ रु०
					१७०० रु०
					१८४० रु०
५. सेण्ट फ्रांसिस हाई स्कूल, झांसी ।	११८२७ रु०	५३४१ रु०	८८४ रु०	...	...
६. सेण्ट जार्जेस कालेज, मसूरी ।	१२४१४ रु०	९६०० रु०	२२७४ रु०	...	...
७. गर्ल्स हाई स्कूल, कानपुर ।	६३२७ रु०	९८०५ रु०	१११५ रु०	१३९५ रु०	...
८. सेण्ट मरीज कान्वेण्ट स्कूल, इलाहाबाद ।	१०३८९ रु०	७५९७ रु०	९७४ रु०	१२५१ रु०	...
९. सेण्ट मैरीज कान्वेण्ट, कानपुर ।	५६६१ रु०	१८४६ रु०	२३० रु०	...	...
१०. सेण्ट फ्रांसिस हाई स्कूल, लखनऊ ।	१०३१७ रु०	१२१६० रु०	२३६१ रु०	८११८ रु०	..
११. लामार्टिनियर गर्ल्स हाई स्कूल, लखनऊ ।	७४७८ रु०	१२२६२ रु०	१३५० रु०	...	...
१२. कान्वेण्ट हाई स्कूल, मसूरी ।	५८४८ रु०	४९०० रु०	३४२ रु०	...	...
१३. सेण्ट पैट्रिक हाई स्कूल, आगरा ।	७१७६ रु०	५८२० रु०	..	...	४१६ रु०
					३८७ रु०
					३०० रु०
१४. सेण्ट मैरीज कान्वेण्ट हाई स्कूल, नैनीताल	९४६७ रु०	३३०३ रु०	२८६ रु०	...	...

संस्थाओं के नाम	आर्डिनरी ग्राण्ट	सेलरी ग्राण्ट	प्रा० फ० ग्राण्ट	बोर्डिंग ग्राण्ट	स्पेशल ग्राण्ट
१५. सेण्ट पीटर्स कालेज, आगरा।	८६६६ रु०	१६४८७ रु०	२१४४ रु०	१३४८२ रु०	५००० रु०
					१०७६ रु०
१६. आल सेण्ट डायोसीन कालेज, नैनीताल।	३०१० रु०	४७२८ रु०	..	...	....
१७. गर्ल्स हाई स्कूल, इलाहाबाद।	७२१६ रु०	८२९२ रु०	१४०५ रु०	८६२२ रु०	५००० रु०
					२५०० रु०
					२४० रु०
१८. उडस्टाक कालेज, मसूरी।	१३८९६ रु०	१७२४३ रु०	१५१६ रु०	...	...
१९. लोरेटो कान्वेण्ट, लखनऊ।	७४८४ रु०	६५६६ रु०	५६३ रु०	..	...
२०. टामस डे स्कूल, देहरादून।	३३९७ रु०	७७५१ रु०	७९९ रु०	...	...
२१. कान्वेण्ट आफ जेसस देहरादून।	४६९१ रु०	५४९२ रु०	...	...	...
२२. सेण्ट जार्जेस हाई स्कूल, आगरा।	६४९२ रु०	२९६१ रु०	४६७ रु०	..	४५६ रु०
२३. लामार्टिनियर कालेज, लखनऊ।	१३४९६ रु०	२२६३१ रु०	१२८२९ रु०	...	...

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

	बाल प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या	बालिका प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या	जूनियर हाई स्कूल की संख्या		हायर सेकेण्ड्री स्कूल	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका
(क)	३६८	४६	३७	४	५	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ जून, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ, में प्रातःकाल ७ बजे आरम्भ हुई।

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३५)

अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद ख़ाँ, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा ख़ाँ, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुंजबिहारीलाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
खुशवक्तराय, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली ख़ाँ, श्री
नाज़िम अली, श्री

नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निहालुद्दीन, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़ज़लुर्रहमान ख़ाँ, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बाबू राम वर्मा, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
महमूद अली ख़ाँ, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली ख़ाँ, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ाँ, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ाँ, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डे, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री

श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सलीम हामिद खाँ, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुल्तान आलम खाँ, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ जून, सन् १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

मार्च, सन् १९५० ई० में रायबरेली शहर में चोरियाँ

*१—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि मार्च, सन् १९५० ई० में रायबरेली शहर के अन्दर कितनी चोरियाँ हुईं और हर चोरी में कितने-कितने हजार रुपये चोर ले गये और कितने चोर पकड़े गये ?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)—मार्च सन् १९५० में कुल सात चोरियाँ हुईं जिनका विवरण साथ नत्थी है।

क्रम संख्या चोरी		चोरी गई हुई पूंजी की रकम रु०	आ०	पकड़े गये चोरों की संख्या
१.	...	४४१	८	१
२.	...	१२३४	८	कोई नहीं
३.	...	२७६	०	कोई नहीं
४.	...	५००	०	कोई नहीं
५.	...	२२३२	०	५
६.	...	१२	०	१
७.	...	२२४४	०	कोई नहीं

नोट—सात अप्रैल को रायबरेली जिले का एक विद्यार्थी घर की छत तोड़ता हुआ पकड़ा गया वह नं० २, ५, और ७ की चोरियों में शामिल

है और जो दूसरे लोगों के साथ सम्मिलित थे उनके नाम भी उसने बतलाये हैं। नं० १, ५ और ६ में चोरी गई सम्पत्ति भी कुछ वापस मिली है।

ज़िला रायबरेली में सांडों का दिया जाना

*२—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सही है कि जिला रायबरेली में सांड देने के लिये पशु पालन विभाग ने कुछ लोगों से दो वर्ष पूर्व रुपये जमा कराये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि एक भी सांड अब तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। सन् १९४९ से पहले जितने मांग पत्र आये थे उन सब पर सब सांड दे दिये गये हैं।

*३—५—श्री जगमोहन सिंह नेगी—[स्थगित किये गये।]

राज्य में जामदानी, कारचोबी और चिकन के कारखानों को प्रोत्साहन

*६—श्री साजिद हुसैन (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में १९४४ में जामदानी के कितने कारख़ाने थे और १९५० में कितने हैं ?

(ख) अगर कमी है, तो इसका कारण क्या है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (मालमंत्री)—(क) सन् ४४ में १० जामदानी करघे चल रहे थे। अब सन् ५० में केवल ५ करघे चल रहे हैं।

(ख) आज कल रिवाज बदल गया है और लोगों ने जामदानी पहनना क़रीब करीब छोड़ दिया है। यह एक मूल्यवान वस्त्र है। चूंकि इस मूल्यवान वस्त्र के लिये उपभोगताओं का मिलना कठिन है इसलिए केवल जामदानी ऐसे वस्त्र की उन्नति के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

*७—श्री साजिद हुसैन (अनुपस्थित)—(क) जामदानी की उन्नति के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

(ख) कारचोबी और चिकन की उन्नति के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) जामदानी के रूप की बुनाई गवर्नमेंट हैण्डलूम स्टोर में अन्य प्रकार के वस्त्रों में की जाती है जिससे यह कला नष्ट न हो।

(ख) कारचोबी का प्रचलन नहीं है। इसकी वस्तुएं महँगी होती हैं। लोग इसका उपभोग नहीं करते। अतः इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

प्रतीत नहीं होती। हाँ, लखनऊ की निर्धन स्त्रियों को शोषण तथा बेकारी से बचाने के लिये उत्तर प्रदेशीय कुटीर उद्योग विभाग ने सन् ४७, ४८ में चिकन योजना कार्यान्वित की। इस योजना में ६०० से अधिक निर्धन स्त्रियों को उचित पारिश्रमिक पर कुटीर उद्योग में लगाया है। १०० से अधिक डिजाइनें प्रचलित की गईं जो अत्यन्त उत्कृष्ट और कलात्मक हैं। इनके नमूने प्रसिद्ध भारतीय दूतावासों में प्रदर्शनार्थ पहले ही भेजे जा चुके हैं। चिकन की वस्तुओं के नमूने भी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों में भेजे गये जैसे : ब्रिटिश इण्डस्ट्रीज फ़ेयर, ब्रुसेल्स ट्रेड फेयो, पेरिस इन्टरनेशनल ट्रेड फेयो।

जौनपुर ज़िले में नियुक्त असेसर्स में परिगणित जाति के सज्जनों की संख्या

*८—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—जौनपुर जिले में जो असेसर्स नियुक्त किये हुए हैं उनमें शिड्यूल क्लास के सज्जनों की संख्या कितनी है?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)— ४।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार की ओर से हरिजन असेसर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कोई आदेश जारी हुआ है?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

*९-११—**श्री खुशवक्त राय**—[स्थगित किये गये।]

१३५७ फ़सली की ख़रीफ़ की मालगुज़ारी की वसूली

*१२—**श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान ख़ाँ शेरवानी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि १३५७ फ़सली की ख़रीफ़ की मालगुज़ारी ३१ मार्च, सन् १९५० ई० तक हर जिले में कितनी वसूल हो चुकी है और कितनी बाक़ी है, और जो वसूल नहीं हुई है उसे वसूल करने के लिए सरकार क्या-क्या कार्यवाहियाँ कर रही है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—१३५७ फ़सली के ख़रीफ़ की मालगुज़ारी की ३१ मार्च, १९५० तक की जिलेवार वसूली और बकाया संलग्न सूची में दिये हैं। इसमें दिखाया हुआ बक़ाया बहुत कुछ तो वसूल हो चुका है और बाक़ी के लिए जिलाधीश लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत दिये हुए अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५७ पर)

लायल कालेजियेट स्कूल, बलरामपुर, ज़िला गोंडा के अध्यापकों को महंगाई का भत्ता

*१३—**श्री बलदेव प्रसाद**—क्या यह सही है कि लायल कालेजियेट स्कूल बलरामपुर, जिला गोंडा के अध्यापकों ने मंहगाई का भत्ता बन्द हो जाने के विरोध में एक प्रार्थना पत्र गोंडा जिला के राजकीय शिक्षा इन्स्पेक्टर की सेवा में भेजा है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—जी हाँ, अध्यापकों को तब से ६,१३६ रु० १४ आ० ३ पा० मंहगाई का भत्ता दिया जा चुका है।

श्री बलदेव प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह प्रार्थना पत्र कब दिया गया था ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री बलदेव प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ६,१३६-१४-३ रुपये कब की मंहगाई का भत्ता है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें बहुत सा पिछले साल का है।

श्री बलदेव प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कथित स्कूल के मास्टरों का मंहगाई का भत्ता अब कितने दिनों से बाक़ी है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सरकारी स्कूल तो है नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों के लिये कोई सरकारी नियम भी नहीं हैं। इसलिये यह ठीक-ठीक कहना मुश्किल है कि कब से बाक़ी है।

श्री बलदेव प्रसाद—क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि यह स्कूल गोंडा जिला के डिप्टी कमिश्नर और गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर के इन्तजाम से चलाया जाता है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, हाँ।

श्री बलदेव प्रसाद—इस स्कूल के मास्टरों को मंहगाई का भत्ता देने के लिये इन अधिकारियों ने क्या प्रबन्ध किया ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन अधिकारियों की कोई खास जिम्मेदारी नहीं है इसलिये कि यह स्कूल इस प्रदेश भर में जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनसे अलग नहीं माना जा सकता है और जब तक सरकार सारे प्रान्त भर के सब प्राइवेट स्कूलों के मंहगाई के भत्ते की जिम्मेदारी न ले तब तक इस स्कूल की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। लेकिन फिर भी इन अधिकारियों ने यह किया कि बलरामपुर राज्य, जहाँ से ज्यादातर रुपया आता है, वहाँ के मैनेजर से बात चीत की और उन्हीं की कोशिशों का यह परिणाम है कि कुछ थोड़ा सा रुपया मिल गया है जिससे वे अध्यापक जिनको ६० रुपये से कम वेतन मिलता है उनको शायद कुछ दिनों तक मंहगाई का भत्ता मिलता रहेगा।

ग्राम जूड़ी कुआं, ज़िला गोंडा में डाका

*१४—**श्री बलदेव प्रसाद**—क्या यह सही है कि ग्राम जुड़ी कुआं, थाना पचपेड़वा, जिला गोंडा के अन्तर्गत जनवरी मास में कोई डाका पड़ा था ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी, हाँ।

❀१५—**श्री बलदेव प्रसाद**—यदि हाँ, तो किस के घर पर, और उस डाके के अभियोग में कितने आदमी किस-किस धारा में गिरफ्तार किये गये ?

माननीय श्री लाल बहादुर—यह डाका श्री बाबू राम के घर में पड़ा। इस सम्बन्ध में ७ आदमी धारा ३९५ के अन्तर्गत और १ स्त्री धारा ४१२ के अन्तर्गत गिरफ्तार की गई।

❀१६—**श्री बलदेव प्रसाद**—क्या उक्त गिरफ़्तार आदमियों का सम्बन्ध किसी संस्था से है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं।

श्री बलदेव प्रसाद—क्या इन अभियुक्तों को किसी संस्था की मदद प्राप्त है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिली है उसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है।

❀१७—**श्री बलदेव प्रसाद**—क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्तों में से कुछ ज़मानत पर रिहा हो गये हैं ?

❀१८—यदि हां, तो कितने और हर एक कितने तथा किस प्रकार की ज़मानत पर रिहा हुआ है और किस अदालत से ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां। दो आदमी उतरौला और गोंडा के जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की अदालत से एक एक हज़ार की दो दो ज़मानतों तथा एक एक हज़ार के अपने निजी मुचलके पर रिहा हुये। स्त्री की ५०० रुपये की ज़मानत जांच करने वाले अफसर ने जांच के समय, धारा ४९७ के अन्तर्गत स्वीकार कर ली थी।

❀१९—२१—**श्री भारत सिंह बाढ़ाचार्य**—(अनुपस्थित)। [स्थगित किये गये।]

❀२२—२३—**श्री गंगा प्रसाद**—(अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

"अधिक अन्न उपजाओ" योजनानुसार, फ़र्रुख़ाबाद ज़िले में बोरिंग तथा नल वाले कुओं का निर्माण।

❀२४—**श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)**—"अधिक अन्न उपजाओ" योजनानुसार फ़र्रुख़ाबाद जिले में सिंचाई के लिये कितने बोरिंग वाले और कितने ट्यूब-वेल बनाने की तादाद नियत की गयी है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—फ़र्रुख़ाबाद जिले में सिंचाई के लिये बोरिंग वाले कुएं और ट्यूबवेल बनाने की जो तादाद १९४९-५० के लिये नियत की गई है वह नीचे दी हुई है।

बोरिंग वाले कुएं	१००
टियूबवेल	१

*२५-श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)-अब तक इस निश्चित तादाद के कुओं के लिए ३१ मार्च, सन् १९५० ई० तक कितनी दरख्वास्तें आयीं, कितनी मंजूर हुईं, कितनी जगह कुएं बनने का काम शुरू हुआ और कितने कुएं बन गये ?

मानीय श्री निसार अहमद शेरवानी—सूचना नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५९ पर)

बन-विद्युत योजना के अन्तर्गत फ़र्रूखाबाद ज़िले में नलदार कुओं का निर्माण

*२६-श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)—फ़र्रूखाबाद जिले में हाईड्रो विद्युत योजना के अन्तर्गत ट्यूब-वेल बनाने के लिए अब तक किन-किन स्थानों पर सब-स्वायल स्ट्राटा लिया गया और वहां क्या-क्या नतीजा निकला ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)—जिला फ़र्रूखाबाद में ट्यूब वेल बनाने की ग़र्ज़ से सब सायल स्ट्राटा जानने के लिये सराय मीरां ताल ग्राम, कमाल गंज और खिमसीपुर स्थानों में बोरिंग किये गये। जिनमें से ताल ग्राम का स्ट्राटा कमज़ोर निकला और बाक़ी तीन स्थानों का स्ट्राटा संतोषजनक पाया गया ।

*२७--श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)—जिन स्थानों पर स्ट्राटा ठीक निकला है, वहां सिंचाई कब तक जारी हो सकेगी ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम---यह बोरिंग जांच के लिये किये गये हैं, इनका तात्पर्य सिंचाई करने का नहीं है। एक ट्यूब वेल योजना जिसमें फ़र्रुखाबाद जिला भी शामिल है बनाई गई है लेकिन बिजली और बिजली ले जाने का सामान प्राप्त न होने के कारण इस योजना को फिलहाल रोक दिया गया है।

१९४९-५० में ताल कटोरा वर्कशाप में ट्रैक्टरों की मरम्मत

*२८—श्री श्रीपति सहाय (अनुपस्थित)—सन् १९४९-५० ई० में कितने ट्रैक्टर ताल कटोरा वर्कशाप में मरम्मत किये गये ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—१४९।

श्री बादशाह गुप्त—इस वर्कशाप में मरम्मत करने के अलावा क्या कोई नई चीज़ें भी बनाई जाती हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां, ट्रक्स की बाडीज़ बनाई जाती हैं, जो बाहर से ट्रैक्टर्स का सामान आता है उसे खोलकर दुरुस्त किया जाता है और अगर कहीं बिजली का इंजन वग़ैरह लगाना होता है तो वह काम भी यही इंजीनियर्स करते हैं। कितने ही और क़िस्म के काम भी हैं जो वे लोग करते हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २८-३१ श्री बादशाह गुप्त ने पूछे।

*२९—**श्री श्रीपति सहाय** (अनुपस्थित)—कितने ट्रैक्टर इस समय उपरोक्त वर्कशाप में मरम्मत के लिए पड़े हुए हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—४१ ।

*३०—**श्री श्रीपति सहाय** (अनुपस्थित)—कितने ट्रैक्टर बाहर की फ़र्मों ने इस वर्कशाप द्वारा मरम्मत कराये ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—६२ ।

*३१—**श्री श्रीपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि पिटन्सिन साहब (जो एग्रीकल्चरल इञ्जीनियर तथा इस वर्कशाप के इञ्चार्ज हैं) के खिलाफ़ कछ शिकायतें माननीय कृषि मन्त्री से की गयी हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—शिकायतें ख़ास तौर से कड़े बर्ताव के बारे में की गयी हैं। शुरू की रिपोर्टों से मालूम होता है कि ये शिकायतें इस वजह से हुई हैं कि यह अफ़सर अनुशासन पर जोर देते रहे हैं। सरकार को इन शिकायतों में कोई असलियत नहीं मालूम हुई ।

श्री बादशाह गुप्त—पिटन्सिन साहब के खिलाफ जो अभियोग लगाये गये उनमें अक्सर नहीं मालूम हुये, क्या सरकार ने यह नतीजा उस मामले की जांच करने के बाद निकाला है या सरसरी तौर से दरख्वास्त देख करके ही यह नतीजा निकाल लिया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—सरकार काफी छान बीन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है ।

पुलिस अस्पतालों के कम्पाउण्डरों का तबादला

*३२—**श्री सुलतान आलम ख़ां** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस अस्पतालों से सम्बद्ध कम्पाउण्डरों की बदली एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हाँ ।

*३३—**श्री सुलतान आलम ख़ां** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो साधारणतया एक कम्पाउण्डर की एक अस्पताल में कितने समय तक कार्य करने के बाद दूसरे अस्पताल में बदली होती है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसके लिये कोई समय नियत नहीं है।

राज्य के पुलिस अस्पतालों में स्थायी मेडिकल अफ़सरों की नियुक्ति

*३४—**श्री सुलतान आलम ख़ां**—(अनुपस्थित) क्या राज्य के सभी पुलिस अस्पतालों में स्थायी मेडिकल अफ़सर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं। खर्च अधिक न बढ़े इस कारण सब पुलिस अस्पतालों में स्थायी मेडिकल अफसर अभी तक नहीं रक्खे जा सके।

*३५-४१-**श्री दीनदयालु अवस्थी**—[स्थगित किये गये।]

राज्य के कुछ ज़िलों की उपभोक्ता समितियों को सहायता

*४२--**श्री फ़खरुल इस्लाम**--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि कुछ जिलों में सब-एरिया आफिसेज कन्ज्यूमर्स सोसाइटीज को सुपुर्द कर दिये गये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मन्त्री)---जी हां।

*४३---**श्री फ़खरुल इस्लाम**---क्या गवर्नमेंट ने इन सोसाइटीज को कुछ सहायता दी है? यदि दी है, तो कितनी?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा सब एरिया आफिसेज के हाथ में लेने पर सरकार ने उनको प्रति सब एरिया के हिसाब से ६०० रु० मासिक की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है। इस धनराशि में से ७५० रु० खाद्य विभाग देगा और बाकी कोआपरेटिव विभाग।

*४४—**श्री फ़खरुल इस्लाम**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जितनी सहायता सरकार ने दी है, वह पूरी रक़म उनको नहीं मिल रही है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—आर्थिक सहायता देना अभी आरम्भ नहीं हुई।

श्री फ़खरुल इस्लाम—क्या गवर्नमेंट जानती है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट अपना १५० रुपया, जो उसने देने का वादा किया था, नहीं दे रही है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैंने जवाब में यह कह दिया है कि अभी मदद देना शुरू नहीं हुआ है, तो मुमकिन है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट भी अपना हिस्सा न दे रहा हो। इसकी जांच करने पर ही मैं जवाब दे सकूंगा।

*४५—**श्री फ़खरुल इस्लाम**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इस वर्ष के बजट में इस मद पर खर्च की रक़म शामिल न होने के कारण आर्थिक सहायता सम्भव न हो सकी। अब इसका उचित प्रबंध किया जा रहा है।

*४६-४७—**श्री चन्द्रभानु शरण सिंह** (अनुपस्थित)-[स्थगित किये गये।]

ग्रीष्म काल में लू से नावों को हानि

*४८—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—ग्रीष्म काल की लू से नावों के फट जाने की हानि को बचाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री लताफ़त हुसैन (माननीय निर्माण मन्त्री के सभा-सचिव)—क्योंकि किश्तियां ज्यादातर पानी में रहती हैं और उनके फटने का कोई इम्कान नहीं होता, इस वजह से सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती।

*४९—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

गोंडा ज़िले में सरजू रेलवे पुल के समीप रखी गयी नावें

*५०—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उसने सन् १९३८ ई० के भीषण बाढ़ के अनुभव के आधार पर गोंडा जिला के अन्तर्गत सरजू रेलवे पुल के समीप बहुत सी नावें इकट्ठा रखने का प्रबन्ध किया था ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी हां।

*५१—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन नावों की संख्या आरम्भ में क्या थी और अब क्या है और वर्तमान नावों की दशा क्या है ? यदि ख़राब है, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—ऐसी नावों की संख्या आरम्भ में ९९ थी परन्तु अब उनमें से केवल ७१ काम में लाने योग्य हैं। शेष २८ नावें नाक़ाबिल मरम्मत हैं। बाढ़ के समय यदि ७१ नावें नाकाफी होंगी तो सरकार और नावों का प्रबन्ध करेगी।

* ५२—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उपरोक्त स्थान पर कोई स्टीम बोट के भी रहने का प्रबन्ध है ? यदि हाँ, तो वह स्टीम बोट अब किस दशा में है ? यदि दशा ख़राब है, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी हाँ। एक मोटर बोट राजा साहब अयोध्या ने १९३८ में दी थी जो अब बिलकुल बेकार हो गई है। जिलाधीश ने अब एक नई मोटर बोट खरीदने का प्रस्ताव किया है जो सरकार के विचाराधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४८-५२-श्री बलदेव प्रसाद ने पूछे।

यू० पी० सशस्त्र पुलिस की सूबेदारी के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये परीक्षा

*५३—**श्री जगमोहन सिंह नेगी**(अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यू० पी० सशस्त्र पुलिस की सूबेदारी पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये कोई कोर्स अथवा पाठ्य-क्रम निर्धारित है और उसकी परीक्षा में सफल होना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो

(क) यह नियम कब से लागू किया गया ?

(ख) उसमें क्या कोई अवस्था का भी प्रतिबन्ध है ?

(ग) क्या उपरोक्त कोर्स में लिये जाने के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उसमें कौन-कौन सम्मिलित हो सकते हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हाँ।

(क)—नवम्बर १९४५ से।

(ख)—जी नहीं।

(ग)— जी हाँ। इस परीक्षा में डी० आई० जी० पुलिस द्वारा नामजद किये गये सभी कान्सटेबिल सम्मिलित हो सकते हैं।

*५४—**श्री जगमोहन सिंह नेगी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि कि सन् १९४५ ई० में पुलिस विभाग ने यह नियम बनाया कि सशस्त्र पुलिस के ४० वर्ष से अधिक अवस्था वाले अस्थायी सूबेदार कोर्स करने के लिये न भेजे जायँ और न उनको उक्त पद पर स्थायी ही किया जाय ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं।

*५५—**श्री जगमोहन सिंह नेगी**(अनुपस्थित)—क्या सरकार यू० पी० सशस्त्र पुलिस के स्थायी सूबेदारों के नाम, उम्र, सर्विस का समय, जिले जहाँ के वे रहने वाले हैं, की सूची, जो सन् १९४६ ई० में अस्थायी छोड़ दिये गये और उनमें से जिनको स्थायी नियुक्ति करदी गयी, मेज पर रक्खेगी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—मांगी गई सूचना साथ की सूची में दी हुई है। इस सूची के पहले २९ व्यक्तियों की स्थायी नियुक्ति हो गई है। जिनके आगे कोष्ठक में (अ) लिखा हुआ है वे सशस्त्र पुलिस की सूबेदारी का कोर्स पास कर चुके हैं और स्थायी नियुक्ति के उपयुक्त समझे गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६० पर)

*५६—**श्री जगमोहन सिंह नेगी** (अनुपस्थित)—क्या सन् १९३७ ई० से सन् १९४५ ई० तक भी कोई कोर्स यू० पी० सशस्त्र पुलिस

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५३-५६ श्री बादशाह गुप्त ने पूछे।

सूबेदारी पद पर स्थायी नियुक्ति करने के लिये नियत था ? यदि हाँ, तो क्या ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं।

बनारस ज़िले के महाइच परगने में एक वर्ष के अन्दर क़त्ल के मुक़दमों की संख्या

*५७—**श्री बेचन राम गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि एक वर्ष के अन्दर बनारस ज़िले के महाइच परगने में किनने क़त्ल हुये ? जो मुक़दमे इस सिलसिले में चलाये गये इनमें कितनों को सजा हुई और कितने छोड़ दिये गये ?

माननीय श्री लाल बहादुर—परगना महाइच जिला बनारस में १९४९ ई० में क़त्ल के कुल ६ मामले हुये। पाँच मामलों में मुक़दमा चलाया गया जिसमें से एक को सजा हुई और दो मामलों में अभियुक्त छोड़ दिये गये। दो मामलों में अभी मुक़दमें सेशन अदालत में चल रहे हैं।

ज़िला अलमोड़ा में प्रथम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर की सड़कें

*५८—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा की कौन-कौन सी मोटर की सड़कें प्रथम योजना में मंजूर हुई थीं ?

श्री लताफ़त हुसैन—जिला अल्मोड़ा में नीचे लिखी हुई मोटर की सड़कें पोस्ट वार रोड डेवलपमेंट स्कीम के पहले फ़ेज़ में मंजूर की गई थीं:—

१—टनकपुर, पिथौरा गढ़ ……………९७ मील
२—मोहन, चिमटाखाल, संकर ……………९ मील
३—बैजनाथ, बागेश्वर ……………१४ मील

*५९—**श्री हर गोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—उक्त सड़कों में से कितनी और कौन-कौन सड़कें तैयार हो गयी हैं ?

श्री लताफ़त हुसैन—मोहन, चिमटाखाल, संकर मोटर की सड़क का काम पूरी तरह से हो चुका है। टनकपुर, पिथौरागढ़, सड़क के सब मालों में मिट्टी डालने का काम और चट्टानों के काटने का काम हो चुका है। टनकपुर, अमखरक का वह हिस्सा जो पक्का किया जाने वाला था उस पर सोलिंग-कोट कर दिया गया है और इंटरकोट भी करीब-करीब पूरा हो चुका है। टनकपुर, चम्पावत के बीच में पुल और पुलियों का काम भी पूरा कर दिया गया है। बैजनाथ, बागेश्वर सड़क को मोटर सड़क बनाने के विचार को फ़िलहाल माली हालत खराब होने की वजह से मुल्तवी कर दिया गया है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५८-६८ श्री खुशीराम ने पूछे।

❀ ६०—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—गरुड़ से बागेश्वर जाने वाली सड़क की कुल कितनी लम्बाई है और अब तक उस लम्बाई में से कितनी लम्बी सड़क तैयार हो चुकी है और उनके निर्माण में कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री लताफ़त हुसैन—कच्ची सड़क की लम्बाई जो गरुड़ से बागेश्वर को जाती है, १४ मील हैं, इस सड़क पर १० मील में पूरा काम हो चुका है जिसमें से ५ मील हलकी गाड़ियों के लिये ठीक तौर पर बना दिये गये हैं। इस सड़क पर अब तक ७७,९४१ रुपया खर्च हो चुका है।

❀ ६१—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि बागेश्वर जिले का पुराना केन्द्र और व्यापारी मंडी है ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हाँ।

❀ ६२—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि दोबारा टेंडर लिये जाने पर भी उक्त सड़क का काम हाल में दूसरी बार बन्द किया गया है ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हाँ।

❀ ६३—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—उक्त सड़क के पूरा बनने में अब कितना रुपया और खर्च होने का तख़मीना किया गया है और उक्त तख़मीने में पुलों के बाबत कितना खर्चा रक्खा गया है ?

श्री लताफ़त हुसैन—बैजनाथ से बागेश्वर तक कच्ची सड़क बनाने का तख़मीना ९६,४०० रुपया था, जिसमें से ७७,९४१ रुपया अब तक खर्च हो चुका है और १८,४५९ रुपया ख़र्च होने को बाक़ी है। कच्ची सड़कों के तख़मीने में पुलों का बनाना शामिल नहीं है।

❀ ६४—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रानीखेत-द्वाराहाट मोटर सड़क का परिवेक्षण (Survey) कब किया गया था ?

श्री लताफ़त हुसैन—इस सड़क की शुरू की पैमाइश सन् १९४७ ई० में की गई थी।

❀ ६५—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—उक्त सड़क पर अब तक कितना धन ख़र्च हो चुका है ?

श्री लताफ़त हुसैन—इस सड़क के शुरू की जाँच और पैमाइश में ४,८२९ रुपया १५ आने खर्च हुए हैं।

❀ ६६—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित—क्या) सरकार को विदित है कि बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम से लौटने वाले यात्री द्वाराहाट-रानीखेत सड़क

से लौटते हैं और रानीखेत से गढ़वाल को मिलाने वाली यह सब से छोटी सड़क है ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हाँ ।

*६७—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि द्वाराहाट का क़स्बा रानीखेत तहसील में एक महत्व का केन्द्र है जहाँ दो हाई स्कूल और अनेक प्राचीन मन्दिर भी हैं ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हाँ ।

*६८—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त सड़कों का जो काम अकस्मात् रोक दिया गया है कब तक फिर चालू हो जायगा ?

श्री लताफ़त हुसैन—माली हालत खराब होने की वजह से बैजनाथ, बागेश्वर और रानीखेत, द्वार हाट मोटर सड़कों का बनाना मुल्तवी कर दिया गया है । जब माली हालत ठीक हो जावेगी तब इन सड़कों पर काम शुरू कर दिया जावेगा । इस वक्त इसके लिए कोई तारीख़ नहीं बताई जा सकती ।

अपहरित महिलाओं के सम्बन्ध में ज़िलेवार सूचनायें

*६९—**श्री गंगा प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके सन् १९४७, १९४८ और १९४९ ई० में अपहरण की हुई महिलाओं के सम्बन्ध में जिलेवार निम्नलिखित सूचनायें देगी:—

(क) उन महिलाओं की संख्या जिनकी आयु २० वर्ष से २५ वर्ष तक है और वह पूंजी जिसके साथ वे भगायी गयीं ?

(ख) उन महिलाओं तथा बालिकाओं की संख्या जिनकी उम्र १० वर्ष से २० वर्ष तक है और वह धन और ज़ेवर जिसे लेकर वे भगाई गयीं ?

(ग) क्या महिलाओं और बालिकाओं को भगाने के लिये किसी संगठित दल का पता गवर्नमेंट को है ? अगर जवाब हां में है, तो वह दल किन जिलों में पाया गया है ?

(घ) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी बालिकाओं को पुलिस द्वारा उनके माता, पिता के घर वापस किया गया है ?

(ङ) भगाने वाले दल या व्यक्तियों के नाम तथा सज़ाएं जो उन्हें इस अभियोग में दी गयीं क्या क्या हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सभी जिलों से रिपोर्टें मगवाई गयी हैं, परन्तु अभी तक सब जगहों से पूरा उत्तर नहीं आ सका । माननीय सदस्य का प्रश्न इतना विस्तृत है कि उसके लिये पूरा ब्योरा

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ६९ श्री बलदेव प्रसाद ने पूछा ।

इकट्ठा करने में बहुत समय और श्रम लगेगा। माननीय सदस्य यदि किसी खास जिले या कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी करना चाहें तो उन्हें जो सूचना दे सकूंगा अवश्य देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार की ओर से ऐसी हिदायतें थीं कि जिन जिलों में महिलाओं का अपहरण हो उनकी रिपोर्ट ठीक तौर पर दर्ज की जावे ?

माननीय श्री लाल बहादुर—ऐसी हिदायतें सभी जुर्मों के बारे में है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने, इस सम्बन्ध की रिपोर्ट अगर सारे जिलों से नहीं मंगा सकी है तो जिन जिलों में इसका ज्यादा अंदेशा है, उन जिलों से रिपोर्टें मंगवाने का प्रयत्न किया है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है उसमें कोई फ़र्क़ नहीं किया गया।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या सरकार बता सकती है कि इन औरतों के भगाने का जुर्म आजकल बढ़ा है या घटा है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—कम हुआ है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या पुलिस के पास कोई सूचना है कि औरतें जो भगाई जाती हैं इनमें से बहुत सी विधवाश्रम में भी ले जाकर रखी जाती हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हाँ, ऐसा भी होता है।

तहसील छपरामऊ, ज़िला फ़र्रुख़ाबाद में असलहाजात के लाइसेंसों की मंसूख़ी

*७०—**श्री अब्दुल हमीद** (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य को तारांकित प्रश्न संख्या १०६-१०७ जिनके अन्तःकालीन उत्तर २४ फ़रवरी, सन् १९५० ई० को दे दिये गये थे।]

*१०६—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि फ़र्रुखाबाद, तहसील छपरामऊ के कितने आदमियों के लाइसेन्स असलहाजात रद्द किये गये और किन-किन को नये दिये गये ?

*१०७—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि सन् १९४८ ई० के बाद जिनके लाइसेन्स खारिज हुए उनकी हैसियत मालगुजारी या इन्कम टैक्स क्या है और जिनको नये दिये गये उनकी क्या है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इन सवालों का जवाब साथ की सूची अ और ब में दिया गया है। इन्कम टैक्स सम्बन्धी सूचना इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट की धारा ५४ के अंतर्गत नहीं दी जा सकती।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६३ पर)

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

धारा १२०

हाट, बाज़ार, मेले और निजी नाव, घाट आदि का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरे अधिकारियों के स्वत्वाधिकार में आना।

१२०—धारा ११८ और ११६ में किसी बात के रहते हुए भी, प्रांतीय सरकार किसी समय गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से ऐसे हाट, बाज़ार, मेले, निजी नाव, घाट और जल-प्रणालियाँ, जो इस विधान के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य अधिकारिकी को संक्रामित हो जायंगे और उसके स्वत्वाधिकार में चले जायँगे और तब उस बोर्ड या अधिकारिकी पर इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी, समय विशेष पर लागू की जा सकने वाली विधि के अनुसार उसके प्रबन्ध, अधीक्षण और नियन्त्रण का भार होगा।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १२० की पंक्ति २ में शब्द "किसी समय" के स्थान पर शब्द "गांव समाज के भाष्य (Explanation) ले लेने और उस पर आदेश देने के बाद, जिसकी कि एक प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल की मेज़ पर रखी जायगी" रख दिये जायँ।

हुज़ूरवाला मेरे इस अमेंडमेंट का मतलब यह है कि अगर किसी वक्त गवर्नमेंट बाज़ार, हाट, मेले और प्राइवेट फेरीज़ ले और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी दूसरी अथारिटी को मुन्तक़िल करे तो वह आर्डर इस विधान सभा के सामने रख दिया जाय। हुज़ूरवाला, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो पंचायत को सब अख्तियारात देना चाहती है और दूसरी तरफ वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् और दूसरी अथारिटीज़ को अख्तियारात उससे निकाल कर दे रही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत से हर शख्स वाकिफ है कि वहाँ झगड़े हो रहे हैं और उनके इन्तज़ामात ख़राब हैं। फिर भी गवर्नमेंट उन्हीं के इन्तज़ाम में मेलों, हाटों और बाज़ारों वग़ैरह को दे रही है। ये लोकल चीज़ें हैं, जिनका इन्तज़ाम गांव वाले अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि वे हर वक्त निगहदाश्त कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् का जो सदर दफ्तर होता है वह ज़िलों में होता है और उसके पास इतने अधिकारी नहीं

[श्री ऐजाज रसूल]
होते जिससे वह सब इन्तजामात कर सकें। इस वजह से मैं यह चाहता हूँ कि यह सारे अख्तियारात गांव पंचायत में ही क़ायम रखे जायँ। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि एनी अदर अथारिटी (कोई और अधिकारी) क्या चीज है ? कोई नई चीज गवर्नमेंट पैदा करना चाहती है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा और कौन सी अथारिटी है जिसके सुपुर्द आप यह काम करना चाहते हैं ? आपने कल अपनी तक़रीर में यह फ़रमाया था कि हम गाँव का इन्तज़ाम गाँव वालों के सुपुर्द करना चाहते हैं, लेकिन आप सब अख्तियारात गाँव से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरी अथारिटीज़ को देना चाहते हैं। यह बिलकुल ग़लत तरीक़ा है। आपने बताया था कि विलेज रिपब्लिक बना रहे हैं और दुनियाँ में यह एक नया एक्स्पेरीमेंट है, जो हमारे सूबे की गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन आज हो क्या रहा है। क़ब्ल इसके कि एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) शुरू हो आप उससे अख्तियारात ले लेना चाहते हैं इस वजह से मैं यह चाहता हूँ कि अगर उनसे गवर्नमेंट अख्तियारात निकाले तो पहले उनसे जवाबतलब करे और उनके जवाब को इस ऐवान के सामने रखे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेम्बर साहब या यह ऐवान चाहे तो बहस करने का मौक़ा मिल सकता है क्योंकि यह हो सकता है कि किसी बाज़ार में कोई साहब इंटरेस्टेड हों और इंटरेस्टेड होने की हैसियत से वे यह कोशिश करें कि गवर्नमेंट कोई न कोई जुर्म लगा कर उसके अख्तियारात छीन ले। क़ब्ल इसके कि वह सब चीजें ले गाँव पंचायत से जवाब मांगना निहायत जरूरी और अहम है और उसके जवाब को इस ऐवान के सामने रख देना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस अमेंडमेंट पर ग़ौर फरमावेंगे और इसे मंजूर कर लेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा १२० जिसमें संशोधन करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी मंशा यह कभी नहीं कि किसी गाँव समाज के अख्तियारात से मेले, बाजार, हाट वग़ैरह सज़ा के तौर पर ले लिये जायँ। इसका उद्देश्य सिर्फ एक है और बड़ा सीधा सादा और बिलकुल इनोसेंट है। माने भले हो कुछ निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन असलियत छिप नहीं सकती। अपने सूबे में बहुत से इतने बड़े-बड़े मेले होते हैं जो कई दिनों तक जारी रहते हैं। उनके इन्तज़ाम के लिये काफी इखराजात और बड़े रिसोर्सेज़ (आधार) की जरूरत होती है। ददरी का मेला बलिया में १५ दिन तक होता है। चोचक एक मुक़ाम गाजीपुर में है वहाँ १० दिन तक मेला होता है। इधर पश्चिमी अजला में शायद आगरे जिले में बटेश्वर का मेला होता है और मकनपुर का मेला भी जो फ़र्रूखाबाद में त्रिवा के पास है होता है। गाँव समाज की जिम्मेदारी पर इन मेलों के इन्तज़ाम को छोड़ देना ज्यादती की बात होगी। इनके ऐसे रिसोर्सेज़ नहीं हैं जो माक़ूल तरीक़े से इनका इन्तज़ाम कर सकें। इन बातों को देखते हुए और ऐसे केसेज़ को सामने रखते हुए

धारा १२० रखी गई है। इसके जो शब्द हैं उनके यह माने नहीं हैं कि गवर्नमेंट लाज़मी तरीक़े से गाँव समाज के अख्तियारात से यह मेले और हाट वग़ैरह निकाल लेगी बल्कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स् (आधार पर) अगर ज़रूरत समझेगी कि उनका इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वग़ैरह के सुपुर्द किया जाये या दूसरी अथारिटीज़ के सुपुर्द किया जाये जो उसका ठीक तौर से इंतज़ाम कर सके तो करेगी।

मैं अपने दोस्त राजा साजिद हुसैन साहब को यक़ीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें डैमोक्रेसी का हनन नहीं हुआ करता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी जनता की चुनी हुई एक बाडी है, लिहाज़ा उसके सुपुर्द इन्तज़ाम कर देने से डैमोक्रेसी का हनन नहीं होता है। लिहाज़ा ऐसी सूरत में इस तरमीम को लाने की ज़रूरत नहीं है अगर यह मंज़ूर की जाती है और धारा १२० निकाली जाती है तो ऐसी हालत में जब बड़े-बड़े मेलों का इंतज़ाम करना हो और गांव समाज न कर सके तो गवर्नमेंट बेक़ाबू हो जायेगी और कोई प्रबन्ध न कर सकेगी। इस खयाल से यह धारा रखी गयी है। जब कहीं ज़रूरत हुई तो इसका प्रयोग किया जायेगा और इसके मुताबिक़ अमल किया जायगा। ऐसी सूरत में मैं संशोधन की मुखालफ़त करने के लिये मजबूर हूँ। मुझे आशा तो नहीं है। लेकिन अर्ज़ कर लेना मेरा फ़र्ज़ है। नवाब साहब को अगर सूबे की जनता का खयाल है तो ऐसी नामुनासिब तरमीम लाकर इस विधेयक की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश न करें और इस तरमीम को वापस लें।

श्री साजिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दफ़ा १२० में मेले के अलावा कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको हमारे माननीय मंत्री जी जान बूझ कर नज़रन्दाज़ किया है। वही है "क़सूर ढूँढ़ कर पैदा किये जहाँ के लिये" चन्द मेलों का हवाला देकर जिन बातों की पहले तारीफ़ किया करते थे और पहले प्रबन्ध करते हैं आज उनके ऊपर उलटा और रिएक्शनरी रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह हाट वग़ैरह मेले में कैसे शामिल किये जा सकते हैं। चंद मेलों का ज़िक्र करके आपने पूरी दफ़ा को साफ़ कर दिया और गाँव-समाज को नालायक़ क़रार दे दिया, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। मेले आमदनी की चीज़ हैं। मैं नहीं समझ सकता कि कोई मेला बड़ा-से-बड़ा क्यों न हो, उससे नफ़ा न होता हो तो वह जारी कैसे रहता है। उसकी तो नेचुरल डेथ (स्वाभाविक मरण) हो जायगी। मेले आर्गनाइज़ करने के लिये जहाँ और खयालात होते हैं वहाँ उसमें बिज़नेस इंट्रेस्ट भी होता है कि मेलों से आमदनी हो। कौन-सा ऐसा शख्स है जो हर साल मेले में अपनी जेब से खर्च करेगा, मुमकिन है हमारे ठाकुर साहब पब्लिक सर्विस के ख्याल से किसी मेले में अपनी जेब से खर्च करते हों, लेकिन मेले आम तरीक़े से आमदनी के ज़रिये होते हैं। उनसे नहीं देखा जाता कि यह नफ़ा गाँव-समाज वालों की जेब में

[श्री साजिद हुसैन]
पहुँच सकें और उनकी तरक्की का जरिया बन जाए। उससे बड़े-बड़े स्कूल और कालेजेज़ वह खोल सकें। उनको जब एक पैसे की भी जरूरत हो तो वह सरकार के सामने हाथ फैलायें। मामूली सरफे के अलावा कोई बड़ी स्कीम हो तो वे सरकार से भीख माँगें। मेले को वह समझते हैं बड़ी वजनी चीज है, वह गाँव-समाज से निकल जाये। आप यह क्या धोखा कर रहे हैं, लोगों की आँखों में धूल झोंक रहे हैं। नालन्दा यूनीवर्सिटी हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी यूनीवर्सिटी थी, वह गाँव में ही थी। आज उन गाँव को आप बदनाम कर रहे हैं कि वे मेले का इंतजाम नहीं कर सकते। ठाकुर साहब ने हिस्ट्री को भी ज़लील समझा है। हमारा इंटेन्शन (मन्तव्य) है डिसेन्ट्रलाइज़ेशन (विकेंद्रीय करण) करने का। जो अख्तियार माननीय मंत्री जी को हैं रफ्ता-रफ्ता वे गाँव वालों को मिल जाने चाहिये। दिखलायेंगे तो इसलिए कि हम उनको ऊँचा करना चाहते हैं लेकिन मंत्री जी चाहते यह हैं कि इन गाँव वालों का खून चूस लिया जाए। यह गाँव सिर्फ उनके लिये वोटों के ज़रिये बन जाएं। आप देखें गांधी जी का क्या उद्देश्य था। वे चाहते थे कि रफ़्ता-रफ़्ता हुकूमत सेण्टर से हट कर छोटे-छोटे यूनिट्स में बँट जायें और गाँव वाले अपने लिये खुद क़ानून बनायें ताकि पावर को सेन्ट्रलाइज़ (केन्द्रित) करके डिक्टेटरशिप के रास्ते पर एक्सरसाइज़ न किया जाए और उसमें एब्यूस (दोषारोपण) के चांसेज़ न हों। आज दुनियाँ भर की बुराइयाँ क्यों हैं? क्या इल्ज़ामात कांग्रेस और पार्टी इन पावर यानी कांग्रेस हुकूमत पर लगाये जा रहे हैं? एक क़िस्म की डिक्टेटरशिप की तरफ़ वह क़दम बढ़ा रही हैं, तमाम अख्तियारात अपने हाथ में ले रही है। अरे साहब आप देखिये लोगों की आप पर क्या चार्ज शीट है, आपको मौक़ा है कि आप अपने को उस चार्ज शीट से साफ़ कीजिए।

आप अथारिटी को गांव के हवाले कीजिये और कोई ऐसा उल्टा स्टेप न लीजिये जिससे आप उनकी रही सही अथारिटी को छीन लें। चन्द मेलों का बहाना करके आपने सब मेलों को निकाल लिया। आज तक गांव के बाज़ारों का इन्तजाम किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया। गांव में जहाँ लोगों ने साफ सुथरी जगह देखी कि हफ्ते में एक बार कहीं दो बार बाज़ार लगा लेते हैं। लेकिन आप उन बाज़ारों में भी दख़ल देना चाहते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कहा कि डैमोक्रेटिक चीज़ है लेकिन वह कुछ सेण्ट्रलाइज्ड (केन्द्रित) ज्यादा है। किसी ने आपके इलेक्शन के वक़्त अच्छा काम किया बस आप उसको बटेश्वर का मेला बख्श देंगे। इसके क्या माने हैं आप जागीरें बख्श रहे हैं। जिसको जी चाहा बटेश्वर का मेला दे दिया। हमने आपको इस बदनामी से बचाने के लिये ही यह संशोधन रखा है। यह कोई प्रोहीबिटिव (निषेधात्मक) संशोधन नहीं है बल्कि सिर्फ यह है कि आप ही आप नहीं हैं यह लेजिस्लेचर भी कुछ है लेकिन आप तो लेजिस्लेचर को कुछ समझते ही नहीं डम्ब मेजोरिटी (मूक बहुमत) आपके पीछे बैठी हुई है वे अपनी आवाज़ भी

नहीं निकाल सकते हैं, चाहे वे वोट आपके साथ ही क्यों न दें। मगर कुछ मुँह से तो कहें आपने हाउस को इतना ज़लील कर दिया है। आपने अपनी पार्टी के लोगों के मुँह पर बिलकुल ताले लगा दिये हैं। क्या आपकी यही डैमोक्रेसी है। मैं खुद डैमोक्रेसी का क़ायल नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि वह अभी इस मुल्क के लिये मौज़ूं नहीं है। लेकिन आप उसकी झूठी तारीफ करते हैं। आपके साथी डाक्टर काटजू साहब विलेज रिपब्लिक के लिये कहते थे कि साहब इंसाफ तो वहीं हो सकता है उसी को आज आपने इतना बेईमान, जंगली और नालायक़ समझ रखा है। आप अपने दावों को देखें और अपने अहने फेलों को देखें फिर आपको मालूम होगा कि उनमें कितना फर्क है। क्या दुनियाँ इतनी अंधी है, प्रेस मौजूद है दुनियां देख रही है। जिस दफा मैं अपने इतनी बातें रखी हैं उसके लिये चंद मेलों का जिक्र करके सब पर आपने पानी फेर दिया। क्या यही आपकी डैमोक्रेसी है? मुमकिन है कि आपका इरादा हो, लेकिन आप इस चीज़ को मान लें और जिस तरह से आप कर रहे हैं यह उस उसूल के ख़िलाफ है, क्योंकि आप इन्तहाई बदनाम हो चुके हैं। यह सरकार इससे ज्यादा बदनाम नहीं हो सकती जो कि इस बिल के सिलसिले में हो रही है। आप आज इस तरीके को बदल दीजिये और फिर देखें कि नतीजा क्या निकलता है। हम लोग जो विरोधीदल में हैं कभी इस बात से दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि सरकार बदल जाय और दूसरी हो जाय, लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि सरकार के तरीके बदल जायँ चाहे सरकार यही क़ायम रहे तो हमको कोई एतराज नहीं है। इस तरीकेकार को अख्तयार करना नाजेबा है। आपके जो तरीक़े थे उनसे आप अपने वोट हासिल करने के लिये हट रहे हैं। जो दुनियाँ का माना हुआ उसूल है आप उससे हट रहे हैं और इसी वजह से आप की पार्टी सफल नहीं हो रही है और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम तो अब यह चाहते हैं कि सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है, उसको बदल दे। और इस गांव समाज को जो आप बढ़ावा देना चाहते हैं उसके लिये इस बिल में कोई ऐसी बात न रखिये, जिससे उनमें कोई कमज़ोरी पैदा हो। अगर कोई गांव समाज दरख्वास्त भेजे कि हम यह इसलाह चाहते हैं तो उस सूरत में उसकी मदद करनी चाहिये। अपनी तरफ से इस तरह की बात रखना हम मुनासिब नहीं समझते। अगर कोई अप्लाई करे तो हमको कोई एतराज नहीं है। अपनी तरफ से रखना तो बिलकुल दूसरे माने हैं, यह गलत तरीक़ा है और उन तरीक़ों के ख़िलाफ हैं जिनकी आप दुहाई देते हैं।

श्री वीरेन्द्र शाह—जो संशोधन अभी सदन के सामने पेश है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का इस संशोधन को रखने का अभिप्राय यह है, जो कि माननीय मंत्री जी ने नहीं समझा है कि जो गांव समाज की आमदनी हो वह मेला, हाट, बाज़ार से ही हो सकती है। अगर आप

[श्री वीरेन्द्र शाह]

इस धारा के जरिये दूसरी किसी जायदाद को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या सरकार खुद लेना चाहती है तो गांव-समाज के तरक्की के लिये उसके पास कोई जरिया नहीं रहता है। मैं यह मानता हूँ कि बहुत से मेले इतने बड़े होते हैं कि जिनका इन्तजाम शुरु-शुरु में गांव समाज नहीं कर सकता है। तो अगर आप इस धारा में यह कहे होते कि उनके इन्तजाम के लिये सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी या उनका इन्तजाम वहाँ गाँव समाज को किसी तरह से दिया जायगा तो हमको कोई उज्र नहीं होता। लेकिन इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो आमदनी बचेगी इन्तजाम करने के बाद वह सरकार किसको देगी। वह सरकार के पास रहेगी या किसी महाशय को दी जायगी। इसलिये हमको जो सब से बड़ा विरोध है वह यही है कि गांव समाज को जो आमदनी का जरिया है उसको सरकार इस धारा के जरिये से ले रही है। हम को इस का विरोध इसलिए और भी करना है कि जिन गाँव-समाज में बड़े मेले या हाट बाजार होते हैं उन को इस बात का मौका मिलता है कि वह अपनी आमदनी से स्वयं अपनी तरक्की कर सकें। और अपने यहाँ स्कूल, अस्पताल, सड़कें वगैरह विशेष रूप से अपने एरिया में बना सकें। आप चाहते हैं कि उनको उससे वंचित कर के उनकी तमाम आमदनी समुद्र में डाल दी जाय कि जहाँ उसका कोई असर न होगा। अगर वह आमदनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाती है तो वह सारे जिले में इस्तेमाल होगी और उस क्षेत्र के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि जिस क्षेत्र में मेले बाजार या हाट लगते हैं उस क्षेत्र के लोगों को उन मेलों से जानवरों के जरिए से अकसर नुक़सान भी होता है। इसलिये अगर उनसे कोई लाभ भी हो तो उसी क्षेत्र के लोगों को होना चाहिये। यह ठीक नहीं है कि फ़ायदा तो दूसरे क्षेत्र के लोग उठावें और नुक़सान उस क्षेत्र के लोग उठावें जहाँ मेले वगैरह लगते हैं। संशोधन इसलिये लाया गया है कि अगर वे इंतजाम ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप उनको इन्तजाम सिखलाइए। आप कमेटी बना दें जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कांग्रेस सरकार और दूसरे तमाम मेम्बर शामिल रहें और बड़े-बड़े मेले जिनका कि आपने जिक्र किया उनका इन्तजाम वह कर के दिखलाए और सिखलावे और जो रुपया मिले वह गाँव समाज के एरिया में ही सर्फ होना चाहिए और अगर सरकार ऐसा प्राविजन कर देती तो हमें कोई विरोध का मौका नहीं था लेकिन आप तो तमाम आमदनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहते हैं। मेरे दोस्त साजिद हुसैन साहब ने काफी रोशनी इस चीज पर डाल दी है। इससे पार्टी फीलिंग (दलीय भावना) भी बढ़ सकती है। गाँव समाज में अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं रखती है तो आप दूसरों को नाक़ाबिल कह सकते हैं और ऐसी तमाम चीजें पैदा हो सकती हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले करने के माने तो यह होंगे कि आप गाँव समाज में कुछ वैस्ट (निहित) ही नहीं कर रहे हैं महज आप कहते ही हैं कि हम गाँव समाज में वैस्ट कर रहे हैं।

आप तो एक हाथ देते हैं और दूसरे हाथ ले लेते हैं। आप ने यह भी नहीं कहा कि बड़े-बड़े बाजार या मेले ही लेंगे और छोटे नहीं लेंगे। हमारे संशोधन का मंशा यह है कि जब सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करे तो उसे गाँव समाज के लोगों से एक्सप्लेनेशन (भाष्य) लेना चाहिये और जांच करनी चाहिये और जब बिलकुल यह समझ ले कि वह इन्तजाम नहीं कर सकता तब कोई दूसरा इन्तजाम करे और जब तक यह साबित न हो तब तक सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी चल रहा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कल हमारे माननीय माल मंत्री जी ने मुझ से बड़ी आशाएँ प्रकट की थीं और उसके बाद ही उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उनको जितनी मुझ से आशाएँ थीं वह सब खत्म हो गई। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हम लोग तो हर प्रकार से, जितना भी मुमकिन हो सकता है, सरकार को मदद देने के लिये तैयार हैं लेकिन जहाँ एक तरफ आप यह चाहते हैं कि इस बिल में हम आपका सहयोग दें वहाँ दूसरी तरफ हमारे ही नेता, चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा कि इस बिल में एक कामा और फुलस्टाप तक नहीं बदला जा सकता जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसी हालत में यदि सरकार का यह रवैया है कि कोई चीज बदली ही न जायगी तब तो गैरमुमकिन है कि किसी प्रकार भी हम उन्हें सहयोग दे सकें।

जहाँ तक गाँव-समाज का ताल्लुक है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी धारायें इस क़ानून में रखी गई हैं वे केवल एक दृष्टिकोण से रखी गई हैं। यह हमारा दुर्भाग्य समझा जाय या जो कुछ भी समझा जाय, कि जबतक हमारा देश परतंत्र रहा तबतक जितनी भी बातें होती थीं, जो कुछ भी ध्येय रखा जाता था वह यह था कि भारतीयता को आगे लाकर बढ़ाया जाता था, लेकिन जब से हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तब से कुछ मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे कांग्रेसी मित्रों ने कुछ पश्चिमी चश्मा सा लगा लिया है और जितनी भी बातें अब वे करते हैं, जितनी ही धारायें इस बिल मे हैं उससे यह साबित होता है कि सब रूस की ही प्रणाली और रूस के ही तरीक़ों के आधार पर इसको बनाया है। सन् १९१७ में जबकि किसानों का आन्दोलन रूस में हुआ उस वक़्त यह था कि जितने भी जमींदार हैं उनको खत्म कर दिया जाय और उनको यह बहुत बड़ा लालच सरकार की ओर से दिया गया कि जमींदारी खत्म होगी और वे भूमि के बिल्कुल मालिक हो जायँगे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि यह बात तो नहीं है, वे तो मालिक नहीं हुये बल्कि सरकार स्वयं मालिक होती चली जा रही है, उनके हकूक़ में कोई भी इजाफ़ा नहीं हुआ है।

एक सदस्य—यह तो जनता की सरकार है।

श्री गुरु नारायण—जनता की सरकार थी तो जनता में तो जमींदार भी हैं और काश्तकार भी हैं। आप जनता से जमींदारों को क्यों अलग करते हैं। वे भी तो २२ लाख हैं। उसी तरह से हमारी कांग्रेस सरकार भी यह गाँव पंचायतें बना कर धोखा खायगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमान्, मैं विधान का एक प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे संशोधन का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गुरु नारायण—मैं यह कह रहा था कि गाँव समाज में जो आप नक़ली अधिकार देने जा रहे हैं, यह रूस में उस समय भी जमींदारों को मिटा कर किसानों को किया गया था और उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ। मैं गाँव-समाज के सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी सरकार इस समय करने जा रही है वह इतनी जल्दबाजी में काम कर रही है कि उनको तमाम प्रतिबन्ध लगाने पड़ते हैं। अव्वल यह कि पहले आपने गाँव-समाज को अधिकार दिया और अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहते हैं। इसके माने क्या हैं? इसके माने यह हैं कि वास्तव में हमारा जो समाज है वह इतना अशिक्षित है कि आप डरते हैं कि वह समाज ठीक से काम नहीं कर सकेगा और उन अधिकारों को जिन्हें आप देना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह से कार्यरूप में परिणत नहीं कर सकेगा। तो नतीजा यह होगा कि नुक़सान होगा। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में अगर उन अधिकारों को दे दें तो उसका भी यही परिणाम होगा। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप यह अधिकार देते हैं तो जल्दी किस बात की है, पहले समाज शिक्षित बनाइये और उसके बाद अधिकार दीजिये। फिर आपने हर जगह यह कहा कि हम विलेज रिपब्लिक्स बना रहे हैं और उनको हम तमाम अधिकार दे रहे हैं। यह तो वैसे ही हुआ कि एक हाथ से आप अधिकार दे रहे हैं और दूसरे से उन्हें छीने ले रहे हैं। जब आपने यह प्रावीजन रख दिया कि जो कुछ भी चाहें वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में चला जावे तो आपने उनको कोई अधिकार नहीं छोड़ा है। पंचायतें अब भी यह समझती हैं कि उनको सरकार का आदेश मानना है और उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। जमींदारी अबालीशन फंड के कलैक्शन में भी मैंने यही देखा। पंच स्वतंत्र नहीं हैं और उनसे जवाब भी तलब किये गये कि तुमने क्यों इसमें हिस्सा लिया या नहीं लिया। इसके मानी यह हैं कि वे स्वयं अभी अपने अधिकार नहीं समझ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिये। वे समझते हैं कि अगर हम कांग्रेस दल की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम निकाल दिये जावेंगे। आपको ऐसे काम करने चाहिये जिनसे उनके दिल

से यह ख्याल दूर हो। ऐसा करने के बजाय आप तो जो गाँव-समाज क़ायम करने जा रहे हैं उसको बिलकुल सरकार के अधीन रखना चाहते हैं। इससे किसी प्रकार का भी जनता का फ़ायदा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस भवन के सम्मुख रखा गया है उसका विरोध करने के लिये मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सुबह से मैंने विरोधी दल के वक्ताओं के भाषण सुने और उनसे यह मतलब निकाला कि जो धारा १२० सदन के सामने रखी गई है उसका अर्थ ही उन सज्जनों ने नहीं समझा और जो ऐक भावना उनके दिल में है उसी को लेकर वे उस धारा का विरोध कर रहे हैं। राजा साजिद हुसैन साहेब के भाषण से मैं यह मतलब समझा कि कुछ ५०० या १००० शब्द उन्होंने एकत्र कर रखे हैं और जहाँ उनकी जरूरत पड़ती है उनका वे प्रयोग कर लेते हैं और वे ऐसे शब्द हैं जिनसे यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि कांग्रेस मंत्री-मंडल के सदस्य या कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ डिक्टेटर के तरीक़े से काम कर रहे हैं, वे जनता का कोई भला नहीं कर रहे हैं, एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से ले लेते हैं और इस तरह वे धोखा देते हैं। इस तरह की बातें शुरू से आखिर तक कही जाती हैं। जो बातें जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में उनकी तरफ़ से एक बार कही गईं वे ही हमेशा दोहराई जाती हैं। मतलब की कोई बात नहीं कही जाती है। मेरा उनसे यह निवेदन है कि जिस मतलब से कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से कोई चीज रखी जाती है, उसको वे ठीक तरह से समझें और यदि उसमें सचमुच उनको कोई गड़बड़ी मालूम दे तो वे सुझाव पेश करें। दफ़ा १२० बिलकुल साफ़ है। उसके पहले दफ़ा ११८ और ११९ में साधारण तौर से जो अधिकार सरकार गाँव-समाज को देना चाहती है उनका विवरण दिया गया है। लेकिन कभी ऐसे भी मौक़े आ जाते हैं कि गाँव समाज की शक्ति से बाहर बात हो जाती है तो उसी के सम्बन्ध में यह दफ़ा रखी गई है कि वे बातें उनसे लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी जायँ। आप जानते हैं कि जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया कि हमारे सूबे में बहुत से छोटे-छोटे हाट, बाजार और मेले हैं और बहुत से बड़े-बड़े हाट बाजार और मेले हैं। जो बड़े-बड़े बाजार और मेले हैं उनका इंतजाम कभी गाँव समाज नहीं कर सकता है। मैं प्रतापगढ़ जिले का रहनेवाला हूँ। वहाँ कुछ मेले ऐसे हैं जो तीन-चार रोज लगते हैं। मेले लगने के बाद वहाँ बहुत गन्दगी हो जाती है और सफ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं होता है। बड़े-बड़े राजा और नवाबों की तरफ से वह मेले लगते हैं, वह उन मेलों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सफाई का कोई इंतजाम नहीं रते हैं।

एक सदस्य—आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर तो नहीं हैं ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—मैं मैम्बर हूँ और मैं गाँव का घूमने वाला भी हूँ, इसलिए अच्छी तरह से हालत जानता हूँ। सरकार का तो यही मतलब है कि अधिकार आम तौर से गाँव समाज को दे दिये जायँ, लेकिन उसके साथ-साथ सरकार यह भी चाहती है कि जिन मेलों का इंतजाम गाँव-समाज अच्छी तरह नहीं कर सकती हैं उन मेलों का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी दूसरे अधिकारी को दे दिया जाय, ताकि उनका इंतजाम अच्छी तरह से हो सके। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि गाँव-समाज के बारे में इस समय आप बड़ा प्रेम दिखलाना चाहते हैं, लेकिन सन् १८५७ से आजतक आपने कितने गाँवों में जाकर गाँव-समाज के लिये कुछ किया है। गाँवों में जाकर आप केवल लगान वसूल किया करते हैं या जो वहाँ फल वगैरह होते हैं उनको नीलाम करके रुपया वसूल किया करते हैं, लेकिन किसी गाँव में आप एक कुँआँ तक नहीं खुदवाते हैं। आप महज बात करने के लिये बात करते हैं, लेकिन मतलब को कोई बात नहीं करते हैं। मैं तो आपको सिर्फ यह बतलाना चाहता हूँ कि जब मंत्री महोदय ने यह बतला दिया कि केवल विशेष स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में इंतजाम दिया जायगा और आम तौर से इंतजाम गाँव समाज करेगा, तब कोई शब्द आप की तरफ से नहीं निकलना चाहिये था। लेकिन बावजूद उसके आपने जो बातें कहीं उनसे मैं यह मतलब समझता हूँ कि मंत्री महोदय क्या, अगर ब्रह्मा जी यहाँ आ कर के आपको समझाने का प्रयत्न करें तब भी आप समझ नहीं सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब वाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तक़रीर सुनी और अपने दोस्तों की जिन्हों ने मेरी ताईद में तक़रीरें कीं उनकी भी सुनीं और शुक्ला जी का भी भाषण सुना। मंत्री जी ने सिर्फ चार मेलों की बिना पर तमाम सूबे के बाजार, हाट और मेला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी दूसरे शख्स को मुन्तक़िल करने का इस सेक्शन में अख्तियार ले लिया है। मैं दफ़ा ३४ पंचायत राज ऐक्ट की तरफ़ तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। हुजूर वाला यह ऐक्ट अंग्रेजी में पास हुआ है इसलिये आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ।

"All markets and fairs or such portions thereof as are held upon public land shall be managed and regulated by the Gaon Panchayat and the Gaon Sabha shall receive to the credit of the Gaon fund all dues levied or imposed in respect thereof."

(सारे बाजारों या मेलों या उनके ऐसे भाग का, जो सरकारी भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और नियन्त्रण गांव पंचायत करेगी, और गांव सभा, गांव

कोष (फण्ड) के नाम में इन बाजारों और मेलों के सम्बन्ध में नियत या लगाये हुए कुल महसूल वसूल करेगी।)

तो अगर आप यह देखें कि गांव पंचायत राज ऐक्ट के जरिये से आप यह गाँव समाज की कमेटियां बना रहे हैं। दफ़ा ३४ गाँव पंचायत ऐक्ट की रू से वह मैनेज करेंगे और आप इस दफ़ा की रू से वह अख़्तियारात जो पहले क़ानून में दिये जा चुके हैं, ले लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। एक क़ानून, जो कि सिर्फ़ गांव के इंतजामात के लिये बनाया गया है; और उसके बमूजिब काम भी होगा क्योंकि आप दफ़ा २९, पंचायत राज ऐक्ट के जरिये से एक सब कमेटी मुक़र्रर कर रहे हैं और वह गाँव के रुपये की वसूली और दीगर इंतजामात करेगी। अब आप गाँव-समाज के अधिकार से ये तमाम बाजारें और मेले निकाल रहे हैं। मेरा पहला एतराज यह है कि आप की दफ़ा बिलकुल ग़लत है क्योंकि पहले क़ानून की दफ़ा ३४ के ख़िलाफ़ है। गाँव पंचायत ऐक्ट की दफ़ा ३४ और ३७ के जरिये से आमदनी हो सकती है।

दफ़ा ३७ के जरिये से वे टैक्सेज लगा सकते हैं। "A tax on the rent payable under the provisions of the U. P. Tenancy Act, 1939, not exceeding one anna in a rupee of such rent, the tax aforesaid being payable by the person or persons severally or jointly in cultivatory possession of such land or in respect of sayar income therefrom:

Provided that if any land is cultivated by a sub-tenant or sir or othar land, the amount imposed under this caluse shall be payable by such sub-tenant and the sir-holder or the tenant-in-chief as the case may be"

[कोई टैक्स ऐक्ट क़ब्ज़ा आराजी संयुक्त प्रान्त, सन् १९३९ ई० के आदेशों के अधीन अदा किये जाने वाले लगान पर जो ऐसे लगान के एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा और उक्त टैक्स उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा, जो उस पर अलग-अलग या सम्मिलित रूप से काश्तकाराना (कृषि सम्बन्धी) कब्जा रखता हो या रखते हों या जिसको या जिनको उससे सायर की आमदनी मिलती हो।

पर शर्त यह है कि यदि कोई सीर या किसी दूसरी आराजी (भूमि) का शिकमी असामी किसी आराजी पर काश्त करता हो तो इस धारा के अधीन जो टैक्स की रक़म लगाई जायगी वह ऐसे शिकमी असामी और सीर के मालिक

[श्री ऐजाज़ रसूल]
या असल असामी से, जैसी भी स्थिति हो ३।४ और १।४ के अनुपात से क्रमशः वसूल की जायगी।]

अब आप मान लीजिए कि गाँव से आप बटेश्वर का मेला निकाल लेते हैं तो आप ने यह तय नहीं किया है कि गाँव पंचायत को उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा मिलेगा नहीं। उसको गाँव का इंतज़ाम चलाने के लिये कुछ आमदनी मिलनी चाहिये। एक तरफ आप उनको गाँव का पूरा इंतज़ाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी आमदनी छीन रहे हैं। अगर आप उसका इंतज़ाम कराना चाहते तो कर सकते थे। आप अपने आफिसर्स की एक कमेटी बना देते। मेरी तरमीम का सिर्फ यह मतलब है कि पहले आप उन पंचायतों से जवाब लीजिये। अगर इनके जवाब से तशफ्फी न हो तो आप उसका इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी दूसरे अधिकारी को दे सकते हैं। और वह आर्डर जो गवर्नमेंट का हो वह ऐवान के सामने इत्तला न रख दिया जाय। इससे मैं आप का अख्तियार नहीं ले रहा हूँ। इससे आप को परेशानी क्या है? मालूम होता है कि गवर्नमेंट को डर है कि जो वह फेवरटिज्म (पक्षपातिता) दिखायेगी वह पब्लिक के सामने आ जायगी जिससे उनको नुक़सान पहुँचेगा। इसी वजह से गवर्नमेट मेरी तरमीम को मंजूर नहीं कर रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि क्या गवर्नमेंट हमको इस बात का इत्मीनान दिला सकती है कि वह रुपया जो उसके खर्च होने के बाद बचेगा, उसमें से कुछ हिस्सा गाँव-समाज को जायगा। क्या वह गाँव के फ़ायदे के लिये खर्च किया जायेगा, उसी गाँव में सर्फ किया जायेगा और दूसरे कामों में नहीं लगाया जायेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेरे इस अमेंडमेंट को मंज़ूर करेगी, क्योंकि इसमें हम गवर्नमेंट के अख्तियारात लेना नहीं चाहते। वह चाहते हैं तो गाँव-समाज से अख्तियारात निकाल कर दें, लेकिन हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि गाँव-समाज से अख्तियारात निकालने के पहले उनसे जवाब तलब करें और इस ऐवान के सामने रखें। लेकिन वह तो शायद इसको भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में हमारे मित्रों ने काफ़ी वाद-विवाद किया। मैंने सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। इन सब व्याख्यानों के सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि एक मुख्य प्रश्न उठाया गया है और वह कुछ अहमियत रखता है। वह यह है कि इन मेलों से जो आमदनी होगी क्या उसमें गाँव समाज को कुछ हिस्सा मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाक़ी बातें जो हुईं वह महज़ गैलरी में बैठनेवालों में प्रोपेगैंडे (प्रचार) के ख्याल से हुईं। हमारे मित्र राजा साजिद हुसैन एक रोज बुखार में मुब्तिला थे और उन्होंने उस वक्त बड़ी बुलन्द परवाज़ी से काम लिया। आज स्वस्थ होते हुए भी उसी तर्ज़ को आपने

अपनाया। खैर, मैं उस दूरी तक उड़ना नहीं चाहता और न उस सम्बन्ध में जाना चाहता हूँ। जहाँ तक मुख्य प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं अपने मित्र नवाब ऐजाज़ रसूल से कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक़ हम और आप विचार कर सकते हैं। १२९ धारा के आख़ीर में जो हिस्सा है उसके अन्तर्गत इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा सकते हैं और धारा ३१० में जितने नियम इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनेंगे वह इस सदन के सामने रखे जायँगे और यह सदन अगर उनमें कोई तरमीम या तबदीली करना चाहे तो कर सकता है। उसके होने के बाद यह नियम लागू किये जायँगे। इस सदन के लिये यह मौक़ा होगा कि नियमों में परिवर्तन कर ले। अव्वल तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी और अगर जैसा आप सोचा करते हैं सरकार ज़्यादती करे और इस पर विचार न करे तो वह सब नियम जब असेम्बली के सामने आयँगे त हमारे राजा साहब के लिये यह बात खुली होगी कि वह इसमें यह बात प्वाइंट आउट करें (बतावें) और उस वक्त हम और आप उस पर विचार कर सकते हैं। सरकार की यह कभी भी मंशा नहीं है कि गाँव-समाज की आमदनी में हस्तक्षेप किया जाय और उस पर असर डाला जाय। सरकार की तो यह मंशा हमेशा है कि हमारे गाँव-समाज हमेशा तरक्क़ी करें क्योंकि इन्हीं की तरक्की में सूबे की तरक्क़ी है। हमारे राजा साहब को और कुँवर साहब को गाँव समाज से बड़ी हमदर्दी है। मुझे खुशी है कि गंगा जी इधर से उधर तो बहीं और आपको गाँव-समाज से हमदर्दी तो हुई। अभी कल गाँव समाज के बारे में प्रस्ताव था तो उस ओर से बड़ी मुख़ालफ़त हुई कि अभी तक तो गाँव-सभा थी, यह गाँव-समाज कहाँ से आ गया कि इस गाँव समाज के कोई अख्तियार नहीं होने चाहिये, इस गाँव-समाज को इस धारा से निकाल देना चाहिये, लेकिन इस सदन के बहुमत ने गाँव-समाज के अधिकार को मुनासिब समझा और उनको अधिकार प्रदान किया। कल यह मुख़ालफ़त और आज यह हमदर्दी, इन्हीं दो मुतज़ाद बातों से, एक दूसरे से खिलाफ बातों से, दिल में शक पैदा होता है कि आया किस दृष्टिकोण से, किस विचार से, ऐसी हमदर्दी का इज़हार किया जाता है। हमारे कुँवर साहब ने फ़रमाया कि गवर्नमेंट स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले हमेशा इस बात का एलान किया करती थी कि जन-हित के लिये यह सब तमाम आन्दोलन किया जा रहा है लेकिन जबसे आज़ादी आई, जन-हित का लिहाज नहीं किया जाता, जनता के हुक़ूक़ का लिहाज नहीं किया जाता, और सरकार का वह दृष्टिकोण बदल गया है। आपने यह भी फ़रमाया कि यह सरकार तो पावर को ग्रैप करना चाहती है, सेंट्रलाइज़ करना चाहती है, गाँव-समाज या गाँव-सभा को कोई अख्तियार नहीं देना चाहती। मैं श्रीमान् के ज़रिये से अपने कुंवर साहब से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह गाँव हुकूमत ऐक्ट किस सरकार ने बनाया था, यह कांग्रेस सरकार है, जिसने गाँव हुकूमत ऐक्ट पास करके गाँव की पंचा-

[माननीय श्री हुकुमसिंह]

यतों में जनता को पूरा-पूरा अधिकार दिया है । इससे कुंवर साहब की बातों की तरदीद होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह कांग्रेस सरकार हमेशा जनता को अख्तियार देने और उससे हाथ बटाने को तैयार है और जो यह काम भी सरकार करती है, वह जन-हित के लिये करती है, आम जनता के फ़ायदे के लिये करती है, किसी खास तबके के फ़ायदे के लिये नहीं करती। इसलिये ऐसे इल्जामात जो महज़ प्रोप्रेगैंडा के ख्याल से किये जाते हैं वे गलत हैं, निराधार हैं, और उनमें कोई अस्तित्व और सच्चाई की बात नहीं है ।

जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक़ है हमारे दोस्त राजा साजिद हुसैन साहब ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि रेवेन्यु मिनिस्टर दो एक बातों का हवाला देकर के मुख़ालफ़त कर देते हैं और बाक़ी बातों का हवाला नहीं देते। मैं समझता था कि "अक़्लमंदां रा इशारा काफ़ी अस्त" (बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है) लेकिन अगर इससे काम नहीं चलता और अलिफ़ से बड़ी ये तक सारी बातें कहना जरूरी है तो मैं दुहरा भी सकता हूँ। एक तो यह कि इसमें प्राइवेट फ़ेरीज भी हैं और वाटर चैनेल्स भी हैं। हमारे राजा साहब जगमनपुर जानते हैं कि बाँसी में प्राइवेट फेरीज हैं, काफी बड़ी-बड़ी हैं, लेहड़ा स्टेट में वाटर चैनेल्स हैं और सोहरतगढ़ में भी वाटर चैनेल्स हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े वर्क्स उनके मैनटेनेंस में और उनको ठीक हालत में क़ायम रखने में और उन फेरीज को चलाने में हजारों रुपये के अख़राजात की जरूरत होती है। उनको गाँव समाज के सुपुर्द कर देना और यह कह देना कि वह उन कर्तव्यों को पूरे रूप से पालन करे, हमारी और आप की ज्यादती उनके साथ होगी। लिहाजा ऐसे कई घाट और वाटर चैनेल्स हैं जिनका इंतजाम करना हमारे गाँव-समाज के रिसोर्सेज (साधनों) के बाहर है, तो उनका इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द कर देना, जो जनता की चुनी हुई जमात है और जिसमें कि डेमोक्रेसी का हनन किसी तरह से नहीं हो सकता जिसके कि खिलाफ हमारे राजा साजिद हुसैन साहब शुरू से हैं, कोई नुक़सान की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये एक दो बातें मैंने छोड़ दी थीं, जान-बूझ कर नहीं, राजा साहब को धोका देने के लिये नहीं बल्कि मैंने समझा कि मोटी-मोटी बातें बता दें, ज्यादा तफ़सील में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वह समझे नहीं, लिहाजा मैंने उनको भी दुहरा दिया इससे भी साफ जाहिर है कि बहुत से बड़े-बड़े ऐसे काम हैं जो गाँव-समाज के इमकान के बाहर हैं और इसलिये अगर जरूरत हो तो प्राविंशियल गवर्नमेंट उनका इन्तजाम धारा १२० की रू से कर सकती है, सिर्फ यही मंशा धारा १२० का है। अगर नवाब साहब की तरमीम मान ली जाती तो आइंदा काम में रुका-वट होने का अंदेशा है जिससे जनता का नुक़सान होगा इसलिये इसकी मुख़ालफ़त की गई और मैं इसका अब भी विरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२० की पंक्ति २ में शब्द "किसी समय" के स्थान पर शब्द "गाँव-समाज से भाष्य (Explanation) ले लेने और उस पर आदेश देने के बाद, जिसकी एक प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल की मेज पर रखी जायगी" रख दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १२० की पाँचवीं पंक्ति में "नाव, घाट" के स्थान पर "नाव-घाट" रखा जाय।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस संशोधन का ताल्लुक़ है उससे मैं सहमत तो जरूर हूँ लेकिन एक बात मैं आपकी आज्ञा से अर्ज करना चाहता हूँ कि हम एक जगह पर "नाव-घाट" की जगह पर "उतराई घाट" का प्रयोग कर चुके हैं। अगर हमारे माननीय मित्र इसको "उतराई घाट" कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मुझे स्वीकार है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२० की पांचवीं पंक्ति में "नाव, घाट" के स्थान पर "उतराई घाट" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री इंद्रदेव त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, ५८४ नम्बर पर जो मेरा संशोधन है, यह इस प्रकार है कि 'धारा १२०' के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उससे होने वाला लाभ या उसका उचित हिस्सा जो सरकार निर्धारित करे उस गाँव-समाज को मिला करेगा।"

अभी राजा साहब साजिद हुसैन और नवाब साहब ऐजाजरसूल का जो इस धारा पर इस मजमून का संशोधन था, उस पर जो बहस हुई है और उसके जवाब में माननीय माल मंत्री जी ने कुछ कहा है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं समझता हूँ कि मुझे अब इस पर ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा इत्मीनान हो गया कि जो मेरा संशोधन है वह कार्य रूप में लाया जा सकता है। मेरी जो मंशा है वह पूरी हो गयी चाहे वह मेरे संशोधन को भले ही इस मौक़े पर इंकार कर दें लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वह चीज़ कार्य रूप में आयेगी। जब क़ानून बनेगा तो उस वक्त जरूर इसका विधान करना होगा। विरोधी पक्ष की तरफ़ से जो पहले के प्रस्ताव पर समर्थन में और इधर से जो मुख़ालिफ़त में बहस हुई उसे मैंने सुना। उसमें प्रजातन्त्र की दुहाई दी गयी है। मैं तो समझता हूँ कि नवाब साहब साजिद हुसैन और ऐजाज रसूल साहब की भाषा

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

बहुत सुधरी हुई होती है । वह पकड़ में नहीं आती लेकिन आज मुझे यह बातें मालूम हुईं कि असलियत को छिपाने से वे भी क़ासिर रहे। एक तरफ़ तो प्रजातंत्र की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि गाँव-समाज के अधिकार छीने जा रहे हैं और दूसरी तरफ़ आप फ़रमाते हैं कि हमारा विश्वास डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) में नहीं है । जिसका विश्वास डेमोक्रेसी में न हो वह गाँव-समाज को कोई भी अधिकार देने वाला आदमी नहीं हो सकता। गाँव के तमाम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं उनको यह मालूम होगा कि यह लोग प्रजातंत्र के ख़िलाफ़ हैं और गाँव-समाज को कोई भी अधिकार देना नहीं चाहते दूसरी तरफ़ वह कहते हैं कि गाँव को बड़े-से-बड़े अधिकार दिये जायँ जिसका मतलब साफ यह है कि वह हर तरह से सरकार से घुमा फिरा कर ग़लत काम कराना चाहते हैं जिससे सरकार को बदनाम करने का मौक़ा मिले। गाँव वालों को बड़े-से-बड़े अधिकार मिलें । जिन्हें वे सम्भाल न सकें तो आपको मज़ाक उड़ाने और निन्दा करने का मौक़ा मिले। मुझे एक बात याद आई माल मन्त्री जी ने कुछ मेलों का हवाला दिया जैसे बलिया का मेला, गाज़ीपुर में चोचकपुर का मेला जो ८, १० दिन तक होता है, मवेशी वग़ैरह वहाँ बिकते हैं । विरोधियों का कहना है कि बलिया का मेला जिस गाँव में लगता है उस गाँव के अधीन उसका प्रबन्ध कर दिया जाये, चोचकपुर के मेला का प्रबन्ध चोचकपुर के अधीन कर दिया जाये और इसी तरह से जो मेले जैसे गढ़मुक्तेश्वर का मेला है वह भी वहाँ वालों के अधीन हो। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं समझ नहीं सका। अगर उनका यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय, माननीय माल मंत्री अगर उसे मान लें तो मेरी समझ में नहीं आता कि गाँव वाले उन मेलों का प्रबन्ध कैसे करेंगे ? मैं जानता हूँ कि चोचकपुर की आबादी १२, १३ घरों की है। २, १ घर ठाकुरों के हैं और बाक़ी घर मल्लाहों के हैं अब वह चोचकपुर वहाँ के मेले का प्रबन्ध कैसे कर सकता है । माननीय माल मंत्री जी ने बताया कि सरकार हर मेले और हर घाट का इंतज़ाम न ख़ुद ही लेगी और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ही देगी। माल मन्त्री जी जो कुछ कहते हैं वह क़ानून के बराबर हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता कि वे जो कहते हैं वह अमल में न आवे। मन्त्री महोदय जो कुछ कहते हैं वह काम में लाई जाने वाली चीज होती है और इसमें कोई शक नहीं कि माननीय माल मन्त्री जी ऐसी ही कोशिश भी करेंगे । अगर गवर्नमेंट उस के गाँव मेले की आमदनी को ज़िले भर के लिये रख देती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बलिया के मेले की आमदनी शायद ५० हज़ार रुपये से कम न होगी अब अगर यह ५० हज़ार रुपया उसी गाँव पर ख़र्च कर दिया जाय और उसके पास ही दूसरे गाँव पर कुछ भी ख़र्च न किया जाय तो यह ठीक बात नहीं मालूम होती। इतने बड़े मेलों का प्रबन्ध गाँव नहीं कर सकता है

और न वह इतनी बड़ी आमदनी का ही प्रबन्ध कर सकता है। वह उस आमदनी को बरदाश्त भी नहीं कर सकता। ऐसी हालत में कुछ अपवाद स्वरूप जरूर रखा जाना चाहिये। अगर कानून में कोई गुन्जायश नहीं रखी जाती है तो वह चीज बिलकुल बेकार हो जाती है। इसलिये यह चीज हमारी सिलेक्ट कमेटी ने बड़ी दूरंदेशी से रखी थी। इसके बारे में एक सुझाव यह था कि जो नेट प्राफिट की रकम हो उसमें से अगर वह थोड़ी हो तो पूरी की पूरी गाँव समाज को दे दी जाय। और अगर ज्यादा हो तो उसका मुनासिब हिस्सा सरकार गाँव-समाज को दे दे। ऐसा न हो कि गाँव-समाज को बिलकुल छोड़ दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यरूप में परिणत किया जायगा।

श्री गुरु नारायण—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन पर एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य उसे मेरे पास लिख कर भेज दें।

माननीय श्री हुकुम सिंह—क्या कुंवर साहब इस संशोधन के पास होने से पहिले ही उसमें संशोधन पेश कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष—जी हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष, जहाँ हमारे मित्र श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का सम्बन्ध है, मैंने इस संबंध में पहिले के संशोधन के सिलसिले को कुछ बातें कही थीं। त्रिपाठी जी यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द अगर इन्तजामात मेले वगैरा के किये जायें और उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा गाँव-समाज को भी मिलना चाहिये। यह इस संशोधन का आशय है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले अर्ज किया कि यह प्रश्न विचाराधीन है और इस बात का नियम बनाते समय विचार किया जा सकता है। ऐसी सूरत में यहाँ पर इस संशोधन को लाने की कोई जरूरत नहीं है। वह नियम भी इस सदन के सामने आयेंगे। उस वक्त यह सदन उसके ऊपर विचार करके ही जो मुनासिब निर्णय होगा वह देगा और उसी के मुताबिक़ अमल किया जायगा। ऐसी सूरत में मैं अपने मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री एजाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं त्रिपाठी जी की तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जब कि मैंने तरमीम पेश की थी, बड़े जोर के साथ इस भवन में यह एलान फ़रमाया था कि जब वक़्त आयेगा गाँव-समाज को वह रुपया दिया जायगा तो फिर त्रिपाठी जी की तरमीम को मंजूर करने में क्या हर्ज है। त्रिपाठी जी को भी मालूम हो जायगा कि गवर्नमेंट का जो ख्याल है वह दुरुस्त है। आप उसके बाद भी

[श्री ऐजाज़ रसूल]

दफ़ा १२९ के बमूजिब तमाम रूल्स और क़ायदे तैयार करेंगे और उस क़ायदे के अन्दर गाँव-पंचायत और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी अथारिटीज़ को रुपया दिया जायगा। वह गाँव के प्रपोर्शन (अनुपात) से तक़सीम किया जायगा। वह सब आपके अधिकार में होगा। आपके ख़ुद एक साथी ने यह अमेंडमेंट पेश किया है तो उसके मन्ज़ूर करने में क्या उज्र है। अगर विरोधी दल ने पेश किया होता तो बात दूसरी थी। यह आपस की बात नहीं हो सकती क्योंकि यह क़ानून का मामला है। अगर आपस में ही तय करने की बात होती तो फिर इस भवन के सामने लाने की क्या आवश्यकता है। लिहाज़ा गवर्नमेंट का इरादा अगर सही है तो उसको इस तरमीम को मंज़ूर करना चाहिये और आगे कहीं ऐसा न हो कि एलेक्शन में डिफ़ीट हो (निर्वाचन में पराजित) जाय और गवर्नमेंट की तमाम स्कीम ही रह जाय। टर्की में एकदम इतनी पुरानी पार्टी बदल गई। तो आगे का हाल भी अभी क्या मालूम है, नया एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) होगा, एडल्ट फ्रैंचाइज़ होगा और न मालूम क्या उस का हश्र होगा। इसलिये मैं त्रिपाठी जी के अमेंडमेंट की ताईद करता हूँ कि इसको ऐक्ट का जुज़ बनाया जाय ताकि ख़्वाह कोई गवर्नमेंट या पार्टी आवे और वह क़ानून के ख़िलाफ़ कार्यवाही न कर सके। मैं किसी तरह से भी गवर्नमेंट के इनटेंशन को चेलेंज नहीं कर करता लेकिन गवर्नमेंट को इसको मानकर ऐक्ट का जुज़ बना लेना चाहिये। यह अमेंडमेंट तो उनकी पार्टी की तरफ़ से ही आया है लेकिन शायद वह तो किसी भी माकूल चीज़ को मंज़ूर नहीं कर सकते, वह तो जो उनकी तरफ़ से एक दो हिज़ मास्टर वाइस वालों के जो अमेंडमेंट आ जाते हैं सिवा उनके और किसी को मंज़ूर नहीं कर सकते और किसी भी इनडिविजुअल अमेंडमेंट को वह मंज़ूर नहीं कर सकते हैं। त्रिपाठी जी तो आप की ही पार्टी के आदमी हैं और आप के यसमैन हैं हालांकि वह वोट के वक़्त हाथ तो आप की ही तरफ़ उठावेंगे और मजबूरन इस को वापस भी ले सकते हैं। मुझे डर है कि त्रिपाठी जी कहीं कम्यूनिस्ट न हो जायँ क्योंकि वह गाज़ीपुर के रहने वाले हैं और वह भी कहीं उनके असर में न आ जांय। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं त्रिपाठी जी के अमेंडमेंट की ताईद करता हूँ।

श्री अब्दुल बाक़ी—जनाब वाला, मैं इस तरमीम की मुख़ालफ़त करना चाहता हूँ और उसकी एक वजह यह है कि ग़ालिबन त्रिपाठी जी ने जोश में आकर यह तरमीम पेश कर दी है। उन्होंने दफ़ा १२० को समझा नहीं है क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि जो राइट्स गाँव-समाज में वेस्ट करते हैं वह ट्रान्सफ़र होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में वेस्ट करेंगे। इस के मानी यह हुए कि यह हुक़ूक़ गाँव-समाज की मिल्कियत से ख़ारिज हो गए और अब अगर क़ानूनी निगाह से देखा जाय तो गाँव-समाज भीख माँग सकती है। जब गवर्नमेंट ने यह चीज़ ज़ाहिर कर दी कि वह हुक़ूक़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में वेस्ट करेगा और वह अथारिटी

बाद में अगर अपनी मिल्कियत को मुन्तक़िल करना चाहे तो कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट नहीं करेगी। इस बिना पर इस सेक्शन को अगर त्रिपाठी जी फिर पढ़ेंगे तो उन को नज़र आवेगा कि उन की तरमीम सिवा जोश व ख़रोश के सरतापा कुछ नहीं है। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं इसकी मुख़ालफ़त करता हूँ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, उसूलन यह दिक्क़त ज़रूर पैदा होती है कि जब हाट बाज़ार मेले या जल-प्रणाली गाँव-समाज के अधिकार से संक्रमित होकर के किसी अन्य अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आधीन हो जायगी तो उस समय ऐसे हाट बाज़ार या मेलों का नफ़ा या नुक़सान, जो कुछ भी हो उसको पाने का या उसको बरदाश्त करने का ज़िम्मेदार कौन होगा ? सूरतें दोनों हो सकती हैं। बहुत सी जल-प्रणालियों का मालूम है, लाभ न होकर उनमें हानि हो सकती है। सरकार उस समय जबकि जल-प्रणाली को गाँव-समाज के अधिकार से लेकर किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या किसी अन्य अधिकारी को या स्वयं अपने अधिकार में ले ले तो उस जल-प्रणाली का जो कुछ व्यय होगा उसकी ज़िम्मेदारी गाँव-समाज पर नहीं हो सकती और उसी प्रकार से यदि लाभ हो तो उसको पाने का भी हक़ गाँव-समाज को नहीं हो सकता। यह एक बात ज़रूर है और इस विषय पर इस सदन को विचार करना चाहिये। जैसा कि नवाब ऐज़ाज़ रसूल साहब ने कहा था कि गाँव-समाज की मिल्कियत हाट, बाज़ार, मेला होंगे, होना चाहिये और हैं इस क़ानून के मातहत भी। लेकिन उसके अधिकार से लेकर दूसरे के अधिकार में यह सौंप दी जाय, यह चीज़ तो इस सदन ने स्वीकार करली है कि ऐसा सरकार कर सकती है, हालांकि पंचायत राज ऐक्ट की धारा ३४ के अनुसार कंट्राडिक्शन होता है। उसमें पूरा अधिकार पंचायत राज ऐक्ट के मातहत गाँव-समाज को दिया गया है हाट, बज़ार, मेले वग़ैरह का। इस नये विधेयक के अनुसार अब सरकार गाँव-समाज के अधिकार से लेकर ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी अन्य अधिकारी के हाथ में सुपुर्द कर सकती है। तो फिर गाँव-समाज को उसके लाभ में कोई हिस्सा क़ानूनन मिल नहीं सकता। एक उसूली बात की अगर रक्षा की जाय तो ऐसा हो सकता था कि गाँव-समाज की तरफ़ से अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द होता। अगर ऐसा होता तो उस सूरत में गाँव-समाज उस लाभ या हानि का ज़िम्मेदार हो सकता था। यह ज़रूर है कि बहुत बड़े मेले या बहुत सी जल-प्रणालियों का मामलों ऐसा है जो बहुत से गाँव-समाजों के अन्दर आते हैं। बहुत बड़े मेले होते हैं, बहुत बड़ा इन्तज़ाम होता है, गाँव-समाज उसको कर नहीं सकते। बहुत से गाँव-समाजों की तरफ़ से वह इन्तज़ाम दूसरे के सुपुर्द किया जाता तो गाँव-समाज का हक़ भी बना रहता और मेरा अपना विचार है कि बना भी रहना चाहिये तो हाट,

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]
बाजार, मेले और जल-प्रणालियां जितने भी हैं वे सब गाँव-समाज के मातहत होने चाहिये। अब हम गाँव-समाज को अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं। यह दूसरी बात है कि वे इन्तजाम कर न सकें और जब तक इस क़ाबिल गाँव समाज न हों कि ठीक से इन्तजाम कर सकें तब तक किसी दूसरे अधिकारी या किसी दूसरी संस्था के द्वारा वह इन्तजाम कराया जाय. लेकिन गाँव समाज को इन मामलों में पूरा अधिकार होना चाहिये। पंचायत राज ऐक्ट के मातहत गाँव-सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहाँ के स्कूल, अपने यहाँ के दवाखानों, अपने यहाँ की सड़कों, इन सबका इन्तजाम अपने हाथ में लें। उसके लिये उन्हें रुपये की जरूरत पड़ेगी। रुपये के जरिये आमदनी हाट, बाजार, मेले वगैरह हैं। तो वहाँ के हाट, बाजार, मेले जो ऐसे गांव समाज या गाँप-समाजों की सीमाओं के अन्दर पड़ते हों उनकी आमदनी उनके पास आनी चाहिये।

ऐसी सूरत में अगर उनकी ओर से कोई दूसरा इन्तजाम हो तो गाँव-समाज का हक़ भी बना रहता है और इन्तजाम भी ठीक तरह से हो सकता है। लेकिन अगर अधिकार उनके हाथ से बिलकुल ही ले लिये जायँ और दूसरे के हाथ में दे दिये जायँ तो वाक़ई यह दिक़्क़त पड़ सकती है कि गाँव-समाज को कोई भी लाभ सरकार ऐसे हाट, बाजार या मेले से नहीं दे सकती। जैसा हमारे माननीय माल मंत्री जी ने कहा, नियम में ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बात रख दी जाय जिससे ऐसे हाट, बाजार या मेले की आमदनी का कुछ हिस्सा गाँव वालों को मिल जाय। परन्तु जब मिल्कियत या इन्तजाम पूरे तौर पर दूसरे के हाथ में दे दिया जावेगा तो वाक़ई उससे गाँव-समाज को कोई लाभ नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है कि गाँव-समाज को भी कुछ लाभ रहे तो जो संशोधन त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसके ऊपर विचार करके सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिये कि गाँव समाज की ओर से ही यह काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में रहे और कुछ लाभ गाँव समाज को भी मिले। उसूलन मैं भी इस राय का हूँ कि गाँव वालों को ही पूरे अधिकार रहें और यदि आवश्यकता हो तो उनकी ओर से ही दूसरे के सुपुर्द किया जाय ताकि उसका लाभ गाँव वालों को मिल सके। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह संशोधन अपनी जगह पर मुन-सिब है मगर जैसा हमने पहले निश्चय किया है कि अधिकार संकलित हो जावेंगे उसी निश्चय के अनुसार यह संशोधन यहां ठीक नहीं बैठता है। परन्तु इसके साथ मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर विचार करे कि यह किस प्रकार हो सकता है कि गाँव वालों के अधिकार और लाभ बने रहें।

माननीय अध्यक्ष—मेरे पास अभी श्री गुरु नारायण का एक संशोधन आया है। मैं उनको सूचना देता हूँ कि उचित यह है कि जो संशोधन वह उपस्थित करना चाहें वह पहले से मेरे सामने रहे। परन्तु चूंकि वे नये सदस्य

हैं मैं उनका संशोधन, अपने साधारण क्रम से थोड़ा हटकर, लिये ले रहा हूँ। आज उनको अनुमति देता हूँ। वे संशोधन उपस्थित करें।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौक़ा दिया कि मैं संशोधन पर संशोधन अभी उपस्थित करूं।

श्रीमान्जी, मैं इस संशोधन पर यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूँ कि धारा १२० के श्री इन्द्रदेव जी के इस संशोधन की दूसरी पंक्ति में शब्द 'लाभ' के बाद 'या उसका उचित हिस्सा जो सरकार निर्धारित करे' ये शब्द निकाल दिये जायँ इस संशोधन को उपस्थित करने का मेरा मंशा यह है कि जो कुछ भी उस गाँव का लाभ हो वह तमाम उसी गाँव-समाज को मिला करे। यह नहीं होना चाहिये कि उसको कुछ हिस्सा दे दिया जाय और कुछ निकाल लिया जाय। इसमें उस गाँव का बहुत नुक़सान होगा अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे माल मंत्री जी ने यह कहा कि हमको अब इधर गाँव से दिलचस्पी पैदा हो गयी है और गाँव-समाज को जो क़ायम करने का श्रेय है वह कांग्रेस सरकार को ही है। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि यह सही है कि गाँव-समाज जो अब बन रहे हैं उसका श्रेय ज़रूर कांग्रेस सरकार को है लेकिन यह भूल जाया जाता है कि हमारे गाँव-समाज तो बहुत पहले से ही बने हुये हैं। जो पवित्रता हमारे गाँवों की है वह अब भी वहाँ मौजूद है और अच्छी तरह से उसका काम चलता है। अब केवल यह हो रहा है कि उस गाँव-समाज को गाँव-समाज का सरकारी रूप दिया जा रहा है। इस संशोधन पर जो मैंने संशोधन पेश किया है उस पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह स्वयं साफ़ है। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि किसी गाँव में आमदनी होती हो तो वह उसी गाँव में लगाई जायँ। कोई वजह नहीं है कि उसको और जगह दे दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन पर संशोधन उपस्थित करता हूँ।

श्री सुल्तान आलम ख़ाँ—जनाब स्पीकर साहब, मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि कम-से-कम इस सदन के अन्दर एक इस किस्म का संशोधन इस बिल के मातहत आया कि जिसके ऊपर इस सदन के इस तरफ़ या उस तरफ़ कोई दो रायें मालूम नहीं होतीं। जब यह संशोधन पेश हुआ तो मैं यह समझ रहा था कि शायद ज्यादा तक़रीर हुये बगैर इस संशोधन को क़ुबूल कर लिया जायगा। मैंने जब मंत्री महोदय की तक़रीर सुनी तो मुझे उससे भी यह अन्दाज़ा हुआ कि गाँव-समाज का हक़ जो मेला और बाज़ार की आमदनी से पैदा होता है उसको वह समझते हैं कि ज़रूरी है और क़ायम है। उन्होंने अपनी तक़रीर में यह भी फ़रमाया कि इस वक्त इस बिल के अन्दर ऐसी किसी तरमीम की ज़रूरत मालूम नहीं होती, अलबत्ता जिस वक्त गवर्न-

[श्री सुल्तान आलम खाँ]
मेंट क़ायदे बनाने बैठेगी तो उस वक्त इस मामले पर ग़ौर हो सकता है और अगर यह चीज़ जरूरी है तो यह उसमें शरीक की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री की ख़िदमत में यह अर्ज करूंगा कि अकसर मौकों पर जब इस क़िस्म के संशोधन पेश हुये तो यह चीज़ सुनने में आयी कि ऐसा प्राविज़न रूल्स बनाते वक्त रख दिया जायगा और रूल्स में उसे शामिल कर लिया जायगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर से इस किस्म के उसूल को पसन्द नहीं करता, इसलिये कि रूल्स का मकसद सिर्फ यह होता है कि वह ऐक्ट जब बन जाय तो उसकी स्पिरिट (भावना) की मातहत उसकी तफ़सील में आगे जाने के लिए बाज़-बाज़ चीजों की सफ़ाई की जाय लेकिन रूल्स की मातहत यह हरगिज़ नहीं हो सकता है कि जो अधिकार क़ानून के ज़रिए यह भवन हुकूमत को देना चाहे उसको उसूली तौर पर रूल्स के अन्दर जमा कर दिया जाय। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किस तौर से यह चीज़ रूल्स के अन्दर आना मुनासिब होगी, इसलिये कि यहाँ सवाल यह है कि आया इन हाटों, बाजारों और मेलों का इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई दूसरी अथारिटी करे और उसके सिलसिले में जो आमदनी पैदा हो उस आमदनी को वह अपने तशर्रुफ में लायें या ऐसा हो कि जैसा त्रिपाठी जी ने कहा है कि उस आमदनी का एक हिस्सा गाँव-पंचायत या गाँव-समाज को मिले, या ऐसा हो कि जैसा गुरुनारायण जी ने कहा कि उसको कुल की कुल रक़म मिल जाये। तो यह तफ्सील की बात नहीं है, यह एक डिटेल की बात नहीं है बल्कि यह एक उसूल की बात है कि इस तरह की जो आमदनी काफ़ी तादाद में होती है वह किसे पहुँचना चाहिये। मैं इसलिये इस बात को कहूँगा कि जहाँ तक रूल्स का ताल्लुक़ है यह मसला हक़ीक़त में ऐसा नहीं है, जिसे रूल्स में आना चाहिये बल्कि यह मसला ऐसा मसला है कि जिसे इस सदन को इसी वक्त तय करना चाहिये। आज हम क़ानून बना रहे हैं। मुमकिन है कि हमारे वे दोस्त जिनके हाथ में आज क़ानून बनाने का हक़ है, आने वाले के बाद उनमें से बहुत से इस ऐवान में न हों और हुकूमत दूसरे आदमियों के हाथ में आये। तो इस वक्त का वादा जो आज माननीय मंत्री कर रहे हैं कि वह रूल्स के ज़रिये से प्राविज़न करने की कोशिश करेंगे, वह हमेशा के लिये मुहताज फ़ैसला रहेगा। आज हमने एक क़ानून बना दिया और कल को जब हम रूल्स बनाने बैठे तो उस वक्त हमने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो इससे बड़ी कंट्रोवर्सी (विवाद) पैदा होगी। और लोकल बाडीज़ की माली हालत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक बात और है जो ज्यादा क़ाबिले ग़ौर है। यह वाक़या है कि गाँव-पंचायतें या गाँव-समाज फंड्स के बहुत मुहताज हैं। हमारा कम-से-कम अब तक का तजुर्बा यह है कि जो टैक्स लगाने के अख्तियारात उनको दिये गये हैं उनके ऊपर वे सही तौर पर अमल नहीं कर रहे हैं और बाज-बाज पंचायतों को क़र्ज़ा देने की ज़रूरत पड़ी। यह हालत तब तक जारी रहेगी जब तक गाँव-पंचायतें पूरा

तजुर्बा हासिल न कर लें। जब हम इस उसूल को मानते हैं कि हर क़िस्म के ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइज (विकेंद्रित) हो, तो ऐसी हालत में इस बात की भी जरूरत पड़ती है कि जो छोटी बाडीज हैं उनको कहीं न कहीं से रुपया जरूर मिलना चाहिये। और रुपया आसमान से बरस नहीं सकता। हुकूमत के पास भी इतना रुपया नहीं होगा कि वह बराबर लोकल बाडीज को ग्रांट और लोन देती रहे। इसके लिये मैं समझता हूँ कि आज मौक़ा है जबकि हम उनके फाइनेंसेज को ऐडजस्ट (व्यवस्थित) कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ता और न यह जमींदार और काश्तकार के ताल्लुक़ात के दरमियान का सवाल है। यह एक बिलकुल इंतजामी मसला है जिससे गाँव-पंचायतें सहूलियत के साथ अपना काम चला सकें। मैं अर्ज करूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब अपने इस मकूले पर ग़ौर फ़रमायें और मैं तो उनकी तक़रीर से यही अन्दाजा कर पाया हूँ कि वह भी महसूस करते हैं कि गाँव पंचायतों का हक़ इसमें जरूर है। अगर वह इसको पसन्द करते हैं तो इसके फ़ैसले में किसी ताम्मुल की जरूरत नहीं है बल्कि इसी वक्त हो जाना चाहिये। एक बात और है। यह इन्तजामात जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरी अथारिटीज (अधिकारी) इन हाटों और मेलों का इंतजाम करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि बड़े-बड़े हाट या मेलों का इंतजाम गाँव-पंचायतें सही तौर पर नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सही है कि अगर वह मेले या हाट उन लोकल बाडीज के जूरिसडिक्शन (अधिकार क्षेत्र) में होता है तो कोई वजह नहीं है कि उनको हक़ न दिया जाय। क्योंकि टैक्सेज की उसूली में भी हम यह करते हैं कि ऐसे टैक्सेज जिनका ताल्लुक़ दो ऐडमिनिस्ट्रेशन्स से होता है तो वह एक पूल की तरह जमा करके फिर तक़सीम किया जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के कितने ऐसे टैक्सेज हैं जो वह वसूल करती है और उसमें सूबे की हुकूमत का हिस्सा है। वह टैक्स पूल की सूरत में जमा हो जाता है और चूंकि वह लोकल एरिया का जूरिसडिक्शन (अधिकार क्षेत्र) प्राविंशियल गवर्नमेंट का होता है लिहाजा यह किया जाता है कि उसका एक हिस्सा तो मरकजी हुकूमत के लिये अलाहदा किया जाता है और एक हिस्सा सूबाई हुकूमत के खर्च के लिये दिया जाता है। बिलकुल उसी उसूल की बिना पर मैं यह समझता हूँ कि यह मामला यहाँ भी तय किया जा सकता है और इस मामले को रूल्स के ऊपर टालना सही नहीं है और फिर यह मामला ऐसा है जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब भवन के इधर के बैठने वालों को और उधर के बैठने को किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है तो फिर त्रिपाठी जी की तरमीम को इस वक्त टाल देना यक़ीनन मसलहत के खिलाफ़ है। अगर गवर्नमेंट इसको मंजूर नहीं करेगी तो यक़ीनन त्रिपाठी जी इसे वापिस ले लेंगे और फिर इस तरमीम के यहाँ पर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

होता लेकिन मैं अर्ज करूँगा कि यह समझ लेना कि कलेक्टिव विजडम (समस्त बुद्धिमत्ता) सिर्फ हमारे पास है, हो भी सकता है कि एक शख्स के पास कलेक्टिव विजडम (समस्त बुद्धिमत्ता) हो लेकिन हर शख्स की बात पर ग़ौर करना और उसके समझने का मौक़ा जरूर होना चाहिये। यह बिलकुल एक नान पार्टी मसला है जिसके मुताल्लिक़ न तो पार्टी बन्दी का सवाल है और न दो रायों का सवाल है। ऐसी सूरत में इस क़िस्म का राज्य हठ करना मेरी समझ में किसी तरह से ठीक और मुनासिब नहीं है। और शायद ऐसा करना उन लोगों का जो यह कहा करते हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत ने जिद पकड़ ली है और वह किसी भी तरमीम को मंजूर नहीं करती सिर्फ यहाँ पर बहस हो जाती है और बस खत्म हो जाती है तो इससे इस तरह के एतराज करने वालों के हाथ मजबूत होंगे और उनमें जान पड़ेगी और वह और ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इस लिये मैं बहुत ही पुरखलूस अल्फ़ाज में और दोस्ताना मशविरा देता हूँ कि ऐसी चीज न की जाय। इसको मंजूर कर लेने से हुकूमत की जिम्मेदारी और भी कम हो जायगी जब अपोजीशन भी इसको मानने के लिये तैयार है। लेकिन हर बात में रूल्स को लाना और फिर उस पर हर मसले को टालना यह ठीक नहीं है। मान लीजिये तरमीम ग़लत सूरत से आती है तो २० मौक़े हैं बिल में तरमीम करने के लिये और इसके मातहत जब रूल्स बनेंगे उस वक्त ग़ौर कर लिया जायेगा। मैं पहले भी कई दफ़े कह चुका हूँ और वह मानी नहीं गई और न मुझे उसके माने जाने की उम्मीद है कि जब ऐसी चीज हमारे सामने आ जाय जिस पर फ़ौरी फ़ैसला न दिया जा सके और कोई क़तई राय न क़ायम की जा सके तो उस मौक़े पर उसको मुल्तवी करके उस पर ठंढे दिल से फिर ग़ौर कर लें क्योंकि ठंढे दिल से ग़ौर करने के बाद ठीक फ़ैसले पर इंसान पहुँचता है लेकिन उस पर तवज्जह नहीं दी गई और आज उसके मुताल्लिक़ उम्मीद करना बेकार है लेकिन मैं यह फिर अर्ज करूँगा और इस बात पर जोर दूंगा कि जब इस मसले पर इस वक्त आखिरी फ़ैसला गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो इस पर फिर ठंढे दिल से ग़ौर करे। हर बात में यह कह देना कि रूल्स में प्राविजन हो जायेगा हुकूमत के लिये अच्छी चीज नहीं है क्योंकि हर रूल्स को गवर्नमेंट बनाती है और जिन रूल्स को वह खुद बनायेगी उन रूल्स के अन्दर सब बातों को ले ले और इस बिल में न रखे और ऐवान के अख्तियारात को अपने हाथ में ले ले यह सही नहीं है। जहाँ तक सिद्धान्त का ताल्लुक़ है वह तो बिल में आने ही चाहिये। जब बिल में ३१५ दफ़ात हैं तो ऐसी बातों को रूल्स पर छोड़ देना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा मैंने मिनिस्टर साहब से कोई आरग्यूमेंट या दलील नहीं सुनी, वरना मैं उस के मुताल्लिक़ अर्ज करता। बहरहाल आखिर में मुख्तसिर अल्फ़ाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर से एक

बार फिर इस बात की अपील करूँगा कि वह त्रिपाठी जी की तरमीम को मंजूर कर लें।

श्री साजिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरमीमें हमारे सामने हैं, एक तो मूल संशोधन है त्रिपाठी जी का और दूसरा संशोधन है कुंवर साहब का और इसी सिलसिले में बाकी साहब ने यह एतराज भी किया है कि ये तरमीमें कानूनन नहीं आ सकती थीं। मैं कोई क़ानूनदां नहीं हूँ, इसलिये मैं इस बात को नहीं तय कर सकता कि आया वेस्टिंग के सिलसिले में एसाइनमेंट आमदनी का हो सकता है या नहीं मगर शायद यह मुमकिन हो सके कि अगर इसी के साथ आमदनी को एसाइन किया जाय तो कंडिशनल वेस्टिंग की सूरत हो। बहरहाल, मैं इस पर राय नहीं क़ायम कर सकता। सवाल यह है कि मेले की आमदनी का कोई हिस्सा या कुल उस गांव को मिले जहाँ मेला होता है या न मिले? एक मिसाल मेरे सामने है। मजहबी जगहें हैं जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और काफी रुपया सर्फ करते हैं, यानी चढ़ाते हैं, वह रुपया उसी मुकाम पर सर्फ होता है और कभी इस तरह का ख्याल नहीं किया गया कि वह रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाय या सरकार उस पर कब्जा कर ले। मेले की भी करीब-करीब वही हालत है, यानी आमदनी इस वजह से वहाँ पर होती है कि तमाम चारों तरफ से दूर दूर से लोग आते हैं और रुपया सर्फ करते हैं। मेरे ख्याल में अगर मेले वालों से पूछा जाय तो वे यह बेहतर समझेंगे कि वह रुपया जो उनकी जेब से निकलता है उसी मुकाम पर सर्फ हो या उसी के आस पास सर्फ हो जिससे कि उन लोगों को आराम पहुँचे। यह चीज कहाँ तक मुनासिब है, कहाँ तक जायज है कि वह रुपया जो किसी गाँव के, एक छोटे से गाँव के, एक मैदान में मेला लगने से आता है वह उस गांव में न सर्फ किया जाय। यह ज्यादा बेहतर है कि कुल का कुल रुपया वहाँ सर्फ किया जाय। इसके मुताल्लिक यह कहा जाय कि यह भी डेमोक्रेटिक है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले उस रक़म को कर दें तो मैं कह देना चाहता हूँ कि यह ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि वह रुपया मुकामी तरीके से खर्च किया जाय। इसी बहस के सिलसिले में मेरे मुताल्लिक़ यह कहा गया कि हर वक़्त मैं डेमोक्रेसी का जिक्र करता हूँ। मुझे इससे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिये कहता हूँ कि सरकार जिस तरह से डेमोक्रेसी का दावा करती है उसे करना वह बन्द कर दे तो मैं भी इसका जिक्र करना छोड़ दूँ। मैं इसलिये इसका जिक्र करता हूँ कि वे डेमोक्रेसी का दावा करते हैं लेकिन असल में वह उसके खिलाफ चलते हैं। मैं तो यह भी कहता हूँ कि हमारा मुल्क इसके लिये तैयार नहीं है, एक विदेशी चीज है और हमारी जहनियत उससे मेल नहीं खाती। यह चीज इस जमाने में हमारे लिये नाजेबा और नामौजूं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ तक देहातों की तरक़्की का ताल्लुक़ है वह रुपया वहां पर सर्फ होना चाहिये चाहे वह देहात की तरक़्की के लिये

[श्री साजिद हुसैन]

हो, चाहे उसकी तालीम के लिये हो गवर्नमेंट ग्राम सुधार के लिये और तालीम बढ़ाने के लिये करोड़ों रुपया सर्फ करती है। अगर एक ऐसी मद इत्तिफाक़ से मिल जाती है जिससे वहाँ एक सैंटर बन सकता टैक्सोला बन सकता है तो आपको मजा करने की क्या वजह है। देहात वालों को गवर्नमेंट से शिकायत हो जायेगी कि एक चीज़ उनके पास थी वह भी आपने उससे ले ली ताकि उनको भीख मांगना पड़े जो कुछ इंतज़ाम का सर्फा हो उसके लिये आप कमेटी बना दीजिये। रूल्स में जैसे चाहें आप प्रोवाइड कर दीजिये। देहात में ऐसे सैंटर बनायें जैसे सेवाग्राम है। ऐसा इंतज़ाम किया जाये जिससे देहातों का अपलिफ्ट हो। अगर यह हो सकता है तब ही मुल्क की तरक़्क़ी हो सकती है आप भी यही कहते हैं लेकिन आपका अमल और प्रैक्टिस बिल्कुल खिलाफ है। आपने यह एक शोई चीज़ बनाकर रख दी है। बड़ी चीज़ देहात में हुई या कोई कारोबार हुआ तो उसको आप देना नहीं चाहते हैं। मामूली से मामूली चीज़ आप उनके हवाले करते हैं। जब कोई ज़िम्मेदारी का सवाल आता है तो आप उनको रोक देते हैं। यह सब प्रापैगैंडा के लिये हो रहा है। आप को अगर ज़िम्मेदारी का अहसास हो और अपने दावा का ख्याल हो तो उसका दूसरा तरीका है। मैं तो कहता हूँ कि यह हाउस भी देहात में जाकर बैठे और देहातियों को देखने का मौका मिले। लेकिन यह चीज़ ठीक नहीं है कि हर तरीके से पावर्स को सैंट्रलाइज (अधिकार को केन्द्रित) किया जाये और उसमें भी एक आध हिटलर बन जाये। आप इस चीज़ को मान लें कि हमारा यह इरादा है लेकिन अगर आप इसको मान लेते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है जिसके बिरते पर आप चल रहे हैं। यह थोड़ा सा आमदनी का ज़रिया है जो करोड़ों का नहीं हो सकता है लाखों का शायद हो जाये वह उनके हवाले कर दें या कोई सैंटर बनादें और यह आमदनी वहीं सर्फ की जाय और कुछ इंस्टीट्यूशन्स (संस्थाएं) वगैरह बना दिये जायें जिससे देहात की तरक़्क़ी हो सके।

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी— जनाबवाला, जो तरमीम हाउस के सामने इस वक्त है मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हाउस के दोनों तरफ से जो बातें कही गई हैं उनसे अंदाजा यह होता है कि इस पर तो कोई मुखालफत नहीं है कि कुछ हिस्सा दिया जाये या न दिया जाये बल्कि ज़्यादा ज़ोर इस पर है कि कानून में रख दिया जाये। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना खयाल कुछ लपेटकर बयान करूं। राजा साजिद हुसैन साहब की तकरीर मैं सुन रहा था। आप फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट जो काम करती है वह प्रोपैगैंडा के लिये करती है असल में हक़ नहीं देती है। मुझे शुबहा हुआ कि कहीं राजा साहब जो इसकी ताईद करते हैं वह भी कहीं प्रोपैगैंडा के लिये तो नहीं है और असल हालत दूसरी हो। आज उन्होंने फरमाया कि हमें देहातों में जाना चाहिये। जो कांग्रेसी बेंचेज पर बैठे हैं ज़्यादा देहाती हैं और देहात में ही अपना वक्त काटा है जो कुछ कहते हैं वह उनकी खिदमत के लिये ही कहते हैं।

अलबत्ता इस तरफ़ जो विरोधी दल के लोग हैं उनके अन्दर देहात की ख़िदमत का एक नया जज़्बा ज़रूर पैदा हुआ। अगर राजा साहब अपने लिए और अपने साथियों के लिए कह दें कि उनको भी वहाँ देहात की हालत जाकर देखना चाहिए तो सही बात होती। मेरी समझ में नहीं आता कि देहातों के अन्दर जो बड़े मेलों और हाटों का इंतज़ाम है जिससे उधर के लोग नावाकिफ़ नहीं हैं, जिसके इंतज़ाम में हज़ारहाँ रुपया लगता है, आदमी लगते हैं उसका इंतज़ाम तो करें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लेकिन फ़ायदा मिले पंचायतों को। आज आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट नहीं बना रहे हैं। इस लेजिस्लेचर में क़ानून बना रहे हैं। क्या क़ानून बनाना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सर पर यह डालना चाहते हैं कि इंतज़ाम तो तुम्हारे सुपुर्द, पैसा तुम लगाओ लेकिन आमदनी में जो बचे उसे पंचायत को बाँट दो। मेरी समझ में नहीं आता कि बार-बार डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। समझ की बात करनी चाहिये। जम्हूरियत का क्या तक़ाज़ा है। आज की हालत क्या है। पहले की हालत देखिये। पहले का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट था। फेरी ऐक्ट के मातहत उसका कुल इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता था, लेकिन पैसा गवर्नमेंट में आता था। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने कह कर मंज़ूर कराया कि यह पैसा आप न लें, हमको दे दें और गवर्नमेंट ने जब मंज़ूर किया तभी वह पैसा उनको मिला। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया में यही हालत है, प्राविंशियल गवर्नमेंट में भी यही हालत है। किस उसूल की बुनियाद पर कहा जाता है जो पैसा ख़र्च करके इंतज़ाम करे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उससे जो आमदनी करे उस आमदनी का एक जुज़ पंचायतों को दे दिया जाय। जम्हूरियत की जो बात होती है, उसे हमारी सरकार ने पूरी तरह से कर दिया। तमाम सदन को यह मालूम है कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो है उससे पहले जो ऐक्ट था उसके मातहत टैक्स लगाने के अख़्तियार गवर्नमेंट को थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स लगाना चाहता था तो वह दरख्वास्तें भेजता था और सूबे की गवर्नमेंट नामंज़ूर कर देती थी कि हम तुम्हें टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देते। मौजूदा जो क़ानून है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया है लेकिन उसे उलटने का अधिकार नहीं है। एक मर्तबा जब किसी टैक्स को लगाने का क़ानून वह पास कर देगा, दोबारा उस क़ानून को मंसूख करना चाहे तो उसे हुकूमत की मंजूरी लेनी पड़ती है। टैक्स लगाने के लिये मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से पंचायतों को अख़्तियार दे दिया गया है टैक्स लगाने का। वह आमदनी उनको हासिल होगी जो उनके जूरिस्डिक्शन (अधिकार-क्षेत्र) के अन्दर है, जिसका वह इंतज़ाम करेंगे। लेकिन वे चीजें जिनके मुताल्लिक़ आज यह समझा जाता है कि पंचायतों को न देना चाहिये, उनका इन्तज़ाम किसी बड़ी जमात को करना चाहिये जैसा कि अभी मंज़ूर किया गया है कि उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

[श्री मुहम्मद अदील अब्बासी]

को दे दिया जाय। वह भी जनता की चुनी हुई बाडी है। वह पैसा जो वसूल हो उस पर पंचायतों को क्या हक़ है। किस उसूल, किस क़ायदे के मुताबिक़ और किस तरह से दिया जायगा। आमदनी में से दिया जायगा या बचत में से दिया जायगा। जो संशोधन हमारे माननीय इन्द्रदेव त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह बेहद अनसर्टेन (अनिश्चित) है। मान लीजिए ५० हज़ार की आमदनी हुई, और ५१ हज़ार का सर्फा हुआ तो उस आमदनी में से दिया जायगा चाहे खर्चा कुछ भी हो या जो बचत हो उसमें से दिया जायगा। क़ानून ऐसे अनसर्टेन इम्प्लीकेशंस पर नहीं बनता। ऐक्ट में हम यह रख देते हैं जिस तरीके पर यह अमेंडमेंट है उस तरीक़े पर दे दिया जाए, मैं अर्ज करूंगा कि अगर ऐसा हम कर देते हैं तो बहुत बड़ी ग़ल्ती करेंगे। पता नहीं उसका क्या नतीजा होगा। बिना वजह एक संघर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों में पैदा होगा। पंचायत के मुताल्लिक़ मैं यह दावे से कहता हूँ कि हमारी कांग्रेस सरकार ने अभी आज़ादी हासिल करने के बाद जो क़ानून इतनी जल्दी बनाया है दुनिया की तवारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। आज यह मुख़ालिफ पार्टी के लोग मेरी समझ में नहीं आता किस हिम्मत से कहते हैं कि गवर्नमेंट पंचायतों को अख्तियार देना नहीं चाहती। अपने अख्तियारात को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि यह बड़ी हिम्मत का काम है कि गवर्नमेंट ने हमारे सामने एक ऐसा बिल रखा कि पंचायतों को पूरे-पूरे अख्तियार दिये जायँ। तमाम दुनिया को मालूम है कि पंचायतों के बन जाने से कांग्रेस का असर कम हुआ है, बहुत से जमींदार भी सरपंच बन गये हैं, खुद बड़ा खर्चा भी उसने बरदाश्त किया है और वह सिर्फ इसलिये कि वह एक सही बात थी और उसने मुल्क की आज़ादी के बाद ही जनता के हाथ में अख्तियारात दे दिये। आज यहाँ पर खड़े होकर यह कह देना कि कांग्रेस गाँवों को अख्तियार नहीं देना चाहती है ठीक नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो आपकी इन बातों को न समझे। मैं कहता हूँ कि बहुत से जमींदार और दूसरे लोग वहाँ के सरपंच चुन लिये गये हैं। गाँव वालों ने जिसको योग्य समझा मुन्तख़िब किया। जहाँ उनको अधिकार दिये जाने का सवाल था, वहाँ पूरे अधिकार दिये गये हैं। उनको टैक्स लगाने का अख्तियार दिया गया है। आप कहेंगे कि हमारे देश में टैक्स पेइंग कैपेसिटी (योग्यता) नहीं है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को भी दे, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को भी दे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी दे और पंचायतों को भी टैक्स अदा करे। लेकिन दुनिया में सब जगह आज़ादी हासिल होने के बाद टैक्सेज बढ़े हैं। दुनियाँ में ऐसी कोई पार्टी या मुल्क नहीं है जिसने आज़ादी मिल जाने के बाद अलादीन का चिराग़ लेकर एक दिन के के अन्दर ही पब्लिक के दुखों को दूर कर दिया हो। आप के दुख उसी वक्त दूर होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अभी तो कम टैक्सेज लगा रही है उसको और भी ज़्यादा टैक्स लगाना

चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को टैक्स लगाना चाहिये, पंचायतों को टैक्स लगाना चाहिये। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने को तैयार नहीं हैं तो उनको सुख नहीं मिलता उनको दुख उठाना पड़ेगा। इन दो वजूहात की बिना पर मैं इस तरमीम की पुरज़ोर मुख़ालिफत करता हूँ। माननीय मंत्री से उम्मीद करता हूँ कि यह चीज जरूरी नहीं है कि रूल्स में लावें ही। वे उसे लाने से पहले कई बार सोचें। ज़रा ग़ौर तो कीजिए कि आख़िर रुपया तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाये, इन्तज़ाम वह करे और इस पर क़ानून यह बना दिया जाय कि वह आमदनी के रुपये में से गाँव को बाँट दे। आपने मुदर्रिशों की तनख्वाह बढ़ा दी हैं और कह दिया है कि आधी तनख्वाह आप देंगे। आप आर्डर देते चले जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के ऊपर आप रोज़-रोज़ जिम्मेदारियाँ डालते जा रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इसके लिये दरख्वास्त भी नहीं दी है आप यहाँ पर बैठे हुये क़ानून बना रहे हैं फिर कौन सा क़ानून है कि इन्तज़ाम तो वह करे और रुपया भी वह लगाये लेकिन आमदनी दूसरे को बाँट दी जायगी। जो तरमीम रखी गई है वह बिलकुल अनसर्टेन (अनिश्चित) है, साफ नहीं है, इसलिये क़ानून के अन्दर उसको नहीं आना चाहिये। इन वजूहात की बिना पर मैं इस संशोधन की मुख़ालिफ़त करता हूँ। उम्मीद है हाउस भी उसकी मुख़ालिफ़त करेगा। यह जायज़ और मुनासिब नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर इस क़िस्म का बोझा लाद दिया जाय। इंतज़ाम वह करे, चश्में वह बनाये और उससे जो आमदनी हो वह बाँट दी जाय। अगर आप इंतज़ाम करते और कहते कि इतना हिस्सा बाँट दिया जायगा तो किसी क़दर ठीक भी हो सकता था। आप क़ानून बनाते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कहते हैं कि आप इस पर अमल करें। इससे काम आसान नहीं हो सकता। हमारे मुख़ालिफ पार्टी के भाइयों ने काफी प्रोपेगैण्डा इस पर किया और थोड़ा सा वक्त भी ज़ाया कर दिया। शायद उन्होंने यह समझा कि इससे जनता के कानों में यह आवाज़ पड़ेगी और इससे उनकी पार्टी की क़दर बढ़ जायगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह सब ग़लत-फ़हमी है। हम लोगों को क़ानून बनाते वक्त यह सब ग्याल रखना चाहिये। आइन्दा किसी तरह से इलेक्शन का ख़याल नहीं रखना चाहिये। जिससे जनता की तक़लीफ़ दूर हो, उनके साथ इन्साफ हो, उस चीज को देखना चाहिये। इस वजह से मैं इस तरमीम की मुख़ालिफ़त करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र शाह—जो संशोधन सदन के सामने है और उस संशोधन के ऊपर संशोधन जो कुंवर साहब ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे एक सदस्य ने इसका विरोध किया मेरी राय उनसे नहीं मिलती कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसका इन्तज़ाम करे या जो उसका इन्तज़ाम करे उसको उसका लाभ क्यों न मिले। जब आप ११८, ११९ में सब हाट बाज़ार सब गाँव-समाज को दे रहे हैं तो वह गाँव-समाज की मिल्कियत

[श्री वीरेन्द्र शाह]

हो जायगी तो फिर उसको लाभ मिलने में आप को क्या उज्र है। मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जरूरत नहीं है जब पहले यहाँ पर अंग्रेज थे तब इसकी जरूरत थी तब यहाँ पर गाँव-समाज नहीं था, लेकिन अब तो हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप उसमें वेस्ट (निहित) कर देते हैं तो उसको उसका फ़ायदा जरूर पहुँचना चाहिये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने यह भय दिखाया और संशोधन को नहीं माना कि वह उसका इन्तजाम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ मेले ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं उनके लिये दुश्वारी होगी । मगर जो भी उनका इन्तजाम करे उसको उसका लाभ मिलना चाहिये। सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है, जैसा कि उसने लखनऊ में किया है तो उसका फायदा लखनऊ वालों को मिलता है। मैं यह कहता हूँ कि उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई इन्तजाम अगर करे तो उसको खर्चा जो इन्तजाम का हो उसको निकाल कर बाक़ी सारा फायदा गाँव-समाज को मिलना चाहिये। यही त्रिपाठी जी की मन्शा है और हमारा संशोधन जो है उसका यह मन्शा है कि यह सरकार के अधिकार में न हो कि वह उस रूपये का इन्तजाम क्या करे। जो उसका इन्तजाम करे खर्चा काट कर वह उसको मिलना चाहिये। यह हक़ गाँव-समाज को मिलना चाहिये। अगर आप "वेस्टिंग के माने यही सही समझते हैं तो आमदनी का जो कुछ भी बचे वह गाँव-समाज को मिलना चाहिये। इस वास्ते मेरा यह कहना है कि उस क्षेत्र में जहाँ-जहाँ पर ऐसे मेले हों उनका फ़ायदा उनको ही मिलना चाहिये ताकि वह उस क्षेत्र की तरक्की कर सकें बजाय इसके कि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरी संस्था कोई उसका फायदा उठावे । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहांतक त्रिपाठी जी के संशोधन का ताल्लुक था उस सम्बन्ध में इतनी लम्बी चौड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं थी। मेरे दोस्त मे मुझे सलाह दी, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अगर मैं कानून का माहिर नहीं तो मुझे उसमें कुछ दखल जरूर है और इसी वजह से जिस शक्ल में तरमीम पेश हुई और जिस तरह से कुंवर साहब ने उसकी शक्ल को बिगाड़ा, मैं मजबूर हूँ कि उसको मंजूर करूँ क्योंकि अगर कुंवर साहब की तरमीम मंजूर की जाय तो हालत यह होती है कि उन बाजारों का जो लाभ है वह गाँव-समाज को मिला करेगा। इसमें पक्की निकासी या कच्ची निकासी का कोई जिक्र नहीं है। मेलों में लाभ और इखराजात दोनों ही होते हैं। जैसे कि जमींदार साहेबान ने कच्ची निकासी और पक्की निकासी का हवाला इस विधेयक के सिलसिले में दिया है, लेकिन इस संशोधन में उसका कुछ भी जिक्र नहीं किया है। उसका पूरा लाभ यानी इखराजात निकाल कर के जितनी निकासी हो, वह सब गाँव-

समाज को दे दी जाय और इंतजाम करने वाले अपने पाकेट से खर्च करें और पूरा काम करें। जिस शक्ल में यह अमेंडमेंट है, मैं उसके साथ हमदर्दी रखता हूँ लेकिन अभी मैं उसको मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कह देना चाहता हूँ कि हम इस पर विचार करना चाहते हैं और विचार करके कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अगर इंतजार किया जाय तो जो कुछ हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। मेरे लायक़ दोस्त सुल्तान आलम साहब ने भी लम्बी-चौड़ी तकरीर फरमाई। मैं तो उनकी राय मानने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ऐसे बेमौके सलाह दी कि उनको नाउम्मीद होना पड़ेगा। वह भले ही कहें कि रूल में ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई वाकई खामी है तो उस को ठीक किया जा सकता है और हम उनके आबजेक्ट (प्रयोजन) को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं। आगे चलकर दफ़ा १२९ में एक संशोधन देने का विचार है और मैं समझता हूँ कि उसके जरिए से आप का मक़सद पूरा हो जायगा, लेकिन जो कुछ प्रोपेगैण्डा के नुक्तेनिगाह से कहा गया उसको तो मैं पूरा नहीं कर सकता। हम और कांग्रेस सरकार गांव-सभा, और गाँव-पंचायतों के हकूक़ को खूब समझते हैं और जिन को इसी सरकार ने बनाकर तैयार किया है उसको किसी तरह का धक्का देना सरकार का शेवा नहीं हो सकता है। हां, आज तक जो उसके बड़े मुखालिफ़ थे अब अपने को बड़ा हामी और मददगार बताते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन सिर्फ़ दरख्वास्त यह है कि यही तरीक़ा आखिर तक उनके साथ क़ायम रहे। यह न हो कि आज तो बड़े हमदर्द हैं और कल उनकी जड़ काटने के लिये नये संशोधन लाये जायं। यह तरीक़ा नामुनासिब होगा और ऐसा करना आपके लिये लाभदायक भी नहीं हो सकता क्योंकि जनता बहुत होशियार हो गई है और अपने हकूक़ से बखूबी वाक़िफ़ है। प्रोपेगैंडा की बातों में आकर उसको मुतास्सिर नहीं कर सकते। लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं भी इसमें लम्बी तक़रीर कर सकता था लेकिन सरकार को यह शेवा नहीं होता। गिलोटिन रेज़ोल्यूशन के बाद हम तो जितना वक़्त बचा सकते हैं अपोजीशन के लिये बचाते हैं ताकि सारे मामले पर वे गौर करा सकें नहीं तो वे अपना अमूल्य वक़्त खराब करते हैं और मौक़े पर वाक आउट (बहिर्गमन) करते हैं। मैं तो ऐसा मौक़ा देना नहीं चाहता। लेकिन बावजूद हमारी कोशिशों के अगर वे इन मामूली बातों पर इतना वक्त सर्फ़ करें और फिर मौके पर वाक आउट (बहिर्गमन) करें तो हमारा क्या दोष है। लिहाजा इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने मित्र त्रिपाठी जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पेश करने के बाद जो तक़रीरें हुईं उनको मैंने गौर से सुना। मेरे प्रस्ताव का समर्थन करते हुये ऐजाज़ रसूल साहब ने जो कुछ कहा मैं शिष्टाचार के नाते उनको धन्यवाद देता हूँ। मुखालिफ़त में जो लोग बोले, खास तौर से अब्दुल

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

बाक़ी साहब ने जो मुख़ालिफ़त को बात कही उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हर तरह की बातों से फ़ायदा उठाना बुद्धिमानी का काम है और ख़ासतौर से हमारी सरकार जो जनता की सरकार है, उनकी बातों से भी फ़ायदा उठाने के लिये हमेशा तैयार रहती है जो सरकार की नुक्ताचीनी करना महज़ अपना फ़र्ज़ समझते हैं।

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मेरा मक़सद इस संशोधन को पेश करने का था वह पूरा हो गया। मेरा मक़सद यह नहीं था कि महज़ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाय। कुछ पार्टी का भी हवाला दिया गया। अक्सर सुलझी हुयी भाषा इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरों को नादान भी समझते हैं। पार्टी की बात के बाद एक साथी की बात कही गई। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि पार्टी का मामला और साथी के नाते, प्रजातंत्र के नाते और देश को ऊपर उठाने के नाते अपने साथी के प्रस्ताव को मंजूर भी किया जा सकता है और वह साथी खुशी से अपने प्रस्ताव को वापस भी ले सकता है। एक तरफ़ा बात नहीं होती दोनों तरफ़ से बात होती है। माल मंत्री जी ने जो कुछ पहले कहा था उससे मेरा मक़सद पूरा हो गया। अब जो बातें कही गईं उनसे फ़ायदा उठा कर माल मंत्री जी ने और साफ़ कर दिया कि जिन लोगों ने कहा कि क़ानून तो नियम बनाने के सिवाय उसमें कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती, उनको मुँह तोड़ जवाब इधर से दिया जायगा। और बतलाया जावेगा, जैसा कि १२९ का हवाला माननीय माल मंत्री जी ने दिया है, कि उस धारा में एक ऐसी चीज रखी जावेगी और मंजूर की जायगी जिसके मातहत नियम बनाते समय मजबूर होकर मेरे प्रस्ताव का मक़सद पूरा करने की कोशिश की जावेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को, पूर्ण आशा के साथ कि मेरा मक़सद पूरा होगा, वापस लेता हूँ।

(सदन ने संशोधन वापस लेने की अनुमति नहीं दी।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित है उसकी पंक्ति २ में 'लाभ' के बाद के शब्द "या उसका उचित हिस्सा जो सरकार निर्धारित करे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय। "किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उनसे होने वाला लाभ या उसका उचित हिस्सा जो सरकार निर्धारित करे उस गाँव-समाज को मिला करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में—९

विपक्ष में—६)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १२० विधेयक का अंश मानी जाय।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाब वाला की इजाज़त से मैं पूरे क्लाज़ की मुख़ालिफ़त करना चाहता हूँ।

(इस समय १० बजकर ५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष के उठ जाने पर, उपाध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

इस क्लाज़ का जो मफ़हूम है और जो मक़सद है उसको मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा पढ़ करके फिर सुना दूं ताकि सदन के तमाम मेम्बरान पर पूरी तौर से वाज़े हो जाय--

"Notwithstanding anything contained in sections 118 and 119, the Provincial Government may, at any time, by notification in the Gazette declare that, as from date to be specified, hats, bazars, melas, private ferries and water channels, hereinbefore vested in the Gaon Samaj, shall be transferred to and be vested in the District Board or any other authority as may be specified, who shall thereupon, notwithstanding anything contained in this Act, be charged with the management, superintendence and control thereof in accordance with the law, as may be applicable, for the time being in force."

[धारा ११८ और ११९ में किसी बात के रहते हुए भी, प्रांतीय सरकार किसी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से ऐसे हाट, बाजार, मेले, निजी नाव, घाट और जल-प्रणालियां, जो इस विधान के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य अधिकारिकी को संक्रामित हो जायेंगे और उसके स्वत्वाधिकार में चले जायेंगे और तब उस बोर्ड या अधिकारिकी पर इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी, समय विशेष पर लागू की जा सकने वाली विधि के अनुसार उसके प्रबन्ध, अधीक्षण और नियन्त्रण का भार होगा।]

मेरा मक़सद यहीं तक है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर जो जो हक़ूक़ गांव-समाज और गांव-सभा को दिये हैं, अब इस दफ़ा के ज़रिये से उसका बहुत बड़ा हिस्सा वह वापस लेना चाहती है और उसको वापस लेने का तरीक़ा भी उन्होंने यह अख्तियार किया है कि यह साफ़ तौर पर ज़ाहिर नहीं किया कि हम जो काम गांव-समाज और गांव-सभा से नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

लेंगे बल्कि उसके अन्दर एक जुम्ला यह भी रख दिया है "कि या कोई और आदमी जिसको हम मुनासिब समझें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा।" मैं यह समझता हूँ कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू या गवर्नमेंट का मक़सद यह है कि यह जो गांव-समाज, गांव-सभा या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं इनका मुतलक़ ताल्लुक़ पब्लिक से है और यह किसी न किसी हैसियत से गवर्नमेंट के ज़ेर फ़रमान रहें और गवर्नमेंट जब चाहे तब उनके हक़ूक़ और उनके अख़्तियारात को ले सके और मक़सद इसका यह होगा कि बिल आख़िर किसी जगह भी गांव-सभा में ऐसी चीज़ नहीं थी, जो कि अब कर दी गयी है कि अगर आनरेबिल मिनिस्टर उस पार्टीकुलर (विशेष) गांव-सभा से कोई ख़िदमत लेना चाहें तो फौरन कहेंगे कि हमें यह अख़्तियार हासिल है कि हम तुम से यह तमाम चीज़ें लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दें। अब मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुनहरिफ हो जाय तो उसके लिये यह रखा गया है कि हम मजबूर नहीं हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ही हाथ में सिपुर्द करें बल्कि और भी जमात बना सकते हैं। अगर हमारी कानून साज़ असेम्बली अपने ही बनाये हुये कवानीन को रद्द कर दे तो यह निहायत अफ़सोस की चीज़ और एक बहुत ग़लत चीज़ होगी। इसी सिलसिले में जब हमारे दोस्त मिस्टर शुक्ल तक़रीर कर रहे थे तो उन्होंने दो तीन बातें इस सिलसिले में बयान की थीं। उनका जवाब देना मैं ज़रूर चाहूँगा। एक चीज़ उन्होंने यह बयान की कि एक ही क़िस्म की बातें अपोज़ीशन (विरोधीदल) की तरफ़ से बराबर कही जाती हैं। वही अल्फ़ाज़ हैं जो अपोज़ीशन के मेम्बरान घुमा फिरा कर दोहराते हैं। इस के मुताल्लिक मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और आज फिर शुक्ल जी के जवाब में अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई चीज़ काले रंग की होगी तो वह गोरी नहीं कही जायगी। वह काली ही कही जायगी। लिहाजा जब आप का तरीक़ेकार ग़लत है तो मेम्बरान अपोज़ीशन के पास इसके सिवा कोई चारेकार नहीं है कि जब कभी भी आप ग़लतियाँ करें तो उनको ग़लत कहा जाय। अगर आप आये दिन ग़लतियां करें, तो आपकी ग़लतकारियों का बयान करने के लिये रोज़ ब रोज़ नये नये अल्फाज़ कहां से क्वायन किये जा सकते हैं। दूसरी बात जो मेरे लायक़ दोस्त शुक्ल जी ने बयान की वह यह थी कि यह गाँव-समाज और गाँव-सभाएं जिनकी हिमायत में अपोज़ीशन इस क़दर ज़ोरशोर के साथ हिस्सा ले रहा है, उन्होंने गांव में कोई ऐसी इस्लाही चीज़, कोई तरक़्क़ी की जिससे गांव वालों को फ़ायदा या नफ़ा पहुँचा हो। मैं जवाबन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बस इसी पर फ़ैसला रहने दीजिये। गवर्नमेंट खुद हर गांव में इस क़िस्म की फेहरिस्तें तैयार करवा ले कि क्या-क्या इस्लाहात ज़मींदारान की जानिब से हुए। और जो जो तरक़्क़ियां ज़मींदारान ने की हैं उनका मुआविज़ा इस बिल में रख दीजिये। इससे कम से कम अपोज़ीशन के मेम्बरान तो मुतमईन हो जायंगे। मेरे लायक़ दोस्त ने अपनी दौराने तक़रीर में एक जगह पर यह भी कहा कि अगर भृगु भी सम-

भाने आएं तब भी उनकी समझ में नहीं आएगा। मैं यक़ीन दिलाता हूँ कि ऐसी फ़िज़ूल बातों को तय करने के लिए वह कभी भी नहीं आएंगे। इस किस्म का अन्याय और गलत बातें तय करने के लिए भृगु जी कभी तकलीफ़ नहीं फ़रमाएंगे। यह तो हमारे आप के दरमियान गुफ्तगू करने की चीज़ें हैं। लिहाज़ा हमें और आप को ईमानदारी के साथ फ़ैसला करना है। मैं अपने आनरेबिल मिनिस्टर साहब से निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह दफ़ा निहायत डिसेप्टिव है। अगर कोई शख्स बिटवीन लाइंस इन चीजों को देखे, एक तरफ पंचायत राज ऐक्ट है और दूसरी तरफ यह दफ़ा है। आप के दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ है। मैं आपसे यह अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप गाँव-समाजों को अख्तियारात देना चाहते हैं तो यह हाफ़ हार्टेड पालिसी बिलकुल ग़लत है। आप उनके अन्दर कान्फीडेंस (विश्वास) रखिये, उनमें भरोसा पैदा कीजिये अपनी तरफ़ से और उनके भरोसे को हासिल करने की कोशिश कीजिये। मुझे यक़ीन है कि आखिरकार यह जमाअत पूरी कामयाबी के साथ अपने फ़रायज़ मन्सबी को अंजाम देगी और अगर यही हाफ़ हार्टेड पालिसी गवर्नमेंट की रही तो फिर गवर्नमेंट को यह कहने का मौक़ा नहीं होगा कि उन्होंने अपने फ़र्ज़ को ठीक तरीक़े से अन्जाम नहीं दिया। मुझे अफ़सोस है कि आनरेबिल मिस्टर खेर, मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ इस वक़्त मौजूद नहीं हैं। मैं तो यह चाहता था कि जो तक़रीर मैं कर रहा हूँ वह उनके मुंह से होती और वह कहते कि जिस बिल को हमने पेश किया और जो नक़्शा पंचायत राज का हमने बनाया था उसको आनरेबिल मिनिस्टर रेविन्यू ऐसे क्लाजों के ज़रिये से पामाल कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पर फिर ग़ौर कर सकते हैं और चूंकि चरणसिंह जी ने एक जगह फ़रमा दिया है कि हम इस बिल का एक कामा और एक फुलस्टाफ भी नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा, लेकिन कहीं आप भी उनकी बातों में आकर ऐसी ज़िद पकड़ लें कि यह कान्सिस्टेन्सी एक प्रावर्बियल कॉंसिस्टेंसी होकर रह जाय। मेरे ख्याल में तो यह सही तरीक़ा नहीं है। आपको मसले को आन मेरिट्स देखना चाहिये कि चीज़ कैसी है अगर आप यह देखें कि इस से जनता को, और उन लोगों को जिनका इस क़ानून से ताल्लुक़ है तकलीफ़ पहुँचती है तो उस पर ठंडे दिल से ग़ौर करें। उन लोगों के लिये यह ग़लत रास्ता है जो आपने अख्तियार किया है तो बिला शुबहा आपका यह फ़र्ज़ हो जाता है कि बहैसियत ज़िम्मेदार मिनिस्टर होने के इस चीज़ को वापस लें। मुझे ताज्जुब है कि आपकी पार्टी के एक कान्सेन्शस मेम्बर ने एक बहुत माकूल तजवीज़ पेश की थी।

एक सदस्य— उन्हें इसका अफ़सोस नहीं है।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ—यह और भी ताज्जुब की बात है कि महज़ पार्टी डिसिप्लिन ने उनके क़ूवते तमीज़ी को इतना कुन्द कर दिया है

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

कि उन्हें गलत बात हो जाने का अफसोस भी नहीं होता, वरना मैं देखता हूँ कि जब से जमींदारी अबालीशन बिल जेरे बहस है, बहुत कम ट्रेजरी बेंचेज के मेम्बर साहबान हाउस में नहीं बैठते। उनकी अदम मौजूदगी दो बातों को जाहिर करती है कि या तो इस हाउस के अन्दर इस बिल की बहस के दौरान में ऐसी गलत बातें होती हैं, जिसे उनके दिल गवारा नहीं कर सकते और जिसकी वजह से वह मजबूर हैं कि लाबी के अन्दर बैठे रहें या फिर आनरेबिल मिनिस्टर साहब अपनी अक्सरियत के जोम में ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनकी तबियत गवारा नहीं करती है या वह यह समझते हैं कि यह चीज इतनी कमजोर है और वह डिसिप्लिन के अन्दर मजबूर हैं और वह ईमनदारी की चीज कह नहीं सकते। एक हिम्मतवर मेम्बर ने जुर्रत की और खड़े हुये और एक निहायत माकूल चीज पेश की लेकिन जब उन्होंने तुन्द और तेज निगाहें आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू की आँखों के सामने गरीब मेम्बर की निगाह कैसे होती और उसकी हैसियत क्या, वह थरथरा गये, काँप गये और कह दिया कि वापस लिये लेता हूँ। तो लेकिन वह तो हाउस की इजाजत से ही वापस हो सकता है, वह मजबूर रहे। मैं यह नहीं समझता कि वह न्यूट्रल (तटस्थ) क्यों हो गये। खैर मैं यह देख रहा था कि इस तमाम बिल के मुताल्लिक यह कहा गया था कि यह जमींदारी अबालीशन बिल वह चीज है जिससे उत्तर प्रदेश के हर प्राब्लम (समस्या) हल हो सकती है और उत्तर प्रदेश के इंसानों के निजात हासिल करने का यही तरीका है कि जमींदारी एबालिश हो जाय। लेकिन जब मैंने यह देखा कि एक्चुअली वह बिल जब जेरेबहस है तो ट्रेजरी बेंचेज के मैम्बरान को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिये मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि वह हकीकतन डिसिपलिन से मजबूर हैं कहते कुछ हैं लेकिन समझते कुछ दूसरी ही चीज हैं। इन अल्फाज के साथ मैं फिर आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से इसरार करूंगा कि वह अपनी जिद और इस राज हठ से बाज आयें और चीजों को वाक़यात की नजर और वाक़यात की रोशनी में देखकर अपनी राय क़ायम करें। चूंकि जो तरमीम पेश की गई थी वह नामंजूर हो गई इसलिये अब कोई दूसरा चारा नहीं है कि कम-से-कम आप यह मंजूर करें कि यह क्लाज इस क़ानून के अन्दर न रहे।

श्री अब्दुल बाक़ी—जनाबवाला, मैं यह अर्ज करने खड़ा हुआ हूँ कि दफ़ा १२० को कुल्लियतन निकाल देना चाहिये और मेरे पास इसकी बहुत माकूल वजह है जो मैं हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इसके पहले तरमीम पर दोनों तरफ़ के मैम्बरान बोले। बाज लोगों ने कहा कि उनको क़ानून से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है, बाज लोग जो क़ानून जानते थे उन्होंने भी इसमें जो नुक्ता था उसको नजरअंदाज कर दिया। हमारे मौर्य साहब ने तो यह एडमिट किया कि उसूलन यह आमदनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर के गाँव-सभा को नहीं दी जा सकती, सुल्तान आलम साहब ने बड़ी उम्मीद जाहिर की

और यह कहा कि इसी में खूबी मालूम होती है कि आमदनी का कुछ हिस्सा गाँव-समाज को दे दिया जाय। मगर मेरी हैरत यह है और मेरी दुश्वारी भी यह है कि अपने नुक़्तेनिगाह को दिमाग़ में कैसे उतार सकूं। अब मैं इस मंज़िल पर यह कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैं इस दफ़ा के मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूँ उसको सलामत के साथ कहूँ ताकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब या जो हज़रात इस पर तक़रीर करना चाहें वे मेरे नुक़्तेनिगाह को समझ सकें। इस बिल की दफ़ा ६ को पढ़ना जरूरी है, इसमें यह कहा गया है कि इस्टेट वेस्ट करेगी इस सूबे की सरकार में और ज़मींदार की मिल्कियत खत्म हो जायेगी। इसके यह माने हुये कि ज़मींदार की मिल्कियत जब खत्म होगी तो मिल्कियत इस सूबे की सरकार की होगी यह पहली बुनियादी और फ़ैंडामेंटल चीज़ है कि किसी चीज़ को मुन्तक़िल करने का, ट्रांसफर करने का, दूसरे को देने का, बिल करने का, मारगेज करने का सिर्फ़ उसको हक़ हासिल होता है जिसकी मिल्कियत हो जिसका इंटरेस्ट हो। जमींदार की मिल्कियत मुआविज़े के बाद खत्म हो जाती है और ज़मींदारी पर सूबे की सरकार की मिल्कियत पैदा होती है। इतना कहने के बाद शायद यह चीज़ अब बड़ी आसानी से समझ में आ जायेगी कि सूबे की सरकार को यह हक़ हासिल है कि जो मिल्कियत स्टेट में पैदा हुई है उसको या उसके किसी जुज़ को किसी बाडी में मुन्तक़िल कर दे। इसलिये जो कुछ दफ़ा ११८ और ११९ में कहा गया है कि चन्द चीज़ों को मिल्कियत मुन्तक़िल होकर के गाँव-समाज में वेस्ट (निहित) करेगी वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। दफ़ा ११८ और ११९ ने इस बात का फ़ैसला किया कि सूबे की सरकार अपनी मिलकियत से दस्तबरदार होती है और चंद बातों के मुताल्लिक़ वह अपनी मिलकियत गाँव-समाज के हक़ में मुन्तक़िल करती है। यहाँ तक तो यह अपनी जगह पर सही था। अब जो दुश्वारी पैदा होती है वह यह है और जहाँ तक मैंने कांग्रेस बेंचेज़ वालों की तक़रीर सुनी उससे यही मालूम होता है कि सब चाहते हैं कि आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर गाँव-समाज को दे देना चाहिये। आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने भी यह कहा कि रूल्स बनाते वक्त इसका लिहाज़ किया जायेगा गोया दबी ज़बान से वह भी कहते हैं कि वह मिलकियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मुंतक़िल हो जायेगी मगर फिर भी उसमें से कुछ न कुछ गाँव-समाज को पाने का हक़ हासिल होगा। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर का यह सजेस्चन कि रूल बनाते वक्त इसका लिहाज करेंगे। मेरे खयाल में क़ानूनन यह हक़ रूल कमेटी को हासिल नहीं है। जब मिलकियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मुन्तक़िल हो गई तो रूल कमेटी यह तय करे कि बावजूद इसके कि मिलकियत मुन्तक़िल हो गई गाँव-समाज को भी आमदनी में से कुछ जुज़ को हासिल करने का हक़ होता है। यह खिलाफ़ क़ानून होगा। इसकी मिसाल तो ऐसी ही होगी जैसे कि आम तौर पर देहात के लोग अपनी

[श्री अब्दुल बाक़ी]

जायदाद को हिबा कर देते हैं और जब अमल दरामद हो जाता है तो कहते हैं कि जायदाद हमारी है। अदालत कहती है कि तुमने तो हिबा कर दी, तुम्हारी जायदाद कैसी। जब सूबे की सरकार ९ चीजों के मुताल्लिक़ मिलकियत मुन्तक़िल कर चुकी गाँव-समाज के हक़ में तो फिर गाँव-समाज की मुस्तकिल मिलकियत पैदा हो गई अब जो क़ानूनी दुश्वारी पैदा होती है वह यह है कि दफ़ा १२० में यह है कि मिलकियत इंतक़ाल उस शख्स को हक़ हासिल होता है जो मालिक हो। सूबे की सरकार गाँव-समाज के हक़ में मुन्तक़िल कर चुकी है फिर १२० में यह प्राविजन करती है कि किसी वक्त भी सूबे की सरकार एलान कर सकती है कि गाँव-समाज में मिलकियत मुन्तक़िल हो गई अब वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में वेस्ट करेगी। मैं समझता हूँ कि यह ख़िलाफ़ क़ानून है। आप को हक़ हासिल नहीं इस मिलकियत का जो गाँव-समाज में वेस्ट करती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मुन्तक़िल करें गाँव-समाज कर सकती है वह मालिक है। जो मिलकियत उसके हक़ में मुंतक़िल हुई है जिससे वह मालिक मुस्तक़िल है वह किस के हक़ में मुन्तक़िल कर सकती है? क्या सूबे की सरकार कर सकती है? कभी नहीं। मेरी जेब में फाउन्टेन पेन है। क्या वह इसको बेच सकती है। उसको हक़ हासिल नहीं है। सूबे की सरकार की जब तक मिलकियत क़ायम थी उस वक्त तक हक़ रखती थी लेकिन ज्योंही वह दस्तबरदार हो गई और अपनी मिलकियत गाँव-समाज को मुन्तक़िल कर दी तो मुन्तक़िल करने का हक़ गाँव-समाज को होगा। मैं उस दश्वारी को महसूस करता हूँ जो दोनों तरफ़ के मेम्बरान पेश कर रहे थे कि हक़ जरूर मिलना चाहिये। इसका इलाज यह नहीं था। आप दफ़ा १२० में यह कहते कि— "shall be transferred to and be vasted in the District Board or any other authority. (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य अधिकारिकी को संक्रामिक हो जायँगे।) तरीका नहीं था बल्कि तरीका यह था कि हुकूमत को यानी सूबे की गवर्नमेंट को यह हक़ हासिल है। किसी मिलकियत के इंतजाम में दख़लन्दाज नहीं हैं। आप यह कर सकते थे कि जब मिलकियत मुन्तक़िल हो गई तो यह कहते कि दफ़ा ११८ और ११९ में इसका इंतजाम आप गाँव-समाज के हक़ में मुन्तक़िल करते हैं। यह जो अल्फ़ाज इस्तेमाल करते हैं कि दफ़ा ११८ और ११९ में गाँव-समाज में वेस्ट (निहित) करेगी। यह ग़लत है। इसके बाद आप यह नहीं कह सकते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हक़ में इस्तहक़ाक को आप मुन्तक़िल करते हैं। अगर आपकी यह ख्वाहिश है कि जो आमदनी है मेला वग़ैरह की उसमें से कुछ हिस्सा गाँव-समाज को मिलना चाहिये तो कोई ऐसी शक्ल नहीं है। पहले आप दफ़ा ११८ और ११९ को तरमीम कीजिये और यह कहिए कि मिलकियत सूबे की सरकार की रहेगी और गाँव-समाज के हक़ में

इंतज़ाम मुन्तक़िल करते हैं तब आप कह सकते हैं। दफ़ा १२० में जब आप इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मुन्तक़िल कर देंगे उस वक्त यह चीज़ हो सकती है। इसलिये इसमें अगर आप दफ़ा १२० को रखना चाहते हैं और यह भी करना चाहते हैं कि जो आमदनी हो उसका कुछ जुज़ गाँव-समाज को मिले तो निहायत आसानी के साथ कर सकते हैं। यह कहें कि गाँव-समाज का जो इंतज़ाम है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हक़ में मुंतक़िल होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हक़ में वेस्ट होने के अल्फ़ाज़ का जो आप प्रयोग कर रहे हैं बिलकुल ग़लत है। जब तक कि इस दफ़ा में दो लफ़्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर हो जाएगा वह राइट और वेस्ट करेगा, उस वक्त तक मैं आप से कहूँगा कि यह कानूनदानी के बिलकुल खिलाफ़ है और कानूनदानी का आप ख़ून करेंगे। अगर इन अल्फ़ाज़ वेस्ट और ट्रांसफर को हटा कर यह कहो कि मैनेजमेंट आप मुन्तक़िल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हक़ में या थर्ड पार्टी के हक़ में तब तो ठीक है। यह क़ानूनी वजह है जिसकी बिना पर मैं दफ़ा १२० के क़ायम रहने की मुख़ालिफ़त करता हूँ। इसके अलावा एक वजह और भी है गाँव-समाज में जो चीज़ आप मुन्तक़िल कर रहे हैं वह ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक़ है या नहीं है, दूसरे फ़ारेस्ट्स हैं, तीसरे ट्रीज़ हैं, चौथे पब्लिक वेल्स, पांचवें फ़िशरीज़ (मीनाशय) छठें हाट्स, बाज़ार और मेलाज़, सातवें टैक्स, पांड्स, प्राइवेट फेरिज़, वाटर चैनेल्स, पाथवेज़ और आबादी साइट्स हैं उनमें से फ़िशरीज़ (मीनाशय), ट्रीज़ और फारेस्ट्स यह बहुत अहम चीज़ें हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हक़ में मुन्तक़िल करना चाहते हैं वह हैं हाट, बाज़ार, प्राइवेट फेरिज़ और मेलाज़। सिर्फ एक वजह आनरेबिल मिनिस्टर ने बतलाई कि मेले बड़े-बड़े होते हैं इसलिये गाँव-समाज उनका इंतज़ाम नहीं कर सकेगा मगर उन्होंने कोई रोशनी हाट बाज़ार पर नहीं डाली। मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर यह अन्देशा है कि गाँव-समाज के हाथ में क़ूवत कमज़ोर होगी, वह इस बात को उठा नहीं सकेगा तो आप क्यों इन चीज़ों को गांव-समाज के हाथ में मुन्तक़िल करते हैं। अगर आप समझते हैं कि वह काफी मज़बूत है, इंतज़ाम कर सकता है तो आप को बजाय इसके कि हाट बाज़ार आप मुन्तक़िल करते, आप को मुन्तक़िल करना चाहिये था फ़ारेस्ट, फ़िशरीज़ (मीनाशय) और चैनेल्स क्यों कि यह बहुत अहम चीज़ें हैं, इनके इंतज़ाम में दुश्वारी होती है। मुझे तो बड़ा शुबहा मालूम होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुहकमा कोई नया नहीं है, काफी उम्र हो चुकी है और इसका तमाशा हर जिले में हम देखते हैं। लोगों की यह राय है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बड़ा अन्धेर है यह अन्धेर का मुहकमा है। अगर इस अन्धेर मुहकमे में इसे आप डाल देना चाहते हैं तो फिर सब अन्धेरा ही अन्धेरा हो जाएगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—फिर आपको कहीं उजाला भी दिखाई देता है?

श्री अब्दुल बाक़ी—मैं यह मानता हूँ कि आप शायद उजाले और अँधेरे दोनों में काम करते हैं।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य शायद यह भूल गये हैं कि मैं भी यहां बैठा हुआ हूँ।

श्री अब्दुल बाक़ी—इसमें जो इतनी अहम चीज है उसको नजरअन्दाज किया गया है आपको यह हक़ नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस चीज को वेस्ट करें। अगर करते भी हैं तो मैं यह कहूँगा अगर आपको अख्तियार देना है तो उनको पूरे अख्तियार दीजिये और अगर नहीं देना है तो मेरा क़ानूनी बुनियाद पर जो इख्तिलाफ है वह मैंने अर्ज कर दिया। मेरे खयाल में यह क़ानूनी अल्फ़ाज़ का प्रास्टीट्यूशन (दुरुपयोग) है। इस वक्त जो यह बिल बनाया गया है उसमें खास चीज को नजरअन्दाज कर दिया गया है। आप ने यह नहीं सोचा कि दफ़ा ६ में आपने क्या अल्फ़ाज इस्तेमाल कर दिये हैं, दफ़ा ११८ और ११९ में क्या अल्फ़ाज इस्तेमाल किये गये हैं, और उसके असरात क्या होंगे और जब दफ़ा १२० में यह अल्फ़ाज इस्तेमाल हुये तो आपने यह नहीं सोचा कि उसके नतायज क्या होंगे। इसलिये आपको जो सीधे सीधे अल्फ़ाज मिले उन्हीं को क्वोट कर दिया। इन अल्फ़ाज के साथ मैं इसकी मुख़ालिफ़त करता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि दफ़ा १२० को इस बिल का जुज न होने दिया जाय।

श्री राम शंकर लाल—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, धारा १२० अपनी जगह पर साफ़ है उसकी किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लायक़ दोस्त ने जो ऐतराज पेश किया इस वजह से मैंने यह समझा कि उसको साफ़ करूं। उनका कहना है कि जब हाट, बाजार वगैरा गांव-सभाओं में वेस्ट कर दिये जायेंगे तो फिर हमारे सूबे की सरकार को उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ट्रान्सफ़र करने का कोई अधिकार न होगा। दफ़ा ११८ को पढ़ने से साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह वेस्टिंग क्वालीफाइड होगा एब्सोल्यूट (अन्तिम) नहीं होगा। देखना यह है कि अगर किसी मेले, हाट या वाटर चैनेल का इंतजाम गांव-सभा नहीं कर सकती है तो उसका ठीक इंतजाम करने के लिये प्राविंशियल गवर्नमेंट उसे किसी को दे सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह कि उनके जिले के बोर्डस् अच्छे नहीं हैं वह उनको पसंद नहीं हैं। यह मसला तो इस वक्त जेरे बहस नहीं है क्योंकि उसमें यह दिया हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो बोर्डस् को अख्तियारात दे और चाहे तो और किसी अथारिटी को दे दे। बोर्डस् के मुताल्लिक़ उनका खयाल दुरुस्त नहीं है क्योंकि बहुत सी जगहों के बोर्डस् बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है उनके जिले की हालत कुछ अच्छी न हो। जेरे बहस मसला यह है कि अगर गांव-सभा अच्छी तरह से इंतजाम नहीं कर सकती है और वह चीज बहुत बड़ी

मालूम होती है, ऐसे मेले जो गांव-सभा की कैपेसिटी के बाहर हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जायगा इसलिये उनको जो डिफीकल्टी वेस्टिंग के बारे में थी वह इस बात से साफ हो जाती है कि वह वेस्टिंग क्वालीफाइड होगा दफा १२० के जरिये से प्राविंशियल गवर्नमेंट को यह पावर होगी कि वह उसको इन्तजाम के लिये किसी और बाडी को दे सके। दफा ११८ और १२० के पढ़ने से स्पष्ट हो जायगा कि वेस्टिंग (निहित करना) एबसोल्यूट नहीं है।

अब जहां तक कुछ आमदनी गांव-सभा को देने का सवाल है। गांव सभायें हमारी बनाई हुई हैं इसलिये गांव-सभायें वहां के मेले बाजार का इन्तजाम करेंगी। उनके जरिये से कुछ आमदनी होगी और उस आमदनी के जरिये से नेशन बिल्डिंग वर्क गांव में करेंगी। अगर गांव-सभा को हाट बाजार से कुछ आमदनी होती है और वह उसका इन्तजाम करते हैं तो फिर कुछ न कुछ उनको देना मुनासिब मालूम होता है नहीं तो फिर वह नेशन बिल्डिंग का जो वर्क होगा वह सफर करेगा यही वजह है कि हमारे मित्र श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी ने अपना संशोधन पेश किया था जिसकी बाबत मिनिस्टर साहब ने इतमिनान दिलाया है कि रूल्स बनाते वक्त वह इसका ख्याल रखेंगे कि कुछ हिस्सा आमदनी का गांव-सभा को दे दिया जाय। इस वास्ते मैं यह समझता हूँ कि यह १२० दफा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है और मुनासिब है। हर क़ानूनी नुक्ते निगाह से भी सही है। हरएक प्वाइन्ट से दुरुस्त है। इसलिये मैं इस दफा की ताइद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भवन इसको मंजूर करेगा।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं इस तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ जो इस सदन में इसलिये पेश की गई है कि दफा १२० निकाल दी जाय। मुझे अफसोस है कि मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी पड़ गया जब कि मिनिस्टर साहब ने न तो मेरी बात को और न अपनी पार्टी के एक मेम्बर की तरमीम को मंजूर किया उस तरमीम के सपोर्ट में सौर्य साहब ने भी एक लम्बी चौड़ी तकरीर फरमाई थी और कहा था कि गांव वालों का रुपया गांव वालों पर ही सर्फ किया जाय। इसकी बाबत गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि जब रूल्स बनाये जायेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि कुछ आमदनी गांव वालों को दे दें। गवर्नमेंट रूल्स में रूल करना चाहती है बजाय इसके कि वह इस सदन की राय माने। सरकार अपने रूल्स बना कर अपने अख्तियारात से गांव वालों को फायदा पहुँचाना चाहती है और यह अहसान करना चाहती है कि इस सदन ने कुछ नहीं किया और हमने ही तुम्हारे साथ यह रियायत की है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो आमदनी है वह एलास्टिक है। वह मुख्तलिफ जरिये से उसकी आमदनी है। उसकी ताईद मेरे दोस्त सौर्य साहब ने की है। इसमें लिखा हुआ है कि—

[श्री ऐजाज रसूल]

"All markets and fairs or such portion thereof as are held upon public land shall be managed and regulrated by the Gaon Panchayat and the Gaon Sabha shall receive to the credit of the Gaon Fund all dues levied or imposed in respect thereof."

(सारे बाजारों या मेलों या उनके ऐसे भाग का जो सरकारी भूमि पर लगते हों प्रबन्ध और नियंत्रण गाँव-पंचायत करेगी, और गाँव-सभा गाँव-कोष (फण्ड के नाम में इन बाजारों और मेलों के सम्बन्ध में नियत या लगाये हुये कुल महसूल वसूल करेगी।) तो मैं यह कहना चहता हूँ कि यह गाँव-पंचायत राज ऐक्ट सन् ४७ में पास हुआ था जब तक कि यह ऐक्ट लागू रहेगा उस वक्त तक यह दफ़ा १२० जो है वह उसके कन्ट्राडिक्ट (विरोधी) है। यह इस ऐक्ट में लिखा हुआ है कि यह अमेंडमेंट गाँव-पंचायत राज ऐक्ट में लाया जाएगा और दफ़ा १२२ में गाँव-पंचायत के सिलसिले में १२६ दफ़ा के मुताबिक कमेटी बनाई जायगी इन गाँवों का इन्तजाम करने के लिये। लिहाजा आप इन गाँवों को असल बाडी मानते हैं जो इस ऐक्ट के अन्दर क़ायम हो चुकी है तो अब इस ऐक्ट के कन्ट्रैडिक्शन (प्रतिवाद) से यह दफ़ा कैसे लीगल (क़ानूनी) या जायज हो सकती है। मैंने अभी पढ़ा उसमें साफ लिखा है कि वह उसको मैनेज करेंगे। दूसरा तमाशा यह है कि यह भी इमकान है कि आप किसी जानने वाले दोस्त को दे दें कि लो तुमको बटेश्वर के मेले का इंतजाम दिया जाता है। आपको तो चाहिये था कि आप गाँव-पंचायतों की मदद करते; आप एक अफ़सर उनको दे सकते थे या एक कमेटी उसके लिये बना दें। इस तरह से ४ मेलों की बिना पर जिनका कि अभी जिक्र किया गया यानी बटेश्वर मानकपुर या बलिया में जो होते हैं यह दफ़ा बनाई गई है। आप इनको एक्सेपशन (अपवाद) में ला सकते थे। हर जिले में हजारों बाजार लगते हैं आप तो उन सबको लिये लेते हैं। यह तरमीम इसलिये पेश की गई है कि अगर आप किसी बाजार वग़ैरा को लें तो पहले उस पंचायत से जवाब तलब करें और गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट एवान के सामने बगरज इत्तला रखे और गवर्नमेंट पब्लिक ओपीनियन (सम्मति) का खयाल रखे और अगर ऐसा कोई गलत सलत आर्डर निकल गया तो एवान को भी मालूम होना चहिये। आपने इस तरमीम को भी अभी नहीं माना है। दूसरे आपने त्रिपाठी जी की तरमीम को भी नहीं माना है हालाँकि मिनिस्टर साहब ने कुछ हमदर्दी जरूर फरमाई थी और कहा था कि वह जायज है और जब हम रूल बनायेंगे उसका खयाल रक्खेंगे।

(इस समय १० बज कर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अस्थायी सभापति समिति के एक सदस्य, श्री अलगू राय शास्त्री ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

यह तो एक बेहतरी की बात थी और इसको आपको फौरन मान लेना चाहिये था और कोई वजह नहीं मालूम होती कि किस वजह से आप ने उसको मंजूर नहीं फरमाया।

तीसरी बात यह है कि अगर आप पंचायत-राज ऐक्ट में फन्कशन देखें तो आपने क़रीब-क़रीब वही फन्कशन रखे हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं। इस तरह से डुपलीकेशन मशीनरी की जरूरत नहीं मालूम होती आपको तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म करके पंचायतों को क़ायम रखना चाहिये। जैसा कि अभी बाकी साहब ने फरमाया कि जब आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वह सब मुन्तकिले कर देंगे तो आप उस फंड से कन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं या नहीं इस पर बाकी साहब ने काफी रोशनी डाली है उस पर भी आपको गौर करना चाहिये।

अदील अब्बासी साहब देहात से वास्ता नहीं रखते लिहाजा वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ही तमाम रुपया लगा देना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत से तमाम लोग वाकिफ हैं। आप उनको चाहे जितना रुपया दे दीजिये वह सब खर्च हो जायगा और किसी जायज या मुनासिब काम पर सर्फ न होगा बल्कि देहातों में उसमें से एक पैसा भी सर्फ न होगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर ही रही है तो वह काफी अच्छे रूल्स बना दे और कायदा बना दे कि गाँव-पंचायत को जहाँ मेले लगते हैं एक मुकर्रर परसेन्टेज मिल जाया करे। कास्ट आफ मैनेजमेंट को निकालने के बाद। मुझे अफसोस है कि मैं इस दफ़ा १२० की मुख़ालफत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह ऐवान इस दफ़ा को इस बिल से निकाल देगा।

श्री साजिद हुसैन—माननीय सभापति जी, इस दफ़ा के सिलसिले में एक बड़ा सवाल पेश आ गया है। वह यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और उसका इन्तजाम। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गाँव-समाज या गांव-सभा से बेहतर माना गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हमारा पिछला तजुर्बा क्या है। कौन ऐसा सदस्य इस भवन का है जिसको यह नहीं मालूम है कि रोज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़कें निकाली जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनका इन्तजाम नहीं कर सकता। जो कुछ भी सड़कें उनके पास हैं उनका भी इन्तजाम उसके लिये मुश्किल होता जाता है। रोज ब रोज लोगों की यह कोशिश रहती है कि सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से निकल कर पी० डब्लू० डी० में आ जायं। और चीजें भी जो उनके मुताल्लिक़ हैं उनके भी इन्तजाम की यही हालत है दरअस्ल मैं नहीं चाहता था कि पोल को खोलूं मगर मजबूरन ऐसा करना पड़ा। कम से कम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बदनाम इन्तजाम अगर रहा है तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। कोई इन्तजाम वहाँ का सही नहीं है। मेलों को आप देखिये कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले क्या करते हैं। मुझे जाती तजुर्बा है। गोला गोकरननाथ का चैती के मेले का इन्तजाम

[श्री साजिद हुसैन]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में था। वहाँ की बदतरीन हालत थी। कोशिश उनकी यही होती थी कि जिस तरह से पाओ रुपया खींच लो। कोई भी मेडिकल एड का सवाल है, ऐमिनिटीज का सवाल है, हाइजीन का सवाल है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं था। वह सरकारी या सूबे की और अथारिटीज से ज्यादा से ज्यादा कह देते थे कि सफाई वगैरह का इन्तजाम आप कीजिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी क़तई कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे सिवाय इसके कि रोज उनको यह फिक्र होती थी कि किसी तरह से उनकी आमदनी बढ़े। तो जिस बाडी की यह हालत हो, उसको आप बेहतर मानें। इससे तो अगर आप यह कहते कि खुद सरकार इसको अपने इन्तजाम में ले लेगी आमदनी वगैरह का मसला बाद में तय हो जाता या कोई और अफसर डेप्यूट कर देंगे, तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नाम आजाना मेरे ख्याल में उचित नहीं है जबकि हम लोगों को यहाँ के रहने वालों का रोजमर्रा का यह तजुर्बा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इन्तजाम बदतरीन है। रोज यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अंग्रेजों को यह कहने का मौका दिया करता था कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की यह हालत है तो आप सेल्फ गवर्नमेंट कैसे मांगते हैं। यह वह बाडी है जिसमें दुनियाँ भर का करप्शन और निपोटिज्म भरा पड़ा है। ऐसी बाडी के सुपुर्द आप उन आदमियों से छीन कर इन्तजाम दे रहे हैं जिनके बारे में आप खुद दावेदार इसके हैं कि देहात के लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं ज्यादा अच्छे होते हैं। अब मेरे ख्याल में जो कुछ ज्यादा से ज्यादा आपका मतलब होगा वह यह कि देहात के हाथ में कोई पावर न दें। दूसरा मतलब सरकार का यह हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चूंकि सरकार का ज्यादा हाथ है लिहाजा सरकार का उस तरह से भी हाथ रहेगा। दिखाने के लिये तो यह है कि लोकल मामला है सरकार इसमें पड़ती नहीं है इसमें दखल अन्दाज नहीं होना चाहती है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप रोज ब रोज पावर को देहातों के सुपुर्द करें वह जो रेज़ोल्यूशन का उसूल है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीयकरण) किया जाय, आप बिल्कुल उसके उल्टे जा रहे हैं। आप दावा करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं मगर जब कोई मिसाल आपको उस गलत रास्ते की दिखला दी जाती है तो उससे आप चिढ़ जाते हैं। सरकार को यह मंजूर नहीं है कि उसकी कोई ऐसी बात पकड़ ली जाय जिससे उसका असली मक़सद जाहिर हो जाय और उसकी नीयत का हाल मालूम हो जाय एक वक्त उन्होंने जरूरी समझा कि पंचायत राज्य ऐक्ट पास कराया और उसके बाद वे बार बार अपने आपको मुबारकबाद देते रहे मगर अब वह यह नहीं कहते कि उसी पंचायत राज्य ऐक्ट को बगली घूंसा देकर सरकार खत्म करना चाहती है। जो चीज आप उसको उस ऐक्ट के जरिये दे चुके हैं उसे इस धारा के जरिये ले रहे हैं। यह कहां का तरीका है? सिवाय इसके कि यह कहा

जाय कि पार्टी प्रोपेगैण्डा के वास्ते आप यह सब कुछ कर रहे हैं, इसका और कोई मक़सद नहीं है। पहले तो सरकार को ख़याल यह था कि पंचायतों में उन्हीं की पार्टी के ज्यादा आदमी आकर उनका ही कब्ज़ा रहेगा मगर उनका यह ख़याल ग़लत साबित हुआ और उनको काफ़ी नीचा देखना पड़ा। गैर पार्टी के लोग अकसर पावर में आ गये। लिहाज़ा अब सरकार की ज़हनियत यह हो गई है कि वह रफ्ता-रफ्ता पंचायतों की पावर कम करना चाहती है। सरकार के दिल में एक किस्म की ना उम्मीदी पैदा हो गई है जिसकी वजह से वह यह काम कर रही है। हमें याद है कि एक ज़माना वह था कि जब पंचायत राज्य ऐक्ट पर विचार हो रहा था और नैनीताल की ठंढी हवा में बड़े जोश के साथ सेशन हो रहा था और अब उसका कोई ज़िक्र नहीं है और आप दूसरे क़ानूनों से उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर बराहेरास्त ऐसा नहीं कर सकते तो इधर उधर के ऐक्टों के ज़रिये से आप गांव वालों के अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं। अगर पंचायतों के नेता सरकार की पार्टी के ही होते तो ठीक था मगर चूंकि अब दूसरी पार्टी के लोग पावर में हैं तो सरकार उनकी पावर्स डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देना चाहती है वह समझती है कि वहां तो उनका ज़ोर है ही इस लिये उन्हीं को गांव वालों की पावर्स दे दी जायं। अब यह तो मुश्किल है कि आप इस ऐक्ट को रिपील कर दें भले ही पंचायतों के ऊपर आपका क़ब्ज़ा न हो सका हो मगर जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आपके हाथ से निकल जावेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस वक्त एक फ़ासिस्ट हुकूमत का नक्शा पेश करेंगे? सदन को देखना चाहिये कि हमारी सरकार की क्या ज़हनियत होती जा रही है। मगर अफ़सोस तो यह है कि पार्टी के लोग बेचारे बहुत से जज़बात दिल में रखते हैं और कहना चाहते हैं मगर उनको हुक्म नहीं होता कि वे कुछ कह सकें। बहरहाल, मैं तो ऐसी सूरत में सदन के बाहर ही रहना ज्यादा पसंद करता। यह मुनासिब नहीं है कि आप किसी को उसकी कांशेंस के ख़िलाफ़ चुप कर दें और वह चुप बैठा रहे। यह वाक़ई बड़े अफ़सोस की बात है।

अस्थायी सभापति—मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जो कुछ वह फ़रमा रहे हैं उसका मौजूदा संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री साजिद हुसैन—मेरे कहने का मकसद यह था सभापति जी कि यह जो कुछ भी हो रहा है यानी गाँव से पर निकाल करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले करना यह एक हवा है और एक सूरत है जिसकी वजह से यह किया जा रहा है। जब तक यह ख़याल था सरकार का कि गाँव हमारे क़ब्ज़े में आ जायँगे पंचायत राज्य ऐक्ट के ज़रिये उस वक्त तक तो सरकार में बड़ा जोश था कि जो कुछ भी हो लेकिन पावर दे दी जाय, यहाँ तक

[श्री साजिद हुसैन]

कि अगर कलेजा निकाल करके दे दिया जाय तो सरकार खुश हो जाती। मगर जब देखा कि चुनाव का नतीजा बिलकुल उलटा हुआ या कमसे कम जो उम्मीदें थीं वह पूरी नहीं हुईं तब अब सरकार उसकी तरफ से बददिल हो गयी है। अब उसमें वह खूबियाँ नहीं रहीं है जो वह समझते थे। मैं यह कह रहा हूँ कि अब जहनियत यह है कि एक जमाने में जिसे वह पावर दे रहे थे उससे वह पावर निकाल करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के ऊपर सरकार का असर है, मगर जिस वक्त यह असर कम हो जायगा, उस वक्त उससे भी पावर निकाली जायगी। इस तरीके से जो उनकी पालिसी है सेंट्रलाइज करने की, वह चीज फिर उसके पास आ जायेगी। वह जमाना दूर नहीं है जब यह चीज हमारे सामने आयेगी। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार खुद अपने पुराने तरीक़ों को देखते हुए और अपनी नेकनामी का खयाल करते हुये इस चीज को मंजूर करेगी कि यह क्लाज उसकी बदनामी का बायस है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, हस्ब दस्तूर मैंने अपने माननीय सदस्यों को जो कि इस धारा के विरोध में बोल चुके हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। बार-बार वही बातें कही गईं जो कि इस धारा के मुतफर्रिक संशोधनों के सम्बन्ध में कही गयीं। मेरे दोस्त बाकी साहब ने भी कोई बात बाकी नहीं रखी। क़ानूनी एतराज उन्होंने पेश किया कि धारा ११८ और धारा ११९ के बाद मौजूदा धारा १२० अल्ट्रावायर्स (अधिकार क्षेत्र से बाहर) है या इसका कानूनन कोई असर नहीं हो सकता। उनकी बहस यह थी कि धारा ११८ में जब हाट बाजार गाँव-समाज में वेस्ट होंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरा के हक़ में मुन्तकिल करने का जो निर्देश धारा १२० में रखा गया है वह कानूनन नाकिस है। मैं उनकी राय से इत्तिफाक नहीं करता। धारा ११८ और धारा ११९ का हवाला देते हुये धारा १२० रखी गयी है। धारा १२० में यह कहा गया है कि धारा ११८ और धारा ११९ के बावजूद भी प्राविन्शियल सरकार को यह अख्तियार होगा कि हाट बाजार अगर मुनासिब समझें तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दीगर अथारिटीज के हक़ में मुन्तकिल करे और वह उनकी देख-भाल और इंतजाम करें। लिहाजा मेरी नाकिस राय में धारा ११८ और धारा ११९ मातहत धारा १२० के होंगी। जो कुछ असरात ११८ और ११९ के हैं वह धारा १२० के प्राविजन से कंट्रोल होंगे। कानून का यह साधारण नियम है कि जनरल प्राविजन से, पर्टीकुलर प्राविजन जो बाद में आता है, कंट्रोल होता है। लिहाजा १२० में कोई कानूनी त्रुटि नहीं हैं। नवाब जमशेद अली खाँ साहब यहाँ इस वक्त मौजूदा नहीं है। उनकी तरफ से कौन सुनेगा मैं कह नहीं सकता। उन्होंने फरमाया कि यह धारा १२० रख कर रेवेन्यू मिनिस्टर ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

के हुकूक पर आघात किया है। लिहाजा उनका यह कहना था कि अगर श्री खेर यहाँ मौजूद होते तो इस धारा पर तकरीर करते और इसकी मुखालिफत करते नवाब साहब भूल गये कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त-उत्तरदायित्व) है। जो बिल यहाँ आते हैं पहले कैबिनेट में आते हैं और कैबिनेट के सदस्य उस पर गौर करते हैं। जब उनकी अनुमति मिल जाती है तब वह यहाँ आते हैं। लिहाजा वह गलतफहमी में थे। दफा १२० खेर भाई की अनुमति से ही रखी गई है लिहाजा उनकी दुहाई खींचना उनके लिये नामुनासिब बात थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं क्या करूँ हमारे भाई चरण सिंह ने अकसर जमींदारी अबालिशन बिल के सिलसिले में उन्होंने काम किया। अक्सर उनको बोलने की भी जरूरत होती है। उनकी हर बात की यहाँ दुहाई दी जाती है। चरण सिंह ने यह कहा। चरणसिंह ने वह कहा। उनके मुताल्लिक़ शिकायत यह है कि उन्होंने यह कहा कि इस में कामा और फुलिस्टाप तक नहीं बदलेगा। लेकिन जहां मुनासिब समझा गया वहां बदला गया। सिर्फ कामा फुलिस्टाप ही नहीं धारा की धारा बदली गयी। अपोजीशन की तरमीम भी मानी गयी। अब इसके बाद भी अगर हमारे माननीय सदस्य जो सामने बैठे हैं उसी बात का हवाला दें तो इससे उनका कोई मतलब हल नहीं हो सकता। अगर एक बेजा शिकायत, पब्लिक को धोखा देने के लिये अवाम के सामने जाहिर की जाती है तो इसका कोई भी असर नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ नवाब साहब ने सरकार को जोरदार शब्दों में एक चेतावनी भी दी कि सरकार गाँव-समाज का विश्वास प्राप्त करे। इसी में सरकार की भलाई है मैं उनको यक़ीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार को गांव-समाज का पूरा विश्वास प्राप्त है। सोते हुये को जगाना आसान है। लेकिन जगते हुए को जगाना नामुमकिन है। बुलन्दशहर, बरेली और बस्ती के चुनाओं के नतीजे देख लीजिये। कल तक आप को मालूम हो जायेगा। आप कहते रहिये, लेकिन सरकार को उनका पूरा विश्वास प्राप्त है जो कि चुनाओं के नतीजे से साबित होता है जिसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। हमारे मित्र भले ही मन के लड्डू खाएँ। लेकिन वाक़या यह है कि जनता सरकार के साथ है और सरकार जनता के साथ है। जमींदार रो रहे होंगे क्योंकि जमींदारी जा रही है। लेकिन साधारण जनता क्यों रोयेगी। उसका तो इसमें ही लाभ है। हमारे लायक दोस्त जमशेद अली खाँ ने कूवत तमीजो के बारे में कहा। बदन जितना मोटा होता है कूवत तमीजी उतनी ही मोटी हो जाती है और उसमें मामले को समझने में उतनी ही देर लगती है। जहाँ तक त्रिपाठी जी का ताल्लुक़ है वह दुबले पतले आदमी हैं, और बड़े समझदार आदमी हैं, उनमें कूवते तमीजी भी बहुत है और उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर अपनी तरमीम को मुनासिब बात समझ कर वापिस ले लिया और हमें ममनून और

मशकूर किया। जहाँ तक नवाब साजिदहुसैन का ताल्लुक है माननीय सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् से बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों न हों। मौजूदा बोर्ड का जो कांस्टीट्यूशन है उसमें गालबन आपका हाथ भी नहीं है लिहाजा नाराज होने की बात साफ है। मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि पुराने लोगों की जगह पर जो नये बोर्डस् बने हैं वह बहुत ठीक तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—क्वेश्चन (सन्देह है)।

माननीय श्री हुकुम सिंह—आप क्वेश्चन करते रहें मुझे यक़ीने कामिल है कि बोर्डस् बहुत ठीक तरीके से रन कर रहे हैं। हमारे बाक़ी साहब भी कहते हैं कि बोर्डस् का इन्तज़ाम अच्छा नहीं है। आजमगढ़ के बोर्ड के बारे में मैं जानता हूँ कि बाकी साहब के वक्त से जो बोर्ड इस वक्त वहां काम कर रहा है वह बहुत सुचारु रूप से काम कर रहा है और मुझे यक़ीने कामिल है कि वह बड़े खूबसूरती से काम कर रहा है। हमारे और माननीय मुखालिफ़ दोस्तों के लिये मुखालिफ़ और दोस्त, दोनों विरोधी चीज़ लेकिन दस्तूर यही है और यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, मैं क्या कहूँ। वे कहते हैं इस धारा १२० के ज़रिये से गाँव-समाज और गांव-पंचायत के हकूक पर धक्का पहुंचता है। गवर्नमेंट का यह ख्याल नहीं है हमारे राजा साजिद हुसैन साहब ने कहा कि पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस के लोग हैं। यह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि इस सूबे की सारी जनता सरकार के साथ है और एलेक्शन ने साफ़ साबित कर दिया कि जनता कांग्रेस के साथ है और सरकार के साथ है। गांव के लोगों ने एलेक्शन किया और अपनी अपनी पंचायतें बना कर तैयार किया। गवर्नमेंट ने उसमें दखल भी नहीं दिया। हमें किसी में तमीज़ करना नहीं है। हम जानते हैं कि सब हमारे साथ हैं और हम सबके साथ हैं। लिहाजा यह कहना कि सरकार उनके हकूक को खत्म करना चाहती है मैं कहता हूँ कि इसमें ज़रा भी तत्व नहीं है। यह बड़ी सीधी सादी दफ़ा है और अगर लोग समझने की कोशिश करें और पार्टीबन्दी के दृष्टि कोण से न देखें तो इसमें कोई नुक्स नहीं है बल्कि वह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि यह दफ़ा बिल्कुल माकूल है और जब तक ऐसी दफ़ा न हो तब तक इन्तज़ामी मामलात में बड़ी बड़ी दिक्कतें पहुंचने का एहतिमाल है। ज़मींदारों में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अक्लमंद, बड़े समझदार और बड़े बड़े क़ाबिल आदमी हैं और-बड़े बड़े क़ाबिल आदमियों को अपनी मुलाज़िमत में रखते थे लेकिन इन सब के होते हुये भी कोर्ट आफ़ वार्ड्स ऐक्ट रखा गया ताकि अगर कहीं बद-इन्तिज़ामी होतो उसका इन्तिज़ाम अपने हाथ में ले लिया जाय। हमारा नया गाँव-समाज जो बन रहा है या गाँव पंचायतें हैं जिनके बारे में आप जान बूझकर हमला करते रहे बनते वक्त और अब भी। और आपकी भावना जिसके खिलाफ़ है और दिल से उसका विरोध करते हैं चाहे ज़बान से उसकी

हामी भरते रहें। अगर वह शुरू से कोई इंतजाम, जानबूझ कर नहीं बल्कि किसी वजह से, उनके पास रिसोर्सेस कम होने की वजह से, जानकारी कम होने की वजह से, ठीक तरह से न कर सकें तो यह धारा जब निकाल दी जायेगी तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे कि बर्डपुर में वाटर वर्क्स है, एक चैनेल बनी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस वाटर वर्क्स को मेनटेन करना गाँव-समाज के इमकान के बाहर है, उसके रिसोर्सेस के बाहर है। आपको शक था कि "एनी अदर अथारिटी" के क्या मतलब है। मैं कहना चाहता हूँ कि "एनी अदर अथारिटी" से यह मतलब नहीं है कि किसी पार्टी के हाथ में दे दिया जायेगा। वह काम ऐसा है जिसको पी० डब्लू० डी० के अलावा कोई दूसरा, हम और आप, अंजाम नहीं दे सकते, उसका इंतजाम हम और आप नहीं कर सकते, इसलिये पी० डब्लू० डी० के हाथ में दे करके उसका इंतजाम सुचारु रूप से करने की कोशिश करेंगे। अगर यह धारा निकल जाती है और गाँव वाले कुछ नहीं कर सकते तो वह वाटर चैनेल दिन ब दिन खत्म होती जायेगी नतीजा यह होगा कि सूबे को नुक़सान होगा, गाँव वालों को नुकसान होगा और वह पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक़ बात नहीं होगी। जैसा कि हमारे अपोजीशन के माननीय सदस्य कोताह अंदेश हैं उसी तरह अगर कोताह अंदेशी से काम किया तो सारे सूबे का इंतजाम चौपट हो जाय।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—चौपट तो हो रहा है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—हाँ जमींदारी खत्म हो रही है, इन्तजाम तो बिलकुल ठीक हो रहा है मैं यह कहना चाहता हूँ कि दानिशमंदी इसमें है कि कोई भी क़ानून बनावें तो ऐसा बनावें कि उसमें कोई गुंजाइश न रहने पाये। इसलिये जहां हमारी गांव की पंचायतें नेकदिली से और साफ़ दिली से कोशिश करते हुये भी इंतजाम नहीं कर सकें, अपने रिसोर्सेस (आधार) के महदूद होने की वजह से तो ऐसी सूरत में धारा १२० का होना आवश्यक है। ऐसी सूरत में इस धारा की रू से माकूल इंतजाम हो सकेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह इतनी आवश्यक और इननोसेंट (सीधी) दफ़ा है कि इसका होना निहायत जरूरी है। मैं तो समझता हूँ कि बिला वजह इसमें इतना वक्त खत्म हुआ, सिर्फ़ इसलिये कि हमारे अपोजीशन के माननीय सदस्य जानते हैं कि इस चेप्टर के लिये तीन दिन हैं लिहाजा किसी तरह से तीन दिन पूरा करना है। अगर इस नुक्तेख्याल से माननीय सदस्य अपोज़ीशन के काम करना चाहते हैं तो उनको ही नुक़सान है। अगर इसमें से एक दिन बच जाता है तो जो आठवाँ इम्पार्टेंट चैप्टर है उसमें एक दिन का इज़ाफ़ा कर सकते हैं लेकिन आपतो ज़िंदगी भर में कोई सही बात नहीं करेंगे, हम बताते रहें, सुझाते रहें लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर हैं। हम भी मजबूर हैं, हम अपना काम तो करते ही

[माननीय श्री हुकुमसिंह]

रहेंगे, आपको बताते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे, चाहे आप माने या न माने इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस धारा को स्वीकार करे ।

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १२० इस विधेयक का अंश मानी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ ।)—

पक्ष में—४२

अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री
कृपाशंकर, श्री
खुशीराम, श्री
चरण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
मिजाजी लाल, श्री
रघुनाथ बिनायक धुलेकर, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राम नंदनसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम शंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
विजय नंद मिश्र, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
शिवकुमार पांडे, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सिंहासन सिंह, श्री
हुकुम सिंह माननीय, श्री

विपक्ष में—१०

अब्दुल बाक़ी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
प्रयाग नारायण, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
वीरेन्द्रशाह, श्री
साजिदहुसैन, श्री

धारा १२१

गांव पंचायत के कर्त्तव्य' कार्य और अधिकार।

१२१—गाँव-सभा के लिये और उसकी ओर से गाँव-पंचायत ऐसे कार्यों का सम्पादन करेगी, उसको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो इस विधान के या इस विधान के अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन अभ्यर्पित(assigned), दिये गये (conferred) या लगाये गये (imposed) हों।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन को कुछ परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूँ और वह इस प्रकार होगा—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा **१२१** की चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं पंक्तियों के शब्द "जो इस विधान के या इस विधान के अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन अभ्यर्पित (assigned) दिये गये (conferred) या लगाये गये (imposed) हों" निकाल दिये जायें और उनके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये —

"जो इस अधिनियम के या इस अधिनियम के आधीन बने हुये नियमों द्वारा या आधीन अभ्यर्पित (assigned) प्रदत्त (Conferred) या आरोपित (imposed) हों।"

इस संशोधन से शब्द योजना अच्छी हो जायेगी। मुझे उम्मीद है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, ग़ालिबन जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक़ है यह शाब्दिक है और जैसा कि हमारे मित्र श्री जैराम वमा ने कहा कि इससे शब्द योजना बेहतर हो जाती है। लिहाजा मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि धारा १२१ की चौथी, पाँचवीं, छठी और सातव पंक्तियों के शब्द "जो इस विधान के या इस विधान के अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन अभ्यर्पित (assigned) दिये गये (conferred) या लगाये गये (imposed) हों" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्न-लिखित रक्खा जाय —

"जो इस अधिनियम के या इस अधिनियम के आधीन बने हुये नियमों के द्वारा या आधीन अभ्यर्पित (assigned) प्रदत्त (conferred) या आरोपित (imposed) हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १२१ विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२२

भूमि-प्रबन्ध के लिये गाँव-पँचायत की समिति।

१२२—यूनाइटेड प्राविन्सेज़ पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए भी, उक्त ऐक्ट की धारा २९ के निर्देशों के अधीन प्रत्येक गांव-पंचायत आगे चल कर की गई व्यवस्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक मंडल (Circle) के लिये एक समिति (Committee) भूमि के प्रबन्ध और बंदोबस्त से सम्बन्ध रखने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिये, जो नियत किये जायँ, स्थापित करेगी।

स० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई०

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि धारा १२२ इस विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२३

समिति का संगठन

१२३—धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गांव-पंचायत के उस समय वाले ऐसे सब सदस्य होंगे, जो उस मंडल के हों, जिसके लिये समिति स्थापित की गई हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे सदस्यों की संख्या दस से कम हो, तो गाँव-सभा के ऐसे सदस्य, जो तत्सम्बन्धी मण्डल के हों, गाँव-समाज के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे, जिन्हें मिला कर समिति के सदस्यों की संख्या दस हो जाय।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १२३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १२३ रक्खी जाय—

"१२३-धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गाँव-पंचायत के उस समय वाले ऐसे ९ सदस्य होंगे जो उस मंडल के हों जिसके लिये समिति स्थापित की गयी हो और जो भूमिधर, सीरदार, आदिवासी या असामी हों। इन सदस्यों का चुनाव गाँव-समाज करेगा।"

(इसके बाद सदन ११ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन प्रातःकाल ७ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
६ जून, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

जिला	धन राशि जो खरीफ १३५७ फसली में देय थी	धन राशि जो ३१-३-५० तक वसूल हुई	धन राशि जो १-४-५० को बक़ाया थी।	
देहरादून	१,०७,६४२	१,०७,६४२	—	
सहारनपुर	८,७०,६६१	८,७०,६६१	—	
मुजफ़्फ़रनगर	१०,७१,२७०	९,८८,३९७	८२,८७३	
मेरठ	१८,२७,०५६	१७,४८,५९०	७८,४६६	
बुलन्दशहर	११,७६,१०३	११,७६,१०३	—	
अलीगढ़	१४,२३,५४३	१४,२०,४६२	३,०८१	
मथुरा	८,४६,६१७	८,४६,६१७	—	
आगरा	१०,७१,६१७	१०,६५,६४९	५,९६८	
मैनपुरी	७,५८,२६२	७,५८,२६२	—	
एटा	७,७३,५६१	७,७३,५६१	—	
बरेली	८,६४,५८३	७,५८,६९३	१,३५,८९०	
बिजनौर	१३,४४,३४२	७,०८,२८४	६,३६,०५८	
बदायूं	९,३५,६२०※	९,३१,२६२	—	※इसमें ४३४८ रु० छूट और माफ़ी की धनराशि शामिल है।
मुरादाबाद	१२,२५,४६२	१०,६९,५६४	१,५५,८९८	
शाहजहाँपुर	६,१५,८५८	५,३८,०४५	७७,८१३	
पीलीभीत	५,०२,७०७	३,८७,४०५	१,१५,३०२	
रामपुर	१९,८७,१७६	१९,४१,४७४	४५,७०२	
फर्रुखाबाद	६,७६,१३२	६,७६,१३२	—	
इटावा	६,७१,९२१	६,७१,९२१	—	
कानपुर	८,९९,३४६	८,९९,३४६	—	
फतेहपुर	६,३०,५८२	६,१९,३३४	११,२४८	
इलाहाबाद	१२,६०,५९४	१२,५५,८८८	४,७०६	
बाँदा	४,३१,६३०	४'३१,६३०	—	
हमीरपुर	५,४४,१६३	५,४४,१६३	—	
झाँसी	३,८३,८१७	३,८३,८१७	—	
जालौन	३,५७,४७६	३,५७,४७६	—	
बनारस	३,९६,५४३	३,४५,३०६	५१,२३७	

ज़िला	धनराशि जो ख़रीफ १३५७ फसली में देय थी	धनराशि जो ३१-३-५० तक वसूल हुई	धनराशि जो १-४-५० को बक़ाया थी।	
मिरज़ापुर	४,०६,७२५	३,६३,४१०	१३,३१५	
जौनपुर	७,०६,०४०	७,०६,०४०	—	
गाज़ीपुर	५,७३,८७१	५,५५,४६८	१८,३७३	
बलिया	४,२८,६४८*	२,५८,०७४	१,६६,०४८	*इसमें १८२६ रु० छूट और माफी की धनराशि शामिल है
गोरखपुर	८,२८,७३६	६,८७,५१४	१,४१,२२२	
बस्ती	१५,२७,३७३	६,०१,१०६	६,२६,२६४	
आज़मगढ़	१२,७६,६४१	११,२२,६१६	१,५६,७२२	
देवरिया	१०,६७,७०७	७,६२,६२४	२,७४,७८३	
नैनीताल	७०,:८६	५६,६८३	१०,७०३	
अलमोड़ा	१,५०,८०२	१,५०,८०२	—	
गढ़वाल	१,३६,७८२	१,३६,७८२	—	
टेहरी गढ़वाल	१,५८,२३७	१,५४,७६१	३,५४६	
लखनऊ	५,५४,०१२	५,२४,०८०	२६,६३२	
उन्नाव	७,७३,७३१	७,५१,०३६	२२,६६२	
राय बरेली	६,०६,६७७	६,०६,६७७	—	
सीतापुर	१०,०३,५४४*	६,४५,६२४	८,६६२	*इस में ४८६५८ रु० की छूट और माफ़ी को धनराशि शामिल है।
हरदोई	६,८८,६८८*	६.४६,२२३	—	*इसमें ३६७६५ रु० छूट और माफ़ी की धन-राशि शामिल है।
खेरी	६,४३,१०१	४,१०,३१४	२,३२,७८७	
फैज़ाबाद	८,६१,२०२	८,६१,२०२	—	
गोंडा	६,१३,१६६	८,७८,२१०	३४,६८६	
बहराइच	६,७३,१६५	६,८४,८७२	२,८८,२६३	
सुलतानपुर	८,२५,३३६	८,२५,३३६	—	
परतापगढ़	६,६०.६६३	६,६०,६६३	—	
बाराबंकी	१०,२६,१३३	१०,२६,१३३	—	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर)

		बोरिंग वाले कुएँ	ट्यूबवेल
(१)	दरखवास्तें जो आईं	१०३	३३
(२)	दरखवास्तें जो मंजूर हुईं	१०३	३३
(३)	कितनी जगह कुएं बनाने का काम शुरू हुआ	६४	१०
(४)	कितने कुएँ बन गये	६२	७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

१९४९ में अस्थायी सशस्त्र सूबेदारों की सूची

क्रम संख्या	नाम	जिला	उम्र	सर्विस का समय
१.	२.	३.	४.	५.
१.	मुहम्मद वली खाँ	आजमगढ़	३१	१२ वर्ष
२.	राजकुमार सिंह	एटा	२८	९ वर्ष
३.	तामेश्वर प्रसाद	गोरखपुर	३०	९ वर्ष
४	जगदीशचन्द्र सिंह	बहराइच	२५	६ वर्ष
५.	गुरदेव सिंह	लुधियाना	२५	७ वर्ष
६.	रामअधारसिंह	प्रतापगढ़	३२	१३ वर्ष
७.	मुहम्मद ईसा	इलाहाबाद	३१	१३ वर्ष
८.	आफ़ाक़ अहमद	बिजनौर	२८	११ वर्ष
९.	मुहम्मद नफीस	रायबरेली	३३	१४ वर्ष
१०.	योगेश्वरप्रसाद	गढ़वाल	३०	११ वर्ष
११.	रामलरेटेलाल	एटा	२९	९ वर्ष
१२.	गुरदियालसिंह	अम्बाला	३०	११ वर्ष
१३.	तहमीजुल हसन	आगरा	२८	८ वर्ष
१४.	रामधनीसिंह	बनारस	२९	९ वर्ष
१५.	भारतराम	गढ़वाल	३१	११ वर्ष
१६.	इन्दरबलीसिंह	बांदा	३०	९ वर्ष
१७.	चरनसिंह	होशियारपुर	३४	१४ वर्ष
१८.	शौकत अली खाँ	एटा	२९	११ वर्ष
१९.	इनेहसन	इलाहाबाद	३५	१६ वर्ष
२०.	मन्सासिंह सरगूहा	पंजाब	३४	१३ वर्ष
२१.	शफ़ीक़ मुहम्मद खाँ	फरुखाबाद	३१	१३ वर्ष
२२.	दलेलसिंह	मेरठ	२८	९ वर्ष
२३.	तिलोक सिंह	गढ़वाल	३१	१२ वर्ष
२४.	जुबार हुसेन	गाजीपुर	३०	१० वर्ष
२५.	विश्रामसिंह	गढ़वाल	३०	११ वर्ष
२६.	हकदाद खाँ	गाजीपुर	३०	१३ वर्ष
२७.	विशंभरदत्त	गढ़वाल	३९	२० वर्ष
२८.	जगन्नाथसिंह	गोरखपुर	३४	११ वर्ष
२९.	रामचरनसिंह	मेरठ	३०	१८ वर्ष

क्रम संख्या	नाम	ज़िला	उम्र	सरविस का समय
३०.	इनाम अली ख़ाँ (अ)	पंजाब	३६	१० वर्ष
३१.	बाग्र अली	रावलपिंडी	३६	१० वर्ष
३२.	ईश्वरसिंह (अ)	लुधियाना	३४	१५ वर्ष
३३.	हमीद उल्ला	एटा	४७	२८ वर्ष
३४.	कोकाराम (अ)	एटा	२७	९ वर्ष
३५.	राम जी मिश्रा	गोरखपुर	२६	७ वर्ष
३६.	हृदयराम	गढ़वाल	४८	३० वर्ष
३७.	घनश्याम	गढ़वाल	४२	२२ वर्ष
३८.	गोविंद सिंह	गढ़वाल	४८	१९ वर्ष
३९.	श्री चन्द्र	गढ़वाल	४७	३० वर्ष
४०.	आलमगीर बेग	बुलन्द शहर	४३	२६ वर्ष
४१.	नरायन सिंह	शाहजहाँपुर	४५	२५ वर्ष
४२.	अब्दुल हसीब	बदायूँ	२६	६ वर्ष
४३.	शिवगुलाम सिंह	बहराइच	३३	१३ वर्ष
४४.	अब्दुल मजीद	फैज़ाबाद	३३	१२ वर्ष
४५.	फ़र्सीह अहमद	लखनऊ	२९	९ वर्ष
४६.	उमराव सिंह (अ)	लखनऊ	३६	१९ वर्ष
४७.	अब्दुल रशीद	गाजीपुर	२६	६ वर्ष
४८.	मुहम्मद खलील (अ)	गोरखपुर	३५	१६ वर्ष
४९.	केदार सिंह	बलिया	४२	२२ वर्ष
५०.	मुहम्मद हुसेन	सुल्तानपुर	३४	१५ वर्ष
५१.	गौरीशंकर सिंह (अ)	बनारस	३४	८ वर्ष
५२.	उल्फ़त सिंह	बरेली	४०	२० वर्ष
५३.	सज्जादहुसैन	बलिया	२९	९ वर्ष
५४.	बदन सिंह (अ)	आगरा	४६	२९ वर्ष
५५.	रूप नरायन	हरदोई	३९	२० वर्ष
५६.	श्रीधर सिंह	गढ़वाल	३९	१९ वर्ष
५७.	बदन सिंह	मैनपुरी	४५	२६ वर्ष
५८.	सुखराज सिंह	गोरखपुर	५२	३२ वर्ष
५९.	हमीद उल्ला	बुलन्दशहर	४४	२३ वर्ष
६०.	मुहम्मद सुलेमान (अ)	सुलतानपुर	३२	१३ वर्ष
६१.	इनाम उल्ला ख़ाँ	हमीरपुर	२९	१० वर्ष
६२.	मुहम्मद शरीफ़	सुल्तानपुर	४२	२० वर्ष

क्रम संख्या	नाम	जिला	उम्र	सरविस का समय
६३.	सरदार दयाल सिंह	आगरा	३५	१६ वर्ष
६४.	रतन सिंह	मेरठ	३२	६ वर्ष
६५.	महमूद खाँ	आगरा	३७	१९ वर्ष
६६.	रामजी लाल	मथुरा	३१	१४ वर्ष
६७.	सरदार सिंह	बदायूँ	४३	२३ वर्ष
६८.	हरदेव सिंह	रायबरेली	४२	२२ वर्ष
६९.	शुजात अली	बाँदा	४१	२४ वर्ष
७०.	मुकुन्द राम	गढ़वाल	३९	२१ वर्ष
७१.	राम प्रसाद सिंह	जालौन	४१	१३ वर्ष
७२.	शिवराम सिंह	उन्नाव	४१	२२ वर्ष
७३.	जहीर उद्दीन	इलाहाबाद	४३	२३ वर्ष
७४.	टीका सिंह (अ)	शाहजहाँपुर	४२	२२ वर्ष
७५.	मोइन उद्दीन (अ)	मिर्जापुर	२३	१० वर्ष
७६.	अमीर हैदर	मुजफ्फर नगर	३८	१९ वर्ष
७७.	फजलुल रहमान	कानपुर	३५	१५ वर्ष
७८.	नजीर हुसैन	इलाहाबाद	२६	७ वर्ष
७९.	गंगा सिंह	बरेली	२५	७ वर्ष
८०.	मुहम्मद इब्राहीम	प्रतापगढ़	३७	१९ वर्ष
८१.	प्रहलाद प्रसाद	बाँदा	३७	१८ वर्ष

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०४ पर)

सूची अ

सूची उन लोगों की जिनके लैसंस १९४८ के उपरान्त रद्द किये गये।

नं०	लैसंस नं०	नाम लैसंसदार	नाम हथियार	लैसंस रद्द किये जाने की तारीख	हैसियत मालगुजारी या इन्कम टैक्स
१	१९३५	श्री श्यामलाल वल्द माधोराम साकिन हरहरपुर	डी.बी.एम.एल.गन	२६-४-४९	माल ६।१३
२	१९७१	श्री एवज़ खां वल्द रमज़ान खां और मुहम्मद जमां खां वल्द सरताज खां साकिन मलिकपुर।	डी.बी.बी.एल.गन	२६-४-४९	कोई मालगुज़ारी नहीं
३	२०२१	श्री सलामत उल्ला वल्द रुस्तम शेख साकिन मझपुरवा	डी.बी.एम.एल.गन	५-१-४९	... ...
४	२०६७	सैयद अनवर अहमद रिज़वी वल्द सैयद नूर अहमद साकिन समधिन।	डो.बी.बो.एल.गन	२६-४-४९	माल ३०२।८
५	२०७६	श्री मुशताक़ अहमद रिजवी वल्द अहमद हुसैन साकिन समधिन।	एस.बी.बी.एल.गन	२६-४-४९	कोई मालगुज़ारी नहीं
६	२१०१	श्री गुरदयाल सिंह वल्द मनोहर सिंह व बच्चूसिंह वल्द गुरदयाल सिंह साकिन दौलताबाद।	एस.पी.बी.एल.गन	५-१-४९	माल ४६।१९।६
७	२१०७	श्री झब्बूलाल दुबे रिटायर्ड नायक वल्द झम्मनलाल साकिन बिहटा।	डो.बी.बो.एल.गन	२६-४-४९	कोई मालगुज़ारी नहीं
८	२१२७	श्री इकबाल बहादुर वल्द कामताप्रसाद साकिन सोरिस।	... ...	५-१-४९	माल २७।६
९	२१२९	श्री फ़िरासत हुसैन वल्द याबिद हुसैन साकिन सोरिस।	डी.बी.बी.एल.गन	२६-४-४९	कोई मालगु०नहीं
१०	२१३२	श्री सीतारामसिंह वल्द ज्वालासिंह अहीर साकिन बीरपुर व रामदास वल्द सीताराम।	एस	५-१-४९	माल १६०।९।३
११	२१३९	श्री गोकरननाथ वल्द बुद्धसेन सब इंसपेक्टर पुलिस देबीपुर	डी.बी.बी.एल.	२६-४-४९	कोई मालगु०नहीं
१२	२१४१	श्री गोकुलसिंह वल्द बरजोरसिंह ठाकुर साकिन बिहटा	... ...	५-१-४९	माल ३२।९।८

सूची ब

सूची उन लोगों की जिनको लाइसेन्स १९४८ के उपरान्त दिये गये।

नं०	लैसंस नं०	नाम लैसंसदार	नाम हथियार	ता० दिए जाने लैसंस	हैसियत मालगुजारी या इन्कम टैक्स
१	१९९०	श्री केदार सिंह वल्द रामबरन सिंह साकिन हाथिन।	डी.बी.बी.एल.गन	५-१-४९	इन्कम टैक्स ३०००रु. से ज्यादा पर
२	१९८१	श्री प्रताप नरायन मिश्र वल्द रामाधीन मिश्र थाना आर्गेनाइजर थाना छिबरामऊ।	डी.बी.बी.एल.गन	१-६-४९	प्रांतीय रक्षा दल
३	१९९३	चौधरी सदानन्द वल्द चौधरी रघुबर दयाल साकिन विशुनगढ़	डी.बी.बी.एल.गन	२-८-४९	माल ३६३०
४	२०८०	पं० गजाधर लाल वल्द पं० परमेश्वरी दयाल सा० हेरारब्बू	एस.बी.बी.एल.गन	२२-३-४९	माल २६९।८
५	२०८१	श्री विशराम सिंह वल्द मुन्शी सिंह थाना आर्गेनाइजर गुरसहायगंज।	एस.बी.बी.एल.गन	२६-२-४९	प्रांतीय रक्षा दल
६	२०८४	श्री जगतसिंह वल्द श्री बचान सिंह साकिन मुडहा	डी.बी.बी.एल.गन	२०-१-४९	माल ३९६
७	२१४६	श्री गेंदाराम सौराष्ट्री वल्द ला० दुलीचन्द व श्री बाल कृष्ण सौराष्ट्री वल्द गेंदाराम	रिवाल्वर	६-८-४९	माल ११४३।१२
८	२३००।२८।१	श्री वासुदेव मिश्र सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी कानपुर २. श्री अयोध्या प्रसाद वल्द जमना प्रसाद ब्राह्मण साकिन बिहारीपुर थाना इन्द्रगढ़	डी.बी.बी.एल.गन	२९-४-४९	माल ४८।२।८
९	१९८२	इन्द्रजीत सिंह वल्द रघुबर सिंह साकिन गढ़या ऊखर मजरा नमरौली थाना तहसील छिबरामऊ।	डी.बी.बी.एल.गन	७-६-४९	माल २४९।१२
१० हिफाजत काश्त	५०५	श्री विश्वनाथ सिंह वल्द गोवरधन सिंह साकिन अलमापुर गहलोर थाना गुरसहाय गंज।	एस.बी.एम.एल.गन	३-५-४९	हिफाजत काश्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

बुधवार, ७ जून, सन् १९५० ई०

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में प्रातःकाल ७ बजे आरम्भ हुई।

—:o:—

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४०)

अब्दुलगनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्सार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुँजविहारी लाल शिवानी, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक्तराय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री

गंगा प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथदास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
नफीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निज़ामुद्दीन, श्री

परागी लाल, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बदनसिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीरअहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बाबूराम वर्मा, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुज़फ्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री

मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथविनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राघवदास, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिगराम जयसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

—:o:—

बुधवार, ७ जून, सन् १९५० ई०

—:o:—

तारांकित प्रश्न

—:o:—

३ अप्रैल, सन् १९५० ई० को बनारस सेण्ट्रल महिला जेल में अव्यवस्था

*१—**श्रीमती सज्जन देवी महनोत**—क्या ३ अप्रैल, सन् १९५० ई० को बनारस सेण्ट्रल महिला जेल में कुछ ऐसी घटनायें हुई जिनसे महिला जेल में अव्यवस्था फैली और जिसके फलस्वरूप जनता में असन्तोष फैल रहा है ?

माननीय श्री गिरधारीलाल (मादक कर मंत्री)—३ अप्रैल १९५० को बनारस सेण्ट्रल जेल के महिला सेक्शन में एक घटना हुई जिससे जेल में अव्यवस्था फैली।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख ३ को कम्युनिस्ट महिलाओं ने जेल में कोई लाल दिन मनाया था और क्या उसकी आज्ञा जेल अधिकारियों से ले ली थी ?

माननीय श्री गिरधारीलाल—जी हां, लाल दिन मनाया था। जेल अधिकारियों से कोई आज्ञा नहीं ली गई।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गड़बड़ के कारण जेल में लाठी चार्ज हुआ था ?

माननीय श्री गिरधारीलाल—जी हां।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो लाठी चार्ज हुआ था वह महिलाओं द्वारा हुआ था या पुलिस के सिपाहियों द्वारा ?

माननीय श्री गिरधारीलाल—दोनों में झगड़ा हुआ उसीमें लाठी चार्ज किया गया।

*२—**श्रीमती सज्जन देवी महनोत**—क्या यह सही है कि उक्त घटना की जांच करने के लिये स्थानीय एम० एल० ए० जेल में निरीक्षण के लिए गये और सुपरिण्टेण्डेण्ट ने महिला जेल को दिखाने तथा महिलाओं को मिलाने से इन्कार किया ?

माननीय श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धारा सभा के सदस्यों को जेल में जाने का अधिकार नहीं है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल—अधिकार है, लेकिन जिस वक्त नजरबंदी, भूख हड़ताल या स्ट्राइक होता है या जेल में किसी कारण से कोई गड़बड़ होती है तो जेल अधिकारी वहां जाने से मना कर सकता है ?

ज़िला मैनपुरी के करहल थाने के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायतें तथा मुक़दमें

*३—**श्री बदनसिंह** (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मैनपुरी के करहल थाने के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में कई प्रार्थना पत्र व शिकायतें जिले के अधिकारियों के पास भेजी गयी हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे शिकायत कृपा क्या हैं और सरकार ने उनपर क्या कार्यवाही की है ?

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) इन सभी शिकायतों में कहा गया था कि सब-इन्सपेक्टर ने कुछ लोगों को पीटा और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इन शिकायतों की जांच की गई और उनमें सचाई नहीं पाई गई।

*४—**श्री बदनसिंह** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह भी सच है कि उक्त सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कुछ मुकदमें अदालत में चल रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन मुकदमों का क्या रूप है ?

माननीय श्री लालबहादुर—(क) इस सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कुछ मुकदमें उन लोगों द्वारा लाये गये थे जिनके ख़िलाफ़ अपराध की रोक थाम करने के सिलसिले में सब-इन्सपेक्टर को कार्यवाही करनी पड़ी थी।

(ख) इन मुक़दमों में से एक को छोड़ कर सभी सबूत न होने की वजह से ख़ारिज कर दिये गये। एक मुक़दमें का फ़ैसला अभी नहीं हुआ है।

*५—श्री बदनसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह सब-इन्सपेक्टर उस थाने में कब से काम कर रहा है ?

माननीय श्री लालबहादुर—३ जनवरी, १९५० से।

* ६—८—श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

आगरा ज़िले के बरहन रजबहा में पानी की कमी

*९—**श्रीमती विद्यावती राठौर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि आगरा के ज़िले बरहन रजबहा में पानी की कमी थी और आख़िर तक पानी नहीं पहुंच रहा था, तब एक रिटायर्ड जज को ईंट पथाने को पानी दिया गया ?

श्री लताफ़त हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)—किसी भी रिटायर्ड जज को ईंटों की पथाई के लिये नहर का पानी लेने की आज्ञा नहीं दी गई।

*१०—**श्रीमती विद्यावती राठौर** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि ज़िला कांग्रेस कमेटी, आगरा ने कई बार एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर से किसानों को पानी न मिलने की शिकायत की ?

श्री लताफ़त हुसैन—पानी न मिलने की एक दो शिकायतें ज़िला कांग्रेस कमेटी आगरा की आई थीं जिन पर पूरा-पूरा ध्यान दिया गया।

राजनीतिक पीड़ितों को मुआविज़ा, पेन्शन आदि सम्बन्धी सहायता के लिये प्रमाणपत्र

*११—**श्रीमती विद्यावती राठौर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार राजनीतिक पीड़ितों को मुआविज़ा, पेन्शन आदि सम्बन्धी सहायता देने से पहले स्थानीय ज़िला कांग्रेस कमेटियों से उनके राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करती है ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)—ऐसे प्रार्थना-पत्रों की छानबीन ज़िलाधीश करते हैं और आवश्यकतानुसार स्थानीय ज़िला कांग्रेस कमेटियों से परामर्श करते हैं।

*१२—**श्रीमती विद्यावती राठौर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि आगरे के कम्यूनिस्ट नेता श्री रमेश वर्मा को सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के सिलसिले में ३,००० रुपये मुआविज़ा मिला है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ९-१३ श्रीमती लक्ष्मी देवी ने पूछे।

*१३—श्रीमती विद्यावती राठौर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि जिला कांग्रेस कमेटी आगरा ने अपनी २०-११-३६ की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके इसका विरोध किया कि बिला जिला कांग्रेस कमेटी को पूछे राजनीतिकों को मुआविजा व अन्य सहायता दी जाती है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

हरदोई जिले के जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के कार्य-काल में वृद्धि तथा उनका स्थायीकरण

*१४—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में किस-किस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कार्य-काल कितने-कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है ?

श्री चरण सिंह—१ अप्रैल, सन् १९५० ई० से हरदोई जिले के नीचे दिए हुए जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों का कार्य काल (टर्म) उनके आगे दिये हुये समय के लिये बढ़ा दिया गया है:—

१—श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा	...	१ साल के लिये।
२—श्री चिरंजी लाल	...	३ महीने के लिये।

*१५—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार हरदोई जिले की बावत एक नकशा मेज पर रक्खेगी जिससे पता चले कि—

(क) उनकी वहां कब-कब नियुक्ति हुई ?

(ख) उन्होंने अपने कार्य-काल में कितने-कितने मुकदमों का फैसला किया ?

(ग) उनके सम्बन्ध में जिलाधीश ने अलग-अलग क्या रिपोर्ट दी ?

(घ) उनके चरित्र विषयक नोटों में क्या-क्या लिखा है ?

श्री चरण सिंह—(क) श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा को २० जनवरी, सन् १९४९ से तथा श्री चिरंजी लाल को २४ जनवरी, सन् १९४९ ई० से हरदोई जिले में तैनात किया गया था।

(ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर दी जायगी।

(ग) व (घ) अफसरों के कार्य सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट गोप्य लेख पत्र हैं।

*१६—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कार्य-काल बढ़ाने में प्रत्येक की भिन्नता का क्या आधार है ?

श्री **चरण सिंह**—सरकार के पास रिपोर्ट आई थी जिनसे कई जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों तथा रेवेन्यू अफिसरों के काम खराब होने का पता चलता था। चरित्र विषयक रिपोर्टों की प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप उन सभी अफसरों का कार्यकाल (टर्म) जिनका काम असंतोषजनक समझा गया केवल तीन महीने के लिये ही बढ़ाया गया। इरादा यह था कि इस मध्यकाल में (अभिलेखों) रिकार्ड्स की भली भांति जांच की जाय और उन लोगों की नौकरी समाप्त कर दी जाय, जो अपने काम के आधार पर वास्तव में ३० जून से आगे नौकरी में कायम रहने के अयोग्य हों।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या किसी अधिकारी के सम्बन्ध में गोप्य लेख ही अन्तिम निर्णय का आधार माना जाता है?

श्री चरण सिंह—बहुत कुछ उनका असर पड़ता है। परन्तु अन्तिम निर्णय तो गवर्नमेंट ही करती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यदि गोप्य लेख निराधार हों तो सरकार के पास असलियत जानने का और कौन सा दूसरा तरीका है?

श्री चरण सिंह—सरकार दोबारा तहकीकात करा सकती है अगर सरकार के नोटिस में कोई ऐसी बात आवे और आफिसर्स से भी दरियाफ्त कर सकती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यदि दोबारा तहकीकात करने से कोई बात सरकार की नोटिस में आवे तो वह कौन सा साधन बरतती है?

श्री चरण सिंह—इसका कोई निश्चित साधन नहीं है, बहुत से जरिये हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या जो उच्चाधिकारी हैं, जो गोप्य लेख देते हैं उनके अतिरिक्त कोई और दूसरा अधिकारी ऐसी असलियत की जांच करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*१७—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या सरकार जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के पदों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

(ख) यदि हां, तो कितने तादाद में वे स्थायी बनाये जायेंगे?

(ग) बाकी के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होगी?

श्री चरण सिंह—(क) कुछ जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों को स्थायी करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है परन्तु अभी कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। जब तक योजना को अन्तिम रूप न दे दिया जायगा, सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अस्थाई सरकारी कर्मचारी रहेंगे।

सज़ा का कुछ हिस्सा भुगत लेने पर कैदियों की जेल से मुक्ति का नियम

*१८—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जेल में कोई ऐसा नियम है कि कुछ अपराधों में कैदी सजा का कुछ हिस्सा भुगत लेने पर जेल से मुक्त कर दिये जाते हैं?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस नियम की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी?

माननीय श्री गिरधारी लाल—(क) जी हां।

(ख) यह सब नियम जेल मैनुअल में दिये हुये हैं।

बनारस में विधान सभा के सदस्यों को जेल का निरीक्षण करने में असुविधायें

*१९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि जेलों के निरीक्षक निश्चित महीनों में ही जेल का निरीक्षण करें?

(ख) यदि नहीं, तो बनारस डिवीजन के कमिश्नर ने ऐसा सरकुलर क्यों जारी किया है?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि धारा सभाओं के सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत जेलों का निरीक्षण करना बहुत ही असुविधाजनक है?

माननीय श्री गिरधारीलाल—(क) जी नहीं।

(ख) जेल मैनुअल के पैरा ६७२ (घ) में यह नियम है कि प्रत्येक डिवीज़न का कमिश्नर गैर सरकारी जेल निरीक्षकों का एक रोस्टर बनाए और निरीक्षकों को उस रोस्टर के अनुसार जेल का निरीक्षण करने को आमंत्रित करे। इस नियम के अधीन बनारस के कमिश्नर ने भी एक रोस्टर बनाया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता, परन्तु कोई शिकायत असुविधा की किसी धारा सभा के सदस्य से सरकार के पास नहीं आई।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—धारा सभा के सदस्य चूंकि असेम्बली अधिवेशन में व्यस्त रहते हैं तो क्या सरकार यह मुनासिब उनके लिये समझती है कि इन नियमों में कोई परिवर्तन किया जा सके?

माननीय श्री गिरधारी लाल—वह बाद में भी जेल का निरीक्षण कर सकते हैं और इसके अलावा उनको वैसे भी अधिकार है।

*२०-२१—श्री खुशवक्त राय—[स्थगित किये गये ।]

राज्य से पाकिस्तान जाने वाले निष्क्रमणार्थियों के सम्बन्ध में पूछताछ

*२२—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—इस प्रान्त के हर जिले से जिला हेडक्वार्टर और बकिया जिले से १ जनवरी, सन् १९५० ई० से हर माह अब तक कितने मुसलमान और दीगर जाति के लोग पाकिस्तान गये ?

*२३—इसी दरमियान में हर माह किस-किस विभाग के किस-किस पद के लोगों ने, इस्तीफे दिये और उनमें से कितने मंजूर हुए और कितने लोग बगैर इस्तीफा दिये चले गये ?

*२४—क्या सरकार बतलायेगी कि इन लोगों के जाने के क्या कारण हैं ?

*२५—सरकार ने इन लोगों को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये ?

*२६—क्या सरकार बतलायेगी कि खास तरह से किस-किस किस्म के लोग जा रहे हैं ?

माननीय श्री लालबहादुर—इन प्रश्नों का उत्तर देना जनहित में उचित न होगा।

*२७-२८—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये ।]

*२९-३१—श्री फखरुल इस्लाम—[स्थगित किये गये ।]

जिला बहराइच के कुछ ताल्लुकेदारों पर राजस्व तथा कृषि आय कर का बकाया

*३२—श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)—३१ मार्च, सन् १९५० ई० तक प्राप्त होने वाले राजस्व तथा कृषि आय कर के सम्बन्ध में जिला बहराइच के किन-किन तल्लुकेदारों पर धनराशि के न मिलने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

माननीय श्री हुक्म सिंह (माल मंत्री)—कपूरथला रियासत ३१ मार्च, १९५० ई० तक लगभग ८$\frac{१}{४}$ लाख रुपया राजस्व तथा कृषि आय कर के हिसाब में बकाया था। जिलाधीश ने ६ लाख से अधिक रुपया जो रियासत का इम्पीरियल बैंक में जमा था कुर्क कर लिया।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या २२—२६ श्री बादशाह गुप्त ने पूछे।

नानपारा रियासत—लगभग $\frac{1}{4}$ लाख रुपया बकाया था। अदायगी न करने के अपराध में ६००० रु० जुर्माना किया गया था। नवम्बर मास में रियासत को कुर्क करने का प्रस्ताव माननीय बोर्ड के पास भेजा गया था परन्तु अस्वीकृत हुआ। अब कुल रियासत यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १५० के अधीन कुर्क कर ली गई है।

पयागपुर रियासत—सम्पत्ति कुर्क कर ली गई थी परन्तु रियासत ने बकाया अदा कर दिया।

गंगवाल रियासत—जायदाद कुर्क कर ली गई, परन्तु रियासत अब कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन है।

नवाबगंज अलियाबाद रियासत—नवाब नवाजिश अली खां पर १३५५ फसली में कृषि आय कर लगाया गया था परन्तु इस बीच में श्री मुज़फ्फर अली तथा नवाब अली खां रियासत के मालिक हो गये। नवाब नवाजिश अली खां के पास न तो चल और न अचल सम्पत्ति है। नये मालिकों की सम्पत्ति कुर्क की गई परन्तु बकाया राजस्व की अदायगी पर रियासत छोड़ दी गई। मैनेजर ने कृषि आय कर की बकाया को जल्दी ही अदा करने का वचन दिया है।

महन्त हरी सरन दास—बहराइच की इस स्टेट पर कृषि आय कर लागू नहीं था। परन्तु यह स्टेट राजस्व की न अदायगी के कारण लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १५० के अधीन कुर्क कर ली गई है।

मिर्जा महबूब हुसेन बेग—चल सम्पत्ति बेच दी गई परन्तु प्राप्त धनराशि राजस्व की कुल बकाया अदा करने में अपर्याप्त थी। रियासत, लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १५० के अधीन कुर्क कर ली गई थी। मिर्जा साहब ने अब कुल बकाया अदा कर दिया है।

पिपरी रियासत—रियासत कुर्क होने के बाद रानी साहबा ने कुल बकाया अदा कर दिया।

*३३—**श्री भगवानदीन मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी कृपा कर बतलायेगी की किन-किन पर, कितनी-कितनी धनराशि, राजस्व के रूप में और कितनी-कितनी कृषि आय कर के कारण देय थी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—एक विवरण पत्र जिसमें ३१ मार्च, १९५० ई० तक राजस्व और कृषि आय कर की बकाया का व्योरा रियासत वार दिया है, मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४२ पर)

*३४—**श्री भगवानदीन मिश्र** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सही है कि सबसे अधिक धनराशि स्टेट, नानपारा पर अब तक बाकी है ? अगर सही है, तो अब तक कुल रकम कितनी है जो स्टेट को देनी है ?

(ख) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिलाधीश बहराइच ने उसकी अदायगी के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाहियां कीं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) जी नहीं। नहीं नानपारा रियासत पर ४,२४ ४००।८।९ रुपया ३१ मार्च, १९५० तक बकाया था।

(ख) इसका उत्तर प्रश्न संख्या ३२ में दिया जा चुका है।

*३५-३६—**श्री रामनन्दन सिंह**—[स्थगित किये गये।]

यू० पी० सिविल सेक्रेटैरियट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के सम्बन्ध में पूछ ताछे

*३७—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार को ज्ञात है कि यू० पी० सिविल सेक्रेटैरियट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ का कार्यालय कौंसिल भवन लखनऊ में स्थित है, जिसके प्रधान, सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी हैं ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हां।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त सोसाइटी कब से कायम हुई ?

श्री लताफ़त हुसैन—सही तारीख नहीं मालूम, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त सोसाइटी का उद्देश्य क्या है ?

श्री लताफ़त हुसैन—सचिवालय के काम करने वालों को सहूलियत पहुंचाना असली काम है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सोसाइटी के सदस्य सेक्रेटैरिएट के अधिकांश निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हां, ऐसा है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त सोसाइटी को सरकार ने अब तक क्या सहायता दी है ?

श्री लताफ़त हुसैन—इस वक्त तो सिर्फ एक कमरा उसको मिला है इसके अलावा कोई और माली सहायता वगैरह नहीं दी गई।

*३८—४४—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ के वेंटर डेरी फार्म के सम्बन्ध में पूछ ताछ

*४५—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—सरकार ने अलीगढ़ के टर डेरी फार्म को कब लिया?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—१ नवम्बर, १६४८ ई० को।

*४६—श्री नवाब सिंह चौहान—इस डेरी फार्म की अब तक की आमदनी । खर्चा क्या है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—

अब तक का खर्च	अब तक की आमदनी
१०,७६,४५७ रु० २ आने ३ पाई	१२,७७,०१५ रु० ४ आने ६ पाई

*४७—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—(क) क्या इस जगह ट्रैक्टर भी रहते हैं? यदि हां, तो कितने और उनसे कितना काम अब तक लिया गया?

(ख) उन पर कितना स्टाफ रहता है और उस पर कितना खर्च होता है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—(क) जी नहीं। जब जरूरत पड़ती है तब ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैक्टरों से दाम देकर काम लिया जाता है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

*४८—श्री नवाबसिंह चौहान (अनुपस्थित)—क्या इन ट्रैक्टरों को किराये पर भी जनता ने मांगा और क्या ये किराये पर दिये गये?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह सवाल पैदा नहीं होता।

*४९—श्री नवाबसिंह चौहान (अनुपस्थित)—यह डेरी फार्म अलीगढ़ शहर में दूध को सीधे अपने इन्तज़ाम में बेचती है अथवा एजेंटों के द्वारा? यदि एजेंटों के द्वारा बेचती है, तो इसका क्या प्रबन्ध है कि दूध में मिलावट न हो?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जनता में दूध सीधे भी बांटा जाता है और एजेंटों के ज़रिये भी, एजेंटों को दूध सील्ड बोतलों और डिब्बों में दिया जाता है ताकि मिलावट न की जा सके। फार्म के जिम्मेदार अफसर अक्सर अचानक पहुंच कर दूध के सेमपिल एनालिसिस करने के लिये ले जाते हैं ताकि यह मालूम हो जाय कि फार्म से सप्लाई किया हुआ ही दूध है।

*५०-५६—**श्री नवाब सिंह चौहान** (अनुपस्थित)—[माननीय अन्न मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये ।]

टेहरी में विलीनीकरण के पूर्व की योजनाओं का चालू रखा जाना

*५७—**श्री प्रेमलाल वैद्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार टेहरी में विलीनीकरण के पूर्व जिन योजनाओं पर उस समय, राज्य का धन व्यय हुआ था उन योजनाओं को चालू रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री लताफत हुसैन—प्रश्न में जिन योजनाओं का जिक्र है उनमें से किसी को पुन: कार्यान्वित करना योजना के महत्व की जांच के परिणाम पर निर्भर है। विभाग ने इस प्रकार की जांच आरम्भ कर दी है।

बरेली के उपचुनाव और लखनऊ में धारा १४४ लागू करने के सम्बन्ध में काम रोको प्रस्तावों की सूचना

माननीय अध्यक्ष—मेरे पास अभी दो प्रस्ताव आये हैं जिनमें प्रार्थना की गई है कि इस सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय। एक का सम्बन्ध एक चुनाव में की गई कथित अनियमितताओं और अवैधताओं से है। दूसरे का सम्बन्ध लखनऊ में जारी की गई धारा १४४ से है। पहला प्रस्ताव श्री त्रिलोकी सिंह का है और दूसरा श्री गोपाल नारायण सक्सेना का है। मुझको इन दोनों प्रस्तावों में कोई उचित कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए न मैं उनको पढ़ता हूं और न मैं उनको सदन के सामने रखता हूं। यह दोनों प्रस्ताव नियम के अन्दर नहीं आते।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

धारा १२३ (क्रमागत)*

माननीय अध्यक्ष—कल धारा १२३ के एक संशोधन पर श्री वीरेन्द्र शाह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया था। वे अपना भाषण करेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान जी, मैंने कल एक संशोधन धारा १२३ पर दिया था। उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं।

"१२३—धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के उस समय वाले ऐसे ९ सदस्य होंगे जो उस मंडल के हों जिसके लिए समिति

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५७ श्री खुशीराम ने पूछा

*६ जून, १९५० की कार्यवाही में छपी है।

स्थापित की गई हो और जो भूमिधर, सीरदार, आदिवासी या आसामी हों। इन सदस्यों का चुनाव गांव समाज करेगा। ”

श्रीमान जी, इस संशोधन को पेश करने का उद्देश्य यह है कि जो संशोधन मैंने पहले पेश किया था उसमें यह कहा था कि नानएग्रीकल्चरिस्ट को गांव समाज का मेम्बर नहीं होना चाहिये। और हमारी खेती-बाड़ी का इन्तजाम और जमींदारी की जगह पर जो समिति आकर काम करेगी उसके मेम्बर वे लोग नहीं होने चाहिये जिनके पास जमीन नहीं है और और उद्योग धंधे करते हैं। लेकिन हमारे माल मंत्री जी ने यह कहा कि यह नहीं होगा और गांव में जितने भी लोग रहते हैं चाहे वे किसी भी उद्योग के हों, उन सब को हक होना चाहिये कि वे गांव समाज के मेम्बर हों। मैंने उसमें यह भी बतलाया कि चौधरी चरणसिंह साहेब ने भी, जो आज यहां मौजूद हैं, जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में बड़े जोर से यह कहा था कि ऐसा होने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं कि उनकी यह बात क्यों नहीं मानी गई। अब सवाल यह आता है कि आप जो गांव समाज की एक समिति बनाना चहते हैं उसमें जिनके पास जमीन नहीं है या जो जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं और दूसरे धंधे, जैसे रुपया उधार देना और १२ रु० सैकड़ा का सूद लेना, करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप हक देना चाहते हैं कि वे हमारे इन्तजाम में एक मेम्बर की हैसियत से आकर के दखल दें। यही बहुत काफी था कि सरकार ने उनको वोट देने का हक दिया। अगर सरकार उनके समिति के मेम्बर होने में कोई रुकावट नहीं रखेगी तो सब काम बड़ा गड़बड हो जायगा। मैं मंत्री जी से पूछता हूँ कि क्या आपने हमें कोई ऐसा हक दिया है कि हम लोग उनके कामों में, जो खेती नहीं करते, कोई दखल दे सकें या अपनी राय दे सकें। जब आपने हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है तो उनको भी हमारे कामों में दखल देने का अधिकार आप क्यों दे रहे हैं? अगर उनको हमारे कामों में बोलने का अधिकार देते हैं तो हमें भी तो उनके १२ रु० सैकड़ा और इससे भी ज्यादा सूद पर रुपया उधार देने के और रेहन रखने के कामों में बोलने का हक दीजिये। आप यह कहेंगे कि हम जमीदार की हैसियत से कह रहे हैं लेकिन हम तो एक किसान और भूमिधर की हैसियत से कह रहे हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—अभी आप भूमिधर नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्रशाह—मैं हमेशा से भूमिधर पैदा ही हुआ हूँ। आप हमारे हक दूसरों को दे रहे हैं और उनके हक में हमें कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है कि आप किसान के कामों में दूसरे लोगों को दखलअन्दाजी करने का हक दे रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि कम से कम सरकार हमारे इस संशोधन को मान ले क्योंकि हमने इसमें यह रखा है कि सिर्फ सीरदार, भूमिधर और आदिवासी या जो किसान जमीन जोतते हों वही उस गांव समाज समिति के

[श्री वीरेन्द्र शाह]

मेम्बर हो सकते हैं। एक मानी में वे दूसरों की राय के जरूर होंगे क्योंकि जो लैंडलेस लेबरर (भूमि रहित मजदूर) हैं वे भी वोट देंगे। बहुत से ऐग्रीकलचरिस्ट ऐसे होंगे जो वहां लैंडलेस लेबरर की नुमाइन्दगी कर सकते हैं। लेकिन जो जमीन नहीं। जोतता है उससे जमीन का प्रबन्ध कराना सरासर अन्याय होगा।

दूसरी चीज आपने धारा १२२ में यह रखी है कि पंचायत राज्य ऐक्ट की दफा २९ के अनुसार गांव पंचायत इस गांव समाज की समिति का चुनाव करेगी। हमने इसमें यह रखा है कि गांव समाज को यह अधिकार होना चाहिए न कि गांव पंचायत को। गांव समाज में सभी आगये और उनको ही अधिकार होना चाहिये न कि गांव पंचायत को जो कि एक बहुत छोटी सी बाडी है।

इन दो उद्देश्यों के साथ मैंने इस संशोधन को पेश किया है और मैं यह आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा। यह ठाकुर फूलसिंह साहब का संशोधन है और मैंने तो उनकी नामौजूदगी की वजह से इसको पेश कर दिया है। उनका यह बहुत सही और मुनासिब संशोधन है। ठाकुर फूलसिंह हमारी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े माननीय सदस्य हैं और शायद सेक्रेटरी भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय उनके संशोधन को मान लेंगे। मेरा इसमें इतना जरूर कुसूर है कि मैं इसको पेश कर रहा हूं वर्ना इसको मान लेने में कोई झिचक नहीं होनी चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस भवन के सामने राजा वीरेन्द्र शाह ने पेश किया है उसका मैं दो कारणों से विरोध करता हूं। पहला कारण यह है कि गांव समाज जो बनेगा उसके सदस्य सभी वयस्क हो सकेंगे जैसा कि धारा ११५ में इस भवन ने निर्णय किया है। धारा ११५ पर जब बहस हो रही थी, उस सिलसिले में नम्बर ५५७ पर एक संशोधन श्री एजाज रसूल साहब ने उपस्थित किया था उसका आशय यह था कि जो प्रत्येक व्यस्क मेम्बर हो ऐसा न रख कर केवल भूमिधर, अधिवासी और आसामी वगैरा ही सदस्य माने जायं और उस संशोधन को इस भवन ने अस्वीकार कर दिया था और यह तय किया था कि गांव समाज का प्रत्येक वयस्क गांव समाज का मेम्बर हो सकेगा। ऐसी सूरत में हर सदस्य को हर समिति में चुने जाने का अधिकार नियमानुकूल होना चाहिये। मौजूदा संशोधन के जरिये यह कोशिश की जा रही है कि गांव समाज की जो भूमि समिति बने उसमें कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य न हो जो भूमिधर, सीरदार, आसामी या अधिवासी न हो। यह चीज तो उसूलन गलत होगी। जब प्रत्येक व्यस्क गांव समाज का सदस्य होगा तो उसे पूर्ण रूप से हर समिति में चुने जाने का अधिकार होना चाहिये। एक प्रकार से इस भवन ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक वयस्क गांव समाज के सदस्य हों तो यह संशोधन इस प्रकार से रखना कि भूमि समिति में ऐसे व्यक्ति जो भूमिधर, सीरदार, आसामी वगैरा नहीं हैं, न लिये जायं, यह एक प्रकार से आउट आफ आर्डर (अनियमित) भी है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो भूमि समिति होगी, उसके भूमि सम्बन्धी जो कर्तव्य होंगे, उनको पालन करने का उसे पूर्ण अधिकार होगा । इस विधेयक में एक जगह यह आया है कि किसी धारा में जो भूमि खाली होगी वह, जो मजदूर पेशा है जिनके पास खेत नहीं हैं, उनको दी जा सकेगी । अलावा इसके आबादी, परती, जंगल, तालाब और ऐसी तमाम बातों का इंतजाम उनके सुपुर्द रहेगा । तो आबादी से जिनका सम्बन्ध है लेकिन वह भूमिधर, असामी या सीरदार नहीं हैं, जब आबादी, तालाब और परती जमींन वगैरह का इंतजाम होगा उससे उनका सम्बन्ध होगा । उनको भी जमींन पाने का हक होगा, परती जमीन के पाने का हक होगा और जो जमींन खाली होगी उसको पाने का हक होगा । आबादी में इन्तजाम करने का हक होगा और कोई वजह नहीं कि ऐसा प्रत्येक वयस्क जो कि गांव समाज का सदस्य हो भूमि समिति का सदस्य न बनाया जाय । दूसरी बात राजा साहब ने यह कही कि गांव समाज के लोग ही ऐसे, भूमि समिति के, सदस्यों को चुनें । विधेयक में यह नियम रखा गया है कि जो गांव पंचायत होगी उस गांव पंचायत का सदस्य उस गांव सभा के प्रत्येक मंडल में अपनी-अपनी जगह पर भूमि समिति का सदस्य हो जायगा । अगर कोई ऐसा सर्किल होगा जिसमें दस से कम संख्या होगी तो दस तक पूरा करने का अधिकार गांव समाज को होगा । लेकिन अगर दस हैं तो वहां की समिति पूरी समझी जायगी । एक बार गांव सभा और गांव पंचायतों का चुनाव हो चुका है । अब फिर से गांव समाज का चुनाव हो और अलग पंचायतें और भूमि समितियां बनाई जांय यह बिला जरूरत काम को बढ़ाना है । पंचायतें जो बनी हैं वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार इस विधेयक में बनायी जा रही हैं और इतना इसमें सुधार रख भी दिया गया है कि अगर दस से कम हों तो गांव समाज दस की संख्या पूरी कर ले । इसलिये यह दोनों बातें जो कही गई हैं वे नामुनासिब हैं । न तो गांव समाज का चुनाव करने की आवश्यकता है और न भूमि समिति पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है कि जो भूमिधर या असामी न हो वह भूमिधर के सदस्य ही न हों । जब हमने एक बार निश्चय कर लिया है कि गांव समाज का प्रत्येक वयस्क सदस्य हो सकता है तो उसको समिति में सदस्य होने का अधिकार है । अगर वहां के लोगों का उस पर विश्वास है तो उस विश्वास से उसको वंचित नहीं किया जा सकता । इसलिये यह संशोधन कदापि स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं श्रीमान् की आज्ञा से वैधानिक आपत्ति का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । हमारे माननीय सदस्य के संशोधन के दो अंश

[माननीय श्री हुकुम सिंह]
हैं। पहला अंश यह है।

"धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के उस समय वाले ऐसे ९ सदस्य होंगे जो उस हल्के के हों जिसके लिये समिति स्थापित की गई हो और जो भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हों।"

दूसरा हिस्सा यह है "इन सदस्यों का चुनाव गांव समाज करेगा।"

जहां तक दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है धारा १२२ को यह सदन स्वीकार कर चुका है। धारा १२२ में यह तय हो चुका है कि ऐसी समिति का चुनाव पंचायत राज ऐक्ट की धारा २९ के अन्तर्गत गांव पंचायत करेगी। अब जब इस सवाल को यह सदन तय कर चुका है कि इस समिति का चुनाव गांव पंचायत करेगी तो संशोधन का दूसरा हिस्सा उसका विरोध करता है। इसलिये यह संशोधन इन आर्डर (नियमित) नहीं मालूम होता।

माननीय अध्यक्ष—मैं माननीय माल मन्त्री से सहमत हूं। यह दूसरा हिस्सा जो आप तय कर चुके हैं उसके विरुद्ध है, इसलिये इस संशोधन से यह दूसरा हिस्सा कट जायगा, परन्तु मैं अवसर देता हूं और अगर प्रस्तावक महोदय कुछ कहना चाहते हों तो वह माननीय माल मन्त्री के विरोध में कह सकते हैं। मेरा विचार यह है कि यह टुकड़ा हटा दिया जाय परन्तु यदि प्रस्तावक महोदय यह समझते हैं कि यह रह सकता है तो वह कारण बतावें और मैं विचार करूंगा।

श्री वीरेन्द्रशाह—जो बात निश्चित हो चुकी है उसमें संशोधन करने का अधिकार हमको रहेगा या नहीं रहेगा ?

माननीय अध्यक्ष—जो बात एक बार निश्चित हो चुकी है उसी को फिर उठाने का अधिकार नहीं है।

श्री वीरेन्द्रशाह—मैं उस हिस्से को वापस लेता हूं।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैं राजा साहब की तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर आप गौर फरमायें तो देखेंगे कि दफा १२२ की रू से यह कमेटी बना दी गई है। अगर पंचायत राज ऐक्ट की दफा १२ को गौर फरमायें तो मालूम होगा कि यह कमेटी ३० से ५१ मेम्बर की होगी और इस बिल की धारा ११५ से तमाम आबादी के बाशिन्दे जो बालिग हैं वे इस कमेटी के मेम्बर होंगे। यह कमेटी ३० से ५१ मेम्बरों की होगी और अगर १० मेम्बर से कम होंगे तो पूरे १० मेम्बर कर दिये जायेंगे। नतीजा यह होगा कि इस कमेटी में मुख्तलिफ नुक्तेखयाल के लोग होंगे और इससे झगड़े के बढ़ने का अंदेशा है। एक तरफ तो लैंडलेस क्लास होगा, यानी जिनके पास जमीन नहीं है, और एक तरफ वे होंगे जिनके पास जमीन है। अगर पंचायत राज ऐक्ट की दफा १२ के जरिये से लैंडलेस क्लास के लोग इलेक्ट (निर्वाचित) हो कर आयेंगे तो उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि पहले जमीनें लैंडलेस क्लास को मिलें।

दफ़ा १९६ में इसका रेस्ट्रिक्शन रखा गया है लेकिन वे कानून की परवाह नहीं करेंगे और यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जमीन उनके कब्जे में हो जाय। इसी मुक़्तेख़याल से चौधरी चरण सिंह ने, जो कि इस बिल के आर्टीटेक्ट (निर्माता) कहे जाते हैं, जमींदारी अबालीशन कमेटी में इसकी सख़्त मुख़ालिफ़त की और इस पर जोर दिया कि जो टेन्योर होल्डर हैं, खातेदार हैं, उन्हीं की यह कमेटी बनाई जाय लेकिन किसी वजह से उनकी राय नहीं मानी गई। इसके अलावा पंचायतों में ज्यादातर लोग इल्लिट्रेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसका नतीजा यह है कि लो पेड सेक्रेटरीज की राय पर वह चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस मसले पर आनरेबिल मिनिस्टर साहब गौर फरमायेंगे। मेरे दोस्त फूलसिंह साहब जो कांग्रेस के जिम्मेदार हस्ती हैं और अग्रेरियन कमेटी के मेम्बर हैं और जमींदारी अबालीशन की सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे और जिनको देहात की हालत से वाकफ़ियत है उन्होंने यह अमेंडमेंट बहुत गौर खोज के बाद पेश किया है, लेकिन हमारे मौर्य साहब जो अपने आपको इस बिल का अक्लेकुल समझते हैं और समझते हैं कि इसको नहीं होना चाहिये वह इसकी मुख़ालिफ़त कर रहे हैं।

अब आप यह देखें कि गवर्नमेंट ने यह कोशिश की कि रूस में जो सोवियट बने हैं उसी का तरीका इख्तियार किया जाये। वहां पेड चेयरमैन हैं और आपके यहां पेड सेक्रेटरीज हैं। गांव पंचायतें कांग्रेस के असर से भरी हुई हैं। एक इलेक्शन हो चुका है जिसमें पार्टीबंदी की वजह से एक ही पार्टी आई है नतीजा यह होगा कि वही रूल करेगी और दूसरी पार्टी को जमीन के मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इससे टिलर्स आफ दी सौयल और नान-टिलर्स में कांफि-लिक्ट पैदा होगा। नतीजा बहुत बुरा होगा। इसको बचाना चाहिये आपने खुद लोगों को भुमिधर बनाया है। फ़र्ज़ कीजिये जिन लोगों ने दस गुना रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जमा किया है अगर उनका रिप्रेजटेटिव नहीं पहुंचता है तो उनकी क्या हालत होगी। इससे एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप एक नई चीज पैदा कर रहे हैं कि यह देहात में जमीन का इन्तजाम करे इससे उन लोगों को जो खेती बाड़ी करते हैं और खेती से कुछ वास्ता रखते हैं काफी नुक़्सान पहुंच जायेगा। इसलिये मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पर गौर फरमायेंगे और राजा साहब का जो अमेंडमेंट है, जो बाकई फूलसिंह साहब का है उसको आप मन्जूर कर लेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन के सिलसिले में क़ब्ल इसके कि कोई माकूल वजह पेश की जाये मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर श्री फूलसिंह साहब की दुहाई दी गई। इस संशोधन का नोटिस श्री फूलसिंह की तरफ़ से दिया गया था जो कांग्रेस पार्टी के एक मुख्य सदस्य हैं। लिहाजा

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

उनके नाम पर यह आवाज लगाई गई कि सरकार इसको मन्जूर कर ले। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्टी के दृष्टिकोण से न कोई संशोधन मन्जूर होता है और न नामन्जूर होता है।

जो संशोधन ठीक है दुरुस्त है और जनहित का है वह मंजूर होता है चाहे जिस पार्टी की तरफ से आये। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि कल गांव समाज के हुकूक के बारे में और उनकी रक्षा के लिये बड़ी-बड़ी आवाजें लगाई गयीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को हाट बाजार वगैरह गांव समाज से निकाल कर न दिये जांय, उससे गांव समाज को बड़ी हानि होने की सम्भावना है, जहां तक गांव समाज का ताल्लुक है और जहां तक उनमें नान-कल्टीवेटर्स, और लैंडलेस लेबरर्स के शामिल होने का ताल्लुक है इस सिद्धान्त की धारा ११८ को स्वीकार करते हुये इस सदन ने मान लिया। जब हम यह मान चुके कि गांव समाज में भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी होंगे और इनके अतिरिक्त वह लोग भी जो मजदूर पेशा हों या जो खेती नहीं करते और काम करते हैं वह भी इसमें सम्मिलित होंगे और गांव समाज के सदस्य होंगे तब बकौल राजा साजिद हुसैन साहब के बुनियादी उसूलों को ठीक समझ करके ऐसे लोगों का गांव समाज के अन्तर्गत आने के उसूल को हम लोगों ने माना और मानने के बाद दफा १२० के सम्बन्ध में बहस होते समय बुनियादी उसूलों पर गांव समाज के प्रोटेक्शन और उनकी बहबूदी का नारा भी बुलन्द हुआ और गांव समाज में, जिसमें नान-कल्टीवेटर्स भी शामिल हैं तो आज इस मौके पर यह कहना कि गांव समाज के उन सदस्यों को जो कि काश्तकार नहीं हैं उनको यह जो कमेटी बनेगी धारा १२२ के अन्तर्गत उसमें उनको मेम्बर होने का अधिकार न दिया जाय। यह संशोधन और यह बात तो ऐसी है जिसमें फ्यूडलिज्म की झलक आती है और वही पुरानी आटोक्रेसी राजा साहब जगम्मनपुर कायम करना चाहते हैं और इस बात से तो मैं समझता हूं कि राजा साजिद हुसैन भी इत्तफाक करेंगे कि यह बुनियादी उसूल से बिलकुल परे है। जब हम सिद्धान्त मान चुके तो सबको बराबर हक होना चाहिये। राजा साजिद हुसैन तो इत्तिफाक करते हैं, लिहाजा यह संशोधन ला करके लोगों को अपने हकूक से वंचित करने का उद्योग करना अनुचित सा प्रतीत होता है। मैं कहना चाहता हूं कि गांव समाज में धारा ११८ के अनुसार बहुत सी चीजों की मिलकियत उनमें आरोपित की गई हैं और इन सब चीजों का इन्तजाम गांव समाज के अधीन होगा। उनकी तरफ से गांव पंचायत करेगी। मान लीजिये कि एक शख्स गांव का रहने वाला है वह बढ़ई का काम करता है या लुहार का काम करता है या सुनार का काम करता है, राजा साहब या कुंवर साहब के यहां के जेवर बनाते हैं, खेती उसके पास नहीं है और गाय, भैंस भी पालते हैं, मवेशी उसके पास हैं लिहाजा दूसरे तरीके की जरूरत होगी।

परती लैंड, फारेस्ट लैंड, और कामन लैंड, गांव समाज में वेस्ट निहित करती हैं, धारा ११८ की रू से। तो यह जो नान काश्तकार हैं उसका भी इंट्रेस्ट है कि गांव में चरागाह हों गांव में मवेशियों को चराने के लिए की इंतजाम हो। इस हद तक उसका भी इंट्रेस्ट है अगर और ज्यादा इंट्रेस्ट मानने को तैयार नहीं हैं। इस इंट्रेस्ट की रक्षा के लिये उसको हक न देना और उसको मेम्बर न बनाना और उसको इंतजाम में दखल देने का कोई हक न हो, यह उसके साथ सरासर अन्याय होगा। इसके अलावा गांव में जितने काम होंगे जनता की भलाई के लिए उनमें उसको मौका न देना यह भी अन्याय होगा। लिहाज़ा इस संशोधन को मंजूर करने से मैं मजबूर हूं। इन चंद शब्दों के साथ में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री साजिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में जो सवाल है वह खास तरीके से यह है कि ज़मीन का इंतज़ाम, ज़मीन का आइंदा तकसीम का सिलसिला किसके हाथ में हो। आया जिन लोगों के पास ज़मीन है और जिनका वास्ता ज़मीन से है, जिनका कारोबार यही है, जिनकी रोजी ज़मीन पर है, उन लोगों के हाथ हो या जिन लोगों का ज़रियामाश ज़मीन पर बराहरास्त काश्तकारी से नहीं है उनके हाथ में हो। जहां तक दफा १२२ का ताल्लुक है उसमें यह साफ कह दिया गया है कि यह खास काम होगा इस बाडी का। अब यह गौर करने की चीज है आया ऐसा किया जाय, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको इसमें अख्तियार दिया जाय या न दिया जाय। जहां तक कि चुनाव का ताल्लुक है उसमें तो सभी लोग शामिल हैं, जिन लोगों के पास ज़मीन है वह और जो लोग दूसरा कारोबार करते हैं, यानी ज़मीन नहीं रखते वे भी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको अन्देशा हो। वे अपने सदस्य ऐसे चुन सकते हैं जो उनको कोई नुकसान न पहुँचाएँ। यह चीज भी देखने की है कि आया लोगों के पास ज़मीन इफरात से है या नहीं। जो हालत है आज कल यानी जैसा कहा जाता है कि कम से कम जो एकनामिक होल्डिंग होती है, ज्यादतर लोगों के पास एकनामिक होल्डिंग से कम ज़मीन है। अगर ऐसा है तो मेरे खयाल में लैंडलेस लेबरर का सवाल नहीं उठता उस वक्त तक जब तक कि जो मौजूदा जोते हैं उनके पास एकनामिक लेविल तक ज़मीन पहुँच न जाए। फर्ज़ कीजिए अगर किसी गांव में ५० काश्तकार हैं और ४५ के पास एकनामिक होल्डिंग्स हैं। उसे आप सवा छः एकड़ मान लीजिए। अब जब तक की लोगों के पास सवा छः एकड़ न हो जाय बकिया ज़मीन तकसीम दूसरे लोगों में करना अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभप्रद खाता) की तादाद को बढ़ाना है। जहां तक पैदावार का ताल्लुक है गल्ले की कितनी कमी है और इस तरह से इस मुसीबत को और बढ़ाना है। जिद का तो कोई इलाज

[श्री साजिद हुसैन]

ही नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि हमने तो अब राय कायम कर ली है और इसे बदला नहीं जा सकता है। अगर आप मुल्क की भलाई की तरफ देखें तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जब तक अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभप्रद खाता) पूरी नहीं हो जाती हैं लैंडलैस लेबरर्स (भूमिरहित मजदूर) को देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें कि आलरैडी जमीन के ऊपर कितना प्रेशर (दबाव) हो गया है और आपकी यह कोशिश होनी चाहिये कि प्रेशर (दबाव) कम हो। आपको लोगों को जमीन के अलावा दूसरे कारबार, काटेज इण्डस्ट्री वगैरह में लगाना चाहिये। इस संशोधन के न मानने का असर यह होगा कि लैंडलैस लेबरर्स (भूमिरहित मजदूर) आयेंगे और यह कोशिश करेंगे कि एक ही एकड़ मिल जाय। हालांकि इस एक एकड़ से न उनका कोई फायदा है और न देश का। अन-एकोनोमिक होल्डिंग्स (अलाभकर खातों) को बढ़ाना एकोनोमिक (लाभ) के प्रिन्सिपिल (सिद्धांत) के खिलाफ है। अगर आप इस तरीके से उन लोगों को शामिल कर देंगे तो एक टसिल पैदा हो जायगी। नुकसान उन लोगों को तो होगा ही लेकिन मुल्क का भी इसमें बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इससे अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर खाता) बढ़ने का अन्देशा है। जो मौजूदा सूरत इस मुल्क की है उसमें ८० फी सदी यानी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर खाता) है। पहिले तो उनकी जमीन की पुरौती होनी चाहिये। दूसरे इन्ट्रस्ट के लोगों को इसमें लेने से झगड़े पैदा होंगे। जिनके पास काश्तकारी नहीं या जिनके पास अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर खाता) है और उन लोगों में जिनके पास काश्तकारी है झगड़े पैदा हो जायेंगे। अगर आगे चल कर हालत दुरुस्त हो जाती है तो आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। आप ५ मिनट में नहीं तो ५ दिन में फिर दूसरा अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं। मेरे खयाल में यह संशोधन मन्जूर कर लेना चाहिये या यह जवाब दिया जाय कि अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर खाता) नहीं हैं। माननीय मुख्य मन्त्री कह चुके हैं कि ज्यादातर लोगों के पास अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर खाता) है। आप इससे यह चाहते हैं कि जितनी अन-एकोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर खाता) हैं वे और भी ज्यादा हो जाय। आपने एक लुहार का जिक्र कर दिया। उसको खेती बाड़ी और पानी से क्या वास्ता। वे लोग जो गांव में रहते हैं और इस काम को करते हैं उनसे ज्यादा उसको कोई दखल नहीं हो सकता। आप टैकनीकल चीज को एक एक्सपर्ट से निकाल कर नान-एक्सपर्ट (अविशेषज्ञ) को देना चाहते हैं। उसूल से यह बात बहुत गलत है।

तो ऐसी सूरत में जहां तक मेरी राय है और सदन भी इस चीज को मन्जूर करेगा कि इस वक्त इस मौके पर आप इसको शामिल न करें आइन्दा चलकर जब इसकी जरूरत होगी और सब एकोनोमिक होल्डिंग बन जायगी कोई

अन-एकोनोमिक हाल्डिंग नहीं रहेगी तब यह चीज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आप करके लड़ाई-झगड़े की बुनियाद डाल रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको मन्जूर करेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर बहस समाप्त की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस संशोधन पर बहस समाप्त की जाय और प्रश्न रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रशाह—श्रीमान् जी, मन्त्री जी ने जो उत्तर में कहा कि हमने फूलसिंह साहब की दुहाई दी तो हमको यह कहना पड़ता है कि सरकार विरोधी पार्टी की ओर से जो संशोधन पेश किये जाते हैं उनके ऊपर ख्याल नहीं करती है। इसलिये आपके एक ऐसे एम० एल० ए० जो बहुत मुनासिब कहते हैं, जैसा कि मन्त्री जी मानते हैं। उनके संशोधन को इसलिये अहमियत दी गई और इसलिये कहा गया इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मन्त्री जी ने यह कहा कि ग्राम समाज के लिये इतने-इतने अधिकार हमारी तरफ से मांगे गये। अब उसमें यह कहना कि सिर्फ उसमें नान-ऐग्रीकलचरिस्ट न रखे जायँ ऐग्रीकलचरिस्ट रहें तो मैं मन्त्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री जी चाहते हैं कि यहां पर जल्द से जल्द कम्युनिज्म आ जाय और वह यहां के गांवों में फैल जाय। मैं तो यह कहता हूं कि आप सब अधिकार दे दीजिये लेकिन यह तो देखिये कि नान-ऐग्रीकलचरिस्ट को वोट देने का अधिकर आपने दे दिया है गांव समाज में, तो अब ऐग्रीकलचरिस्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। उद्योगधन्धे और करज़ वगैरा देने का हमको कोई अधिकार नहीं है तब फिर बराबरी कहां हुई। यह समझने की बात है। मंत्री जी जल्द से जल्द कम्युनिज्म यहां लाना चाहते हैं और हमारी सरकार की नीति है कि उसको यहां रोका जाय तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह दोनों बातें कैसे साथ साथ चल सकती हैं। हमारी सरकार की नीति तो यह है कि इसको दबाया जाय लेकिन हमारे मंत्री जी इसको दूसरे दरवाजे से लाना चाहते हैं। हमारे दोस्त शोषित लीडर (नेता) मौर्य जी ने यह कहा कि सब को अधिकार होना चाहिये। मौर्य जी हर जमाअत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपस में झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। इस तरह के झगड़े के मामलों को मौर्य जी हर जगह प्लीड करने के लिये खड़े हो जाते हैं कि उनको मिलना चाहिये चाहे उनका हक हो या न हो। इस तरह के काम करके आपस में झगड़ा पैदा कराना चाहते हैं जब तक यह चीज़ उठायी जायेगी कि साहब यह छोटा है, यह बड़ा है यह ऊंच है, यह नीच है, यह उद्योग धंधा करता है, यह खाली बैठा है, यह किसान है

[श्री वीरेन्द्र शाह]

तब झगड़े पैदा होते रहेंगे। इस वास्ते यह चीज नहीं होनी चाहिये। जब कि हम गांव सभा को कामयाब बनाना चाहते हैं तो जो हमारी नीति है कि अच्छे काम किये जाय तो फिर सरकार की यह नीति नहीं होनी चाहिये कि ऐसा कोई काम करके आपस में झगड़ा पैदा कराये। ऐसा यहां का वतावरण बनाये जिससे झगड़ा किसी किस्म का पैदा न हो। मगर हमारे मौर्य साहब चाहते हैं कि जिस तरह शहरों में पार्टी होती है उसी तरह से गांवों के अन्दर भी हो जाय। एक ग़लती तो हमने यह की कि हमने देश का बटवारा किया अब हम दूसरा बटवारा गांवों में करना चाहते हैं। यह चीज ठीक नहीं है। तो मैं मन्त्री जी से यह कहूंगा कि जो सरकार की नीति है कि यहां पर कम्यूनिज्म न आये तो उसके मुताबिक़ काम करना चाहिये। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि मुझे तो डर है कि जितने कर्ज देने वाले बनिए हैं वे शहर में रहते हैं और गांव में भी मकान बनाए हुए हैं और जिस वक्त यह सवाल आया था हम ने संशोधन रखा था कि उन लोगों को ग्रामसमाज का मेम्बर न माना जाय और वह इसलिए रखा था कि वे अपने दबाव से कर्जा देहात में देते हैं और उनके कर्जे से तमाम वहां के किसान दबे रहते हैं। अगर उनको मेम्बर बनाया जायगा और अगर वे कार्यकारिणी के मेम्बर बन गए तो आप देखेंगे कि जो लोग कर्जे से लदे हुए हैं या जिनके रुपए का हिसाब किताब है या जमीन मिलने वाली है और जिस को चाहेंगे जमीन दिलावेंगे और जिसके साथ चाहेंगे ज्यादती करेंगे। आप इन पूंजीपतियों को और इन बनियों को क्यों अधिकार देते हैं कि वे किसानों पर आकर हुकूमत करें। अभी तो आप जमींदारों की ज्यादती को रोक रहे हैं इसलिए इन महाजनों का मेम्बर बनकर रहना ठीक नहीं है क्योंकि उन से किसानों का दिमाग और स्वतंत्रता सब दबी रहती है। आप इन पूंजीपतियों को जिनके कर्जे का दबाव रहता है उनको क्यों अहमियत देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे सदस्य हों, प्रधान हों और लैंड का इन्तजाम करें, क्योंकि अगर आप धारा १२२ को पढ़ेंगे, जिसके जरिए से चुनाव होगा, उसका उद्देश्य भी सिर्फ इतना ही है।

"यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए भी, उक्त ऐक्ट की धारा २९ के निर्देशों के अधीन प्रत्येक गाव पंचायत आगे चल कर की गई व्यवस्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक मंडल (Circle) के लिये एक समिति (Committee) भूमि के प्रबन्ध और बन्दोबस्त से सम्बन्ध रखने वाले कर्तव्यों का पालन करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए, जो नियत किए जाय, स्थापित करेगी।"

आप ने लिखा है कि "भूमि प्रबन्ध" और बन्दोबस्त। आप यह कुछ न कीजिये और एक कमेटी बना दीजिए आप जमीन का प्रबन्ध उन के हाथ में न दीजिए लैंड के अलावा और दूसरी जो चीजें हैं, उनके लिए आप कमेटी बना सकते हैं, लोहार, बढ़ाई और फारेस्ट वग़ैरह का इन्तजाम है, लेकिन लैंडकई

इन्तजाम करने वाली कमेटी में सिवा जमीन जोतने वालों के और कोई न होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इस संशोधन को मंजूर करेंगे और उम्मीद है कि वे जमीन के इन्तजाम को सिवा ऐग्रिकल्चरिस्ट्स के और किसी को न देंगे। उम्मीद है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र राजा साहब ने जो शुरू में अपना संशोधन पेश करते हुए बतलाया था उसीको बढ़ा-चढ़ाकर फिर दोहरा दिया है। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, लिहाजा मुझे अब कुछ और कहना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १२३ रख दी जाय।

"१२३ (क) धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के उस समय वाले ऐसे ९ सदस्य होंगे जो उस मंडल के हों जिसके लिये समिति स्थापित की गई हो और जो भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या आसामी हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १२३ के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा १२३ रख दी जाय।

"१२३ (१)—धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के केवल ऐसे सदस्य होंगे जो खातेदार (tenure holder) हों,

(२) धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति को सिंचाई विभाग (Irrigation Department) के पतरोल (patrol) तथा अपने अधिक्षेत्र में कार्य करने वाले पटवारी की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होगा।

(३) धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति अपने अधिक्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, अमीन (Amin), सम्मन-तामील करने वाले (Process Server), टीका लगाने वाले (Vaccinator) गांव के चौकीदार (Village chowkidar), सिपाही (constable) या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के ऊपर सरकारी कर्तव्य पालन करनेके सम्बन्ध में दुराचार (Mis conduct) का अभियोग लगाये जानेपर, उनकी तुरन्त जांच करायेगी और अभियोग अपनी

[श्री ऐजाज रसूल]

तजवीजों और सिफारिशों सहित (Complaint with the findings and recommendations) गांव सभा के पास भेज देगी, जो उस वृतांत (Report) को राज्य सरकार (State government) के पास अपनी सिफारिशों (Recommendations) सहित भेज देगी। यदि किसी अधिकारी पर लगाया गया अभियोग समिति को सिद्ध (Proved) ज्ञात हो जाय तो राज्य सरकार के निर्णित आदेश (final orders) आने तक, समिति को उसे मुअत्तल करने का अधिकार होगा।

(४) इण्डियन पेनल कोड (Indian penal code) की धारा २१ के अन्तर्गत, धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति का कोई भी सदस्य जनता सेवक (Public servant) नहीं समझा जायगा।"

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। (श्रीमान् जी, मैं एक विधान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ।) मैं श्रीमान् जी का ध्यान इस सँशोधन के पहले अंश की तरफ दिलाना चाहता हूं जो १२३ (१) रखा गया है। इस विषय पर इस सदन ने निर्णय दे दिया है कि पंचायत के सदस्य सब लोग हो सकते हैं जो वयस्क हों। अभी राजा वीरेन्द्र शाह साहब ने प्रस्ताव उपस्थित किया था उसमें भी यह बात आयी थी। यहां पर यह कहा गया है कि गांव पंचायत के केवल ऐसे सदस्य जो खातेदार हों, भूमिधर, असामी या सीरदार हों। तो इस विषय पर तो इस सदन ने तो पहले ही निर्णय दे दिया है। अभी राजा वीरेन्द्र शाह ने कहा था कि जो अधिवासी हों, सीरदार हों, वही सदस्य होंगे, तो इस सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब नवाब ऐजाज रसूल साहब भी वही रख रहे हैं।

श्री एजाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो राजा साहब का अमेंडमेंट था वह एक तरमीम थी उस दफा की और मैं यह कहता हूं कि यह पूरा क्लाज निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर दूसरा क्लाज रख दिया जाय। तो उसमें और इसमें फर्क है। इस वजह से मेरे अमेंडमेंट की जो पहली दफा है वह दुरुस्त है।

माननीय अध्यक्ष—आप अपने संशोधन पर भाषण जारी रखें।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबवाला, मेरे संशोधन की कई दफ़ात हैं। पहली दफ़ा जो है वह खातेदार की बाबत है जिसकी बाबत इस सदन में काफ़ी बहस हो चुकी है और उस पर मैं कुछ ज़यादा कहना नहीं चाहता हूं मुनासिब यह था कि गवर्नमेंट इसको मंज़ूर करती लेकिन किसी मसले की वजह से, मेरे ख़याल में

मौर्य साहब की वजह से जो अक़्लकुन हैं, यह तरमीम नामंजूर हुई वरना फूलसिंह साहेब की तरमीम ज़रूर मजूर होती। मैं ऐवान की तवज्जह पंचायत राज ऐक्ट की दफ़ा २३ की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह यह है

"On receiving a complaint from any person residing within the jurisdiction of a Gaon Panchayat about any misconduct in the discharge of their official duties by any amin, process -server, vaccinator, constable, patwari, patrol of the Irrigation department, or peon of any Government Department, such Panchayat may, if there be Prima facie evidence, forward the complaint to the proper authority with its own report. The authority shall, after such further enquiry as may be required, take suitable action and inform the Gaon Panchayat of the result."

[किसी गांव पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति से अमीन, मजकूरी, टीका लगाने वाला, सिपाही, पटवारी, सिंचाई विभाग के पतरौल या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के विरुद्ध सरकारी कर्तव्यों के पालन करने में दुराचरण के बारे में शिकायत मिलने पर, ऐसी पंचायत को, यदि प्रकटरूप से प्रमाण हो, अधिकार होगा कि वह उस शिकायत को अपनी रिपोर्ट के साथ उपयुक्त अधिकारी के पास भेज दे। उस अधिकारी के लिये मान्य होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने पर, जो करना आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करे और उसके नतीजे की सूचना गांव पंचायत को भेज दे।]

मैंने इस वजह से यह पढ़ दी ताकि गवर्नमेंट को यह मालूम होजाय कि पंचायत राज ऐक्ट में भी इस क़िस्म की दफ़ा है और ऐसी पावर गांव की पंचायत कमेटी को ज़रूर देना चाहिये। शहर का मामला पतरौल और अमीन से बहुत ज्यादा वास्ता रखता है और अकसर यह होता है कि गांवों में पतरौल बहुत खराबियां करते हैं और बहुत ज्यादा आबियाना वसूल कर लेते हैं जिसकी कि जनरल शिकायत है और इसको हमारे मिनिस्टर आफ़ कम्युनिकेशन्स भी, जो मौजूद हैं, मानेंगे कि वे लोग सियाहा बहुत ग़लत तरीके से तैयार करते हैं। आपने एक विलेज रिपब्लिक बनाई है और गांव के कुल्ली अख़्तयारात उसको दिये हैं तो उसको यह भी अधिकार होना चाहिये कि अगर कोई पतरौल ठीक काम नहीं करता है तो वे इसके ऊपर असर रखें ताकि उससे क़ायदे की रू से ठीक काम कराया जा सके।

दूसरी बात यह है कि सम्मन लाने वाले अकसर बहुत गड़बड़ी करते हैं और ठीक तरह से तामील वग़ैरा नहीं करते हैं और जैसी चाहे रिपोर्ट लिख देते हैं।

[श्री ऐजाज रसूल]

अगर उनको किसी पार्टी ने कुछ देदिया तो उसीके मुवाफिक रिपोर्ट लिखदेते हैं और एकतरफा अदालती कार्यवाही होजाती है। इसलिये आपको उनके ऊपर भी अधिकार कमेटी को देना चाहिये। इसी तरह टीका लगाने वाले हैं और गांव के चौकीदार के ऊपर तो वाकई गांववालों का बहुत बड़ा असर होना चाहिये क्योंकि वह तो पुलिसवालों से मिला रहता है और जैसा वे चाहते हैं उससे कराते हैं। वह गलतसलत रिपोर्ट करता है जिससे गांववालों का बहुत नुकसान होता है। पुलिस चौकीदार के जरिये से रुल करती है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर चौकीदार की शिकायत होती है तो थानेदार वगैरा सब उसकी सपोर्ट करते हैं। अगर आप ये तमाम अधिकार गांव पंचायत राज ऐक्ट के बमूजिब गांव वालों को नहीं देंगे तो वही पुराना तरीका जारी रहेगा। आप कहते हैं कि आज की जनता की हुकूमत है, लेकिन जनता का असर कुछ भी नहीं है। गांव में चौकीदार पहले की ही तरह हुकूमत करता है। हमारे मौर्य साहब इससे इत्तफाक राय होंगे और मानेंगे कि यह ठीक है। बावजूद इसके कि आपके तमाम असरात हों, गांव का चौकीदार बाअसर होता है और जैसी चाहता है रिपोर्ट करता है और उसके जरिये से पुलिस जैसा चाहती है काम करती है।

अगर यह इसमें हो जायगा तो नतीजा यह होगा कि गांव की हालत दुरुस्त हो जायगी। चौकीदार डरता रहेगा कि अगर हम गलत सलत रिपोर्टें करेंगे तो उसका नतीजा खराब होगा। इसी तरह कांस्टेबिल जो होता है वह चौकीदार से बड़ा होता है और वह अपनी सर्किल का मालिक होता है। वह मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह अधिकार कमेटी को दे दिया जाय ताकि यह सब चीजें ठीक हो जायें। इसमें मैंने यह रखा है कि कमेटी गवर्नमेंट के पास सिफारिश भेज दे। अगर सीरियस (महत्वपूर्ण) मामला हो तो कमेटी को यह अधिकार दिया जाय कि वह मुअत्तल करदे। अगर वाक़यात सच मालूम होते हों तो कमेटी को यह अख्तियार दिया जाय कि कमेटी छान-बीन करके अपनी सिफारिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट के पास भेज दे और अगर गवर्नमेंट सिफारिश सही समझती हो तो उसको मौकूफ करदे या बहाल करदे। तीसरी बात यह है कि दफा २१ इण्डियन पेनल कोड के मातहत इस कमेटी के मेम्बर न समझे जायें, इसलिए कि वह नये होंगे, उनसे गलतियां भी हो सकती हैं। इन्हीं सब बातों को ठीक करने के लिए मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है। दफा २३ पंचायत राज ऐक्ट की तरफ ऐवान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और खास कर मौर्य साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं यह देख रहा हूँ कि वह बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि कमेटी को यह अख्तियारात दिये जायें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पर निहायत ठंडे दिल से ग़ौर फ़रमायगे।

आपने कल यह फरमाया था कि कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) है । लिहाज़ा ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायत्वि) की बिना पर पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ है। उसके लिए मिनिस्टर आफ रेवेन्यू भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आनरेबिल मिनिस्टर आफ लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट अगर आप मेरे इस अमेंडमेंट का विरोध करेंगे तो पंचायत राज ऐक्ट जो पास हो चुका है उसका आप विरोध करेंगे और मिनिस्टर आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी आप विरोध करेंगे। लिहाज़ा मुझ को उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ठंढे दिल से गौर करेंगे और मेरी इस तरमीम को मजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में व्याख्यान देते हुए हमारे मित्र नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने आखिर में एक चेतावनी मुझे दी कि अगर इस संशोधन की मुखालिफत मेरी तरफ से हुई तो वह मुखालिफत माननीय मन्त्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की होगी। कल भी ऐसी ही एक बात नवाब जमशेद अली खां साहब ने फरमाई थी। मैंने उस सम्बन्ध में यह अर्ज़ किया था, हालांकि वह इस सदन से हस्ब दस्तूर-तकरीर के बाद चले गये थे। मैंने यह कहा था कि जो विधेयक इस सदन में आते हैं वे कैबिनेट में पेश होते हैं और कैबिनेट की मन्जूरी के बाद यहां आते हैं । इस विधेयक में भी ऐसा ही हुआ है और मेरे भाई माननीय श्री खेर जी की अनुमति इस विधेयक में भी है। लिहाज़ा उनकी अनुमति से यह सब बातें आई हैं। ऐसी सूरत में यह कहना कि इससे पंचायत राज ऐक्ट की मुखालिफत होती है और आखिरश में श्री खेर की मुखालिफत होती है यह बात गलत है। नवाब ऐजाज़ रसूल साहब गालिबन कल मौजूद नहीं थे, लिहाज़ा उन्होंने यह बात दोहराई। मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इससे हमारे भाई खेर जी को ज़रा भी कोई शिकायत नहीं होगी। हमारे उनके ताल्लुकात बड़े सुन्दर हैं। आप को उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है पहले अन्श के मुताल्लिक हमारे नवाब साहब भी कायल मालूम होते हैं कि वह इस मौके पर पेश होनी ठीक नहीं है, जबकि उसके अन्तर्गत जो बुनियादी बात है उसके मुताल्लक यह सदन अपना फैसला कई बार दे चुका है। उसके पहले हिस्से के ज़रिये से नवाब साहब यह चाहते हैं कि जो लैंडलेस (भूमि रहित) हों उनको इस समिति में मेम्बर होने का अधिकार न रहे। इस बारे में मैंने अपने ख्यालात का इज़हार बार-बार किया है। मैं उनको फिर दुहराना नहीं चाहता। और मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। दूसरे हिस्से से नवाब साहब यह चाहते हैं कि जो समिति धारा १२२ के अन्तर्गत बनाई जाय उसको अधिकार होना चाहिए। नहर विभाग के पतरौल और पटवारियों की तैनाती और बर्खास्तगी का। जहां तक पतरौल का ताल्लुक है उसकी तकर्रुरी कैनाल ऐक्ट के अधीन होती है। जहां तक पटवारी का ताल्लुक है उसकी तकर्रुरी लैंड रेकार्ड्स मैनुअल

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

के चैप्टर एक में सारे नियम दिये हुए हैं, उनके अधीन होती है। नवाब साहब अबतो काफी कानून भी जान गये हैं इस विधेयकके बहस करने के सम्बन्ध में। राजा साहबान, नवाब साहबान व दीगर साहबान सबको यह अधिकार था कि पटवारी की तकर्रुरी में वे जिसे बहुमत से नामजद करें वही पटवारी हुआ करता था। लिहाजा इस तरमीम को लाकर नवाब साहब अपने हुकूक को खुद पामाल कर रहे हैं जिसको मैं अभी धक्का पहुंचाना नहीं चाहता। लिहाजा इसको यहां लाना किसी तरह से उचित नहीं है और हम समझते हैं कि इसका कोई पैरेलल प्राविजन पंचायत राज एक्ट में नहीं हैं, वरना जो नोट नवाब साहब के सामने रखा गया है उसमें पंचायत राज एक्ट के पैरेलल प्राविजन का हवाला जरूर होता। नवाब साहब ने धारा २३ पंचायत राज एक्ट का हवाला दिया, जिसमें प्रासेस सरवर और वैक्सीनेटर के मुताल्लिक तहकीकात करने का गांव पंचायत को अधिकार है। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि पंचायत राज एक्ट जिसकी नजीर हमारे मित्र बराबर पेश करते हैं उसमें ऐसी कोई बात है। लैंड रेकार्ड्स मैनुअल में प्राविज़न होते हुए भी ऐसा प्राविज़न करना उसके विरुद्ध होगा जो किसी तरह उचित नहीं है। कानून बनाने में इन सब बातों का लिहाज नि यत आवश्यक होता है और अगर इन बातों का लिहाज न किया जाय तो जो कानून बनेगा उसका लोग मजाक उड़ाएंगे। लिहाजा ऐसी तरमीम लाकर ऐसी बातें पैदा करने की कोशिश की जाय जिससे कि एक मजाक के मुकाबिल कानून बन जाय यह ठीक बात जाहिर नहीं होती। इसके साथ-साथ तीसरा जुज तरमीम का है वह तहकीकात का अमीन, प्रोसेस सर्वर, वैक्सीनेटर, विलेज चौकीदार, और कांस्टेबिल के खिलाफ जो शिकायतें हों उनकी शिकायतें तहकीकात करने का उनको अधिकार दिया जाय और वह तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट गांव सभा को भेजे और गांव सभा सरकार के पास भेजे और इसकी ताईद में गांव पंचायत एक्ट की धारा २३ का हवाला दिया गया। हवाला देना तो सहल है, नजीर पेश कर देना भी सहल है लेकिन पेश करने के वक्त उस नजीर की ठीक तौर से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिये, उस पर सोच विचार कर लेना चाहिये कि आया वह नजीर मौजूदा हालत में जिसकी ताईद में पेश की जाती है उस पर ठीक तौर से बैठती भी है या नहीं। धारा १२३ में जो अख्तियारात दिये गये हैं वह गांव पंचायत को दिये गये हैं न कि ऐसे समाज को जो कि धारा १२२ के अन्तर्गत बनाये जाने का प्रस्ताव हैं। ऐसी सूरत में इस समिति को वह अधिकार देना जो पंचायत एक्ट में गांव पंचायतों को दिये गये हैं, यह नजीर इसमें किसी तरह से लागू नहीं होती। अलावा इसके इसको अगर गौर से पढ़ें तो सब कानूनदां आदमी जरूर कहेंगे कि लागू नहीं होगा। बाकी साहब भी मुझसे इत्तिफाक करेंगे कि यह नजीर जो पेश की गई है धारा २ की वह हमारे मित्र की मदद नहीं करती।

इन सब बातों को इस विधेयक में लाकर के रखना यह समझ के बाहर की बात पहुंचती है और इसको यहां लाकर एक पेचीदगी पैदा की जाय तो एक गलत सी बात जाहिर होती है। इसके साथ-साथ जो चौथा अंश संशोधन का है और जिसमें यह कहा गया है कि "इंडियन पेनल कोड की धारा २१ के अन्तर्गत, धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति का कोई भी सदस्य जनता का सेवक नहीं समझा जायगा।" उसके सम्बन्ध में भी मेरे रास्ते में एक दिक्कत पैदा होती है। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं नवाब साहब की तवज्जह पंचायत राज्य एक्ट की धारा २२ की तरफ दिलाना चाहता हूँ और श्रीमान् की आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूँ—

"Every member or servant of a panchayati Adalat, a Gaon panchayat, a Joint committee or any other committee consti uted under this Act shall be deemed to be a public servant within the menaing of section 21 of the Indian penal Code."

(किसी पंचायती अदालत या गांव पंचायत या संयुक्त कमेटी या इस एक्ट के अधीन बनाई गई किसी दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर या कर्मचारी भारतीय दंड संग्रह की धारा २१ के आशय के अन्तर्गत जन-सेवक समझा जायगा।)

इस धारा २ के जरिये से गांव पंचायत के सभी सदस्य पब्लिक सर्वेण्ट होंगे जैसा कि मंशा धारा २१ इंडियन पेनल कोड की है और जो इस समय धारा १२२ के अन्तर्गत बनाई जायगी उसमें अधिकांश गांव पंचायत के मेम्बर्स होंगे, जो कि पब्लिक सर्वेण्ट धारा २८ की रू से होंगे। लिहाजा ऐसा कहना कि इस समिति का कोई भी मेम्बर पब्लिक सर्वेण्ट न हो बमूजिब धारा २१ इंडियन पेनल कोड के गलत सी बात साबित होती है। लिहाजा इसके मंजूर करने में भी मुझे दिक्कत है। इन सब वजूहात के बाद मैं फिर एक बार अपने मित्र को सलाह देता हूँ कि हालांकि वह हैं। नहीं, कि अपनी तरमीम को वापस ले लें और अगर नहीं लेते हैं तो मेरी यह बड़ी पेनफुल ड्यूटी (दुखद कर्तव्य) होगी कि मैं इसकी मुखालिफत करूं।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन नवाब ऐजाज रसूल ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के चार हिस्से हैं, पहले हिस्से में तो यह कहा गया है कि जो समितियां स्थापित की जांय उनमें वही लोग हों जिनके पास भूमि है, दूसरे और तीसरे हिस्से में उन समितियों को अधिकार देने की बात रखी गई है और जो चौथा हिस्सा है उसमें यह रखा गया है कि समिति का कोई भी सदस्य पब्लिक सर्वेण्ट न हो, जिससे कि उसका सदस्य यह न समझे कि वह स्वतन्त्र नहीं है बल्कि सरकार की आज्ञा पर ही उसे चलना चाहिये।

[श्री गुरु नारायण]

अभी माननीय माल मन्त्री जी का भाषण मैंने सुना और मुझे तो उससे आश्चर्य ही हुआ है। इस पूरे कानून का जो आधार है वह इस पर है कि ज़मीन उसकी है जो जोतता है। जो जोतता है उसकी ज़मीन है तो फिर उसको अधिकार भी होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो नहीं जोतता है वह बहुमत में आये और कोई नुकसान कर सके। जो जोतता है वह मालिक है तो फिर क्यों अधिकार देने में सरकार संकोच करती है और तमाम इस तरह की बातें पेश करती है। जहां तक पहले हिस्से का ताल्लुक है मैं भी कहता हूं कि जो भूमि जोतता है उसीकी भूमि है और उसीको अधिकार भी मिलना चाहिये क्योंकि जिसके पास भूमि है वही समझ सकता है कि इस भूमि के सम्बन्ध में क्या इंतजाम किया जा सकता है, उसको कुछ न कुछ तजुर्बा होता ही है, लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको क्या तजुर्बा होगा कि वह भूमि का प्रबन्ध कर सके। ऐसी हालत में यह रखना आवश्यक है कि जिसकी भूमि है उसका ही उसमें इंतज़ाम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपका मौलिक आधार है, जिस पर आप सारा कानून बनाने जा रहे हैं कि ज़मीन उसीकी है जो टिलर आफ दी स्वायल है, वही समाप्त हो जाता है। यह मैं कल ही निवेदन कर चुका हूं कि अगर किसी भी समिति में नान ऐग्रीकलचरिस्ट हैं, यानी भूमि के जोतने वाले जो नहीं हैं उनका बहुमत हो गया तो फिर उसमें बहुत ही झगड़े पैदा हो जायेंगे और बहुत ही नुकसान होगा, इसलिये यह जरूरी है कि समिति में वही हों जो कि टेन्योर होल्डर (खातेदार) हैं।

इस संशोधन में दूसरी बात अधिकार देने की है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन अधिकारों का विरोध सरकार की तरफ से क्यों होता है। आपकी मन्शा क्या है? आप देहातों में जाकर हर जगह यह कहते हैं कि हम विलेज रिपब्लिक्स (गणराज्य) बनाने जा रहे हैं, हम गांवों को पूरा अधिकार दे रहे हैं, परन्तु आप अधिकार कहां देते हैं? कहते हैं आप लेकिन वास्तविकता में उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं चाहे पञ्चायत राज्य ऐक्ट हो या दूसरा हो हर तरह से गांव के रहने वालों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। कहने के लिये अधिकार हैं लेकिन कोई भी अधिकार आप उन्हें देना नहीं चाहते हैं। उसमें आपको क्या आपत्ति है। पतरौल और पटवारी की नियुक्ति करने और हटाने तक का अधिकार इन समितियों को नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि इन छोटे-छोटे कर्मचारियों के हाथ में यह समितियां नाचेंगी और कोई भी स्वतन्त्रता के साथ काम नहीं कर सकेगा। इसलिये यह आवश्यक है जब आप विलेज रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं तो आपको खुले दिल से उनको अधिकार देने चाहिये। उनको ट्रस्ट किया जाये और उनको महसूस हो कि उनको अधिकार भी प्राप्त हैं। जब आप उनको भूमिधारी के अधिकार देते हैं तो फिर

आप उनको इस अधिकार से क्यों वञ्चित करते हैं कि वह पटवारियों को न निकाल सकें और न नियुक्त कर सकें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नतीजा यह होगा कि यह विलेज रिपब्लिक स्वयं अपना गला घोंट-घोंट कर मर जावेगी और कोई स्वतंत्रता नहीं रह पावेगी।

अब इसके बाद चौथी बात यह है जिसके जरिये कहा गया है कि उनको पब्लिक सर्वेंण्ट नहीं समझा जायेगा। बात यह है कि ज्यादातर जो पञ्चायतें हैं वह किन्हीं मानों में भले ही स्वतंत्र हों लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस सरकार है कल दूसरी सरकार हो सकती है। अगर कोई भी सरकार हो जब पञ्चायतें रहेंगी और काम करने वाले होंगे अगर अपने को पब्लिक सर्वेंण्ट की हैसियत से रखेंगे तो उनको यह खटकेगा कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। कोई बात ऐसी न हो कि सरकार नाराज हो जाये। भले ही आज सरकार इसका फायदा उठा ले लेकिन कल वही होगा और आयन्दा इससे बड़ा नुकसान होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें स्वतन्त्र रखिये और वह आजाद तरीके से काम करें। उनको पब्लिक सर्वेंण्ट की हैसियत देना गलत चीज है। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि यदि सरकार की मन्शा यह है कि यह जो विलेज रिपब्लिक बन रहे हैं इनको सच्चे अधिकार मिलें, जिससे यह सही माने में अपना विकास कर सकें, तो उनका फर्ज यह है कि उनको अधिकार भी दे। यह नहीं कि कागज में कह दिया कि रिपब्लिक बनेंगे अधिकार न दिये जायें। कलेक्टर द्वारा अथवा अन्य तरीकों से अधिकारों में प्रतिबन्ध लगा दिये जा । पटवारी को हटाने और नियुक्त करने के अधिकार होने चाहिये। अगर आप वाकई चाहते हैं कि विलेज रिपब्लिक, जैसा कि आप देहातों में कहते फिरते हैं अपना विकास कर सकें। तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको अधिकार दें ताकि वह अपना विकास पूरी तरह कर सकें। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है। मैं केवल दो तीन बातों की ओर इस सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि संशोधन का पहला अंश जो यह रखा गया है की धारा १२२ के अधीन स्थापित समितियों में केवल ऐसे सदस्य होंगे जो खातेदार हों। इस सम्बन्ध में ५८८ नम्बर पर एक संशोधन उपस्थित किया गया था उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें यह था कि धारा १२२ के अधीन स्थापित समितियों में ऐसे सदस्य होंगे जिनके लिये समिति स्थापित की गई है और जो भूमिधर, सीरदार, आधिवासी या आसामी हों। भवन ने इस विषय पर काफी विचार किया और इस बात का निश्चय किया कि समिति का सदस्य वही होगा जो भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी, हो बल्कि प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य होगा। उस बात को इस संशोधन में पुनः दोहराया गया है कि जो

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

खातेदार है वही सदस्य होगा। इस चीज़ पर तो यह भवन निर्णय कर चुका है। अब उस निर्णय के प्रतिकूल कैसे सदन पुन: निर्णय करेगा, मुझे आशा है कि सदन अपने निर्णय पर कायम रहेगा। धारा १२३ के अंश दूसरे और तीसरे में जो संशोधन रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं पंचायत राज ऐक्ट की धारा २२ और २३ पढ़ देना चाहता हूं धारा २२ में यह है—

"A Gaon Panchayat may make to the proper authority (a) any representation concerning the welfare of the persons residing within its jurisdicton, and: (b) Any recommendation as to the appointment, transfer or dismissal of a patrol of the Irrigation Department, patwari or Mukhia serving in any area within the jurisdiction of such Gaon panchayat"

[किसी गांव पंचायत को अधिकार होगा कि वह उपयुक्त अधिकारों के पास :—

(क) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वालों की भलाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दे, और

(ख) ऐसी गांव पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सिंचाई विभाग के पतरौल, पटवारी या मुखिया की नियुक्ति बदली या बर्खास्तगी के लिये सिफारिश करे।]

धारा २३ यह है :—

"On receving a complaint from any person residing within the Jurisdiction of a Gaon panchayat about any misconduct in the discharge of their official duties by any amin, process-server, vaccinator, constable, patwari, patrol of the Irrigation Department or peon of any Government Department, such panchayat may, if there be prima facie evidence, forward the complaint to the proper authority with its own report. The authority shall, after such enquiry as may be required, take suitable action and inform the Gaon panchayat of the result."

[किसी गांव पंचायत के अधिकार २३ क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति से अमीन, मजकूरी, टीका लगाने वाला, सिपाही (कान्स्टेबिल), पटवारी, सिंचाई विभाग के पतरौल या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के विरुद्ध सरकारी कर्तव्यों के पालन करने में, दुराचरण के बारे में शिकायत मिलने पर ऐसी पंचायत को, यदि प्रकटरूप से प्रमाण हों, अधिकार होगा कि वह उस शिकायत को अपनी रिपोर्ट के साथ उपयुक्त अधिकारी के पास भज दे।

उस अधिकारी की मान्य होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने पर, जो करना आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करे और उसके नतीजे की सूचना गांव पंचायत को भेज दे।]

गांव पंचायत राज्य एक्ट के अधीन गांव पंचायत को इन सब सरकारी मुलाजिमों के बारे में शिकायत करने और अपना रिप्रेज़ेण्टेशन (प्रतिनिधित्व) देने का मौका दिया गया है। अब नवाब साहब अपने संशोधन के जरिए से यह चाहते हैं की पटवारी और परारोल को बरखास्त करने का अधिकार दिया जाये और सबको मुअत्तल करने का। जहां तक बर्खास्तगी का सवाल है उसके लिये उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी के अलग कायदे बने हुये हैं। भूमि समिति को यह अधिकार दे दिया जाये यह बहुत ज्यादा बात होगी। गांव पंचायत का जहां तक सम्बन्ध है वह तो ठीक है। गांव भर की चुनी हुई गांव पंचायत होती हैं। पूरा-पूरा पंचायत को इस विषय पर विचार करने और उनके खिलाफ़ रिपोर्ट करने का अधिकार होना चाहिये। भूमि समिति को यह अधिकार देना नामुनासिब है। गांव पंचायत को जो अधिकार रिकमेंड (सिफारिश) करने के लिये दिये गये हैं वे मुनासिब हैं। नवाब साहब ने कहा कि मुअत्तल के अधिकार होने चाहिये। मुअत्तल करने का अधिकार होगा तो उसकी जगह पर नियुक्ति करने का अधिकार किसको होगा, आया कलेक्टर को रिपोर्ट देने के बाद नियुक्ति होगी। मुनासिब यही है कि जो डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट उसको सज़ा दे। रिकमेंडेशन (सिफारिश) करने का पूरा अधिकार गांव पंचायत को है और उस रिकमेंडेशन (सिफारिश) पर काफी गौर होगा। इसलिये यह जो आपने कहा कि मुअत्तल करने या बर्खास्त करने का अधिकार दे दो यह बहुत नामुनासिब चीज़ होगी। क्योंकि इतने ज्यादा अधिकार फौरन के फौरन दे देना इससे उनका दुरुपयोग हो सकता है और जल्दबाजी में बहुत गलत बातें हो सकती हैं। बहुत सी दलीलें जो नवाब साहब की तरफ से दी गयीं उनमें बहुत सी ठीक हैं। उनको इन सब चीजों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए और जो शिकायत हो उसके मुतल्लिक जांच पड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए और वह पंचायत राज्य ऐक्ट में दिया हुआ है। मैं नहीं समझता उसको दोबारा इस ऐक्ट में लाने की क्या जरूरत है। पंचायत राज्य ऐक्ट में जो यह अधिकार है उसका उपयोग पंचायतें कर सकती हैं। मैं कुंवर गुरु नारायण साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विसेज़ को उन्होंने गलत समझा है। यह नहीं है कि वह उनको आज्ञा देते रहेंगे या उनसे कोई हुकुम चलवाते रहें। पब्लिक सर्वेण्ट की बाबत जो पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर रखा गया है उसकी दफा २८ इस तरह से है कि-

"Every member or servant of a panchayati Adalat, a Gaon panchayat, a joint commitee or any other commitee constituted under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

[किसी पंचायती अदालत या गांव पंचायत या संयुक्त कमेटी या इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई किसी दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर या कर्मचारी भरतीय दण्ड संग्रह की धारा २१ के आशय के अन्तर्गत जन सेवक समझा जायगा।]

इस तरह का आदमी पब्लिक सर्वेण्ट समझा जायगा। जहां तक हिफाजत का सवाल है वह उसके लिये काम करेगा। बहैसियत एक पंचायत सदस्य के लेकिन उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत नहीं होगी जो कि उसके सेफगार्ड के लिये रखा गया है, उनकी हिफाजत के लिये रखा गया है, ताकि उनको ड्यूटी देने में कोई रुकावट न हो इसलिये यह चीज रखी गई है। आपने उसका दूसरा मतलब समझा कि यह जो पब्लिक सर्वेण्ट होंगे उसी तरह से होंगे जैसे गवर्नमेंट के होते हैं और वह गवर्नमेंट के हुकुम के मुताबिक काम करेंगे। कानून के मुताबिक जो रूल्स (नियम) बनें उनका पालन करना तो हरएक का कर्तव्य है। गवर्नमेंट सर्वेण्ट की तरह से नहीं बल्कि उसको अपनी ड्यूटी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से देना नहीं होगा एक सामुहिक जिम्मेदारी से अन्जाम देना होगा। इस मायने में यह पब्लिक सर्वेण्ट का शब्द रखा गया है। इसलिये नवाब साहब ने जो संशोधन उपस्थित किया है कि पब्लिक सर्वेण्ट का शब्द न रखा जाय यह तो उनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। उनके हकूक को बढ़ाना नहीं है बल्कि इस तरह से घटाना है। इस लिये मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों पर गौर करके नवाब साहब इसको वापस ले लेंगे।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, मैंने निहायत गौर के साथ आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू की तकरीर सुनी। क़ब्ल इसके कि मैं और कुछ कहूं यह कहना मुनासिब समझता हूं कि उनकी तकरीर के उन अल्फ़ाज़ के मुताल्लिक अर्ज़ कर दूं जो उन्होंने मेरे मुताल्लिक फरमाये हैं। आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने फरमाया है हस्बदस्तूर मैं इस बात का आदी हूं कि अपनी तकरीर करने के बाद जब जवाब होता है तब उसको सुनने की तक़लीफ गवारा नहीं करता। मैं इसके जवाब में एक शेर ही पढ़ना चाहता हूं—

लगती हैं गालियां भी तेरे मुंह से अजीब,
कुरबान जाऊं फिर मुझे कहदे उसी तरह।

मैं तो अपनी बातों का जवाब उसी तरह से सुनने के लिये तैयार रहता हूं। यह तरमीम जो हाउस के सामने है यह इस तरह की तरमीम नहीं है जिस को मामूली बातों के जैसा समझ कर या हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर साहब के डिजरे (कानून) जो मौर्य साहब हैं वह इस मामूली तरीके से खत्म करदें। मेरे ख़याल में इस तरमीम के अन्दर बहुत ख़ास बात सामने रखी गई है। अब अगर आप हकीकतन चाहते हैं कि गांव पंचायत और गांव सभायें कोई काम करें और आपका मंशा भी यही है कि आइन्दा चलकर यहां पर सही

मायने में विलेज रिपब्लिक कायम हो और उसमें गांव के रहने वाले सही मायनों में हिस्सा ले सकें, मुल्क का इन्तजाम करने में वह पूरा हिस्सा ले सकें, तो यह तरमीम ऐसी है कि जो इस बिल की जान है। मुझे अफसोस है कि ऐसी तरमीम की मुखालिफत आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू कर रहे हैं। इस तरमीम की गरज आनरेबिल मुहरिक ने जिन्होंने इस तरमीम को पेश किया है निहायत वजाहत से बयान कर दी है। सबसे पहिली चीज जो इस तरमीम में है वह यह है कि हम यह चाहते हैं कि देहात में जो कमेटियां हों उसके जो मेम्बरान हों वे वही लोग हों जिनका ताल्लुक जमीन से हो। जो यह समझते हैं कि हमारी रोजी जमीन से वाबस्ता है। अगर दूसरे लोग मेम्बर बनाये जायेंगे तो वे तमाम अख्तियारात जो गांव वाले किसानों को हासिल होते हैं वे उन लोगों को हासिल हो जायेंगे और उनको किसानों की ट्रेनिंग भी न मिल सकेगी, जो कि एक लाजिमी चीज है। जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं क्या वे यह जुर्रत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम यह चाहते हैं कि गैर जमाअती तबके के लोग इन कमेटियों में आयें और उन कमेटियों के जो इंपोर्टेंस है उन्हें खत्म कर दें। आज हमारे कांग्रेस के साहबान जो बड़ी आवाजों से चीख चीख कर इस बात का दावा किया करते हैं कि हम टिलर आफ दी स्वायल (कृषकों) का भला चाहते हैं वे उनको आज इस बात का भी मौका देंगे कि वह बाकायदा मुल्क की हुकूमत में हिस्सा लेकर अमली हैसियत से साथी बनें। लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि जब उनके सामने कोई तजवीज या तरमीम पेश की जाती है जो इस समाज को समाज बना सकती है तो वे उस तजवीज को मंजूर करने में पशोपेश करते हैं। मैं खुसूसियत के साथ मुतवज्जह करना चाहता हूं डिप्टी लीडर आफ दि हाउस को, कि वे इस बात पर गौर करें कि वे किधर बहे चले जा रहे हैं। उन्होंने गांव वालों और जराअत पेशा लोगों को पहिले से क्या कहा था, इक्लेशन के अन्दर क्या कहा था और अब बाई इलेक्शन के अन्दर क्या कहा है, तो क्या आप इन तमाम तक़रीरों के बाद यह कह सकते हैं कि जो आपने गांवों में कहा उसके मुताबिक अपना फर्ज अदा कर रहे हैं ?

(इस समय ६ बजकर १ मिनट पर माननीय अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष श्री नफीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

इस तरमीम का मक़सद यह है कि वह अहलकार और वह अमले वाले जो गांवों में काम करते हैं उनके ऊपर कोई चेक नहीं है वे सही तौर पर अपने काम को अंजाम दिया करें। मिसाल के तौर पर पटवारी को लीजिये उसका और किसान का चोली दामन का साथ है। आये दिन पटवारी ग़लतियां करते हैं और मुकदमेबाजी और ज्यादतियां उनकी वजह से होती हैं, उनको रोकने और दुरुस्त करने का क्या जरिया हो सकता है। आप सभाओं को ऐसे अख्तियारात दें कि वह यह

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]
देख सकें कि पटवारी ठीक तरीके से अपने फरायज़ को अन्जाम देता है या नहीं लेकिन आप चाहते हैं यही जुल्म ज्यादतियां और मुक़दमेबाज़ी क़ायम रहे।

जवाब में क्या अजीब बात आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने फरमाई कि साहब एक और कानून है जिसके तहत के अन्दर पटवारियों का तकर्रुर देहात में होता है और यह कैसे मुमकिन है कि इस तरमीम को क़बूल करके उस ऐक्ट को खत्म कर दिया जाय। क्या आप भूले जा रहे हैं कि आपने इस ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट को लाने में कितने ऐक्टों को तरमीम किया है? आपने दर्जनों नहीं बल्कि बीसों ऐक्टों को तरमीम कर डाला है। क्या आप इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते कि अगर आपके रास्ते में कोई कानून हायल होता है तो उसको तरमीम किया जाय और यह कहना कहां तक मुनासिब होगा कि चूँकि ऐक्ट तरमीम करना पड़ेगा इसलिये इस तरमीम को मंजूर नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेटर के फरायज़ हममें से कौन नहीं जानता। हममें से ज्यादातर मेम्बर साहबान गांवों से ताल्लुक रखते हैं क्या वह नहीं जानते कि वह लोग अपने फरायज़ को ठीक तरह से अन्जाम नहीं देते, जिसका नतीजा यह होता है कि बच्चों में तमाम स्माल पाक्स, चिकिन पाक्स और तरह-तरह की बीमारी आए-दिन फैलती है, जिनको रोकने के लिये आपने वैक्सीनेटर का ओहदा कायम किया है। अगर हम कानून के जरिए उनपर चेक रखना चाहते हैं तो क्या बेजा है। इसी तरीके से नहर के पतरौल हैं और उनकी हरकात जो देहात के भाई काश्तकार या ज़मींदार हैं वह सब जानते हैं। मेरे जिले के मेम्बरान जो यहां पर मौजूद हैं उनसे मैं खास तौर से अर्ज़ करूंगा कि क्या उनको यह नहीं मालूम कि पतरौल क्या-क्या गजब ढाते हैं और किस तरह से गलत इंद्राज करते हैं और इस महकमे में किस तरह से बेतहाशा बिना रोक टोक के रिश्वत चलती है। अगर वाकई इस तरह की चीज़ है तो आप उसपर क्या रोक लगाते हैं, क्या चेक रखते हैं जिससे गांव वाले इस चीज़ की देख भाल कर सकें। इसी गरज़ को पूरा करने के लिये यह तरमीम रखी है जिसको आप मन्जूर नहीं करना चाहते हैं। क्या आप इसको कामयाब बनाने के लिये दूसरे ऐक्ट में तरमीम नहीं कर सकते हैं? अगर आप इस तरह की छोटी छोटी रुकावटों की वजह से इस सूबे की और समाज की तरक्की नहीं करना चाहते और कानून की बेहतरी और बहबूदी नहीं करना चाहते तो बड़ा अफसोस होता है। अगर ऐसी बात है तो कोई वजह नहीं है कि आप इस हाउस का वक्त जाया करें और तमाम यहां बहस मुबाहिसा हो और नतीजा हर चीज़ को यहां पेश करने का कुछ भी न निकले। इसी तरह से गांव का चौकीदार है आए दिन यह होता है कि हजारों केसेज अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट नहीं होती और अगर होती भी है तो वह गलत तरीके से टैम्पर कर के होती है। आप गांव के लोगों को मौका दीजिए कि सही केसेज की रिपोर्ट हो। आप देखते हैं कि गांव में जो कानिस्टेबिल जाता है वह ऊधम मचाता है

और तरह-तरह से लोगों की जेबों से रुपया निकालता है। अगर हम कहते हैं कि गांव की सभा को मुकर्रर कर दीजिए कि वह इन मुज़ालिमों से गांव के लोगों को बचावे तो आपको गरां मालूम होता है और आप इसको कबूल नहीं करते। आप किस तरह से हकीकतन चाहते हैं कि गांववालों की भलाई हो, वह ऊँचा सर करके चल सकें और वह भी समझ लें कि किस तरह से गांव का इंतज़ाम होता है। या तो आप यह कहना छोड़ दीजिए कि हम जरायती तबके की भलाई चाहते हैं और टिलर आफ दि स्वायल (कृषक) को आसायश पहुंचाना चाहते हैं या आप इस तरमीम को मन्जूर किजिए। आप यह न समझें कि गांव के रहने वाले इतने बेवकूफ हैं, अब उनको अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज़ हो गई है। ताज्जुब है कि वह ज़मींदार जिनको उनका खून चूसने वाला कहा जाता था आज वही ज़मींदार उनकी हिमायत में खड़े हैं और वह गवर्नमेंट जिसका दावा था कि गांववालों की बात ऊँची हो, बुलन्द हो और उनकी बेहतरी हो और टिलर आफ दि स्वायल (कृषक) की हालत बेहतर हो आज इस तरफ मुतवज्जह नहीं है और कांग्रेस के साथी भी मुँह झुकाए बैठे हैं।

मुझे इन लोगों की यतीमी पर अफसोस आता है कि आप सब साहबान किस मुँह से अब पब्लिक के सामने जांयगे। किस मुँह से अब गांववालों के सामने जांयगे और क्या कहेंगे। अगर किसी शख्स को आप धोखे में लाकर और झूठे सच्चे वादे करके एक दफा, दो दफा धोखा दे सकते हैं तो अँग्रेज़ी की इस पुरानी मिसाल को याद रखिये कि कभी दुनिया के तमाम आदमियों को आप एक वक्त में बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यह मुमकिन है कि कुछ आदमियों को कुछ वक्त के लिये बेवकूफ बना लें, लेकिन तमाम आदमियों को हमेशा के लिये बेवकूफ नहीं बना सकते। वह ज़माना ख़त्म हो गया जब इस क़िस्म की चीजें कोई असर रक्खा करती थीं। अब दुनिया इस बात को समझने लगी है। आपके कारनामे इलेक्शन के अन्दर आपके आमाल से देखे जांयगे, इससे नहीं देखे जांयगे कि मौर्य जी ने क्या तक़रीर की थी। इससे देखे जांयगे कि क्या आमाल किये थे। मैं यह देख रहा हूँ कि ज़मींदार तबका जिसके मुताल्लिक गांव के रहने वालों को आपने हमेशा एक भयानक सूरत दिखाई कि ये हैं तुम्हारे दुश्मन, आज वे उनकी हिमायत के लिये खड़े हुये हैं। आप साहबान, जिनके लिये गांववालों ने जान दी, जिन्होंने, जेड० ए० एफ० के लिये अपने जेवर बेच कर दिया, मुझे अफसोस है कि इस तरमीम के मुताल्लिक़ ऐसी राय रखते हैं। आख़िर आपकी यह जुर्रत कैसे होती है कि आप इस तरमीम की मुख़ालिफत करें? कांग्रेस के मेरे दोस्त मेम्बर साहबान कैसे ख़ामोश बैठे हुये हैं? मेरे ख़याल में उन्हें चीख़ कर खड़े हो जाना चाहिये और बुलन्द आवाज़ से कह देना चाहिये कि पार्टी के बन्धन हमारे रास्ते में हायल नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि सही मानों में विलेज रिपब्लिक क़ायम हो।

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

और अगर वे इस वक्त खामोशी अख्तियार किये रहेंगे तो, माफ कीजियेगा, वे अपने फर्ज को सही मानों में अन्जाम नहीं दे रहे हैं। बहरहाल, यह चीज़ आपके फैसला करने की है। अपोजीशन का काम यह है कि जनाब सदर की तवस्सुत से अपने ख्यालात को आप तक पहुंचा दे। चुनांचे इस फर्ज की अदायगी अपोज़ीशन के हर मेम्बर की जानिब से की जा रही है। मैं अफसोस करता हूँ कि आपको अपोज़ीशन की बातें गरां मालूम होती हैं। आप नहीं चाहते कि इस हाउस में कोई भी अपोज़ीशन हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब जमाना बदल गया है। अगर आपका यही तरीका रहा तो जितने यस मैन (हां में हां मिलाने वाले) आज आपके पास बैठे हुये हैं उनकी तादाद कम होती जायगी। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर इस तरमीम पर खासतौर से आप गौर करें और इसको मंजूर करें वरना आपका कोई मुंह नहीं रहेगा गांव वालों के पास जाकर यह कहने का कि हमने विलेज रिपब्लिक क़ायम की है, जिसकी आप बड़ी डींग हांकते हैं। इन अल्फाज़ के साथ मैं पूरे तौर पर आनरेबिल मोहरिक की ताईद करता हूं जिन्होंने इस तरमीम को निहायत क़ाब्लियत के साथ पेश किया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मसले पर बहस बन्द की जाय और सवाल रखा जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में–७१
विपक्ष में–६

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बेहद अफसोस है कि गवर्नमेंट हर वक़्त एक नया तरीका और टैक्टिक्स अख्तियार करती है और वह अपने खास आदमी, मौर्य साहब जो कि पीछे बैठे हुये हैं, उनके जरिये से ऐसे सब काम करा लेती है। अव्वल तो आपने हमारे लिये गिलोटीन का रिज़ोल्यूशन (संकल्प) पास किया और कहा कि जमींदारी अबालीशन बिल ४० दिन में पास हो जाना चाहिये और अब आप ज़बांबन्दी भी करना चाहते हैं और हम लोगों को फ्रीडम आफ़ स्पीच (भाषण स्वतन्त्रता) भी नहीं देना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि कोई बहस ही न हो, बल्कि एक या दो तक़रीरें होने के बाद गिलोटीन कर दिया जाय। गवर्नमेंट का यह तरीक़ा निहायत गलत है और मैं इसके खिलाफ निहायत स्ट्रांग प्रोटेस्ट करता हूँ और कहता हूं कि अगर यही हाल रहा तो मुझे एक शेर याद आगया और वह यह है —

"जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का"

हमारे लीडर, नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां साहेब ने और दीगर मेम्बरान ने आपको अच्छी तरह वाज किया कि आप यह कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप तो जनता के टिकट पर आये हैं और अपने आपको जनता की सरकार कहते हैं, फिर आपको इस बात से परेशान नहीं होना चाहिये कि अगर अवाम को यह मालूम हो गया कि आप उनके अख्तियारात छीन रहे हैं तो वे आपके खिलाफ हो जावेंगे। इस घबराहट की वजह से आपने यह तरीका अख्तियार किया कि जबाबन्दी कर दो और फौरन गिलाटीन रिजोल्यूशन ला दो। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट का यह तरीका निहायत गलत और नामुनासिब है।

आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि पतरोल और अमीन कैनाल ऐक्ट के मातहत मुकर्रर किये जाते हैं और इस वजह से मिनिस्टर साहब मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी का तकर्रुर लैंड रेकार्ड मैनुअल से है लिहाजा उनके ऊपर भी अधिकार किसी बिल से नहीं दिये जा सकते हैं। मैं हजूर-वाला का तवज्जह शैडयूल ३ की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने १६ ऐक्ट तरमीम किये हैं। क्या यह नहीं हो सकता है कि आप अमीन और पटवारी की तकर्रुरी की बाबत जो सेक्शन हैं उसे तरमीम कर सकें? इसमें आपने बंगाल परमानेंट रेग्यूलेशन ऐक्ट, बनारस फेमिली डोमेन्स रेग्यूलेशन, गर्जेकि आपने १६-ऐक्ट तरमीम किये हैं तो अब क्या आप एक या दो सेक्शन्स और तरमीम नहीं कर सकते जिसके जरिये आप गांव वालों को अच्छे अख्तियारात दे सकते हैं? आप लिस्ट २ की तफसील देखें तो मालूम होगा कि आपने यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट को इस ऐक्ट के मातहत कितना तरमीम किया है। जब यह ऐक्ट तरमीम हो जावेगा तो लैंड रेकार्ड मैनुअल जो इस कानून की बिना पर बनाई गई है, भी खत्म हो जावेगी। मैं उस कानून की याद दिला रहा हूं जिसको आप खत्म करने जा रहे हैं। मैं इस मसले पर खास तौर से मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ और कहता हूं कि एक तरफ तो आप दुनिया में यह कहते हैं कि सरकार विलेज रिपब्लिक्स बनाने जा रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात देना चाहती है और दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकतें करते हैं। आप खुद सोचें कि यह कहां तक जायज और मुनासिब है। मैं सरकार की तवज्जह हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के आर्टीकिल ४० की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें सूबे को और तमाम मुल्क को डाइरेक्टिव्ज दिये गये हैं और जिसके मातहत यह हाउस कार्यवाही कर रहा है।

"The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government."

(राज्य-ग्राम पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।)

[श्री ऐजाज रसूल]

हम अपोजीशन की तरफ से यह अमेंडमेंट पेश करते हैं और यह चाहते हैं कि ये अख्तियारात देहात के लोगों के हैं और उन विलेज रिपब्लिक्स को दिये जांय लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट इसको रेजिस्ट करती है। चौकीदार, अमीन, पटवारी और पतरौल वगैराह का पूरा अख्तियार गवर्नमेंट अपने ही हाथ में रखना चाहती है। यह सरकार का कहां का मुनासिब तरीका है ? आप अंग्रेजी हुकूमत की कुर्सी पर बैठ कर आये हैं और उन्हीं के तरीके पर चलना चाहते हैं। आप कोई चीज भी गांव वालों को देना नहीं चाहते हैं। पंचायत राज ऐक्ट सन् १९४७ ई० में पास हुआ और उस वक्त यह आर्टिकिल हमारे पास नहीं था। अब यह डाइरेक्टिव आपके सामने मौजूद है और आप उसकी परवाह नहीं करना चाहते। वह गवर्नमेंट और वह पार्टी जोकि इस वक्त हिन्दुस्तान भर में बरसरेइक्तदार है और जिसने यह कांस्टीट्यूशन बनाया है उस पार्टी के मिनिस्टर आज कांस्टीट्यूशन की डाइरेक्टिव को नामंजूर करना चाहते हैं और चाहते है कि इस डाइरेक्टिव के बावजूद भी सरकार के अख्तियारात अमीन, पटवारी और चौकीदार वगैरह के ऊपर क़ायम रहें और ये विलेज रिपब्लिक्स को न दिये जांय।

मौर्य साहब ने यह सवाल किया कि मुअत्तली के बाद कौन और कैसे किसको अप्वाइंट (नियुक्त) करेगा। अमेंडमेंट में उसूल माना जाता है और उसूल की बात हमने कह दी। इसमें दफा १२९ है जिसमें कायदे बनाये जायंगे। अगर हमारी तरमीम मान ली जाती है तो उसके अन्दर क़ायदों में यह बात आ सकती है कि अगर पटवारी मुअत्तल होगा तो उसका काम कैसे चलाया जावेगा। यह सब डिटेल (विस्तार) की बात है और रूलस में गवर्नमेंट बड़ी आसानी से इन सबको ला सकती है।

जैसा हमारे लीडर, नवाब जमशेद अली खां साहब ने फरमाया, आपने अपने रिजोल्यूशन (संकल्प) में जोकि ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को पास हुआ था, रखा था कि आप इन्टरमिडियेरीज़ (मध्यवर्ती) को निकाल कर टिलर आफ दी सायल (कृषक) को अख्तियार देना चाहते हैं और ज़मींदारों को खत्म करके काश्तकारों को सब अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि आप यह सब महज ज़ाहिरा दिखलाना चाहते हैं और असल में देना दिवाना कुछ नहीं चाहते। आप वही तरीका अख्तियार करना चाहते हैं जो सोवियट रूस में किया गया था। आप उनकी नक्ल कराना चाहते हैं। वहां उन्होंने ज़ाहिरा यह कर दिया है कि मैनेजमेंट सोवियट के अख्तियार में रहे। आप भी यहां यह कहते हैं कि सरकार पञ्चायत को अख्तियार देना चाहती है। वहां उन्होंने यह किया कि एक चेयरमैन मुक़र्रर कर दिया जो तनख्वाहदार होता है और उसीको तमाम अख्तियारात होते हैं। यहां सरकार ने एक मामूली सेक्रेटरी एप्वाइंट कर दिया और उसी को पूरे अधिकार देना चाहती है। आप देखें कि पहले तो पञ्चायत राज ऐक्ट में था कि इन सेक्रेटरीज़ को पञ्चायतें मुक़र्रर

करेगी। बाद में सरकार ने महसूस किया कि अगर वह अपने हाथ में उनका अप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) नहीं लेगी तो मालूम नहीं कि देहात में क्या तब्दीली हो जाय। तो इसलिये फौरन गवर्नमेंट ने क़ानून में तब्दीली की और सेक्रेटरीज़ के अप्वाइंटमेंट की पावर्स अपने हाथ में लेलीं। आप रूस की नक़ल कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कोई पावर्स गांव वालों के हाथ में न चली जाय। आपके लिये यह डिक्टेटरशिप मुनासिब नहीं मालूम देती। मुझे अफ़सोस है कि मुझे ये सब बातें कहनी पड़ीं लेकिन अगर मौर्य साहब गिलोटीन का प्रस्ताव नहीं लाते तो ऐसा नहीं होता।

आप देखें कि पटवारी का फंकशन क्या है वह तमाम गांव के लैंड रेकार्डस और खेती-बाड़ी के मुताल्लिक़ सब चीजें लिखता है। मौके की पञ्चायत ही उसके काम की देखभाल कर सकती है और काग़ज़ात को ठीक तरीके से रखवा सकती है। लेकिन जब पञ्चायत का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा तो बावजूद इसके कि आपने आज भी तमाम तरीके अख्तियार किये हैं, पटवारी पञ्चायत की परवाह नहीं करेगा और उसके हथकंडे वैसे ही रहेंगे जैसेकि आजकल हैं। अगर हमारे दोस्त जो कि हमारे सामने बैठे हुये हैं इंसाफ़ और इमानदारी से कहें तो मालूम होगा कि उनमें से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहने के बावजूद भी पटवारी का बाल बांका नहीं कर सके। उनका काम नहीं हो सकता जबतक कि वे खुद जाकर पटवारी से नहीं मिल लेते और काग़ज़ात दुरुस्त नहीं करा लेते। मैं यह चाहता हूँ कि पटवारी के रेकार्डस ठीक रहें। अगर आप पटवारी के ऊपर कुछ अख्तियारात गांव पञ्चायत को दे देंगे तो वह यह समझेगा कि अब उसे काग़ज़ात ठीक रखना है क्योंकि मौके पर गांववाले कभी भी उनकी जांच कर सकेंगे। अब होता क्या है कि पटवारी क़ानूनगो से मिला हुआ है और क़ानूनगो तहसीलदार से और इसी तरह से होता चला जाता है। एक पार्टी जिसको वे चाहते हैं उसीका साथ दिये चले जाते हैं ऊपर तक। अगर आप यह चाहते हैं कि जो रेकार्डस ख़राब हैं वे दुरुस्त न होने पावें तो आप मौजूदा चीज़ को ही बरक़रार रख सकते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप भूमिधर बना रहे हैं और सब अधिकार गांववालों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पटवारी को भी, जिसकी तनख्वाह सिर्फ ३० रू० माहवार है, अपने अख्तियार से निकाल कर गांववालों को नहीं देना चाहती है। क्योंकि आप समझते हैं कि उसका असर है। कहीं वह पञ्चायतों के असर में चला गया तो जब वोट का वक्त आयेगा तो यह पटवारी हमारा साथ नहीं देगा और नतीजा यह होगा कि हमको इलेक्शन में नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह नवाब जमशेद अली साहब जो हमारी पार्टी के लीडर हैं वह पतरौल और अमीन की बाबत फरमा चुके हैं। आनरेबिल मिनिस्टर आफ कम्यूनिकेशन मौजूद हैं, मैंने भी और नवाब जमशेद अली साहब ने भी तक़रीरें फरमाईं लेकिन उन्होंने इसका

[श्री ऐजाज रसूल]

कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वह यह समझते हैं कि यह ठीक बात है कि पतरौल ठीक आबयानी लिखते नहीं हैं। गवर्नमेंट के पास हजारों शिकायतें जाती हैं। गवर्नमेंट उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करती है कुछ मालूम नहीं है। सब लोग परेशान रहते हैं। हम लोग अपनी कांस्टिट्यूयेंसी से इन टच (निर्वाचन क्षेत्रों के सम्पर्क में हैं और यह जानते हैं कि वहां क्या हालत है। मिनिस्टर साहब को और सरकारी अधिकारियों को अपने काम की वजह से फुरसत नहीं मिलती है कि वह इन चीजों को देख सकें। दूसरी बात यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट (नहर विभाग) में ऊपर से नीचे तक करप्शन इन्तिहाई पर है। जब ऊपर से नीचे तक करप्शन (भ्रष्टाचार) है तो यह जरूरी हो जाता है कि ऊपर वाले नीचे के लोगों को स्पोर्ट करें। जब आप पञ्चायतों को तमाम अख्तियारात दे रहे हैं और पञ्चायतों को रूरल रिपब्लिक बना रहे हैं और जैसा मैंने आर्टिकेल ४० आफ दी कांस्टिट्यूशन आफ इण्डिया की तरफ मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाई उसमें इसके लिये डिरेक्टिव (निर्देश) भी है, इन सब बातों के होते हुये आपको पञ्चायतों को यह भी अख्तियारात देना चाहिये। वैसे तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और इस गवर्नमेंट से भी गलतियां हो सकती हैं। आप देखिये कि अगर एक ऐक्ट पास होता है तो उसमें बाद में बहुत से अमेंडमेंट होते रहते हैं। पञ्चायत राज ऐक्ट और दूसरे बहुत से ऐक्ट हैं जिनको जल्दबाजी करके पास कर दिया गया और फिर बाद में नतीजा यह हुआ कि उनमें बहुत से अमेंडमेंट करने पड़े। यही सब चीजें हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जह करनी चाहिये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पञ्चायत चौकीदार या कांस्टेबिल को अप्वाइंट (नियुक्त) करें, बल्कि मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि अगर प्राइमाफेसी (स्पष्टतः) केस बन जाय तो पञ्चायतों को यह अख्तियार रहे कि वह मुअत्तल कर सकें और अपनी रिकमेंडेशन्स सिफारिशें गवर्नमेंट के पास भेज दें। अगर गवर्नमेंट कुछ तहकीकात के बाद यह समझे कि यह जो रिपोर्ट पञ्चायत ने की है वह ठीक है तो वह मौकूफ करदे या जैसा गवर्नमेंट ठीक समझे वैसा करे। आप अगर पुलिस स्टेशन्स में जाइये तो आज भी वहां वही पुराना तरीका है। आप वैक्सिनेटर को देखिये तो वही पुराना तरीका है। आप प्रासेस सर्वेयर को देखिये तो वही पुराना तरीका है। मौजूदा गवर्नमेंट के आने से और जनता की गवर्नमेंट के आने से कोई तब्दीली नहीं हुई है। जो बेढंगा तरीका पहले था वही आज भी है। हम यह चाहते हैं कि वह पुराना तरीका बन्द हो जाय और आप गांव वालों को अख्तियार दे दें। आप एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) कीजिये। एक्सपेरीमेंटस (प्रयोग) में सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। आपको एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) करके देखना चाहिये कि इस मसले में क्या नतीजा होता है। मेरे ख्याल में इस से देहात की बहुत सी चीजें ठीक हो जायंगी। आज होता यह है कि दफा १०७ में लोग पकड़ लिये जाते हैं। अगर कहीं

चोरी किसी गांव में हो जाती है तो थानेदार, कांस्टेबिल और चौकीदार पहुंचते हैं और रुपया वसूल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा करने से पुलिस कांस्टेबिल यह समझेगा कि अगर हम रुपया वसूल करवायेंगे, तो विलेज पंचायत को अख्तियार हमारी मुअत्तली का है। तो नतीजा क्या होगा ? यह करप्शन (भ्रष्टाचार) बन्द हो जायगा। लेकिन गवर्नमेंट तो खुद करप्शन फैलाना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को क्या डर है। गवर्नमेंट प्लान तो बहुत कुछ करती है लेकिन करप्शन बन्द करने के लिये कोई तरीके नहीं निकाले। कोई सुधार नहीं किया। मैं पूछता हूं कि आपने आज तक विलेज सिस्टम में क्या सुधार किया है। अगर इस वक्त उधर की बेंचज के मेम्बरान से पूछा जाय तो वह यही कहेंगे जो आप कहते हैं। लेकिन जब वे हम को अलहदा मिलते हैं तो कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं। हम क्या करें। मिनिस्टर साहब मानते ही नहीं। उन के हुकुम से चलना पड़ता है। लिहाजा हम मजबूर हैं। मैं कहता हूं कि ज़रा हिम्मत कीजिये। कुछ लोग हिम्मत कर इधर बैठते हैं। आप भी हिम्मत कीजिये और इधर आइये। अगर आपने यह तरीका अख्तियार न किया तो इस सूबे का क्या हश्र होगा। उस तमाम खराबी के ज़िम्मेदार मिनिस्टर साहबान होंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जिस गैर जिम्मेदारी के साथ हमारे मित्र नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने अपनी आखिरी तक़रीर की है मैं उस गैर जिम्मेदारी के साथ अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी कहना नहीं चाहता। आपने बिला वजूह माक़ूल यह फरमाया कि यह सरकार करप्शन (भ्रष्टाचार) को बढ़ाना चाहती है, कम नहीं करती है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चहता हूं कि यह जनता की सरकार है और यह सरकार करप्शन को खत्म करना चाहती है और बहुत अंशों में खत्म भी कर चुकी है। यह इल्ज़ाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। हमारे मित्र नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने नहर विभाग के मुताल्लिक़ यह फरमाया कि उसमें सबसे ज्यादा करप्शन (भ्रष्टाचार) है। मैं उनको दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि वह एक भी मिसाल सबूत के साथ इस ऐवान के सामने पेश करें। मुझे यक़ीन कामिल है कि क़तई इस बात का सबूत नहीं। और ऐसी गैरजिम्मेदारी के साथ अहलकारों पर ऐसे इल्ज़ामात इस सदन के सामने लगाना इस सदन और उनकी शान के खिलाफ है। आपने यह फरमाया कि रूस का तरीका हम अमल में लाना चाहते हैं। रूस का नाम सुना होगा। मुझे तो न कभी मौक़ा हुआ है न होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि नवाब साहब को भी कभी मौक़ा न मिला होगा और न मिलेगा। ख्वाब में गये हों भले ही। मैं अर्ज करता हूँ कि अगर रूस का तरीक़ा अख्तियार किया जाता तो जिस तरीके से नवाब साहब ने तक़रीर की है वह कर नहीं सकते थे। वे तमाम तरीके गवर्नमेंट कभी भी पसन्द नहीं करती। लेकिन हां, अगर उनकी दिली

[माननीय श्री हुकुम सिंह]
ख्वाहिश है तो उनका तर्जेअमल ऐसा है कि वे तरीके खामखा रायज हो जायंगे उसमें सरकार का जरा भी हाथ या दोष नहीं होगा। हमारे नवाब साहब ने दुनियां भर की बातें कही। यह भी फरमाया कि नयी नयी टैक्टिक्स (चालें) अडाप्ट कर (अपना) रहे हैं। जबान बन्दी भी हो रही है। मैं क्या बताऊँ। जो जानबूझ कर मामले को समझना न चाहे उस को कौन समझा सकता है। इसी ऐवान में अपोजीशन की तरफ से उस गिलोटिन रेजोलयूशन के बाद न मालूम कितने क्लोजर मोशंस यहां पेश किये और हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ ताईद की और वे पास हुये। मैं देखता हूं कि इन दो चैप्टरों के लिये तीन दिन थे। मैं सेलेक्ट कमेटी की बात कहना नहीं चाहता। वह इतना इम्पार्टेंट नहीं है कि जिसमें इतनी लम्बी लम्बी तकरीरों की जरूरत हो। अगर तरीका यह अख्तियार किया जाता है तो फिर किस तरीके से यह कहा जाता है कि गिलोटीन नहीं होना चाहिये ख्वाह ग़लत तरीके से लम्बी-लम्बी तक़रीरें की जांय या सही तरीके से। इस सदन का समय बड़ा अमूल्य है। इसको इस तरह से मामूली बातों पर सर्फ करना यह अपोजीशन के इंटेरेस्ट के ही खिलाफ जाता है। अगर क्लोजर मूव किया जाय तो आप को यह ख्याल हो कि जबानबन्दी की जाती है। और नहीं तो इर्रलेवेंट (असम्बद्ध) बातें कह कर वक्त लेने की कोशिश की जाती है। और जो अहम बातें आगे आने वाली हैं उनके लिये समय बाकी नहीं रह जायगा। इसी उद्देश्य से क्लोजर मोशन्स इस सदन के सामने पेश किया गया है। उससे अपोजीशन को ही फायदा है न कि सरकार का कोई फायदा है। सरकार तो हमेशा अपोजीशन की मदद करने के लिये तैयार है, लेकिन अगर वह अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ा मारे तो भी सरकार सूसाइड का जुर्म लगाकर उनको रोकना चाहेगी कि वह अपने पैरों में कुल्हाड़ा मार कर खुदकशी न करें। आप प्रोटेस्ट्स इस तरह से किया करें, जनता खूब समझती है कि आपके प्रोटेस्ट्स का क्या मतलब है। दुनिया खूब समझती है। नवाब साहब खूब अपने दिल ही दिल में खुश हो लें कि बड़े मारके की बात कह दी, लेकिन दुनिया खूब समझती है कि जो कुछ हो रहा है वह क्या है। इस सदन का समय बचाकर अपोजीशन को अहम कामों पर विचार करने के लिये मौका देना ही इस गवर्नमेंट की मंशा है आगे जो चेप्टर ८ आरहा है। वह बड़ा अहम चेप्टर है। उसमें समय लगाइये और अच्छी तरह से उस पर विचार कीजिये ताकि अगर कोई गलत बातें हों तो दुरुस्त की जा सकें। जहां तक संशोधन का ताल्लुक है उस सम्बन्ध में तमाम अनर्गल बातें कही गई हैं। मैं उन अनर्गल बातों का जवाब दे कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता। हमारे नवाब जमशेद अली साहब आज भी रवाना हो गये। आप कहते तो हमेशा हैं कि जवाबी तक़रीर में रेवेन्यू मिनिस्टर को सुनने के लिये आता हूं लेकिन मौके पर वह रहते नहीं हैं। मेरी बदकिस्मती है कि मैं तो जा नहीं सकता जब वह तकरीर करते हैं क्योंकि डिसेंसी

और नियम की रू से मुझे यहां रहना चाहिये और मैं हट नहीं सकता और हर शख्स की जायज और नाजायज बातें सुनने के लिये मजबूर हूँ, लेकिन जब मेरे जवाब देने का मौक़ा आता है तो वे कहकर चले जाते हैं। मैं मजबूर हूं, बेबसी का आलम है, और सुन लेना ही मेरा फर्ज सा हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में सारी जिस्मानी कूव्वत लगा दी और बात क्या कही। कोई नई बात नहीं कही। मैं इस बात का मुश्ताक़ रहा कि ज़रा कोई नई बात सुन लूं लेकिन वही पुरानी बात कि बड़े-बड़े वादे थे बड़े-बड़े नारे थे लेकिन सरकार उन वादों के खिलाफ जा रही है और जनता का कान्फ़िडेंस सरकार से खत्म हो रहा है। जब कभी खड़े हुये और गुस्से में आये तो इन बातों को दुहराया। क्या जवाब दिया जाय। कल भी मैंने आपसे कहा था और आज उसको दुहराना नहीं चाहता सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को पूरा अहसास है कि उसका फर्ज मन्सबी क्या है। और आपके ही कहने के मुताबिक अगर सरकार हार जायगी तो आपका ख्वाब पूरा हो जायगा फिर आपको क्यों परेशानी है। आप क्यों सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार जनता से हटती जाती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार को यह यकीन कामिल है कि सरकार अपने फर्ज मन्सबी को पूरी तौर से अन्जाम दे रही है। और जनता सरकार के साथ है और सरकार जनता के साथ है। और जहां तक तरमीम का ताल्लुक है उस सम्बन्ध में मैंने काफी कहा है उसको मैं दुहराना नहीं चाहता। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १२३ रख दी जाय:—

> "१२३ (१)—धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के केवल ऐसे सदस्य होंगे जो खातेदार (enure holder) हों,
>
> (२) धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति को सिंचाई विभाग (Irrigation Department) के पतरौल (patrol) तथा अपने अधिक्षेत्र में कार्य करने वाले पटवारी की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होगा।
>
> (३) धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति अपने अधिक्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, अमीन (Amin), सम्मन-तामील करने वाले (Process server), टीका लगाने वाले (Vaccinator), गांव के चौकीदार (Village Chowkidar), सिपाही (Constable)

[उपाध्यक्ष]

या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के ऊपर सरकारी कर्तव्य पालन करने के सम्बन्ध में दुराचार (misconduct) का अभियोग लगाये जाने पर, उनकी तुरन्त जांच करायेगी और अभियोग अपनी तजवीजों और सिफारिशों सहित (Complaint with the findings and recommendations) गांव सभा के पास भेज देगी, जो उस वृतान्त (report) को राज्य सरकार (State Government) के पास अपनी सिफारिशों (recommendations) सहित भेज देगी। यदि किसी अधिकारी पर लगाया गया अभियोग समिति को सिद्ध (proved) ज्ञात हो जाय तो राज्य सरकार के निश्चित आदेश (final orders) आने तक, समिति को उसे मुअत्तल करने का अधिकार होगा।

(४)—इण्डियन पेनल कोड (Indian Penal Code) की धारा २१ के अन्तर्गत, धारा १२२ के अधीन स्थापित समिति का कोई भी सदस्य जनता सेवक (public servant). नहीं समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में ६

विपक्ष में ५५)

श्री राम शंकर लाल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १२३ के प्रतिबन्ध की पंक्ति १ के शब्द "किन्तु" के बाद शब्द "पहला" बढ़ा दिया जाय और अन्त में निम्नलिखित दूसरा तथा तीसरा प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"दूसरे एक प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त सदस्य होने या रहने का अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति न होगा, जो—

(क) अस्वस्थमनस्क (Of unsound mind) हो,

(ख) कुष्ट रोग से पीड़ित हो,

(ग) अनिर्मुक्त दिवालिया (undischarged insolvent) हो,

(घ) इस राज्य या किसी स्थानिक अधिकारिकी का ऐसा सेवक हो जो गांव समाज के क्षेत्र या उसके किसी विभाग में काम करता हो, या

(ङ) ऐसा व्यक्ति हो जो नैतिक पतन-द्योतक (involving moral turpitude) किसी अपराध से अभिशस्त (convicted) हो या जिसे सच्चरित्रता (good behaviour) के लिये कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, १८६८ की धारा ११० के अधीन जमानत देने की आज्ञा हुई हो,

और तीसरे, एक यह प्रतिबन्ध और है कि खण्ड (ग) या (ङ) में लिखी अनर्हता (disqualification) राज्य सरकार या नियत अधिकारिकी (Prescribed Authority) की आज्ञा से हटाई भी जा सकती है।"

इस सन्शोधन में दो बात कही गई हैं। एक तो यह कि जो लोग बाई नेचर सदस्य होने के अयोग्य हैं वे और दूसरे वे लोग जिनका समाज की दृष्टि से हिस्सा लेना ठीक नहीं होगा। मेरे दोस्त श्री एजाज रसूल ने एक संशोधन दफा ११५ में मूव किया था उस वक्त कहा गया था कि इसकी मुनासिब जगह १२३ में होगी। यह ऐसा संशोधन है कि लैंड मैनेजमैंट के लिये इसकी जरूरत है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन ऐसा है जिसको हमारे मित्र नवाब एजाज रसूल साहब ने दफा ११५ में पेश किया था उस वक्त यह कहा गया था कि उस मौके पर वह मुनासिब नहीं था और आगे चलकर उसपर गौर किया जायेगा। यही वह मौका है और वही संशोधन आया है इससे हमारे मित्रों के दिलों की मुराद पूरी होगी। लिहाज़ा मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब है और मैं अर्ज करूंगा कि कुव्वते तमीजी आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खत्म हो चुकी है। दफा ११५ डील करती है गांव समाजके कांस्टीटयूशन से और दफा १२३ उन कमेटियों से डील करती है जिसके दस मेम्बर होंगे। इन दोनों दफाओं को अगर गौर से पढ़ें तो इनमें दो चीजें हैं दफा ११५ उससे डील करती है जो गांव सभा के एडल्ट मेम्बर्स होंगे। अगर उस वक्त इसको मन्जूर नहीं किया और हमारे नवाब साहब ने अपने सन्शोधन को विडड्रा (वापस) कर लिया तो मैं दोनों की अक्ल पर शुबहा करता हूं। अव्वलन तो अगर आप पंचायत राज्य ऐक्ट को पढ़ें तो वहां गांव सभा के कांस्टीटयूशन में यह प्रावीजन मौजूद है।

[श्री अब्दुल बाकी]

जहां गांव सभा का कांस्टीटयूशन था। वहां आपने इसको नहीं लिया तो इसके माने यह हुए कि गांव सभा में हर वह मेम्बर हो सकता है चाहे वह बैंकरप्ट हो या ईडियट(बेवकूफ) हो या पागल हो एडल्ट (व्यस्क) होना चाहिये।

आनरेबिल मिनिस्टर साहब यह समझते हैं गोया उन्होंने बड़ा तीर मारा, लेकिन वह यह नहीं समझते कि वह तीरख़ता कर गया। दफ़ा २३ जो है उस कमेटी से मुताल्लिक़ है जो गांव सभा इन्तख़ाब करेगी। इस कमेटी के मुताल्लिक़ आपने कहा कि यह लोग मेम्बर नहीं होंगे। आप मुझे बतलाएं कि यह जो तरमीम है यहां बैठती है या वहां बैठती है। अब मैं आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह दिलाऊंगा इन दोनों दफाओं को फिर पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर इस पर ग़ौर करेंगे तो बजाय इसके कि उन्होंने ताईद की है, वह अपनी ताईद से हटेंगे और उनका यह तसलीम करना पड़ेगा कि यह तरमीम जो है वह मिसप्लेस्ड (स्थान भ्रष्ट) है और ऐजाज़ रसूल साहब की तरमीम जो है वह वेल प्लेस्ड (उक्ति स्थान पर) थी। अगर वह यह फर्क नहीं समझते तो मेरे लिए बड़ी दुश्वारी है, मैं उनसे और क्या अर्ज़ कर सकता हूं। मैं यह समझता हूं कि अगर आप ११५ में इन तमाम सूरतों को तजवीज़ कर दिए होते तो इसमें कि कोई मेम्बर अनसाउन्ड माइंड (पागल) का न होगा, अनडिस्चार्जड इनसाल्वेंट (अनिर्मुक्त दिवालिया) न होगा, कंविक्टेड (अभिशस्त) न होगा, गुड बेहेवियर (सदाचारी) का होगा, यह सब प्रावीजन करने की ज़रूरत न पड़ती। गांव सभा इस तरह की होगी तो उन्हींमें से इन्तख़ाब होगा। गांव सभा के मेम्बरान की यह क्वालिफिकेशंस (योग्यतायें) होंगी तो उन्हीं में से इन्तख़ाब होगा तो कुदरती तौर पर दफा १२३ में सिर्फ वे मेम्बर आ सकेंगे जिनकी क्वालीफिकेशनन्स (योग्यताएं) सही होंगी। अगर यहां पर यह तरमीम मंजूर कर लेते हैं तो इसके यह मानी होते है कि गांव समाज का मेम्बर अनसाउण्ड माइंड (पागल) का हो सकता है, अनडिस्चार्जड इन्साल्वेंट (अनिर्मुक्त दिवालिया) हो सकता है, ऐसा मेम्बर हो सकता है जिसमें इख़लाकी कमज़ोरी मौजूद हो, वह ऐसा मेम्बर हो सकता है जो कंविक्टेड (अभिशस्त) हो और जो गुड बेहेवियर का न हो। अलबत्ता कमेटी का मेम्बर नहीं हो सकता। आप ज़रा इस फर्क को समझें। अगर आप फर्क पर ग़ौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन्डायरेक्टली यु आर डिफीटिंग दी एम आफ पंचायत राज्य ऐक्ट (अप्रत्यक्ष रूप से आप पंचायत राज्य ऐक्ट के उद्देश्य को विफल बना रहे हैं।)

माननीय श्री हुकुम सिंह—पंचायत राज्य ऐक्ट की कौन सी दफा है ?

श्री अब्दुल बाकी—पंचायत राज्य ऐक्ट के सभा के कांस्टीट्यूशन में आप इन दफाओं को ऐड (जोड़) कर रहे हैं। गांव समाज में आप इन्हें ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेम्बरान की दफा में ऐड (जोड़) कर रहे हैं। इन चंद जुमलों

के बाद यह बात वाजेह होगी कि यह तरमीम अपनी जगह पर सही नहीं है। इसका यह मुकाम नहीं था बल्कि ११५ पर मुकाम था। वहां पर आपने बेसमझे यह कह दिया कि यह तरमीम एक जगह आई है। मैं समझता हूँ कि इस जगह पर यह तरमीम बहुत बेमौके, बेमहल है, बड़ी नामुनासिब है। इसको रिजेक्ट होना चाहिये।

श्री साजिद हुसैन—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बाकी साहब की राय से इत्तिफाक करता हूं। इस तरमीम को सरकार की तरफ से यहां लाने के यह मानी हैं दूसरे कुछ भी कहें वह गलत है चाहे कितना ही सही हो, खुद चाहे जिस कदर बेमौके और बेमहल हो, अपनी जबान से जो निकल गया वह ठीक है। यह सरकार की जहनियत है। मैंने जो अल्फाज कहे उनसे मैंने कहा कि मैं बाकी साहब से इत्तिफाक करता हूं। जब उनसे इत्तिफाक किया तो इसके मानी यह हुये कि उन्होंने जो कहा उसको मैंने एंडोर्स (समर्थन) किया। इस वक्त तरमीम पेश करना सरकार की गलती होगी और उसको सही मौके पर तरमीम पेश करनी चाहिये। यह चीज कौंसिल में मुनासिब जगह पर लाई जा सकती है बजाय इसके कि वह यह जिद करे और गलती को कायम रहने दें। इसके तो मानी यह हुये कि पागल आदमी को वोट का हक दिया जा रहा है। और एक शख्स जो ऐसा करे उसके दिमाग के मुताल्लिक लोगों की क्या राय हो सकती है। क्या हालत होगी उस जहनियत की जो ऐसा काम करे और फिर आप यह कहें कि आला दिमाग हैं। और और बातों के मुताल्लिक तो इतना सख्त एतराज नहीं हो सकता लेकिन जहां तक इस पागल का ताल्लुक है और उसको हक देने वाले के मुताल्लिक दुनियां और यह सभा फैसला कर सकती है कि उसको क्या कहा जायगा। मेरे पास तो इसके लिये अल्फाज नहीं हैं और तह्जीब भी हारिज होती है कि मैं उनके दिमाग की तारीफ करूं। इस सिलसिले में जो भी कुछ कहा जाय वह कम ही है। ऐसी सूरत में हालत यह है कि "बस" निकल चुकी है लेकिन यह तो आपकी पुरानी आदत है आप अमेंडमेंट ले आवें। इसलिये बदनामी के लिहाज से आप अपनी तजवीज को वापस ले लें और उसे मुनासिब मौके पर लायें, अभी वह मौका हाथ से नहीं गया है। कौंसिल के स्टेज में वह चीज आ सकती है। वह मौका नहीं जाने देना चाहिये और फर्ज कीजिये कि आप इस मौके पर भी भूल जाय तो आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। इस वक्त तो नावक्त हो गया है यह चीज पहले ही आनी चाहिये, लेकिन यह भी इस बात को बताता है कि यह डिक्टेटरशिप है, आप जब चाहे तब जो चाहें कर सकते हैं। एक सिनेमा की लेडी ने क्या ही अच्छा कहा—

I can have my breakfast in the bath."

(मैं अपना नाश्ता गुसलखाने में कर सकती हूं।)

[श्री साजिद हुसैन]

अब दुनियां इस बात का फैसला करे और प्रेसमैन जो उनके सबार्डिनेट हैं वे इस वक़्त अपने दिमाग़ से काम लेकर इस चीज़ पर कमेंट करें।

श्री राम शंकर लाल—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दो दोस्तों ने उस संशोधन का जो मैंने पेश किया है, विरोध किया। पहिले तो यह कहा गया कि यह रीस्टेटमेंट है। उनका कहना था कि दफा ५ पञ्चायत राज ऐक्ट का यहां रिस्टेटमेंट हो गया है, यह नहीं होना चाहिये। मेरे ख्याल में रिस्टेटमेंट हो जाने में कोई ख़राबी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि वे लोग यह भी कहते हैं कि यह संशोधन दफा ११५ में होना चाहिये। वह तो एक प्रिन्सिपिल ऐनन्सियेट (घोषित) करता है। गांव सभा का क्या कांस्टीटयूशन होगा और उसके जो मेम्बर होंगे उनका क्या फंक्शन होगा यह अलग है। हमने गांव पंचायत ऐक्ट में यह पास किया है कि गांव पंचायत या गांव सभा का मेम्बर या वोटर वह आदमी नहीं हो सकता है जो अनसाउंड माइन्ड का हो। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि गांव समाज जब आप खेतिहरों का, खेती करने वालों का बनाना चाहते हैं तो क्या यह मुनासिब बात होगी कि गांव का कोई आदमी जो कोढ़ी या पागल है अगर उसके पास खेती है या वह सीरदार, भूमिधर, असामी या अधिवासी है तो वह उसका मेम्बर न हो। यह किसी तरह से सही नहीं है। लेकिन अगर मेरे दोस्त इस पर ग़ौर करेंगे तो मालूम होगा कि जो प्रिन्सिपिल ऐनन्सियेट किया गया है कि उसको मेंबर होना चाहिये तो यह मुनासिब मालूम होता है। आगे १२२ में लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई जायगी। वह इस तरह से बनेगी कि वह पंचायत पंचों की जो उस गांव के हों होगी और उसमें इतने आदमी कोआप्ट कर लिये जायेंगे जो उसूल के मुताबिक़ ठीक हों। अब सवाल यह आता है कि उनका फंक्शन क्या हो? अनसाउंड माइंड का आदमी काम नहीं कर सकता है और दूसरे इस तरह के लोग हैं कि जो सज़ा पाये हुये हैं या ज़मानत पर छूटे हैं तो जो लोग इसमें नहीं होंगे उनको दफा १२३ में रखा गया है। दफा ११५ जहां पर यह संशोधन आने को कहा जाता है वह तो प्रिन्सिपिल को ऐनन्सियेट करता है। अगर मेरे दोस्त ग़ौर करेंगे तो यहां पर यह अमेंडमेंट सही पायेंगे ज़रा ग़ौर की ज़रूरत है। यह संशोधन श्री एजाज़ रसूल के संशोधन का थोड़े से अल्फ़ाज़ का हेरफेर है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी मुनासिब जगह यही है और यहीं पर इसको होना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह हाउस इसको मन्जूर करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२३ के प्रतिबन्ध की पंक्ति १ के शब्द "किन्तु" के बाद शब्द "पहला" बढ़ा दिया जाय और अन्त में निम्नलिखित दूसरा तथा तीसरा प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"दूसरे एक प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त सदस्य होने या रहने का अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति न होगा, जो—

(क) अस्वस्थमनस्क (of unsound mind) हो,

(ख) कुष्ट रोग से पीड़ित हो,

(ग) अनिर्मुक्त दिवालिया (undischarged insolvent) हो,

(घ) इस राज्य या किसी स्थानिक अधिकारिकी का ऐसा सेवक हो जो गांव समाज के तंत्र या उसके किसी विभाग में काम करता हो, या

(ङ) ऐसा व्यक्ति हो जो नैतिक पतन-द्योतक (involving moral turpitude) किसी अपराध से अभिशस्त (convicted) हो या जिसे सच्चरित्रता (good behaviour) के लिये कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, १८९८ की धारा ११० के अधीन जमानत देने की आज्ञा हुई हो,

और तीसरे एक यह प्रतिबन्ध और है कि खण्ड (ग) या (ङ) में लिखी अनर्हता (disqualification) राज्य सरकार या नियत अधिकारिकी (Prescribed Authority) की आज्ञा से हटाई भी जा सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं एक शाब्दिक और कान्सीकुएन्शियल अमेंडमेंट (परिमाणिक संशोधन) अगर इजाजत हो तो लाना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, यह तय हो चुका है कि पहले से लिख कर अमेंडमेंट इस तरह से आना चाहिये।

उपाध्यक्ष—मैं कायदा जानता हूं, कान्सीकुएन्शियल के लिये नोटिस की जरूरत नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह—यह जो संशोधन है उसमें लीगल प्वायंट आफ व्यू से (वैध दृष्टि कोण) से कुछ गड़बड़ी मालूम होती है। यदि ऐसा कर दिया जाय कि

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि (१) यदि ऐसे सदस्यों की संख्या दस से कम हो, तो गांव सभा के ऐसे सदस्य, जो तत्सम्बन्धी मंडल के हों, गांव के समाज के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे, जिन्हें मिलाकर समिति के सदस्यों की संख्या दस हो जाय।

[श्री सिंहासन सिंह]

(२) उक्त सदस्य होने या रहने का अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति न होगा, जो ......

(क) अस्वस्थमनस्क (of unsound mind) हो,

(ख) कुष्ट रोग से पीड़ित हो,

(ग) अनिर्मुक्त दिवालिया (Undis charged insolvent) हो,

(घ) इस राज्य या किसी स्थानिक अधिकारिकी का ऐसा सेवक हो जो गांव समाज के क्षेत्र या उसके किसी विभाग में काम करता हो, या

(ङ) ऐसा व्यक्ति हो जो नैतिक पतन द्योतक (Involving moral turpitude किसी अपराध से अभिशस्त (Convicted) हो या जिसे सच्चरित्रता (good behaviour) के लिये कोड आफ क्रिमिनल प्रोसडयोर, १८९८ की धारा ११० के अधीन जमानत देने की आज्ञा हुई हो,

(३) खंड (ग) या (ङ) में लिखी अनर्हता (lisqualification) राज्य सरकार या नियत अधिकारिकी (prescribed authority) की आज्ञा से हटाई भी जा सकती है। यही मेरा प्रस्ताव है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—ज़बान नई है इस वजह से भले ही भद्दी लगे, लेकिन जिन शब्दों में अब तक यह पास हुई है उसमें कोई कानूनी नुक़्स नहीं है, लिहाज़ा मैं इस तरमीम को मंजूर करने में मजबूर हूं।

श्री सिंहासन सिंह—अगर सरकार को भद्दी ज़बान रखना स्वीकार है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से यह प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री साजिद हुसैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जो कुछ कहा गया उससे हमारी सरकार का काफी एक्सपोज़र (भंडा फोड़) हुआ। उन्होंने अपनी ग़लती को फिर भी मानने की ज़हमत गवारा नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पूरी धारा पर बहस हो रही है ?

उपाध्यक्ष—आप क्या समझ कर तकरीर करने खड़े हुये हैं ?

श्री साजिद हुसैन—मैं तो पूरी धारा पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष—जी हां, उसी पर है।

श्री साजिद हुसैन—इस धारा के जरिये से जो अख्तियारात गांव को और गांव की उस कमेटी को मिलने चाहिये और जिसके मुताल्लिक़ हम लोगों ने

इशारा किया, सरकार को किसी तरह से हमारी बात स्वीकार नहीं हुई। उसकी वजह है, और वजह यही है कि सरकार की एक डफिनिट (निश्चित) पालिसी है और वह पालिसी डिक्टेटरशिप की है, और डिक्टेटरशिप भी कौन सी, मेरे ख्याल में रूसी डिक्टेटरशिप नहीं, बल्कि हिटलर वाली डिक्टेटरशिप।

एक सदस्य—यह आप किसके लिये कह रहे हैं ?

श्री साजिद हुसैन—यह मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूं जो डेमोक्रेसी की सुबह शाम कसम खाते हैं। तो आप देखें कि कोशिश यह की गई कि उनके छोटे-छोटे अधिकारी जो हाथ नहीं, उंगलियां हैं, जो गांव को अपने पंजे में रखे हुये हैं, यानी पटवारी, चौकीदार वग़ैरह-वग़ैरह, उनकी ताक़त में किसी तरह की कमी न आये। जमींदार का एक हाथ दरमियान में है। वह मिसाले बफर के काम कर रहा है। जमींदार के हटने के बाद सरकार का वह पंजा जिसकी उंगलियां यह छोटे-छोटे अधिकारी हैं, ग़रीब गांव के रहने वालों की गर्दन के ऊपर होगा। यह शक्ल है। हमारी तरफ से यह संशोधन हुआ कि साहब जो लोग काश्तकारी नहीं करते हैं उनको आप उस कमेटी में न रखिये जो कमेटी काश्तकारी के मामले को और ज़मीन के एलाटमेंट वग़ैरह के सिलसिले में हो। जो कमेटी उसका इंतजाम करे उसमें आप ग़ैर काश्तकार को न रखिये। सरकार ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि वहां ग़ैर काश्तकार को लाने के माने यह हुये कि सरकार उस छोटी सी बाडी में भी डिवाइड एंड रूल (भेद डालिये और शासन कीजिये) करना चाहती थी। दो कंट्राडिक्टरी इंटरेस्टस की जमातें उस बाडी में लाना चाहती है ताकि उसमें एक फ़र्क पैदा हो। एक तरफ तो यह छोटे-छोटे अधिकारियों के ज़रिये से उन पर कंट्रोल करेंगे और दूसरे उनके आपस में भी एक डिवीजन पैदा कराना यह सब उसी मुख्य पालिसी के मातहत है यानी जिसको कहते हैं कि वह ऐबसोल्यूट रूल डिमोक्रेसी के परदे में करना चाहते हैं। कामयाबी उनकी हो या न हो यह तो ज़माने की हालत पर है, लेकिन कोशिश उनकी १६ आने इस बात की है कि वह किसी तरीके से सरकार के पंजे से निकल न पायें और हर वक्त सरकार के दबाव में रहें ताकि जब पांच साल के बाद सरकार को वोटों की ज़रूरत पड़ेगी तो यह मशीनरी कस दी जायगी और वोट सरकार को मिल जायेंगे। एक संशोधन में हमारी तरफ से यह कहा गया था कि साहब जो चीज़ डिवाइड एंड रूल की इस कमेटी में कायम की जा रही है वह नहीं होनी चाहिये। मैं तो यह कहूँगा कि आप यह चाहते हैं कि एक आध पैटी डिक्टेटर कायम हो जाय दूसरों पर जब्र करें यानी आप चाहते हैं कि बाई स्टेजिज़ वहां भी डिक्टेटरशिप पहुंचा दी जाय। मेरे ख्याल में यह एक गवर्नमेंट की पालिसी है और निहायत ही ग़ौर व खौज़ के बाद वह इस पालिसी तक पहुंची है। वह इन बातों को न कहे, लेकिन

[श्री साजिद हुसैन]

चूंकि उनके हाथ में पावर है, इसलिये वह इसको डेमोक्रेसी के परदे में करते हैं, यानी इस तरीके से गांव का कंट्रोल और स्ट्रैंगुलेशन (गला घोटना) वह करना चाहते हैं। कोई इम्पाटट हकूक जब इत्तिफाक से उनके रास्ते में पड़ जाते हैं तो उनको निहायत आसानी के साथ और निहायत मीठी जबान से वह उनसे निकाल लेना चाहते हैं और उनकी जो सामाजिक जिन्दगी है और जो वहां की उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी है उसमें वह हाथ डालना चाहते हैं। सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी के यह इतने छोटे-छोटे पुर्जे कामयाब हों या न हों लेकिन इस सरकार ने ऐसी चीज कायम की है जो शायद अंग्रेजों के जेहन में भी नहीं आ सकती थी या अगर अंग्रेजों की जेहन में आती तो शायद उसी तरीके से आती जैसा कि इस सरकार के जेहन में है। इसके अलावा हमारी सरकार किसी हद तक अंग्रेजों की शागिर्द भी है। आज वह निहायत शान के साथ यह कहते हैं कि हम विलेज रिपब्लिक बना रहे हैं लेकिन उस विलेज रिपब्लिक में वह इन्टरनल डिसरप्शन (आंतरिक दरार) की बुनियाद डालना चाहते हैं यानी अन्दर से उसमें डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, दो मुख्तलिफ इंट्रेस्ट के लोगों को यानी लैंडलेस (भूमि रहित) और लैंडिड आदमियों को ला करके अन्दर से वह क्लैश पैदा करना चाहते हैं और ऊपर से अपने छोटे-छोटे अधिकारियों के जरिए से जो हर बात में रोड़े अटकायेंगे उनका कंट्रोल करना चाहते हैं। आया हिन्दुस्तान का आदमी इतना मर गया है, इतना मुर्दा हो चुका है कि वह इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा, यह तो तवारीख ही बतलायेगी। मगर जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है जो डेमोक्रेसी का दावा करती है और उसके हाली मोहाली डेमोक्रेसी का डंका पीटते हैं उनकी कोशिश यह है कि यह चीज कामयाब हो। वह एक किस्म की डिक्टेटरशिप और कंट्रोल कायम करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने पागलों के वोट को भी कमांडियर कर लिया है। जब किसी तरीके से उनको कामयाबी एलेक्शन में न हो तो पागलों को इकट्ठा करके उनसे वोट डलवाया जाय। दुनिया में मैंने आज तक नहीं सुना किसी पागल को कोई हुकूमत वोट देने के लिये तैयार होती हो। इस संशोधन के जरिये से उसने पागलों को वोट दिया, लेकिन यहां तो सिर्फ यह है कि अपना कंट्रोल किसी तरीके से कायम रखना है। किसी तरीके से वह अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाना चाहते हैं। अपना चुंगल देहातों पर रखना चाहते हैं। मगर मुझे यकीन है कि किसान इन जंजीरों को तोड़ देगा। यह तो आइन्दा एलेक्शन ५१ का नतीजा बतलायेगा लेकिन इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है। वह तरीका जोकि सरकार ने अंग्रेजों से पाया यानी डेमोक्रेसी, उस ढांचे में चंगेज खां की रूह लाना चाहते हैं यानी डिक्टेटरशिप की स्पिरिट (भावना) डेमोक्रेसी में लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी हिन्दुस्तान की चीज नहीं है और मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान डेमोक्रेसी के लिये तैयार नहीं है

लेकिन सरकार का दावा है कि हिन्दुस्तान डेमोक्रेसी के लिये तैयार है। जाहिर है कि वह किस तरह से चलेगी। उसका यह नमूना है। एक मसल है, "बद अच्छा बदनाम बुरा।" उसी उसूल पर यह सरकार चलती है। बदी चाहे जितनी करें लेकिन बदनामी न हो। जिस तरह आप चाहें जनता का कलेजा निकालें, लेकिन बदनामी न हो। यह सरकार की ज़हनियत है।

श्री अब्दुल बाक़ी--जनाबवाला, मैं खड़ा हुआ हूं इस मुखालिफत में कि दफा १२३ इस बिल का जुज़ नहीं होनी चाहिये। १२३ जो हमारे सामने है उसके अल्फ़ाज़ अगर पढ़े जायँ तो उससे यह मालूम होगा कि जिस तरीके से यह दफा मुरत्तब की गई है, उसमें अल्फ़ाज़ का तनासुब नहीं है। क्लाज १२३ में जो प्रोविज़न है वह यह है--

"Provided that, where the number of such members is less than ten, the members of the Gaon Sabha from the circle concerned shall elect from amongst the members of the Gaon Samaj such number as will make the total number of members of the committee ten."

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे सदस्यों की संख्या दस से कम हो, तो गांव-सभा के ऐसे सदस्य, जो तत्सम्बन्धी मण्डल के हों, गांव-समाज के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे, जिन्हें मिलाकर समिति के सदस्यों की संख्या दस हो जाय।]

यहां पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल किये गये हैं, पहला लफ्ज़ है 'गांव सभा' इसकी तारीफ इस बिल के अन्दर नहीं दी गई है बल्कि पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर दी गई है, और दूसरा लफ्ज़ है 'गांव समाज' जिसकी तारीफ इसी बिल की दफा ३ में है और दोनों में, जैसा अभी मैंने बताया फर्क है। इस बिल की दफा ३ में गांव सभा के मुताल्लिक कहा है कि इसकी वही तारीफ रहेगी, जो कि पंचायत राज ऐक्ट में दी हुई है और पंचायत राज ऐक्ट की दफा ५ में बताया गया है कि--

"A Gaon Sabha shall consist of all adults permanently residing within the area for which the Sabha is established but not such adult shall be entitled to be or to remain a member of a Gaon Sabha if he——

(a) is of unsound mind; or

(b) is suffering from leprosy; or

(c) is an undischarged insolvent; or

(d) is a servant of the Crown or a local authority serving in or any honorary magistrate, honorary munsif or an honorary assistant

[श्री अब्दुल बाकी]

collector having jurisdiction over any area of a Gaon Sabha or a part thereof; or

(e) is convicted of an election offence; or

(f) has been sentenced for a term exceeding one year for an offence involving moral turpitude or ordered to give security for good behaviour under section 110 of the Code of Criminal procedure, V of 1898."

[किसी गांव सभा में वे सब प्रौढ़ सम्मिलित होंगे, जो उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हों, जिसके लिये सभा स्थापित की गई हो; लेकिन ऐसा कोई प्रौढ़ किसी गांव सभा का न तो मेम्बर बन सकेगा और न उसका मेम्बर रह सकेगा यदि—

(क) उसका दिमाग खराब हो, या

(ख) उसको कोढ़ हो, या

(ग) वह दिवालियेपन से बरी नहीं किया गया हो, या

(घ) वह श्रीमान सम्राट या स्थानीय किसी अधिकारी लोकल अथारिटी का ऐसा कर्मचारी हो, जो किसी गांव सभा के क्षेत्र या उनके किसी भाग में कर्मचारी हो या कोई ऐसा आनरेरी असिस्टेण्ट कलेक्टर हो, जिसके अधिकार-क्षेत्र में किसी गांव सभा का कोई क्षेत्र या उसका कोई भाग हो, या

(ङ) उसे चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दण्ड मिल चुका हो, या

(च) उसको नैतिक अधःपतन से सम्बन्धित किसी अपराध में अपराधी ठहराया जा चुका हो, उसे दण्ड विधि संग्रह, सन् १८९८ ई० की धारा ११० के अधीन नेकचलनी के लिये जमानत जमा करने की आज्ञा दी गई हो।]

तो आप देखेंगे कि गांव सभा का मफहूम एक बिलकुल जुदा माना है, और जितनी वे शर्तें गांव सभा के मेम्बरों में हैं वे शर्तें गांव समाज के मेम्बरों के अन्दर नहीं हैं। गांव समाज के मुताल्लिक तो अभी हम पास कर चुके हैं कि—

"A Goan Sabha shall consist of all adults who, for the time being—

(a) ordinarily reside in the circle for which it is established, or

(b) hold land as bhumidars, sirdars, asamis or adhiwasis in that circle."

[गांव समाज में ऐसे सब वयस्क व्यक्ति होंगे, जो समय विशेष पर—

(क) उस मंडल में साधारणतया निवास करते हों; जिसके लिये गांव समाज की स्थापना हुई हो, या

(ख) उस मण्डल में भूमिधर, सीरदार, असामी या अधिवासी के नाते भूमि रखते हों।]

तो आप देखेंगे कि गांव समाज और गांव सभा बिल्कुल जुदागाना चीज है। दोनों के मफहूम में और दोनों के मेम्बरों की क्वालीफिकेशन (योग्यता) में निस्बत नहीं है बजुज इसके कि दोनों में एक चीज कामन है और वह यह है कि गांव सभा के मेम्बर भी एडल्ट (वयस्क) होंगे और गांव समाज के मेम्बर भी एडल्ट (वयस्क) होंगे। इसके अलावा जो मजीद क्वालीफिकेशन्स (योग्यताएं) हैं वे अलग-अलग हैं। अगर दफा १२३ की यह शक्ल होती कि गांव समाज के लोग इस कमेटी के मेम्बरों को मुन्तखब करेंगे तो आसानी थी, मगर यह बिल तैयार किया गया तो शायद इसके दोनों मखसूस लफ्जों के सही मफहूम पर मेम्बरान की नजर नहीं गई और जब सिलेक्ट कमेटी के सामने यह दफा आई तो मालूम होता है कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको सरसरी तौर पर पास ओवर कर दिया, इस फर्क को या तो समझ नहीं सके और गांव सभा और गांव समाज में क्या फर्क है या यह कि उसकी तरफ कतई तवज्जह नहीं दी तो जो अब यह स्कीम दफा १२३ हमारे सामने है वह यह है कि मेम्बरों का इन्तखाब करेंगे गांव सभा के लोग, यानी मुन्तखब तो वह लोग होंगे जो गवर्नर होंगे पंचायत राज एक्ट के मातहत। अब यहां पर दो बाडीज हैं। एक तो पंचायत राज एक्ट के जरिये से जो एक कमेटी बनी है और जो दूसरी बाडी बनी है इस बिल के जरिये से। तो इन्तखाब का हक यहां पर इस एक्ट के जरिये से जो बाडी बनी है उसको नहीं होगा बल्कि हक्के इन्तखाब पंचायत राज्य एक्ट के जरिये से जो बाडी बनी है उसको होगा। अब आप यह गौर फरमाइये कि इसमें कोई सेंस (अर्थ) नहीं है। मैं बैठूंगा और सुनूंगा कि आप इसको कैसे मीट (व्यवस्था) करेंगे कि जो यह फर्क यह जो इम्तियाज आपने रखा है उसको कैसे मीट (व्यवस्था) करते हैं। यह निहायत नामाकूल चीज है और निहायत अबसर्ड (निरर्थक) बात है कि आप समाज तो बनावेंगे इस एक्ट के जरिये से और इन्तखाब हक देंगे गांव सभा को। यह एक बहुत ही बेजोड़ बात है। मेरी समझ में यह आता है कि इस दफा को बनाते वक्त लोगों ने अक्ल से काम नहीं लिया और जो इसमें लफ्ज रखे गये हैं मालूम होता है उसी का असर उस वक्त काम कर रहा था। इन अल्फाज के साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूं कि दफा १२३ इस बिल का जुज करार दी जाय।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लायक दोस्त राजा साजिद हुसैन की तकरीर भी सुनी और उसमें ज्यादातर हिस्सा पागलपन पर सर्फ हुआ। उसी को बार-बार दोहराते रहे। मालूम होता था कि उसी का असर था, जो इतनी लम्बी तकरीर की। उन पर चाहे पड़ा हो या न पड़ा हो,

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

लेकिन उसका असर हमारे दोस्त बाकी साहब पर जरूर पड़ा। कानून की बाल की, खाल निकालने की कोशिश करते हुये उन्होंने कहा कि गांव पंचायत या गांव सभा गांव पंचायत ऐक्ट की रू से बनेगी और गांव समाज इस ऐक्ट की रू से बनेंगे। बात बिल्कुल साफ है। आप फरमाते हैं कि धारा १२४ की रू से जो कमेटी बनेगी उसको गांव समाज को बनाना चाहिये। मुझे तो पञ्चायत राज ऐक्ट की गांव सभा में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। गांव समाज तो एक इनकोर्पोरिटेड बाडी (संस्था) बनाई गई है। इसके बाद एक एक्जीक्यूटिव कमेटी होगी। गांव सभा इंतजाम करेगी। गांव सभा की तरफ से एक कमेटी होगी उसका चुनाव गांव सभा करेगी। इसमें दिक्कत क्या है, कानून की अड़चन क्या है? कानून की दुहाई देकर इतना तूल दिया गया और इतनी उलझनें पैदा करने की कोशिश की गई कि बजाय सफाई करने के पेचीदगियां पैदा की गईं। इससे तो मैं समझता हूँ और यह कहा गया कि विधेयक को बनाने वालों ने अक्ल से काम नहीं लिया। सारी बातों को सोचा नहीं और विचारा नहीं। आया यह सब खामियां विधेयक बनाने वालों की जाहिर होती हैं या जो बहस हमारे लायक दोस्तों ने की उससे यह नतीजा बरामद होता है कि हमारे दोस्तों ने इसे गौर से पढ़ा नहीं और अपनी अक्ल पर जोर नहीं दिया और इससे इम्प्लीकेशन्स (पेचीदगियों) को समझे बगैर गलतफहमी में पड़कर यह समझा। आप यह समझते हैं कि धारा ११८ की रू से अनसाउंड माइण्ड वालों (विकृत मस्तिष्क) को वोट देने का अधिकार दिया गया। राजा साजिद हुसैन साहब ऐसा समझें तो समझें, लेकिन हमारे दोस्त बाकी साहब जो एक वकील हैं उन्होंने यह समझा। मैं क्या समझूं। किसी दफा में भी अनसाउण्ड माइंड वाले को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। खैरियत यही हुई कि यह असर वहीं तक रहा, इधर नहीं आया। हमारे दोस्त बाकी साहब एक वकील के नाते मेरी दिक्कत को समझेंगे आप भले ही न समझें, क्योंकि आप राजा ठाकुर हैं, लेकिन बाकी साहब जरूर समझेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर कोई अन्धा है या अनसाउण्ड माइण्ड का (विकृत मस्तिष्क) है तो उसे मेम्बर न किया जाय। इस विधेयक में रखा है कि गांव सभा में जायदादें वेस्ट (निहित) होंगी और उनके खिलाफ दावे किये जा सकते हैं चह एक इनकार्पोरेटेड बाडी होगी। मान लीजिये थोडी देर के लिये कि हमारे राजा साहब का दिमाग खराब हो जाये और आपको निकाल दिया जाये और कोई ऐसी जायदाद हो जिससे आपका ताल्लुक हो। इसके बारे में गांव समाज पर दावा किया जाये, लेकिन चूंकि आप सदस्य नहीं हैं इसलिये इस दावे का आप पर कैसे असर होगा। पागल बन कर बच जायेंगे। इस वजह से और इन दिक्कतों को दूर करने की वजह से यह किया गया है। इसमें सबको हक दिया गया है। जहां एक्जीक्यूटिव का काम है वह गांव सभा या उसके जरिये चुनी हुई समिति के जरिये से प्रबंध होगा। आप गलतफहमी में न रहिये। आप

अपनी जिम्मेदारियों से किसी तरह से बच नहीं सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है। सब बातें ठीक हैं। अगर यह दफा निकाल दी जाय तो सारी स्कीम ही खत्म हो जाती है। आपकी ख्वाहिशात को चाहे वह बेजा ही क्यों न हों पूरा करने के लिये मैं हमेशा तैयार रहा हूं, लेकिन इससे सारी स्कीम खत्म हो जाती है इसलिये मैं इसकी ताईद करने के लिये मजबूर हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर नम्र निवेदन करूंगा इस सदन के माननीय सदस्यों से और खासकर आप साहबान से भी कि बजाय सख्त कलामी करने के ठीक तरह से सोच विचार कर सब बातों पर अमल करें तो सब काम ठीक वक्त पर और सही तरीके से हो सकता है। लिहाजा मुझे आशा है कि अब भी आप इस धारा की ताईद करेंगे।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १२३ इस विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२४

१२४—समिति की अवधि (term) आकस्मिक रिक्तियों (casual vacancies) को भरने की रीति, उसके कार्य करने की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संचालन (conduct of business) ये सब नियत प्रकार के होंगे। समिति की अवधि और दूसरे विषय।

श्री राम शंकर लाल—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १२४ की पहली पंक्ति में शब्द "आकस्मिक" के पहले "उसके सदस्यों का कार्यकाल," बढ़ा दिये जाय, और तीसरी पंक्ति में शब्द "रीति" तथा शब्द "कार्य" के बीच का शब्द "उसके" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "समिति के" रख दिये जांय और पांचवीं पंक्ति में शब्द "ये सब नियत प्रकार के होंगे" निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जाय—

"इन सब के विषय में वही होगा जो नियत किया जाय।"

ये शाब्दिक संशोधन हैं जो भाषा को शुद्ध करने के लिये किये गये हैं। मुझे आशा है माननीय मंत्री इन्हें स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—ये संशोधन शाब्दिक हैं और जरूरी हैं। मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२४ की पहली पंक्ति में शब्द "आकस्मिक" के पहले शब्द "उसके सदस्यों का कार्यकाल" बढ़ा दिए जांय, और तीसरी पंक्ति

[उपाध्यक्ष]

में शब्द "स्थिति" तथा शब्द "कार्य" के बीच का शब्द "उसके" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "समिति के" रख दिये जायं और पांचवीं पंक्ति में शब्द "ये सब नियत प्रकार के होंगे" निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"इन सब के विषय में वही होगा जो नियत किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री एजाज़ रसूल—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १२४ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि समिति का कोई भी सदस्य राज्य सरकार के आदेश से पृथक नहीं किया जा सकता जब तक कि—

(क) वह चारित्रिक अधमता (Moral Turpitude) के अपराध में दंडित न हुआ हो, या।

(ख) बहुमत से समिति ने उसे हटाने की सिफारिश न की हो।"

जनाबवाला, मेरा यह अमेंडमेंट बहुत मामूली है उसमें सिर्फ दो चीजें रिक्वेस्ट (निवेदन) की गई हैं। वह यह है कि इस दफा १२४ में यह बढ़ा दिया जाय कि जो मारल टर्पीट्यूड के आदमी हैं उन्हें गवर्नमेंट समिति से निकाल सकती है। दूसरे यह कि कमेटी की मेजारिटी आफ वोट्स (बहुमत) यह फैसला कर दे कि वह मेम्बर (रिमूव करा (हटा) दिया) जाय तो उसे निकाल दिया जाय। ये दोनों चीजें मुनासिब हैं और मुझे उम्मीद है

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं एक सवाल यह करना चाहता हूं कि किस तरह से यह सिफारिश के बारे में सवाल उठाया गया है? सरकार को समिति के सदस्यों को निकालने का कोई नियम ही नहीं है।

श्री एजाज़ रसूल—अगर हमारे मेम्बर साहब जरा गौर से देखें और उसे गौर से पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि उसमें यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों के रूल्स और कायदे बनायेगी। मैंने इन दोनों चीजों के वास्ते पाबंदी कर दी है मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पर गौर फरमायेंगे और इसे मंजूर करेंगे।

श्री अम्मार अहमद खां—जनाबवाला, जो तरमीम एजाज़ रसूल साहब ने पेश की है, मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। हुकूमत का अभी तक जो तर्जे अमल रहा है, वह इस किस्म का रहा है कि तमाम कवानीन को इस तरीके पर बनाया जाय कि आइन्दा आने वाले जमाने में जो भी हुकूमत की मुखालिफत करने वाले हैं, वे न हों। जिनको हुकूमत से जरा भी सियासी इख्तलाफ है हुकूमत उनके

लिये कोई जगह नहीं रखना चाहती। सिर्फ इस चीज को रोकने के लिये यह तरमीम पेश की गई है जिससे वे जिसे चाहें, निकाल सकें। दफा १८२ से जो तकरीरें हो चुकी हैं उन तकरीरों के अन्दर इस चीज का काफी इस्तेमाल किया जा चुका है कि ऐसे अशखास के लिये जो मोरल टरपीट्यूड हैं या सही जवाबदेह नहीं हैं उनको उस कमेटी से अलहदा करने का हक होना न कि यह कि बिला किसी वजह के हुकूमत या कमेटी जिसे चाहे निकाल दे। अभी इस किस्म के बहुत से वाकयात हम लोगों के देखने में आ रहे हैं, जिनमें हुकूमत ने नाजायज तरीके पर ऐसे अख्तियारात का इस्तेमाल किया है जो जायज मालूम नहीं होते हैं। इन चीजों को देखते हुये यह अंदेशा होता है कि अगर इस दफा के अन्दर इस तरमीम को मंजूर न किया गया तो उसका नतीजा भी गलत हो सकता है। और जिसकी इस्लाह हमारा समाज में नामुमकिन हो सकती है। गोकि इस वक्त इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कह देना चाहता हूं कि जमींदारी एबालीशन फण्ड के लिये जो कलेक्शन (संग्रह) किया जा रहा है, उसके लिये एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और उसके लिये इस चीज का ख्याल बिलकुल हटा दिया गया है। कौन सी चीज सचाई के साथ है और कौनसी चीज सचाई के खिलाफ है। बावजूद इसके बहुत सी जगहों पर ऐसे जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, जो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये नाजेबा हैं और खुसूसन उस हुकूमत के लिये जो सब लोगों की भलाई का दम भरती है। ऐसी मिसालें मेरे इल्म में आई हैं कि जलेसर में जरानी मौजे में ऐसे वाकयात पेश आये कि भूमिधरी के हकूक देने के लिये बड़े जोर और जुल्म से काम लिया गया। वहां के एस० डी० ओ० ने वहां के लोगों को मारा पीटा और मजालिम ढाये। मुसलमानों को मजबूर किया गया कि या तो भूमिधरी के हकूक लो, वरना पाकिस्तान चले जाओ। इसलिये आइन्दा से इस किस्म के तमाम स्कोप लिमिटेड हो जायें, यह तरमीम रखी गई है। यह इस किस्म की चीज है वह मनमानी नहीं कर सकेगी और जिस तरीके से जो चाहेंगे वह नहीं कर सकेंगी। उसके मुताबिक अवाम के ऊपर जितने मजालिम होंगे उनके वास्ते मेरे ख्याल में कोई प्रावीजन न होना किसी हद तक मुनासिब नहीं मालूम होता है। और आप मुलाहिजा फरमायें तो यह एक इनोसेंट तरमीम है जिसको मंजूर करने में हुकूमत को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसका मकसद यह है कि सिर्फ कमेटी के उस मेम्बर को जिसको आप अलहदा करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त अलहदा करे कि जब वह किसी मोरल टरपिट्यूड के जुर्म में सजायाफ्ता हो चुका हो या जिसको कमेटी की कसरत राय ने अलहदगी की सिफारिश की हो। इन दोनों सूरतों में ही उनको अलग करना मुनासिब मालूम होता है। हुकूमत के लिये यह चीज मुनासिब मालूम होती है इसलिए इसके मंजूर करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर साहब इस

[श्री अम्मार अहमद खां]
पर ग़ौर फरमायेंगे और जो अमेंडमेंट पेश किया गया है कि यह प्राविज़ो इसमें शामिल कर दिया जाय, इसको मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपोज़ीशन के साथ हमदर्दी रखते हुये भी बाज़ वक्त मजबूर कर दिया जाता हूं कि उनकी तरमीम मंजूर न करूं। इस तरमीम में नवाब साहब यह फरमाते हैं कि यह प्रतिबन्ध रख दिया जाय कि कोई कमेटी का सदस्य गवर्नमेंट की आज्ञा से हटाया नहीं जाय, सिवाय उन सूरतों में जो उन्होंने अपनी तरमीम में बतलाई हैं। एक तो यह है कि किसी जु॰ में सज़ायाफ्ता यानी मोरेल टरपिटयूड में सज़ा पाई हो और दूसरा कि अगर कमेटी के बहुमत ने उसको निकालने का प्रस्ताव पास किया हो। जहां तक पहले जुज़ का ताल्लुक है अभी जो संशोधन १२३ माना गया है उसमें यह रखा गया है कि जो शख्स ऐसे जुर्म मोरेल टरपिट्यूड में सज़ायाफ्ता हो तो वह नहीं रह सकता। लिहाज़ा अगर वह सज़ायाफ्ता हो गया तो वह औटोमैटिकली अलग हो जायगा। इसलिये इस पहले हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं मालूम देती है। मैं समझता हूं नवाब साहब भी इससे इत्तिफाक़ करेंगे और जहां खुद बने हुए लीडर राजा जगमनपुर का ताल्लुक है वह भी इसको मन्जूर करेंगे और जहां तक दूसरे जुज़ का ताल्लुक है उसको निगाह से देखना है कि आया वह ज़रूरी है या नहीं। श्रीमान की आज्ञा से धारा १२४ पढ़ना चाहता हूं।

"The term of the committee, the method of filling up casual vacancies, the procedure of its working and the counduct of its business shall be such as may be prescribed."

[समिति की अवधि आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, उसके कार्य करने की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संचालन ये सब नियत प्रकार के होंगे।]

इसमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके लिये यह नियम बनाये जायंगे। उसके लिये इस कमेटी में सभी रहेंगे। कहीं पर यह नहीं है और कहीं पर किसी मेम्बर को निकालने की कोई बात नहीं है.........

श्री अम्मार अहमद खां—मैं मालूम करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस तरह के आदमी को निकालने का प्राविज़न कहां पर किया है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैंने तो निकालने के लिये कोई प्राविज़ो नहीं रखा है। जो सज़ायाफ्ता होगा वह खुद ही निकल जायगा जैसे कि यह ज़मींदारी खुद ही खत्म होने जा रही है। अब रहा दूसरा जुज़ जिसकी अहतियात नवाब एजाज़ रसूल साहब हमेशा से करते आये हैं वह आगे भी करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नवाब साहब इस पर ग़ौर करेंगे और इस तरमीम को वापस ले लेंगे।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक तरमीम के दूसरे जुज़ का ताल्लुक है, उससे आपस में पार्टीबन्दी बढ़ने का एहतमाल है और बहुमत वाले अल्पमत वालों के साथ ज्यादती करें और उनको निकाल दें। आप ऐसा मौक़ा क्यों देते हैं ? उनको निकालने की इसीलिये हमने इसमें ऐसी कोई बात नहीं रखी है। अगर कोई कभी ऐसी हरकत करेगा और कानून की जद में जायगा तो वह खुद ही निकाला जा सकेगा। लिहाजा पार्टीबन्दी की बुनियाद डालने का कोई मौक़ा नहीं देना चाहिये। लिहाज़ा यह तरमीम सरासर बेकार है। अगर अम्मार साहब मेरी तक़रीर सुन लेते तो वह कभी इसकी ताईद न करते और शायद अब वह ताईद करके पछता रहे होंगे। अगर उसकी कुछ भी अहमियत होती तब तो मैं जरूर कर लेता, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री साजिद हुसैन—इस तरमीम की बुनियाद ज्यादातर फेयर कम्पलेक्स पर है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो अंदेशे विरोधी दल को हैं और आम तरीके से लोगों को हैं उन्हींकी वजह से यह तरमीम आई है। वरना मैं इसको तसलीम करता हूँ कि इस तरमीम के पहले हिस्से की कोई जरूरत नहीं है और ग़ालिबन मेरे साथी नवाब साहब इसको वापस ले लेंगे, लेकिन जहां तक दूसरे जुज़ का ताल्लुक है यानी मेम्बर की पापुलेरिटी का सवाल वह जरूर एक मुनासिब जुज़ है। आप देखेंगे कि हर चीज सरकार सेन्ट्रलाइज्ड अथारिटी के ऊपर छोड़ना चाहती है और हर तरह से पावर अपने हाथ में रखना चाहती है और इस क़िस्म की तरमीमों के आने की महज़ यही एक वजह है। जब हम रोज यह देखते हैं कि किसी न किसी तरह से तरह-तरह की तरकीबों से टैक्टिक्स से सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है और अपनी ताक़त को बढ़ाना चाहती है उस हालत में हमको यह इत्मीनान सरकार की तरफ से नहीं होता और एक अन्देशा पैदा होता है। मेरे ख्याल से अगर इस तरमीम के दूसरे जुज़ को सरकार मान ले तो उसका कोई नुकसान नहीं है। महज़ पापुलेरिटी का सवाल है। सरकार भी इसके खिलाफ नहीं है वह डेमोक्रेसी की माननेवाली है लिहाज़ा उसको ऐसी चीज से क्या नफरत हो सकती है और क्या एतराज हो सकता है। जो तरमीम आपके एलानात से मिलती जुलती है और डेमोक्रेटिक है उसको आपको जरूर मान लेना चाहिये। मेरे ख्याल में इसको नामंजूर करने की कोई वजह न होनी चाहिये। यह एक सेन्ट्रलाइज्ड अथारिटी का लफ्ज़ है इससे ही अन्देशा पैदा होता है वरना सरकार को इस बिल को देखते हुए कोई एतराज न होना चाहिये और इसको मान लेने से कोई नुक्स पैदा नहीं होता। इस जुज़ को रखना जरूरी है जिससे मालूम हो जाय कि किस शक्ल में चुनाव हो और किस तरह से हटाने का इंतजाम इसमें रखा जा सकता है। अगर कहीं इस तरह से इलजामात साबित न हों और

[श्री साजिद हुसैन]

मुक़ामी आदमी उनकी हरकात जानते हों कि वह क्या-क्या ज्यादती करते हैं चूंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अदालत में साबित होना मुश्किल होती हैं। अदालत के अन्दर साबित नहीं हो सकता चूंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर जानते सब हैं। तो उस सूरत में मेरे ख़याल में अगर मेजारिटी के राइट का सवाल उठाया जाय तो कोई नामुनासिब नहीं है और ख़ुसूसन इस सरकार के नज़रिये से तो बिल्कुल बजा है। यह एक प्राविज़ान है जिसके ज़रिये से, मेरे ख़याल में, नो कानफ़ीडेन्स (अविश्वास) का वोट लाया जा सकता है। अगर पांच साल के लम्बे टर्म में दो, तीन आदमी एक गिरोह बनालें और लोगों पर ज्यादती करना शुरू करदें तो आख़िर कौन सी ऐसी सूरत है इस क़ानून की रू से जिससे कि वे शख्स हटाये जा सकते हैं। मेरे ख़याल में यह एक मुनासिब तरमीम है और कोई वजह नहीं है कि सरकार इसको न मान ले।

श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि यह तरमीम ग़ैरज़रूरी है और ग़लतफ़हमी की वजह से पेश की गई है। वरना अगर पञ्चायत राज ऐक्ट के नियम और इस मौजूदा विधेयक को अच्छी तरह से देखा गया होता तो ऐजाज़ रसूल साहब, जिन्होंने इस तरमीम को पेश किया है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेते कि यह बिलकुल ग़ैरज़रूरी है। आपने मेरे सवाल के जवाब में यह कहा कि मुमकिन है कि रूल बनाते वक्त सरकार कोई ऐसा रूल बनादे जिससे उन्हें अलग कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि रूल की भी पाबन्दियां हैं। इस चैप्टर की दफ़ा १२९ (ग) में जो है उसमें सिर्फ यही है कि गांव पञ्चायत या समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन, कार्यों का सम्पादन और अधिकारों का प्रयोग करने की रीति और प्रतिक्रिया। इसी के अधीन रूल्स बनेंगे। तो अधिकार उनको दिया गया है और इसके अलावा जो इस पञ्चायत के होंगे वही भूमि समिति के सदस्य होंगे। तो पञ्चायत राज ऐक्ट का जो रूल है उसको अगर आप देखें तो राजा साजिद हुसैन साहब ने जो दलील दी कि डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है और जिसका रोज ढिंढोरा पीटा जाता है, उनमें बहुत साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है किन शब्दों पर कोई सदस्य हटाया जा सकेगा। उसकी शर्तें मैं आपकी जानकारी के लिये पढ़ दूं।

"The Prescribed Authority or the Provincial Government may, at any time, after calling for an explanation from the person concerned, remove a member of a Panchayat or a Panch or sarpanch of a Panchayati Adalat...

if he refuses to act,

if he becomes incapable of acting or absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings of the

Panchayat or Adalat and if the Panchayat or the Adalat demands his removal by a majority of two- thirds of the members;

if his continuance in office is undesirable in the interests of the public or of the Panchayat or in the case or a panch or sarpanch contravenes the provisions of sub-section (3) of section 29 of the Act or if he refuses to act or genuinely perform the duties enjoined on him either under the Act or the rules made thereunder"

(निर्धारित अधिकारी या प्रदेशीय सरकार, किसी भी समय, संबद्ध व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगने के बाद पंचायत के किसी सदस्य तथा पंचायती अदालत के पंच या सरपंच को हटा सकती है यदि वह काम करने से इनकार करता है।

यदि वह कार्य करने के अयोग्य हो जाता है या वह पंचायत या अदालत की लगातार ३ बैठकों से बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है और यदि पंचायत या अदालत सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसे हटाना समझती है,

और यदि उसका पद पर बना रहना जनहित या पंचायत के हित के विरुद्ध है और पंच तथा सरपंच के मामले में वह ऐक्ट के सेक्शन २९ के उप-सेक्शन (३) के आदेशों का विरोध करता है या काम करने से या अपने कर्तव्य पालन को ऐक्ट के या उसके नियमों के अन्तर्गत यथार्थतः करने से इन्कार करता है।)

आप जो दो तिहाई का सवाल इसमें ला रहे हैं वह पहले से नियम में मौजूद है। इसमें हटाने की वजूहात दी हुई हैं। मोरल टरपिट्यूड के कारण भी, जैसाकि माल मन्त्री जी ने कहा, हटाया जा सकता है। इसलिये इस तरमीम की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं, वरना उसूलन मैं आपका विरोध नहीं करता। उसूलन तो आप ठीक कहते हैं।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, चूंकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इस बात की अशोरेंस (आश्वासन) दिलाई है कि इस सेक्सन के बमूजिब कोई मेम्बर रिमूव नहीं होगा, इस लिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १२४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२५

इस विधान के अधीन गांव-पंचायत द्वारा प्राप्त द्रव्य का गांव-कोष में जमा होना।

१२५—गांव-कोष (Gaon Fund) में निम्न-लिखित जमा किये जायंगे :—

(१) वह कुल धन, जो इस विधान के अधीन गांव-पंचायत या समिति को मिले, चाहे वह उसे अपने लिये मिला हो या गांव-समाज या गांव-सभा के लिये या उसकी ओर से,

(२) ऐसा और धन, जो नियत किया जाय ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२५ इस विधेयक का अंश मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा १२६

गांव-कोष का इस विधान के सम्बन्ध में उपयोग होना।

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई०

१२६—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा ३२ में किसी बात के रहते हुये भी, गांव-पंचायत को अधिकार होगा कि नियत रीति के अनुसार गांव-कोष (Gaon Fund) को इस विधान के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होने वाले परिव्ययों (charges) में लगावे,

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ ई० की किसी बात का ऐसा अर्थ न होगा और न लगाया जायगा, जिसके फलस्वरूप गांव-पंचायत किसी ऐसे धन को, जो प्रान्तीय सरकार के लिये या उसकी ओर से वसूल किया या उगाहा गया हो, उक्त उपयोग में ला सके ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२६ इस विधेयक का अंश मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा १२७

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई०

१२७—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज़ पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुये भी, प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञायें और निर्देश गांव-पंचायत या समिति को दे सकती है, जो इस विधान के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

गांव-पंचायत या समित का प्रान्तीय सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों को कार्यान्वित करना।

(२) गांव-पंचायत या समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि तुरन्त ऐसी आज्ञायें कार्यान्वित करें और ऐसे निर्देशों का पालन करें।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १२७ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह आज्ञाएँ और निर्देश सन् १९४७ ई० के पंचायत राज ऐक्ट (संख्या २६) के निर्देशों से असंगत (inconsistent) न हों।"

हुजूरवाला, मेरा अमेंडमेंट निहायत साफ और वाज़े है। मैं यह चाहता हूँ कि जो दफा २६ पंचायत राय ऐक्ट में है उसके अलावा और कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट न दे। दफा २६ यह है।

"A member of a Gaon Panchayat may, at any meeting, mone any resolution and put question to the President or Vice President on matters connected with the administration of tha Gaon Panchayat in the manner prescribed."

[किसी गांव सभा के मेम्बर को अधिकार होगा कि वह नियत तरीके के अनुसार, गांव पचायत की शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश करें और सभापति या उपसभापति से उनके बारे में सवाल करें।]

तो वह यह है और उसके बरखिलाफ नहीं है। आप यह देखिये कि इस वक्त जेड० ए० एफ० का ज़ोर है। पंच लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि वे कमेटियों में शरीक हों और उनसे यह भी कहा गया है कि अगर तुम दस गुना रुपया वसूल नहीं कराओगे तो तुम पंचायत से निकाल दिये जाओगे और इस तरह बहुत सी सख्तियां और ज्यादतियां की जा रही हैं।

उपाध्यक्ष—एक बात आप जरा बतला दें कि असली जो धारा है उसमें उप-धारा (१) में लिखा हुआ है "यूनाइटेड प्राविन्सेज़ पंचायत राज ऐक्ट १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुये भी।" यानी उसमें अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसके खिलाफ भी हो सकता है। इस उपधारा के माने यह हैं कि वहां पर जो भी प्राविजन हो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट आज्ञायें दे सकती है तो वहां पर आप तरमीम कर नहीं रहे हैं। वह रहेगा और उपधारा २ भी रहेगी और इसे आप प्रतिबन्ध की सूरत में रख रहे हैं। इस तरह यह उससे कांसिस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आप इस तरमीम को पेश करना चाहें तो आपको धारा १२७ की उपधारा १ में भी तरमीम करना होगी वरना मौजूदा सूरत में जो आप की तरमीम है वह इनकांसिस्टेंट है उससे .....

श्री ऐजाज़ रसूल—जी हां, ठीक है। इस संशोधन का मतलब यह है कि जो आपने बतलाया कि धारा १२७ में यह लिखा हुआ है कि पञ्चायत राज एक्ट के रहते हुए भी यह धारा लागू होगी। हम यह प्रतिबन्ध जोड़ना चाहते हैं कि दोनों को कवर कर लें।

श्री वीरेन्द्रशाह—सरकार चाहती है कि उस से अधिक भी अधिकार वह ले। हम यह चाहते हैं कि सरकार को बांध दिया जाय।

उपाध्यक्ष—मगर आप तरमीम को वह सूरत नहीं दे रहे हैं। मैं तो जो उसकी मौजूदा सूरत है उस पर ऐतराज कर रहा हूं। ऐसी सूरत में तरमीम नहीं चल सकेगी। या तो कोई दूसरी सूरत दें जिसकी मैं इजाजत दे सकूं वरना मैं इसे अभी नाजायज़ करार दे रहा हूं।

श्री साजिद हुसैन—मैं आपकी इजाजत से बिल का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ। "Not withstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 ." (यूनाईटेड प्राविन्सेज़ पञ्चायत राज एक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए भी) इतना डिलीट करने के बाद फिर प्रतिबन्ध ठीक होगा।

श्री ऐजाज रसूल—जैसा कि राजा साहब ने कहा है इतना डिलीट कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष—आप चाहते हैं कि आपकी तरमीम इस सूरत में रहे कि शब्द "यूनाइटेड प्राविंसेज पञ्चायत राज एक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए भी" निकाल दिये जांय और उसके बाद यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय ?

श्री ऐजाज रसूल—जी हां।

माननीय श्री हुकुम सिंह—चूंकि यह सब्सटैंशियल अमेंडमेंट (तत्वपूर्ण संशोधन) है इस वजह से इतनी शार्ट नोटिस पर नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन फिट नहीं करता यह संशोधन असंगत है। इस वजह से मैंने उन्हें सुझाव पेश किया। और वैसे कांसीक्वैंशल अमेंडमेंट आता। इसलिये मैं इसकी इजाजत देता हूं कि बदली हुई सूरत में पेश किया जाय।

श्री ऐजाज रसूल—मैं हुजूरवाला का निहायत ममनूं व मशकूर हूं कि आपने दुरुस्त करने का तरीका बतलाया और मुझे पेश करने की इजाजत दी। अब जो तरमीम की सूरत है उस का मतलब साफ और वाजे है। गवर्नमेंट वही डिरेक्शंस (निर्देश) दे जो कि पंचायत राज ऐक्ट में हैं। दूसरे डिरेक्शंस (निर्देश) न दे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जमींदारी अबालिशन फंड के मामले की मिसाल दी कि पंचों को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर तुम खुद दस गुना नहीं दोगे और दूसरे से भी नहीं दिलवाओगे तो मेम्बर नहीं रख जाओगे। गवर्नमेंट ऐलान तो यह करती है कि जो चाहे वह भूमिधर बने और जो चाहे न बने। उस पर कोई ज्यादती न की जायगी। लेकिन वसूली में इस कदर मसरूफ है कि एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव (निर्वाचित प्रतिनिधि) को भी धमकी दी जाती है। इसी सूरत से और भी तरीके हैं जो कि गवर्नमेंट अख्तियार करती है। मैं गवर्नमेंट के इंटेंशंस पर कोई हमला नहीं करना चाहता। क्योंकि गवर्नमेंट की तवज्जह सिर्फ यही है कि जेड० ए० एफ० का रुपया जमा हो जाय, लेकिन जो सरकारी अफसरान हैं वे इस वास्ते कि रुपया जमा हो जाय यह सब तरकीबें अख्तियार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ज्यादती न हो और जो डिरेक्शंस (निदश) पंचायत राज ऐक्ट में हैं उनके सिवा और न दिये जायं। नाटविदस्टैंडिंग से गवर्नमेंट को पूरा अख्तियार हो गया कि जो चाहे आदेश पंचायतों को भेज दे तो यह एक निहायत गलत तरीका है। आपने एक पंचायत राज ऐक्ट बनाया है और पंचायत राज ऐक्ट में पंचायतों को तमाम आदेश देने और पंचायतों को डिरेक्शंस (निर्देश) भेजने की मदें दी हुई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लिखित आदेश भेजने चाहिये और अलिखित डिरेक्शंस न भेजने चाहिये और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब मेरी इस तरमीम को मंजूर कर लेंगे।

माननीय श्री हुकुमसिंह—एक अजीबो गरीब तरमीम है काम तो पंचायतों से इस विधेयक के अनुसार लिया जाय जो फर्ज उनके मुकर्रर हैं इस विधेयक के अनुसार करे और डाइरेक्शंस (निर्देश) पंचायत राज ऐक्ट के मातहत दिये जांय ११९ में डेवलपमेंट ऐंड इम्प्रूवमेंट आफ एग्रीकल्चर, प्रिजरवेशन ऐंड मेंटिनेंस, डेवलेपमेंट आफ फारेस्ट्स ऐंड ट्रीज की बात है। अब मैं धारा ११९ पढ़ता हूं।

"(a) the development and improvement of agriculture,

(b) the preservation, maintenance and development of forests and trees,

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

(c) the maintenance and development of abadi sites and village communications,

(d) the management of hats, bazars and melas;

(e) the development of co-operative farming,

(f) the development of animal husbandry,

(g) the consolidation of holdings,

(h) the development of cottage industries,

(i) the maintenance, and development of fisheries, wells and tanks, and

(k) such other matters as may be prescribed."

[(क) कृषि का विकास और उन्नति,

(ख) जंगलों और पेड़ों की रक्षा, रख-रखाव और विकास,

(ग) आबादी के स्थलों और गांव के गमनागमन मार्गों का रख-रखाव और विकास,

(घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्ध,

(ङ) सहकारी खेती का विकास,

(च) पशुपालन का विकास,

(छ) खातों की चकबन्दी,

(ज) गृह-उद्योगों का विकास,

(झ) मीनाशयों, कुओं और तालाबों का रख-रखाव तथा विकास,

(ञ) अन्य ऐसे विषय, जो नियत किए जायं।]

यह तो फर्ज उनके रखे गये हैं। मुझसे कहा जाता है कि पंचायतों को आदेश पंचायत राज ऐक्ट के दिये जायं। पंचायत राज्य ऐक्ट से तो पंचायतें फैसला भी करेंगी और वह इस बिल से नहीं। अब इस ऐक्ट के जरिये से फैसला देने के आदेश कैसे दिये जायं। मेरे ख्याल से अगर मेरे मित्र ने दफा १२७ पढ़ ली होती तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तरमीम के लाने की आवश्यकता न थी। मैं आपकी इजाजत से उस धारा को पढ़ता हूँ।

"127 (1) Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Provincial Government may issue such orders and directions to the Gaon Panchayat or the Committee as may appear to be necessary for purposes of this Act"

[१२७—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुये भी, प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञायें और निर्देश

गांव पंचायत या समिति को दे सकती है, जो इस विधान के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।]

इस ऐक्ट के परपेजेज़ के लिये डाइरेक्शंस ईशू करेगी और ईशू करे, पंचायत राज ऐक्ट के कानून के मुताबिक यह बात मेरी समझ में नहीं आई। नवाब साहब भले ही समझ गये हों। काम तो मुझे इस विधेयक के अनुसार लेना हो और हुकुम जारी करें पंचायत राज ऐक्ट की रू से। यह लाजवाब बात है और इसका जवाब कोई हो नहीं सकता। ऐसी सूरत में मैं यह कहूंगा कि यह गलत सी बात है। मैं इन शब्दों के साथ इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं, क्योंकि यह जो तरमीम है अगर वह मान ली जाय तो धारा १२७ का मतलब खत्म हो जाता है। "नाट विथस्टैंडिंग ऐनीथिंग (किसी बात के रहते हुये भी) जो अलफाज थे उनका यहां रहना निहायत जरूरी और आवश्यक है और जब वह है तो उनके मौजूद रहते हुये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरमीम की कतई जरूरत नहीं जिससे पेचीदगी और उजलत पैदा होने का एहतमाल हो। ऐसी सूरत में मैं तरमीम की बड़े जोरों से मुखालिफत करता हूं।

श्री एजाज रसूल—मुझे ताज्जुब हुआ कि मिनिस्टर साहब ने इसकी मुखालिफत की। अगर वह पंचायत राज ऐक्ट की दफा ३२ को पढ़ लेने के बाद मेरी तरमीम की मुखालिफत करते तो अच्छा था उसमें यह है......

उपाध्यक्ष—अब आप तशरीफ रखें, इस पर बहस का वक्त खत्म हो गया।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—मुझे गिलोटिन अप्लाई करने के सिलसिले में कुछ अर्ज करना है। इसके मुताल्लिक मुझे एतराज है। जब कि रिजोल्युशन (संकल्प) पास हो गया है तो दूसरा तरीका स्टैंडिंग आर्डर ६२ है, जिससे कि जो अमेंडमेंट रह गये हैं उन पर गुफ्तगू की जा सकती है।

उपाध्यक्ष—आपने अपने प्रस्ताव के जरिये से उसका अमल खत्म कर दिया।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—मैं तो समझता हूं कि वह प्रस्ताव स्टैंडिंग आर्डर को नहीं खत्म करता।

उपाध्यक्ष—जो प्रस्ताव पास किया है वह साफ है। जिस हद तक प्रस्ताव में जिक्र है, जहां तक इस विधेयक पर बहस का सवाल है, हर स्टैंडिंग आर्डर तरमीमशुदा माना जायगा।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि धारा १२७ की उपधारा (१) के प्रारम्भ में आने वाले शब्द 'युनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए"

[उपाध्यक्ष]

हटा दिये जायं और इस धारा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह आज्ञाएं और निदेश सन् १९४७ ई० के पंचायत राज एक्ट (संख्या २६) के निदेशों से असंगत (inconsistent) न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२७ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२८

कुछ परिस्थितियों में गांव-पंचायत या समिति के कार्यों के निर्वहण करने की वैकल्पिक व्यवस्था।

१२८—(१) यदि किसी समय प्रान्तीय सरकार को यह संतोष हो जाय कि—

(क) गांव पंचायत या समिति ने इस विधान के अधीन या द्वारा लगाये गये अपने कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुये भी (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस विधान के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में गांव-पंचायत या समिति असमर्थ हो गई है या हो जा सकती है, या

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है,

तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वह प्रख्यापित कर सकती है कि इस विधान के अधीन गांव-पंचायत के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या अधिकारिक द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों (restrictions) के साथ, जो नियत किये जायं, किया जायगा।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे आनुसंगिक और पारिणामिक निदेश बना सकती है, जो उसको इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२८ की उपधारा (१) (ख) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "है" के बाद के अर्द्धविराम के चिह्न के स्थान पर पूर्णविराम का चिह्न रख दिया जाय और अन्तिम शब्द "य" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२८ की उपधारा (१) (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"१ (ग)—राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापन (declare) करेगी कि इस विधान के अधीन गांव पंचायत या समिति के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा ऐसे निरोधों (restriction) के साथ, जो नियत किये जांय, किया जायगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि छः सप्ताह से अधिक होगी और जिसके बाद ही नई पंचायत या नई समिति, उनके संस्थापन के नियमों के अनुसार अवश्य बनाई जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२८ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बिना राज्य व्यवस्थापिका सभा की अनुमति (approval) लिये हुये उपधारा (१) की उपधारा (क), (ख) और (ग) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

धारा १२९

१२९—(१) प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निदेशों को कर्यान्वित करने के लिये नियम बनावे। नियम बनाने का अधिकार।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) गांव-सभा के स्थापन से सम्बन्ध रखने वाली प्रक्रिया और कार्यवाही,

(ख) धारा १२२ में उल्लिखित समिति के लिये व्यक्तियों के चुनाव का संचालन (conduct) और उक्त चुनाव के समय या सम्बन्ध में शंकाओं का समाधान तथा विवादों का निर्णय,

(ग) गांव-पंचायत या समिति द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन, कार्यों का सम्पादन और अधिकारों का प्रयोग करने की रीति और प्रक्रिया,

(घ) इस विधान के प्रयोजनों के लिये गांव कोष (Gaon Fund) के उपयोग और उसमें से रुपया देने की रीति और प्रक्रिया,

(ङ) वे विषय, जिनके सम्बन्ध में और वह रीति जिसके अनुसार प्रान्तीय सरकार इस विधान में धारा १२७ के अधीन गांव-पंचायत या समिति को निदेश दे,

(च) धारा १२८ के अधीन गांव-पंचायत के कार्यों और कर्त्तव्यों के किये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrange-ment) की प्रक्रिया (procedure) और कार्यवाही (proceedings),

(छ) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए हिसाब की बहियों (books of account) अन्य रजिस्टर और विवरण (statement) रखने की प्रक्रिया और आकार,

(ज) इस विधान के प्रयोजनों के लिये गांव-पंचायत के वेतन भोगी सेवकों (Paid employees) की नियुक्ति, नियन्त्रण और उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें,

(झ) इस विधान के प्रयोजनों के लिये गांव-पंचायत द्वारा किए जाने वाले पत्र-व्यवहार की रीति और लेख्यों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution),

(ञ) गांव पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और व्यवहारों का संचालन,

(ट) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय में गांव-पंचायत, समिति या किसी सरकारी अधिकारी का सामान्य रूप से पथ-प्रदर्शन (guidance), और

(ठ) ऐसे अन्य विषय, जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने वाले हों या किये जायं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १२९ की उपधारा (२) के खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाये—

"(कक) ऐसी शर्तें और प्रतिबंध जिन पर धारा १०२ के अधीन कोई हाट, बाजार, मेला, निजी उतराई का घाट या जल प्रणाली गांव समाज से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अन्य अधिकारियों को संक्रामित की जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १२९ विधेयक का अंश मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ११ बज कर ३७ मिनट पर अगले दिन प्रातःकाल ७ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
७ जून, सन् १९५० ई०

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित–प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

विवरण पत्र जिसमें राजस्व और कृषि आय कर की बकाया ३१ मार्च, १९५० तक दिखाई गई है ।

क्रम संख्या	रियासत का नाम	धनराशि जो ३१मार्च, १९५० तक देय थी	धनराशि जो ३१ मार्च, १९५०, तक वसूल हो गई	धनराशि जो १ अप्रैल, १९५० को बकाया थी ।
१.	कपूरथला स्टेट			
	कृषि आय कर	१०,४९,७९९.०.०	२,८८,८८६.०.	७,६०,९१३.०.०
	राजस्व	२,००,३३९.११.५	१,३७,५१६.०.०	६२,८२३.९.५
	कुल	१२,५०,१३८.११.५	४,२६,४०२.०	८,२३,७३६.९.५
२.	नानपारा स्टेट			
	कृषि आय कर	५,४०,३६४.८.०	२,५८,५३२.०.०	२,८१,८३२.८.०
	राजस्व	१,९६,८२८.१३.११	५४,२६०.०.०	१,४२,५६८.०.९
	कुल	७,३७,१९३.५.११	३,१२,७९२.०.०	४,२४,४००.८.९
३.	पयागपुर स्टेट			
	कृषि आय कर	२,२८,०१३.१३.०	१,०४,६७७.१०.०	१,२३,३३६.३.०
	राजस्व	१,०३,०२६.०.०	४०,०६९.१०.११	६२,९५६.७.६
	कुल	३,३१,०३९.१३.०	१,४४,७३७.४.११	१,८६,२९२.१०.६
४.	गंगवाल स्टेट			
	कृषि आय कर	७२,८०७.६.०	४०,०६७.३.०	३२,७४०.३.०
	राजस्व	...	...	...
	कुल	७२,८०७.६.०	४०,०६७.३.०	३२,७४०.३.०
५.	नवाबगंज अलियाबाद स्टेट			
	कृषि आय कर	४३,१७४.१.०	८५७.१४.०	४२,२७६.३.०
	राजस्व	२६,६५८.४.८	७,३८०.१२.१०	१९,२७७.७.१०
	कुल	६९,८३२.५.८	८,२३८.१०.१०	६१,५५३.१०.१०
६.	महन्त हरी सरन दास			
	कृषि आय कर	...	...	...
	राजस्व	१७,१४४.८.६	८,४६२.८.०	८,६८२.०.६
	कुल	१७,१४४.८.६	८,४६२.८.०	८,६८२.०.६

७. मिर्जा मुहम्मद हुसैन बेग			
कृषि आय कर	...	...	...
राजस्व	६,४०६.८.६	३,२६१.१२.०	३,१४७.१२.६
कुल	६,४०६.८.६	३,२६१.१२.०	३,१४७.१२.६
८. पीपरी स्टेट			
कृषि आय कर	...	...	...
राजस्व	६,८४२.३.६	६,८१४.८.६	२७.११.०
कुल	६,८४२.३.६	६,८१४.८.६	२७.११.०

—:०:—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ जून, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में प्रातःकाल ७ बजे आरम्भ हुई।

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३९)

अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद ख़ाँ, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा ख़ाँ, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक़्तराय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री

त्रेपन सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नफीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फखरूल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दूबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खाँ, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खाँ, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद रजा खाँ, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुकनुद्दीन खाँ, श्री
रोशन जमा खाँ, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खाँ, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डे, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सलीम हामिद खाँ, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ जून, सन् १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

***१—२—श्री शिवकुमार मिश्र**—[स्थगित किये गये।]

इटावा ज़िले में अच्छलदा तथा रूरुगंज के बीच कृषि के लिए जंगल की सफ़ाई

***३—श्री दीन दयालु अवस्थी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला में अच्छलदा तथा रूरुगंज के बीच में जो जंगल कृषि के लिये सरकार की ओर से साफ कराया गया है उसमें कितनी जमीन खेती योग्य निकली है? उसमें से इस वर्ष कितनी भूमि पर खेती हुई और कितनी पैदावार हुई?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—अच्छलदा और रूरुगंज के बीच में लगभग ४८६ एकड़ का जंगल साफ किया गया और ४१५ एकड़ भूमि में पेड़ों की जड़ें भी निकाल दी गई हैं। यह कुल भूमि हल्की ऊसर है और अभी मामूली खेती के योग्य है। इसमें से ५३ एकड़ भूमि इस वर्ष बोई गई। पैदावार लगभग १०० मन हुई है।

***४—श्री दीन दयालु अवस्थी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस जंगल को साफ कराने में कितनी लागत बैठी है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इस जंगल को साफ कराने में ९३,०८६ रुपये खर्च हुए जिसमें जंगल की कटाई, जोताई, बोवाई और बीज के दाम भी शामिल हैं।

*५—**श्री दीन दयालु अवस्थी**—क्या यह सही है कि सरकार इस भूमि को अब लगान पर उठा देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह भूमि किस शर्त पर उठाई जायगी और किन किसानों को उठाई जायेगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हाँ, यह जमीन सहकारी समिति को सहकारिता के आधार पर कृषि के लिए दी जा रही है। शर्तों की ब्योरेवार सूचना नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१६ पर)

सीधा अहलासपुर (आजमगढ़) के सुचित चमार के क़त्ल का मुक़दमा।

*६—**श्री गजाधर प्रसाद**—(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ता० ५-२-५० ई० के थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ की पुलिस ने ग्राम सीधा अहलास-पुर निवासी सुचित चमार को जो कि घायल था तहसील घोसी के अस्पताल में भर्ती कराया था ?

(ख) क्या यह सच है कि वह व्यक्ति ता० ८-२-५० ई० को ही उस अस्पताल में मर गया ?

(ग) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह घायल कैसे हुआ ? क्या उसकी शव परीक्षा कराई गई ? यदि हां, तो मृत्यु का क्या कारण पाया गया ?

(घ) यदि शव परीक्षा नहीं कराई गई, तो इसका कारण क्या था ?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)—(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) श्री सुचित चमार, चरित्तर अहीर तथा सूरजनाथ मल द्वारा लाठियों से घायल हुये। उनके शव की परीक्षा कराई गई जिससे यह मालूम हुआ कि अधिक खून निकल जाने के कारण उनके दिल की धड़कन बन्द हो गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गजाधर प्रसाद—क्या यह सत्य है कि सूरजनाथ मल उस गाँव का जमीदार है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

*७—श्री गजाधर प्रसाद —(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मृत व्यक्ति ने अपनी घायल दशा में जिन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी, उसकी पुलिस द्वारा कोई जांच पड़ताल हुई या नहीं ?

(ख) यदि जांच नहीं हुई, तो इसका कारण क्या है ?

*८—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों पर कोई मामला चलाया जा रहा है ?

(ख) यदि मामला चल रहा है, तो कितने आदमियों पर ?

(ग) मामला किस स्टेज पर है ?

माननीय श्री लाल बहादुर— श्री सुचित चमार ने चरित्तर अहीर तथा सूरजनाथ मल नामक दो आदमियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। शीघ्र ही मामले की जांच हुई और इन दोनों व्यक्तियों का धारा ३०४ के अन्तर्गत चालान किया गया। मुकदमा अदालत में चल रहा है। पुलिस की तरफ से सबूत पेश किया जा रहा है।

***९–१६–श्री कृष्णशरण आर्य**—[स्थगित किये गये।]

रामपुर में विभिन्न अवधियों में डाके तथा चोरियां इत्यादि

१७—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी सन् १९४८ से १५ अगस्त, सन् १९४८ तक, १६ अगस्त, सन् १९४८ से ३० जून, १९४९ तक, जुलाई, सन् १९४९ से ३० नवम्बर, सन् १९४९ तक और १ दिसम्बर, सन् १९४९ से ३० अप्रैल, सन् १९५० तक की अवधियों में रामपुर में पृथक पृथक कितने डाके, चोरियां तथा अन्य प्रकार के अपराध हुये और उनमें से कितनों कितनों में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई ?

माननीय श्री लाल बहादुर—रामपुर जिले में जनवरी १,१९४८ से अप्रैल ३०, १९५० तक की अवधि में जो डाके चोरियां तथा अन्य अपराध हुये उनका विवरण इस प्रकार है:—

अवधि	डाके	पुलिस को सफलता	चोरियां	पुलिस को सफलता	अन्य अपराध	पुलिस को सफलता
१—१ —१९४८ से १५—८ —१९४८ तक	८	४	३२१	१०४	४३९	२१७
१६—८ —१९४८ से ३०—६ —१९४९ तक	३३	१४	११०४	१८५	६८८	२९६
१—७ —१९४९ से	७	६	४७२	८८	४२१	२४०

३०—११—१९४९ तक १—१२—१९४९ से ३०—४—१९५० तक	१५	६	४३५	८४	३२६	१७८

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को यह पता है कि रामपुर की जनता, पुलिस के अधिकारियों के अनुचित व्यवहार के कारण पूर्वापेक्षा अधिक परेशानी अनुभव कर रही है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—ऐसी बात नहीं है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को यह पता है कि रामपुर की पुलिस में जनता के प्रति साधारण व्यवहार में अभी उतना सुधार नहीं होने पाया है जिसका कि अन्य जिलों की जनता अनुभव करने लगी है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—मैं नहीं जानता जो माननीय सदस्य यह समझते हैं कि और जिलों में पुलिस के प्रति लोगों की आस्था ज्यादा है और वहां की पुलिस कम अच्छी है। यह सुन कर तो मुझे खुशी हुई कि और जिलों की पुलिस पहले से कुछ अच्छी है लेकिन मैं यह नहीं जानता कि यह कहां तक ठीक है। हमारी गवर्नमेंट की यह पूरी कोशिश है कि सब जगहों की हालत अच्छी हो और रामपुर को भी हम उसी दर्जे पर ले आयेंगे।

रामपुर में प्रान्तीय रक्षकदल का संगठन

*१८—**श्री कृष्णशरण आर्य**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर में प्रान्तीय रक्षादल का संगठन तथा कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

माननीय श्री लाल बहादुर—रामपुर में प्रान्तीय रक्षक दल का संगठन मई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो गया है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि अभी तक रामपुर में प्रान्तीय रक्षादल के सम्बन्ध में क्या कार्य हुआ है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—वहाँ पर फील्ड वर्क के लिये ५५ हजार रुपया खर्च के वास्ते रख दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर की नियुक्ति हो गई है जो आगरा से रामपुर आ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ दफ्तर और स्टाफ का प्रबन्ध किया गया है।

*१९—**श्री कृष्णशरण आर्य**—[स्थगित किया गया।]

रामपुर में पड़ोसी शहरों की अपेक्षा अधिक चुंगी

*२०—**श्री कृष्णशरण आर्य**—(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर में चुंगी की दर पड़ोसी शहरों तथा मुरादाबाद, हल्द्वानी, चन्दौसी तथा नैनीताल आदि से कई गुना अधिक है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है और कब तक ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—(क) रामपुर में आक्ट्राय प्रकार की चुंगी लगती है लेकिन मुरादाबाद व चन्दौसी में टरमिनल टैक्स और हलद्वानी और नैनीताल में केवल टौल टैक्स लिया जाता है। आक्ट्राय से टरमिनल टैक्स या टौल की दरें कम होती हैं, क्योंकि आक्ट्राय की माल के बाहर चले जाने पर वापसी भी हो सकती है जब कि टौल या टरमिनल टैक्स में इस तरह की कोई वापसी संभव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया गया है कि यदि कुछ वस्तुओं पर चुंगी की दरें विशेष रूप से अत्यधिक हों तो उनके घटाने का प्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाय।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि पड़ोसी जिलों की अपेक्षा अधिक चुंगी होने के कारण रामपुर का व्यापार पिछड़ी हुई अवस्था में है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—पड़ोस की म्युनिसिपैलिटी और रामपुर की म्युनिसिपैलिटी की आक्ट्राय की अभी कोई तुलना तो नहीं की गई लेकिन यह शिकायत सरकार के पास अवश्य आई है कि रामपुर में चुंगी की दर अत्यधिक । इसलिये यह हिदायत दे दी गई है कि जहां पर अत्यधिक चुंगी हो वहां पर चुंगी कम करने की सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट को की जाय।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार को पता है कि रामपुर के पड़ोसी शहर बरेली में आक्ट्राय अधिक है और रामपुर में वहां से भी ७ से लेकर २० गुना तक अधिक है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैंने तो जवाब में कहा है कि सब म्युनिसिपैलिटी या पड़ोस की म्युनिसिपैलिटी की तुलना नहीं की गई, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि बरेली और वहां की तुलना में क्या फर्क है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछली रियासती सरकार ने १५ मई सन् १९४८ ई० को यह तय किया था कि रामपुर में चुंगी की दर आक्ट्राय को टरमिनल टैक्स के रूप में कर दिया जाय ?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर—मेरे पास इस वक्त इसकी कोई इत्तिला नहीं है, तहकीकात करके बता सकता हूँ।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार के पास रामपुर के साइकिल व्यापारियों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में आया है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मुझे याद तो पड़ता है कि इस सम्बन्ध में मेरे पास शिकायत आई है और इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट को हिदायत की गई थी कि जितनी चुंगी जहां अत्यधिक है वह कम कर दी जाय और इस के अलावा और भी तहकीकात अभी जारी है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या जिला मैजिस्ट्रेट रामपुर को अत्यधिक चुंगी के रेट को कम करने का अधिकार दिया गया है या गवर्नमेंट उनसे सुझाव प्राप्त करने के बाद कम करेगी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—२० (ख) के उत्तर में मैंने कह दिया है कि वह सुझाव दे सकते हैं, आखिरी फैसला यहां सरकार करेगी।

***२१—श्री कृष्ण शरण आर्य**—(स्थगित किया गया।)

राज्य में स्थित प्रायः सभी बैंकों में हिन्दी भाषा भाषियों को असुविधा

***२२—श्री कृष्ण शरण आर्य**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होते हुये भी राज्य में स्थित प्रायः सभी बैंकों से व्यापार करने वाले हिन्दी भाषा भाषियों को अब भी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)—इस सम्बन्ध में सरकार को न तो कोई सरकारी तौर पर सूचना मिली है और न सरकार के पास कोई प्रार्थना पत्र आया है। भारत के संविधान के अनुसार बैंकों के नियंत्रण एवं कायदे कानून का अधिकार भारतीय सरकार को है। बैंकों का सम्बन्ध रिज़र्व बैंक से है और उनमें से मुख्य मुख्य बैंकों की शाखायें प्रदेश के बाहर भी हैं।

***२३—२७—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किये गये।]

म्युनिसिपल बोर्डों के एक्जिक्यूटिव अफसरों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता

***२८—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी

कि म्युनिसिपल बोर्डों के एक्जिक्यूटिव अफसरों क नियुक्ति के लिये उम्मेदवारों की शिक्षा की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—वर्तमान नियमों के अनुसार म्यूनिसिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव अफसर को नियुक्ति के लिये नीचे लिखी हुई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित है :

(१) प्रदेश की राज्यभाषा में अच्छी तरह लिखने पढ़ने की योग्यता, और

(२) किसी प्रमाणित विश्वविद्यालय की डिग्री आर्ट्स, कानून, विज्ञान या कामर्स में, या

(३) साधारण निर्माण कार्यों के उत्तरदायी चार्ज में रहने का कम से कम पाँच साल का अनुभव और सिविल या सैनिटरी इन्जीनियरिंग की सरकार से प्रमाणित संस्था की डिग्री या डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन आव सिविल इंजीनियर्स या इंस्टीट्यूशन आव म्यूनिसिपल ऐन्ड काउंटी इन्जीनियर्स, इंगलैंड, अथवा इन्स्टीट्यूट आव इन्जीनियर्स, इंडिया, की सदस्यता का डिप्लोमा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को एल० एस० जी० विषय पर भी शिक्षा दी जाती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—एल० एस० जी० का डिप्लोमा वहाँ दिया जाता है और सरकार उसको भी स्वीकार करती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव आफिसरों की नियुक्ति में ऐसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शिक्षा पाये हुये होते हैं क्या विशेष सुविधा दी जाती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—रूल में तो यह बात नहीं आयी है लेकिन आमतौर पर म्यूनिसिपैलिटीज को यह हिदायत कर दी गई है कि अगर क्वालिफिकेशन्स एक सी हों तो उनको तरजीह दी जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यदि म्यूनिसिपल बोर्ड की एक्जीक्यूटिव अफसरी के लिये ऐसे उम्मीदवारों में प्रतिद्वन्दता हो कि जो एल० एस० जी० की डिग्री प्राप्त किये हों और जो न किये हों तो उनमें से सरकार किनको विशेषता देगी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—एक्जीक्यूटिव आफ़िसर की नकरुरी में म्यूनिसिपैलटी को पूरा हक़ होता है। सरकार तो केवल

क्वालिफिकेशन्स मुकर्रर करती है और हिदायत भी दे देती है, लेकिन आखिरी फसला मुकर्रर करने का तो म्यूनिसिपैलटी को ही होता है। सरकार केवल बाद में मंजूरी देती है।

***२९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—मा० अन्न मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया]

***३०—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किया गया।]

***३१—३४—श्री भगवानदीन मिश्र**—[स्थगित किये गये।]

***३५—३६—श्री गजाधर प्रसाद**—[स्थगित किये गये।]

टेहरी गढ़वाल में रेतीली खास पट्टी गाँव के पास रक्त और मांस की वर्षा का भ्रामक समाचार

***३७—श्री खुशीराम**—क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि टेहरी-गढ़-वालकी खास पट्टी में रतौली नामक गांव के पास, तारीख १९ अप्रैल को लगभग तीन घंटे तक रक्त और मांस के समान एक एक छटाँक के टुकड़ों की वर्षा हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया कि वास्तविकता क्या है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—जी नहीं। सरकार ने इस विषय में पता लगाया है जो इस प्रकार है:—

इस समाचार में तनिक भी सचाई नहीं है कि जिला टेहरी गढ़वाल के रतौली खास पट्टी गांव के पास खून तथा मांस की वर्षा हुई। असल में एक शिकारी ने एक तेंदुआ को मारा और उसने वहीं पर उसकी खाल अलग की। इससे चीलों को मांस के टुकड़ों को उठाने का मौका मिल गया और उन्होंने मांस के उन टुकड़ों को उस स्थान से इधर उधर बिखेर दिया।

श्री खुशीराम—क्या इस तारीख में उक्त स्थान पर कोई वर्षा भी हुई थी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री खुशीराम—इस मामले की पूछ-गछ किसके जरिये से करायी गई है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुकामी अधिकारियों के जरिये।

***३८—३९—श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

मुरादाबाद में विक्ट्री केमीकल कम्पनी को हार्ड कोक तथा क्रिस्टल शुगर के परमिट

*४०—**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिलाधीश ने जिले में ज्यादा से ज्यादा कोटा जो दिया जा सकता है ३० मन हार्ड कोक का मुकर्रर किया है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह सच है कि जून १९४८ में जिलाधीश ने इस आशय का आदेश जारी किया था कि किसी भी कारखाने के लिये ३० मन से अधिक हार्ड कोक का अनुमति पत्र डी० एस० ओ० न दें। यातायात तथा अन्य सुविधाओं के कारण जिलाधीश को हार्ड कोक का अधिक कोटा मिल सका जिसके फ़लस्वरूप जनवरी १९५० में जून १९४८ का आदेश तोड दिया गया। इस समय उचित मात्रा में हार्ड कोक का अनुमति पत्र कारखानों को दिया जा रहा है।

*४१—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**(अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिला मैजिस्ट्रेट के इस हुक्म के खिलाफ़ डी०।एस० ओ० मुरादाबाद ने किसी कम्पनी को ५० मन हार्ड कोक का परमिट जारी किया है ? यदि हां, तो क्यों और उस कम्पनी का क्या नाम है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह सच है कि डी० एस० ओ० ने अप्रैल १९५० में विक्ट्री केमीकल कम्पनी को, जो कि एक विस्थापित (डिसप्लेस्ड) व्यक्ति की फर्म है और जिसको पुनर्निवास के हेतु सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है, ५० मन हार्ड कोक का अनुमति पत्र दिया था परन्तु इस से जिलाधीश के आदेश की अवहेलना नहीं होती क्योंकि जनवरी १९५० में पिछले आदेश को रद कर दिया गया था।

श्री बादशाह गुप्त—यह हार्ड कोक इस कम्पनी को किस काम के लिये दिया जाता है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—उस का काम चलाने के लिये।

श्री बादशाह गुप्त—यह कम्पनी क्या क्या काम करती है जिसके लिये इतना कोयला दिया जा रहा है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुख़्तलिफ़ काम करती है जिनकी डिटेल बतलाना बड़ा मुश्किल है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४०–४२ श्री खुशवक़्त राय ने पूछे।

४२*—मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इसी कम्पनी को ३० बोरे क्रिस्टल शूगर के माहवार देने का परमिट भी जारी हुआ है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह सच है कि इसी कम्पनी को (३०) तीस बोरा चीनी का अनुमति पत्र प्रतिमास देने का आदेश हुआ है। संचालक गृह उद्योग पुनर्निवास ने इस फ़र्म के लिये उसकी क्षमता तथा आवश्यकता के आधार पर जिलाधीश को ६० बोरा चीनी प्रतिमास देने की सिफारिश की थी परन्तु जिलाधीश ने चीनी की कमी का ध्यान रखते हुए केवल ३० बोरा मंजूर की।

गोपाल नारायण सक्सेना— यह कंपनी शकर से क्या क्या चीजें तैयार करती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह— इसकी इत्तला मिसल में नहीं है, लिहाजा इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

***४३—४४—श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—[मा० अन्न मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये।]

विलीन काशी राज्य क्षेत्र में किसानों की बेदखली के दावे

***४५—श्री राम नन्दन सिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य क्षेत्र में न्यायालयों के सम्मुख—

(क) १५ अक्टूबर, सन् १९४९ ई० को किसानों की बेदखली के कितने दावे थे ?

(ख) उसके बाद अब तक कुल कितने नये दावे प्रस्तुत किये गये हैं ?

(ग) उसमें से माल बोर्ड के आदेशानुसार कितने स्थगित किये गये हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि जो दावे स्थगित नहीं किये गये हैं वे शरह मुअइयन दखीलकार और इस्तमरारी काश्तकारों की ओर से शिकमी काश्तकारों के विरुद्ध है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) १५ अक्तूबर, १९४९, को किसानों की बेदखली के १३८४ दावे थे।

(ख) उपरोक्त दिनांक के बाद २५ दावे प्रस्तुत किये गये।

(ग) ८५१ दावे माल बोर्ड के आदेशानुसार स्थगित कर दिये गये हैं।

(घ) ऐसे कोई दावे नहीं थे।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य में बेदखली के दावों को स्थगित करने का आदेश किस तारीख से किया गया ?

माननीय श्री हुकुमसिंह—बनारस टेनैंसी ऐक्ट की धारा १५४ और १५६ के अन्तर्गत जो दावे थे उनके स्थगित होने का आदेश बोर्ड ने दिया। तारीख की इत्तला तो मैं इस वक्त देने से मजबूर हूं।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या आदेश के बाद भी वहां दफा १५४ के अनुसार बेदखलियां होती रहीं ?

माननीय श्री हुकुमसिंह—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

*४६—**श्री रामनन्दन सिंह**—(क) क्या यह सही है कि माल बोर्ड की ओर से विलीन काशी राज्य के क्षेत्र के किसानों की बेदखली के सभी मुक़दमों को रोकने के लिए पहिले आदेश जारी किया गया था और ऐडमिनिस्ट्रेटर की सिफारिश पर काश्तकारों के मुकदमों को जारी करा दिया गया है ?

(ख) अगर यह बात सही है, तो उनके सिफारिशों का आधार क्या है जिसकी वजह से माल बोर्ड को दूसरा आदेश देना पड़ा ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर से हुनरमन्द कारीगरों (टैक्नीशियन्स) का पाकिस्तान जाना

*४७—**श्री बादशाह गुप्त**—क्या यह सत्य है कि कानपुर की जुग्गीलाल कमलापत की मिलों व कारखानों से विशेष रूप से और कानपुर की अन्य मिलों व कारखानों से साधारणत गत चन्द मास में प्रचुर मात्रा में हुनरमन्द कारीगर (टैक्नीशियन्स) पाकिस्तान चले गये हैं ?

*४८—क्या सरकार को सूचना मिली है कि पाकिस्तान के एजेन्ट कानपुर में हुनरमन्द कारीगरों को फुसलाकर पाकिस्तान भेजने में लगे हुये हैं और जाने वालों को किराया आदि की भी सुविधायें दे रहे हैं ?

*४९—क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना अपनाई है कि जिससे जाने वाले हुनरमन्द कारीगरों को जाने से रोका जावे या जानेवालों के स्थान की पूर्ति ऐसे हुनरमन्द कारीगरों द्वारा की जावे जिनके पाकिस्तान जाने की शंका न हो ?

माननीय श्री लालबहादुर—जो नई स्थिति अब पैदा हुई है उसमें इन सवालों का जवाब जनहित में देना उचित न होगा।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रही है?

माननीय श्री लालबहादुर—जहाँ तक ४९ प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि नये आदमियों की भरती की जाय क्योंकि कारखानों में इस वक्त काम कम होने की वजह से काम करने वालों की संख्या कुछ घट रही है।

*५०—५१—**श्री भगवान सिंह**—[स्थगित किए गये।]

*५२—५५—**श्री जगन्नाथदास**—[स्थगित किए गये।]

*५६—५९—**श्री दीन दयालु अवस्थी**—[स्थगित किए गये।]

राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा रेलवे लाइनों की हिफाजत का आदेश

*६०—**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह रेलवे लाइनों की हिफाजत के लिए अपने राज्य में पर्याप्त इन्तजाम करे?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाहियाँ की हैं?

माननीय श्री लालबहादुर—(क) (ख) कोई ऐसा आदेश इधर नहीं मिला, परन्तु हमारी जितनी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री खुशवक्तराय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभा रही है?

माननीय श्री लाल बहादुर—अभी तो कोई खास हमारी तरफ से कार्यवाही नहीं हुई है लेकिन जो काम हम करते हैं उसको बगैर रेलवे अधिकारियों की राय के या सलाह के नहीं करते हैं। अभी शीघ्र ही एक कान्फ्रेंस रेलवे अधिकारियों की, जिसमें उन्होंने हमारे यहाँ के अधिकारियों को बुलाया है, होने वाली है। उसमें जैसा विचार होगा उसके अनुसार काम होगा।

श्री खुशवक्तराय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रांतीय

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या ६०, ६३ और ६५ श्री रोशनजमां खां ने पूछे।

सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में गाँव के जो रहने वाले हैं उनका सहयोग चाहेगी ?

माननीय श्री लालबहादुर—जी हाँ, जरूर चाहेंगी।

***६१—६२—श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—
[स्थगित किए गए।]

भारत सरकार द्वारा राज्य को १० लाख रुपये की रुरल ड्रेनेज के हित सहायता

***६३—श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को १० लाख रुपए रूरल ड्रेनेज के दुरुस्त करने के लिए हाल ही में देना मन्जूर किया है ? राज्य सरकार ने इस रुपये को किस तरह से खर्च करने के लिए स्कीम बनाई है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इस सरकार की प्रार्थना के उत्तर में भारत सरकार ने कहा है कि ग़िज़ा बढ़ाने के विचार से रूरल ड्रेनेज के दुरुस्त करने के लिए ५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता और ५ लाख रुपये कर्ज देना मुमकिन है और उन्होंने स्कीम की तफ़सील मांगी है। बनारस और बलिया जिले में कुछ योजनाएँ जो जिला विकास संघ और ग़िज़ा समिति से मन्जूर हो चुकी हैं, अमल में लाई जा रही है और ऐसी कुछ योजनायें जो जिला विकास संघों या ग़िज़ा समितियों ने मंजूर की हैं, बरसात के बाद अमल में लाई जावेंगी।

श्री बादशाह गुप्त—यह रुपया सरकार को कब मिला है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—अभी मिला नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—जिन जिलों में इस सम्बन्ध में कार्यवाहियाँ की जा रही हैं उनका फैसला सरकार ने कब किया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—नोटिस की जरूरत है।

राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा इवेक्युई प्रापर्टी कानून को उदारता से बरतने के आदेश

***६४—श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को कोई ऐसा पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में मुसलमानों में संतोष पैदा करने के लिए इवेक्युई प्रापर्टी

कानून को सख्ती से नहीं बल्कि उदारता से बर्ता जाय ? यदि हां, तो राज्य सरकार किस तरीके से भारत सरकार की नीति पर काम करना चाहती है ?

श्री चरणसिंह—भारत सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इवेक्युई प्रापर्टी कानून को न्यायपूर्वक लियाकत नेहरू समझौते के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार बर्ता जाय। तत्सम्बन्धी अधिकारियों को इसी अनुसार आज्ञा दी गयी है।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट और उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्यों को याद होगा कि हाल में सदन ने एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री का स्वीकृत किया था कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन जिस प्रकार मैं निश्चय करूं किया जाय।

इस निर्वाचन के लिये मैंने निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया है—

नामांकन पत्र मिलने की तिथि और समय ..	९ जून को दस बजे ।
मताभिलापियों के नामों की घोषणा ...	९ जून को साढ़े ग्यारह बजे तक।
नाम वापसी का समय ...	१२ जून को दस बजे तक।
यदि आवश्यकता हो तो निर्वाचन की तारीख...	१३ जून को नौ बजे से बारह बजे तक, रीडिंग रूम में।

इसी प्रकार मुझ को सदन ने अपने प्रस्ताव द्वारा यह आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में कार्य करने के लिये तीन सदस्यों का निर्वाचन जिस तिथि को मैं उचित समझूं एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांस्फरेबिल वोट) द्वारा कराऊं। इसके लिये मैं यह कार्यक्रम निश्चित करता हूँ।

नामांकन पत्र मिलने की तारीख तथा समय	९जून, दस बजे तक।
मताभिलाषियों के नामों की घोषणा	९ जून, साढ़े ग्यारह बजे।
नाम वापसी का समय ...	१२ जून, दस बजे तक।
यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन की तारीख	१३ जून, नौ बजे से बारह बजे तक रीडिंग रूम में।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

माननीय अध्यक्ष—अब सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल पर जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है विचार होगा।

धारा १३०

खातेदारों के वर्ग

१३०—इस विधान के प्रयोजनों के लिए खातेदारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे:—

(१) भूमिधर,

(२) सीरदार, और

(३) असामी।

श्री रोशन ज़मां खां—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १३० में "निम्नलिखित वर्ग" की जगह पर "कोई वर्ग नहीं" लिखा जाय और आगे के खंड १, २, ३ निकाल दिये जांय।

जनाब वाला, मेरी तरमीम का मंशा बहुत साफ है। मौजूदा सरकार इस बिल के जरिए से तीन क़िस्म के खातेदारों, भूमिधर, सीरदार और असामी रखना चाहती है। लेकिन मेरी तरमीम का मकसद यह है कि खेत को जोतने वाला जो हो, जो खेत पर मेहनत करके रोजी कमाये, उनमें एक वर्ग के सिवा दूसरा कोई वर्ग नहीं होगा और उस वर्ग का नाम जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी की तहरीरों में कहा गया है 'किसान' लिया जायगा। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी को नाम के बारे में कोई झगड़ा नहीं करना है। अगर किसान के बजाय कोई दूसरा लफ़्ज इस ऐवान को उचित मालूम हो वह उसे अख्तियार कर सकती है लेकिन सिद्धान्त की बात यह है और सोशलिस्ट पार्टी की नीति यह है कि आइन्दा समाज के ढांचे में कोई वर्ग न हो और एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—वैधानिक प्रश्न। मैं यह कहना चाहता हूं कि

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]
जो संशोधन श्री रोशन ज़माँ साहब ने धारा १३० के सम्बन्ध में उपस्थित किया है वह अनियमित है। उसका कारण यह है कि इस भवन ने धारा १९, २०, २१ और २२ में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भूमिधर, सीरदार और असामी इस प्रकार के काश्तकार होंगे। अब इस संशोधन के जरिये से आप यह कह रहे हैं कि यह निकाल दिया जाय, यानी जो भूमिधर, सीरदार और असामी का वर्गीकरण है वह निकाल दिया जाय। इस वर्गीकरण की धारा को हमारे इस सदन ने स्वीकार कर लिया है तो एक ऐसे विषय को जिस पर भवन ने अपनी सम्मति दे दी है और स्वीकार कर लिया उसके विरुद्ध अब नहीं जाया जा सकता। यह रूल्स (नियमों) में भी दिया है। इसलिये मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में यह अड़चन उपस्थित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष—क्या श्री रोशन जमाँ को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

श्री रोशन ज़मां खां—जनाबवाला, इससे पहले सदन ने लैंड रिफार्म्स (भूमि-व्यवस्था) के सिलसिले में जो फ्यूचर टिन्योर होल्डर्स होंगे उसपर कोई फैसला नहीं किया है। धारा १८, १९, २०, २१, और २२ के सिलसिले में भूमिधर, सीरदार और आसामी के बारे में उनकी क्या हैसियत होगी इसका फैसला सदन ने किया है लेकिन आज इस दफा १३० से अब आप यह फैसला कर रहे हैं कि हमारे खातेदारों के कितने क्लासेज़ (वर्ग) होंगे। आगे चल कर धारा १३१, १३२, १३३ और १३४ में इस बात के लिये साफ साफ स्पष्टीकरण किया गया है कि भूमिधर, सीरदार और आसामी के क्या क्या राइट्स (अधिकार) होंगे और क्या क्या लाऐबिलिटीज (जिम्मेदारी) होंगी। अगर हमारे लायक दोस्त धारा १८, १९, २०, २१, और २२ के बाद १३० की जरूरत नहीं समझते तो ठीक हो सकता है।

लेकिन अगर धारा १८, १९, २०, २१ के फैसले के बाद सदन को इस बात की जरूरत महसूस होती है कि इस बिल में १३० से १३४ तक धारायें रखी जांय तो मेरा संशोधन नियमित है और उसे रहना चाहिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है उसमें एक वैधानिक आपत्ति मुझे भी दिखाई पड़ती है। धारा २१ और धारा २२ में हम अधिवासी और असामी के बारे में तय कर चुके हैं और सीरदार के बारे में भी, जैसा कि मौर्य जी ने कहा है, तय कर चुके हैं। भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी सबके नाम आ चुके हैं और किसानों के चार किस्म के वर्ग होंगें जिनका खेती से सम्बन्ध होगा। लिहाजा दफा १३० में

यह तरमीम लाना कि ये सब वर्ग निकाल दिये जायें, जिस उसूल को तय करके हमने इन लोगों को रखा है, उसके विरुद्ध बात पड़ती है। यह तरमीम कानूनन ठीक नहीं बैठती।

माननीय अध्यक्ष—मैं श्री रोशन जमाँ का ध्यान इस विधान सभा के स्थायी आदेश २२ की ओर दिलाता हूँ। वास्तव में वह आदेश माने हुये सिद्धांतों का उल्लेख करता है। यहां जो बातें अब तक तय हो चुकी हैं उनके विरुद्ध यह संशोधन हो रहा है। यह दलील कि अगर यह बातें तय हो चुकी हैं तो इस धारा को रखने की जरूरत नहीं है सही नहीं है क्योंकि यह दफा, उस बात को जो निश्चित हो चुकी है अब आगे बढ़ा रही है, नई चीज इसमें रख रही है। आप इसके विरुद्ध बोलें परन्तु जो बातें निश्चित हो चुकी हैं उनको किसी संशोधन के द्वारा काटनेका यत्न आप नहीं कर सकते। इसलिये जो आपत्ति उठाई गई है उसको मैं ठीक समझता हूँ और आपके इस संशोधन को अनुचित ठहराता हूँ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि धारा १३० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

श्री रोशन जमां खाँ—जनाबवाला, मैं दफा १३० की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सरकार ने इस जमींदारी बिल के जरिये से जो फैसला वर्ग भेदभाव के बारे में किया है, मेरी राय में इससे सूबे को और सूबे के बसनेवालों को नुकसान पहुँचेगा। अगर दफा १३० मंजूर कर ली जाती है तो इसके माने यह हैं कि जो वर्ग भेदभाव हमारे खेत जोतनेवालों में मौजद था और है वह आइन्दा भी कायम रहेगा। हमें तवारीख ने एक मौका दिया था कि हम वर्ग विहीन समाज बनाने के लिये इस सुनहरे मौके से फायदा उठाते वह मौका हम अपने हाथ से बिला फायदा उठाये उजाड़देने के लिये तैयार दिखाई देते हैं। हम यह समझते हैं कि कांग्रेस जमाअत ने आज तक जो एलानात किये हैं उनके भी खिलाफ यह दफा १३० जाती है और हम अगर जमींदारी मिटाने के लिये चले थे तो इसलिये नहीं कि हमें जमींदारों से कोई दुश्मनी थी। हमारी जमीदारी के ढाँचे, नस्ल और सूरत से कोई नफरत न थी बल्कि इसलिये कि हम यह चाहते थे कि जमीन भविष्य में मीन्स आफ एक्स्प्लायटेशन (शोषण का साधन) न हो जाये। दूसरे लोग दूसरों के कमाये हुये धन को अपने कब्जे में लेकर नाजायज तौर पर उसका इस्तेमाल न करें। हम यह देख रहे हैं कि दफा १३० के मंजूर हो जाने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी कठिनाई थी उसको दूर करने के लिये हमने तत्परता दिखाई थी वह आइन्दा भी कायम रहेगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि दफा १३० इस बिल का हिस्सा न बनाई जाये।

हम आइन्दा समाज का ढांचा इस तरह से बनायें कि हम में कोई वर्ग भेद

[श्री रोशन जमां खां]
भाव न हो। हमने जो समानता का नारा लगाया था उसको अमली जामा पहनाने का एक मौका मिला था हम। उससे फायदा उठातेलेकिन आज इस दफा १३० के जरिये से यह सरकार खुद कांग्रेस के बनाये हुये उसूलों के खिलाफ अमल करने के लिये तयार दिखाई दे रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था, उसने इतने दिनों तक विचार किया और उसने अपने जयपुर अधिवेशन में एक सोसायटी बनाई और एलान किया, और कांग्रेस की बनाई हुई सरकार जो उत्तर प्रदेश में राज सत्ता अपने हाथ में लिये हुये है आज इसके विरुद्ध अमल करने के लिये तैयार है।

एक बात समझ में आती है कि उन्होंने इस दफा को इसलिये रखा है कि इसके जरिये से वह रुपया वसूल कर सकें और वह रुपया बड़े २ जमींदारों और ताल्लुकेदारों को मुआविजा देने के लिये वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिये उन्होंने तीन किस्म के टैन्योर होल्डर्स (खातेदार) रखे हैं ताकि भूमिधरी का लालच देकर किसानों की जेब में जो रुपया है या किसी तरह से कर्ज लेकर भूमिधरी के नाम पर दस साल का लगान अदा कर दें जिससे जमींदारों को मुआविजा दिया जा सके।

मैं मानता हूँ कि यह सरकार और इस सरकार की कांग्रेस पार्टी जो इस एवान में है उससे यह उम्मीद करना कि वह जमींदारों को मुआविजा देने के खिलाफ कदम उठाये बिल्कुल नामुमकिन और असम्भव है।

जब कांग्रेसी केन्द्रीय सरकार को जमींदारों को मुआविजा ज्यादा दिलाने के लिए डेलीगेशन भेजने की हिम्मत कर सकते हैं तो जाहिर है कि किस तरह से यह सरकार जमींदारों और ताल्लुकेदारों को मुआविजा न देने से महरूम कर सकती है। कहा जाता है कि मुआविजा न दिया जाना तो उन मुल्कों में स्वीकार हुआ है जहाँ पर रेवोलूशन (क्रान्ति) के जरिए से, खून खराबी के जरिए से सरकारें बदली गयी हैं। क्या मैं अपने कांग्रेसी दोस्तों को उनके एक पड़ोसी सूबे या स्टेट काश्मीर का हवाला दे सकता हूँ? बख्शी गुलाम मुहम्मद साहब अभी हाल में लखनऊ तशरीफ लाए थे। उन्होंने लखनऊ में तकरीर करते हुए यह कहा कि काश्मीर एक गरीब मुल्क है। वह हर्गिज जमींदारों, ताल्लुकेदारों और जागीरदारों को मुआविजा देने के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकता। अगर काश्मीर में जो इस वक्त लड़ाई के पंजे में गिरफ्तार है वहां पर अब्दुल्ला की सरकार यह तय कर सकती है कि हम जागीरदारों को कोई मुआविजा न देंगे तो आखिरकार हमारी कांग्रेस सरकार मुआविजा देने के लिए इतनी ज्यादा तत्परता से काम क्यों कर रही है? आइन्दा यह टेन्योर होल्डर्स की जो श्रेणियाँ बन रही हैं उनमें यह वर्ग भेद भाव क्यों कायम रखना चाहती है? इस तरह से नेशनल प्लानिंग में भी बहुत सी दिक्कतें पैदा करने की यह कोशिश कर रही है। आज नेशनल प्लानिंग का सवाल हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखता है।

डाक्टर जान मेथाई ने इस मसले पर केन्द्रीय कैबिनेट (मन्त्रिमण्डल) से इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू, हिन्दुस्तान के वजीर आजम, कहते हैं कि नेशनल प्लानिंग सरकार के लिए अब बहुत जरूरी है और यह तो कांग्रेस का बहुत पुराना फैसला है। लेकिन क्या मैं पंडित नेहरू की तवज्जह इस बात पर दिला सकता हूँ कि आज आपकी बनाई हुई उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार नेशनल प्लानिंग की जड़ को ही काट रही है, क्योंकि नेशनल प्लानिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम प्राइवेट प्रापर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति) के उसूल को मानते हैं ? जब तक हम भूमिधरी के नाम से प्राइवेट प्रापर्टी को हमेशा के लिए जिन्दा रखते हैं और जब तक जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के बजाय जमीन की खरीद फरोख्त के उसूल को मानते हैं, जब प्राइवेट प्रापर्टी का उसूल खत्म नहीं होता तो नेशनल प्लानिंग का खयाल एक गुमराही चीज है, नाकामयाबी की सबसे बड़ी दलील है और हर्गिज हर्गिज इस मुल्क में नेशनल प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। मेरा यह भी दावा है कि जब तक नेशनल प्लानिंग को इस मुल्क में और इस सूबे में कामयाब नहीं किया जाएगा तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वे सारी मुसीबतें जिनके लिए हम बड़े बड़े ऐलान करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें दूर करेंगे और इस देश को साउथ ईस्ट (दक्षिणपूर्वी) एशिया में सबसे ऊँचा बनाएँगे तो जो गलती हम दफा १३० के जरिए कर रहे हैं उस गलती से हम मुतनब्बे हो जाएँ और हर्गिज हर्गिज इस दफा १३० को इस बिल का हिस्सा न बनाएँ। जो खेत जोतने वाले हैं उन्हीं को किसान कहा जाए और उनको किसान कहा जाएगा जो खेतों के जरिए अपनी रोजी कमाएँ और खेती के जरिए अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री साजिद हुसैन—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रोशन जमाँ खां का व्याख्यान सुनने के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत मालूम हुई। उनका खयाल है कि भूमिधरी के लिए जो १० गुना लिया जाता है वह बड़े बड़े ताल्लुकेदारों को देने के लिए। वह गालिबन इसके खिलाफ हैं कि मुआविजा दिया जाय हालांकि सोशलिस्ट पार्टी इस बात का एलान कर चुकी है और माननीय सदस्य जो इस सिलसिले में बोल रहे थे वे खुद कई मर्तबा इस बात को कह चुके हैं कि वे रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि का पुनर्वितरण) चाहते हैं। वह जमीन को टुकड़ों में, ख्वाह वह १२ ऐकड़ का ही क्यों न हो जिसे वे ऐकोनोमिक होल्डिंग (लाभकर जोत) समझते हैं, बांट देना चाहते हैं। जब उन्होंने यह बात तसलीम कर ली, जब उन्होंने यह बात कह दी कि वह जमीन के टुकड़े लोगों को बाटेंगे तो उसके मानी यह हुये कि उन्होंने पैजेन्ट प्रोपराइटरशिप (कृषक स्वामित्व) के उसूल को मान लिया। और जब उन्होंने यह मान लिया तो प्राइवेट प्रापर्टी के उसूल को मान लिया। अब प्राइवेट प्रापर्टी के उसूल को तस्लीम करने के बाद वे नेशनलाईजेशन (राष्ट्रीयकरण) की स्कीम का जिक्र करें तो मेरी समझ में नहीं आता

[श्री साजिद हुसैन]

कि किस तरह दोनों बातें फिट (युक्त) हो सकती हैं। अब आप खयाल कीजिये कि एक तरफ तो वे प्राइवेट प्रापर्टी के उसूल को मानते हैं दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी की चीज को बिला मुआविजा ले लिया जाय। जहां तक सरकार का ताल्लुक है यह तो बदकिस्मती से मुजस्सिम कन्फ्यूज़न (भ्रम) पर वाक़ै हुई है। आप यह देखें कि मुआविजे का रुपया देने के लिये और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया सिवाय इसके कि काश्तकारों की जेबों से रुपया निकाला जाय। अब सरकार मुझसे यह सवाल कर सकती है कि फिर आखिर रुपया कहां से आये। इस सिल-सिले में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि रुपये के लिये बहुत सी तदबीरें हो सकती थीं। एक मामूली तदबीर यह थी कि रुपये के लिये टैक्सेशन (कर लगाना) किया जाता और इसके लिये मैं यह भी जरूरी समझता हूँ कि जमींदारी खत्म करने का काम सूबेवारी नहीं होना चाहिये था। मैं उसकी बुराई और अच्छाई के मुताल्लिक नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि अगर यह फैसला करना ही था तो आल इंडिया बेसिस (अखिल भारतीय आधार) पर करना चाहिये था। टैक्सेशन करने के बाद मुआविजा दिया जा सकता था और फिर यह भी मुमकिन था कि जो रुपया मुआविजे में मिलता वह भी टैक्सैबिल इनकम (करयोग्य आय) होती। लेकिन मेरी जाती राय में इस रुपये को इकट्ठा करने के बाद सबसे कन्वीनियंट (सुविधापूर्ण) और प्रैक्टीकल (क्रियात्मक) स्कीम यह थी कि सरकार की जो इंडस्ट्रियल (औद्योगिक) स्कीम्स हैं, ख्वाह वे कैनाल (नहर) की हों या हाइड्रो-इलैक्ट्रिक की हों या और कोई हों, उनमें सरकार को बिला किसी अंदेशे के ४९ फीसदी शेयर्स निकाल देने का अख्तियार है बगैर इस बात कि मैनेजमैंट सरकार के हाथ से निकल जाय। ५१ फीसदी शेयर रखने के बाद मैनेजिंग एजेन्सी सरकार के हाथ में रहेगी और यह शेयर्स काफी तादाद में सरकार के हाथ में रहते और जो वह चाहते और भी इस तरह की अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी) ले सकते। सब से बड़ी इण्डस्ट्रियल अंडर टेकिंग हिन्दुस्तान के अन्दर रेलवेज़ की है। बहरहाल यह मैं इस खयाल से कह रहा हूं कि अगर यह सब स्कीम आल इण्डिया बेसिस पर की जाय, जिसकी प्रापर्टी एक्वायर (प्राप्त) की जाय उसको शेयर दे सकते थे बिना किसी चीज में कोई फर्क पैदा किये और उसका डिविडेंड गारन्टी कर दिया जाता ; डिविडेंड की गारन्टी होने से उनको रुपया जेब से नहीं देना पड़ता जो जायदाद ले रहे हैं उससे वह रुपया आ सकता था सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का सवाल हो सकता था। यह मैंने उस जवाब में कहा जो सरकार बराबर कहती है कि रुपया कहां से आवे। तो यह एक तरह से टैक्स होता जो सरकार को अपनी जेब से देना नहीं पड़ता। टैक्स का यह दुनिया का उसूल है कि जिसकी जेब में ज्यादा पैसा होता है उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। यह इकानामिक्स (अर्थशास्त्र) का फंडामेंटल (आधारभूत) उसूल है, ऐसी सूरत में जो कि आप निहायत आसानी से कर सकते थे और कर सकते हैं। अब रहा यह सवाल कि यह उचित है या नहीं। यह तो एक दूसरा

मसला है कि इससे मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। यह तो हमारी सरकार के दिमाग की तारीफ है जिसके मुताल्लिक मैं कहना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इस शौक में कि किसी तरह से रुपया जेब में आजाय और पैदावार बढ़े इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। भूमिधर को यह अख्तयार दे दिया गया है कि चाहे तो वह अपनी जमीन को परती रख सकता है चाहे अनइकानामिक होल्डिंग (अलाभ-कर जोत) बना सकता है और अगर वह चाहे तो उस पर कारखाना बना सकता है या प्ले ग्राउंड (खेल का मैदान) बना सकता है। यकीनन इस एलानशुदा उसूल को मिट्टी में मिला दिया तो फिर इस सरकार के दिमाग की क्या तारीफ़ करूँ जो पागलों को वोट का अख्तयार दे रही है उसके दिमाग की मैं तारीफ नहीं कर सकता। अब ऐसी सूरत में रहे हमारे सोशलिस्ट भाई जो हर वक्त खड़े हो जाते हैं ख्वाह यह मौका हो या न हो जिससे कि वोट मिल जाय और किसी तरह से इस कुर्सी पर बैठ जाय इसलिये उनकी राल टपकती रहती है। यकीन मानिये कि वह इतना कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे कि जिससे न सोशलिज्म यहाँ पर कायम होगा, न कम्युनिज्म (साम्यवाद) पैदा होगा और न वह कोई चीज यहाँ पर नेशनलाइज़ ही कर पायेंगे, और न उनका वह ट्रू सोशलिज्म (सच्चा समाजवाद), ही ला पायेंगे। गवर्नमेंट का दिमाग ही जानता है कि वह क्या करेंगे। मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि असल में यह लोग सोशलिज्म की जड़ काटने वाले लोग हैं और दुनियाँ में सोशलिज्म का सबसे बड़ा खून करने वाले हैं।

श्री फ़खरुल इस्लाम—जनाबवाला, मैं इस दफा की मुखालिफत करता हूँ और इस सिलसिले में यह अर्ज़ करूंगा जनाबवाला, आपके ज़रिये से, कि तारीख़ी वक्त और आइन्दा मिसाल यह रहेगी कि जब इस हुकूमत की बागडोर जनता के लोगों के हाथों में थी और उनके अख्तयार में यह ताकत थी, इतनी बड़ी अक्सरियत थी कि अगर वह इस सूबे की हालत को थोड़ा दुरुस्त कर सकते तो यहाँ की टेनेंट्री (असामियों) को बेहतर हालत पर ले आते। लेकिन इस क्लाज़ के अन्दर जो तरीका और जो उसूल इस सरकार ने मुरतब किया है वह हरगिज़ काबिल तस्कीन या काबिल मुबारकबाद नहीं है। इस वक्त तो वक्त और ज़माने की पुकार यह थी कि हम सूबे के रिफार्म्स (सुधार) में ऐसी बुनियादी तब्दीली पैदा करते जिससे हमारे सूबे के काश्तकारों की हालत बेहतर होती और यहाँ एक ऐसी खुशहाली फैलती जिससे हर गरीब यह महसूस करता कि हमारा मुल्क अब आजाद होगया है और आज कांग्रेसी राज में काश्तकार का राज है लेकिन अफसोस है कि उसके खिलाफ आज हम देखते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने अपने जमाने में राजा, महाराजा, ताल्लुकेदार, नवाब और खानबहादुर पैदा किए थे उसी तरीके से इस सरकार के जमाने में भी अगर राजा और ताल्लुकेदार नहीं, अगर नवाब और खानबहादुर नहीं, तो आज

[श्री फखरुल इस्लाम]

दूसरी तरह के जमीदार जिनको आप भूमिधर के नाम से याद करते हैं या आसामी या अधिवासी नाम से याद करते हैं कायम कर रहे हैं। आज से नहीं सन् ४२ से, बल्कि सन् ३७ से और उससे भी पहले सन् २१ से, बार बार जनता के आन्दोलनों के जरिए से यह कोशिश होती रही है कि लैंड रिफार्म्स (भूमि सुधार) हों और जमीदारी खत्म हो और यह सरकार भी सन् ३७ से बराबर आज सन् ५० तक इस कोशिश में मसरूफ़ है लेकिन आज सन् ५० तक बावजूद इसके कि राय आम्मा आप के साथ है और आज भी जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में नारे बुलंद हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं और हर तरह की कोशिशें जारी हैं और जब १७ लाख आदमियों के खिलाफ सरकार ने महाज़ बुलन्द कर रखा है और तरह तरह के प्रोपैगैन्डा (प्रचार) चल रहे हैं लेकिन सही मानों में लैंड रिफार्म किसी शक्ल में भी नजर नहीं आता है। मैं इस बात को जानता हूँ कि आप जो इस वक्त टीनेंसी कायम कर रहे हैं वह रहने वाली नहीं है बल्कि मुल्क की और दुनिया की जो हालत है उसको देखने से पता चलता है कि चाहे आप की कोआपरेटिव फार्मिंग हो या चाहे कोई और सोशलिज्म या कम्यूनिज्म का तरीका हो कुछ न कुछ आपको इसको बदल कर लाना होगा और आपको भी उस तरफ जाना होगा। मैं आपको बतलाता हूँ कि इस वक्त जो लोग इस बिल को पाइलट (पथ-प्रदर्शन) कर रहे हैं वही इस बात की कोशिश करेंगे कि भूमि-धरों को निकाला जाय और अधिवासियों की जगह कोई और तरीका अख्तयार किया जाय। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त आप तो न होंगे लेकिन आपकी जगह इन कुर्सियों पर जो आने वाली नस्लें होंगी उनके सामने एक बड़ी भारी मुश्किल होगी और करोड़ों आदमी, जिस तरह से आज जमीदार मुखालफत रहे हैं, आपकी मुखालफत करेंगे और कहेंगे कि यह भूमिधर और अधिवासी न हटाए जांय और तरह तरह के प्रोपेगेन्डा करेंगे। और जब उन की ताकत होगी और आवाज होगी उस वक्त हम और आप या आइन्दा के लोग कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास न करा सकेंगे और करेंगे तो उनको हद दर्जे की जहमत होगी। आपके पास ताकत थी और आप अपने कलम से हर तरह का कदम उठा सकते थे। आप सब से पहले एलान कर सकते थे कि हम सबसे पहले लैंड रिफार्म्स के सिलसिले में कोआपरेटिव सोसाइटी वगैरा बनाते हैं। अगर आप पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे सूबे में जो वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं और जो इस तरह की ताक़तें हैं उनको तो रोकते। आपके पास यह ताकत थी और राय आम्मा भी आपके साथ थी लेकिन आप ने उस वक्त को भी अब खो दिया और इस कानून के पास होने के बाद आपने हमेशा के लिए मोहर लगा दी और आपने मुल्क को फिर ३० साल पीछे ढकेल दिया। अब भी एक मौका है इस तरफ से और सोशलिस्ट और हर तरफ से लोग कहते हैं कि आप रूपए का इन्तजाम कर लीजिए और भूमिधर कोई जरूरी चीज नहीं है। अब जब ऐसा वक्त है

तो आपको उससे फायदा उठाना चाहिए और तमाम सूबे में आप एक ही किस्म की टीनैंसी कायम कीजिए और जो लोग वाकई काश्त करते हैं वही काश्तकार कहलावें। इन अलफाज़ के साथ मैं इस क्लाज़ (धारा) की मुखालफत करता हूँ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे लायक़ दोस्त फ़खरुल इस्लाम साहब ने जो तक़रीर की और जो ख़यालात ज़ाहिर किये उनको सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। इस विधेयक के ज़रिये से भूमिव्यवस्था में जो सुधार किया जा रहा है वह अपने तरीक़े का एक ऐसा सुधार है जिसका स्वप्न में भी अन्दाज़ा पहले नहीं किया जा सकता था। पहले काश्तकारों की क़िस्में इतनी ज्यादा होती थीं और इतनी ज्यादा हैं कि जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ी दिक़्क़तें पैदा होती थीं। हमारे फ़खरुल इस्लाम साहब तो वकील हैं वे जानते होंगे कि इस वक़्त ज़मीन की क़िस्में इस प्रकार हैं, सीर, खुदकाश्त, साकतुलमिल्कियत, मौरूसी काश्तकार, दख़ीलकार काश्तकार, ग़ैर-दख़ीलकार काश्तकार, शरह मुअइयन, और शिकमी। इसकी वजह से कितनी मुक़द्दमेबाज़ी और कितनी परेशानी किसानों को है यह भी उनको अच्छी तरह से मालूम है। ख़ासतौर पर वकील होने के नाते वे जानते होंगे कि इन तरह तरह के किसानों को अदालतों में तरह तरह की मुक़दमेबाज़ियाँ और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब तो सीधा सा प्रश्न सामने है कि जो ज़मीन का जोतने वाला है वह ज़मीन का मालिक होगा, उसकी ज़मीन उससे बेदख़ल नहीं होगी, और उसकी क़िस्में महज़ तीन रखी गयी हैं, और वे तीन क़िस्में इतनी ज़रूरी हैं कि जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। आपने यह कहा कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में लोग ज़मींदार बना दिये गये उसी प्रकार से यह भूमिधर भी बनाये जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सी दलील है, किस तरीक़े पर यह चीज़ आप कह रहे हैं। ज़मींदार किसान और सरकार के दरमियान की एक चीज़ थी जो बैठे बैठे फ़ायदा उठाते थे और भूमिधर वह होगा जो ज़मीन का जोतने वाला होगा, उसको कोई अख़्तियार नहीं होगा कि दूसरों से ज़मीन को जुतवाये, वह किसी का दरमियानी नहीं है और मुफ़्त में खाने वाला नहीं होगा। उसको अपनी ज़मीन पर पूरा हक़ होगा, वह उसकी वसीयत कर सकता है, उसको दूसरे के नाम ट्रान्सफ़र कर सकता है। तो ऐसे अख़्तियारात जिसको ज़मीन में हैं उसको भूमिधर कहा गया है। इससे हमारे फ़खरुल इस्लाम साहब को क्या गुरेज़ हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये उनका यह कहना कि जैसे अंग्रेज़ों ने जमींदार बना दिये थे वैसे ही यह कांग्रेस सरकार भूमिधर बना रही है, एक बिल्कुल ग़लत चीज़ है, ग़लत ख़याल है। मैं यह कहूँगा कि फ़खरुल इस्लाम साहब ने पूरी स्कीम को नहीं समझा है, अगर वे समझते कि भूमिधर एक ज़मीन का जोतने वाला है, कोई दरमियानी शख़्स नहीं है तो शायद ऐसा एतराज़ वे न करते।

अब रह गया सीरदार। उसकी दफ़ा २० में तफ़सील दी हुई है कि कौन से काश्तकार सीरदार होंगे।

[श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य]

खसूसन सीरदार को जमीन के मुन्तक़िल करने का अधिकार नहीं होगा। वह जमीन से बेदख़ल नहीं होगा। वह जमीन का पूरा मालिक इस मानी में होगा कि उसे अपनी जमीन के जोतने का पूरा हक़ होगा। लेकिन उसे वसीयत करने का हक़ नहीं होगा। आसामी के बारे में भी ऐसा कहना ग़ैरज़रूरी है। अगर फ़ख़रुल इस्लाम साहब दफ़ा १५६ को देख लें तो शायद वह ऐसा एतराज़ न करें। उसमें एक सूची दी हुई है ऐसे लोगों की जैसे विधवा औरतें, नाबालिग़, पागल या ऐसे लोग जो खेती नहीं कर सकते। जब आपकी तरफ़ से ही बार बार ऐसे संशोधन उपस्थित किये गये तो उसमें क्या एतराज़ हो सकता है कि जो ऐसे लोग हों उनके साथ यह रिआयत न रखी जाय। पिछली दफ़ा ऐजाज़ रसूल साहब ने ही एक संशोधन रखा था जिसमें इस सूची को दोहराया गया था। असामी तो सिर्फ ऐसे थोड़े से लोग होंगे जो दफ़ा १५६ में दिये हुये लोगों की जमीन को काश्त करेंगे और उनको जमीन की जोतने की वजह से कोई हक पैदा नहीं होगा। हमारे सोशलिस्ट भाई, श्री रोशनजमां खां साहब, भी कहते हैं काश्तकारों की जमीन की किसी क़िस्म की वसीयत नहीं होनी चाहिये। तो फिर आप बतावें कि दफ़ा १५६ में जो सूची दी हुई है क्या वह ग़ैरमुनासिब है। जो लोग अपनी जमीन को खुदकाश्त नहीं कर सकते उनको हक़ होना चाहिये कि अपनी जमीन को दूसरो से जुतवायें और जो दूसरे जोतनेवाले हों वे बतौर आसामी के रहें। मैं नहीं समझ सकता कि इसका किस रूप में विरोध किया जा सकता है।

रह गया सीरदार और भूमिधर का सवाल। कुछ लोग हैं जो जमीन को पूरे तौर पर मुन्तकिल करते हैं और पिछली दफा भवन ने विशेषाधिकार उपार्जन कानून बनाया जिसके जरिये ऐसे लोगों को जो सीरदार हैं हक़ दिया गया कि वे भूमिधर होजावें। इस विधेयक में भी ऐसा है कि सीरदार भूमिधर बन सकता है। इसमें कोई ऐसी क़िस्म काश्तकार की नहीं रखी गई है जिससे किसी तरह की दिक्क़त पैदा हो। सीधा सा प्रश्न है कि जो जमीन का जोतनेवाला है वही जमीन का मालिक होगा और ऐसे लोग दो तरह के होंगे। एक तो वे जो मुन्तकिल कर सकेंगे और दूसरे ऐसे जिनको केवल जोतने का हक़ होगा लेकिन मुन्तकिल करने का हक नहीं होगा मगर उनको यह रास्ता खुला है कि वे जब चाहें भूमिधर बन सकते हैं। यह कहना कि बड़ी दिक्क़तें होंगी और कांग्रेस सरकार को लोग गालियां देंगे कि एक मौका आया था जबकि उन्होंने काश्तकारों की हालत को नहीं सुधारा, ठीक नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि इससे बढ़कर काश्तकारों की हालत सुधारने का विधेयक बन ही नहीं सकता है। काश्तकारों को पूरे हक दिये जा रहे हैं और उनकी तरह तरह की मुकदमेबाजी खत्म की जारही है। इस भूमि व्यवस्था से काश्तकारों का विशेष फायदा है। काश्तकार तो हमेशा इस बात को कहेगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में उसे पूरे अधिकार दिये गये। किसान आज भी जानता है और बार बार उसने इस बात का सबूत दिया है कि वह कांग्रेस के साथ है। उसने कहीं भी कांग्रेस की मुख़ालिफ़त नहीं की है।

अब भी जिन लोगों के दिमाग़ में यह गुमान है कि कांग्रेस जो कुछ कर रही है उससे किसान खिलाफ़ जायगा, उनका गलत ख़याल है। सोशलिस्ट पार्टी का यह कहना कि रुपया न देने से भी किसानों को पूरा हक मिलेगा, इस लिए किसानों को कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिये और सोशलिस्ट पार्टी का साथ देना चाहिये, यह किसान पसन्द नहीं करता है। किसान नहीं चाहता है कि बिला कुछ दिये हुये भूमिधर का हक उसे मिल जाय। इस के अलावा कोई भी कहीं चाहता है कि बिला मुआविज़ा दिये हुये ज़मींदारी खत्म होजाय। अगर ऐसी चीज़ होती तो सोशलिस्ट पार्टी इस चीज़ को किसानों के पास पहुँचा करके अपनी कामयाबी दिखलाती लेकिन हर तरह का प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी किसानों के बीच में कामयाबी उनको मिलने वाली नहीं है और न मिल रही है। यह इस बात का सब से बड़ा सबूत है कि जो कांग्रेस कर रही है उससे किसान पूरे तौर पर आसूदा हैं। वह पूरे तौर पर अपना फायदा और नुकसान समझ करके ही राय कायम करते हैं। इस लिए इस तरह की दलील देना कि कोई सुधार नहीं हो रहा है और कांग्रेस गवर्नमेंट से किसान नाराज़ हो जायगा, मैं इसको नहीं मानता। चाहे ज़मींदार पार्टी हो, चाहे डिमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो, लेकिन बावजूद इन तमाम पार्टियों के प्रोपेगेंडा और खिलाफ़त के आज भी किसान कांग्रेस के साथ है। किसान पूरी तरह समझता है कि यह पूरे तौर पर किसान के फायदे की चीज़ है। किसान इसको अच्छी तरह जानता है कि इससे किसानों का फायदा होने वाला है और जो ज़मीन की व्यवस्था की बात है वह पूरे तौर पर सुधर रही है। यह उसूल जो इस विधेयक के ज़रिये भूमिधर, सीरदार और आसामी का बनाया गया है, इससे सिम्पिल फार्म कोई हो नहीं सकता है। यह सिम्पिलेस्ट फार्म है। इस मामले में ज़रा भी काम्पलीकेशन नहीं है। जो लोग इसमें काम्पलीकेशन समझते हैं, उनके दिमाग़ में ही काम्पलीकेशन है और उसी की वजह से इस विधेयक में उनको काम्पलीकेशन दिखाई देता है। अगर वह अपने दिमाग़ में उलझन पैदा करेंगे तो उनको हर जगह उलझन दिखलाई देगी। इस सीधे से मसले को समझने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिये। फखरुल इस्लाम साहब, जो जनता पार्टी के अन्दर अपने को कहते हैं, उनको ख़ास तौर पर इस चीज़ को देखना चाहिये कि उनको ज़मींदारों की नकल नहीं करना चाहिये। ज़मींदारों की तरह वह भी कहते हैं कि थोड़े से ज़मींदार खत्म किये जा रहे हैं और बहुत से ज़मींदार बनाये जा रहे हैं। श्री फखरुल इस्लाम को यह चीज़ शोभा नहीं देती है कि वह ज़मींदारों की हाँ में हाँ मिलायें। जो कुछ सरकार कर रही है वह किसानों के खुश होने वाली चीज़ है। इधर उधर की बातें करने से किसान बहकने वाले नहीं हैं। किसान समझते हैं कि उनको पूरे हकूक दिये जा रहे हैं। जिनको पहले पूरा हक मुन्तकिल करने का नहीं था, उनका भी हमने रास्ता खोल दिया है। हज़ारों रुपया दे करके भी जो हक उनको नहीं मिलता था अब उनको मिल रहा है। हज़ारों रुपया दे करके पट्टा ही उनके नाम होता था लेकिन

[श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य]

पूरा मालिकाना हक उनको नहीं मिलता था। अब हम आसानी से ही उनको पूरा मालिकाना हक दे रहे हैं। और उसके साथ साथ उन से कोई कीमत उस भूमि की नहीं ली जा रही है। बल्कि वह रूपया देने पर उन का लगान आधा हो जायगा। इस प्रकार हम तो उनको यह हक मुफ्त में दे रहे हैं। किसान को इससे पूरे तौर पर फायदा है। किस्में तो तीन प्रकार की हैं। लेकिन भूमिधर और असामी के बजाय जो सीरदार हैं, वह सीरदार तभी तक है जब तक वह भूमिधर नहीं बनता है। उस का रास्ता भी खुला हुआ है। इस से आसान भूमिव्यवस्था और काश्तकारों को जमींन में मालिकाना हक देने का कानून कोई दूसरा हो नहीं सकता। जो विरोध किया गया है वह निराधार है और मैं समझता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मौर्य जी ने अभी बड़ा आश्चर्य प्रगट किया जो इधर से इस धारा के ऊपर कहा गया। कुछ ऐसा है कि जो कुछ इधर से कहा जाता है उस पर उधर से आश्चर्य प्रगट किया जाता है और जो उधर से कहा जाता है उस पर यहां से आश्चर्य प्रगट किया जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिस का हल होना ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। मौर्य जी नें कहा कि यह सब पार्टीबन्दी की वजह से कहा जाता है। अगर मैं यह कहूं कि पार्टीबन्दी की ही वजह से यह समस्त बिल बनाया गया है तो गलत न होगा। आप यह कहते हैं कि यह जो हम ने तीन क्लासेज रखे हैं इस से बहुत ही सुविधा पहुँची है और यह बहुत ही सरल तरकीब है। मैं तो यह कहता हूं कि जितना भी बिल काम्प्लीकेटेड हो सकता था उतना करने की कोशिश की गयी है। भूमिधर आप बना रहे हैं। इस का मंशा क्या है? केवल एक ही मंशा है कि जमींदारी खत्म की जाय। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जमींदारी तो हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन जमींदारी खत्म करने से किसानों का कोई लाभ भी होने जा रहा है या नहीं? होगा यह कि बजाय इसके कि जमींदार वसूल करते उन्हीं तीनों से अब सरकार वसूल करेगी। अब तो सरकार स्वयं जमींदार होने जा रही है। किसानों का क्या फायदा होगा? कहते हैं कि भूमिधर को बहुत से अधिकार हैं। मैं विस्तार में जिस वक्त पूरे बिल पर बोलने का मौका आयगा, कहूंगा। लेकिन जिस शख्स ने जरा भी इसका अध्ययन किया है वह यह कह सकता है कि जो मौजूदा हुकूक हैं काश्तकारों के उनमें भी कमी हो रही है और वे उनसे छीने जा रहे हैं।

आपको अगर काश्तकारों की तरक्की करनी थी तो ऐसा कोई कानून बनाते जिससे उनको पानी सस्ते में मिलता, उनको खाद वगैरह जो मिलती उनमें सुविधा होती और जो बहुत सी और सुविधायें सरकार की तरफ से दी जा सकती थी वह होतीं लेकिन भूमिधर कहकर काश्तकारों को यह समझा देना कि अब तुम जमींदार हो गये और तुम्हारे वही हुकूक हो गये जो जमींदारों के थे यह काश्तकारों को धोखा देना है और मैं जानता हूँ कि यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। यह माना कि थोड़े दिनों तक आप इस तरीके से करते चले जांय लेकिन कागज की नाव

ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती और जब सच्चाई खुलेगी और काश्तकार समझने लगेगा तो काश्तकार आपका साथ नहीं देगा। यह आप कहते हैं कि कांग्रेस के साथ काश्तकार है। मैं भी कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ काश्तकार हैं लेकिन उसका कारण यह है कि जो कुछ भी इस कानून में है विरोधी दल उसके विरोध में उतना प्रचार न कर सका जितनी कि इस कानून की असलियत है और वह काश्तकारों को साफ तौर से बताई नहीं गई हैं जितनी बतलानी चाहिये। मैंने भी इधर बहुत से जिलों का दौरा किया है और आठ आठ और दस दस हजार की मीटिंगे ऐड्रेस कीं और जहाँ पर मैं गया हूँ मैंने देखा कि किसान किस तरीके से सुनते हैं और समझते हैं और समझने के बाद वह सही फैसला भी करते हैं लेकिन असलियत यह है कि अगर आप समझते हैं कि किसान आपके साथ है तो केवल एक ही बात हो सकती है कि अभी कोई विरोधी दल संगठित नहीं है। इसीलिये लोग आपके साथ हैं। लेकिन आपको खुश नहीं होना चाहिये। अब जो इसमें भेदभाव रखा गया है मैं यह कहता हूँ कि भूमिधरी के लिये आपने यह रखा है कि १० गुना दे कर वह भूमिधर हो जाय। आज भी मैंने अखबारों में पढ़ा कि शायद ११ गुना या १२ गुना होने जा रहा है, ३० जून से। इसके माने यह हैं कि आप किसानों में तफरका डाल रहे हैं जो एक गरीब किसान है यह भूमिधर बनने का हक नहीं रखता। जिसके पास पैसा है वही केवल भूमिधर बन सकता है। किसानों में भी आपस में भेदभाव पैदा करना यह कोई न्याय की बात नहीं है। मैं इसके खिलाफ इसलिये नहीं हूँ जिन वजूहात पर हमारे मित्र रोशन जमा साहब ने इसकी मुखालिफत की। मैं तो यह समझता हूँ कि वह यह चाहते हैं कि जमींदारी खत्म कर दी जाय और उसको इसका मुआविजा न दिया जाय। मैं यह नहीं कहता। मैं तो यह कहता हूँ कि आपके पास अगर मुआविजे के लिये धन नहीं है तो आप क्यों इस प्रश्न को लेते हैं कि जमींदारी खत्म कर दी जाय। वास्तविकता यह है कि जमींदार का नाम दिमाग में आते ही बड़े बड़े ताल्लुकेदार, बड़े बड़े लोगों की शक्ल हर मनुष्य के मस्तिष्क में आ जाती है। आप भूल जाते हैं उन २० और २२ लाख जमींदारों को जो बेचारे किसानों से भी बदतर हालत में हैं उनकी क्या हालत होगी, जिस समय कि आप उनको इस कानून को पास करके मिटा देंगे उनकी क्या दशा होगी, इस पर भी कुछ आपने सोचा? मैं तो समझता हूँ कि अगर जमींदार इसका विरोध करते हैं तो वह क्या पाप करते हैं और क्यों न करें! जब आप सरकार होने का दावा रखते हैं और जब आप इस बात का दावा रखते हैं कि आप सब के हुकूक के रक्षक हैं तो जमींदारों को भी अधिकार है कि वह आपसे पूछें कि आखिरश आपने उन २०,२२ लाख आदमियों के लिये क्या सोचा है। आप कहते हैं कि रोजगार कर लेंगे, मुआविजा मिलेगा उस पर गुजर कर लेंगे। मैं पूछता हूँ कि कितने दिन खायेंगे, रोजगार क्या करेगें, पैसे कहाँ से आयेंगे जो रोजगारकर रहे हैं वह रो रहे हैं और यह क्या कर लेगें? यह सब बातें ऐसी नहीं थीं कि किसी भी उत्तेजना में आकर के

[श्री गुरु नारायण]
ऐसी बातें की जाती। सरकार का यह फर्ज था कि कब्ल इसके कि वह कोई ऐसा कदम उठाती तो उसके साथ ही सबसे बड़ा कर्तव्य यह भी था कि इतने लाख आदमियों जिनके आश्रितों की संख्या मिलाकर १ करोड़ हो जाती है और अधिक उनके बच्चों की रोजी का प्रबन्ध क्या किया ? अगर आप ऐसा नहीं करते और जिद में आप इसे पास कर देते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि देश में और हमारे सूबे में अराजकता फैलेगी।

सरकार की यह दलील होती है कि साहब हम तो कह चुके जमींदारी खत्म ही है और इसलिये यह सब करना ही पड़ेगा। यह बिलकुल गलत बात है। आपने यह भी कहा था कि देश का बटवारा न किया जाय लेकिन फिर उसको क्यों किया ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि भूमिधर, सीरदार और असामी जो आप बना रहे हैं उसका केवल मंशा यह है कि आप किसी न किसी तरह से रुपया लें और मुआविजा दें। हमारे समाजवादी भाइयों की यह बात तो समझ में आती है कि मुआविजा न दिया जाय लेकिन यह बात नहीं समझ में आती कि मुआविजा तो देने को कहा जाय लेकिन यह न होने के बराबर हो। जहाँ तक मुआविजा देने का सवाल हैं, मैं यह समझता हूँ कि सोशलिस्टों का यह दावा कि मुआविजा न दिया जाय बिलकुल सभ्यता के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति, हमारा तरीका यह नहीं कहता है कि मुआविजा न दिया जाय, परन्तु कांग्रेस मुआविजा का नाम तो लेती हैं पर देना नही चाहती। आप जो वर्ग भेद कायम कर रहे हैं वह महज इसलिये कि आपको रुपया मिल जाय। इतनी ही आपकी मंशा है और कुछ नहीं। मुआविजा क्या मिलेगा और कितना होगा यह बाद में देखने की बातें हैं। फिर भी मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारे प्रान्त में शान्ति स्थापित नहीं रह पायेगी आप शान्ति को भ्रष्ट कर रहे हैं और परिणाम यह होगा कि आपको ही मुसीबत उठानी पड़ेगी। हमारा जो कुछ होगा सो तो होगा ही। मैं निवेदन करता हूँ कि आपको सरकार के नाते इस बात पर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री अब्दुल बाक़ी—जनाबवाला, मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि दफा १३० को इस बिल का जुज नहीं होना चाहिये। हमें देखना यह है कि १९३९ के यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में टेनेंट्स की जो किस्में बनाई गई थीं वही अब भी मौजूद रहेंगी या इस बिल में कोई ऐसा इंतजाम किया गया है जिसके जरिये से कोई खास तब्दीली पैदा होती है। नाम के तब्दील करने से तो असलियत बदलती नहीं। अगर आप पानी का नाम शहद रख दें तो वह शहद नहीं हो जायगा और शहद का नाम पानी रख दे तो वह पानी नहीं हो जायगा। मैंने इस दफा पर गौर किया और गौर करने के बाद इसको बताना चाहता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है। आपने दफा १३० में तीन नाम तजवीज किये हैं, भूमिधर, सीरदार और असामी। जनाब मौर्य साहब ने खासी लम्बी तकरीर करके यह बतलाने की कोशिश की कि सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं है बल्कि हकीकत में ऐसी तब्दीली हो गई है। मैं निहायत

अदब के साथ उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि यह उनकी खुशखयाली और खाम-खयाली है। आप यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की दफा २१ को देखें तो मालूम होगा कि उसमें ७ किस्में बताई गई हैं और अगर उन ७ किस्मों पर आप गौर करेंगे तो एक चीज नजर आयेगी कि उन ७ किस्म के टेनेंट्स के लगानों में फर्क है।

जरा निहायत तवज्जुह के साथ सुनें तो आपको मालूम होगा कि दरहकीकत आप लोग धोखे में हैं और इस सूबे के टेनेंट्स को धोखा देना चाहते हैं और नजरबंद करना चाहते हैं। यह तो एक जगलर का खेल है जिसे आप खेलना चाहते हैं। आपने क्या किया? आप यह कहते हैं कि फिक्स्ड रेट टेनेंट्स, एक्स प्रोपरायटरी टेनेंट, दखीलकार और मौरूसी काश्तकार दस गुना अदा कर दें तो भूमिधर हो जायेंगे। माना हमने कि वह भूमिधर हो जायेंगे लेकिन लगान में आपने कोई फर्क किया? नाम बदल दिया लेकिन लगान तो वही लेते हैं, दस गुना लगान लिया। क्या यह सही नहीं है कि पानी का नाम आपने शहद रख दिया? आप यह कहेंगे कि दरहकीकत मैंने बड़ा इन्कलाब किया है और आप काश्तकार को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। जब काश्तकार दस गुना लगान अदा कर देगा तो उसका लगान आधा कर दिया जायेगा। इसमें दो धोखे हैं। पहला यह कि जब आपने दस गुना लगान ले लिया और फिर उसका आधा लगान कर दिया तो बीस साल तक तो बजिन्स ही उसका लगान कायम रहेगा। कौन कह सकता है कि बीस साल में क्या होगा। आप इस कुर्सी पर रह सकेंगे या नहीं। जमींदारी रिस्टोर होंगी या खत्म होंगी। कौन जानता है, कौन बता सकता है कि आपने जो इंतजाम किया है वही कायम रहेगा? आपने क्या इन्कलाब किया है, काश्तकार को क्या फायदा पहुँचा है? बीस साल तक वही लगान रहेगा। नाम भूमिधर रहेगा लेकिन वह तो अब भी फिक्स्ड रेट टेनेंट है। असलियत यह है क्यों यह नाम रखा गया था। उस जमाने में लोग धोखा नहीं देते थे। नाम पर लगान का फर्क रखते थे। आप क्या करते हैं? नाम रखते हैं बहुत सुन्दर और सुहावना लेकिन काम करते हैं वही जो उन्होंने किया था'।

एक सदस्य—हिन्दी लफ्ज आपको पसन्द नहीं आते।

श्री अब्दुल बाकी—सवाल यह है और धोखा यही है कि हकीकत वही कायम रही। दरहकीकत में टेनेंट अपनी जगह पर ही कायम रहे सिर्फ उनका नाम तब्दील कर दिया गया है। इस पर अगर आप खुश हैं... ..

एक सदस्य—वह भी खुश है।

श्री अब्दुल बाकी—जी हां, वही हालत है कि अगर आप बच्चे को पानी शहद कहकर दें तो वह पी जायगा। इसी तरह से किसान भी खुश है। अभी जो मौर्य साहब ने तकरीर की है मैं समझता हूँ कि वह उसका एक हर्फ भी नहीं समझे। देखिये एक ही जगह पर दो जमीन होती हैं। एक होता है एक्स-

[श्री अब्दुल बाक़ी]

प्रोपरायटरी, दूसरा होता है दखीलकार और बगल में ही होता है मौरूसी। तीनों के लगान में फर्क होता है। काश्तकार को एक ही शिकायत थी कि एक ही हैसियत की जमीन हैं, तीनों मिली हुई हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज एक हैं और हल भी एकसा ही चलता है लेकिन लगान का फर्क है। अगर एक्स-प्रोपरायटरी १२ आने देता है, दखीलकार एक रुपया और मौरूसी १ रुपया २ आना अदा करता था। हम तो उस वक्त समझते कि आपने दानिशमंदी से काम लिया है। जब आप यह बतलाते कि अगर जमीन यकसां होगी तो लगान भी यकसां होगा। जिस जमीन की पैदावार यकसां होगी उस पर जो टैक्स होगा वह यकसां होगा, उसपर यकसां सर्फा होगा, यकसां आबपाशी होगी उससे गवर्नमेंट की मुसावी रकम वसूल होगी। लेकिन ऐसा कहां है? आज भी आप एक्स-प्रोप्रायटरी से वही चीज वसूल करेंगे जो एक्स-प्रोप्रायटरी टेनेन्ट अदा करता था, फिक्सड रेट टेनेन्ट, मौरूसी और दखीलकार से वही वसूल करेंगे जो वे अदा करते थे। आज किसान को शायद इत्मीनान हो मगर जब किसान पढ़ेगा, समझेगा और गौर करेगा कि यह क्या तमाशा है-जमीन यकसां की पैदावार, यकसां सिंचाई और यकसां आबपाशी मगर ए १ रु० अदा करता है, बी १२ आने अदा करता है और सी ८ आने। इस तरह से आप सीड आफ रिवोल्ट बो रहे हैं। इसकी वह परवाह नहीं करेगा कि आपने यह ऐक्ट बनाया है, वह रिवोल्ट करेगा और अपने हक को लेने के लिए जबरदस्ती कर सकता है तो जबरदस्ती करेगा। आप कहते हैं कि सैलाब रुक जायगा मगर सैलाब को फैलाने की तरकीब आप खुद कर रहे हैं, अपनी गफलत और बेसमझी से कर रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मालूम होगा कि यह जो तीन तरकीबें आपने रखी हैं उसका कोई मकसद नहीं हैं। आपके पास रुपया नहीं हैं, उन काश्तकारों से रुपया वसूल करके उन काश्तकारों को आप दें। इसके सिवा कोई दूसरा मकसद आपका नहीं है वर्ना इसके अन्दर कोई हकीकत नहीं है। भूमिधरी का लफ्ज आपने रख दिया है और लोग कहते हैं कि भूमिधर को मिल्कियत का हक होगा, वे बिल्कुल गलत कहते हैं, बे समझी से कहती हैं। वरासत जो जारी की है उसमें पूरी मिल्कियत का हक नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कि लफ्जों के साथ आप प्रास्टिट्यूशन कर रहें हैं, गलतफहमी में आप लोगों को डाल रहें हैं। इस स्कीम में आप गौर करेंगे तो सिर्फ एक चीज आपको मिलेगी वह यह कि गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है और काश्तकारों को समझा कर आप यह कहते हैं कि तुम्हारा इसमें फायदा है। फिर मौर्य साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बतलाया कि वह क्या फायदा है। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा अगर किसी साहब में हिम्मत हो तो वह बतला देंगे कि इसकी तह में क्या फायदा है। काश्तकारों का क्या फायदा है, क्या मसावात, क्या इसलाह हासिल होगी? मैं सुनना चाहूँगा और बहुत गौर सुनूँगा। एक साहब भी इसका सही जवाब न दे सकेंगे, रीजनेबिल बात न दिखला सकेंगे।

अब जो गवनमेंट चाहती है वह है माल। माल की बहुत प्यास है, जर की बहुत प्यास है। उसको हासिल करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। सीरदार और असामी यह क्या बला है ? सुन लीजिये अच्छी तरह से यह क्या बला है। आपने कहा हमने सिम्प्लीफाई कर दिया। जहां आपने उनकी तारीफ की है तो वह तारीफ जो सन् ३९ के ऐक्ट में थी उसको कुछ बदल कर आपने पुछल्ला लगा दिया। लफ्ज एक, मानी एक, आपने इसमें ५, ७ टेनेन्ट्स कर दिये। क्या यह सिम्पलीफिकेशन है ? जनाब वाला, इसके बाद आप आसामी को देखेंगे। जा कर नान आकूपेंसी और अकूपेंसी टेनेन्ट की डेफिनीशन देखिये। इसकी तारीफ और उसकी तारीफ मिलाइये। मैं डिटेल्स में जाना पसन्द नहीं करता। तो मैं आपको यह बताऊँगा कि आप बड़े खुशख्वाह हैं और कहते हैं कि हमने सिम्पलीफाई कर दिया और बजाय ७ अल्फाज के ३ अल्फाज रख दिये। लेकिन क्या यह सिम्पलीफिकेशन है ? नहीं, यह मल्टीप्लिकेशन है। यह तो आपने कम्पाउन्ड कर दिया। जनाबवाला, मैंने जो इसपर गौर किया है उसको आयन्दा भी बतलायेगा। इस आर्गेनाईजेशन में सिवाय फरेब और दगा के कुछ नहीं है। इन अल्फाज के साथ में इसकी मुखालिफत करता हूँ।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके ऊपर जो बहस हो रही है उसे सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं समझता था कि यही एक ऐसी धारा है जिसका समर्थन इस भवन के हर एक भाग से किया जायगा। जो विधेयक आपके सामने आज प्रस्तुत है उसके दो अंग हैं, एक निगेटिव (नकारात्मक) और दूसरा पोजीटिव (स्वीकृत्यात्मक)। नेगेटिव आप देख चुके हैं। अब जो अध्याय शुरू हुआ है वह पौजीटिव अंग है और उसके अंदर यह पहिली धारा है जिस पर इस समय बहस हो रही है। मैं समझता हूँ भवन में किसी को भी इसका विरोध करने का कोई आधार नहीं है। वास्तव में हम चाहते हैं कि आगे जो व्यवस्था कायम हो, जो समाज की व्यवस्था हो उसमें समानता आ जाय और यह धारा इसी मंतव्य से बनाई गई है। अगर इस धारा को विचारपूर्वक देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि हमने वर्ग को खत्म कर दिया है। वर्ग के माने यह होते हैं कि एक वर्ग दूसरे का शोषण करे या एक वर्ग दूसरे की कमाई खाय लेकिन इसके द्वारा हमने वास्तव में वर्ग को खत्म कर दिया है। जाहिरा तौर पर जो आपको दिखाई देता है वह दो वर्ग नहीं हैं बल्कि उसके दो भेद हैं। वे एक दूसरे पर डिपेंड (निर्भर) नहीं करते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) हैं। वास्तव में केवल एक ही वर्ग रह सकता है जो भूमिधर है। वही जमीन का मालिक होगा, स्वामी होगा। इसके अलावा इस विधेयक के अनुसार दूसरा कोई वर्ग रह नहीं सकता।

दूसरा भेद जो दिखाई देता है वह सीरदार और असामी का है। लेकिन असामी की शक्ल किसी न किसी शक्ल में अवश्य रहेगी। मान लीजिये भूमिधर ने किसी को अपनी जमीन रहन कर दी तो उस रहनदार के

[श्री राधामोहन सिंह]

लिये कागजों में क्या इंदराज होगा ? लेकिन जब वह भूमिधर अपनी जमीन को रुपया देकर छुड़ा लेगा तो जमीन का मालिक वही हो जायगा। जब कोई भूमिधर नाबालिग है, या स्त्री है जो विधवा है, या ऐसा अपाहिज है जिसकी व्याख्या इस बिल में की गई है और ऐसी हालत में अगर वह जमीन पर काश्त नहीं करता है तो क्या आपकी मंशा यह है कि उसकी जमीन खत्म कर दी जाय ? मुमकिन है आज किसी का बाप बुड्ढा है और खेती नहीं कर पा रहा है और उसका लड़का पढ़ रहा है तो क्या आप उसको उस जमीन से महरूम कर देंगे ? यह तो उनके साथ में इंसाफ नहीं होगा। अगर भवन यह तय कर देता है कि तत्कालीन भूमिधर अपंग हो या विधवा स्त्री हो तो उसको जमीन पर अधिकार रहेगा। अगर ऐसी व्यवस्था भवन करता है तो उस दरमियान में जो जमीन जोतेगा उसको इस तरह की सहूलियत देना होगी कि जिससे वह अस्थाई तरीके पर जोतता रहे जब तक कि वह उसका असली मालिक न बन जाय और जब तक वह अपनी काश्त करने लायक नहीं हो जाता। यह तो ऐसे वर्ग हैं कि जिनसे हम इन्कार नहीं कर सकते। वह एक भूमिधर है और दूसरा आसामी लेकिन जिस व्यवस्था को आज हम कायम कर रहे हैं उसके अनुसार दोनों वर्ग होना लाजिमी हैं। तीसरा वर्ग सीरदार है यह वर्ग भी अस्थाई तौर पर है। इस बिल के अन्दर आगे चलकर उसके लिये इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वह सीरदार भी अपना रुपया देकर भूमिधर बन जाय। हम इस बात को महसूस करते हैं कि आज हमारे किसान आर्थिक संकट में हैं। वह चाहते हैं कि १० गुना लगान देदें लेकिन वह ऐसा परिस्थिति के मुताबिक नहीं कर सकते। हम यह जानते हैं आज जमीन पर उस किसान को कोई अधिकार नहीं है लेकिन हम उस उसूल को मानते हैं कि जो जमीन को जोतता है वही उसका मालिक है और आगे जाकर वही उसका मालिक होगा जो जमीन का काश्तकार है। हम कांग्रेसवालों का यह स्टैंड (सिद्धान्त) रहा है और इस बात को महसूस करते हैं कि काश्तकारों को उनकी जमीन का मालिक बनाया जाय, उनको किसी तरह से दबाने का मन्शा नहीं है। हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ मतभेद रहा हो लेकिन जो बात तय है वह यह है कि किसानों को अब पूरा पूरा मालिक बनाना चाहते हैं। अतएव भूमिधर को यह अख्तियार दिया गया है कि वह उसका मालिक हो जाय और हर तरीके से अपनी जमीन का उपयोग कर सके। सीरदार भी कालांतर में जाकर भूमिधर बन जायगा। आज वह लगान अदा नहीं कर सकता है लेकिन किसी समय में अगर उसके पास पैसा आ जाय तो उस वक्त वह ऐसा कर सकता है और भूमिधरी का हक प्राप्त कर सकता है।

जब आप यह चाहते हैं कि कोई वर्ग न रहे तो असल में वर्ग तो दो ही रह जाते हैं और आखिर में जाकर केवल भूमिधर ही रह जाँयगे जमीन पर काश्त करते हैं और जो किसी तरह से किसानों का शोषण नहीं कर सकते हैं। इस बिल के अन्दर इस बात की व्यवस्था की गई

है कि जो आदमी जमीन जोतता है बोता है और उसके ऊपर क़ाबिज़ है वही रह जायगा और बाकी खत्म हो जायंगे। मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि हमने इस बिल के अन्दर इस बात की व्यवस्था की है कि हम ज़मीन पर उसी का अधिकार मानते हैं जो उसको जोतता है, खुद परती पर उठाता है और दूसरे की मेहनत का फायदा नहीं उठाता है। हम उनको पूरे हक देना चाहते हैं। आप धोखा खायेंगे अगर आप इसी ख्याल में रहेंगे कि किसान कुछ जानता नहीं है।

मैं तो समझता हूँ कि किसान काफी जानकार हैं और किसान महात्मा गाँधी के शब्दों में ठोस और व्यवहारिक हैं और वह अपने फायदे नुकसान को समझते हैं। वह जानते हैं कि फायदे की बात कौन करता है और नुकसान कौन करता है और उसको कोई गलतफहमी नहीं है। हमारी तरफ से भी खुली खुली बातें होती हैं और हम उनको भुलावे में नहीं डाल रहे हैं। हम ने जो समाज की नई व्यवस्था बनाई है और जो नया संगठन होगा उसमें कोई दिखलावे की या धोखे की बात नहीं है।

इसमें हमने ३ खास बातें रक्खी हैं। पहली बात तो यह है कि समाज की नई व्यवस्था की स्थापना की गई है यानी नये गांव समाज की स्थापना की गई है और आप को यह न भूलना चाहिए कि यही हमारा पहला क्रांतिकारी कदम है जिस के जरिए से हम ने एक नये समाज की व्यवस्था की है। दूसरी बात यह है कि किसानों में जो वर्ग भेद था उसको हमने खत्म किया है और आगे जो वास्तव में जमीन जोतता है वही जमीन का स्वामी होगा। तीसरी बात जो की गई है वह है कोआपरेटिव फार्मिंग। हमने और तमाम तरीकों पर भी गौर किया। कलेक्टिव (सामूहिक) फार्मिंग पर भी हमने गौर किया उसके आँकड़ों और तरीकों को भी देखा और देखा कि उस के जरिए से हम इतनी सफलता नहीं पा सकते क्योंकि उसमें एक हद के बाद उपज कम हो जाती है। इसलिए देश की हालत और वक्त को देखते हुए हमने यह मुनासिब समझा कि वास्तव में मुल्क और किसान के हित में कोआपरेटिव फार्मिंग का ही तरीका है। यही क्रांतिकारी कदम खास तौर पर हमने उठाये हैं। परन्तु अफसोस है कि बहुत से मेम्बर जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं वह इस बात को महसूस नहीं करते और क्रिटिसाइज (आलोचना) किया करते हैं। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि अगर आप यहाँ की भूमि व्यवस्था और वक्त की पुकार और समाज की हालत पर गौर करेंगे तो इसके अलावा सूबे के लिये और कोई फायदेमंद व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह धारा बहुत आवश्यक है और इसे सरकार को और सदन को स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूँ।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाब वाला, मैं इस दफा की मुखालिफत के लिए खड़ा हुआ हूं। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफार्म्स (भूमि व्यवस्था) स्कीम बनाई है वह ऐसी है जो सूबे के लिए फायदेमन्द नहीं है। अगर यह उन

[श्री ऐजाज़ रसूल]

काश्तकारों के लिए ही फ़ायदेमन्द होती कि जिन के लिए यह बनाई गई है तो भी मैं इसकी दिलोजान से ताईद करता। आपने इस दफ़ा में ३ क़िस्म के काश्तकार रखे हैं भूमिधर, सीरदार और असामी। आपने भूमिधर की भी २ क़िस्में कर दी हैं एक तो वह जो फिक्स रेट टीनैन्ट थे और दूसरे रेन्ट फ्री ग्रान्टी (माफ़ीदार) और आपने उनको बग़ैर रुपया दिए हुए भूमिधर का हक़ देने की तजवीज की है। मौर्य जी चूँकि उस ज़िले के रहने वाले हैं जहां भूमिधर का हक़ हासिल करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ रहा है इसीलिए वह इसकी ताईद कर रहे हैं। अगर फिक्स रेट टीनेन्ट्स (काश्तकार शरह मुअय्यन) को भी दस गुना रुपया देना होता तो शायद वह उनकी मुआफ़िक़त में और जोरों से तक़रीर न फरमाते। आपने दफ़ा १४८ में यह रखा है कि एग्रीकल्चर (कृषि) बाग़ात या हस्बैंडरी के अलावा अगर भूमिधर ज़मीन का कोई और इस्तैमाल करेगा तो वह बेदख़ल हो जायगा। एक तरफ तो आप उसको भूमिधर के हक़ूक़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर वह काश्तकारी बाग या हस्बैंडरी के अलावा कोई काम करेगा तो उसको बेदख़ली हो सकती है। लिहाज़ा ये जो हक़ूक़ आपने दिखलाये हैं और बतला रहे हैं वे महज़ दिखावट के लिए हैं। फिर आपने उनको लिमिटेड राइट आफ ट्रान्सफ़र (हस्तान्तरण का सीमित अधिकार) दिया है, यानी कोई काश्तकार ३० एकड़ से ज़ायद ज़मीन नहीं रख सकता और अगर ग़लती से उसने ३० एकड़ से ज़ायद ज़मीन ले ली तो वह उससे बेदख़ल हो जायगी और ट्रान्सफरर की ज़मीन ज़ब्त हो जायगी और उसको रुपया उल्टा देना पड़ेगा। यह किस क़िस्म का तरीक़ा है, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। महज़ दिखावे के लिये उनको ये सब चीजें आप दे रहे हैं। फिर आपने किसी दफ़ा में यह माना है कि सवा छः एकड़ ज़मीन एकनामिक होल्डिंग है, लेकिन दस गुना वसूल करने के लिये आपने दफ़ा १४३ (*a*) में रख दिया है कि जिनके हिस्सेदार हैं वे ज़मीनें तक़सीम हो सकती हैं तो बजाय इसके कि इस सूबे की एकनामिक हालत ठीक करें, आप उसे और गिराना चाहते हैं, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा मक़सद यह है कि दस गुना रुपया वसूल हो जाय और इसके वसूल होने में चाहे जितनी ज़मीनें तक़सीम हो जायं, आप नहीं रोकेंगे। आप बजाय इसके कि काश्तकार से दस गुना रुपया वसूल करें, उसे यों ही भूमिधरी के राइट्स (अधिकार) देते। आपने महज़ रुपया वसूल करने के लिए तफरीक़ कर दी। सीरदार के लिये आपने यह कर दिया कि जो दस गुना रुपया नहीं देगा उसको पूरा लगान देना पड़ेगा आज जैसा मैंने अख़बारों में पढ़ा है और जैसा डिसीज़न कांग्रेस पार्टी का दफ़ा १४० के लिये हुआ है उसमें आपने यह किया कि अगर किसान एक किश्त दे दे और उसके बाद वह फिर न दे तो उसका रुपया ज़ब्त हो जायगा। आप यह भी कहते हैं कि अगर जून तक कोई काश्तकार दस गुना नहीं अदा करता है तो बाद में उसको ग्यारह गुना देना पड़ेगा और आगे चलकर बारह गुना देना पड़ेगा। आपने चार किश्तें मुक़र्रर की हैं और उन चार में अगर दो तक वह नहीं अदा करता तो उसका रुपया ज़ब्त हो जायगा। अब फ़र्ज़ कीजिये की मुसीबत आ जाय, फ़सल ख़राब हो

जाय, तो उस बेचारे गरीब काश्तकार का रुपया ज़ब्त हो जायगा सिवाय उन काश्तकारों के जिन्होंने चार में से तीन क़िस्तें दे दी हैं। तो जो हज़ारों काश्तकारों से रुपया वसूल किया गया है उसका क्या हश्र होगा? अब आपने दफ़ा १८० फिर जारी करदी है। एक तरफ़ तो आप भूमिधरी और डिस्प्यूटेड लैंड (विवादग्रस्त भूमि) का रुपया वसूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ़ आपने दफ़ा १८० को जारी कर दिया। यह आपको मजबूरन करना पड़ा और कुछ काश्तकार को दिखलाने के लिये भी कि अगर वे रुपया न देंगे तो अभी तो दफ़ा १८० ही जारी की है, आगे चल कर दफा १६३ बेदख़ली को भी जारी कर देंगे। तो इस तरह आप दस गुना रुपया वसूल करने के लिये तरह तरह के तरीके अख़्तियार कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्कीम बनानी थी तो सूबे की हालत को देख कर बनाते। अगर इस स्कीम से काश्तकारों की हालत बेहतर होती तो हम लोग कुछ कुर्बानी जरूर करते। आपने देखा कि रूलिंग प्रिंसेज (राजाओं) ने हिन्दुस्तान की हालत ठीक करने के लिये अपनी पावर्स (अधिकार) दे दीं और गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया।

अगर हिन्दोस्तान की और इस सूबे की इससे माली हालत अच्छी होती और काश्तकारों की हालत अच्छी होती, चाहे हम लोगों को भले ही नुकसान होता, हम लोग मुल्क के फायदे के लिये इस निज़ाम को मंजूर करने के लिये तैयार थे। हम तो यह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है उसमें न तो काश्तकार का ही फायदा है और न किसी और का बल्कि उसमें इस कदर झगड़े और लड़ाइयां पैदा हो जावेंगी जिनको मौजूदा गवर्नमेंट तो क्या, दूसरी गवर्नमेंट को भी संभालना मुश्किल हो जावेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को यह बिल वापस ले लेना चाहिये और ठंडे दिल से गौर करके फैसला करना चाहिये कि क्या हालत हो सकती है। जहाँ तक ज़मींदारों का ताल्लुक है, अगर आप के लैंड रिफार्म्स से मुल्क का फायदा होगा तो हम सैक्रीफाइस (त्याग) करने के लिये तैयार हैं हम देखते हैं कि आपने यह तो सोचा नहीं कि इससे मुल्क का फायदा भी होगा या नहीं, बल्कि आपने तो काश्तकारों को एक चीज़ प्लैज (प्रतिज्ञा) की थी जबकि यू० पी० टैनेंसी १९३९ था ही नहीं और काश्तकारों को उसके मातहत अधिकार नहीं थे। अब इस ऐक्ट के पास होजाने के बाद काश्तकारों के राइटस (अधिकार) तो बिलकुल महफ़ूज़ हो गये क्योंकि उनको हियरीडेटेरी टैनेंसी मिल गई कि जबतक वे लगान देते रहेंगे वे बेदख़ल नहीं हो सकते। सिवाय इसके कि आपने इस बिल में उनसे १० गुना रुपया लेकर उनको भूमिधर बनाकर उनका लगान आधा कर दिया है, और कोई बात नहीं है। २० साल तक उनको इस लगान का कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपने उनको राइट आफ़ लिमीटेड ट्रांसफर दे दिया कि तुम जमीन को बेच सकते हो लेकिन अगर किसी की जमीन सवा छः एकड़ से कम होगी तो उसे तमाम जमीन बेच देनी पड़ेगी। वह उस पर क़र्ज़ा भी नहीं ले सकता है। अगर सवा छः एकड़ से

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]
ज्यादा हैं तो उतनी ही जमीन बेच सकता है। ऐसी सूरत में आपने काश्तकार को क्या फायदा पहुँचाया ?

सीरदारों को आप बेदखल कर रहे हैं अगर उन्होंने लगान वक्त से नहीं दिया। असामी के वास्ते आपने रखा है कि वे बेदखल होंगे अगर १२ साल के बाद किसी सीरदार या भूमिधर ने अपनी असामी को बेदखल नहीं किया। नतीजा यह होगा कि वे जमीन के भूमिधर या सीरदार होजावेंगे। तो गवर्नमेंट एक लातादाद मुक़दमेंबाज़ी का दरवाजा खोल रही है। असामी को भूमिधर का हक इस वजह से मिल सकता है कि अगर वह १५ गुना रुपया ५ साल के अन्दर अदा कर देगा जिसमें ५ गुना तो सीरदार को मिल जावेगा और दस गुना गवर्नमेंट ले लेगी, तो अगर यही हालत रही तो सब गड़बड़ हो जावेगा। इसके मानी सिवाय इसके और कुछ नहीं हैं कि गवर्नमेंट ने अपने वोट कैचिंग डिवाइस (वोट प्राप्ति की तरकीब) के लिये यह एक स्कीम बनाई है। गवर्नमेंट यह समझती है कि भूमिधर उनको ही वोट देगा क्योंकि अगर वह नहीं देगा तो उसकी भूमिधरी भी चली जावेगी। शायद सोशलिस्ट पार्टी की एक स्कीम है कि अगर सोशलिस्ट पार्टी इन पावर (प्राप्ताधिकार) आई तो वह इस ऐक्ट को खत्म कर देगी, इससे जो दस गुना रुपया देंगे उनको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट (रक्षा) करने के लिये मजबूरन गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। आपने यह जो स्कीम बनाई है इसके अगराज व मकासिद में यह कहा गया है कि इससे ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ योजना) बढ़ेगा लेकिन जब पुरानी होल्डिंग्ज कायम रहेंगी तो फिर किस सूरत से इम्प्रूवमेंट आफ ऐग्रीकल्चर (कृषि की उन्नति) होगा। इससे तो सूबे की पैदावार कम होती जायगी। कुछ सालों के बाद हम यह पूछेंगे कि जो लाखों रुपया इस वक्त गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट आफ ऐग्रीकल्चर पर सर्फ कर रही है, उस से क्या नतीजा निकला ? महज़ आपकी स्कीम ही स्कीम रह जायगी। लिहाज़ा मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट फिर ठंडे दिल से तमाम स्कीम पर गौर करेगी और गौर करने के बाद ऐसी कोई स्कीम लायेगी जिस से तमाम सूबे का फायदा हो सके। अगर दस गुने का मामला न होता तो शायद स्कीम बहुत अच्छी होती लेकिन चूंकि आपको रुपया वसूल करना है इस वजह से आप इम्प्रूवमेंट की स्कीम ला ही नहीं सकते हैं। आप मजबूरन यह सब चीजें रख रहे हैं। लिहाज़ा मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले लेगी और वापस लेने के बाद दुबारा कोई लैंड रिफार्म बिल लायेगी ताकि सब चीजें ठीक हो जायं। कम्पेन्सेशन (प्रतिफल) के मामले में सोशलिस्ट पार्टी का एक अपना अलग नुक्ते नज़र है। उनके लीडर आचार्य नरेन्द्र देव साहब ने जमींदारी एबालिशन कमेटी में अपने बयान में जो कुछ कहा अब उनके चेला लोग उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी जो स्कीम है उसको बुलन्दशहर जिला ने नहीं माना है। उस जिला ने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देकर इस बात को बता दिया है कि लैंड शुड बी अक्वायर्ड विद कम्पेन्सेशन (भूमि प्रतिफल देकर प्राप्त की

जानी चाहिये)। इसी तरह से उरई में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक सीट का इलेक्शन (चुनाव) था। ज़मींदार, सोशलिस्ट और कांग्रेस तीनों पार्टियों की तरफ से एक एक उम्मीदवार खड़ा था। वहां हुआ यह कि सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार की जमानत ही ज़ब्त होगयी। इस से जाहिर होता है कि उनके उसूल को इस सूबे में कोई मानने वाला नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी विदेशी उसूल यहां रायज करना चाहती है। सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से मैं कहूंगा कि आप फारेन कंसेप्शन (विदेशी विचार) इस सूबे में फैलाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए यह सूबा और यह मुल्क तैयार नहीं है। आपने आज तक कोई अपनी लेंड रिफार्म स्कीम पब्लिश नहीं की है सिवाय इसके कि आप कभी यह कह देते हैं कि १० एकड़ जमीन देंगे, कभी कहते हैं कि १५ एकड़ ज़मीन देंगे और कभी कहते हैं कि २० एकड़ ज़मीन देंगे। यह बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबिल (अक्रियात्मक) चीज है। अगर आपने वह स्कीम चालू करदी तो बिल्कुल फाकाकशी की नौबत आजायगी। हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना है नहीं। तमाम चीजों को देखने के बाद एक प्रैक्टिकल स्कीम बनानी चाहिये। लेकिन चूंकि काश्तकारों से इलेक्शन में वादा कर लिया था इसलिये यह जमींदारी अबालिशन बिल लाये हैं। और अगले इलेक्शन का भी नुक्तेनजर है। इस वजह से कहते हैं कि बगैर मुआविज़ा के जमीन दे दी जाय। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप वाकयी में किसानों के सच्चे बिहीख्वाह हैं तो आप उन से दस गुना न लीजिये। अगर कोई मुल्क के फायदे की चीज होगी तो हम उसमें मदद करेंगे। लेकिन आपने खुद राइट आफ प्राइवेट प्रापर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार) को कांस्टीट्यूशन (संविधान) में माना है। इसलिये आपके मुंह से यह अच्छा नहीं लगता। अगर सोशलिस्ट पार्टी कहती तो ठीक था। कांग्रेस पार्टी को वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है कि इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन (उचित प्रतिफल) देना चाहिये और जो विधान है उस में भी यह दिया हुआ है कि कोई भी प्राईवेट प्रापर्टी बगैर मुआविजा दिये हुए नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप भी सोशलिस्ट पार्टी में शरीक हो जाइये। आप कांग्रेस में रहते हुए यह आवाज कभी भी नहीं उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस चीज को ठंडे दिल से गौर फरमायेंगे और इस बिल को वापस ले लेंगे ताकि एक ऐसा रिफ़ार्म किया जाय जिससे काश्तकारों और जनता का फायदा हो। मैं तो इस बिल को जितना पढ़ता हूं यही नतीजा निकालता हूँ कि इस से कोई फायदा काश्तकारों का नहीं है। सिर्फ दिखलाने के लिये हुकूक दिये गये हैं। एक तरफ आप अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ छीन लेते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट इस सुझाव पर गौर फरमाये।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दफा १३० का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस दफा पर अभी तक हाउस में जो बहस हुई उसको सुनकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में प्रत्येक पार्टी ने अपना-अपना दृष्टिकोण

[श्री राजाराम शास्त्री]

रखा है और जो उसके सिद्धांत हैं उनके सम्बन्ध में बातचीत हुई है। मैं इसको मानने के लिये तैयार हूँ कि इस बिल के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के बीच में मौलिक मतभेद है। कांग्रेस पार्टी इस ढंग से जमींदारी का नाश करना चाहती है जिससे किसानों को अपनी जमींन बेचने का हक मिल जाय और मौजूदा सूरत में जिसमें कि जमींदारों की तादाद इस प्रदेश में जितनी है वह खत्म होने के बजाय बढ़ जाय जैसा कि हाउस में कहा गया। मेरा अपना ख्याल है, आज चाहे कांग्रेस के लोग मानें या न मानें, कि कुछ दिन बाद जब यह कानून इस सूबे में लागू होगा तब किसान इस को सही मानों में समझेंगे। आज तो यह समझ कर कि जमींदारी का खात्मा हो रहा है किसान खुश हो रहा है। उसका यह यकीन है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद सही मानों में जमींदारी का खात्मा हो जायगा। पर मेरा यह ख्याल है कि जिस वक्त यह कानून लागू होगा और जसी कि मौजूदा स्थिति है, अगर जमींन का बटवारा नहीं होता है तो यहां का किसान कुछ दिनों बाद यह अनुभव करेगा कि उस के साथ एक बहुत बड़ी धोखेधड़ी का काम किया गया और जितनी खुशी आज कांग्रेस को हो रही है यह देख कर कि किसान उसके साथ हैं हमारा अपना ख्याल है कि यह सब चीजें उनको मंहगी पड़ेंगी बाद में जाकर जब एक बार किसानों में निराशा की लहर आयेगी। इसलिए मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि आज वास्तव में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था के जरिये से जमींदारी के खात्मे की बात कही जा रही है और उसमें कोई तथ्य है बल्कि असलियत यह है कि नाम बदला जा रहा है और जिस तरह की जमींदारी प्रथा है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो जायेगी लेकिन सही मानों में जमींदारी प्रथा का खात्मा नहीं होगा। दूसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टी यह समझती है कि बिना जमीन के बटवारे के जमींदारी का खात्मा हो ही नहीं सकता। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। इस चीज को हम पहले भी कई बार इस भवन में कह चुके हैं और आज भी कहने को तैयार हैं कि यही मौलिक मतभेद है कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी में। कांग्रेस पार्टी किसान को मालिक बनाना चाहती है। हम साफ साफ मानते हैं और कहते हैं कि जमीन प्रकृति की देन है उस पर किसी का अधिकार नहीं है। हां, जमींन पर मिल्कियत अगर किसी की हो सकती है तो वह समाज की हो सकती है। समाज ही जमीन का मालिक हो सकता है। समाज उसका क्या उपयोग करेगा, समाज किसको जमीन देगा किसको नहीं देगा यह समाज का अधिकार है और किसी का नहीं है। आज यह कहना कि अगर आज हम किसानों को जमीन की मिल्कियत नहीं देते तो भारतीय संस्कृति और परम्परा के खिलाफ बात हो जाती है। हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि जमीन पंचायतों की मिल्कियत होती थी। कितने जमाने तक उन पंचायतों के हाथ में जमीनें थीं। पंचायतों के हाथ (अधिकार) में था कि किसको जमीन दी जाय और किसको

न दी जाय। जमीन पंचायतों की मिल्कियत होती थी। आज हम वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। हमारा राज्य वास्तव में जमीन का मालिक होगा। राज्य फिर पंचायतों को भूमि व्यवस्था करने का अधिकार देगा और वह पंचायतें जो जमीन को जोतेगा बोवेगा उसको जमीन उठावेगी। जो जमीन को जोतेगा बोयेगा उसको हम जमीन का प्रयोग करने के लिए देंगे। हम उसको लगातार जमीन प्रयोग करने के लिये देंगे। लेकिन उसको भी यह हक नहीं देंगे कि वह जब चाहे जमीन को बेच दें। अगर जमीन को बेचने का अधिकार हम व्यक्तियों को दे देंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जमीन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में चली जायगी और जमीन की अन्त में वही दशा होगी जो आज है और जिस व्यवस्था का आज आप अन्त करना चाहते हैं वही फिर आ जायेगी। जिन सूबों में रैयतवारी प्रथा है उनकी हालत क्या है। जमीन खिंच खिंच कर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो खेतिहर नहीं हैं और जिन्होंने पैसों के जोर से जमीन इकट्ठी कर ली है। अगर आप इस अनुभव से सबक नहीं सीखते तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जमीन के बेचने का अधिकार व्यक्तियों को दिया गया तो २ वर्ष, ५ वर्ष में, और १० वर्ष में आप खुद देखेंगे कि जो पैसे वाले हैं वह देहातों में मालामाल हो जायेंगे और जो धनहीन हैं जिनके हाथ में थोड़ी बहुत जमीन आज भी है वह उनके हाथ से निकल जायगी और उन्हें उसे बेंचना पड़ेगा। इस जमीन को लेने के लिये कितने लोग कर्जदार हो जायेंगे। आज तो आप १० गुना ले रहे हैं लेकिन आगे ११ गुना और १२ गुना लेंगे। मेरा यह विश्वास है कि किसानों के पास रुपया नहीं है और वह कर्जदार हो जायेगा इसके देने में और बाद में उनका भरण-पोषण नहीं हो सकेगा और जब आखिर में उनकी नहीं चलेगी तो मजबूरी की हालत में उनको अपनी जमीनें बेंच देनी होंगी। पैसे वाले खरीद लेंगे और इस तरह से गरीबों की गरीबी बढ़ती जायगी और उनका शोषण और भी अधिक होता जायगा। हमें अफसोस है कि कांग्रेस की तरफ से जो इन्क्वायरी कमेटी बैठी उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात स्वीकार कर ली है कि ७३ फीसदी किसान हमारे सूबे में ऐसे हैं जो साल भर परिश्रम करने के बाद, तमाम रुपया लगा देने के बाद और इतनी मेहनत के बाद साल भर में खाने भर के लिए गुजारा करने लायक भी खेती पर से रकम पैदा नहीं कर पाते। जिस सूबे के तीन चौथाई किसानों की यह हालत हो वहाँ राज्य का इस तरह से जमीन बेंचने का हक किसी व्यक्ति को देना यह किसानों की हालत को खराब करते जाना है। कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में यही मौलिक मतभेद है और उसी दृष्टिकोण से इस हाउस के सामने अपनी अपनी बात कही जा रही है।

मैं यह उम्मीद करता था कि जहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात कही जायगी कि जमींदारी विनाश बिल के पास हो जाने के बाद किसानों की बहुत कुछ हालत दुरुस्त हो जायगी, उनको सब्जबाग दिखाये जायेंगे, उनको बहुत सी

[श्री राजाराम शास्त्री]

आशायें बँधाई जांयगी, वहाँ जमींदार पार्टी की तरफ से जब बहस की जायेगी तो अपने पुराने तरीके के मुताबिक यही सब बातें उनकी तरफ से कही जायँगी कि हमें विनाश कर रहे हैं, हमको खत्म कर रहे हैं और यह बिल वापिस ले लिया जाना चाहिये। मैंने देखा कि हमारे माननीय सदस्य साजिद हुसैन साहब जब इस सदन में बोलने के लिये खड़े होते हैं तो मालूम होता है कि समाजवाद का अगर कोई पंडित है तो साजिद हुसैन साहब हैं। मालूम नहीं कि समाजवाद के इतने बड़े पंडित होते हुये भी वह क्यों नहीं समाजवादी बन पाये हैं। हम समाजवाद के दुश्मन हैं तो आप हमसे दूर रहिये लेकिन अगर आप समझते हैं कि समाजवाद अच्छी चीज है, दुनिया को इससे फायदा है हिन्दोस्तान के किसानों को इससे फायदा है तो किसने आपको रोका है कि आप समाजवादी न बनें, आप कुर्बानी न करें। अगर आप अपने को समाजवादी समझते हैं तो उसी लाइन पर चलें। मुझे बड़ा अफसोस मालूम पड़ता है, कि कितनी बार इस हाउस में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता भूमि-व्यवस्था के विरुद्ध हैं। जिन्होंने कसम खाली है कि समझेंगे ही नहीं उनको समझाना बेकार है, चूंकि हम इस बात को मानते हैं कि भूमि का वितरण हो इसलिये आप जल्दी से इस नतीजे पर आ गये। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बार बार इस बात को कहा गया है, हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं, कि जमीन का मालिक समाज हो सकता है व्यक्ति नहीं। वह एक व्यक्ति की मिल्कियत के सिद्धांत को नहीं मानती। मैं जानता हूं कि इस बात को कहने की वजह से जो देहातों में प्रचार होगा उस से हमारे हजारों वोट कम हो जायेंगे लेकिन इसकी परवाह नहीं। यह जो इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ जितनी बहस होती है वह वोट लेने के लिये होती है बिल्कुल गलत बात है। हम जो उसूल की चीज समझते हैं, जो सही चीज समझते हैं, वह रखते हैं। हम जानते हैं कि जब नया विचार आता है, नई चीज आती है, नया सिद्धांत आता है तो लोकमत को तैयार करने में समय लगता है। हम आज जो बातें करते हैं उससे हमारी जमानतें जब्त हो जायेंगी, हमको वोट नहीं मिलेंगे और हम असेम्बली में नहीं आयेंगे लेकिन फिर भी इस डर से जो सच बात है उसको कहना क्या हम छोड़ दें? जब हम कहते हैं कि जमीन पर किसी को मिल्कियत न हो तो इस विचार से कहते हैं कि जो लोग जोतते हैं, बोते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिये यह चीज दें, जब तक वह उस पर काम करते हैं तब तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जब उस पर काम करना छोड़ देंगे तो फिर वह जमीन उनके हाथ में नहीं रहेगी। मालिक की जो पहली परिभाषा है उसमें ही यह है कि चीज उस व्यक्ति की निजी सम्पति है, वह उसको बेच सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन हम यह अधिकार किसानों को नहीं देना चाहते हैं। जब हम बेचने का अधिकार नहीं देंगे तो फिर मिल्कियत की बात कैसे मान सकते हैं। हम मिल्कियत के सिद्धांत को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं साथ साथ यह भी कहूँगा कि इस बिल में जो ये भूमिधर, सीरदार, असामी वगैरह

रखे गये हैं वे एक विशेष उद्देश्य से रखे गये हैं। हमारा यह विश्वास है कि उस दफा को रखने का एक मात्र कारण यह कि यू० पी० की सरकार मुआविजा देकर जमीदारी का विनाश करना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं हैं लेकिन जमीदारों से मुहब्बत है और उनको वह नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। नतीजा यह है कि उनको मुआविजा देने के लिये किसानों का खून तक चूसना पड़ रहा है लेकिन फिर भी यू० पी० सरकार को शर्म नहीं है। वह जमीदारों का पेट भरने के लिये दस गुना लगान जमा कर रही है। आज यू० पी० के देहातों में क्या हो रहा है, सारी ताकत रुपया जमा करने में लगी है। आपने तीन महीने के अन्दर १८० करोड़ रुपया जमा करने का स्वप्न देखा था, अक्टूबर से आपने दसगुने लगान की वसूलयाबी शुरू कर दी थी और आज तक उस १८० करोड़ रुपये में से कुल १९ करोड़ रुपया जमा हो सका है। जब आप कुल इतना ही वसूल कर सके हैं तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी अक्ल में यह बात आती है कि जमीदारों को रुपया देने के लिये जो किसानों की अक्टूबर से लूट शुरू हुई है उससे काम नहीं चलेगा और उसको जारी रखने से कोई फायदा नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा उसूल है कि जिनके पास पैसा हो वे तो भूमिधर बनें और जिनके पास पैसा नहीं है वे भूमिधर न बनें। अगर आप उनको मिल्कियत देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं, तो इसके बगैर भी दे सकते हैं, फिर क्यों यह सारी तवालात उठा रहे हैं।

बाजार में खड़े होकर आपने जमीन की नीलामी बोली लगाई कि जिसके घर में पैसा हो जमीन ले जाये जिसके पास पैसा नहीं है न ले जाये। यह ठीक है क्योंकि पूंजीवादी सरकार के यहां हर चीज पैसे से बिकती है। इसीलिये उसी नीति को लेकर आपने जमीन को बेचा है। आप जमींदारी विनाश करने जारहे हैं लेकिन जिस तरह से आप लगान वसूल कर रहे हैं उससे किसानों के हृदय में जोश नहीं है। जब कभी यह बात कही जायेगी आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं होंगे क्योंकि आप कहेंगे कि आप जालौन का चुनाव हार गये, आप बुलन्दशहर का चुनाव हार गये और हमारी क्योंकि जमानत जब्त हो गई इसलिये आपकी लूट जायज होनी चाहिये। यह बात नहीं है। मैं अभी इटावा में गया था वहीं पर मुझे दो मैनपुरी के किसान मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मार मार कर किसानों को मजबूर किया गया कि रुपया दो। ठीक है आपके पास शक्ति है, रिसोर्सेज हैं इसलिये आप अपने दोषों को छिपा सकते हैं। दुनिया में जो कमजोर हैं वह कुछ नहीं कह सकता है जो शहजोर है वह अपने गुनाहों को छिपा सकता है। कोई सबूत नहीं है। कि यह जो दस गुना लगान आज वसूल कर रहे हैं इसी को आप कायम रखेंगें। आगे जाकर आप बारह गुना लगान वसूल करने जारहे हैं।

मैं मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस जो वोट मांगती है उसके पीछे २५।३० साल का बलिदान छिपा है। हम जानते है कि महात्मा जी की कुर्बानियां

[श्री राजाराम शास्त्री]
हैं, कांग्रेस की भी कुर्बानियां हैं। आपका त्याग का रूप रहा है उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आज आप कोई गलत काम भी करेंगे तो उनको अच्छा दिखाई पड़ेगा। ऐसी हालत में मैं आप से कहूँगा कि आप गुमराह न हों। आपको वोट मिल जाते हैं इसलिये आप इस बिल को अगर जायज समझेंगे तो धोखा खायेंगे। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। साथ ही साथ यह भी रखूँगा कि आज जो आपने तीन चार श्रेणियाँ कर दी हैं वह रुपया वसूल करने के लिये और जमींदारों को मुआविजा देने के लिये की गई हैं। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इस पर काफी बहस हो चुकी है। मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता है जब कभी मैं हाउस में लोगों की दलीलें सुनता हूँ। जमींदार पार्टी की तरफ से एक साहब खड़े हुये और उन्होंने कहा कि मुआविजा बिना दिये अगर आप हमारी जमींदारियां ले लेंगे तो यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ होगा। दूसरे साहब ने कहा कि हिन्दुस्तान अजीब देश है। इस में समाजवाद की व्यवस्था पनप नहीं सकती है। मैं कहता हूँ कि इस देश में अगर तुम्हारी जमींदारियां कायम रह सकती हैं। सैकड़ों वर्षों तक तुम किसानों की लूट कर सकते हो तो फिर समाजवादी पौधा क्यों नहीं पनप सकता। इसी तरह की दलीलें लोग चीन की और रूस की दिया करते हैं लेकिन आज चांगकाईशेक कहां हैं। उठाकर फेंक दिया गया। जब संघर्ष सामने आता है तो इस तरह की बातें कह कर कितने दिनों तक अपनी जान बचा सकते हैं। इस तरह से संस्कृति और धर्म की दुहाई देना कहां तक ठीक है।

(इस समय ९ बजकर ५० मिनट पर माननीय अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

ऐसे मौके पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कानपुर के पूंजीपतियों से जब मजदूरों के बारे में बातें होती हैं तो वह कहते हैं कि अरे साहब यह तो पवित्र भूमि है, धर्म का मुल्क है। यहां पर आपका भौतिकवाद और समाजवाद नहीं चल सकता है। मेरी कानपुर के कूपर एलन के एक बड़े अफसर से बातचीत हो रही थी। वह कहने लगे कि क्या बात आप करते हैं। ऋषि और मुनियों की इस पवित्र भूमि में आपका यह समाजवाद कभी नहीं आ सकता है। मैंने उनसे कहा कि पवित्र गंगा जी के तट पर कूपर एलन का जूतों का कारखाना तो पनप सकता है और उसमें हजारों मजदूरों का खून चूसा जा सकता है तो क्या वजह है कि इस पवित्र भूमि में समाजवाद का पौधा नहीं पनप सकता। आप लोग खुद सोचिये कि कानपुर में गंगा जी के किनारे कूपर साहब का जूतों का कारखाना दिन रात हजारों मजदूरों को लूटता है तब भारतीय संस्कृति और आपका धर्म कहाँ चला जाता है लेकिन जब गरीब मजदूरों का सवाल आता है तब संस्कृति की दुहाई और धर्म की दुहाई दी जाती है। इस संस्कृति और धर्म की दुहाई को मजदूर बहुत दिनों तक देख चुके हैं।

मैं साफ कह दूँ मैं उन लोगों में से हूँ कि जितनी चुनावबाजी हो रही है उनकी पराजय मेरे दिल को हतोत्साह नहीं करती। मैं उसूल पर खड़ा हुआ हूँ। इस राजनीति की लड़ाई में १०, ५ वर्ष कोई चीज नहीं होते। यूरोप को देखिए। समाजवादी पार्टियों को लड़ते हुए १००, १०० वर्ष हो गए। पूंजीवाद से आज तक टक्कर ले रही हैं। यहां तो अभी जमानतें ही जब्त हुई हैं। कांग्रेस जब खड़ी हुई थी कितनी बार गोलियां चलीं, कितनी बार जमानते जब्त हुई। कांग्रेस आज जिसके पास बड़े २ नेता हैं जो देश पर हुकूमत कर रही है उससे अगर हमारी पराजय हो जाती है तो कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे खुशी है कि सोशलिस्ट पार्टी ही मुल्क के अन्दर ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस की सरकार को चुनौती दे सकती है। जो हिमालय पहाड़ हमारे सामने है उससे टकरा सकती है। हम सही बात के लिए खड़े हैं। अगर आप यह समझते हैं कि इस बिल को पास करने के बाद इस भूमिधरी व्यवस्था से किसान को संतोष हो जाएगा तो इस कानून को पास होने दीजिए। मेरे दिमाग में तो यह नक्शा है कि १०, १५ वर्ष के बाद किसान देख लेगा कि किस तरह से उसके साथ धोखा किया गया। जिस आजादी का आज ढिंढोरा पीटा गया, हर जगह दीवाली मनाई गयी, शहर २ में मनाई, तीन वर्षों के अन्दर ही जनता आपके कारनामों से असन्तुष्ट हो गयी। जो आजादी मिली है बेशक हिन्दुस्तान आजाद हो गया लेकिन जनता आजाद नहीं हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले चुनाव में भले ही आप जमींदारी-विनाश की डुग्गी पीट कर वोट ले लें लेकिन १० वर्ष पश्चात् किसान समझेगा कि उसके साथ दगाबाजी की गयी है। जमींदारी-विनाश के नाम पर फिर से जमींदारी कायम की गयी है। इस कानून के पास होने के बाद भी आज जिस तरह की अशान्ति है, जिस तरह की अव्यवस्था है, जिस तरह का संघर्ष है वह कायम रहेगा। परिणाम यह होगा कि देहातों के अन्दर संघर्ष तीव्र होगा। देहातों में आप आग लगाने जा रहे हैं। इससे दूसरा संघर्ष शुरू होगा और वह एक क्रान्तिकारी ढंग का होगा यदि किसान वोट के जरिए आप को नहीं हटा पाए तो मेरा विश्वास है कि लाठी के जरिए से हटाएगें। दुनिया की तवारीख यही कहती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि किसानों का सही फायदा करें। जो प्यार आपके दिल में जमींदारों के लिए है उसके बजाय किसानों से प्यार करिए। हमें ताज्जुब लगता है मेम्बर लोग कहते हैं हमने गुनाह भी किए हैं, किसानों को लूटा भी है, १० गुना वसूल भी किया है तो यह सब तुम्हारे खातिर किया है। जमींदारों से कहूँगा कि आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है उसे जरा समझिये।

कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैं कहूँगा कि दिल में तो ये बहुत खुश हैं, यहां आ कर जरूर इतनी आलोचना करते हैं, मगर दिल में कहते हैं कि आपकी वजह से रुपया भी मिल रहा है। इतना खराब यह तबका है कि जिसकी तरफ यह खड़ा हो जाय वह हार जाय। आज हम अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी से लड़ सकते हैं लेकिन हमारे हारने में बड़ा कारण यह है कि यह आ कर हमारे पास खड़े हो जाते

[श्री राजाराम शास्त्री]

हैं। यह क्या करते हैं। कांग्रेस को बुरा कहेंगे, कांग्रेस को हराने के लिए लाल टोपी भी लगाने को तैयार हो जाते हैं। आप यकीन रखिए इनकी कोई इज्जत देहात में नहीं है। अगर कांग्रेस वाले आपकी रक्षा न करें तो आपकी एक २ किसान वह खबर ले कि आपको याद आ जाय।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय मेम्बर की तवज्जह दिलाना चाहूँगा कि इस वक़्त पूरा विधेयक विचाराधीन नहीं है, खाली यह धारा है।

श्री राजाराम शास्त्री—इसलिए यह जो भूमिधर का क्लास बनाया है वास्तव में वह जमीदारों का क्लास है। पहले जो जमीदारों की संख्या थी अब वह बढ़ जायगी। बाकी के किसानों से भी रुपया ले कर आप जमीदारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वास्तव में जमीदारों की जमीदारी का विनाश नहीं किया जा रहा है और इस दफा को रख कर जो इस बिल का उद्देश्य है वह उद्देश्य बिलकुल विफल किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यू० पी० की सरकार इसे महसूस करेगी और इसके मुताबिक ही अपना आचरण करेगी।

श्री बलदेव प्रसाद—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, श्री रोशन जमां खां साहब ने यह बहस शुरू की कि वर्तमान जो विधेयक है उसमें से धारा १३० निकाल दी जाय। उसकी ताईद में हमारे चन्द दोस्त बोले। तांत बोला राग बूझा वाली मिसाल यानी रौशन जमां खाँ साहब की जो तकरीर हुई उसके कदम दर कदम ही, हूबहू और लोग भी बोलते चले गये। मैं सब का तो जिक्र नहीं करता लेकिन उनमें मुझे जो तक़रीरें पसन्द आईं उन पर मैं चाहता हूँ कि कुछ रोशनी डालूं। हमारे दोस्त बाक़ी साहब ने इस दफा के सिलसिले में तक़रीर करते हुये एक दलील पेश की और वह दलील यह थी कि हम जो भूमिधर बना रहे हैं उनको हम वह नहीं दे रहे हैं जो कुछ यहाँ कह रहे हैं। उन्होंने एक हिसाब लगाया और हिसाब लगाते वक्त उन्होंने कहा कि १० गुना लगान लेकर हम असल में २० साल तक तो पूरा लगान ले ही लेंगे, इसके अलावा आगे २० साल की जो छूट होगी उसके लिये कोई नहीं कह सकता कि आगे २० सालों में क्या होगा। यह जो १० गुना लगान उनसे वसूल किया जा रहा है उसके लिये तो वे कहते हैं कि २० साल में वह पूरा होगा उसके बाद में एक दम वह कह जाते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि २० साल के बाद क्या होगा और इसलिये यह दफा निकाल दी जाय। मैं इसके बराबर की एक दलील देना चाहता हूँ वह यह है कि दुनियाँ के लिये लोग बहुत दिनों से कहते चले आये हैं कि यह दुनियाँ सराय-फानी है। हम इस वक्त यहाँ बोल रहे हैं, परन्तु आगे के लिये एक क्षण की भी खबर नहीं कि कब क्या हो जाय। इस प्रकार बक़ौल बाकी साहब के अब तक जो भी कुछ किया वक्त बरबाद किया लेकिन दुनियाँ की असारता को समझ कर अब जो वक्त बचा है उसको इबादत इलाही में सर्फ करना चाहिये। इसलिये

बाकी साहब का सबसे पहिला फर्ज यह हो जाना चाहिये कि अब वे बाकी वक्त को इबादत इलाही में सर्फ करें, हो सके तो मक्के मदीने भी हो आयें और अब इस कानून और व्यवस्था के चक्कर में पड़कर शेष समय को खराब न करें कभी सरकार को गालियाँ, कभी सोशलिस्टों को गालियाँ और कभी जमींदारों को भी गालियाँ देकर रोज अपनी आक़बत को न खराब करें। अगर वे इसे ठीक समझते हैं और अपनी आक़बत को सुधारना चाहते हैं तो इस विधेयक पर तथा आगे और किसी विधेयक पर वे न बोलें और अगर वे इस बात को नहीं मानते तो उनको यह बात भी मानना चाहिये कि दुनियाँ २० साल तक क़ायम रहेगी और २० साल के आगे भी क़ायम रहेगी। कोई भी काम जो इस दुनियाँ में किया जाता है वह इसी दृष्टिकोण से किया जाता है कि दुनियाँ हमेशा रहेगी। मैं एक बात बताता हूँ कि हर कास्तकार जो बीज बोता है इस उम्मीद पर कि वह उगेगा, उसको वह काटेगा, उससे उसके बाल बच्चों को आराम मिलेगा। क्या कोई काश्तकार कभी यह भी सोचता है कि आज जो बीज वह बो रहा है उस पर कल ओला पड़ जायगा, पत्थर पड़ जायेंगे, चोरी हो जायगी, या सैलाब आ जायेगा। और इस विचार में पड़कर खेती की काश्त बन्द कर देता हो यह बात कभी होती नहीं। दुनियाँ में एक उसूल बना लिया जाता है और उस पर मजबूत क़दम रख कर चला जाता है आगे क्या होगा इसको सोशलिस्ट भाई ज्यादा जान सकते हैं लेकिन जो अकलमंद आदमी हैं वे सदा इसी उसूल पर मुस्तकिल मिज़ाजी से चला करते हैं। इस तरह बाकी साहब ने जो कुछ कहा है वह सिर्फ हवाई दलीलें ही हैं। ऐजाज रसूल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि दफा १३० को ही नहीं बल्कि तमाम बिल को ही वापिस ले लिया जाय। उनकी एक सच्ची बात थी हर जमींदार यह चाहता है कि बिल वापस हो जाय। वे अपने उसूल के पक्के हैं। जो बात उनको कहना चाहिये थी उन्होंने कही।

मुझे सबसे पसन्द एक तक़रीर और आई, वह तक़रीर हमारे सोशलिस्ट दोस्त श्री राजाराम शास्त्री की थी। श्री राजाराम जी ने अपनी तकरीर के सिलसिले में कुछ मौलिक सिद्धान्तों का जो कांग्रेस और सोशलिस्टों के हैं, प्रतिपादन करने में इतना सारा समय लिया। हम सोशलिस्ट भाइयों की बड़ी इज्जत करते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि हम कमजोर हैं। हम सोशलिस्ट नहीं हो सकते लेकिन अगर वह वाक़ई में सोशलिस्ट हैं और इन उसूलों पर अमल करते हैं और चाहते हैं कि दुनियाँ में सोशलिज्म कायम हो जांय तो उनको चाहिये कि जिन उसूलों का प्रतिपादन वह इस हाउस के अन्दर करना चाहते हैं उन पर खुद अमल करें। मैं सोशलिस्ट भाइयों की जरूर तारीफ करूँगा कि इन लोगों ने शुरू में यह कहा कि एक लैंड आर्मी बनाई जाय और उसके मुताबिक़ काम भी किया। उस काम के

[श्री बलदेव प्रसाद]

करने में उन्होंने सरकारी मदद कम ली। और स्वंय अमली रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने एक फौज बनाई, जिसने नैनीताल और बांदा में सड़कें बनाने तथा बन्धों के बांधने का काम किया। उस फौज का इस प्रकार अमली तौर पर काम करना काबिल तारीफ ही नहीं मुफीद भी है। दूसरी बात वह चाहते हैं कि जमीन का बटवारा किया जाय। मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से अब यह कहूँगा सिर्फ उनकी पार्टी में १।३ जमीदार इस हाउस के अन्दर ही मौजूद हैं और हाउस के बाहर चले जाइये तो जमीदारों की भारी तादाद इनके अन्दर है। राजाराम जी ने इस बात को अपनी तक़रीर में मान लिया है कि जितने इलेक्शन वे हारे हैं वह सब उन जमींदारों की वजह से हारे हैं। बदनाम जमीदारों की इतनी ज्यादा तादाद उनके अन्दर है कि उनकी वजह से ये इलेक्शन हार जाते हैं। तो वह जमीदार जो सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर हैं इस समय अमली कदम उठायें और वह यह है कि जितने सोशलिस्ट भाइयों के पास सीर है जो सीर के मालिक बने बैठे हैं सब से पहले वह अपने गाँवों में अपनी जमीन का बराबर बटवारा कर दें। अगर हमारे सोशलिस्ट भाई इतना करने के लिये तैयार हों तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार भी मेरी इस बात को आनर करेगी और मेरे कहने पर विचार करेगी और मुमकिन ही नहीं यह सही होगा कि यदि यह लोग कामयाब बटवारा अपनी जमीनों का करा लें जाँय तो हम भी उसी उसूल को मानकर आगे बढ़ चलेंगे। अतः मेरी प्रार्थना यह है कि बजाय इसके कि यहाँ बैठ कर शास्त्री जी हमको गाली दें पहले अपनी पार्टी के जमीदारों से यह बात कहें कि इस समय एक सही मौका, एक और अमली कदम उठाने का है, चूकना मुजिर हो सकेगा। कहा जाता है कि सोशलिज्म तो वहीं ज्यादा पनपता है जहाँ पर ज्यादा लूटमार होती है। बकौल शास्त्री जी के सरकार ने तीन महीने से सूबे के अन्दर लूटमार मचा रखी है, लेकिन मैं देखता हूँ की यहाँ सोशलिज्म नहीं बढ़ा और ज्यादा कैसे बढ़ सकता है। मैं यह पूछता हूँ सरकार ने यहाँ पर जो तीन महीने से लूटमार शुरू की है उससे सोशलिज्म कितना आगे बढ़ा। सब से पहले आपने बांदा में ताक़त आजमाना शुरु किया वहां पर तो आपकी सेक्योरिटी भी ज़ब्त हो गई। फिर बस्ती, पीलीभीत में चोटें हुई वहाँ पर भी आपकी सेक्योरिटी जब्त हुई। तो क्या इससे आप अन्दाज़ा नही लगा रहे हैं कि यहां सोशलिज्म कितना अच्छा पनप रहा है। शास्त्री जी समझदार आदमी हैं। हो सकता है यही उनके विचार में ठीक पनपना हो। एक बात और कही गई है कि सौ साल से सोशलिज्म कैपिटलिज्म से टक्कर लेता आ रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस १०० साल में आपने कहां कहां कामयाब हो कर और दुनियाँ के किस हिस्से में हकूमत कायम की है। और दुनियाँ में किसने माना कि समाजवाद का उसूल बड़ा अच्छा है और इस पर सब उसी तरह से जलने लगे जैसे शमा पर परवाना जलता है। हकीकत तो यह है कि इससे किसान इतनी दूर भागते हैं जैसे ख़रगोश के सिर से

सींग भागते हैं। हमारी तरफ तालाबों के अन्दर एक पनडुब्बी चिड़िया होती है। यहाँ मालूम नहीं उसे क्या कहते हैं लेकिन मेरी तरफ उसको पनडुब्बी कहा जाता है। उसकी खासियत यह होती है कि उस के ऊपर जितनी मर्तबा बंदूक का निशाना लगाया जाय उतनी ही मर्तबा वह पानी में डुबकी लगाती है और फिर दूसरी जगह जाकर पानी से ऊपर निकलती है। इस प्रकार हमेशा बंदूक के निशाने से अपने को बचा लेती है बिल्कुल वही रूप कैपिटलिज्म का है। जब जब उस को खत्म करने की कोशिश की गई तब तब उस ने अपना दूसरा रूप धारण करने की कोशिश की। इंगलैंड में भी जब इंडस्ट्रियल रिवोलूशन हुआ तो वहाँ भी क्रान्ति से बचने के लिये इसी तरह से सोशलिस्टों के नाम से एक संस्था कायम कर ली गई लेकिन वह असल में थी एक कैपिटलिस्टों की ही जमाअत, और वही लोग बड़े बड़े लीडर बनकर सोशलिज्म की बातें करने लगे। यहाँ तक कि आज भी वह संस्था पूंजीवाद को अपनी गोद में छिपाये काम कर रही है। सोशलिज्म सिद्धान्त के नाम पर यों कैपिटलिज्म की रक्षा होती है। उन लीडरों के पास कितनी मिलें हैं और वहाँ क्या क्या उन्होंने किया यह मैं और मौके पर अगर सोशलिस्ट भाई चाहेंगे तो बतलाऊंगा। इस समय तो मैं अपने को इसी प्रदेश में महदूद रखना चाहता हूँ। इतने दिन की मेहनत के बाद भी जमींदारों और सोशलिस्टों के बीच में बहुत फासला नजर नहीं आता है, ऐसी बात भी नहीं है कि वह कोई हुकूमत कायम कर पाये हों और अभी यह बात भी नहीं है कि गरीब लोग उनकी तरफ रागिब हों या यह कि लोग उन के उसूलों के पीछे चलने लगे हों। यह बेचारे जब भी लेक्चर देते हैं तो चीन और रूस की दोहाई देने लगते हैं। मैं उन से पूछूं कि चीन और रूस से उनको मतलब क्या है। उनके इनके सिद्धान्तों में फर्क है। फिर भी बावजूद उस फर्क के, हम देखते हैं कि अपनी कमजोरी के कारण हर अमली कदम के लिये इन्हें कम्यूनिस्टों का सहारा देखना ही पड़ता है। इसीलिये चीन व रूस की दुहाई देने लगते हैं। इन सब बातों को देखा जाय तो असल में उनका उसूल सोशलिस्टिक भी नहीं है जिस का वह प्रतिपादन करना चाहते हैं। यह जो उन्होंने बटवारे को बात कही इस में भी कैपिटलिज्म के उसूल का सार छिपा है जिसे छिपाकर यह दूसरी शक्ल में लाना चाहते हैं। अगर आप असल धारा को देखेंगे तो इस में ३ किस्म के काश्तकार रखे गए ह भूमिधर, सीरदार और असामी। अगर इनकी नवैयत को देखा जाय तो मालूम होगा कि वह बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग और वास्तविकता के आधार पर रखे गए हैं और इस से अच्छा दूसरा कोई तरीका या व्यवस्था नहीं हो सकती है रोशन जमाँ खाँ साहब ने एक क्लास-लेस सोसाइटी (वर्ग विहीन समाज) की बात कही और हमारे राजाराम जी शास्त्री तो गंगा जी के किनारे जो जूते का कारखाना बन गया उसी के चक्कर में पड़ कर क्लास का जिक्र करना भी भूल गये और सही भी है। देहात में क्या हालत है काश्तकार की क्या हालत है उसकी उन को क्या वाकफियत हो ही सकती है वैसे उनको गाँव के हालत जानना चाहिए कि वहां

[श्री बलदेव प्रसाद]

होता क्या है। बिना उसके जाने इतने बड़े विधेयक पर मगज पच्ची करना समय ही व्यर्थ करना होगा। खैर मान लीजिए कि कोई ३० एकड़ का काश्तकार है और किसी वजह से उस की खेती खराब हो गई या बिगड़ गई मान लीजिए कि बैल मर गये तो उस हालत में काश्तकार पर क्या असर पड़ता है उस समय साफ नतीजा यह होता है कि उस कीजमीन परती रह जाती है हालाँकि ग्रो मोर फूड के सिलसिले में यह जरूरी है कि हर जमीन काश्त में रहे ऐसी सूरत में यही अच्छा होगा कि बजाय परती छोड़ने के जमीन किसी को उठा ही दी जाय और इसीलिये बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दस बीघा में से भी एक बीघा जो किसी फसल में नहीं जोत पाते अपने किसी साथी को दे देते हैं। दूसरे यह भी होता है कि जमीन है और किसी के लड़के नाकारा निकल गए वह खेती नहीं कर सकते या नौकरी करने के लिए किसी सरकारी ओहदे पर दिल्ली या लखनऊ चले गए उस हालत में भी जमीन दूसरों को देनी पड़ती है। समाज की जिन्दगी में ऐसे हालात पैदा होना लाजमी हैं और जरूरी हैं और ऐसी सूरत में जोत किस के पास रहे इस बात पर गौर करना है। जैसा कि खाँ साहब ने कहा उसके मुताबिक जिन को हम शिकमी कहते हैं या जिनको जमीन सबलेट की जाय उस सबलेटिङ्ग या शिकमी से उनकी हक्कीयत जमीन में पैदा नहीं होती तब तो ऐसी हालत में सही जमीन जोतने वाले का कोई हक न बनना और भी बड़ा एक्सप्लायटेशन होगा। अगर जमीन उन लोगों के पास ही रहने दी जाय, जो बिना खेत पर काम किये, जबरदस्ती जमीन के मालिक बने हैं और चूंकि शिकमी दे देने से भी जमीन में बकौल खाँ साहब, काश्तकारी की हक्कीयत पैदा नहीं होगी तो इनके उस सिद्धांत से साफ तौर पर जमीन का मालिक वही रहेगा। जिसका नाम कागज में दर्ज है इस तरह से गरीबों का शोषण होता ही रहेगा।

असल में गाँव के आदमी खेतिहर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए अब इनके जाल में वे फंसते नहीं। अब इस वास्तविकता को कि लोग जमीनों को किस तरह से दूसरों को दे देते हैं। इस बारे में बाक़ी साहब ने टिनेन्सी एक्ट के दफ़ा २१ का हवाला दिया, उसमें सात नवैयत काश्तकारों की बतलाई गई हैं लेकिन उसमें जमींदारों के जोत की नवैयतों का जिक्र नहीं है। उनको भी शामिल कर लेने पर मौजूदा इन्दराज काश्त के तरीके बहुत हो जाते हैं, लैन्डरिकार्ड मैनुअल में देखा जाय तो आगरा के अन्दर मोटे तौर पर २० नवैयत जोतों की हैं, सीर लेकर, और अवध के अन्दर १२ नवैयत हैं। जो कागजों के अन्दर रेकार्ड होती हैं। इस २० और १२ को किस तरह से हम कम कर सकते हैं जिससे शोषण न हो सके, कोई आदमी जो जमीन जोतता है वह उस जोत के हक से महरूम न हो जाय, इसको देखते हुये मौजूदा चार किस्में रक्खी गई हैं, भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी। इससे कम हम रख नहीं सकते थे क्योंकि इससे नीचे उतरना जमीन जोतने वालों को खतरे में डाल

देना हो जाता और उनके शोषण का रास्ता खोल देना होता थोड़ी गहराई से और देखें तो भूमिधर और सीरदार एक ही चीज है। असामी और अधिवासी, ये भी क़रीब क़रीब एक ही चीज हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क़ है। अगर यह बात सही समझ में बैठ जाय तो वाजबी किस्म जोतने वालों की दो ही रह जाती हैं। इस से कम तो किसी तरह किया ही नहीं जा सकता, और यह ज़रूरी भी है। मिसाल के लिये मान लीजिये कि आज जो एक खेतिहर है वह आगे चल कर खेती से ऊब जाय या खेती न करके बिज़नेस के अन्दर जाना चाहे या घर में एक ही लड़का पैदा हो और उसकी दिलचस्पी फ़ौज में हो या कहीं नौकरी करना शुरू करदे, बहर-सूरत किसी तरह खेती से उसकी तबियत ऊब जाय, तो उस हालत में जो उसके बाप दादों की ज़मीन है उसकी दिलचस्पी में यही अच्छा होगा कि वह किसी से कुछ रुपया ले ले और उसे बदले में ज़मीन दे दे। यह है हक़े इन्तक़ाल जो सूरत भूमिधरी में उसको मिला। इन्साफ की रू से हम यह ज़रूरी समझते हैं कि किसी आदमी को ज़मीन में पूरा फायदा उठा पाने के लिये हक़ माली के साथ उसे हक़ इन्तक़ाली यानी भूमिधरी दें और चूंकि भूमिधर बनने पर वह हर फायदा ज़मीन का पाता है इस-लिये, उसे कुछ देना भी पड़ेगा।

कुछ हमारे उस तरफ़ के दोस्त यह कहते हैं कि सरकार जो ज़ेड० ए० एफ़० का रुपया वसूल कर रही है वह इसलिये कि ज़मींदारों को मुआविज़ा दे पावे। यह असल में उनकी बहुत ग़लत ख्याली है। यह चीज़ बिल्कुल अलग है कि हम ज़मींदारों को रुपया दें या न दें, या कितना दें और किस तरह से दें और Z. A. F. में रुपया लेना एक अलग चीज़ है जिसके क्या मतलब हो सकते हैं अभी से कोई क्या बता सकता है। हकीक़त में ये दोनों बातें एक में मिलाना लोगों को ग़लतफ़हमी में डालना है। हम भूमिधर बनाने के सिलसिले में जो उनको हक़ इन्तक़ाल दे रहे हैं वह इस-लिये कि आज एक आदमी जो खेती न करके किसी दूसरी लाइन में जाना चाहे वह ज़मीन को बेच कर उसका फायदा दूसरे तौर पर उठा सके। अगर हम सिर्फ सीर-दार का ही हक़ उसको दें तो वह सिर्फ खेती करने के लिये मजबूर हो जाता है और उससे बाहर न निकल पा कर अपनी तरक़्क़ी दूसरे तौर पर नहीं कर सकता। इस-लिये इस विधेयक में यह दोनों सूरतें रक्खी गयी हैं कि जो सिर्फ ज़मीन जोतता है और काश्त करने का ही फायदा उठाना चाहता है वह सीरदार रहेगा, लेकिन अगर ज़मीन से और भी फायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए विधि के अनुसार भूमिधर भी हो सकता है।

दूसरी बात असामी और अधिवासी वाली है। जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत सी सूरतें ऐसी पैदा होती हैं जिसमें ज़मीन की नवय्यत पर कुछ न कुछ बदली करनी पड़ती है और उस बदलती हुई व्यवस्था के अनुसार हमें यह प्रावीज़न करना ही पड़ेगा जिससे काग़ज़ों में सही रिकार्ड रखने की व्यवस्था बनी रहे। और ऐसी

[श्री बलदेव प्रसाद]

सूरत में अधिवासी या असामी क़िस्म की कोई नवय्यत रखना लाज़िम ही होगा। अगर हम उसको न रक्खें तो फिर वह शोषण वाली बात आती है जो हमारे सोशलिस्ट दोस्त चाहते हैं। तो इस तरीक़े से जहां तक इस दफ़ा का ताल्लुक़ है हम यह समझते हैं कि यह बहुत ही वास्तविकता की बिना पर रक्खी गयी है। सोशलिस्ट दोस्तों के कहने के मुताबिक़ यदि हम इसको निकाल दें तो आम जनता के हक़ में बहुत ही ख़राब होगा और उस उसूल के ख़िलाफ़ होगा जिसकी इस क़ानून में व्यवस्था की गई है। इन सब बातों के बग़ैर ध्यान में रखे हुए इस धारा के विरोध करने के मानी यह हो जाते हैं कि विरोध करने वालों ने इस धारा की अहमियत को समझा ही नहीं और उस हालत में विरोध करना कभी भी अक़्लमन्दी की बात नहीं कही जा सकती है। जब हम पहले दफ़ा १९, २० और २१ में इन्हीं बातों को मान चुके हैं तो फिर आगे उन्हीं बातों की सफ़ाई करते समय विरोध किस बात का। भूमिधर रहेंगे, सीरदार रहेंगे और असामी रहेंगे, बात तो ठीक है लेकिन अगर हम इन नवैयतों को पूरी तरह साफ़ नहीं करते हैं तो हमारे काश्तकार हमेशा के लिये मुक़द्दमेबाज़ी के जाल में फंस जावेंगे। मैं समझता हूँ कि खाँ साहब ने एक बहुत होशियार वकील की तरह से इस धारा का विरोध किया है, वरना जहां तक सिद्धांतों की बात है, न कोई विरोध की बात उठती है और न यह विरोध करने के लायक धारा ही है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर वाक़ई शोषण को बन्द करना है, अगर वाक़ई सही व्यवस्था जिस प्रकार की होनी चाहिये उसी प्रकार की हो और वाक़ई हम अगर यह चाहते हैं कि काश्तकार अपनी जगह पर अमनचैन से और सुखी रह सके, तो इस धारा का क़ायम रखना ज़रूरी है। अगर यह धारा हटा दी जाती है तो काश्तकारों को इससे बड़ा ज़बरदस्त नुक़सान होगा। इन लफ़्ज़ों के साथ मैं धारा १३० को विधेयक में रखे जाने की ताईद करता हूँ।

श्री मुहम्मद जमशेदअली खां—जनाबवाला, मैं हमेशा से इस बात का क़ायल रहा हूँ कि यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने बात कही बल्कि देखना तो यह चाहिये कि क्या बात कही। इस वक्त जो तजवीज़ हाउस के सामने है वह हमारे सोशलिस्ट भाइयों की तरफ़ से आई है। गोकि मुझे बदक़िस्मती से या ख़ुशक़िस्मती से सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों से कुछ ज्यादा हमदर्दी या पसन्दीदगी नहीं है और मैं यह समझता हूँ कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी के हज़रात ने इस कोशिश के अन्दर कि वे दुनिया में कोई नये उसूलों की पार्टी क़ायम करें और नये ही तर्ज़ सबसे हटकर या बचकर निकालें, इस खयाल के मातहत उन्होंने यह किया कि कांग्रेस पार्टी की तमाम कमज़ोरियां और बुराइयां अख़्तियार कीं। उन्होंने कम्यूनिज़्म (साम्यवाद) की तमाम अच्छाइयां छोड़ दीं। इसके मजमुए का नाम सोशलिस्ट पार्टी हुआ। गोकि मैं यह समझता हूँ कि यह सोशलिस्ट पार्टी का एनैलैसिस (विश्लेषण) है, लेकिन कोई वजह नहीं है कि अगर इत्तिफ़ाक़न

उनकी जबान से कोई तजवीज या तहरीक अच्छे क़िस्म की निकल जाय तो उसको न माना जाय। लिहाजा इस वक्त जो चीज़ सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से हाउस के सामने आई है मैं पूरे तौर पर उसकी ताईद करता हूँ।

जनाबवाला, मुझे अपने दोस्त और बुजुर्ग आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से भी बड़ी हमदर्दी है। मैं जानता हूँ कि रूपया हासिल करने के लिये इन्सान अजीब अजीब किस्म की चीज़ें अख्तियार करता है। जमाने में डकैतियां होती हैं, चोरियां होती हैं, धोखेबाजियां होती हैं, दग़ाबाजियां होती हैं, मरडर (कत्ल) होते हैं और बड़े बड़े हीनस क्राइम्स (भीषण अपराध) होते हैं और यह सब रूपया हासिल करने के लिये होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने दसगुना रूपया काश्तकारों से वसूल करने के लिये, इस क़ानूनसाज़ी के अन्दर ऐसी ठोकरें खाई हैं जो बाज़ हालतों में मुजरिमाना सूरतों को पहुँचती हैं तो कोई बेजा बात नहीं है। मैं उनसे हमदर्दी करता हूँ कि जो फ़र्ज़ उन्होंने अपने जिम्मे लिया है कि हम मुल्क की दौलत को समेट लें वह काम ही ऐसा नाक़िस है कि उसके लिये उन्हें ये तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं। हुजूरेवाला, कितनी ताज्जुबखेज़ चीज है कि हमारे यहां के बाज़ बाज़ मिनिस्टर साहबान को और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहेबान को अपनी तक़रीरों का असर बयान करते हुये मैंने यह फ़रमाते सुना है कि मेरी तक़रीर फ़लां गांव के अन्दर और फ़लां जगह इतनी मुअस्सर रही कि लोगों ने अपने गड़े हुये रूपये लाकरके बाहर डाल दिये और औरतों ने अपने जेवर ला करके फेंक दिये। एक साहब ने बईं अल्फ़ाज़ यह कहा कि मेरी तकरीर का ऐसा दाग़ज़न था कि औरतों ने अपनी चांदी की हंसलियां सामने फेंक दीं। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि अगर हमारे गवर्नमेंट के रुक्न इसके ऊपर फ़ख्र करें कि हमारे धोका देने से लोगों में ऐसा हैजान पैदा हुआ कि उन्होंने अपनी दौलत निकाल करके बाहर फेंक दी, तो इस में फ़ख्र की कौन सी बात है। मैं तो यह कहूँगा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से आप दौलत हासिल कर रहे हैं। इस कानून की बुनियाद बकौल आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू इस लाल किताब पर है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब जो बानी मुबानी समझे जाते हैं इस स्कीम के और जिनके सिर पर इसका सेहरा है कि उन्होंने इस स्कीम की आउटलाइंस (ढाँचे) को कायम किया है, उसके लिये मैं यह बताऊं कि वह क्या बेसिस थी वह क्या बुनियाद थी जिसकी तहत में उन्होंने इस स्कीम को कायम किया है। बावजूद चीखने और चिल्लाने के मेरी बहुत कमज़ोर आवाज़ है। मैं नहीं जानता कि यह आवाज़ गांव के रहने वालों तक पहुँचेगी या नहीं। मैं नहीं जानता कि हमारे अख़बार के नुमाइंदे जो यहां पर मौजूद हैं वह आवाज़ को गांव के रहने वाले, झोंपड़ियों के बसने वाले टिलर्स आफ दी सौयल (भूमि जोतने वालों) तक पहुँचायेंगे या नहीं। बहरहाल तवक्को है कि यह मुनज्ज़िम गवर्नमेंट और यह ज़िम्मेदार गवर्नमेंट जो हमारी उत्तर प्रदेश की है वह कोशिश

[श्री मुहम्मद जमशेदअली खां]
करेगी कि जो सच्ची और सही आवाज़ है दोनों जानिब की वह गांव तक पहुँच जायगी। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह है वह लाल किताब जिसका बार बार जिक्र आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू किया करते हैं। इसमें चरण सिंह साहब जो फरमाते हैं उसका अगर मुताला किया जाय तो पता चलेगा कि इस उत्तर प्रदेश का क्या हश्र होगा जब यह रिज़ोल्यूशन (प्रस्ताव) पास होगा। बयान करते हुये आपने लिखा है कि किन किन वजूहात की तहत में यह ख़यालात पैदा हुये और कहां कहां से उन्होंने इन ख़यालात को कर्ज़ लिया। नौबत यह पहुँचती है कि रूस में उनका दिमाग गया और उन्होंने यह लिखा कि किस्तवार या एकदम से जिस तरह मुमकिन हो रूस की तमाम चीजें यहां पर हो जांय और रूस के इसी स्लोगन (नारे) को सफा ३१ पर इस लाल किताब में उन्होंने नकल किया है। उस स्लोगन के जो अल्फ़ाज़ हैं उनको मैं अर्ज़ करूंगा "लूट दैट व्हाट वाज़ लूटेड" (जो कुछ तुम से लूटा गया था उसको तुम छीन लो)। यह है वह स्लोगन जो वह बयान करते हैं कि "लूट दैट व्हाट वाज़ लूटेड।" मैं यह कहूँगा कि हमारे छोटे जमींदार खुश न हों रीहैबिलीटेशन ग्रांट (पुनर्वासन अनुदान) पा करके और यह समझ कर के कि उन्हें रीहैबिलीटेशन ग्रांट दिया जायगा, और हमारे बड़े बड़े काश्तकार भी खुश न हों यह समझ करके कि जिन्दगी आसानी के साथ गुजरेगी अगर यह गवर्नमेंट कायम रही। आयन्दा यह स्लोगन होगा कि जो जमींदारों को लूट करके तुम्हें दिया गया है वह तुम से भी लूट करके लैंडलेस लेबरर (भूमि-रहित श्रमी) को दिया जायगा। "लूट दैट व्हाट वाज़ लूटेड" यह है आप का स्लोगन और यही है बेसिस (आधार) इस कानून की।

आप का मंशा यह है कि बड़े या छोटे जमींदार जो किसी तरीके से अपनी रोटी हासिल कर रहे हैं वे बेचारे फ़क़ीर हो जायँ। उनको रोटी नसीब न हो। उनके मुंह का नेवाला ले लिया जाय और तमाम जनता फाकों मरने लगे। आपने यह कोशिश की है कानून के अन्दर कि गरीब को फकीर बना दिया जाय। आपने इस में यह कोशिश की है कि जिस के पास पैसा है, उस को फाकाकशी करवाई जाय। इन चीजों पर कायम रह कर कोई हुकूमत फ़्लरिश नहीं कर सकती। अगर अपने काम को आप को देखना है तो अपने यहाँ के मुलाजिमान बाबुओं से पूछिये, चपरासियों से पूछिये कि उनकी हालत क्या हो गयी है। लेबर क्लास (श्रमिक वर्ग) से पूछिये कि उनकी क्या हालत है। मिल वालों से पूछिये कि उनकी हालत क्या है। जमींदारों से पूछिये कि उनकी हालत क्या है। काश्तकारों से पूछिये कि उनकी हालत क्या है। जो गरीब हैं उनसे पूछिये कि उनकी हालत क्या है। जो अमीर हैं उन से पूछिये कि उनकी हालत क्या है। इसी के ऊपर आप दावा कर सकते हैं कि आप की हुकूमत कामयाब है। आप कहते हैं कि यह लैंड रिफार्म्स बिल है, यह मिसनोमर है। मेरे ख्याल में लैंड रिफार्म

डिक्शनरी के अन्दर जिस ने रिफार्म का लफ़्ज रखा है अगर वह इस लफ़्ज का इस तरह इस्तेमाल देखेगा तो अपना सर पीट लेगा। आपने तमाम लैंड सिस्टम (भूमि व्यवस्था) को तबाह कर दिया है और आज नहीं तो आइन्दा की तारीखें बतलायेंगी कि आया मैं जो आज अर्ज कर रहा हूँ उसमें कितनी सदाकत है और जो खयालात आप के हैं उनमें कहाँ तक सदाकत है। आप इस के अन्दर एक तरफ कहते हैं कि हम यह नहीं चाहते कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जांय। दूसरी तरफ कंट्रेडिक्शन (विरोध) होता है। ऐसी दफात मौजूद हैं जिनसे लाजिमी तरीके से जमीनों के टुकड़े होजायेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) के सिलसिले में चाहते हैं कि जमीन का एक चप्पा भी बाकी न रहे। दूसरी तरफ आप इसके अन्दर ऐसी दफात रख देते हैं जिनसे आइन्दा बजाय, गल्ला पैदा होने के, गेहूँ, चावल, ज्वार बाजरा पैदा होने के वहां भट्ठे बनाये जायेंगे, मकान बनाये जायंगे, दूकानें बनायी जायँगी। ये तमाम मुतजाद बातें हैं। आप किस चीज को ले कर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हम ने लैंड रिफार्म (भूमि सुधार) किया है? मौर्य जी हमारे बहुत मेहरबान हैं। मुझे उन से बड़ा प्रेम है। अक्सर औकात वह बहुत सी चीजें जो मेरे दिमाग से निकल जाती हैं उनकी याद दिला दिया करते हैं। आपने कहा पहले लैंड सिस्टम में आठ किस्में थी। हमने तो सिर्फ तीन चार किस्में रख दी हैं। बाक़ी साहब ने बहुत सही फरमाया था कि आप शहद को पानी और पानी को शहद कहने लगे। आप आग को गुलजार कह सकते हैं। शहद को पानी और पानी को शहद कह सकते हैं चूंकि आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैं मुख्तलिफ मौकों पर कह चुका हूँ, अब दुनियाँ होशियार होती जा रही है। वह समझती जा रही है कि यह चीजें किस वजह से हुआ करती हैं। लिहाजा आप उनको बहुत दिनों तक मुगालते में नहीं रख सकते। आपने यह किस्में कायम की हैं। भूमिधर, सीरदार, अधिवासी यह क्या हैं। क्या इनके नाम बदल देने से इनके जो असरात हैं वह बदल जायेंगे। क्या आप यह समझते हैं जैसा कि अभी बाकी साहब ने कहा और बड़ी माकूल बात कही कि आप यह समझते हैं कि हर काश्तकार यह समझ रहा है कि आपने वाकयी उसका लगान कम कर दिया है। लगान कम करने के मानी यह थे कि आप दस गुना लगान उस वक्त लेते जब कि आप उनका लगान आधा कर देते। यानी आप कहते कि हमने तुम्हारा लगान आधा कर दिया है अब इस आधे का दस गुना दे दो। आई कुड अंडरस्टैंड दैट (वह मेरी समझ में आ सकता था)। अगर आप यह फरमाते कि आज की तारीख से तुम्हारा लगान आधा हो गया, चूंकि आधा कर दिया है इस वजह से जो दस गुना देना है उस आधे का देना है। लेकिन आप कहते हैं कि दस गुना लगान दे दो, फिर आधा कर देंगे। आप दस गुना लगान पहले ही वसूल किये लेते हैं। आपने तो यह अपनी तकरीरों के अन्दर, अपने मज़ामीन में जो कि अखबारात में निकलते हैं, कहा था और हमारे पार्लिया-

[श्री मुहम्मद जमशेदअली खां]

मेंटरी सेक्रटरी साहब ने, बड़े जोरशोर, बड़े जौम और दावे के साथ यह कहा था, कि भाई दोनों चीजें हैं। काश्तकार को जमींदार से नफरत है। जिस वक्त आप कहेंगे कि जमींदार को हटा दिया है, उस वक्त वह रुपया आपके सामने रख देगा। लेकिन यह दोनों ही बातें गलत साबित हुईं। न काश्तकारों की जेबों में रुपया मिला और न जमीदारी के हटने से वह खुश हुआ। बाज मिनिस्टर साहबान कान्सेंशस (ज्ञानपूर्ण) आदमी थे। उन्होंने साफ साफ बात कह दी। हमारे गुप्ता साहब ने मुरादाबाद में साफ साफ बात कह दी कि जेड० ए० एफ० स्कीम (जमींदारी उन्मूलन विधि) फेल हो गई। कह तो दिया मगर अमल नहीं कर सके। उन्हें उसके बाद इस्तीफा भी देना चाहिये था चूंकि वह पालिसी अपनी अमल में फेल हो गई इसलिये उन्हें चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहिये था कि हमारी कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) को अलग हो जाना चाहिये क्योंकि यह खास पीवट (आधार) था जिसपर कांग्रेस खड़ी हुई थी। अब वह समय निकल गया। अब कोई मौका नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तो यही मैं गनीमत मानता हूँ कि कोई अपनी नाकामयाबी का इकरार तो करे। इकरार तो किया अमल न किया न सही और उसकी वजह भी हम समझ सकते हैं कि उसमें हमारे मिनिस्टर साहबान का कसूर नहीं था। हुजूर को मालूम ही है कि इन कुर्सियों में कुछ ऐसी चिपक है, कुछ ऐसी कशिश है कि यह छोड़ना चाहते हैं लेकिन यह कुर्सी नहीं छूटती और कुर्सी चिपक गई है। इसमें मिनिस्टर साहबान का कसूर नहीं है और मैं इसमें इनको कसूरवार नहीं ठहराता। आज इत्तिफाक की बात है मुझे ख्याल आ गया, वरना ख्याल नहीं था कि इस क्लाज के सिलसिले में अहम सवालात और इतने जरूरी सवालात जो इस बिल के मुताल्लिक हैं वह सब पैदा हो जायेंगे लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सोशलिस्ट दोस्त रोशन जमां साहब का जिन्होंने इस क्लाज को बहस में लाकर बहुत सी जरूरी चीजें इस हाउस के सामने पेश करने का मौका दे दिया। मैं चूंकि यह जानता हूँ कि पालिसी की तहत में काम हो रहा है ख्वाह मैं कितनी ही जोर से चीखूं यह आवाज आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी चूंकि आप के कान ऐसी बातें सुनने के लिये तैयार नहीं होते और उन्हें नागवार होती हैं ऐसी बातें लिहाजा कोई बात सच्चाई की इन्साफ की, मुखालिफ पार्टी के सदस्य इस ऐवान में करें लेकिन आप के कान उसको सुनने से रिफ्यूज (अस्वीकार) करना जानते हैं। जब यह सूरत है जैसा हुजूर बराबर देखते हैं तो जितनी तरमीमें भी इस तरफ से पेश की जाती हैं, और जो कुछ भी अर्ज मारूज इस तरफ से की जाती है वह क्राई इन विल्डरनेस (अरण्यरोदन) है। मैं तो यही सोचा करता हूँ कि जनता का इतना रुपया, पब्लिक की इतनी कसीर रकम जो इस हाउस के मुनाकिद करने पर सर्फ होती है इस से क्या हासिल। अगर डिमो-क्रेसी (प्रजातन्त्र) के माने यही हैं और ब्रिटिश डिमोक्रेसी जिसकी आप नकल कर रहे हैं और वह ब्रिटिशर्स जिनके आप जांनशीं होकर यहाँ बैठे हैं अगर उनकी

डिमोक्रेसी का यही मंशा है तो उसको तो सलाम है। इस तरीकेकार को तो दूर से सलाम है जिसमें लाखों रुपया जनता का सर्फ हो और नतीजा कुछ न हो। आपने न सिर्फ इन तमाम चीजों पर बहस की, आपने न सिर्फ अपना वक्त सर्फ कर दिया लेकिन इस हाउस का बिला वजह बहुत सा वक्त सर्फ कर दिया। अगर आप को पास ही करना था तो जैसा मेरे बहुत से दोस्तों ने पहले कहा था कि इस बिल को आर्डिनेंस के जरिये से करते तो ऐसा नहीं होता। आप कहते कि हम बरसरे हुकूमत हैं और इसे आर्डिनेंस के जरिये से करेंगे क्योंकि बिल वगैरह लाने में जनता का रुपया सर्फ होगा। आर्डिनेंस एक मिनट का काम है और इस तरह से कानून पास हो जाता। लेकिन यह जो तरीकेकार है जिसमें लाखों रुपया सर्फ किया जा रहा है यह मैं समझने से कासिर हूँ।

उपाध्यक्ष—आप के दो मिनट रह गये हैं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ—जनाब वाला के हुक्म की तामील में कुछ ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता। मैं अपने खयालात को अभी खत्म कर दूँगा। अब कहते हैं ११ गुना लेंगे। फिर कहते ११ गुना नहीं, १२ गुना लेंगे। यह क्या बनिए की दूकान खोल रखी है ११ गुना नहीं १२ गुना लेंगे। इस तरह का कानून बनाया जा रहा है। वह गरीब क्या करे जिसने अपने तमाम जेवर और जायदाद गिरों रखकर रुपया दिया। जिस वक्त सुनेगा कि हमारी सरकार ने यह इंस्टालमेंट (किस्तों) का तरीका निकाल दिया है अपना सर न पीट लेगा। अब एक नयी चीज और देखी क्या कहें सिवाय इसके कि किसी हलवाई की दूकान पर खड़े हो कर कोई शख्स अपने बुजुर्गों को याद करने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा। जो रुपया इस धोखेबाजी के साथ तरह तरह के रंग बदल कर लिया जा रहा है इस काम के लिये, ऐसे मुनासिब और मुफीद काम के लिए जो ज्यादा काम करेगा उस शख्स को ५ लाख इनाम दिया जायगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। यह अर्ज करना तो बेकार है कि आप इसे मंजूर करेंगे।

श्री कमलापति तिवारी—उपाध्यक्ष जी, मुझे यह आशा न थी कि इस धारा के संबंध में जो विवाद यहाँ छिड़ेगा वह इतना मनोरंजक हो जायगा और इसीलिये मेरी यह कोई कल्पना भी न थी कि मैं इस विवाद में कोई भाग लूं। दुनिया में बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही हैं और मैंने देखा कि आज इस सभा भवन में भी एक अत्यंत आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व घटना घट गयी। हमारी तरफ एक कहावत कही जाती है लित्त और गिलेहरी का साथ कभी नहीं होता। लेकिन आज मैंने देखा कि ८ वीं आश्चर्यजनक घटना हो गयी। मैंने देखा कि लित्त और गिलेहरी का साथ हो गया। हमारे ज़मींदार भाइयों और समाजवादी भाइयों ने ऐसा विचित्र और अपवित्र सम्मिलन किया और ऐसा प्रबल वह था कि उसे देख कर मुझे वस्तुतः बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उसे बताने के लिये खड़ा हुआ

[श्री कमलापति तिवारी]

हूँ। राजाराम जी ने इस अपवित्र सम्मिलन को आज भांपा और चेष्टा इस बात की कि भाई इसको तोड़ो और गले के इस भूत को निकाल कर फेंको जो जबरदस्ती गले में चिपटे जा रहा है।

जब हमारे लायक दोस्त रोशन जमां खां साहब ने अपनी तकरीर की तो उस तकरीर के बाद जमींदार भाई चौंके और जमींदारों के नये नेता, जिनका प्रवेश भवन में अभी हुआ है, श्री गुरुनारायण जी, ने समाजवादियों से अपना नाता जोड़ने की चेष्टा की। इसके बाद बावजूद इसके कि हमारे भाई राजाराम जी ने उस गठबंधन को काटने की कोशिश की और जमींदारों को खूब सुनाया ताकि किसी तरह से उनका गला छोड़ दें, उनकी जान छोड़ दें, फिर भी नवाब साहब उनसे चिपके रहे और बड़े जोर से चिपके। इससे जरा खतरा हो गया, कहां उनका डीलडौल और कहां राजाराम जी का डीलडौल। अगर मुझसे चिपकते तो बर्दाश्त कर सकता था लेकिन उनकी, बेचारे गरीब मजदूरों में काम करने वाले की, क्या हालत होगी, यह देखकर परेशानी हुई, इसलिये मैं अपने दोस्त की कुछ मदद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है, हमारे समाजवादियों का जो विरोध है वह कोई नया विरोध नहीं है। आरंभ से जबसे यह बिल पेश हुआ है और जबसे यह मसला हमारे प्रदेश की जनता के संमुख आया है तबसे बराबर एक निश्चित दृष्टिकोण और सिद्धांत के आधार पर वे उस व्यवस्था और योजना का, जिसका परिचालन हम करने जा रहे हैं, विरोध करते रहे हैं और जैसा कि राजाराम जी ने स्वीकार किया है हम उनके इस विरोध को समझते हुये भी उनके मत को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि हममें और उनमें मौलिक मतभेद है, दृष्टिकोण का अंतर है। राजाराम जी यह समझते हैं और समाजवादी पार्टी यह समझती है कि हमारे इस प्रदेश में जो भूमि-व्यवस्था लागू की जाय वह भूमि-व्यवस्था ऐसी हो जिसका राष्ट्रीयकरण हो और भूमि राष्ट्र की होने के बाद पुनर्वितरित की जाय और उनकी धारणा यह भी है कि भूमि का वितरण इस प्रकार किया जाय कि कोई वर्ग न रहे और किसान जमींन के ऊपर मजदूरों की तरह से काम करें और जमींन सरकार की हो जाय। साथ साथ उनका यह भी सिद्धांत है कि जमींदारों को एक पैसा भी मुआविजा देने की जरूरत नहीं है, जो कुछ जमींदार पा चुके हैं पा चुके और जिस सम्पत्ति पर वह अपना अधिकार समझते हैं वास्तव में उस सम्पत्ति पर उनका अधिकार नैतिक दृष्टि से अनुचित रहा है, इसलिये एक पैसा भी मुआविजा न दिया जाय। उनके और हम लोगों के दृष्टिकोण में सिद्धांत का फेर है। हम यह नहीं स्वीकार करते कि इस प्रदेश की सारी जमीन सरकार के कब्जे में कर देना किसान के लिये लाभप्रद है। हमारा दृष्टिकोण यह है, हमने सदा कांग्रेस के सभा मंचों से यह नारा उठाया है कि भूमि का स्वामी किसान हो। हमको ऐसा लगता है कि भूमि का स्वामित्व किसानों के ही हाथ में सहस्त्रों वर्षों से रहा है। राजाराम

श्री ने कहा कि अगर हम इतिहास के पन्नों को उलटें तो उसमें ऐसा समय है जब पंचायतें भूमि की स्वामी रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें उनको थोड़ी सी भ्रान्ति है। हमारे देश में जो पंचायतें रही हैं वे भूमि स्वामियों की पंचायतें रही हैं। और हमारे देश की स्मृतियों में देखें तो, उपनिषदों में देखें तो, अपने यहां के पुराणों में देखें तो जितनी कथायें और सिद्धान्त मिलते हैं उनमें सदा यही विश्वास किया गया है और इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि भूमि का स्वामी किसान है, जो जमीन को जोतता बोता है वह भूमि का स्वामी है। भूमि का स्वामित्व काश्तकार के हाथ में अगर आप इतिहास देखें तो मालूम होगा कि मुगलों के अंतिम काल तक रहा है। उस समय तक रहा जब कि अंग्रेजों का यहां पदार्पण हुआ। अंग्रेजों ने जैसे सब चीजों को लूटा उसी तरह से किसानों के स्वामित्व को भी लूट लिया। हम हमेशा कांग्रेस के मंच से कहते आये हैं कि भूमि का स्वामी किसान है। हमारी दृष्टि में राज्य द्वारा भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाना और उसको वितरित करके किसानों को मजदूरों की तरह काम करने के लिये बाध्य करना और उसकी सारी उपज को सरकार के हाथ में ले लेना ऐसी भयावनी विभीषिका है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सारी व्यवस्था सरकार के केन्द्रीयकरण की ओर जाती है। हमारी दृष्टि में केन्द्रीयकरण सब से बड़ा अभिशाप है जिसकी चक्की के नीचे संसार की जनता पिस रही है। आप केन्द्रीयकरण के पक्षपाती हैं, हम नहीं हैं। हम ऐसी व्यवस्था के पक्षपाती हैं जिस में विकेन्द्रीयकरण है, वह पूंजी का हो, उत्पादन का हो, शासन सत्ता का हो और शक्ति का हो और उसके नीचे जन समाज इस प्रकार से प्रस्फुटित हो कि वास्तविक अधिकार उसके हाथ में हों और लोकतंत्र कम से कम हस्तक्षेप कर सके। यह हमारी कल्पना है। यही गांधी जी की सिखाई हुई आर्थिक प्रणाली है या गांधीवाद हमें इस तरफ ले जाता रहा है। आज भूमि की व्यवस्था के संबंध में हम ऐसा करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं क्योंकि हमारी नीति ही ऐसी है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर आगे समाजवाद की ओर से एक तर्क यह दिया गया कि भूमि प्रकृति की देन है। संसार में सब कुछ ही प्रकृति की देन है कहां तक सबका राष्ट्रीयकरण करें। हमारी आपकी बीबी भी प्रकृति की देन है, हमारे आपके बेटे भी प्रकृति की देन हैं। इस संसार में जो कुछ है वह सब प्रकृति की ही देन है। तर्क यह है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया हो। रूस का इतिहास भी हमारे आपके सामने है। हमारे सारे जीवन का इतिहास और प्रांत की धारा दूसरी दिशा की ओर गई है। वह दिशा वही है जिसकी ओर हम संकेत करते हैं। इसमें आज भूमि के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई स्थान नहीं है। जहां तक भूमि का संबंध है। रूस में आपने क्या किया? कहने को कह दिया कि रूस में किया, चीन में किया। लेकिन आपने ही कहा कि चीन के चांगकाईशेक को

[श्री कमलापति तिवारी]

निकाल कर फेंक दिया गया। अगर हमारे नेता अदूरदर्शी होंगे, समय के प्रवाह को न समझेंगे और जनता की आकांक्षा और आवश्यकता को न समझेंगे तो इस प्रकार का अविवेकपूर्ण विस्फोट हो सकता है जिसमें सब के सब भस्म हो जायं। आप यह कहें कि जो कुछ वहां हुआ है वह भी इस देश में होनेवाला है तो यह ठीक नहीं है।

आप कहते हैं कि समाजवाद यहाँ आयेगा, हम भी कहते हैं कि आ सकता है। समाज का प्रवाह और काल का प्रवाह ऐसी परिस्थिति ला सकता है कि कोई भी नई व्यवस्था उदय हो। सम्भव है दस वर्षों में वही व्यवस्था आजाय जिसकी ओर आप संकेत करते हैं। हम तो मानते हैं कि जीवन का इतिहास विकासशील है। आप जो कहते हैं कि दस वर्षों के बाद समाजवाद आजायेगा तो हमें क्या डर है। हम भी कहते हैं कि आप यह न समझें कि समाजवाद का आना ही अनिवार्य है। पूंजीवादी गढ़ क्यों नहीं आ सकता है। सब से बड़ा पूंजीवादी गढ़ अमेरिका है। वहां आप हजार कोशिशों के बावजूद समाजवाद उत्पन्न नहीं कर सकते। वहां की समस्त व्यवस्था राष्ट्रीय और सामाजिक विशुद्ध पूंजीवाद पर आश्रित है। वहाँ क्यों नहीं समाजवाद की बातें करते? इतिहास तो अपने को दुहराता ही है। साथ ही हमारे दोस्तों को यह भी प्रतीत होता है कि वे अपने में नितान्त पूर्ण हैं। जिस परिस्थिति में वे आज हैं उसी में सदा रहेंगे। जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें यदि मैं यह कहूँ कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कि आपकी यह दृष्टि इस देश में प्रतिक्रियावादियों को सहायता पहुँचा रही है। कभी कभी बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ कर बड़े बड़े रिवोल्यूशंस की बातें करना काउन्टर रिवोल्यूशंस (प्रतिक्रांति) को जन्म देता है। आपका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो कार्यविधि है वह प्रतिगामी शक्तियों का समर्थन कर रही है, उन्हें बल प्रदान कर रही हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि जमींदार आपके साथ चिपके चले आ रहे हैं। आपने रूस के नेताओं का जो समाजवाद के बड़े स्तम्भ माने जाते हैं, जिक्र किया। वहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग (सामूहिक कृषि) हुई, भूमि का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक बड़ी भारी कृषकों की हड़ताल हुई, अन्न की फसल रुकी, लाखों की तादाद में पशुओं का संहार किया गया, करोड़ों आदमी मारे गये। इतना बड़ा प्रयोग करने के बाद, इतने बड़े रक्त में आव्हाहन करने के बाद स्टेलिन साहब को यह सूझ आई कि ग़लती हुई और उन्होंने फ़रमाया कि धीरे चलो। आज से १५०,२०० वर्ष पूर्व का समय अत्यन्त घृणित, दकियानूसी, निर्जीव और सामन्तवादी प्रथा का समय रहा है जिसके नीचे जो लोग पिस रहे थे उनको हमने उभारना चाहा। हमें कोई जमींदारों से विरोध नहीं है, उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है और न उसके प्रति कोई प्रतिशोध की भावना ही है। हम जमींदारी केवल इसीलिए मिटाना चाहते हैं कि

वह आज कल की समाज व्यवस्था में फिट नहीं बैठती। इसी प्रकार सामन्तवादी प्रथा के लिए भी अब कोई स्तम्भ शेष नहीं रह गया है। साथ ही साथ हम किसानों को समानता देना चाहते हैं जिन्होंने उसे खो दिया था और काम करके भूखों मरना ही मानों अपने जीवन का लक्ष समझा था, उसको ऊँचा उठाकर उसकी कमाई का फल भोगने देना और समानत्व का पूरा अधिकार उसे देना हमने विचारा है। हम उसे फिर मजदूर बनाकर दुर्दशा में नहीं डालना चाहते हैं जिसके कारण से समाज-व्यवस्था उलटने की आवश्यता हो सकती है। इस दृष्टि से आज आपका विरोध प्रतिक्रियावादियों को समर्थन करता है। आप यह सोचें कि आपका यह विरोध आपकी दृष्टि से अनुचित तो नहीं हो सकता है। राजाराम जी समाजवाद की बहुत बातें करते हैं, दुनियाँ की समाजवादी पार्टियों को देखिये, सदा उनका अतिरंजित बयान वामपक्षियों को, रिऐक्शनरीज़ (प्रतिक्रियावादियों) को शक्ति प्रदान करता रहा है उत्तेजना प्रदान करता रहा है। सन् १९१८ ई० के बाद १९३८ ई० में जब तक कि दूसरा महायुद्ध न छिड़ा उसके बीच में लैफ्टिस्ट मूवमेंटस् (वामपक्षियों के आन्दोलन) जितने हुये उनका पर्यालोचन करके आप देखें तो इस प्रकार का अतिवाद सदा रिऐक्शनरीज़ को बढ़ावा देता रहा है ऐसा ज्ञात होगा। समय आयेगा जब हमारा किसान अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करेगा। हमने किसानों का प्रतिनिधित्व किया है, किसानों के वोट हमने पाये हैं। मैं तो कहता हूं कि आप किसानों से फैसला करा लीजिये, वे आपको यह स्पष्ट रूप से बता देंगे कि वे भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं या नहीं।

इसमें आपने यह कहा कि यह खतरा हो सकता है कि जमींदारी पनपती रहे। यह खतरा हो सकता है परन्तु उसकी सीमा को बन्द करने की चेष्टा इस बिल में की गई है। एक व्यक्तिगत सम्पत्ति तभी आपत्तिजनक होती है जब वह शोषण का कारण हो सके। यदि वह शोषण का कारण नहीं हो सकती तो हम उससे बच सकते हैं और वह व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वीकार की जा सकती है। हमने इसमें सब लेटिंग (शिकमी) को कोई राइट (अधिकार) नहीं दिया है। जमींदार सब लेटिंग करके दूसरे की कमाई का भोजन किया करते थे लेकिन इस भूमि-व्यवस्था बिल में सब लेटिंग की व्यवस्था नहीं है। इसमें वह व्यवस्था की गई है जिसमें किसान अपने हाथ से मेहनत कर सके और अपनी कमाई का उप-भोग कर सके। दूसरों का शोषण करने का जिससे प्रोत्साहन मिलता है उस व्यवस्था को इसमें रोका गया है। इसकी हमने इस में व्यवस्था की है। यह एक ऐसी योजना है कि जो आज की परिस्थिति के अनुकूल है और हमारे समाज के अन्दर एक क्रान्ति करने जा रही है। कम से कम हजारों वर्ष की बनी बनाई व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक उठाने जा रही है। जो इतिहास की बातें होती हैं वह अपनी सारी विचारधारा उसी पर प्रतिष्ठित करती हैं कि कहीं कोई प्रतिक्रियावादिता का समर्थन तो नहीं कर रहा है।

[श्री कमलापति तिवारी]

जहाँ तक इन जमीदारों का ताल्लुक है उसको मैं दो मिनट में निवेदन करना चाहता हूं, यह तबका तो ऐसा ही है कि जो कभी किसी का अहसानमन्द नहीं हुआ। यहाँ के जिन किसानों ने हजारों वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई खिला खिलाकर इनको मोटा किया। जिन किसानों ने जमींदारों के गदहे, घोड़े और आपके तबले वालों और सारंगी वालों को और आपके मुसाहिबों को मोटा किया उन्हीं किसानों को आपने जन्म भर सताया तो फिर आप सरकार के अहसानमन्द कैसे हो सकते हैं ? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो आप इनको मुआविजा देने जा रहे हैं वह आपको क्या कहते फिरते हैं। चोर कहते हैं, लुटेरे कहते हैं और डाकू कहते हैं। मुझे एक पुरानी कथा याद आ गई कि एक समय एक ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहे थे गंगा में एक बिच्छू बहा चला जा रहा था तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि इस बिच्छू को पकड़ लूं नहीं तो यह मर जायगा। तो उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया और बाहर निकलते ही उस बिच्छू ने उस ब्राह्मण को डंक मारा। इस वास्ते हमारी सरकार चाहे जितनी मेहनत इनके लिये करे पर ये कभी अहसान-मन्द होने वाले नहीं हैं। तबले, सारंगी वालों को मिलाकर एक करोड़ का यह तबका जो इतने दिनों तक मोटा किया गया अब उसका कहीं मोटापन न घट जाय इस वास्ते इस मुआविजे का प्रबन्ध किया गया है जिसकी बाबत हमारे गुरुनारायण जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति के अनुसार पूरा मुआविजा मिलना चाहिये। हमारी संस्कृति पुरानी यह है:—

"तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्"।

सारी भूमि भगवान की है। उससे जो कुछ अपनी आवश्यकता के लिये मिल गया प्राप्त कर लिया। लेकिन आप जो हथियाना, मोटराना और तरह तरह का नजराना लिया करते थे उसको अब हमें इन सब मुसीबतों से बचाना चाहते हैं। हम उनको उनकी भूमि का स्वामी बनाने जा रहे हैं। परन्तु आपकी बुद्धि तो इस समय विपरीत है "विनाशकाले विपरीत बुद्धिः"। इनकी सहायता हमारी सरकार कहाँ तक कर सकती है इस बात को सरकार स्वयं विचार ले।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी कमला-पति जी ने इस धारा के सिलसिले में कुछ तो समाजवाद पर लेक्चर दे डाला और कुछ जमींदारों के ऊपर कहा और कुछ नेशनल और इण्टरनेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) बातें भी बतायीं लेकिन जो कुछ भी इस धारा से ताल्लुक रखता था उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ मैं समझ सका यह जरूर उस का तत्व है कि उन्होंने यह कहा कि वह बात जो किसानों के सुख की है हमें करना है और इस धारा को इसी नुक्तेनजर से देखना चाहिये कि आया वाकई में इस धारा में किसानों को सुख मिला है या नहीं मिला है मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम को इसी नुक्तेनजर से देखना है।

जनाब वाला, सरकार ने जिस वक्त यह स्कीम पेश की थी मेरी राय उस वक्त भी थी और मैंने साफ तरीके से यह कहा था कि जो आप ने जमींदारी का मुआविजा देना तय किया है और किसानों से रुपया लेकर जो यह मुआवजा देना तय किया है यह स्कीम सही नहीं है और आप का खयाल गलत है कि किसानों के पास इस कदर रुपया है कि उनसे १८० करोड़ रुपया लेकर जमींदारों को दिया जा सके और वह स्कीम प्रैक्टीकेबिल नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि यह स्कीम कागज के ऊपर देखने में बहुत ही सुन्दर मालूम होती है और बहुत ही अच्छी मालूम होती है लेकिन जिस वक्त आप इसको अमलदरामद में लावेंगे उस वक्त आप इस बात को देखेंगे कि किसान इतना रुपया अदा नहीं कर सकते। भाई कमलापति जी को मालूम है क्योंकि वह हमारी बात को नहीं मानते थे कि यह स्कीम कामयाब नहीं होगी। मैंने उनसे ५ महीने पहले ही कहा था कि यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि मैं समझता था कि किसान के पास रुपया नहीं है। यह बात साबित हो गई कि किसान के पास १८० करोड़ रुपया अदा करने के लिए नहीं हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात बिलकुल सही निकली और जो कुछ मैं ने कहा था वह आज एक एक लफ्ज सही साबित हुआ। सरकार ने कुछ पहले कहा था कि हम ३ महीने के अन्दर १८० करोड़ रुपया जमा कर लेंगे। उसके बाद ६ महीने का वक्त दिया गया, जून तक का वक्त दिया गया और आज तक कुल १९ करोड़ रुपया जमा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें पांच या ६ करोड़ रुपया तो ऐसा होगा जो डिसप्यूटेड खाते वालों का है और एक दो करोड़ खर्च भी हो चुका होगा, नतीजा यह है कि आपने जो कुल अब तक जमा किया है वह मुश्किल से १२ या १३ करोड़ आकर बैठेगा, मुमकिन है इससे भी कम हो। आप सोचिए कि इस १२ या १३ करोड़ से आप कैसे जमींदारों को मुआविजा दे सकते हैं और फिर इस के साथ साथ जब आप इस बात पर गौर करें कि यह रुपया आपने किस तरीके से जमा किया है, यों कहना तो आसान है कि बड़ी खुशी से किसानों ने आकर दिया है। अगर्चे वह इतने ही उत्सुक थे और उनको इतना ही जोश था तो सिर्फ इतना ही रुपया क्यों आया। यह भी आपको मानना पड़ेगा कि तमाम जिलों में कार्यकर्ताओं से पूछिए कि कितनी जबरदस्ती और बदउनवानियां हुई हैं और इसके सबूत में मैं कहूंगा कि आज सरकारी नौकरों को आप २ लाख का इनाम बांटते हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया है। क्यों साहब जब आप उनको तनख्वाह देते हैं और वह अपना फर्ज अदा करते हैं तो उनको इनाम की क्या जरूरत? जिन्होंने अपने फर्ज मन्सबी से बढ़कर काम किया है उन को सरकार इनाम देकर प्रोत्साहन देती है ताकि वह आइन्दा इससे और आगे बढ़कर काम करें, जनाब वाला, मैं यह कहना चाहता हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि आप की यह स्कीम फेल हो गई अब आप को इस बात को मान लेना चाहिए लेकिन वाकयात को देखकर भी आज भी आप की आंखें नहीं खुलती हैं।

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

अब आप यह कहते हैं कि जो ११ गुना और १२ गुना देगा उसको हम भूमिधर बनायेंगे और किस्तों में लेंगे। इस तरह की स्कीम हमेशा के लिये नहीं चल सकती और अगर हमेशा के लिये इस तरह की स्कीम आप चलायेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसान को बडी हानि पहुँचायेंगे। जितना रुपया आपने किसान से वसूल किया है, बहुत ज्यादा है और अब अगर और रुपया आप उससे लेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने सूबे की आर्थिक हालत को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। आपने कोई तस्वीर भी बनायी है या यों ही फैसला कर दिया कि हम चार वर्ष के अन्दर १८० करोड़ रुपया किसानों से ले लेंगे और जमींदार को दे देंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि इस बात को आप सोच लीजिये और समझ लीजिये कि यह चीज अब चल नहीं सकती है। जब उन्होंने दस गुना नहीं दिया तो ११ गुना और १२ गुना नहीं देंगे। यह दूसरी बात है कि आपकी हुकुमत है, आप इसको जारी रक्खें, जितना वसूल कर सकें करें, लेकिन आप देहात की आर्थिक हालत को बिल्कुल नष्ट और खराब कर देंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह चीज वोट लेने के वक्त में आपके खिलाफ जायगी। मैं तो वोट लेने की बात सोचता भी नहीं हूं कि वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वोट तो कांग्रेस को अभी दो, चार वर्ष तो मिलेंगे ही। उसने इतनी कुर्बानी की है और आज भी आप वोट मांगते हैं सरदार पटेल और जवाहर लाल जी ऐसे महापुरुषों के नाम पर। इन महापुरुषों के कारनामे आज इतने उज्वल हैं कि जनता उनके नाम पर हर काम कर सकती है। जनता आपको वोट देगी इससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जायं। मैं कहता हूँ कि अभी दो, चार इलेक्शन्स में कांग्रेस की जीत होगी। इसीलिये यह कहता हूं कि आपको कोई दूसरी स्कीम निश्चय ही बनानी पड़ेगी और अगर नहीं बनायेंगे तो आपको इस में तरमीम लानी पड़ेगी। आप इसको पास करा लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यह रुपया किसान से वसूल नहीं कर सकते हैं और अगर्चे वसूल भी करेंगे तो आप किसान की रीढ़ को तोड़ देंगे। आप यहां के किसानों को सदियों के लिये बेकार कर देंगे। अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो मैं आपसे क्या कहूं। इसलिये जनाबवाला, मैं साफ तरीके से यह कह देना चाहता हूं कि यह भूमिधरी का मामला बिल्कुल नाकामयाब हुआ। इस को आप खत्म कीजिये। आप कोई दूसरा तरीका सोचिये कि जिस तरीके से जमींदारों का मुआविजा देना है। अगर आप कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालते तो आप उनका मुआविजा कम कीजिये या न दीजिये या जो कुछ आप कीजिये, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं कि जमींदारी खत्म हो और जल्द से जल्द खत्म हो। जुलाई में खत्म होने वाली हो तो जून के आखिर में खत्म हो जाय। लेकिन खत्म होने के साथ साथ यह न कीजिये कि किसान की रीढ़ को तोड़ दीजिये। जैसा कि हमारे भाई कमलापति जी ने कहा कि हम किसान को खुश रखना चाहते हैं, तो मैं भाई कमलापति से कहूंगा कि वे अपने दिल से पूछें कि जो

मैं बात कह रहा हूं वह सही बात है या नहीं और जो स्कीम है उसको वे भी गलत समझते हैं या नहीं उनकी जो उम्मीदें इस स्कीम से थीं वे गलत साबित हुईं या नहीं। वे भी मानते हैं कि जो मेरा कहना था वह अक्षरशः सही निकला। जब आप हज़रात इन सब बातों को मानते हैं तो फिर हिचक क्या है? जहाँ जमींदारी खत्म होती है वहाँ ऐसा काम कीजिये जिससे एक स्कीम साफ़ तरीक़े से सामने आ जाय।

माननीय श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा १३० इस विधेयक में रखी जाय या न रखी जाय, इस पर आम बहस सारे दिन हुई। बड़ी बड़ी पुरानी तोपें दगीं, इसमें ज़रा भी शक नहीं। चारों तरफ से इस धारा को बम्बार्ड करने की कोशिश की गई। मैं तो यह समझता था कि बहसें इस ग़रज़ से की जाती हैं कि जो शख्स इस धारा को इस विधेयक का जुज़ रखना चाहता है वह मुतमइयन हो जाय कि यह धारा बिल्कुल निरर्थक और बेकार सी है ताकि वह फ़ौरन राजी हो जाय कि इस धारा को इस बिल से निकलवाने के प्रस्ताव की ताईद करे। ऐसा इतमीनान दिलाने के लिये ज़रूरत इस बात की थी कि इस धारा के मुताल्लिक़ और इसकी बेकारी के मुताल्लिक़ सभी बातें कही जातीं।

इस धारा में यह कहा गया है कि तीन क्लासेज़ के टन्योरहोल्डर्स (खातेदार) होंगे, एक तो भूमिधर, दूसरे सीरदार और तीसरे असामी। इस बात की कोशिश होनी चाहिये थी कि ये जो तीन क्लासेज़ रखी गई हैं ये बेकार हैं और इनके रखे बगैर काम हो सकता है और एक ही क्लास रखने से पूरा काम बन सकता है। बजाय इसके मैंने देखा कि लोगों ने अपना अपना निशाना अलहदा अलहदा रखा। किसी ने जेड० ए० एफ़० (ज़मींदारी उन्मूलन निधि) की नाकामयाबी को लिया, जैसा कि अभी आखिर में हमारे मित्र पालन जी ने अपनी सारी तक़रीर उसकी कामयाबी या नाकामयाबी पर सर्फ की। शायद वह इस भ्रम में थे कि धारा १३० पर, जिसमें कि दसगुना लेने की व्यवस्था की गई है, बहस हो रही है। जेड० ए० एफ़० की स्कीम की बुनियाद धारा १४० है। उसके पेश होने पर अगर ऐसी बात कही जाती तो वह रैलेवैंट (सम्बद्ध) हो सकती थी लेकिन यहाँ इस वक्त सवाल तो यह दर-पेश है कि भूमिधर, सीरदार और असामी ये तीन तरह के काश्तकार होने चाहियें या नहीं होने चाहियें। यहां बहस इस बात की नहीं है कि हमारी जेड० ए० एफ़० स्कीम फेल हुई या कामयाब हुई। यह ग़लती पालनजी ने ही नहीं की बल्कि मैंने देखा कि बड़े बड़े लीडरान ने भी यह ग़लती की। हमारे लायक दोस्त नवाब जमशेदअलीख़ाँ साहब ने भी तक़रीर करने में बड़ी बड़ी कसरतें दौड़ाई, गले को भी पूरी कसरत पहुँचाई और सारे जिस्म को पूरी कसरत पहुँचाई। मैं दूर बैठा हूं मगर शायद वह पसीने से भी तर होगये हों, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। उन्होंने भी अपनी तक़रीर का निचोड़ यही निकाला कि जेड० ए० एफ़० फेल हो गई। रेवेन्यू मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिये क्योंकि उनकी स्कीम नाकामयाब हुई और उनको अब इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे इस्तीफ़ा दे देने में कभी ताम्मुल

[माननीय श्री हुकुमसिंह]
नहीं लेकिन वह तभी जबकि राइट क्वार्टर्स (ठीक स्थान) से यह डिमांड (मांग) हो। नवाब जमशेदअलीख़ाँ साहब को मुझसे इस्तीफ़ा मांगने का कोई हक़ नहीं है। जनता का हक़ है जिसकी नुमाइन्दगी हासिल करके हम यहां आये हैं और जिस वक़्त वह मुझसे कहेगी उस वक़्त एक मिनट का भी इस्तीफ़ा देने में ताम्मुल नहीं करूंगा। ऐसा जोर दिखलाना, ऐसी बातों का कहना जो बिल्कुल बेमौक़ा और बेमहल हैं और ऐसी बात का तलबगार होना जिसका उन्हें कोई हक़ नहीं है, यह उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। अव्वल तो मैं यह अर्ज करूंगा, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि यह बिलकुल बेमौका और बेमहल बात है। अगर मैं इस्तीफ़ा दे भी दूं, तो मेरे लायक मित्र को मालूम होना चाहिये कि मेरी जगह खाली नहीं रहेगी। हमारा भाई कोई और आयेगा और इस जमींदारी को वह भी खत्म करेगा जिस तरह से हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जाने के बाद जब दूसरे आयेंगे, तब हमारे दोस्त को पछताना पड़ेगा कि बुरा हुआ कि हुकुम सिंह चला गया। जमींदारी खत्म करना खाली हुकुम सिंह की जिम्मेदारी नहीं है। यह तो खत्म हो करके रहेगी और इसे खत्म होना है। जो आपकी कार्रवाइयाँ रही हैं और जिस कोताह अंदेशी से आप साहबान ने काम लिया है, उसी का यह नतीजा है कि जमींदारी खत्म होने जा रही है और खत्म हो करके रहेगी। मुझे केवल इतना कहना है कि मामला बड़ा सीधा है। किसी ने छोटे जमींदारों का नारा लगाया किसी ने कुछ नारा लगाया। बाकी साहब ने हस्ब दस्तूर कानून का नारा लगाया और नवाब जमशेद अली साहब ने अपना ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से जाहिर किया। यह क्या मेल है? एक अनमेल मेल मुझे दिखाई देता है। रोशन जमां साहब से मेल मिलाते तो मिल भी सकता था लेकिन ऊँट के साथ बकरी का मेल कैसे हो सकता है? क्या कदो कामत आप का है और क्या कदो कामत शास्त्री जी का है? यह मेल बिलकुल अनमेल मेल है। यह मेल मैंने बुलन्द शहर में देखा। वहां जमीदार और समाजवादियों का मेल मैंने अपनी आँख से देखा। मेरे दिल में वहां बदगुमानियां पैदा हुई और वह आज यहां कन्फर्म (पुष्ट) हुई। यह समाजवादी इस किमास के समाजवादी हैं जो जमींदारों से मिल सकते हैं। यह मेरा खयाल था और वह आज पक्का हुआ है।

आप फरमाते हैं कि यह धारा निकाल दी जाय। क्यों निकाल दी जाय? उनका उसूल है कि किसानों का अपनी जमीन में हक़्क़े मिलकियत न हो। जैसा हमारे भाई कमलापति जी ने साफ साफ कहा है कि हमारे और सोशलिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण में फर्क है। हमारे और उनके सिद्धांत में फर्क है, लिहाजा सिद्धांतों में फर्क होते हुये जब तक हम अपने सिद्धांत पर कायम हैं हम समाजवादियों की बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं और फिर किस की बात मानें। रोशन जमां साहब की, जिनका कुछ पता नहीं कि कब तक समाजवादी रहेंगे। एक मुस्तकिल क्वार्टर से अगर कोई बात आये तो उसपर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। जो क्वार्टर वक्तन फवक्तन

बदलते रहें उनकी बात को मान करके मैं अपने को झगड़े में डालूं, मैं ऐसी कोताह-अंदेशी से काम नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है और बड़ा अटल सिद्धांत है। बहुत सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने यह सिद्धांत कायम किया है। इतिहास से और पुराणों से इसकी ताईद होती है कि जो खेत जोतता है वह उसका मालिक होता है। लिहाज़ा इसी सिद्धांत पर यह व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है कि जो टिलर आफ दी सौयल (ज़मीन जोतने वाला) होगा वही उसका मालिक होगा, राज्य सरकार उसकी मालिक नहीं होगी। हमारे और आपके दृष्टिकोण में यही फर्क है। लिहाज़ा आप भले ही मुखालिफत करें लेकिन उस मुखालिफत का असर यह कभी नहीं हो सकता है कि कांग्रेस अपना पुराना सिद्धांत छोड़ करके आप की तरह अपना रंग बदल करके दूसरे सिद्धातों को कुबूल कर टू नेशन थ्योरी (दो जातियों वाले सिद्धांत) को छोड़ करके क्लासलेस सोसायटी (वर्ग विहीन समाज) के सिद्धांत को हम मानें यह कांग्रेस का शेवा नहीं है। कांग्रेस ने जो तय कर रखा है वह बदस्तूर उसी पर कायम है और आखिर दम तक उस पर कायम रहेगी। इस सिलसिले में बड़ी बड़ी बातें कही गयीं और असंगत बातें कही गयी, उनका हवाला दे करके मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता।

मैं तो केवल मतलब की बात कहूँगा जिसका सीधा सीधा ताल्लुक धारा १३० से है। हमारे मित्र गुरुनारायण जी ने छोटे जमींदारों के लिये बड़े नारे लगाये और उस तरफ के और भाइयों ने भी छोटे जमींदारों के साथ बड़ी हमदर्दी दिखलाई। उनके सिवाय उनका बिहीख्वाह और कोई शख्स दुनिया में हो नहीं सकता। मैं जरा पूछना चाहता हूँ अपने मित्र गुरुनारायण साहब से कि क्या ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन में पाँच हजार से कम के मालगुजार जमींदारों को उसमें मेम्बर होने का हक है। मैं नवाब जमशेद अली खाँ साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आगरा जमींदार असोसिएशन में पाँच हजार से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों को उसका मेम्बर होने का अधिकार है। जहां तक मैंने देखा है उन को आपने कभी अधिकार नहीं दिया है। छोटे जमींदारों को आपने पायरिया करार दिया। उनके साथ बैठना भी कुबूल नहीं किया। आज जब जमींदारी खत्म होने जा रही है तो आप उनके बड़े दुआगो और हमदर्द होने जा रहे हैं। यह बेमौके की शहनायी कभी सुहाती नहीं है। अगर आप उनके हमेशा से हमदर्द होते तो वह भी यकीन लाते। जब कि आपका नुकसान आज ज्यादा हो रहा है और उन छोटे जमींदारों का कतई नुकसान नहीं हो रहा है आप उनकी मदद को लेकर अपने हुकूक बचाना चहते हैं। वह समझते हैं और वह आपके साथ नहीं आएंगे। बड़ी ढोल पीटी कि कनवेंशन (सभा) होने जा रहा है। बड़ी बड़ी अपीलें छापीं। कितने आये, वह मैं जानता हूँ। वह तादाद किसी से छिपी नहीं है। छोटे जमींदार कभी आपके साथ नहीं हैं। वह अपनी भलाई और बेहतरी समझते हैं। यह भी कहा गया कि इससे किसानों का कुछ भी लाभ नहीं। कहीं बाजारों में

[माननीय श्री हुकुमसिंह]

मीटिंगें हुई होंगी। जिन जिलों में और जिन मवाजियात में आपने मीटिंगें की वहां बन्दा भी गया और किसानों से पूछा। एक किसान भी नहीं मिला जो जमींदारी के खात्मे के खिलाफ हो। किसान वह किसान नहीं है जो अब समझता न हो। आपने पुश्तहापुश्त उनको धोखे में रखा। मैं फ्राड (धोखा) और डकैती के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आप लोगों को ही शोभा देता है। उनको आपने हमेशा गलत रास्ता बतलाया और नाजायज फायदा उठाया अब वह किसान नहीं है। वह अपने हुकूक को समझता है। वह समझता है कि हमारा इसमें फायदा है। लिहाजा इन सब बातों को कह कर दुहाई देना बिल्कुल गलत और नामुनासिब बात है। जहां तक इस धारा का ताल्लुक है तीन क्लासेज इसमें हैं। भूमिधर मुस्तकिल क्लास है। सीरदार अस्थायी क्लास है। उसको भूमिधर बनने का हक है। लिहाजा वह मुस्तकिल क्लास कहा जाय वह बिल्कुल गलत है। इसके साथ जो तीसरा क्लास है वह तो इनएविटेबिल (अनिवार्य) है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं धारा १३४ की तरफ माननीय सदस्यों और खास कर दोस्त रोशनजमां खाँ साहब और शास्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। धारा १३ जिस को सदन ने पास किया है उस में कुछ जमींदारों को अधिकार दिया गया है अपनी सीर की जमींन को काश्तकारों को देने के लिये। आप यह कहते है कि सिवाय भूमिधर के और कोई क्लास न हो, लेकिन चाहे किसान कहिये चाहे भूमिधर, बकौल रोशनजमां साहब के बात एक ही है। और आप लोगों ने इसकी मुखालिफत की इस से भी यही नतीजा बरामद होता है कि आप चाहते वही हैं जो रोशनजमां साहब कहते हैं। क्योंकि लीडर आफ डेमोक्रैटिक पार्टी (प्रजातन्त्र दल के नेता) ने सोशलिस्ट पार्टी की ताईद की और उन्होंने यह फरमाया कि इस तरह से एक क्लास रखो। मैं पूछता हूँ कि क्या हश्र होगा उन बेवाओंका, औरतों का, अपाहिजों का, लूलों का, लँगड़ों का जिनको कि आपने हक दिया है कि उनकी काश्तकारी मुस्तकिल काश्तकारी हो जायगी लेकिन हमेशा के लिये उनको अब उनकी आराजी से वंचित कर देना चाहते हैं। यह क्या अच्छी बात है कि आप एक बात एक जगह मंजूर करते हैं और दूसरी जगह उसी को खत्म करते हैं। दुनिया क्या कहेगी, अवाम क्या कहेंगे कि ऐसे दानिशमंद इस सदन के सदस्य हैं जो एक बात करके फिर दूसरी बात उसके विपरीत करने के लिये तैयार हो जाते हैं। बहुत सावधानी के साथ सोचिये कि हमने क्या किया है और आज हम क्या करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ यह बात पड़ती है या नहीं। धारा २१, २२ में अपने असामी और अधिवासी के सवाल को तय किया है। हम उन धाराओं को तय कर आये हैं। हमने सीरदार भी माना है, भूमिधर भी माना है। तो आपने तो इस उसूल को मान लिया है कि हमें यह क्लासेज रखने हैं। अब उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं है और ऐसा ऐटीटयूड ऐडाप्ट करते हैं (रीति अपनाते हैं) तो दुनियां के सामने रिडिक्यूल होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत सीधा सादा मामला है। मैं तफसील

में नहीं जाना चाहता। यह मेरा सब्र है जो सारे दिन यह सुनता रहा और पत्थर का कलेजा किये बैठा रहा और सख्त से सख्त बातें निहायत खन्दां पेशानी के साथ सुनी हैं। लोग भले ही मेरी दिलाजारी करें उनको इसका हक हो सकता है लेकिन मैं तो किसी की दिलआजारी कर नहीं सकता। इन्सानी हैसियत से भी, इंसाफन और इखलाकन भी मेरा यह शेवा नहीं है। यह सीधी सी दफा है क्योंकि असामी रखना निहायत जरूरी है। मान लीजिये कि स्कूल के लिये जमीन ली गई और किसी वजह से इमारत नहीं बन सकी और किसी को उठा दी गई तो वह उसकी हो गई अब स्कूल की इमारत कहां बनेगी, या अस्पताल के लिये जमीन ली गई, और थोड़ी देर के लिये जमीन किसी को जोतने के लिये उठा दी गई। अब जमीन चली गई तो फिर हुजूर को जमीन अस्पताल के लिये कहां मिलेगी। तांगिया सिस्टम का हुजूर मुलाहिजा फरमाइये। इसके अलावा बहुत असामी होंगे जो हीनहयाती काश्तकार होंगे जिनको गुजारे का हक है। यह हीनहयाती और गुजारा दोनों इनकंसिस्टेंट (परस्पर विरुद्ध) बातें पड़ती हैं। इसलिये यह जरूरी है और ऐसी बातें हैं जो अनऐवायडेबिल (अनिवार्य) हैं। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन (परिवर्तनशील कृषि) हैं जो आगरा टेनेंसी ऐक्ट में भी रखे गये हैं और जो अवध टेनेंसी ऐक्ट में रखा गया है जो बेड आफ दि रिवर्स (नदियों के खात) हैं जहां मुस्तकिल काश्तकारी नहीं हो सकती। लिहाजा ऐसी सूरत में आप क्या जब्र करने जा रहे हैं। जहां असामी के हक होंगे वहाँ असामी के हक देने पड़ेंगे और वह अनएवायडेबिल हैं लिहाजा यह क्लाज होगा ही। लिहाजा इस धारा को रखना आवश्यक है। इसलिये मैं इस सदन से नम्र निवेदन करूंगा कि इस धारा को स्वीकार कर ले।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)।

पक्ष में—४८

अल्फ्रेड धमदास, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशीराम, श्री
गिरधारीलाल, माननीय
चरण सिंह, श्री

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बदनसिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
भीम सेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम शंकर लाल, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लुत्फ़ अली खाँ, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सीताराम अष्ठाना, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में—१३

अब्दुल बाक़ी, श्री
अम्मार अहमद खाँ, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
एजाज़ रसूल, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
नवाजिश अली खाँ, श्री
प्रयागनारायण, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खाँ, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रोशन जमां खाँ, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
साजिद हुसैन, श्री

(इसके बाद सदन ११ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन प्रातःकाल ७ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
८ जून, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

नोटिस अच्छल्दा कोआपरेटिव फार्म

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अच्छल्दा (ग्वारी और रुरु खुर्द) में सरकार ने लगभग ५०० एकड़ जमीन सहकारी कृषि फार्म के लिये ली है और उसमें से लगभग ४०० एकड़ जमीन का जंगल साफ कर दिया है। यह जमीन सहकारी कृषि के लिये लगभग ४० परिवारों को सम्मिलित रूप में सरकार द्वारा नियत अवधि के लिये लगान पर दी जायगी। कोई नजराना नहीं लिया जायगा। सरकारी खर्च जो इस जमीन पर लगा है उसको वापिस देने पर उतना ही लगान कम कर दिया जावेगा। हरिजनों और शरणार्थियों (Refugees) को तरजीह दी जावेगी। खेती सहकारी रूप में करना आवश्यक होगा और सौ, सौ रुपये के कम से कम ५ हिस्से खरीदने होंगे। सहकारी समिति के नियम (By-Laws) हमारे या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के कार्यालय से मिल सकते हैं। सहकारी मेम्बरों को फार्म पर रहना होगा और अपने आप कृषि करनी होगी। मेम्बरों को समिति की ओर से परिश्रम के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा और पैदावार का मुनाफा परिश्रम के अनुसार बोनस के रूप में बाँटा जावेगा। मेम्बरों के पशुओं यानी बैल या भैंसों के कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जायेगा।

किराये पर ट्रैक्टर से जुताई करने, मकान बनाने के लिये कन्ट्रोल भाव पर सामान, बीज, खाद, विशेषज्ञों की सलाह इत्यादि अन्य आवश्यक सुविधायें देने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

जो सज्जन इस योजना में सम्मिलित होना चाहें वे २८ मई सन् १९५० ई० तक निम्नलिखित पते पर प्रार्थना पत्र भेजें और २९ मई सन् १९५० ई० को सबेरे ९ बजे अच्छल्दा फार्म पर चुनाव के लिये उपस्थित हों। चुनाव एक कमेटी द्वारा होगा और चुनाव के बाद हिस्से की पहली किस्त, यानी २५ रुपये फी हिस्सा (पाँच हिस्सों पर कम से कम १२५ रुपये) फौरन जमा करनी होगी। यह फार्म अच्छल्दा बिधूना सड़क पर सड़क से पच्छिम की ओर है। जो सज्जन इसको देखना चाहें चुनाव से पहले या चुनाव के दिन देख सकते हैं। अन्य आवश्यक जानकारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, इटावा से प्राप्त कीजिये।

जो लोग खेती का काम न करके कोई दस्तकारी (गृह उद्योग) चलाने के लिये समिति में शामिल होना चाहें, उनको कम से कम एक हिस्सा १०० रु० का खरीदना होगा। कृषि के कार्य में शामिल न होने से उनका भूमि में कोई अधिकार न होगा, किन्तु अन्य सब सुविधायें मिलेंगी।

डी० पी० सिंह,
आई० ए० एस०, अतिरिक्त जिलाधीश व
जिला विकास अफसर, इटावा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ जून, सन् १६५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में प्रातः काल ७ बजे आरम्भ हुई।

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३७)

अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद ख़ाँ, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम, श्री
इर्तिज़ा हुसेन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा ख़ाँ, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक़्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथदास, श्री

जगन प्रसाद रावत, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीन नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाज़िश अली खाँ, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागीलाल, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
महमूद अली खाँ, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खाँ, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद याक़ूब, श्री
मुहम्मद रज़ा खाँ, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री

रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खाँ, श्री
रोशन ज़मा खाँ, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लुत्फ़ अली खाँ, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सलीम हामिद खाँ, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खाँ, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

— :०: —

शुक्रवार, ६ जून, सन् १९५० ई०

— :०: —

तारांकित प्रश्न

— :०: —

हरदोई ज़िले में शक्कर के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति

*१—श्री जयराम वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत अक्तूबर, १९४९ में जब शक्कर पर कन्ट्रोल किया गया था, तब हरदोई ज़िले में शक्कर के वितरण के लिए किन-किन व्यक्तियों को थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता नियुक्त किया गया था ?

माननीय श्री चन्द्रभानुगुप्त (अन्न मन्त्री)—अक्टूबर १९४९ ई० में चीनी बेचने के लिए हरदोई ज़िले में कोई भी थोक विक्रेता नियुक्त नहीं किया गया था।

उस अवधि में नियुक्त किये गये फुटकर विक्रेताओं की एक सूची मेज़ पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर)

*२—श्री जयराम वर्मा (अनुपस्थित)—थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता किस नियम के आधार पर बनाये गये थे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनकी नियुक्ति का आधार यह रक्खा गया था कि वे भरोसे के आदमी हों और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। पुराने विक्रेताओं का भी ख्याल रक्खा गया था।

*३—श्री जयराम वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि शक्कर के पुराने काम करने वालों को थोक या फुटकर विक्रेता नहीं नियुक्त किया गया था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसी भी पुराने विक्रेता को थोक विक्रेता नियुक्त नहीं किया गया लेकिन फुटकर विक्रेता पुराने विक्रेताओं में से भी नियुक्त किये गये थे। यह चुनाव अस्थायी रूप से किया गया था।

*४—श्री जयराम वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उस समय प्रत्येक फुटकर व्यापारी को कितना कितना शक्कर का कोटा दिया गया था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक नक्शा मेज़ पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ.....पर)

*५—श्री जयराम वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि शक्कर के पुराने व्यापारियों ने शक्कर का काम नये आदमियों को देने के खिलाफ सरकार के पास शिकायत भेजी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिर्फ तीन विक्रेताओं ने यानी,

(१) मेसर्स श्री कृष्ण विशुनाथ, सण्डीला।

(२) श्री रामचरन, हरदोई और

(३) श्री लाल बिहारी गुप्ता, हरदोई ने शिकायतें भेजी थीं।

उन्होंने नये विक्रेता बढ़ाने का विरोध नहीं किया था, बल्कि यह दरख्वास्त दी थी कि उन्हें भी सूची में सम्मिलित कर लिया जाय।

*६—**श्री जयराम वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उसके बाद सभी नये आदमियों का नाम काट दिया गया और शक्कर के पुराने व्यापारियों को विक्रेता नियुक्त किया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। फुटकर और थोक विक्रेताओं की सूचियाँ संशोधित करते समय शरणार्थियों को छोड़ सभी नये विक्रेताओं के नाम उनमें से निकाल दिये गये।

*७-१२—**श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ शेरवानी**—[स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में मतदाता सूची की छपाई

*१३—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में (क) कुल कितने पन्ने मतदाताओं को सूची छापने के लिए थे ?

(ख) चुनाव आफिसर ने प्रेसों से छपाई के टेण्डर माँगने का कोई गश्ती पत्र भेजा था ? उसकी एक प्रति क्या सरकार भवन में रक्खेगी ?

(ग) छपाई के लिए किन किन प्रेसों से मशीनों की तादाद व किस्म सहित किन दरों पर टाइप व लेथो में, कितने कितने पन्ने रोज़ छापने के टेण्डर आये ?

(घ) किन दरों पर, किन प्रेसों को, कितने-कितने पन्ने छपाई के लिए, कब-कब दिये गये ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मन्त्री) (अनुपस्थित)—

(क) १०, ६४८।

(ख) जी हाँ, प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ······पर)

(ग) फर्रुखाबाद ज़िले के प्रेसों ने अपने टेण्डरों में १० रु० फी पन्ना टाइप और ८ रु० फी पन्ना लिथो की छपाई के दर दिये थे। प्रेसों के नाम, उनकी कुल मशीनों की संख्या, तथा उनके प्रतिदिन छपाई के पन्नों की रफ़्तार संलग्न सूची नं० १ में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ······पर)

(घ) सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा ८ रु० १४ आ० टाईप के लिये और ५ रु० १४ आ० लिथो के लिये, फी पन्ना जिसमें ५० मतदाताओं के नाम हों निर्धारित किये थे। प्रेसों ने और अधिक माँगा था किन्तु अन्त में सब प्रेस सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर छपाई करने पर तैयार हो गये और उनको काम उन्हीं रेट पर बाँट दिया गया। इस प्रश्न के बचे हुए उत्तर में सूची नं० २ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ······पर)

*१४—**श्री काली चरण टण्डन** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि बाद में ११ मार्च तक ही छपाई का कुल काम पूरा करने का सरकारी आदेश आया ? यदि

हाँ तो, यह सूचना ज़िला चुनाव आफिसर के दफ़्तर में कब पहुँची और छपाई करने वाले प्रेसों को किस-किस तारीख को, किस तरीके पर भेजी गयी ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (अनुपस्थित)—जी हाँ, यह सूचना जिला अफ़सर के दफ्तर में १५-१-५० को पहुँची थी। १७-३-५० को जिला चुनाव अफ़सर ने अपने दफ्तर में सभी प्रेसों के प्रतिनिधियों को यह सूचना ज़बानी दी थी। इसके अलावा कन्नौज के सावधान प्रेस को जिसका काम पिछड़ रहा था १५-३-५० और ३०-३-५० को स्मरण-पत्र भी भेजे गये।

*१५ **श्री काली चरण टण्डन** (अनुपस्थित)—अन्तिम तिथि की सूचना मिलने के बाद किन-किन प्रेसों को, कितने-कितने पत्रे, कब-कब दिये गये ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (अनुपस्थित)—इसके उत्तर में प्रश्न संख्या १३ (घ) के उत्तर में दी गई सूची नं० २ को देखिये।

लखनऊ-फ़ैज़ाबाद सड़क पर नाका सतरिख (बाराबंकी) के पास हस्तगत की हुई ज़मीन

*१६—**श्री जयराम वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि लखनऊ-फैज़ाबाद सड़क की अठारहवीं मील में नाका सतरिख (बाराबंकी) पर सड़क के दोनों तरफ पैंतीस पैंतीस फीट ज़मीन सड़क को चौड़ी करने के लिए सरकार ने मुआविज़ा देकर हस्तगत कर ली है ? यदि हां, तो कब ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)—जी हाँ, चूँकि ज़मीन का मुआविज़ा तय नहीं हुआ था, इस वजह से इस ज़मीन पर पी० डब्ल्यू० डी का बाजाब्ता कब्ज़ा ५ जनवरी, सन् १९४९ ई० को हुआ।

*१७—**श्री जयराम वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त हस्तगत की हुई ज़मीन में कई दुकानें थीं, जो अब भी क़ायम हैं यद्यपि उनका मुआविज़ा दे दिया गया है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी हाँ।

*१८—**श्री जयराम वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त दुकानों से अब तक कितना किराया वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—वह ज़मीन जिस पर दूकानें हैं अभी तक पी० डब्ल्यू० डी० के कब्ज़े में नहीं हैं, इस वजह से कोई किराया वसूल नहीं किया गया है।

माननीय मंत्रियों के हवाई जहाज़ द्वारा दौरों का व्यय

*१९—**श्री गोपाल नारायण सक्सेना**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आर्थिक वर्ष, सन् १९४७-४८, १९४८-४९ व १९४९-५० में माननीय मन्त्रियों ने जो हवाई जहाज़ से दौरा किया उस पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि यह व्यय किस शीर्षक से दिया जाता है ?

(ग) क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने कोई हवाई जहाज़ सरकारी आवश्यकता के लिए क्रय किया है ? यदि हाँ, तो उसमें कितना व्यय हुआ और वह व्यय किस शीर्षक से दिया गया ?

(घ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश फ्लाइंग क्लब को आर्थिक वर्ष, १९४६--४८, १९४८--४९ व १९४९--५० में कितने-कितने रुपये के अनुदान दिये गये ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा-सचिव)—(क) जो दौरा हवाई जहाज़ से किया गया उसके खर्च का ब्यौरा नीचे दिया जाता है ।

प्राइवेट कम्पनी के हवाई जहाज़ों पर	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४९-५०
	२३८८ रु०	१८५३ रु०	१३९२ रु०
यू० पी० फ्लाइंग क्लब के ज़रिये	१४९५३ रु०	२३१९३ रु०	३७७७३ रु०
टोटल	१७३४१ रु०	२५०४६ रु०	३९१६५ रु०

(ख) प्राइवेट कम्पनी को २५ सामान्य प्रशासन (क) राज्य के प्रमुख और मंत्री (ज) मंत्री 25—General Administration A-Head of State and Ministers—(j) (Ministers)

और यू० पी० फ्लाइंग क्लब को ४४ उड्डयन उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन का विकास और प्रसार (44–Aviation-Development and expansion of Civil Aviation in Uttar Pradesh) शीर्षक से दिया जाता है ।

(ग) प्रान्तीय सरकार द्वारा की गई आर्थिक सहायता से एक ट्विन इंजिण्ड एक्सपेंडाइटर (Twin Engined Expenditor) १११११५० रु० में हिन्द प्राविन्शियल क्लब ने जम्मू व काश्मीर सरकार से खरीदा । यह खर्च ४४ उड्डयन उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन का विकास और प्रसार शीर्षक (44 Aviation-Development and expansion of Civil Aviation in Uttar Pradesh) से दिया गया ।

(घ) १९४७-४८	३,५१,७०० रु०
१९४८-४९	४,३१,६०० रु०
१९४९-५०	६,७३,२०० रु०

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह खर्चा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड में न डाल कर एविवेशन हेड में क्यों डाला गया है ?

श्री चरण सिंह—प्राविन्शियल फ्लाइंग क्लब में जो लड़के ट्रेनिंग पा रहे हैं बहुधा वही लड़के ले जाते हैं । इसलिये उसी हेड में खर्च डाला गया है जिसमें उनको एड दी जाती है ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि

जो बराबर सब्सीडी बढ़ती जा रही है वह इसलिये कि वज़ीरों का जहाज़ का सफर का खर्चा बढ़ता जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—आंकड़े आपके सामने हैं। मिनिस्टरों के सफर का जो खर्चा है वह हज़ारों रुपये का खर्चा है और सब्सीडी लाखों के हिसाब से बढ़ती है। अब की साल ६ लाख रुपये सब्सीडी बढ़ी है। इसमें २,३९,००० एक्सपीडायचर और स्पेअर पार्टस और इंजिन वगैरा शामिल हैं। मैं यह भी आपकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो फ्लाइंग क्लब है उसने यू० पी० के और तमाम फ्लाइंग क्लबों ने जितने लड़के ट्रेन किये हैं उससे ज्यादा लड़के ट्रेन किये हैं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४ हज़ार से ३७ हज़ार रुपया सफर खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—क्योंकि मिनिस्टर महोदय काम ज्यादा करते हैं और काम हर साल बढ़ता ही जाता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह हवाई जहाज़ जो १ लाख ११ हज़ार में खरीदा गया है उस पर वज़ीर ही सफर करते हैं या कि उन पर विद्यार्थियों को भी सीखने का मौका दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह वह सिर्फ मिनिस्टरों को ले जाने के लिये ही है, ट्रेनिंग हासिल करने के लिये नहीं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस हवाई जहाज़ को रखने के लिये केन्द्र से मतालबा किया गया है इसलिये कि यह सरकारी हवाई जहाज़ है फ्लाइंग क्लब का नहीं है। उसके ठहरने वगैरा के चार्जेज़ के लिये केन्द्र से मतालबा किया गया है ?

श्री चरण सिंह—कोई मतालबा नहीं किया गया।

सरदार नगर फेरी, जिला बरेली के श्री टी० एच० कुरेशी ठेकेदार का सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान को भाग जाना

* २०—**श्री बनारसी दास** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि बरेली ज़िले में सरदार नगर फेरी का कोई ठेकेदार (श्री टी० एच० कुरेशी) सरकार का ८० हज़ार रुपया लेकर पाकिस्तान भाग गया है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी हाँ, श्री ताहिर हुसैन कुरेशी पर जो पाकिस्तान चले गये हैं, उनके ज़िम्मे सरदारनगर फेरी के ठीके के सिलसिले में ७०,४०५ रुपये १२ आने बाक़ी हैं।

* २१—**श्री बनारसी दास** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उक्त ठेकेदार की मेरठ स्थिति जायदाद से उस रुपये को वसूल करने का प्रयत्न किया है ? यदि हाँ, तो कितना रुपया वसूल हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी हाँ।

श्री कुरेशी की जायदाद, जो मेरठ में है, ८०,५५० रुपए में नीलाम हुई थी

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २०-२१ श्रीमती प्रकाशवती सूद ने पूछे।

लेकिन उनकी बीबी ने बोर्ड आफ रेवेन्यू की धारा २१८ के अधीन अपील की है, जिस पर बोर्ड आफ रेवेन्यू विचार कर रहा है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बीच में जब वसूलयाबी हो रही थी सरकार की ओर से कोई विज्ञप्ति निकाली गई थी कि वसूलीयाबी को बंद किया जाय ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—इस बीच में बंद नहीं किया गया था बल्कि नीलाम होने के बाद जब आखिर हुआ था तब गवर्नमेंट ने उसमें स्टे की कार्यवाही की थी।

रोडवेज के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछताछ

* २२—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज़ में काम करने वाले ड्राइवर, कण्डक्टर और इन्सपेक्टरों के काम करने के क्या क्या समय नियत हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि ड्राइवरों और कण्डक्टरों को कभी कभी ८ घण्टे से अधिक और कभी कभी २० या २२ घण्टे तक लगातार काम करना पड़ता है ?

(ग) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अधिक समय तक काम करने के लिए, इन ड्राइवरों और कण्डक्टरों को फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार कोई ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है ?

(घ) क्या यह सच है कि अन्य जितने कारखाने इस प्रदेश में हैं, उनमें यदि अधिक समय तक काम लिया जाता है तो अपरिहार्य रूप में ओवर टाइम, अलाउंस दिया जाता है ?

* २३—(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि रोडवेज़ के अधिकतर ड्राइवर गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं और साधारणतया मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन करके गाड़ी चलाते हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त बातों का क्या सुधार करने जा रही है ?

* २४—रोडवेज़ के कर्मचारियों को विश्राम दिवस और छुट्टियाँ किन नियमों के अनुसार दी जाती हैं ? क्या सरकार इन नियमों की एक प्रति मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

* २५—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन रोडवेज़ के कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जैसे तराई व भावर उन्हें तराई व भावर अलाउंस दिया जाता है ?

* २६—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज के कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड की सुविधाएँ मिली हैं कि नहीं ?

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इनको यह सुविधा या अन्य कोई और सुविधा देने का विचार है ?

* २७—(क) क्या यह सच है कि रोडवेज़ के कर्मचारियों पर जुर्माने होते हैं ?

(ख) क्या यह जुर्माने पेमेंट आफ वेजेज़ ऐक्ट की धाराओं के अनुसार किये जाते हैं ?

(ग) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जुर्माने सरकारी खज़ाने में जमा हो जाते हैं ?

* २८--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज़ के कर्मचारियों को विशेषतया ड्राइवर, कण्डक्टर व वर्कशाप के कर्मचारियों को कोई वर्दी दी जाती है।

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

* २६--(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रात में बाहर रहने के लिए रोडवेज़ के कर्मचारियों को विशेषतया ड्राइवरों व कण्डक्टरों को कोई नाइट आउट अलाउंस दिया जाता है ?

(ख) यह अलाउंस बाहर रहने पर दिया जाता है या मीलों की लम्बाई पर ?

(ग) यह अलाउंस किस दर से दिया जाता है ?

* ३०--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ड्राइवरों व कण्डक्टरों के रहने के स्थान निश्चित रहते हैं।

(ख) क्या यह सच है कि इन रहने के स्थानों को बड़ी जल्दी से बदल दिया जाता है ?

*३१--जनरल मैनेजर, बरेली, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर के बारे में क्या सरकार निम्नलिखित सूचनाएँ देगी--

(१) उनकी योग्यता, क्या-क्या परीक्षाएँ पास हैं,

(२) उनका अनुभव,

(३) उन्हें क्या वेतन मिलता है और उसमें वृद्धि किस प्रकार मिलती है,

(४) उन्हें भत्ता किस प्रकार का मिलता है,

(५) वेतन व भत्ते के अतिरिक्त और भी कोई सुविधा उन्हें मिली हुई है ?

*३२--(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि जनरल मैनेजर व ट्रैफ़िक मैनेजर सरकारी पेट्रोल, गाड़ी व ड्राइवर को अपने निजी उपयोग में इस्तेमाल करते है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सेक्रेटरी, रोडवेज़, वर्कर्स, यूनियन, गोरखपुर ने कोई शिकायती पत्र सरकार के पास भेजा है ?

(ग) क्या इस शिकायती पत्र पर कोई जाँच की गयी ? यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

*३३--(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद रोडवेज़ वर्कर्स यूनियन ने इलाहाबाद के जनरल मैनेजर के खिलाफ़ यह शिकायत की है कि मशीनों की चोरी होती है और उनका कारोबार किसी प्राइवेट फ़र्म के साथ होता है ?

(ख) क्या इस शिकायती पत्र पर कोई जाँच की गयी ?

(ग) क्या सरकार उस शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि और जाँच का परिणाम मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)--सूचना इकट्ठी की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जब यह प्रश्न

पहिली बार २०-४-५० को आये थे तब से अब तक क्यों सूचना इकट्ठी नहीं की गई ?

माननीय श्री लाल बहादुर—आप के २७-२८ सवाल थे और सब सवाल बहुत ही ज़्यादा ब्यौरे के थे इसलिये उसकी सूचना इकट्ठी करने में ज़्यादा समय लग रहा है।

गैर सरकारी डिग्री तथा इण्टरमीजियेट कालेजों को अनुदान

*३४—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गैर सरकारी डिग्री तथा इन्टरमीडियेट कालेजों को पिछले साल और इस साल किस किसको कितना कितना अनुदान दिया गया ?

माननीय श्री लाल बहादुर—एक तालिका‡ माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दी गई है। अब चूँकि इंटर कालिज नहीं है, इसलिए हायर सेकण्डरी स्कूलों के नाम इस ‡तालिका में दिये गये हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जो स्कूलों की तालिका दी गई है उसमें और भी स्कूल शामिल किये गये हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

*३५—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह इस साल किन-किन सरकारी स्कूलों में इण्टरमीडियेट क्लास खोलने जा रही है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—अभी इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

*३६—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनके लिए इस वर्ष क्या इण्टरमीडियेट की कक्षाओं का खोलना अनिवार्य है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—नवीन माध्यमिक शिक्षा योजना के अनुसार ग्यारहवीं कक्षा खोलना आवश्यक है, परन्तु सब स्कूलों को इस बात पर बाध्य नहीं किया जा रहा है कि वह इसी साल ११वीं कक्षा खोल दें।

*३७—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले साल गैर सरकारी स्कूलों के लिए कितना अनुदान स्वीकृत हुआ था और कितना दिया गया ?

माननीय श्री लाल बहादुर—बजट में ८६,५१,००० रु० की की गई व्यवस्था में से ७४,४२,५५६ रु० गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान की स्वीकृति दी गई।

कानपुर से पुराने ट्रैक्टरों की खरीदारी

*३८—**श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ पुराने ट्रैक्टर कानपुर से खरीदे हैं ? यदि हाँ, तो किससे और कितने में ? और इन ट्रैक्टरों ने कितना काम किया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—जी नहीं, प्रश्न के बाक़ी हिस्से नहीं उठते।

खीरी में चरागाह को तोड़कर कृषि-फार्म का खोला जाना

*३९—**श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सही है कि

---

‡तालिका यहाँ पर छापी नहीं गई।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३८-३९ श्री खुशवक्त राय ने पूछे।

सरकार ने खीरी-लखीमपुर जिले में किसी चरागाह को तोड़कर कृषि फार्म खोला है ? यदि हाँ, तो इसका रकबा क्या है ?

(ख) इसकी सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस फार्म के प्रबन्ध का कोई एक प्रबन्धक नहीं है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—(क) जी हाँ। वह सब ज़मीन जिसमें खेती नहीं होती एक माने में चरागाह ही हैं लेकिन दूसरे माने में इस राज्य में कोई चरागाह नहीं है। रकबा ११४४.८६ एकड़ है।

(ख) एक ट्यूबवेल बनाया जा रहा है और सिंचाई के काम के लिये दो और ट्यूबवेल इस साल बनाये जायेंगे।

(ग) जी नहीं। फार्म की देखरेख के लिये एक फार्म सुपरिण्टेण्डेण्ट है।

श्री ख़ुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन फार्मों के बन जाने से जो चरागाह खत्म हो गये हैं उसके लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—मैंने अपने उत्तर में यह बताया है कि चरागाह का लफ़्ज़ ऐसा है कि जिसके माने मुख्तलिफ हैं। चरागाह के माने आम तौर पर जो हमारे देश में लिये हैं वह पाश्चर लैंड से लिये जाते हैं। जिस ज़मीन में काश्त नहीं होती है वह चरागाह माने जाते हैं। इस वक्त इन्सानों को भी खिलाना है और जानवरों को भी। मगर कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इन्सानों का पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिये ज़मीन को काश्त में लाने की ज़रूरत है।

*४०–५१—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—[स्थगित किये गये।]

राज्य में जन्म और मृत्यु की संख्या में अनुपात

*५२—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष इस प्रांत में जन्म और मृत्यु की संख्या का क्या अनुपात है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछले वर्ष की संख्यायें अभी पूरे तौर से नहीं जोड़ी जा सकी हैं, पर अन्दाज़ से सन् १९४९ में प्रति १००० की आबादी पर जन्म संख्या २२.२९ और मृत्यु संख्या १२.६४ रही है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह जो मृत्यु संख्या और जन्म संख्या का अनुपात है उससे क्या सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि आबादी बराबर बढ़ती जा रही है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाँ, जो आँकड़े हमारे सामने हैं उससे तो यही मालूम होता है कि आबादी बढ़ती जा रही है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या इस बढ़ती हुई आबादी के अनुपात से सरकार ने ज़रूरत के चीज़ों के उत्पादन में भी वृद्धि की है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुपात से चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि ज़रूरत की चीज़ों की जो इतनी कमी है उसका एक कारण यह भी है कि आबादी बढ़ी है और ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं होतीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाँ सरकार बराबर इस बात को बतलाती रहती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—इस बढ़ी हुई आबादी के रहन-सहन और ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार कौन-सा प्रयत्न कर रही है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसी लिए मैं हमेशा इस चीज़ पर ज़ोर दिया करता हूँ कि आबादी कम हो और लोग अपने ऊपर ज़रा नियन्त्रण रक्खें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—इस आबादी को न बढ़ने देने के लिए सरकार ने जनता के सामने कौन से सुझाव प्रस्तुत किए हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो सुझाव का मसला नहीं है सरकार की ओर से कभी कभी इस बात पर प्रकाश डाला जाता है कि चूंकि आबादी बढ़ रही है इसलिए हमारे प्रान्त के निवासियों को चाहिए कि वह अपने ऊपर नियन्त्रण रक्खें जिससे आबादी न बढ़ने पावे।

सिनेमा के टिकटों पर बिक्री-कर का न लगाया जाना

*५३—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सिनेमा के टिकटों की बिक्री पर सरकार सेल टैक्स लेती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—(क) जी नहीं।

(ख) बिक्री कर व्यापारी के केवल (विक्रयधन) पर ही देय होता है, यानी उस कुल रकम पर जो माल की बिक्री से किसी व्यापारी को मिलती है। उत्तर प्रदेश के बिक्री कर ऐक्ट १६४८ ई० की धारा २ (च) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'माल' में सिनेमा के टिकट शामिल नहीं हैं।

*५४-५८—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किये गये।]

जुडिशल मैजिस्ट्रेटों की स्थाई नियुक्ति के सम्बन्ध में पूछ ताछ

*५६—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—जुडिशल मैजिस्ट्रेटों की स्थायी नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने जो कमेटी बनायी है उसके कौन-कौन से सदस्य है ?

श्री चरण सिंह—सरकार ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों की स्थायी नियुक्ति के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई है। पर रेवेन्यू सेक्रेटरी और जुडिशियल सेक्रेटरी ने उन अफसरों के रिकार्ड की जाँच की जिनका काम असंतोषजनक था ताकि उनकी सेवायें जो नौकरी में रखे जाने के योग्य न हों, खत्म कर दी जायँ।

*६०—६३—**श्री जगन्नाथ दास**—[स्थगित किये गये।]

*६४—६५—**श्री ख़ुशवक्त राय**—[स्थगित किये गये।]

जिला गोंडा में कुष्ट रोगियों की संख्या

*६६—**श्री चन्द्रभानु शरण सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुष्ट रोग से पीड़ितों की संख्या क्या है और इस संख्या में से कितने व्यक्ति गोंडा ज़िला के निवासी हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस राज्य के कुल रोगियों की संख्या के बारे में कोई भी जाँच पड़ताल इस विभाग ने अभी तक नहीं की है। इसलिए ऐसे विश्वसनीय आंकड़े मौजूद नहीं हैं, जिनसे यह बतलाया जा सके इस कि राज्य में दरअसल कितने लोगों

नोट—तारांकित प्रश्न ६६—७० श्री बलदेव प्रसाद ने पूछे।

को कुष्ठ रोग है। फिर भी यह तख़मीना लगाया गया है कि करीब दो लाख व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। इनमें से करीब ६,००० गोंडा ज़िले में रहते हैं।

*६७—**श्री चन्द्रभानु शरण सिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि कुष्ठ के पीड़ितों की संख्या गणना के अनुपात के आधार पर सब से अधिक गोंडा ज़िला में है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस राज्य में कुष्ठ रोग गोंडे में सबसे अधिक नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—यदि गोंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा आदमी इस रोग से पीड़ित नहीं हैं तो इस रोग का प्रचार सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह रोग ज़्यादातर गढ़वाल पहाड़ी ज़िलों में अधिक फैला हुआ है।

*६८—**श्री चन्द्रभानु शरण सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा ज़िला के उतरौला तहसील के अन्तर्गत एक ऐसा भी ग्राम है जहाँ के सभी निवासी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी दशा में कुष्ठ से पीड़ित व्यक्तियों को रोग मुक्त करने के लिए क्या सरकार इस क्षेत्र में कोई विशेष चिकित्सालय खोलने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को यह नहीं मालूम कि गोंडा ज़िले के उत्तरी भाग में ऐसा कोई गाँव है।

गोंडा ज़िले में खून और डकैतियों के मुक़दमों की संख्या

*६९—**श्री चन्द्रभानु शरण सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ ई० और १९५० ई० में गोंडा ज़िले में कितने खून तथा डकैतियाँ हुईं और इनमें से कितनों में पुलिस ने चालान किये और उन चालानी मुकदमों में से कितने अदालत द्वारा सेशन के सुपुर्द हुए और सेशन सुपुर्द मुकदमों में कितने व्यक्ति छूटे तथा कितने दण्डित हुए ?

माननीय श्री लाल बहादुर—सूचना इस प्रकार है।

सन्	खून तथा डकैतियों की कुल संख्या	संख्या जिसमें पुलिस ने चालान किया	संख्या जो सेशन सुपुर्द हुए	संख्या अभियुक्त जो सेशन द्वारा छूट गये	संख्या अभियुक्त जो दंडित हुए
१९४९	६०	४३	३७	९३	१३
मई सन् १९५० तक	१८	७	१	०	०

श्री बलदेव प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९४९ की अपेक्षा सन् १९५० में डकैतियाँ क्यों बढ़ीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—माननीय सदस्य ने शायद संख्या देखी नहीं, बहुत घट गयी है।

घाघरा नदी पर एलगिन रेलवे ब्रिज तथा सरजू नदी पर सरजू रेलवे ब्रिज पर मोटर ले जाने के परमिट देने के अधिकारी

*७०—**श्री चन्द्रभानु शरण सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की

कृपा करेगी कि घाघरा नदी पर एलगिन रेलवे ब्रिज तथा सरजू नदी पर सरजू रेलवे ब्रिज पर मोटर ले जाने का परमिट काटने का अधिकार बाराबंकी, गोंडा तथा बहराइच के ज़िला मैजिस्ट्रेटों को भी है ? यदि इनमें से सबों को यह अधिकार नहीं है, तो इस अधिकार में भेद का क्या कारण है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, रेलवे से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाराबंकी को एलगिन और सरजू ब्रिज को मोटर गाड़ियों से पार करने का परमिट देने का अधिकार दिया गया है। रेलवे ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोंडा और बहराइच को इस किस्म के परमिट देने का अधिकार देना ज़रूरी नहीं समझा।

यू० पी० एकानमी, इन्श्योरेंस और रिसोर्सेज कमेटी द्वारा कार्यकुशलता की जाँच के बारे में सिफारिशें

* ७१—**श्री खुशवक़्त राय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी यू० पी० एकानमी, इन्श्योरेंस और रिसोर्सेज कमेटी ने (Efficiency audit) के बारे में जो सिफारिश की थी वह कार्यान्वित की गयी या नहीं ?

(ख) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कार्य कुशलता का कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—(क) सरकार के कुछ विभागों की कार्य-क्षमता मालूम करने और उसे बढ़ाने के लिये प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है।

(ख) अभी नहीं।

श्री खुशवक़्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो प्रारम्भिक कार्य हो रहा है वह क्या है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—फाइनेन्शल कमिश्नर विभागों के काम की जांच कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति वगैरह के मामले वह ले रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में कई रिपोर्टें भी तैयार की हैं जो गवर्नमेंट के पास आयी हैं।

श्री खुशवक़्त राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब तक कार्य कुशलता का मापदंड निर्धारित नहीं किया जायगा तब तक इस ओर प्रारम्भिक कार्य कैसे किया जा सकता है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—उनके काम का अन्दाज़ा हो जाने के बाद प्रारम्भिक कार्य आसानी से किया जा सकता है।

कृषि विभाग में कार्य कुशलता की जांच

* ७२—**श्री खुशवक़्त राय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कार्य कुशलता जांच (Efficiency audit) की प्रथा जारी है ?

(ख) क्या सरकार उसकी रूपरेखा बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—(क) जी हाँ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण पत्र माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च०' आगे पृष्ठ............पर)

*७३–७७—**श्री अम्मार अहमद खाँ**—[स्थगित किये गये।]

पानी के पाइप की बिक्री के नियम

*७८ · **श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पानी के पाइप की बिक्री के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ । प्रान्तीय लोहा और इस्पात' नियंत्रक प्रत्येक ज़िले के पाइप का कोटा निर्धारित कर देते हैं । यह कोटा केन्द्रीय नियंत्रक से निर्धारित कोटे पर प्राप्त होने वाले माल पर निश्चित किया जाता है । कोटे के भीतर प्रत्येक ज़िलाधीश अपने ज़िले के उपभोक्ताओं का निर्धारित फार्म पर प्रार्थना पत्र भेजते हैं और इस पर परमिट प्रान्तीय नियंत्रक के कार्यालय से जारी किये जाते हैं । अब तक पाइप के स्टाकिस्ट केवल कानपुर में थे किन्तु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के पश्चात वाटर वर्क्स के मुख्य मुख्य नगरों में रजिटर्ड पाइप डीलर्स को नियुक्त करने की व्यवस्थ. की जा रही है ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—आदेश जारी हो गए हैं उसका प्रबन्ध शीघ्र ही किया जा रहा है ।

मुरादाबाद इश्यू गोदाम से बोरों की बिक्री के सिलसिले में जाँच

*७९ **श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या यह सही है कि मुरादाबाद इश्यू गोदाम से गनी बैग्स (बोरे) बेचने के सिलसिले में पुलिस जाँच कर रही है ? उस जाँच का क्या नतीजा निकला है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, पूरा केस न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—यह मुकद्दमा अदालत में कब भेजा गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—तारीख तो अब इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि यह मुकद्दमा अदालत में इस सवाल का नोटिस देने के बाद पहुँचा है या उससे पहले ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—हो सकता है कि माननीय सदस्य के सवाल आने के बाद ही पहुँचा हो ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—यह कितने बोरों का मामला है और किसने इसे पकड़ा था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—पूरा ब्यौरा तो सरकार के पास है नहीं, इसलिए बोरों की तादाद मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूँ ।

मुरादाबाद के टाउन राशनिंग आफिसर के विरुद्ध शिकायतें

*८०—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुरादाबाद के टाउन राशनिंग आफिसर के खिलाफ कोई जाँच की है ? क्या यह सही है कि इन अफसर के खिलाफ जिलाधीश के पास शिकायतें पहुँची हैं ? वे शिकायतें क्या हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । कुछ इंसपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्ध के में दो गुमनाम शिकायतें ज़िलाधीश के पास आईं । क्योंकि ये शिकायतें राशनिंग विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा भेजी हुई मालूम पड़ती थीं और इनमें कोई तत्व नहीं था अतएव उन पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट ने कोई पता लगाया कि वहाँ की पब्लिक टाउन राशनिंग आफिसर के बहुत ज्यादा खिलाफ है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—गुमनाम शिकायतों की जाँच कराई गई और उसके बाद जिलाधीश ने सरकार को लिखकर भेजा कि यह कुछ कर्मचारियों की शरारत है जो टी० आर० ओ० के खिलाफ हैं और उसने इन तमाम बातों की बुनियाद बताई ! इसलिये सरकार ने उसके बाद कोई कार्यवाही करना मुनासिब या जरूरी नहीं समझा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि टी० आर० ओ० के खिलाफ सामान गलत सलत देने की भी शिकायतें आई थीं और उन पर कोई जाँच की गई या नहीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—ज़िलाधीश की इन्क्वायरीज़ से यह पता चलता है कि इस तरह की लिखित शिकायत कोई उसके पास नहीं थी।

भारतीय संसद के एक रिक्त स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्यों के लिए मुझे सूचना देना है कि भारतीय सरकार के विधि विभाग ने सूचना भेजी है कि श्री जान मथाई के त्याग पत्र दे देने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के एक प्रतिनिधि का स्थान संसद में यानी पार्लियामेंट में रिक्त हो गया है। इस लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि इस रिक्त स्थान की पूर्ति निर्वाचन द्वारा की जाय। इस निर्वाचन के लिए मैं रिटर्निंग आफिसर के पद पर श्री कैलासचन्द्र भटनागर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिव, को नियत करता हूँ, और श्री राधारमण सक्सेना, सहायक सचिव, को रिटर्निंग आफ़िसर के अधीन चुनाव के कार्य में सहायता करने और आवश्यकता पड़ने पर रिटर्निंग आफ़िसर का काम करने के लिए नियत करता हूँ। चुनाव के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम स्थिर करता हूँ।

नामों के प्रस्ताव आने के लिए=१५ जून १२ बजे तक।

नामांकन पत्रों की परीक्षा=१६ जून १२-४५ बजे।

वापस लेने के लिये आखिरी तिथि=१७ जून ११-४५ तक।

मत प्रदान करने की तिथि और स्थान = २६ जून ७ बजे से १२ बजे तक रीडिंग रूम में।

विधान सभा की बैठक स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र

माननीय अध्यक्ष—मेरे पास एक प्रार्थना पत्र इस सदन के ४० सदस्यों के हस्ताक्षरों से आया है। उनकी प्रार्थना यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक क़रीब क़रीब लगातार जनवरी, सन् १९५० से अभी तक हो रही है जिस के कारण सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र में जाने का और जनता की सेवा का अवसर नहीं मिल सका। दूसरे लखनऊ में गर्मी अधिक होने के कारण सदस्यों को अधिक कष्ट होता है और वह इस प्रकार विधान सभा की बैठक में पूर्ण सहयोग नहीं दे पाते। इधर १७ जून से रमज़ान का महीना भी आ गया है जिसमें मुसलमान सदस्यों को यहाँ रहने में अत्यधिक कष्ट होगा। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक कम से कम २५ जुलाई तक स्थगित की जाय।"

इसपर पहला हस्ताक्षर श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ का है और फिर मेरे बाईं

[माननीय अध्यक्ष]
ओर के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मुसलमान और हिन्दू दोनों इसमें शामिल हैं। कुल संख्या हस्ताक्षरों की ४० है।

मैं स्वयं इस पर यदि निर्णय देता तो स्वभावतः मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस सदन ने अपने मन्तव्य द्वारा निश्चय किया है कि जो काम ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर शेष है वह जल्द समाप्त किया जाय और इस सदन ने यहाँ तक तेज़ी करने का यत्न किया कि एक असाधारण प्रस्ताव द्वारा विवाद के समय का निर्धारण किया और बोलने के समय का नियंत्रण किया। मेरे लिये तो एक ही रास्ता था कि मैं इसको अस्वीकार करूँ। परन्तु ४० सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रश्न आया है। मुझको यह उचित लगा कि मैं गवर्नमेंट को इसकी सूचना दे दूँ। अतः मैंने गवर्नमेंट को इसकी सूचना दे दी थी और मैंने यह भी सूचना दे दी थी कि मैं आज इस प्रश्न को सदन के सामने रखूँगा। मैं इसका निर्णय सदन पर छोड़ता हूँ। यदि किसी को कुछ कहना हो तो मैं बहुत थोड़े से समय में कहने का अवसर दूँगा और फिर मैं राय ले लूँगा।

(कुछ ठहर कर)

जान पड़ता है किसी को कुछ कहना नहीं है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, जब जनाब ने इरशाद फरमाया कि कोई कुछ कहना चाहे तो कह दे, मैंने इन्तज़ार किया कि मुमकिन है कि मेम्बर साहबान की तरफ से कुछ कहा जाय। इसलिये मैं खुद खड़ा नहीं हुआ। वाकई गवर्नमेंट बहुत मशकूर है मेम्बरान की कि वह चन्द महीनों से मुसलसल यहाँ इस काम के अन्दर मसरूफ है। मेम्बरान को मालूम है कि जो बिल इस वक्त उनके सामने है वह एक बहुत ही गैर मामूली बिल है और जिसके जल्द से जल्द पास हो जाने का इन्तज़ार मुल्क में बहुत ज़्यादा है, इससे इन्कार नहीं हो सकता। इसीलिये गवर्नमेंट भी मुसलसल यह कोशिश करती रही है कि यह बिल जल्द से जल्द पास हो और कोई ज़्यादा वक्त इसमें सर्फ न हो। जिस रेज़ोल्यूशन (प्रस्ताव) का जनाब वाला ने अपने इरशाद में हवाला दिया उसका भी मक़सद सिर्फ यही था कि यह सदन इस बिल को जल्द से जल्द पास कर दे। यह सही है कि मेम्बरान को तकलीफ है और जिस आराम के साथ वह अपने मकानात में रह सकते थे यहाँ नहीं रह सकते हैं और मुसलसल काम करना पड़ता है और इस ज़माने में खुसूसन जबकि लू चल रही है और गरमी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ मेम्बरान को और भी ज़्यादा तकलीफ होती है और गवर्नमेंट को उसका पूरा-पूरा अप्रिसिएशन (ज्ञान) है, उसको तसलीम करती है और उससे हमदर्दी रखती है। लेकिन जब इस ज़रूरत पर ख्याल किया जाता है कि इस क़ानून का जल्द से जल्द पास होना इस मुल्क के इंटरेस्ट (हित) में और यहाँ की पब्लिक के दिमागी इंतज़ार के रफ़ा करने के लिये बहुत ज़रूरी है। इस लिये गवर्नमेंट यह मुश्किल पाती है कि जो दरख्वास्त इस सदन में की गयी है कि २५ जुलाई तक इस सदन को मुल्तवी किया जाय उस को मंज़ूर नहीं कर सकती है। लेकिन मैं दोनों ज़रूरतों का अंदाज़ा करते हुए और

गवर्नमेंट की उस ज़रूरत को महसूस करते हुए जिसका मैंने ज़िक्र किया है इस हद तक मेम्बरान को गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेट (इच्छापूर्ति) कर सकता हूँ कि १७ जून से लेकर और दूसरी जुलाई तक यह सदन न हो और तीसरी जुलाई को फिर शुरू हो। मैं मानता हूँ कि इसमें रमज़ान का हिस्सा आयेगा लेकिन मैं मेम्बरान साहबान की खिदमत में खसूसियत से अर्ज़ करूँगा कि जो उनकी ज़रूरत थी उस ज़रूरत के वाकई काबिल लिहाज़ होने से कतन इन्कार नहीं है। लेकिन मेम्बरान यह सोचेंगे कि इस वक्त एक गैरमामूली काम जो इस सभा की तारीख में हो रहा है, गैर मामूली वक्तों में इस किस्म की ज़रूरतों का भी लिहाज़ कम किया जाता है। इस लिये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेम्बरान साहबान जो रमज़ान के हिस्से में तकलीफ में होंगे वह मुझ को माफ करेंगे। लेकिन इतना फ़र्क़ ज़रूर हो गया कि तीसरी जुलाई को जब हम मिलेंगे तो इस क़िस्म की गर्मी और लू न होगी और बारिश होगी। बारिश होने के बाद रोज़ों के रखने में भी उस ज़माने में ज़्यादा आसानी हो जायगी। इसलिये मैं जनाब की खिदमत में यह अर्ज़ करूँगा कि १७ जून से हम न बैठे और फिर तीसरी जुलाई, मेरे ख्याल में पहली और दूसरी जूलाई को सटरडे (शनिवार) और संडे (रविवार) है, इसलिये तीसरी जुलाई को फिर बैठें। और इतने ज़माने के लिये हम इस ऐवान को मुल्तवी रखें।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, सबसे पहले तो मैं आनरेबिल स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हाउस को यह मौका दिया कि वह अपने खयालात इस सिलसिले में ज़ाहिर करें वरना जैसा कि आनरेबिल स्पीकर साहब ने फरमाया यह भी मुमकिन था कि वह इस बिना पर कि ऐसा रेज़ोल्यूशन (प्रस्ताव) इस हाउस में पास हो चुका है कि जल्द से जल्द इस बिल को खत्म किया जाय, वह अपने अख्तियारात से जो उनको हर वक्त हासिल हैं इस दरख्वास्त को खारिज फरमा देते। इसलिये मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेम्बरान को अपने खयालात के इज़हार का मौका दिया। अब मैं एक और जुमला अर्ज़ कर दूँ। इस दरख्वास्त के पेश करने से हरगिज़ यह मंशा नहीं है इस तरफ के बैठने वालों का कि बिल पास होने में देर लगाई जाय और इस लिये दो चार, पंदरह बीस दिन ले लिये जायँ। इस तरह से गलत क़िस्म की टैक्टिक्स (चालाकियां) अपोज़ीशन (विरोधी दल) की तरफ से अगर हों तो हक़ीक़त में गलत होंगी और उससे किसी क्लास (वर्ग) को नफा नहीं पहुँच सकता है। लिहाज़ा इस दरख्वास्त को पेश करने का यह मक़सद और गरज हरगिज़ न थी। जी तो यह चाहता था कि जून और कम-से-कम पंदरह सोलह जुलाई तक के लिये इस सदन को मुल्तवी किया जाय लेकिन अगर गवर्नमेंट की मंशा यह है तो मैं इस मौके पर बिला वजह इसरार न करूँगा। हमारे डिप्टी लीडर आफ दी हाउस ने जो अपनी राय का इज़हार फरमाया है उसके अन्दर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।

एक सदस्य—दस जुलाई तक कर दें।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं यह सुन रहा हूँ कि दस जुलाई तक कर दें। यह ज़्यादा तफ़सील में जाना होगा। मैंने देखा कि इस प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से किस हद तक (गवर्नमेंट इस चीज की जरूरत मलहूज कर सकती है उस हद तक) हम चले गये हैं। इस लिये मैं माज़ूरी का इज़हार करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष—जान पड़ता है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि १७ तारीख से दो जुलाई तक यह सदन स्थगित किया जाय और तीन जुलाई को इस सदन की बैठक फिर हो।

(कुछ ठहर कर)

क्या मैं यह समझूँ कि सदन को यह स्वीकार है ?

(भवन ने 'हाँ' की, किसी का विरोध नहीं रहा)

मैं यह एलान करता हूँ कि जो बैठकें इस समय हो रही हैं वह १६ तारीख तक रहेंगी और फिर बैठकें ३ जुलाई से आरम्भ होंगी। बीच में १७ जून से २ जुलाई तक बैठकें नहीं होंगी।

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

माननीय अध्यक्ष—अब हम सन् १६४६ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार करेंगे।

धारा १३१

भूमिधर

१३१—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन भूमिधरों को दिये गये हों या उन लगाये गये हों, अर्थात् :—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आस्थानों के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा १६ के अधीन भूमिधर हो जाय,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान के निदेशों के अधीन या अनुसार भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १३२

सीरदार

१३२—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सीरदार कहलाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर लगाए गए हों, अर्थात्—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आस्थानों के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा २० के अधीन सीरदार हो जाय,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस विधान के निदेशों के अनुसार खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान के निदेशों के अनुसार या अधीन किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३२ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १३३

वह भूमि, जिसमें सीर-दारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे।

१३३—धारा १३२ में किसी बात के रहते हुए भी किन्तु धारा २० के निदेशों को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त होंगे—

(क) पशुचर भूमि (Pasture land) या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आता हो या ऐसी भूमि, जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ख) अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) खेतों के ऐसे भूखंड, जिन्हें प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, और

(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३३ की चौथी पंक्ति के शब्द 'होंगे' के पहले शब्द "नहीं" बढ़ा दिया जाय।

यह ग़लती मालूम होती है। मैं समझता हूँ कि इससे अर्थ का अनर्थ हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष—यह तो छापे की भूल है, क्योंकि जो मारजिनल नोट है, शीर्षक है, उससे यह स्पष्ट है।

[माननीय अध्यक्ष] (कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि धारा १३३ की चौथी पंक्ति के शब्द 'होंगे' के पहले शब्द 'नहीं' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऐजाज रसूल—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १११ की उपधारा (क) की पंक्ति ४,५, व ६ के शब्द "या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो" निकाल दिये जाँय।

हुजूरवाला, इस तरमीम को पेश करने का मेरा यह मकसद है कि अब गवर्नमेंट लैंड रिफार्म (भूमि-व्यवस्था) कर रही है, और चूंकि टेनेंसी ऐक्ट में इन काश्तकारों को नानआकुपेंसी राइट्स (गैर दाखिलकारी के अधिकार) थे और कोई हक नहीं था, और अब जब किसी को भूमिधर बना रही है या सीरदार मुकर्रर कर रही है तो इन काश्तकारों का भी ख्याल रखा जाय। इस ऐक्ट में उन काश्तकारों की पोजीशन (स्थिति) क्या होगी बिल्कुल साफ नहीं है, आया वे गवर्नमेंट को लगान देंगे या किसको देंगे। अगर ये गाँव पंचायत के काश्तकार होंगे तो फिर गवर्नमेंट एक नई चीज पैदा कर रही है। अगर नदी के तले के काश्तकार गाँव पंचायतों से वास्ता रखेंगे तो एक नई किस्म की काश्तकारी को आप पैदा कर रहे हैं, जिसको इस ऐक्ट में कहीं पर भी जाहिर नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि उनको भी सीरदार बना देना चाहिये। इस वक्त यह है कि अगर उनकी जमीन दरिया से कट जाती है तो लगात माफ हो जाता है और अगर जमीन निकल आती है तो उसका इंतजाम होता है और काश्तकारों को मौरूसी हक मिलता है। उनकी पोजीशन इस ऐक्ट के बमूजिब क्या होगी, सारा ऐक्ट तलाश करने पर भी पता नहीं चला कि वे किसके काश्तकार होंगे और किसको लगान अदा करेंगे। यह हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट के काश्तकार नहीं होंगे तो गाँव पंचायत के हों लेकिन ऐसी जमीनों को गाँव पंचायत के सुपुर्द कर देना और उनको उसका लगान दिलवाना कहाँ तक जायज होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि आया ऐसे काश्तकार जमीन से बेदखल हो सकते हैं या नहीं। उनको पंचायतों के सुपुर्द कर देना और पंचायतों के अख्तियार में रख देना बहुत ही नामुनासिब और गलत चीज है। इस सूबे में दरियाएं काफी हैं और दरिया की वजह से सैकड़ों हजारों काश्तकार नदी के तले के हैं। और इन नदियों के काश्तकारों को कोई हक न देना नाजायज चीज है। उनको सीरदार का हक देना चाहिये और जिस वक्त नदी कट जायेगी तो उनकी जमीन भी कट जायेगी और लगान माफ हो जायेगा मुझे उम्मीद है कि चरण सिंह साहब इस सर मेहरबानी करके गौर फरमायेंगे और काश्तकारों के फायदे को देखते हुये मुझे उम्मीद है कि यह जरूर मंजूर होगी।

श्री चरण सिंह—मुझे अफसोस है कि मैं नवाब साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। वजह यह कि जब तक जमीन कायम है हक काश्तकारी भी कायम है और जब जमीन कायम नहीं रहेगी तो उसका हक भी नहीं रहना चाहिये। आपका यह कहना है कि उनको सीरदार करार दे दिया जाये और अगर जमीन गायब हो जाये तो उनकी मालगुजारी में रेमीशन (छूट) हो सकता है लेकिन उसकी कार्यवाही करनी पड़ेगी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि बिला वजह उस पर भी बोझा क्यों डाला जाये। जब तक जमीन

है वह आसामी रहेगा, जब जमीन गायब हो जायेगी तो फिर उसके ऊपर बोझा डालने की क्या जरूरत है ? उसके सिर पर मालगुजारी की जिम्मेदारी स्थापना कहां की बुद्धिमानी की बात है। आपने एक भी पाइंट (बात) ऐसा नहीं फरमाया जिससे मालूम होता कि सीरदार करार देने से काश्तकार को क्या फायदा होगा। फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ यह कहा कि जमींदार ऐसी जमीन से मालगुजारी कटवा रहा है लेकिन सन् १९३९ ई० के ऐक्ट में उनकी स्टेचुअरी राइटस नहीं दिये गये हैं। सीरदार का हक मुस्तकिल है। यह उसूल मोटा सा है और पहले से भी मुसल्म है। मेरी समझ में नहीं आरहा है कि काश्तकार को क्या फायदा होगा बल्कि उसके ऊपर बोझा और बढ़ जायेगा और उसके बिला वजह लिटीगेशंस (मुकदमेबाजी) में फँसना पड़ेगा।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबवाला, मैं भी तस्लीम करता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टेनेन्सी ऐक्ट में राइट्स (अधिकार) दिये गये हैं। मैं समझता था कि नये रिफान्स हो रहे हैं इसलिये इनको भी कुछ हक मिल जायँ। मेरा सवाल चरण सिंह साहब से यह था कि आया उनकी पोजीशन क्या होगी। आया वह गवर्नमेंट के काश्तकर होंगे या पंचायतों के काश्तकार होंगे और पंचायतों के जरिये उनसे लगान वसूल किया जायेगा ?

(इस समय ८ बजे माननीय अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

श्री चरण सिंह—वह आसामी होंगे और पंचायत लगान वसूल करेगी।

श्री ऐजाज़ रसूल—यह आपने उनकी पोजीशन के बारे में कहा। दूसरी बात यह जानना चाहता हूँ कि वह टेनेन्ट्स तो नहीं होंगे ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री ऐजाज़ रसूल- चरण सिंह साहब ने दोनों बातों के बारे में मुझे एश्योरेंस (आश्वासन) दिया है अगर भवन की इजाजत हो तो मैं इसको वापस ले लूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री ऐजाज रसूल—मेरा प्रस्ताव है कि धारा १३३ की उपधारा (ख) निकाल दी जाय।

(b) such tracts of shifting of unstable cultivation as the provincial Government may specify by notification in the Gazette;

[(ख) अस्थिर या अस्थायी खेतों के ऐसे भूखंड, जिन्हें प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति निर्दिष्ट कर दे]

इससे गवर्नमेंट को मालूम होगा और मैं यह नहीं समझा कि वह टैक्ट्स कौन से हैं और कहाँ हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज को मुबहिम रखा है। मैं समझता हूँ कि काश्तकार की जगह बदल जाये। मैं यह कह सकता हूँ कि शिफिटंग मेरी समझ में आई नहीं... ...या अगर सिंघाड़े के तालाब से मतलब है तो वह भी सेक्सन 'ए' के अन्दर आता है तब इस सेक्सन 'बी' का क्या मतलब है। मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ कि शिफ्टिंग टैक्ट

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]

का क्या मतलब है क्योंकि जमीन कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाई जा सके। इसलिये मैं इसकी वजाहत चाहता हूँ। उन सब काश्तकारों को भी सीरदार का हक दिया जाय मैं यह चाहता हूँ। गवर्नमेंट को इन सब चीजों को साफ कर देना चाहिए नहीं तो उसके काश्तकारों को बिला वजह नुकसान हो जायगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट उसको वाजे करेगी।

श्री चरण सिंह—इसमें साफ दिया हुआ है कि शिफ्टिंग ट्रैक्ट और अनस्टेबिल टैक्ट्स में सीरदारी के हकूक हासिल नहीं होंगे। अब वह कहाँ-कहाँ और कितने होंगे अगर इसको बताया जाय तो परिशिष्ट की एक बहुत मोटी किताब बन जायेगी और न इस प्रकार की कोई तफसील किसी बिल या ऐक्ट में दी जाती है। ऐक्ट में तो सिद्धान्त होते हैं, नियम होते हैं उनकी तादीर अदालत करती है। अगर कोई मसला किसी जमीन के मामले में अदालत में आयेगा तो उसका फैसला अदालत करेगी। आज भी अनस्टेबिल और शिफ्टिंग नेचर (प्रकृति) की जमीन मौजूद हैं और आज तक किसी मेम्बर ने उन पर ऐतराज नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लायक दोस्त इसे वापिस ले लेंगे।

श्री ऐजाज रसूल—अगरचे गवर्नमेंट ने इसकी कोई वजाहत नहीं की है लेकिन उन्होंने पुराने कानून का हवाला दिया है। खैर पुराने कानून को तो मैं भी मानता हूँ और क्योंकि चौधरी साहब इस बिल को पहिले पहल पायलेट (संचालन) कर रहे हैं लिहाजा उनका ख्याल करते हुये मैं अपने अमेंडमेंट (संशोधन) को वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वीरेन्द्र शाह —श्रीमान् जी, धारा १३३ के अन्त में उपधारा (ग) के बाद निम्नलिखित उपधारा (घ) जोड़ दी जाय—

"(घ) ऐसी भूमि जो हलवाही या खेती पर काम करने वाले मजदूरों को हलवाही या मजदूरी के ऐवज में दी गई हो"

श्रीमान् जी, सरकार की यह नीति है कि हमारे देश में अधिक से अधिक गल्ला पैदा हो और इसके लिये सेण्टरल सरकार ने बड़ी बड़ी रकमें प्रान्तीय सरकार को दी हैं लेकिन जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें सबलेटिंग अलाऊ नहीं है।

लेकिन देश के अन्दर अन्न की कमी को देखते हुये हमको इस बात पर गौर करना चाहिये कि हम कुछ दिनों के लिये जब तक कि कमी है तब तक के लिये ऐसी सुविधा काश्तकारों को दें या उन खेती करने वालों को दें जिनको इसकी जरूरत है। आपके द्वारा मैं सरकार से यह विनय करना चाहता हूँ कि वह इस बात पर जिद न करें कि इससे हमारे उसूल में कमी होती है और हम इसको मंजूर नहीं करेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य - मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ। मेरा यह निवेदन है कि इस भवन ने धारा २१ (घ) में इस बात को स्वीकार किया है कि जो शिकमी काश्तकार होंगे वह अधिवासी होंगे। शिकमी काश्तकारों की डेफिनिशन टेनेन्सी ऐक्ट में दी हुई है। यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की उस डेफिनिशन को इस विधेयक में स्वीकार किया गया है। धारा ३ के २४ में यह स्वीकार किया गया है कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में जो इसकी परिभाषा है वह इसके लिये भी लागू होगी। टेनेन्सी ऐक्ट में

सब-टेनेण्ट और टेनेण्ट की परिभाषा दी हुई है। जो भी लगान की अदायगी का जिम्मेदार है वह टेनेण्ट या सब-टेनेण्ट होता है। सब-टेनेण्ट की डिफिनिशन के मुताबिक यह जो परिश्रम के एवज में मजदूरी पाता है और अगर वह भी सीर का है तो वह टेनेण्ट हुआ और अगर वह किसी का काश्तकार है तो वह सब-टेनेण्ट हुआ। तो वह भी अधिवासी हो जायगा। एक प्रकार से उस परिश्रम की एवज में वह खेत जोतता है बजाय कैश के वह इन कांइड हो जाता है तो उन दोनों हालतों में वह रेण्ट ही समझा जाता है। इसलिए वह एक तरह से काश्तकार हो गया। टेनेण्ट या सब-टेनेण्ट हो गया। इस चीज को हमने २१ में अधिवासी कबूल किया है तो उसको आप शिकमी करार देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष—अभी तो हम १३३ पर विचार कर रहे हैं। असामी की धारा अगली १३४ है। जब वह सामने आयेगी तब इस बात पर विचार होगा।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान जी, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको शायद मौर्यजी नहीं समझे और उनकी तो यह आदत है कि जो कुछ इधर से आया खड़े होकर उसकी मुखालफत करने लगे।

उपाध्यक्ष—इसके कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ कहना है वह कहिए।

श्री वीरेन्द्र शाह—मैं यह कह रहा था कि इसकी जरूरत इसलिए है कि हम मानते हैं कि हमारे भाई चरण सिंह साहब का उद्देश्य है कि जमीन शिकमी को न देना चाहिए और यही चीज बिल में बड़े ज़ोर के साथ रखी गई है कि जिसकी जमीन है उसको वही जोते लेकिन इसके साथ ही हमको यह भी देखना चाहिए कि जब मुल्क में गल्ले की इतनी कमी है और हर तरह से हमें आदमी, मशीन वगैरह की जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि इसको मान लेने से जरूर अन्न उत्पादन में तरक्की होगी। देहात में तेज़ी की वजह से मजदूर और हर चीज इतनी मंहगी हो गई है कि हर आदमी की ताकत नहीं है कि वह जमीन को जोत सके।

श्री चरण सिंह—आपकी इजाज़त से मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। चूंकि यह तमाम बातें जो कही जा रही हैं वह सब गलतफहमी पर ही आश्रित हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी जमीन में सीरदारी के हकूक हासिल न हों और आप चाहते हैं कि ऐसे हलवाहों को हकूक दे दिए जाँय। अगर यह अमेंडमेंट १३३ में आया है कि सीरदारी हकूक हासिल न होंगे तो अगर आप गौर करें तो इसका स्थान १३३ में है ही नहीं।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, मैं यह समझ रहा था कि यह आसामी में आवेंगे।

उपाध्यक्ष—आप और मौर्य साहब दोनों आसामी ही समझे इसलिए आपका एतराज़ सही नहीं था। अब क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं?

श्री वीरेन्द्रशाह—जी हाँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १३३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १३४

१३४—निम्नलिखित वर्गों में आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गए हों या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्— असामी

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति स्वत्वाधिकार के दिनांक (से ठीक पहले के दिनांक पर) कोई भूमि—

(१) मध्यवर्ती के बाग के गैर-दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant) के नाते,

(२) बाग भूमि के शिकमी (sub-tenant) के नाते,

(२) क—यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनैंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद (Proviso) के अधीन शिकमी काश्तकार के नाते,

(३) धारा २० में कहे गये (१) से (८) तक के वर्गों में से किसी में आने वाले व्यक्ति के बंधकों (mortgagee) के नाते,

(४) धारा १४ के अनुसार भरण-पोषण के बदले में,

(५) पशुचर भूमि या ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काश्तकार के नाते, जिसमें पानी हो और जो सिंघाड़ा या अन्य उपज पैदा करने के काम में आती हो या जो किसी नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(६) ऐसी भूमि के गैरदखीलकार काश्तकार के नाते, जिसे प्रान्तीय सरकार ने उक्त और दिनांक से पहले गजट में विज्ञप्ति द्वारा अस्थिर और अस्थायी (shifting and unstable) खेती के भू-खण्ड का भाग प्रख्यापित कर दिया हो,

(७) ऐसी भूमि के गैरदखीलकार काश्तकार के नाते, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने उक्त दिनांक से पहले गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है,

(८) ऐसे ठेकेदार के नाते, जिसके विषय में धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (क) में व्यवस्था की गई है,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस ऐक्ट के निदेशों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्वत्वाधिकार दिनांक पर या उसके बाद गाँव-सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा १३३ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो, और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक पर या उसके बाद इस विधान के निदेशों के अधीन असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।

श्री रोशनजमां खाँ—जनाबवाला, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की तरफ से जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) इस धारा के बारे में दिए गए हैं उनको हम लोग पेश तो नहीं करेंगे लेकिन जब इस दफा १३४ पर आम बहस होगी उस वक्त इस पर अपनी राय का इजहार करेंगे।

श्री ऐजाज रसूल—मैं तजवीज करता हूँ कि धारा १३४ की उपधारा (क) के उपखंड (२) क के बाद निम्नलिखित उपखंड (२) ख लिख दिया जाय—

"(२) ख—मध्यवर्ती के बाग के माफीदार काश्तकार के नाते"

जनाबवाला मेरा यह अमेंडमेंट एक बहुत मामूली सा अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट ने दफा १३४ के (१) और (२) में रखा है कि

(a) every person who, on the date immediately preceding the date of vesting, occupied or held land—

(i) is non-occupancy tenant of intermediary's grove;

(ii) as sub-tenant for grove land;

[(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में या पास स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर कोई भूमि निम्नलिखित रूप से रही हो—

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]

(१) मध्यवर्ती के बाग का गैरदख़ीलकार काश्तकार ;

(२) बाग भूमि का शिकमी ;

मैं समझता हूँ कि भूल से गवर्नमेंट के ध्यान से यह चीज रह गई है और जो बागात वगैरह के माफीदार काश्तकार हैं जो जोते हुए हैं उनका भी ख्याल किया जाय। मुझे उम्मीद है कि चरण सिंह साहब इसको जरूर मंजूर करेंगे और इस पर भी गौर फरमावेंगे।

श्री चरण सिंह—अमेंडमेंट नम्बर ६११ श्री राजाराम मिश्र का था, शायद उनका नाम बुलाया नहीं गया।

उपाध्यक्ष—नाम तो मैंने पुकारा था मगर वह थे ही नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह एक शाब्दिक संशोधन है। इसको तो श्रीमान् यों ही कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष—इस तरमीम के बाद उस पर गौर करूँगा, लेकिन अगर यह मंजूर हो गई तब तो वह नहीं आ सकेगी। मगर मैं यह बता देता हूँ कि जो प्रस्ताव इस सदन ने इस विधेयक पर विचार करने के लिये स्वीकार किया है उसके अन्तर्गत एक अवसर और मिल सकता है शाब्दिक और कान्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट्स के लिये। माननीय स्पीकर उसके लिये तारीख़, वक्त और अवसर मुकर्रर करेंगे। जब इन तमाम धाराओं पर विचार हो जायगा तब उस समय जो शाब्दिक संशोधन वगैरह हों वह कर लिये जायँ और उसके बाद फिर तीसरी ख्वान्दगी शुरू होगी।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, जो संशोधन नवाब साहब ने पेश किया है उससे सिर्फ इतना मतलब है कि १३४ (क) की (२) के बाद जो लिखा हुआ है कि "बाग भूमि के शिकमी" उसके बाद में साफ करने के लिये यह लिखा गया है कि जमींदार के बाग की और टेनेंट के बाग की ऐसी भी जोतें हैं जिनको फ्री आफ़ रेंट पेड़ लगाने के लिये जोतने को दे दिया है। तो ऐसा न हो कि वे न मानी जायँ, इसलिये यह संशोधन रखा गया है। जो बाग के रेंट फ्री काश्तकार हैं वे भी इसमें जोड़ दिये जायँ। सरकार अगर यह बतलाने की कृपा करेगी कि इससे वे भी आ जाते हैं तब तो संशोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वरना सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले। इसलिये यह संशोधन रखा गया है।

श्री चरण सिंह—बागदारों के इसमें दो ही तरीके हो सकते हैं। अगर वे माफीदार लिखे हुये हैं साफ़तौर से, तब तो वे दफा १९ के सबसेक्शन १, क्लाज (सी) में आते हैं और उनमें से वे सीधे भूमिधर बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बाग किसी मध्यवर्ती का लिखा हुआ है तो फिर वह दफा १३४ (क) के सबक्लाज (२) में आता है। तो इसलिये यह संशोधन रिडेनडेण्ट (अनावश्यक) है, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों सूरतें प्रोवाइडेड (निदिष्ट) हैं।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबवाला, प्रोवाइडेड नहीं है तभी तो मैंने इसको मूव (प्रस्तावित) किया है। अगर आप गौर फरमायें तो मेरे अमेंडमेंट का मतलब है "rent free grantee of an intermediary of a grove" (मध्यवर्ती के बाग के

माफ़ीदार काश्तकार के नाते)। उसके बाग़ की बात है। तो इस वजह से मैंने यह अमेंड-मेंट मूव किया है। वह किसी सूरत में ऐसे रेंट फ्री ग्रांटी नहीं है, जैसा कि शंकरलाल साहब समझे हैं। अगर वे रेंट फ्री ग्रांटी की हैसियत से बाग़ात के नहीं हैं तो वे तो डाइरेक्टली (सीधे तौर से) भूमिधर हो जावेंगे और उनसे कोई लगान वसूल नहीं होगा। लेकिन बाग़ात के काश्तकारों के लिये यह नहीं है जो कि ज़मींदार के बाग़ात के रेंट फ्री ग्रांटी हैं। इसमें और उसमें बहुत फर्क है। दोनों को मिक्स अप (मिश्रित करना) ग़लत है। लिहाज़ा मैं फिर चरण सिंह साहब से इल्तिजा करूँगा कि इस पर दोबारा ग़ौर कर लें। मेरा यह मकसद नहीं है कि किसी वजह से रेंट फ्री ग्रांटी के ऊपर जो इप्सो फैक्टो (वास्तविक रूप में) भूमिधर बन गये हैं कोई असर हो। दफा १६ (सी) में और इसमें फर्क है। यह तो गवर्नमेंट के उसूल और पालिसी का सवाल है कि जहाँ तक जमींदारों के बाग़ात का सवाल है वे जमींदारों के पास ही रहें और उनकी सीर भी उनके पास रहे। यह एलान होने के बाद अगर इसमें कोई नुकसान जमींदारों को हो जावेगा तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट की पालिसी में कोई फर्क आवे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट फिर ग़ौर फरमाकर मेरी तरमीम को मंजूर करेगी।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं अभी तक नवाब साहेब का मतलब नहीं समझ पाया हूँ। जो जमींदारों के बाग़ों के माफ़ीदार हैं वे तो एक दम हो गये भूमिधर और जो काश्तकारों के माफीदार हैं, वे माफीदार नहीं कहलावेंगे बल्कि वे तो काश्तकारों के शिकमी हुए। वह तो १३४ में पहले से ही प्रोवाइडेड है। चाहे वह लगान देता हो या नहीं, वह तो हर सूरत में शिकमी ही कहलावेगा। १३४ (क) (२) में दिया हुआ है ऐज सबटेनेंट आफ़ ग्रोवलैंड (बाग़ भूमि का शिकमी)। तो यह संशोधन बिलकुल गैर जरूरी है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ की उपधारा (क) के उपखण्ड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड (२) ख लिख दिया जाय—

"(२) ख-मध्यवर्ती बाग़ के माफ़ीदार काश्तकार के नाते,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३४ (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "व्यक्ति" तथा "स्वत्वाधिकार" के बीच "जिसके पास या कब्जे में" जोड़ दिया जाय। मतलब यह है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में रही हो—यह छूट गया है। अगर इसका ट्रांसलेशन (अनुवाद) आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसी कोई भूमि "अकुपाइड आर हेल्ड" और इसका जो मतलब होता है वह छूट गया है। यानी "जिसके पास या कब्जे में" यह शब्द छूट गये हैं।

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "व्यक्ति" तथा "स्वत्वाधिकार" के बीच में यह शब्द जोड़ दिये जायँ—

"जिसके पास या कब्जे में"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

धारा १३४ (क) (३) की प्रथम पंक्ति में अंक "(८)" के स्थान पर "(६)" रख दिया जावे।

धारा २० में जो सेलेक्ट कमेटी से संशोधन हो गया है उसमें धारा ६ भी जोड़ दी गयी है। इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया गया है कि ८ की जगह ६ रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ (क) (३) की प्रथम पंक्ति में अंक "(८)" के स्थान पर "(६)" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३४ (क) (५) की प्रथम व दूसरी पंक्तियों में शब्द "गैर दखीलकार काश्तकार के नाते" अपने स्थान से निकाल कर छटवीं पंक्ति के वाक्यांश "आती हो" के पश्चात् रखे जायँ, और पहली पंक्ति में शब्द "पशुचर भूमि या ऐसी भूमि के" के बाद एक कामा बढ़ा दिया जाय।

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ (क) (५) की प्रथम पंक्ति में शब्द "ऐसी भूमि के" बाद अर्ध विराम बढ़ा दिया जाय और पहली और दूसरी पंक्तियों में शब्द "गैर दखीलकार काश्तकार के नाते" हटा दिये जायँ और यही शब्द "गैर दखीलकार काश्तकार के नाते" छटवीं पंक्ति के अन्त में शब्द "आती हो" के पश्चात् रखे जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३४ (क) (६) की पंक्ति १-२ में वाक्यांश 'गैर दखीलकार काश्तकार के नाते' निकाल कर छठी पंक्ति के शब्द 'दिया हो' के पश्चात रखा जाय। और पहली पंक्ति में 'ऐसी भूमि के' के बाद कामा रखा जाय।

श्री चरण सिंह—मुझ को स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ (क) (६) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'ऐसी भूमि के' पश्चात अर्ध विराम रखा जाय और पहिली और दूसरी पंक्ति में आनेवाले शब्द 'गैर दखीलकार काश्तकार के नाते' वहाँ से काटकर अन्त में शब्द 'दिया हो' के पश्चात रख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३४ (क) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में स्थिति वाक्यांश 'गैर दखीलकार काश्तकार के नाते' निकालकर छठी पंक्ति में शब्द 'दी गयी है' के बाद रखा जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ (क) (७) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'ऐसी भूमि के' के बाद एक अर्धविराम रखा जाय और पहली और दूसरी पंक्ति में आने वाला वाक्यांश 'गैर दखीलकार काश्तकार के नाते' वहाँ से हटाकर अन्त में शब्द 'दी गई है' के पश्चात रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी, आज एक संशोधन और कर दिया गया है जिसके द्वारा धारा १३४ (क) के खंड (८) में कुछ संशोधन करना है।

श्री वीरेन्द्र शाह श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ कि भवन को मालूम तो हो कि संशोधन क्या है।

उपाध्यक्ष—यह संशोधन बिल्कुल शाब्दिक है और वह इस प्रकार है कि धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (८) के बाद एक नई पंक्ति में शब्द 'रही हो' जोड़ दिये जांय। जुमला पूरा नहीं होता था, सिर्फ जुमला पूरा करने के लिए यह संशोधन रखा गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३४ (क) (८) के बाद एक नयी पंक्ति में शब्द 'रही हो' जोड़ दिये जाँय। इस में कोई घबराने की बात नहीं है। वर्ब छूट गया था वही बढ़ाया गया है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (८) के बाद और खंड (ख) के पहले एक नयी पंक्ति में शब्द 'रही हो' जोड़ दिये जाँय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, मैं यह संशोधन आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं कि धारा १३४ की उपधारा (ख) की पंक्ति १ व २ के शब्द 'इस ऐक्ट के निर्देश के अनुसार' निकाल दिये जाँय।

श्रीमान् जी, इस संशोधन के पेश करने से मेरा उद्देश्य यह है, जैसा कि मैंने अभी एक संशोधन के सिलसिले में कहा कि देश में अन्न की कमी की वजह से सरकार की ओर से जो ग्रो मोर फूड कम्पेन चल रहा है, उसमें सहायता देने के लिए जब तक अन्न की कमी है कम से कम उस वक्त तक सबलेटिंग की इजाजत दे दी जाय, इस कानून में। इस पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये जिससे कि अन्न की कमी दूर होने में सहायता मिले। अभी जिस तरीके से अपनी छोटी-छोटी जोतों को काश्तकार जुतवाते हैं और जिस तरीके से लैंडलेस लेबर को जुताई हलवाई और मजदूरी में जमीन मिल जाती है, जिससे वह अपना पेट पालते हैं उसको सरकार बन्द न करे। ग़ल्ले का भाव जरूर तेज है लेकिन बैलों से तेज नहीं है। कोई भी बैल की जोड़ी एक हजार से कम की नहीं आती। इसलिए देश के अन्न का उत्पादन बढ़ाने के हेतु आपको कुछ दिनों के लिए यह सबलेटिंग की इजाजत दे देनी चाहिये। मेरा यही मंशा है कि जब हम लोग इसके लिए तैयार हो जाँय तो सरकार इसको फिर लागू कर सकती है लेकिन इस समय के लिए जब कि देश में हर तरह से अन्न की कमी है हमको इजाजत हो कि हम अपनी जमीन का अधिक से अधिक अन्न पैदा करने के लिए यथाशक्ति उपयोग करें तो वह हम कर सकें। मेरा यही मंशा है और मुझे आशा है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री चरण सिंह—इस संशोधन के जरिये जमीन को आप जोत और लगान पर उठाने की इजाजत सीरदारों को देना चाहते हैं। यह इस बिल की जो बुनियादी बात है कि आज हम लैंडलार्डिज्म (जमींदारीवाद) को खत्म करना चाहते हैं अगर आगे भ

[श्री चरण सिंह]

सीरदार या भूमिधर को इजाज़त दी कि बिला किसी शर्त के लगान पर उठाता रहे तो उठानेवाला जमींदार हो जायेगा और लेनेवाला काश्तकार हो जायेगा और फिर वही लैंडलार्ड और काश्तकार का रिश्ता पैदा हो जायेगा। अगर इस बात की इजाजत दी तो इस बिल को लाने की और जमींदारी को खत्म करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि १८, २० साल में फिर वह बात आ जायगी। अगर हमको लैंडलार्डिज्म को खत्म करना है तो उसको हम आगे भी इजाजत नहीं देना चाहते कि यह रोग फिर हमारे समाज में पैदा हो जाय। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ।

श्री साजिद हुसैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता हूँ कि जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है सबलेटिंग (शिकमी पर देना) इसके उसूल के खिलाफ है। मगर लिमिटेड सबलेटिंग दूसरी चीज है और जो कि मौजूदा हालत इस मुल्क की है उसकी बिना पर यह चीज एक इमरजेंसी मेजर (आवश्यक कार्य) होगा अगर सरकार इसको स्वीकार कर लेती है। जेनरल (साधारण) सबलेटिंग तो दूसरी चीज है लेकिन अगर सरकार यह स्वीकार कर ले कि जो लोग अपने मुलाजिमीन को काम के लिये जमीन देना चाहें उसमें फिलहाल कोई आड़ न समझी जाय इसलिये कि आजकल जो दिक्कत लेबर (मजदूरों) की हो रही हैं उस लिहाज से महज नकद लेने के लिये तैयार नहीं होगा और चूंकि गल्ले की गिरानी इतनी ज्यादा है कोई कहाँ तक किसी को तनख्वाह दे सकता है। अगर कोई लेबरर (मजदूर) है, घर में दो तीन आदमी हैं एकाध काश्तकारी में लगे हुये हैं और बाकी एकाध किसी के खेत में काम पर लगे हुये हैं उनको भी आसानी होती है। उनके लिये भी ज्यादा मुनाफे की चीज और मजदूरों के लिये भी मुनाफे की चीज होती है। ऐसी सूरत में जबकि गल्ले की इतनी कमी है और रोज बरोज कमी बढ़ती जाती है तो सरकार जिसका खास मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है इस बिल के लाने का है वह यह है कि पैदावार बढ़ाई जाय उस पर बिलकुल बरक्स असर होगा। यह चीज किसी तरह से भी हो उसकी कुछ भी शक्ल हो। मगर यह कि लेबरर जो काम करता है उनके लिये कुछ इस किस्म का इंतजाम हो जाय जो उनको काम करने में आसानी हो और मुल्क की पैदावार में कोई कमी न हो। अन्देशा जरूर इस बात का है कि यह पावर मिसयूज (दुरुपयोग) हो सकती है लेकिन अगर कोई इस किस्म का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय इस वक्त या आइंदा और सरकार इस के लिये कोई इंक्वायरी (जाँच) करे तो गल्ले के पैदावार में जो कमी है उसके लिये थोड़ी बहुत आसानी पैदा हो सकती है। मौजूदा सूरत में अगर यह रखा गया तो भी इलिसिट (अनुचित) तरीके से यह होता ही रहेगा और उसका नतीजा अक्सर खराब होगा, यानि लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) बढ़ेगा। खेतिहर मजदूरों के लिये कोई ऐसी शक्ल पैदा हो जाती कि उनकी भी सहायता होती और काश्तकारों को भी सहूलियत हो जाती क्योंकि महज कैश पर मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखें कि मिलों में किस कदर बेचैनी फैली हुई है। रुपये से किसी तरह पेट नहीं भरता है जब तक कि आप गल्ले का कोई इंतजाम न करें। अगर कोई शेयरहोल्डर (हिस्सेदार) बना लिया जाता है तो उसमें भी दिक्कत होती है। इस समय जो सबसे ज्यादा अहम सवाल है वह है गल्ले का। अगर यह लिमिटेड सबलेटिंग का तरीका मान लेते हैं तो

उसमें आसानी हो जायगी। अगर हम ग़ल्ले की सहूलियत नहीं करते तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें बेकार हैं। सरकार इस पर एक प्रैक्टिकल मेजर (क्रियात्मक कानून) की तरह ग़ौर करे और देहातों में इसकी इनक्वायरी करा ले। मैं खुद एक फार्म को रन कर चुका हूँ और जानता हूँ कि लेबर के सवाल में किस तरह से ज़हमत होती है। मशीनरी से कहाँ तक हम काम चलायेंगे, और हर शख्स इसको कर भी नहीं सकता, इसलिये अगर लेबर के लिये कोई इंतजाम हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी और मुल्क की बहबूदी होगी।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, जो उत्तर हमने सरकार की ओर से सुना उससे मुझे यह संदेह हुआ कि सरकार ने आज जो देश में ग़ल्ले की कमी है उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यह सही है कि सबलेटिंग एलाऊ करने से आपके उद्देश्य को थोड़ा धक्का जरूर पहुँचता है लेकिन इससे अधिक से अधिक जमीन जोती जा सकेगी और अधिक पैदावार होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने उसूल को कुछ दिन के लिये हटा दें और सबलेटिंग की इजाजत दे दें तो पैदावार में अवश्य तरक्की होगी और जो लैंडलेस लेबरर भूखों मारे-मारे फिर रहे हैं उनकी रोटी का प्रबन्ध हो जायेगा। आप कहते हैं कि इस ज़मींदारी को खत्म करके फिर दूसरी ज़मींदारी को कायम कर देंगे। मेरा तो कहना है कि आप पहले इससे निपट लें, आपको स्टेजेज़ में जमींदारी खत्म करना चाहिये। आप ऐसा न करें कि उसकी जड़ को उखाड़कर उसमें मठा डाल दें, ताकि फिर वह उठ ही न पाये। आपके हाथ में अधिकार है, आप अमेंड-मेंट लाकर के फिर इसको दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको कुछ करना नहीं है इसलिये आखें बन्द किये हुये हैं, चाहे मुल्क की पैदावार बढ़े या न बढ़े लेकिन उसूल बना रहे। हमारे देहात के किसान अन्न पैदा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं है कि वह पैदावार बढ़ा सकें। अगर आप सबलेटिंग को एलाऊ नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं बढ़ सकती, यह निश्चित समझिये। नतीजा यह होगा कि बंजर की तरह से जमीन पड़ी रहेंगी और उत्पादन बढ़ तो नहीं सकता बल्कि घट जायेगा। अगर आप आंकडे देखें कि १९४९।५० में कितना अन्न पैदा हुआ तो आपको मालूम होगा। आपको यह देखना है कि अन्न की पैदावार बढ़ानी है और इसके सिलसिले में ऐसा करते हैं तो कोई दोषी नहीं बतलायेगा बल्कि यह कहेगा कि सरकार ने इस चीज़ को समझ लिया है कि इससे फायदा होगा। मैं आपको बतलाऊं कि इसके कर देने से देहात में किसानों और जमींदारों का यह फायदा होगा कि वह साधन इकट्ठा कर लेंगे। अगर जमीन जोतना है तो वह रुपया इकट्ठा करेगा। अगर आप उसको इस तरह से मजबूर कर देंगे तो ग़ल्ले का उत्पादन कम होगा। साथ ही साथ आप किसान, जमींदार और फार्मवालों को मजबूर करते हैं कि वह तरक्की न कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि हमारे भाई चरण सिंह साहब इस बात को सोचेंगे और सरकार हमें संतोष दिलाये कि इस तरह की दिक्कतें हों तो उनको किस तरह से हल करेंगे और किस तरह से अन्न का उत्पादन बढ़ सकेगा।

श्री चरण सिंह—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक राजा वीरेन्द्रशाह की तक़रीर और संशोधन का संबंध है मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वह बिला किसी

[श्री चरण सिंह]

प्रबंध के चाहते हैं कि हर काश्तकार को दे दिया जाये। यह चीज इस बिल के सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती है। इसके मुताल्लिक मुझे कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना है। जहां तक राजा साजिद हुसेन साहब की बात है वह यह चाहते हैं कि हरवाहे को कुछ जमीन दे दी जाये। जो अमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया गया है उससे उनकी मंशा पूरी नहीं होती है। ऐसा वह भी नहीं चाहते हैं कि ला मश्कूक लगान पर उठाने की इजाजत दे दी जाये। अगर इस तरह का संशोधन आ सकता है तो यह दफा १५५,१५६ पर आ सकता है मैं सरकार की ओर से कोई वचन नहीं दे रहा हूँ कि उस समय यदि यह संशोधन आयेगा तो स्वीकार कर लिया जायेगा बल्कि मेरा मतलब यह है कि इस संशोधन की राइट प्लेस (उचित स्थान) यह है। जहां तक इसके मेरिट्स (गुणों) का सम्बन्ध है एक गलतफहमी मालूम होती है। जब तक मुलाजिम को जमीन न दी जायेगी तब तक वह मुलाजमत करने के लिये तैयार नहीं होगा। आज यह हालत कुछ अजला में है। मुझे यह चीज तस्लीम है लेकिन यह कोई मुस्तकिल सूरत नहीं है। पश्चिमी और बीच का इलाका को छोड़कर पूर्वी इलाके में यह चीज मौजूद है। हमें दो बातों का खयाल रखना है। पहली तो यह कि हरवाहा इसलिये जमीन चाहता है और तनख्वाह बढाने के लिये इसलिये नहीं कहता कि जब जमीन मिल जाती है तो वह तनख्वाह बढाने की बात नहीं करता है। जब उसको जमीन नहीं मिलेगी तो नगद तनख्वाह लेकर मुलाजमत करने के लिये तैयार होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको ग़ल्ला देना चाहें तो अपनी पैदावार में से दे सकते हैं। मनाही इस बात की नहीं है। वैसे इस क्लाज (धारा) से इसका वास्ता नहीं है लेकिन क्योंकि मैं मेरिट्स पर बोल रहा हूँ इसलिये कह रहा हूँ कि उसका कब्ज़ा मुकम्मिल तरीके से दूसरे को मुंतकिल करें इसकी मनाही है। लेकिन अगर आप मुलाजिम रखते हैं और आपके यहां १०० मन ग़ल्ला पैदा होता है तो आप उसको १० मन दे दें या उससे यह तय कर लीजिये कि जो भी ग़ल्ला होगा उसका दसवां भाग उनको दे दिया जायगा। इस बात की कोई मनाही इस बिल में नहीं है उसमें सिर्फ ज़मीन मुन्तकिल करने की मनाई है। जैसा मैंने शुरू में कहा था इससे उनकी मंशा पूरी नहीं होती। ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) की दुहाई दी जाती है। जो स्लोगन (नारा) इधर से लगाया जाता है विरोधी पक्ष के लोग उस नारे को तोड़-मरोड़ कर अपनी मंशा उससे पूरी करना चाहते हैं। जहां तक पैदावार बढ़ाने का ताल्लुक है पैदावार इस चीज से बढ़ती है कि जोतने वाला ज़मीन को अपनी समझे। यह नहीं मालिक तो गद्दियों पर बैठा रहे और काश्त तब हो जब कि मजदूर रखे जायं। अगर आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं और मजदूर आपको मिलते नहीं हैं तो फिर आप उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते? आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिये मजदूर रखे जायं और मजदूर तब तक नहीं आयेंगे जब तक उनको लगान पर थोड़ी जमीन न दी जाय, ये सारे आर्ग्युमेंट्स (युक्तियाँ) बेकार हैं। इस बिल का तो सिद्धान्त ही यही है कि काश्तकार मालिक बन जाय और उसकी छाती पर जो मिडिलमैन (मध्यवर्ती) सवार था वह निकल जाय। इससे वह अच्छा जोतेगा और अच्छा बोयेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो पूरा होता है। इन लफ्ज़ों के साथ में इस संशोधन की मुखालिफत करता हूँ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ की उपधारा (ख) की पंक्ति १ व २ के शब्द "इस ऐक्ट के निर्देशों के अनुसार" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—पक्ष में—४ विपक्ष में—५२)

श्री ऐजाज रसूल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३४ में निम्नलिखित नई उपधारा (ङ) बढ़ा दी जाय—

"(ङ) धारा १२१ में किसी बात के रहते हुये भी—

(१) स्त्री (Female) :

(२) अवयस्क (minor)

(३) पागल (lunatic) ;

(४) जड़ (idiot) ;

(५) ऐसे व्यक्ति जो अन्धेपन या शारीरिक निर्बलता (blindness or physical infirmity) के कारण खेती करने में अक्षम (incapable) हों ;

(६) ऐसे व्यक्ति जो भारत जनतंत्र की स्थल सेना, नौसेना या वायुसेना सम्बन्धी सेवा में हों ; की सीर का प्रत्येक काश्तकार।"

हुजूर वाला, मेरा अमेंडमेंट महज फारमल (नियमपूर्ति हेतु) है। दफा १३ में डिसएबिल्ड परसंस (असमर्थ व्यक्तियों) की सीर की काश्तकारी को मान लिया है इसलिये उसके कांसिक्वेंस के लिये (फलस्वरूप) यह अमेंडमेंट मैंने दिया है कि यहां वह लोग जो कि सीर के काश्तकार, जो डिसएबिल्ड हैं और ज़मींदार उनके है उनकी काश्तकारी के हेरिडिटरी राइट्स (मौरूसी अधिकार) नहीं मिलेंगे और भूमिधर नहीं बन सकते। इसलिये वहां जब गवर्नमेंट ने इसे मंजूर किया था तो उम्मीद है कि यहां भी कर लेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, जो संशोधन अभी नवाब ऐजाज रसूल साहब ने रखा है उसी तरह का एक अमेंडमेंट सरकार धारा १३ में मान चुकी है जिसमें इन लोगों की शिकमी पर दी हुई जमीन के काश्तकार को मौरूसी हक नहीं मिलेंगे। अब इसके द्वारा १२१ में जो वह काश्तकार और २५० से नीची मालगुजारी देने वाले जमींदार हैं उनकी जमीन जो शिकमी उठ गयी है उनको मैं चाहता हूँ कि वह भी छोड़ दिये जायँ और सरकार इस संशोधन को स्वीकार करले यह आशा करता हूँ।

श्री चरण सिंह—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूँ। ऐसे डिसएबिल्ड सीर होल्डर्स (असमर्थ सीरदार) जो काश्तकार हैं वह अधिवासी होंगे। आप चाहते हैं कि आसामी हों। मुमकिन है कि वह बेदखल कर दिये जायँ और अधिवासी होंगे तो ५ साल के बाद बेदखल होंगे। आपकी मंशा के मुताबिक वह कल को बेदखल किये जा सकते हैं, तो वह इस सारे बिल की स्कीम के खिलाफ है। यह पहले आ चुका है कि ऐसे लोग अधिवासी होंगे। सेक्शन २१ में आ चुका है। इसलिये विरोध करता हूँ।

श्री साजिद हुसैन—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहां सवाल यह है कि आया ये डिसएबिल्ड परसंस (असमर्थ) व्यक्ति अधिवासी हों या असामी। अधिवासी होने के मानी

[श्री साजिद हुसैन]

यह है कि ५ साल तक उनकी सिक्योरिटी आफ टेन्योर (खातेदारी की सुरक्षा) होती है और ५ साल के बाद वह हेरिडीटरी (मौरूसी) हो सकते हैं। फर्ज़ कीजिये कि अगर कोई पागल है तो ५ साल तक तो वह अधिवासी रहा और फिर उसका सब टेनेन्ट (शिकमी) ५ साल के बाद हैरिडीटरी (मौरूसी) हो गया तो यह बेचारा पागल का पागल ही रहा। मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी डिसेबिलिटी (असामर्थ्य) का क्यों यह एडवान्टेज (लाभ) सरकार दूसरों को पहुँचाना चाहती है। न तो उसको उसका अधिवासी होना मालूम हुआ और न हैरिडीटरी होना ही मालूम हुआ लेकिन उस बेचारे को नुकसान पहुँच गया। यह ख्याल सरकार के लिये नामुनासिब है। अगर कोई शख्स पागल है तो उसको ५ साल या १० साल तक आप हटाने वाले कौन हैं। कोई न कोई पागल की तरफ से इन्तजाम करेगा। यह ख्याल करना कि उसको ५ साल के बाद हटा दिया जायगा, वह आसामी है, वह ५ साल के बाद हटा दिया जायगा। इसके लिये सरकार को कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि जिससे उसको नुकसान न पहुँचे। यह बिलकुल बेजा बात है और कम से कम इंसानियत के खिलाफ है कि उसके काश्तकारों को हम हैरिडीटरी बना दें। अगर वह रुपया दे देगा तो वह भूमिधर भी हो जायगा। मैं अक्चुअल (ठीक) अलफाज़ पर तो बहस नहीं करता मगर ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि अगर वह पागल है, डिसेबिल्ड (असमर्थ) है, तो उस डिसेबिलिटी के जमाने में कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिये कि उसको किसी तरह से नुकसान पहुँच जाय। चाहे वह यह तरमीम हो या दूसरी तरमीम हो मगर असल बात यही है कि उस डिसेबिलिटी के जमाने में उसकी टेनेन्सी में कोई चेन्ज नहीं आना चाहिये। जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाय तो दूसरी बात है। तावक्ते वह पागल है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जब उसकी वह हालत खत्म हो जायगी वह खुद जिम्मेदार हो जायगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और कोई ऐसा सालुशन (हल) निकालेगी जिसमें उनको कोई नुकसान न पहुँचे।

श्री ऐजाज़ रसूल—जनाबवाला, यह ज़रूर है कि सीर के काश्तकार अधिवासी हों और उनको ५ साल का हक दिया है कि अगर वह ५ साल के अन्दर अपना रुपया जमा कर दें तो वह भूमिधर हो सकते हैं। यह सीर एक ऐसी चीज है कि कब्ल इसके कि गवर्नमेंट ने इस बिल को यहाँ पर पेश किया इस प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) को मंजूर किया था कि सीर की जितनी ज़मीन होगी वह ज़मींदारों के पास रहेगी ख्वाह वह जमीन उठी हुई भी हो लेकिन यह सारी तब्दीली सेलेक्ट कमेटी के स्टेज (स्थिति) में आई कि बड़े जमीदारों की सीर के जो काश्तकार थे उनको हैरिडीटरी राइट (मौरूसी अधिकार) दिया जाय। ६५० से नीचे वालों को अधिवासी का हक दिया गया है। अब यह अमेंडमेंट जो है उसी से वास्ता रखता है। २५० के ज़मीदारों की तादाद करीब २३ लाख है। उन लोगों की तादाद जो २ रुपये ५ रुपये या दस या सौ रुपये यानी २५० से कम देते हैं २३ लाख के करीब है। उनकी छोटी सीरों के अधिवासियों को भूमिधर बनने का हक देना कहाँ तक इंसाफ पर मबनी है? करीब १२ लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो २५० रुपये से कम वाले जमीदारों की शिकमी काश्तकारों पर उठी हुई है और यह सारी ज़मीन इस

दफा की रू से उनके पास से निकल सकती है। आप चाहते हैं कि सीर के जो काश्तकार हैं उनको आसामी मान लें। आप देखें कि भूमिधर के जो काश्तकार शिकमी हैं वह भी आसामी मान लिए गए हैं और वह भी बेदखल हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको अधिवासी मान रही है। इसका असर ज़्यादा तर छोटे ज़मीदारों पर ही पड़ेगा। आप २३ लाख ज़मीदारों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं जिससे यह १२ लाख एकड़ ज़मीन भी उनके हाथ से निकल जाय। उनको ८ गुना मुआविज़ा मिलेगा और आप रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट (पुनर्वास अनुदान) भी मुख्तलिफ रेट (दर) के हिसाब से उनको देना चाहते हैं और यह रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट भी छोटे ज़मीदारों को उस वक्त मिलेगी जब वह खुद दरख्वास्त देंगे। इसका नतीजा यह होगा कि छोटे ज़मीदार जो नावाक़िफ़ होंगे वह रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट की दरख्वास्त न दे सकेंगे और वह उससे भी महरूम रह जायंगे। अगर किसी बीमारी वग़ैरा की वजह से किसी ने ज़मीन उठा दी तो उस की ज़मीन हमेशा के लिए छिन जायगी। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से यह इस्तदुआ की है कि इन काश्तकारों को आसामी कर दिया जाय ताकि जब उनके पास मवेशी और जराअत के सामान हो जायं उस वक्त वह बेदखल कर सकें। यह सवाल उनका नहीं है कि जो काश्तकारी कर सकते हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन उठा दी है बल्कि सवाल उनका है कि जो औरतें हैं पागल हैं, नाबालिग़ हैं, ईडियट हैं या किसी और वजह से उनमें कोई फ़िज़िकल इनफ़र्मिटी (शारीरिक निर्बलता) है उनका यहाँ सवाल है हम इन लोगों को अख्तयार देना चाहते हैं। आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। यह लोग जैसे पागल हैं, औरतें हैं या नाबालिग़ हैं किस तरह से ज़मीन का इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर यह लोग अपनी ज़मीन उठा देते हैं और इस क़ाबिल नहीं हैं कि उस ज़मीन को जोत सकें और जब वह इस क़ाबिल हो जायं कि १५ गुना खजाने में जमा कर सकें तो भूमिधर हो जायँगे और वह जमीन से महरूम हो जायंगे क्योंकि अधिवासी के लिए रखा गया है कि ५ गुना ज़मींदार को और दस गुना गवर्नमेंट के खजाने में वह जमा करे। मेरे ख्याल से इस तरह से ज़ैड० ए० एफ़० (ज़मीदार उन्मूलन निधि) को इकट्ठा करना जायज़ नहीं है।

श्री चरण सिंह—आपको ग़लतफ़हमी है। ऐसे लोग भूमिधर नहीं बन सकेंगे जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—आसामी ही रहें और अगर ऐसे लोग अच्छे और ठीक हो जायं तो उनको हक़ मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको मंजूर करेगी।

श्री चरण सिंह—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बहुत थोड़े में गवर्नमेंट की जो पोज़ीशन (स्थिति) है और जो इस बिल की दफ़ात हैं उनके मुताल्लिक अर्ज़ किया था, लेकिन फिर भी हमारी बदक़िस्मती कि ग़लतफ़हमी रह ही गयी। आपके संशोधन का मंशा यह है कि वे आज से ही आसामी हो जायं। अगर आज से ही ऐसे लोग असामी क़रार दे दिये जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि वे tenants at will (इच्छानुसार असामी) रहे, आप उनको बेदखल करा लेंगे। जो तीनों तकरीरें हुई हैं उन सब में यह अन्देशा ज़ाहिर किया गया है कि वे तो disabled (असमर्थ) सीर होल्डर थे, इसीलिये तो आपने उनको सीरदार नहीं बनाया और जब सीरदारी का हक़ नहीं दिया तो फिर पाँच साल के बाद भूमिधर हो जायंगे। यह पोज़ीशन (परिस्थिति) इनकनसिस्टेंट (विरोधपूर्ण)

[श्री चरण सिंह]

है। कहा गया कि वह पागल है, जड़ है वग़ैरह वग़ैरह और बड़ी हमदर्दी ज़ाहिर की गई और गवर्नमेंट के ऊपर एक छींटा कसे वग़ैर नहीं माने कि इससे जेड० ए० एफ० में आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दफा २२५ को आप देखें। आमतौर से शिकमियों की तादाद ज़्यादा होगी जो कि अधिवासी होंगे। तो काश्तकारों के जो काश्तकार हैं वे अधिवासी हुये, लेकिन हमने दफ़ा २२५ में रखा है कि जो आसामी के काश्तकार हैं उनके शिकमी पाँच साल तक तो बेदखल नहीं होंगे, लेकिन पाँच साल के बाद दफा २२६ से वे असामी करार दे दिये जायंगे, यानी बेदखल हो सकेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—धारा १३ में जो संशोधन आपने मंजूर किये हैं उनकी भी यही हालत होगी ?

श्री चरण सिंह—वह उसूल बिल्कुल एक ही है। दफा २२५ और २२६ तो टेनेंट और सबटेनेंट के लिये हैं। उन डिसएबिल्ड सीर के जो टेनेंट्स हैं वे अभी तक अधिवासी नहीं हैं। वे धारा १२१ में अधिवासी हो गये। तो उनके लिए भी उसी उसूल के मातहत जो काश्तकारों के लिए है, यानी शिकमी के लिए रखा गया है वह डिसएबिल्ड ज़मींदारों की सीर के काश्तकारों के लिए भी लागू होगा। मेरा मंशा कहने का यह है कि वे लोग भूमिधर नहीं बन सकेंगे। पाँच साल तक वे बेदखल नहीं किये जा सकेंगे और पाँच साल के बाद वे आसामी हो जायेंगे और बेदखल हो सकेंगे। इसलिए बेकार वक्त क्यों खराब कीजियेगा। आप इस अमेंडमेंट (संशोधन) को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३४ में निम्नलिखित नई उपधारा (ङ) बढ़ा दी जाय—

(ङ) धारा १२१ में किसी बात के रहते हुए भी—

१ स्त्री (Female)

२—अवयस्क (minor)

३—पागल (lunatic)

४—जड़ (idiot)

५—ऐसे व्यक्ति जो अन्धेपन या शारीरिक निर्बलता (blindness or physical infirmity) के कारण खेती करने में अक्षम (incapable) हों।

६—ऐसे व्यक्ति जो भारत जनतंत्र की स्थल सेना, नौ सेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में हों, की सीर का प्रत्येक काश्तकार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रोशन जमां खाँ—जनाबवाला, धारा १३४ के सिलसिले में मैं सोशलिस्ट पार्टी का नुक्तेनिगाह इस ऐवान के सामने रखने की इजाज़त चाहता हूँ। बावजूदे कि जब दफायें २१ और २२ इस ऐवान में जेरे बहस थीं उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कुछ तरमीमें दी गई थीं जिनमें सोशलिस्ट पार्टी का नुक्तेनिगाह वाज़ै कर दिया गया था। हमारे और सरकार के नुक्तेनिगाह में खास फर्क यह था कि सरकार जिन लोगों को आसामी का दर्जा देना चाहती है हम उनमें से कुछ लोगों को निकाल कर ही आसामी

रखना चाहते है और उन लोगों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं जिनको मौरूसी हक इस ऐक्ट के मातहत दिये जा रहे है। मैं उसकी तफसील में इस मौके पर नहीं जाऊँगा लेकिन हमारा नुक्तेनिगाह साफ था कि सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि जितने भी खेत के जोतनेवाले हैं जब तक वे उस खेत को जोतेंगे उस पर उनका मुस्तकिल हक़ होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मजबूरी की वजह से मुस्तकिल हक़ूक नहीं दिये जा सकते हैं। मसलन बुर्दोबरार की आराज़ी या दरिया की आराज़ी है। दरिया किसी आराज़ी को बहाकर ले गया तो ज़ाहिर है कि उसको हम कैसे मुस्तकिल हक़ दे सकते हैं ? इसी तरह से अगर कोई हीनहयाती गुज़ारे के तौर पर किसी आराज़ी पर काबिज़ है तो भी उसे मुस्तकिल हक़ूक नहीं दिये जा सकते हैं क्योंकि वह हक़ उसकी जिन्दगी पर खत्म हो जावेगा। लेकिन हमारे नुक़्तेनिगाह की खास बुनियाद यह है कि जब तक जोत कायम रहेगी तब तक उसे भी हक़ हासिल रहेंगे। जब जोत ही नहीं रहेगी या किसी आराजी को दरिया बहा ले गया तो ज़ाहिर है कि उसे हक़ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब तक वे उस जोत को जोता करेंगे तब तक हम उन लोगों को भी काश्तकारों की उस जमाअत में शामिल रखना चाहते हैं जिसे हम बार-बार इस ऐवान में किसान का नाम दे चुके हैं। हमारी पार्टी की खुली हुई पालिसी है कि आइन्दा जो समाज बनेगा उसमें कोई जमाअती इम्तियाज़ या वर्ग भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल वज़ीरेमाल साहब ने जो तकरीर इस ऐवान में की उसमें उन्होने इस बात का इज़हार किया कि सोशलिस्ट पार्टी अपनी पालिसी पर बहुत ज्यादा साफ नहीं है और कैसे हीनहयाती गुज़ारेवाले लोगों को मुस्तकिल हक़ूक दिये जा सकते हैं। वल असल में एक दूसरा ही सवाल था और उस वक्त इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं हो सकता था और इसलिये हमलोगों ने अपनी तकरीरों में इस बात पर अपना नुक्तेनिगाह वाज़े तौर पर साफ नहीं किया। लेकिन आज इस दफा १३४ के सिलसिले में हम साफ साफ यह कह देना चाहते हैं कि यह ज़रूर है कि हम यह चाहते हैं कि कुछ लोगों को जिनको इस दफा में कम हक़ूक़ दिये जा रहे हैं उनको ज्यादा हक़ूक़ दिये जाने चाहिये। मसलन एक मध्यवर्ती के बाग़ हैं, हम उसके टेनेंट को यह मानने को तैयार हैं कि उसको आसामी के जुमले में रखा जाय।

हम उसको इससे बड़ा हक देने को तैयार हैं लेकिन हम इस उसूल को मानते हैं कि बाज़ सूरतें ऐसी ज़रूर होंगी जब हम कुछ लोगों को मुस्तकिल हक़ूक़ नहीं दे सकते। मैं मिसालों में जाना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता हूं। मैंने यह वाज़े तौर पर कह दिया है कि एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की हमारे सूबे में होगी जो मुस्तकिल हक़ूक के मालिक होंगे और बहुत कम तादाद उनकी होगी जो मुस्तकिल हक़ूक के मालिक नहीं होंगे लेकिन हम यह चाहते हैं कि ऐसे लोग उस वक्त तक जोतते रहें जब तक वह जोत कायम रहे। हम अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को साफ तौर पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि हमारी लफ़्ज़ों की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों को कम हक़ूक दिये जाते है उनका नाम अगर सरकार असामी पसन्द करती है तो करे, वैसे तो हम ज़्यादा बेहतर यह समझते थे कि एक जमात हमारे आयन्दा समाज में ऐसी बनती जिसका नाम किसान होता और चन्द लोगों से जिनको हम ज़रूरी समझते यह कहते कि चूँकि तुम्हारी जोत हमेशा

[श्री रोशन ज़मां खां]

कायम नहीं रहेगी, इस लिए हम तुम्हें चन्द रोजा हकूक देंगे, यह ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि हम छोटे बड़े और कम व ज़्यादा आमदनी व मुनाफा उठाने वालों की जमातें बनाते लेकिन सरकार ने इसे अगर पसन्द नहीं किया तो न करे। हम यह समझते हैं कि हम अपनी पार्टी का नुक्तेनिगाह इस ऐवान के सामने रखकर अपनी ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश होते हैं और जो कुछ सरकार इस वक्त इस बिल के ज़रिए से कर रही है उसकी ज़िम्मेदारी उसके सिर रहेगी।

श्री चरण सिंह—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की सारी ज़िम्मेदारी सरकार पर है आप फरमायें चाहे न फरमायें, और बखुशी इस सारे बिल की ज़िम्मेदारी सरकार लेती है। इसमें कोई हिचकिचाहट या रिज़र्वेशन (बचाव) की बात नहीं है। हम को गर्व है कि हमको मौका मिला है कि इतना क्रांतिकारी कानून हम अपनी अवधि में ला सके।

दूसरी बात आप यह चाहते हैं कि जो भी काश्तकार हो, चाहे वह असामी हो उसके पास ज़मीन रहना चाहिये और उसके वही अधिकार होना चाहिए जो दूसरे काश्तकारों के हों। आप ज़रा क्लाज़ २०० पढ़ने की तकलीफ गवारा फरमायें।

श्री रोशन जमां खाँ- मैंने पढ़ लिया है।

श्री चरण सिंह—अगर आपने पढ़ लिया होता तो शायद आप यह तकरीर नहीं करते। क्लाज़ १३४ में यह कहा गया है कि असामी कौन कौन से होंगे और धारा २०० में यह कहा गया है कि असामी के हकूक कब खत्म होते हैं। हरगिज़ गवर्नमेंट यह नहीं चाहती है कि जो लोग असामी हों उनको ज़मींदार या लैंड होल्डर, चाहे वह गांव की पंचायत ही क्यों न हो, जब चाहे तब बेदखल करदे। धारा २०० में यह है।

"२००—धारा २१६ और ३०७ के निदर्शों को बाधित न करते हुए, असामी की बेदखली उसके खाते से क्षेत्रपति के बाद प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित आधार या आधारों पर हो सकेगी—

(क) जो धारा १६५, १९२ या २०३ में उल्लिखित हैं।"

धारा १६५ में यह है कि मान लीजिये ज़मीन किसी ने कानून के खिलाफ मुन्तकिल कर दी, तो वह शख्स बेदखल होता है और उसका असामी भी बेदखल होता है। इसी तरह से धारा १९२ में यह है कि अगर किसी भूमिधर या सीरदार के हकूक खत्म होंगे तो उनके जो असामी होंगे उनके भी हकूक खत्म हो जायंगे। इसी तरह धारा २०३ में यह है कि मान लीजिये गांव की पंचायत ने असामी की ज़मीन को किसी सार्वजनिक काम के लिए अक्वायर (प्राप्त) कर लेना ज़रूरी समझा, तो उसमें असामी के हकूक खत्म हो जायंगे। मैं समझता हूँ कि यह तीनों सेक्शन्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई नहीं कह सकता है कि इनमें असामियों के साथ ज्यादती की गयी है।

"(ख) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (१), (२), (२क), (५) और (६) या खंड (ग) में उल्लिखित किसी वर्ग का है और उसके पास भूमि वर्षानुवर्ष क्रम से है या उसकी अवधि बीत गयी है, या प्रचलित (current) कृषि वर्ष के अन्त के पूर्व बीत जायगी,"

मान लीजिये कि टाइम लिमिट है ज़मीन की तब बेदखल हो सकता है।

(ग) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (३) में उल्लिखित वर्ग का है और बंधक सम्बन्धी ऋण की भरपाई हो गयी है।

मान लीजिये कि मारगेज्ड है और मारगेज्ड अमाउंट अदा हो गया है। तो उसको ज़मीन छोड़नी चाहिये। उस के पास नहीं रहनी चाहिये।

(घ) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (४) में उल्लिखित वर्ग का है और भरण पोषण की वृत्ति (maintenance allowance) पाने का उसका अधिकार अब विद्यमान नहीं रह गया है (does not any longer subsist)।

राइट आफ मेंटिनेंस ही खत्म हो गया तो वह जमीन उसके पास नहीं रहनी चाहिये।

(ङ) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (७) में उल्लिखित वर्ग का है और खेती की फसलों का पैदा करना असम्भव हो गया है।"

मान लीजिये कि ज़मीन ही ऐसी हो गयी है कि पैदा नहीं हो सकता है। वह ज़मीन वहाँ से बह गयी।

(च) कि वह धारा १३४ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग का है, और......

यानी जो असामी के काश्तकार हैं उनकी जमीन किन शक्लों में बेदखल हो सकेगी। ये दो या तीन शक्लें होंगी। एक तो यह कि खुद काश्तकार काबिज़ हो। मान लीजिये कि कोई नाबालिग था, पन्द्रह साल की उम्र में ज़मीन दे दी थी। था तो वह बालिग हो जाय तब वह बेदखल करा सकता है और उससे पहले अगर वह खुद काश्त करना चाहे तो बेदखल करा सकता है। इसलिये बेदखल नहीं करा सकता कि वह किसी दूसरे काश्तकार को उठा दे। तो मेरे लायक दोस्त की जो आशंका है उसके लिये कोई गुंजायश नहीं है। हमने एक एक बात को बहुत विचार करके रखा है। सीरदार या भूमिधर का जमीन पर हक खत्म हो जाय या वह खुद काश्त करना चाहे तब जमीन बेदखल हो सकती है। यह कहना कि अन्य खातेदारों की तरह से उनको भी हक देना चाहिये, तो जिस तरीके से भूमिधर को हक दे रहे हैं कि वह अपनी ज़मींन ट्रांस्फर कर सकता है, उसी तरीके से असामी को भी हक दे दें कि वह ट्रांस्फर (हस्तांतरण) कर सकता है? नारे के लिये यह ठीक है कि हमने आप के लिये भी यह बात कही थी लेकिन वह बात अव्यावहारिक है। इसलिये मैं अब सदन का ज्यादा समय न लूंगा और इन लफ्ज़ों के साथ उस से अनुरोध करूंगा कि इस धारा को इस बिल का जुज़ बना दे।"

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १३४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १३५

भूमिधरी अधिकार उपार्जन

१३५—(१) यदि कोई खाता संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० की धारा ३ में उल्लिखित (क) से (घ) तक के

यू० पी० ऐक्ट १०, १९४९ के अन्तर्गत संयुक्त खातों में भूमि-

वर्गों में से किसी में आने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के पास रहा हो और उक्त विधान की धारा ६ के अधीन कोई प्रख्यापन संयुक्त रूप से उन सब के पक्ष में न होकर उनमें से एक या अधिक के ही पक्ष में हुआ हो, तो उक्त प्रख्यापन केवल इसलिए ही अवैध न समझा जायगा कि वह खाते के एक भिन्नात्मक अंश ((fractional share) के ही सम्बन्ध में हुआ है और उक्त विधान के निदेश, उसमें किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार पढ़े जायेंगे और उनका इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों परिशिष्ट २ में दिए संशोधन उसमें कर दिए गए थे और उक्त विधान के प्रारम्भ से ही प्रचलित थे।

धरी अधिकार उपार्जन करना।

(२) संदेहों के निराकरण (removal of doubts) के लिए यह प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त विधान के अधीन और उसके प्रचलन के काल में किसी समय जो आज्ञाएं दी गई होंगी, जो कार्यवाहियाँ की गई होंगी, जिन प्रख्यापनों का प्रदान हुआ होगा तथा जो अधिक्षेत्र प्रयोग में लाए गए होंगे वे सब उसी प्रकार ठीक (good) और वैध (valid in law) समझे जायेंगे मानों उक्त विधान उपधारा (१) द्वारा संशोधित रूप में सभी प्रभावी दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।

श्री सुल्तान आलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त जो धारा १३५ हमारे सामने है मुझे कुछ ऐसा ताज्जुब सा मालूम हो रहा है कि गवर्नमेंट के कानूनी मशविरे के बाद भी इस बात की जरूरत महसूस होती रही कि यह धारा ज्यों की त्यों इस बिल में रखी जाय।

श्री चरण सिंह--इस सिलसिले में एक तरमीम आयी हुई थी कि यह धारा डिलीट कर (निकाल) दी जाय। वह कानून में आ नहीं सकती। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि पहले मेरे भाई खड़े हो गये, नहीं तो मैं स्वयं इस का विरोध करता क्योंकि जो बात हम चाहते थे वह अमेंडिंग ऐक्ट में आ चुकी है। इस लिये यह धारा ग़ैर ज़रूरी हो गयी है। इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां--फिर तो मुझे कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं है अगर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने मंजूर फरमाया है कि धारा हटा दी जाय। मुझे खुशी है कि इस मंजिल पर इस बात का एहसास तो हुआ।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १३५ निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १४०

ऐक्ट के प्रारम्भ के बाद भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के लिए प्रार्थना-पत्र

१४०—यदि प्रांतीय सरकार द्वारा विज्ञापित किये जानेवाले दिनांक से तीन मास समाप्त होने से पहले किसी समय धारा १३२ के खंड (क) में उल्लिखित वर्ग वाला सीरदार ऐसी भूमि के लिए, जिसका वह सीरदार हो, प्रांतीय सरकार को स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय या देय समझे जानेवाले लगान का दस गुना दे दे तो परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर को उस विषय में यथावत् प्रार्थना-पत्र देने पर उसको इस बात का प्रख्यापन पाने का अधिकार होगा कि उसने ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा १४३ में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

श्री ऐजाज़ रसूल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्तमान धारा १४० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय—

'इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने के बाद यथाशीघ्र तथा विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित हो जाने के बाद कि कोई आस्थान राज्य सरकार के स्वत्व में आ गया है, उस आस्थान के सभी सीरदार बिना कुछ अतिरिक्त रुपया अदा किये हुए (without any extra payment) ही आप से आप (automatically) भूमिधर हो जायंगे।'

जनाब वाला, इसका मकसद यह है कि गवर्नमेंट इस ऐक्ट के पास होने तक जितने लोगों से १० गुना लगान वसूल कर ले वह सब भूमिधर करार दिये जांय। यह एक जायज़ और मुनासिब तजवीज है और गवर्नमेंट को इसे मंजूर कर लेना चाहिये क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई नुक़सान नहीं है। मेरा मक़सद तो यह था कि गवर्नमेंट भूमिधरी राइट्स (अधिकार) बिना रुपया लिये हुए लोगों को देती और गरीब काश्तकारों से रुपया वसूल करके जमींदारों को देना यह गलत तरीका है। इसके लिए गवर्नमेंट को दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिये था। कर्ज लेती या लोंस ऐडवांस करती (कर्ज देती) लेकिन एक तरफ तो काश्तकारों की दोस्ती का दावा करना और जमींदारों को खत्म करना और दूसरी तरफ काश्तकारों से रुपया वसूल करना और हम जमींदारों को देना दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो इसको ख़राब समझता हूँ कि हमारे गरीब काश्तकारों से गवर्नमेंट रुपया वसूल करके हमको दे। आपने अपने ड्राइव (प्रयत्न) को चलाने के लिए शायद यह बात की है लेकिन जब आपने वेस्ट कर लिया तो तीन किस्म के काश्तकारों का क्या मतलब? दो किस्म के काश्तकार यानी एक अमीर काश्तकार हो जो रुपये वाला काश्तकार हो और जिसके पास धन हो तो वह भूमिधर हो जाय और जो गरीब हो वह महरूम हो जाय। आज मौजूदा हालत क्या है? आप खयाल फरमाइये कि हर काश्तकार हेरीडिटरी टेनेंट (मौरूसी काश्तकार) है लेकिन आपने इन मौरूसी काश्तकारों में भी दो किस्म के काश्तकारों से भूमिधरी का रुपया वसूल नहीं किया। यह दो काश्तकार कौन हैं, वह हैं रेंट फ्री ग्रांटी (माफीदार)

नोट—धाराएँ १३६—१३९ संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा निकाल दी गयीं।

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]

और फ़िक्स्ड रेट टिनेंट (शरह मुअय्यन काश्तकार) । वह इप्सो फैक्टो (स्वतः) बगैर रुपया दिये हुए भूमिधर हो जायेंगे और जो बकिया काश्तकार हैं उनसे १० गुना रुपया लिया जायगा । एक तरफ गवर्नमेंट जनता का और टिलर्स आफ दि स्वायल (ज़मीन जोतने वालों) का खयाल रखते हुए जमींदारों को खत्म करना चाहती है और कहती है कि ज़मींदार इस सूबे की खुशहाली के लिए रोक हैं । एक तरफ आप ज़मींदारी को खत्म कर रहे हैं दूसरी तरफ काश्तकारों से रुपया वसूल कर रहे हैं । अगर काश्तकारों के पास रुपया होता तो वह ३१ दिसम्बर तक गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर देते । लेकिन आज मेरे खयाल में ६ जून है और ज्यादा से ज्यादा १८ या १६ करोड़ रुपया मिल पाया है और वह भी जिस तरीके से वसूल किया गया है वह सबको मालूम है । गवर्नमेंट ने पहले १८० बन्द कर दिया था और १८० बन्द कर देने से बहुत से डिसप्यूटेड (विवाद ग्रस्त) खातों का रुपया गवर्नमेंट को मिल गया था लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसले के बाद फिर गवर्नमेंट का आर्डर निकला कि १८० खोल दिया जाय, तो इसका नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट को ६, ७ करोड़ रुपया उन डिस्प्यूटेड काश्तकारों को वापिस कर देना पड़ेगा और १, १॥ करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है, इसलिए इस तरह १८, १६ करोड़ रुपये में से १० करोड़ के करीब निकल गया और कुछ ८ या ६ करोड़ रुपया बचा है । ३० जून तक गवर्नमेंट का इन्टेन्सिव ड्राइव (महान आन्दोलन) है और उसके बाद खत्म हो जायेगा । लिहाजा इन सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट खुद इन्साफ करे और कहे कि वह गलती पर है । १८ करोड़ रुपया ज़मींदार लगान वसूल करते हैं और ६,७७,००,००० रुपया मालगुजारी होती है । अगर बिना रुपया वसूल किये गवर्नमेंट काश्तकारों का लगान आधा कर दे तो गवर्नमेंट को ६ करोड़ रुपया यों ही मिल रहा है और उनकी इनकम (आय) में इजाफा हो रहा है, इसलिए क्या जरूरत है कि काश्तकारों से दस गुना वसूल करे । अगर जो रुपया वह वसूल कर चुकी है उसको किसी वजह से वापिस नहीं करना चाहती है तो जिस तारीख से ज़मींदारी वेस्ट हो उस तारीख से सारे काश्तकार भूमिधर हो जांय, ऐसा गवर्नमेंट कर दे । अगर आप काश्तकारों के वाकई बीहीख्वाह हैं तो मेरी तरमीम को आप ज़रूर मंज़ूर फरमायेंगे । आप जमीदारों के मुआवजे का खयाल न कीजिये, चाहे ज़मींदारों को मुआविजा मिले या न मिले लेकिन आपको यह वसूली तो बन्द ही कर देना चाहिये । बावजूद इस वसूली के आप नकदी मुआविजा ज़मींदारों को नहीं देंगे क्योंकि १३४ करोड़ रुपया मुआविजे का है और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी देना है और आपके ड्राइव से १८, १६ करोड़ रुपया वसूल हो पाया है और ज्यादा से ज्यादा ५,६ करोड़ रुपया और इन १०, १५ दिनों में वसूल हो जायगा, इस तरह से २४, २५ करोड़ में तो नकद मुआविजा दे नहीं पायेंगे सिवाय इसके कि बाँड या और किसी तरकीब से दें । इसलिए आप ज़मींदारों के ऊपर क्यों अहसान फरमाते हैं ? जो रुपया काश्तकारों से लिया गया है, मेरे इलाके के काश्तकारों से लिया गया है, वह लेना मैं पसन्द नहीं करता, क्योंकि उन गरीबों से हमारा बहुत दिनों का साथ रहा है, इसलिये यह नामुनासिब है कि उनसे रुपया वसूल करके हमको दें । मैं तो समझता हूं कि सब रुपया जो वसूल किया है उसे वापिस कर देना चाहिये । लेकिन

अगर किसी वजह से रुपया वसूल नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि उन गरीब काश्तकारों को भूमिधर बना दें जिनके पास रुपया नहीं है। हमारी तरमीम साफ है लेकिन हो सकता है कि उधर के लोगों के दिमाग में यह न आये, रमाशंकर लाल जी की समझ में न आयेगी। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि नीच जाति के लोग अधिक हैं जो कि रुपये न होने की वजह से भूमिधर नहीं बन पाये हैं क्योंकि उनके पास रुपया नहीं है। शोषित संघ के लीडर मौर्य जी जहाँ तक फिक्स्ड रेंट टैनेण्ट का ताल्लुक है उनको बचा कर ले गये। अब यह देखना है कि जो अछूत काश्तकार हैं उन लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, उनके पास रुपया नहीं है इसलिये वह अदा नहीं कर सकते हैं इसलिये मौर्य साहब को इस अमेंडमेंट को सपोर्ट (समर्थन) करना चाहिये कि बिना रुपया अदा किये हुए उनको भूमिधर होने का अधिकार हो जाये क्योंकि इससे गवर्नमेंट की पालिसी में भी कोई ऐसा फर्क नहीं आता है। आपकी पालिसी यह थी कि इस वक्त रुपया वसूल कर लें लेकिन जब रुपया वसूल नहीं हुआ तो गांवों में सीरदार, 'भूमिधर वगैरह का फर्क रखना कहां तक जायज और मुनासिब है? मेरे ख़याल में मेरे दोस्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर भी बिला इसका लिहाज किये हुये कि यह चीज़ ज़मींदारों की तरफ से कही गई है अगर उनको उसूली बात मालूम हो तो वह मेरी मदद फरमायेंगे और इस अमेंडमेंट की सपोर्ट करेंगे। लिहाजा मैं इन शब्दों के कहने के बाद गवर्नमेंट की ईमानदारी और सचाई का अंदाजा करना चाहता हूं। अगर वाकई गवर्नमेंट काश्तकारों की सच्ची बीहीख्वाह है तो वह मेरी तजवीज को मंजूर करेगी।

श्री रोशन जमाँ खाँ--जनाबवाला, बावजूद इसके कि मौजूदा तरमीम एक ज़मींदार साहब ने जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी (प्रजातन्त्रवादी दल) के मेम्बर हैं पेश की है लेकिन मैं इसकी ताईद करता हूँ। सवाल अहम है और बहुत ज्यादा अहम है। सरकार ने किसानों से १० साल का लगान वसूल करने की सारी जहमतें इसलिये गवारा की कि उनका जमींदारों से बड़ा प्रेम था और वह नहीं चाहती थी कि बिला मुआवजा दिये हुये उनसे जमींदारी ली जाये लेकिन इस ऐवान में अक्सर यह देखा गया है और अभी ऐजाज रसूल साहब ने भी एलान किया है कि अगर इस सूबे के किसानों से रुपया लेकर जमींदारों को मुआविजा दिया जा रहा है तो जमींदारान ऐसा मुआविजा लेने के लिये तैयार नहीं हैं लेकिन हमें तो हैरत इस सरकार के तर्जेअमल पर है कि जो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि खुद उनका जमीर कहता है कि हमें मंजूर नहीं है लेकिन यह फिर भी उनके लिये इतनी जहमतें गवारा करने के लिये तैयार है। खैर यह तो इस सरकार की एक पालिसी है जिसके लिये आनेवाली तवारीख़ अपनी राय का इज़हार करेगी लेकिन हम इस मौके पर चंद बातें अर्ज करना जरूरी समझते हैं। मैं कुछ ज़्यादा तफसील के साथ इस मसले पर नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर हम सोशलिस्ट पार्टी वाले इसको वाजेह तौर पर बयान कर चुके हैं। सवाल यह है कि ज़मीन की कामोडिटी (वस्तु) को सरकार ने बेचने की चीज करार दिया है लेकिन वह सौदा क्या है जिसके बदले में यह सरकार इस सूबे के बसने वालों से १० साल का लगान ले रही है? अगर इस बिल की दफात को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि अगर कोई चीज ऐसी है जो भूमिधर को सीरदार के हकूक़ से मुमताज करती है तो वह हके इन्तकाल है।

[श्री रोशन ज़मां खां]

लेकिन उस राइट आफ ट्रांसफर (हके इन्तकाल) के सौदे में भी सरकार ने इस सूबे के किसानों के सामने जो कुछ रखा है वह ऐसा नहीं है जिसके लिये यह सरकार उनसे १० गुना लगान वसूल करने की मुस्तहक हो। वसीअत करने का महदूद हक (लिमिटेड राइट) भूमिधरों को दिया जा रहा है। बेचने और हिबा करने का हक भी उसे महज निहायत ही महदूद तरीके से देने की कोशिश की गई है। इसी तरीके पर रहन के कब्जा करने के लिये भी भूमिधर को पूरे अख्तियारात नहीं हैं लेकिन अगर कोई भूमिधर उसे जारी करेगा तो वह रेहननामा नाजायज हो जायेगा। जो कुछ मैंने अर्ज किया उससे यह बात साफ तौर पर जाहिर है कि जो राइट आफ ट्रांसफर दिये जा रहे हैं वे बरायेनाम दिये जा रहे हैं और वह भी यह समझ कर कि इस सूबे का किसान आराजी का मालिक नहीं है बल्कि उस आराजी की मालिक सरकार है। कल सरकारी पार्टी के कुछ लोगों ने अपनी तकरीर में कहा था कि इस सूबे के किसान इस बिल के ज़रिये से जमीन के मालिक बन जाते हैं। लेकिन सही बात तो यह है बजाय देने के काश्तकारों के हकूक में कुछ कमी की जा रही है। खुद उन्होंने दफा ६ में इस बात का ऐलान किया है कि सारी आराजी सरकार में वेस्ट होगी और सारी आराजी की मालिक सरकार होगी। फिर सरकार दफा ७ के जरिये से उन हकूक को यहाँ के बसने वालों को देती है। यही नहीं अगर उनका यह कहना सही है कि सूबे का किसान अपनी आराजी का मालिक होगा तो क्या किसी मालिक से उस चीज़ का दाम कहीं लिया जाता है जिसका वह मालिक है? एक तरफ तो सरकारी पार्टी के मेम्बर, सरकारी पार्टी के वकील यह कहते फिरते हैं कि वह किसानों को जमीन का मालिक करार देती है और मानती है। लेकिन अगर इस सूबे के किसान अपनी आराजी के मालिक हैं तो उनको उनसे कोई मुआविजा नहीं लेना चाहिये। फिर इस दस या बारह साला लगान लेने के क्या मानी हैं? सही मानों में इस सूबे के बसने वाले मौरूसी काश्तकारों से जिनको सीरदार करार दिया जा रहा है १० साला लगान लेकर भूमिधर बनाया जा रहा है उनके हकूक में बजाय खास इजाफा होने के उनको कम किया जा रहा है। हमारे सूबे के मौरूसी काश्तकारों को जो हकूक बटवारे हासिल थे यह सरकार उस हक्क बटवारे को छीन रही है और महूदद कर रही है और उसके बदले में हक्क इन्तकाल जो दिया है वह कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो चीज सरकार इस बिल के जरिये से सूबे के किसानों को देना चाहती है वह कोई खास काबिले कदर नहीं है और न इस बिल के जरिये से यह सरकार १० गुना लगान वसूल करने की मुस्तहक है। जहाँ तक इस १० गुने लगान के वसूल करने का ताल्लुक है उसकी बाबत सोशलिस्ट पार्टी अपनी राय का इज़हार कई बार कर चुकी है और सरकारी पार्टी के लोग अक्सर यह राग अलापते रहते हैं कि जमींदारी अबालिशन फंड में बहुत कामयाबी मिल रही है। अगर वह ऐसा विचार रखते हैं तो उनको यह अपना विचार मुबारक हो। लेकिन हम फिर एक बात को दोहराना चाहते हैं कि आपने जो यह गलती की है इसको वापस लेलें। अपनी गलती को अगर अभी दुरुस्त कर लें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मुहम्मद तुगलक को अपनी गलती महसूस करके दोबारा दिल्ली को बसाना पड़ा था। पहले वह दौलताबाद को हकूमत का तख्त

बनाना चाहता था और दिल्ली को उसने मिस्मार कर दिया लेकिन जब उसने अपनी गलती को माना तो तब दिल्ली को दोबारा बसाया और दौलताबाद को मिस्मार किया था। उसको मजबूरन अपनी गलती माननी पड़ी थी। पिछले साल २ अक्तूबर को सरकार ने यह ऐलान किया था और इस सरकार ने यह कहा था कि तीन महीने के अन्दर इस फंड को वसूल कर लेंगे लेकिन इस वक्त ६ महीने हो गये हैं, सिर्फ आप १८० करोड़ में से १६ करोड़ रुपया हासिल कर सके हैं और वह भी खुदा जाने किस मुसीबत से और कितने मज़ालिम करने के बाद उसको वसूल किया है। मैं नहीं जानता कि यह खबर कहाँ तक सही है कि बरेली में कुछ किसानों ने सरकारी आदमियों को जख्मी किया है। तो इस तरह से दूसरे जिलों में भी वाक़या पेश होने का अन्देशा है। जिस दिन किसान यह समझ जायगा कि इससे कोई खास डेवलपमेंट (सुधार) नहीं है तो उस दिन अपनी मुसीबत को वह खुद हल करेगा। वह जबरदस्ती ऐसी बातों पर मजबूर हो जायगा जिससे कि हमारी सरकार को दिक्कत होगी। इतनी सख्ती और इतना तजुर्बा करने के बाद भी जो रकम आपने वसूल की है अगर आप उसको कामयाबी समझते हैं तो आप इसको मेरे कहने के मुताबिक खत्म कर दीजिये क्योंकि आपने जो यह १६ करोड़ रुपया वसूल किया है वह सही माने में वसूल नहीं किया है। इसके अन्दर बहुत सा रुपया फर्जी है। किसी खाते का लगान अगर ४० रुपया है और उसने १० रुपया अदा कर दिया है तो इसके अन्दर उस खाते का ४० रुपया जोड़ दिया गया है। ज्यादातर इसके अन्दर उनका रुपया है जिनके खाते के बारे में झगड़े चल रहे हैं। लिहाजा यह जो १६ करोड़ की तादाद है सही नहीं है। आपने अगर इन ६ महीनों के अन्दर इतनी रकम वसूल की है तो कोई खास रकम नहीं है जब कि आपने शुरू में कहा था कि इसको ३ महीने के अन्दर वसूल किया जायगा। ऐसी सूरत में आपने जो यह रकम वसूल की है उसको देखते हुये कामयाबी नहीं कहा जा सकता। यही नहीं बल्कि जमींदारी अबालिशन फंड के लिये उसूली तौर पर भी मुखालिफत की जा सकती है। अगर आप इस उसूल को मानते हैं कि जमींदार साहबान को मुआविजा देना चाहिये तो यह सवाल होता है कि क्या मुआविजा के इस बार को हमारे सूबे के किसान बरदाश्त कर सकते हैं जिसको कि जमींदारान को देना चाहते हैं? आनरेबिल वजीर साहब ने कई मरतबा इस बात को कहा है कि चूंकि हम इस उसूल को मानते हैं कि अगर किसी शख्स की कोई चीज ली जाय तो उसको उसका मुआविजा मिलना चाहिये और उसको उस चीज का दाम अदा करना चाहिये। लेकिन अगर यही बात थी और आप जमींदारी को खुले आम कमोडिटी आफ सैल (विक्रय की वस्तु) बनाना चाहते थे तो आप ने सूबे के किसानों को क्यों ऐसा मौका नहीं दिया कि वह जमींदारों से सौदा करके उसे खुद खरीद लेते। आप ने उसको कमोडिटी आफ सेल बनाने की कोशिश की लेकिन उसको आप ने सही तौर पर अंजाम नहीं दिया। आप ने यह कहा कि हम चूंकि इस तरह के सीरदारों या मौरूसी काश्तकारों को जमींदारी या किसी तरह के हकूक दे रहे हैं लेकिन क्या आप जमींदारी के हकूक को मौजूदा काश्तकारों को दे रहे है? मौजूदा जमींदारी के हकूक को तो सरकार ले रही है और उसमें से बराएनाम कुछ हकूक सूबे के काश्तकारों को आप दे रहे हैं। ऐसी सूरत में वह चीज ऐसी नहीं है जिस के लिये सूबे के किसान दस साल का लगान अदा करें। और सरकार

[श्री रौशन ज़मां खां]

ने जो ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि अगर किसी की चीज ली जाय तो उसको मुआविजा अदा करना चाहिए। दरअसल यह उसूल ही गलत है। क्या आप समझते हैं कि सूबे के ७३ फीसदी किसान जिन के पास खाने भर को पैदा नहीं होता और अगर हो जाता है तो बचता नहीं जैसा कि आप ही की सरकारी रिपोर्ट है और खुद आप की जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर है और आप ने उसमें तसलीम किया है। तो वह लोग कहां से रुपया लावेंगे और कैसे दस गुना अदा कर सकते हैं जब कि वह एक साल का लगान तक अदा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में मैं आप से अर्ज करूँगा कि अगर आप इस उसूल पर चलेंगे तो आप इस कानून को कतई तौर पर कामयाब नहीं बना सकते। आपको मानना पड़ेगा कि आप इस उसूल को रद्द कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी चीज को ले तो उसको उसका मुआविजा देना चाहिये। फिर सवाल यह है कि सरकार ने खरीदफरोख्त को खत्म करने की कोशिश क्यों की। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपका यह बयान किसी उसूल से ठीक उतरता है? इसके बारे में तो ठीक राय यही हो सकती है कि आपका यह कानून सबसे बड़ा बेउसूली कानून है। और आपको जैसे जैसे अपने उसूल में दिक्कतें पेश आती जाती हैं आप अपने कानून में तरमीम करते जाते हैं। अभी अखबारों में आया है कि कांग्रेस पार्टी ने १२ गुना लगान वसूल करना तय किया है, अगर उनकी यही पालिसी है तो उनको मुबारिक। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको रुपया बनाने की मशीन बनाना और इस तरह की मनी मेकिंग डिवाइसेज (धन प्राप्ति की तरकीब) अमल में लाना कहां तक जायज हो सकता है। सरकार जमींदारी अबालिशन के मसले पर बहुत अरसे से गौर कर रही है और उसकी पालिसी थी कि टिलर आफ दि स्वायल (जमीन का जोतने वाला) ही जमीन का मालिक होना चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर ऐसी ही बात है और अगर यह सरकार वाकई जमीन के जोतने वाले को ही जमीन का मालिक बनाना चाहती है तो सरकार किस उसूल के मुताबिक जमींदारी अबालिशन फंड में एक साल के लगान से ज्यादा मांगती है और क्यों दस साल का लगान लेना चाहती है? मैं अर्ज करूँगा कि सरकार का ऐसा खयाल कतई गलत है और उसने एक गलत उसूल अख्तियार किया है और पिछले ६ महीने में वह बिलकुल नाकाम साबित हुई है और अब कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई है कि जिसकी बिना पर यह गलत उसूल हमारे सूबे में कायम रहने चाहिए। लिहाजा हमारी सरकार से मांग है कि हमारे सूबे के जितनी मौरूसी काश्तकार हैं जिनको इसी कानून में सीरदार का हक दिया गया है उनको बिना कोई रकम लिए हुए भूमिधर बनाने का एलान करे और जिनसे रकम वसूल हो चुकी है उसको भी वापिस कर दे और साथ ही यह भी तय कर दे कि ज़मींदार साहबान को भी कोई मुआविजा देने की ज़रूरत नहीं है और उसी में एक जुमला यह भी बढ़ा दें कि चूंकि ज़मींदार साहबान किसानों से कोई मुआविजा नहीं लेना चाहते इसलिए हम उनको भी कोई मुआविजा नहीं देना चाहते।

श्री राम शंकर लाल—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे लायक दोस्त ऐजाज रसूल साहब ने पेश किया है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम एक अजीब बात देख रहे हैं। हमारे जमींदार दोस्त जो कि यह चाहते हैं कि

ज़मींदारी का खात्मा न हो और सोशलिस्ट दोस्त जो यह चाहते हैं कि बिला मुआविजा जमींदारी खत्म की जाय, दोनों एक ही किश्ती में चल रहे हैं। यह ऐसी बात है जो ज़रा समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसा हमारे कमलापति जी ने कल कहा था कि इन लोगों का गठबन्धन हो गया है, तो अब तो नौबत यहाँ तक आ गयी है कि हमारे दोस्त रोशन जमां साहब भी यह एलान करने लगे हैं कि जमींदार मुआविजा नहीं लेंगे। बहरहाल, मैं यह बताना चाहता हूँ कि दफा १४० क्यों ज़रूरी है और इसका उसूल क्या है।

हमारे दोस्त रोशन जमां साहब बार बार इस हाउस में सोशलिस्ट सिद्धान्त की दुहाई देते हैं और सोशलिस्ट पार्टी का जो स्टैंड प्वाइंट (आधार) है उसे यहाँ पेश करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई चीज इस वजह से नहीं कबूल की जा सकती है कि वह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आयी है। अगर वह रीज़न को स्टैंड करती है (युक्तियुक्त है) तब तो कबूल की जा सकती है, लेकिन महज़ इसलिये कि वह सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की तरफ से आयी है सिर्फ इसी वजह से काबिल कबूल नहीं हो सकती। पहली चीज जो उन्होंने कही वह यह कही कि जमींदारी का खात्मा इस मुल्क का और इस सूबे का पिछले २०/२५ वर्षों से एक बहुत बड़ा तकाजा था। कांग्रेस ने अपने एलेक्शन मैनीफैस्टो में (निर्वाचन विज्ञप्ति) में यह रखा कि मुआवजे के साथ जमींदारी खत्म की जाय। हमारे रोशन जमां साहब जो अब सोशलिस्ट पार्टी में आये, उनके बड़े लीडर आचार्य नरेन्द्र देव और उन सब लोगों ने जो पहले कांग्रेस में थे और अब छोड़ कर सोशलिस्ट पार्टी में चले गये हैं, यह कह कर उस एलेक्शन में वोट माँगे कि जमींदारी का खात्मा हो और मुआविजा दिया जाय। तो इन्हीं छोटे ज़मींदारों ने जिनमें अब ६० फी सदी तादाद छोटे ज़मींदारों की है कांग्रेस में वोट दिया। आज कांग्रेस कैसे उस वादे से हट जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी जो मारल (नीति) पर स्टैंड करती (स्थित) है एक मैनडेट बना देने के बाद उससे मुकर नहीं सकती। वे लोग भी कहते हैं कि हम मुआविजा तो नहीं देंगे लेकिन रिहैबिलि-टेशन ग्रांट (पुनर्वासन अनुदान) देंगे। लफ्जी बहस अगर आप छोड़ दीजिये तो देना तो कुछ न कुछ वे भी स्वीकार करते हैं। सिर्फ वे यह कहते हैं कि हम एक लाख तक देंगे; इससे ज्यादा नहीं देंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं, कोई उसूल है तो क़ीमत की एक दर होगी। बहरहाल, मैं बहस में नहीं जाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सोशलिस्ट पार्टी का जो सिद्धान्त है वह यह है कि वे कुछ देना चाहते हैं। वे भी यह महसूस करते हैं कि मुल्क की मौजूदा फिजां में ज़मींदारों की जो हालत है, जो उनकी तादाद है और जो उनमें छोटे लोग हैं वे जरूर कुछ पाने के मुस्तहक हैं। ज़मींदारी बगैर किसी मुआविजे के खत्म नहीं की जा सकती। अब यह रुपया किस तरह से आये ? हमारे सोशलिस्ट भाई इस भवन में बहुत बार बोले लेकिन किसी साहब ने यह नहीं बतलाया। कानपुर में आचार्य नरेन्द्र देव जी ने यह कहा कि यह रुपया हम बड़े बड़े पूँजी पतियों और महाजनों से ले लेंगे। मगर हमारे सूबे की क्या हालत है ? हमारे सूबे के पूर्वी ज़िलों में एक इंडस्ट्री (उद्योग) शूगर (शकर) की है। उसमें केन ग्रोअर्स (गन्ना उत्पन्न करने वाले) हैं। अब अगर आप उस इंडस्ट्री से लें तो केन ग्रोअर्स को देना पड़ेगा और केन ग्रोअर्स वे काश्तकार हैं जिनसे हमारे भाई रोशन जमां और ऐजाज़ रसूल साहब चाहते

[श्री राम शङ्कर लाल]

हैं कि रुपया न लिया जाय । दूसरी एक थोड़ी सी इंडस्ट्री कानपुर में है रुई की । इनके अलावा और कोई इंडस्ट्री सूबे में है नहीं । फिर वे किस तरह से रुपया इकट्ठा करेंगे । सन् १९४६ से चार साल तक सोचने के बाद सन् १९५० में हमारे राजा साजिद हुसैन साहब ने परसों नरसों यह फरमाया कि इसके लिये एक टैक्सेशन लगाना चाहिये । ठीक है, लेकिन अगर वह टैक्सेशन होगा तो टैक्स का रुपया कौन देगा ?

सिवाय इसके कि इस सूबे के रहनेवाले किसान ही ज्यादा हैं क्योंकि उनकी तादाद ८५ या ९० फीसदी के करीब है, तो उस टैक्सेशन का बोझ उन्हीं पर ज़्यादा पड़ेगा और वह रुपया फिर भी किसानों की ही जेब से आवेगा । नतीजा यह है कि चाहे सोशलिस्ट पार्टी के स्टैंडप्वाइंट को ले लीजिये, चाहे ज़मींदार भाइयों के स्टैण्डप्वाइंट को ले लीजिए, जो भी मुआवज़ा देना है उसका मेजर पोर्शन (अधिकांश) किसी न किसी तरह से किसान की जेब से ही आवेगा । हम लोगों ने एक स्कीम रखी और वह यह है कि आजकल गल्ले का दाम बहुत बढ़ गया है और इस वजह से किसान की कैपैसिटी (सामर्थ्य) अदा करने के लायक है । आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के तमाम अखराजात बढ़ गये हैं, गवर्नमेंट के जितने मुलाजिमीन हैं वे इस वजह से बदगुमान हैं कि खाने पीने के और जिन्दगी की जरूरियात की कीमतें तो ३ गुनी ४ गुनी बढ़ गई हैं लेकिन उन लोगों की तनख्वाहों में माकूल इजाफा नहीं हुआ । गाँवों में रहनेवाले हमारे मुदर्रिसीन ने स्ट्राइक कर रखा था क्योंकि उनकी तनख्वाहों में माकूल इजाफा नहीं हुआ । वे लोग परेशान हैं । उनके लिये पेट भरना मुश्किल हो रहा है । सरकार ने किसान से या ज़मींदार से लगान या मालगुजारी नहीं बढ़ाई और उसको कुछ नहीं मिल सका । सरकार ने यह किया कि ज़मींदारी खात्मा करने के लिये अगर किसान से खुशी से पैसा ले लिया जाय तो उसके लिये यह भूमिधरी की स्कीम चलाई गई । इसके ऊपर सोशलिस्ट पार्टी का पहला एतराज यह है कि इस मुल्क में जमीन जो है वह स्टेट की होनी चाहिये और वह किसी की मिल्कियत नहीं होनी चाहिये । सिर्फ जो आदमी जमीन को जोतता है उसे राइट आफ पजेशन (स्वायत्ताधिकार) होना चाहिये । जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, यह सोशलिस्ट पार्टी का स्टैंडप्वाइंट है । कल हमारे भाई कमलापति त्रिपाठी जी ने बहुत तशरीह के साथ यह बतलाया कि इस मुल्क में किसान की क्या हालत रही । जैसा उन्होंने बतलाया, अँग्रेजी राज्य के आने तक यहाँ यही होता था कि किसान अपनी जमीन का मालिक होता था । हमने पिछले दिनों में यह नारा लगाया कि जमीन किसान की होगी, यह नहीं कहा था कि जमीन स्टेट (राज्य) की होगी । अगर आप कुछ सोशलिस्ट लिटरेचर (साहित्य) पढ़ लें और उसकी बिना पर कोई चीज इस हाउस में कहें तो वह तो कुछ और चीज है वरना अगर आप एक किसान के घर में जावें और देखें कि वह क्या चाहता है । वह यह चाहता है कि उसके पास जो थोड़ी सी जमीन है वह उसका मालिक हो । वह सोशलिस्ट पार्टी की किताबों को नहीं पढ़ता है और न वह यह देखता है कि सोशलिज्म किस तरह से चलता है । सवाल यह है कि हम लोग जो यहाँ असेम्बली में बैठे हुये हैं, हम कुछ फिलासोफर्स (दार्शनिक) तो नहीं आये हैं जिनको कोई फिलासोफी इस असेम्बली के जरिये से चलानी हो । हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव

(प्रतिनिधि) होकर यहाँ आये हैं और किसान की उस ख्वाहिश को यहाँ लेकर आये हैं जो कि उसके दिल में है। वह चाहता है कि वह अपनी जमीन का मालिक हो और भूमिधर बने। भूमिधर होने के एवज में हमने उससे कहा कि वह १० गुना लगान दे दे। वह भी उसकी खुशी है चाहे दे या न दे। अगर रुपया नहीं आता है तो मुआविजा कहाँ से दिया जायगा? स्कीम बिलकुल साफ़ है। दफा ७१ जो मुआविजे के बारे में है उसमें गवर्नमेंट ने अपने को कमिट (बद्ध) नहीं किया है। अगर किसान इस चीज़ को पसन्द करता है तो वह रुपया देकर भूमिधर बन जावेगा। अगर वह नहीं देता है और रुपया नहीं आता है तो हम बांड दे देंगे जिसे हमारे ज़मींदार भाई भी जानते हैं। लेकिन इसमें यह सवाल कैसे आता है कि यह स्कीम खुदबखुद नाकिस है या इसमें कोई गड़बड़ है?

हमारे रोशनज़मां खां साहब अभी हाल ही में सोशलिस्ट बने हैं। वह यह कहते हैं कि हम भूमिधर को एब्सोल्यूट राइट (पूर्णाधिकार) नहीं दे रहे हैं। उसको मुकम्मिल मालिक नहीं बना रहे हैं। उसको राइट आफ ट्रांसफर (हस्तान्तरण का अधिकार) बहुत रेस्ट्रिक्टेड (सीमित) तरीके से दे रहे हैं और उसे मार्गेज (गिरवी) और सबलेट (शिकमी) करने का राइट नहीं दे रहे हैं। एक तरफ तो सोशलिस्ट पार्टी का स्टैंडप्वाइंट यह है कि काश्तकार को जमीन में सिर्फ पज़ेशन का ही राइट होना चाहिये और मिल्कियत स्टेट में वेस्ट करनी चाहिये और दूसरी तरफ वे अपनी बहस में यह कहते हैं कि क्यों नहीं एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया है। यह शायद मेरे दोस्त ही समझते हों कि ये दोनों चीजें सोशलिस्ट थियोरी में कैसे फिट इन करती (युक्त होती) हैं। मैं तो कम से कम इसे समझने से कासिर हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। अब रहा यह कि हमने ट्रांसफर का कम्प्लीट राइट क्यों नहीं दिया, वह खुद उन्हीं की सोशलिस्ट पार्टी का स्टैंडप्वाइंट है कि इस मुल्क में जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन (पुनर्वितरण) हो खुद वह चाहते हैं कि किसी आदमी के पास जमीन ३० एकड़ से ज्यादा न हो। इसी तरह अगर हमने यह कह दिया कि जिसके पास इतनी जमीन से ज्यादा हो भूमिधर उसके हाथ जमीन न बेचे, तो इसमें हमने कौन सा गुनाह कर दिया है? मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि भूमिधर के हकूक किस तरह कम हो गये। आप जमींदारों के राइट को ले लीजिये या किसी के राइट को ले लीजिये, वह परफेक्ट (पूर्ण) होते हुये भी उनमें थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) समाज और सोसायटी की ज़रूरयात को देखते हुये होते ही हैं। सवाल यह है भूमिधर को अपने राइट का इस्तेमाल करने में कोई रुकावट होती है या नहीं होती है। मेरे खयाल में कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए जो उन्होंने कहा वह मुनासिब नहीं है।

एक चीज यह है कि "तुग़लक मस्ट रिटर्न टू डेलही" (तुग़लक दिल्ली को अवश्य वापस आयेगा) यानी बार बार यह कहा जाता है कि बावजूद तमाम कोशिशों के १८ या २० करोड़ रुपया ही ज़ेड० ए० एफ़० (ज़मींदारी उन्मूलन कोष) में जमा हो सका है। पिछले दो या तीन वर्षों में जब एबालिशन का बिल नहीं आया था तब आप यह कहते थे कि कांग्रेस वाले ज़मींदारी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। हमें यह कहाँ उम्मीद थी कि जब हम किसानों से यह कहेंगे कि भूमिधरी जमा करो तब हमारे सोशलिस्ट भाई कलेवर बदल करके यह कहेंगे कि दसगुना न जमा करो और जमींदारी खत्म करने में देर करो। यह लोग यह कहते थे कि जमींदारी खत्म करने में हम तुमसे आगे हैं लेकिन जब

[श्री राम शङ्कर लाल]

ज़मींदारी खत्म करने का मौक़ा आया तो बजाय इसके कि यह हमारे मददगार होते इन लोगों ने उसी तरह अड़ंगा लगाना शुरू किया जिस तरह ज़मींदार अड़ंगा लगा रहे थे और दोनों में जैसा मैंने कहा एक प्रकार का गठबन्धन हो गया। यह एक अजीब बात है कि एक तरफ़ आप यह फ़रमाते हैं कि ज़मींदारी जल्द से जल्द खत्म हो और दूसरी तरफ़ आप स्कीम की मुखालिफ़त भी करते हैं। लखनऊ में प्रदर्शन भी करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। यह बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सोशलिज़्म से थोड़ी बहुत मुझे हमदर्दी है लेकिन यहां की सोशलिस्ट पार्टी की जिस कार्यवाही से मुझे सख्त मुखालिफ़त है वह यह है कि उन्होंने इस स्कीम की मुखालिफ़त की महज़ इसलिए कि उनकी कांग्रेस से मुखालिफ़त थी। जब वह खुद यह चाहते थे कि ज़मींदारी जल्द से जल्द खत्म हो, तो उनका फ़र्ज़ यह था कि वह इस स्कीम में हमारी मदद देते, या अगर मदद नहीं देते तो चुप ही रहते। जब वह खुद यह कहते हैं कि कुछ न कुछ हम ज़मींदारों को देने वाले हैं और वह यह नहीं कहते हैं जैसा कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड प्वाइंट है कि हम ज़मींदारों को कुछ नहीं देना चाहते, ऐसी सूरत में उनका इस स्कीम की मुखालिफ़त करना उचित नहीं मालूम होता है। मैं अपने ज़िला की हालत बतलाऊँ। मेरे ज़िले में यह स्कीम काफ़ी सक्सेसफ़ुल (सफल) है लेकिन मैंने यह देखा है कि ज़्यादातर छोटे ही काश्तकार पैसा जमा करते हैं। वह यह समझते हैं कि यह कांग्रेस के लोग आये हैं, यह ठीक बातें करते हैं, इसलिए रुपया जमा करना चाहिये। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं और जो अपने को होशियार समझते हैं वह यह कहते हैं कि लाल टोपी वाले रोशनजमां साहब के भाई लोग आये थे और वह यह कह रहे थे कि हम तुमको मुफ़्त में भूमिधरी का हक दिला देंगे, इस लिए हमें रुपया जमा नहीं करना चाहिये। जिन लोगों ने देहातों में काम किया है वह यह जानते हैं कि किसानों के पास रुपया है। एक चीज़ और यह है कि छोटे छोटे ग़रीब काश्तकारों ने जो रुपया दिया है उससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि बड़े बड़े काश्तकार जिनके पास पैसा है वह सोशलिस्ट पार्टी के बरग़लाने में आ गये हैं और इसीलिए उन्होंने रुपया नहीं दिया है। हमने ऐसे लोगों के लिए रास्ता खोल रखा है कि शायद सोशलिस्ट पार्टी के साथ उनको भी कभी अक्ल आ जाय और वह रुपया जमा कर दें।

हमारे ऐज़ाज़ रसूल साहब ने एक अजीब बात कही। उन्होंने यह फ़रमाया कि यह जो पैसा किसानों से लिया जा रहा है, हम उसमें से मुआविज़ा लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं ज़मींदारी अबालीशन कमेटी में तो नहीं था लेकिन जबसे यह बिल असेम्बली में आया मैं हाज़िर रहा हूं। आजतक जो कुछ आता था वह तो यह था कि मुआविज़ा ८ गुने से १० गुना और १२ गुना कर दिया जाय और जो कुछ किया जा रहा है वह बहुत कम है। लेकिन जब इनैक्टमेंट (कानूनी रूप देने) का मौका आ रहा है तो कहते हैं कि हम तो नहीं लेंगे। बड़ी खुशी की बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि और दूसरे ज़मींदार और ज़मींदार सभा तय कर दें कि हम मुआविज़ा नहीं लेंगे तो हमारे सर से भी वह बाल छूटे और हम और किसान उनके बड़े ऋणी होंगे अगर वह ऐलान कर दें कि वह रुपया नहीं लेंगे और मैं गवर्नमेंट को ऐडवाइस (सलाह) करूंगा कि दफ़ा १४० को वापस ले ले और मैं समझता हूं कि उनके साथ पूरे हाउस की हम-

दर्दी होगी। मैं यह भी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि जो रुपया खज़ाने में अबतक जमा हुआ है वह लौटाल दिया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त ज़मींदार लोग हूं मच बँकिंग (बहुत बकवास) करते हैं। जो कहते हैं उसपर अमल करने की कोशिश नहीं करते। अगर जितने इस हाऊस में ज़मींदार साहबान बैठे हुए हैं वह इस राय से मुत्तफिक हैं तो वह ऐलान कर दें कि वह लोग और ज़मींदार असोसिएशन चाहती है कि मुआविज़ा न दिया जाय तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि फिर इस स्कीम पर ग़ौर करे और यह बड़ा ही अच्छा होगा और मैं न सिर्फ़ अपनी तरफ़ से बल्कि सूबे के उन ग़रीब किसानों की तरफ़ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्हें यह पैसा देना पड़ रहा है।

इसके बाद, मैं समझता हूं कि और कुछ नहीं कहा गया जिसका जवाब नहीं दिया गया हो और इन लफ़्ज़ों के साथ मैं इस तरमीम की मुख़ालिफ़त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सदन इसे नामंजूर करेगा।

श्री सुल्तान आलम खाँ—जनाब वाला, जो मुबाहिसा इस भवन के अन्दर हुआ, मैंने उसे बहुत गौर से सुना। मैंने वह तकरीरें भी सुनीं जो ट्रेज़री बेंचेज़ (सरकार) की तरफ़ से की गयीं और वह भी सुनी जो मेरे दोस्त, अमेंडमेंट के मूवर (प्रस्तोता) ऐज़ाज़ रसूल और उनके दोस्तों ने की और वह भाषण भी सुना जो सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) का इज़हार करता था। लेकिन सब तकरीरों को सुनने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हम लोग इस मंज़िल पर पहुंचकर ज़्यादातर सेंटिमेंट (भाव) और स्लोगन (नारों) से काम ले रहे हैं। और इसकी तरफ तवज्जह करने की कोशिश नहीं करते कि अमली तौर पर जो मसला हमारे सामने है उसका हल किस तरह से तलाश किया जाय। जनाबवाला, यह एक हकीकत है कि जमींदारी अबालीशन फंड को कायम हुए अब तकरीबन ९ महीने गुज़र गये। इस ९ महीने के अन्दर इस फंड को कायम करने, इसको बढ़ाने की सब कुछ कोशिश की गयी। मैं इस सिलसिले में ग़लतफ़हमी न होने की वजह से इस चीज़ का भी इज़हार करूं तो ग़लत न होगा कि मैं एक छोटा सा ज़मींदार हूं लेकिन मैं वह ज़मींदार हूं जो खुद भी इस राय का हूं कि ज़मींदारी का खात्मा ज़रूरी है और वक्त और ज़रूरत का तक़ाज़ा है कि हम ज़मींदारी अबालीशन के साथ हों, लेकिन जहां ज़मींदारी एक रूल्ड आउट (बहिष्कृत) चीज़ हो गयी वहां यह भी हुआ है कि ज़मींदारों के कम्पेन्सेशन का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको हमें प्रेक्टिकल वे (क्रियात्मक रीति) में जांचने की ज़रूरत है ताकि हम ज़ल्दबाजी में कोई ऐसा काम न कर दें जिसके करने के बाद हम इस सूबे के अमनो अमान को खत्म कर दें और यहाँ की इक्तसादी हालत को बरबाद कर दें और एक ऐसा निज़ाम अपनी जगह पर ले आयें जो मौजूदा ज़मींदारी निज़ाम से भी कहीं बदतर हो। अगर इस बैकग्राउंड (पृष्ठ भूमि) को सामने रखकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वह यह है कि ज़मींदारी का जहां खात्मा हो उसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि ज़मींदारों को जो मुआविज़ा अदा किया जायं वह नकद सूरत में हो और वह मुआविज़ा एक ईक्विटेबिल कम्पेंसेशन (उचित प्रतिफल) की सूरत में हो। अगर इन दो बुनियादी बातों की रोशनी में इसका जायजा लें कि इस वक्त तक जो हमने कोशिशें कीं

[श्री सुल्तान आलम खां]
वह इस खातिर थीं कि जो रुपया वसूल हो उससे हम ज़मींदारों को मुआविज़ा दें, उन कोशिशों में कितनी कामयाबी हुई और कितनी नहीं हुई और अगर नहीं हुई तो क्या क्या करना है इस बात पर हमें गौर करना है। ये मसायल हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने हैं। जहां तक कि ज़मींदारी अबालिशन फंड के कायम करने का सवाल है गवर्नमेंट की इस नेक ख्वाहिस का एतराफ़ करता हूँ जिसके मातहत वह ज़मींदारों को मुआविज़ा देना चाहती है। मैं ज़ाती तौर पर मुआवज़े का हामी हूँ और उससे ज़्यादा नकद और माकूल मुआविज़े का हामी हूँ। इस ऐतबार से गवर्नमेंट की इस ख्वाहिश का ऐहतराम करता हूँ कि वाक़ई वह ज़मींदारों को मुआविज़ा देने के लिये रुपया इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि जो क़दम हमने उठाया है वह क़दम मौजूदा ज़रूरत और वक्त के लिहाज़ से कहां तक मुनासिब और कामयाब है। अगर इस कसौटी पर हम प्राविज़न को रखने की कोशिश करते हैं तो मुझे मालूम होता है कि जो ज़मींदारी अबालिशन फंड हमने कायम किया वह बिल्कुल नाकामयाब साबित रहा। जैसा कि अभी मेरे चन्द दोस्तों ने बयान किया है। महात्मा गांधी जी के जन्म के दिन से जिस अबालिशन फंड को हमने शुरू किया है आज तक हम उसमें तकरीबन १६ करोड़ रुपया जमा कर पाये हैं, लेकिन मुझे सही आदाद वह शुमार मालूम नहीं। इस १६ करोड़ में यकीनन काफी रकम अखराजात में निकल गयी होगी। अभी हम लोगों ने एलान किया है कि सात लाख रुपया जो जमा करने में कोशिश कर रहे हैं उनके अखराजात की सूरत में निकल जायेंगे। इसके अलावा अगर इसी रफ़्तार से काम चलता रहा तो हम पांच छः साल में इस काबिल हो सकेंगे कि हम पूरा रुपया जमा कर सकें। मेरे दोस्त धुलेकर जी फरमा रहे हैं कि बीस वर्ष में जमा कर पायेंगे। मैं आप की बात की ताईद करता हूँ। लेकिन अगर यह रुपया पांच वर्ष या बकौल धुलेकर जी के बीस वर्ष में जमा हुआ तो अमली तौर पर जो स्कीम हम नाफ़िज़ करने जा रहे हैं और हमारा इरादा यह है कि हम १५ अगस्त को यह एलान करदें इसका कहां तक असर पड़ेगा। यह एक सवाल है जो कि हमारे लिये गौर तलब है। जनाबवाला, मैं अर्ज़ करूँगा कि अब वह वक्त आ गया है कि हम इस बात को मान लें कि हमारी यह स्कीम नाकामयाब हो रही है और इस स्कीम के नाकामयाब होने की वजूहातें कई एक हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद इस स्कीम को नाफ़िज़ करने में इतना गौर नहीं किया गया जितनी कि वह मुहताज थी। लेकिन अब सवाल पैदा यह होता है कि अगर हमारी यह स्कीम नाकामयाब हो गयी है और ज़मींदारी का खात्मा भी ज़रूरी है तो अब आइन्दा हमें क्या करना चाहिये। यही एक चीज़ है यही वक्त का तकाज़ा है। मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया था कि इस वक्त सिर्फ़ यह रास्ता है कि हम रुपया कहीं से कर्ज़ लें और उससे ज़मींदारी का मुआविज़ा दें जब हम यह महसूस करते हैं कि ज़मींदारों को नकद मुआविज़ा मिलना चाहिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें वह इस काबिल हो सकें, इस सूबे की इक्तसादी हालत को तबाह न कर दें, इस मुल्क के अमनोअमान में खतरा पैदा न करें तो इस बात की लाज़िमी ज़रूरत है कि मुआविज़ा की सूरत में नकद रुपया मिले। नकद देने की सिर्फ़ यही सूरत हो

सकती है कि हम कहीं से कर्ज लेने का बन्दोबस्त करें। अगर हम कर्ज की सूरत में रुपया लेकर मुआविज़ा अदा करने की कोशिश करें तो यह चीज़ आसान हो सकती है। मैंने यह तजवीज़ सेलेक्ट कमेटी के सामने भी रखी थी कि क्यों न ऐसा करें कि १८० करोड़ रुपया निज़ाम हैदराबाद से या किसी मिलोनियर (करोड़पती) से कर्ज लेकर ज़मींदारों को मुआविज़ा अदा कर दें। और इसके लिये मैंने एक पूरी स्थिति रखी थी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब इसको पसन्द फरमायेंगे तो मैं फिर पेश कर सकता हूँ। पूरी स्कीम की सूरत में पेश कर सकता हूँ। अगर आप १८० करोड़ कर्ज ले लें और ज़मींदारों को वह नकद मुआवज़े में दे दें तो उतना रुपया सूद का जो कि ढाई फीसदी सूद पर आप बांड के शक्ल में ज़मींदारों को देना चाहते हैं उतना ही उसका सूद होगा। तो हम बाहर से रुपया लें और ढाई फीसदी सूद पर यह रुपया ज़मींदारों को दें और जहाँ तक सूद का ताल्लुक है इससे कोई ज़्यादा बार नहीं पड़ेगा। यह भी हम जानते हैं कि इस वक्त ७ करोड़ के करीब हमारी मालगुज़ारी है और जब ज़मींदारी खत्म हो जाती है हमारी आमदनी तकरीबन १८ करोड़ के हो जायेगी। इसमें से साढ़े चार करोड़ सूद में और साढ़े चार करोड़ असल की शक्ल में दे दें तो ९ करोड़ रुपया बचता है जिसमें से ७ करोड़ आज की जो आमदनी है उसको निकाल कर २ करोड़ आप सूबे के डेवलपमेंट (विकास) वगैरह के कामों में लगा सकते हैं। इस तरह से साढ़े चार करोड़ सूद की शक्ल में और साढ़े चार करोड़ असल की शक्ल में अदा करें तो २५ या ३० वर्ष में यह सब रुपया हम अदा कर देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि ज़मींदारों को नकद रुपया मुआविज़े में मिल जायगा और उसकी इक्तिसादी हालत भी खराब नहीं होगी और इसी के साथ साथ यह चीज़ भी होगी कि जो हमारे सोशलिस्ट दोस्त कहा करते हैं कि हम काश्तकारों को ज़मीन बिना दसगुना लिये हुये दे देंगे वह भी हो जायगा और इसका एक नतीजा यह भी होगा कि आप को एक सहूलियत हो जायेगी और आपके खिलाफ जो प्रोपैगैंडा होता है हमारे सोशलिस्ट दोस्त और बाज़ दूसरे दोस्त करते हैं वह भी खत्म हो जायेगा और कर्ज वाली स्कीम को मान लेने से आपकी पोज़ीशन टेनेंट्स के नज़दीक बाला हो जायेगी और सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू भी मीट कर (समीचीन हो) जायगा। सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू इस तरह से मीट करेगा कि आप १८० करोड़ रुपया बड़े आदमी से लेंगे और छोटे आदमियों को देंगे। इस तरह से एक बड़े आदमी से रुपया वसूल करके छोटे आदमियों को दे देना यह भी एक सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू है। मैं यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहता कि यही एक सूरत हो सकती है। हां यह एक सूरत है कि जब हम इस नाकामयाबी की सूरत में पहुँच गये हैं तो यह एक सूरत हो सकती है। दूसरी और भी सूरतें हो सकती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मशविरा दूंगा कि जितनी ज़मींदारियां हैं उन्हें कोर्ट आफ वार्ड्स में ले लीजिये और आप उसकी आमदनी में से कलेक्शन चार्जेज वगैरः काटकर ज़मींदारों को दे दीजिये और आहिस्ता आहिस्ता रुपया भूमिधरी का वसूल करते रहिये और जब रुपया हासिल हो जाय तो भूमिधरी का राइट उनको दीजिये। कम से कम इसका नतीजा यह होगा कि ज़मीदारों को जो रुपया मिलने वाला है या जो रकम उनके पास आनेवाली थी वह नहीं रुकती। इससे भी ज़्यादा आसान तरीका यह हो सकता है कि न हम कोई ऐसा ऐक्ट बनावें

[श्री सुल्तान आलम खां]

न कुछ बल्कि दो हरफ का ऐक्ट बनावें कि जो काश्तकार भूमिधरी का हक हासिल करना चाहता है वह तहसीलदार या कलेक्टर को दरख्वास्त दे और कलेक्टर के पास इस बात को लिखे कि फलां तारीख में जमींदारी का इतना रुपया जमा कर देंगे। जिस दिन वह जमा कर दे उसी दिन से ज़मींदारी उसकी हो जाय। और रुपया ज़मींदारों को नकद मुआवज़े की शक्ल में दे दिया जाय। इसका नतीजा यह होता कि न आप को इतनी बड़ी मशीनरी खड़ी करनी पड़ती और न इतनी दिक्कत पड़ती और यही सूरत होती जो कि आज है फर्क इतना होता कि निवाला इधर से न खाकर घुमकर काटकर मुंह में लिया जाता। मेरा कहना यह है कि जब आपकी यह स्कीम नाकामयाब साबित हो चुकी तो ऐसी सूरत में आप कोई आल्टरनेटिव स्कीम (अन्य योजना) स्वीकार कर लें। और यह भी अर्ज़ करूँगा कि जहां तक मुमकिन हो इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि हम सूबे के समाज में इन्कलाब लायें। यह बिल एक समाजी इन्कलाब है जो हम ला रहे हैं। इस समाजी इन्कलाब में मैक्सिमम कोआपरेशन (अधिकतम सहयोग) तमाम पार्टीज़ (दलों) का अगर मिल सकता है तो वह मुबारक चीज़ है और उसको हासिल करने के लिये जितनी कोशिश कर सकते हैं वह हमें करनी चाहिये। जनाबवाला, अगर इस तरीके पर इस चीज़ को हल करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी आसानी हो सकती है।

अगर दफ़ा १४० को ग़ौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि १३५ दफा की यह कारोलरी (परिणाम) है। १३५ दफ़ा क्या थी? १३५ दफ़ा वह थी जिसको कि हमारे दोस्त ने वापस ले लिया है। इसके ज़रिये से वह एक्वीजीशन आफ प्रिवेलेजेज़ ऐक्ट में तरमीमें करते हैं। आप खुद सोचिये कि यह कहाँ तक मुनासिब तरीका है कि उन आर्डिनेंसों को, उन एक्ज़ीक्युटिव आर्डर्स को जो हमने दिये थे, इसलिये कि जमींदारी एबालीशन फंड में ज़्यादा रुपया जमा हो, जारी रखें। अगर ग़ौर से पढ़ा जाय तो दफ़ा १४० और दफ़ा १४१ में उसकी कुछ झलक मिलती है। मैं आप से अर्ज़ करूँगा कि इन चीज़ों को ग़ौर से पढ़ना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, ताकि आप सही नतीजे पर पहुँचें। मैंने यह सुना है कि ३० जून के बाद गवर्नमेंट यह तय कर चुकी है कि, भूमिधरी की कीमत के लिए १० गुने से '११ गुने' रुपये को वसूल किया जायेगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम चीज़ें इस तरीके से चलाई जाती हैं जो कि इस बड़े मसले को हल करने में सही तरीका नहीं कहा जा सकता है। जल्दी में एक फैसला होता है और जल्दी में उसको बदलना पड़ता है, उसका नतीजा होता है डिसएप्वाइंटमेंट (निराशा)। आप फिर सोचिये और ग़ौर कीजिये। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यह सही है कि आप तय कर चुके हैं कि जमींदारी एबालिश की जाय, ज़रूर कीजिये क्योंकि यह वक्त ही ऐसा है, लेकिन ज़मींदारी के खात्मे के लिए, इस सूरत को पैदा करने के लिये, एक लाज़मी ज़रूरत है कि ज़मींदारी के खात्मे के बाद ज़मींदार भूखों न मरने पाये। उसको जो कम्पेनसेशन (बदला) दें वह फेयर (उचित) हो और कैश में (नकद)। बग़ैर इसके इस मामले का फ़ैसला नहीं हो सकता। मैं गवर्नमेंट की याददिहानी के लिये यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़मींदारों की निस्बत गवर्नमेंट का जो तर्ज़ेअमल रहा है वह हमदर्द नहीं रहा है। मैंने कहा है कि

पिछले साल जब इस बात की जरूरत महसूस हुई कि तिजारत में उनको हिस्सा मिले, तो मैंने रिप्रिज़ेनटेशन (प्रार्थना) किया कि उन कामोडिटीज़ में, जो कि कंट्रोल्ड है, ज़मींदारों को लाइसेंस मिले क्योंकि ज़मींदार कम्युनिटी ऐसी है जिसकी रोज़ी खत्म हो रही है तो गवर्नमेंट का यह फ़ैसला हुआ कि जिन्होंने बेसिक ईयर्स (आधारभूत वर्षों) में काम किया है उनको ही लाइसेंस मिल सकता है। इसके माने यह हुये कि जिन्होंने जनता की मुसीबतों से नफा उठाया, ब्लैकमार्केटिंग (चोर बज़ारी) और करप्शन (घूसखोरी) किया उनको ही और फायदा पहुँचाया जाय और वह जो कि जेनविनली (सच्चे दिल से) एक नया इंटरप्राइज़ (व्यवसाय) करना चाहता है, इसलिये कि उसकी रोज़ी का दरवाज़ा बन्द हो गया है, उसके रास्ते में रुकावटें डाली जायं और उसको उठने न दिया जाय। मैं फिर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि यह सही तरीका नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे जो प्रोफेशंस (क़ौल) हैं उसमें हम सही नहीं है। हमें आखिर यह सोचना चाहिये कि २३ लाख ज़मींदार जो अनइम्पलायड (बेकार) होंगे, और अगर उनके डिपेण्डेंट्स (आश्रितों) को भी शामिल किया जाय तो यह तादाद एक, डेढ़ करोड़ के करीब हो जाती है, उनका क्या इन्तज़ाम होगा। वे कैसे अपनी गुज़र औकात कर सकेंगे। वे कहाँ जायेंगे, इसको हमें जल्दी ही सोचना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने यह सुझाव रखा था कि कोई ज़मींदार इंडस्ट्री के नाम से किसी तरीक़े की कायम की जाय जिसमें कि ज़मींदारों का ही रुपया लगे और वह गवर्नमेंट की देख रेख में काम करे। इससे ज़मींदारों को तजुर्बा हासिल होगा और दूसरों से कम्पिटीशन (प्रतिद्वन्दिता) किये बग़ैर अपने रुपये से ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा आपके सुपरविज़न (देख रेख) में हासिल करेंगे। अगर ऐसा कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया तो सब पापर (अकिंचन) हो जायेंगे।

आपको इन बातों पर भी ग़ौर करना है। आपको यह भी सोचना है कि ज़मींदारों के बच्चे हैं, उनके डिपेंडेण्टस हैं वह क्या करें आपको ग़ौर करना चाहिए कि उनके लिये क्या सूरत हो सकती है। पब्लिक सरविस में उनके लिये कोई जगह मुकर्रर कर दें जिससे वह बिचारे अनइम्प्लायमेंट (बेकारी) से बच सकें। ज़मींदारों से यह तवक्कुह की जाती है कि वह सेक्रीफाइस (त्याग) करें हम से यह एक्सपेक्ट (आशा) करना सही है कि हम मुल्क के लिए और कौम के लिये सेक्रीफाइस करें लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम उसके इंट्रेस्ट (हित) में खुद सेक्रीफाइस हो जायें। इसलिये वि यह देखना चाहिए कि उसकी इनकम (आय) पर कितना असर पड़ रहा है। अगर इतना असर नहीं पड़ रहा है कि जिससे वह परेशान हो जाय तब तो ठीक है लेकिन हकीकत यह है कि उसकी इनकम १।५ रह गई है। ऐसी सूरत में आपको उनके लिये इम्प्लायमेंट का तरीका तलाश करना चाहिये जिससे वह उस सूबे के लिए और मुल्क के लिये एक लायबिलिटी न हो बल्कि इकोनौमिक स्ट्रक्चर (आर्थिक निर्मिति) से घुलमिल कर सब लोग मिलकर मुल्क को आगे बढ़ायें।

श्री चरण सिंह—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, विरोधी बेंचेज़ की ओर से तीन तकरीरें अब तक हुई हैं। एक तो प्रस्तावक महोदय हैं जो खुद ज़मींदार हैं और आज तक काश्तकार की आमदनी पर ही जहाँ तक मैं ग़ल्ती नहीं कर रहा हूँ गुज़र करते रहे हैं आज उन्होंने यह फ़रमाया कि काश्तकार से रुपया लेकर जब उनको मुआविज़ा दिया जाता है

[श्री चरण सिंह]

[illegible] होता है । इसमें हमारे सोशलिस्ट भाई हैं जो किसी तरह के मुआवज़े देने के खिलाफ हैं । लेकिन हमारे ऑनरेबिल सुल्तान आलम खां साहब जो मुआवज़ा देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन चाहते हैं कि मुआवज़ा तो ज़मींदारों को देना चाहिये और नकद देना चाहिये और कोई तरकीब निकाल दी जाय । इससे हर ज़मींदार के लिये कोठी, कार और [illegible] ([illegible]) वगैरह सब मुहैया कर दी जायें ।

श्री सुल्तान आलम खां—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मंशा कभी नहीं थी कि ज़मींदारों के लिये कोठी, मोटर और आराम मुहैया हो बल्कि यह था कि डीसेन्ट लाइफ (अच्छा जीवन) बसर करने के लिये और इस तरह से रहने के लिये कि वह सूबे के इकोनौमिक स्ट्रक्चर (आर्थिक निर्माण) में बाधक न हों ।

श्री चरण सिंह—जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट के सामने वह बच्चे भी हैं जिनके तन पर कपड़ा तक नहीं है, वह बच्चे भी हैं जिनकी आंखें खुली तक नहीं हैं, वह बच्चे भी हैं जिनके सिर में अभी तेल नहीं पड़ा है और वह बच्चे भी हैं जो अभी स्कूल में जाने लायक नहीं हैं । लेकिन जब आपकी तरफ से तकरीर होती है तो यही उपदेश दिया जाता है कि ज़मींदारों के साथ गवर्नमेंट का यह अन्याय है । कुंवर जगदीश प्रसाद का आर्टीकल (लेख) देखिये उसमें सरकार को गाली दी जाती है । आपकी हमदर्दी का क्या तरीका है । यह महदूद है । जब आप तकरीर करते हैं तो भूल जाते हैं कि करोड़ों बच्चे ऐसे हैं इस संसार में जिनको भर पेट खाना नहीं मिलता है, जब हम उनके लिये बात करते हैं तो भूल जाते हैं । खैर यह तो कोई खास मुताल्लिक बात नहीं है ।

इस स्कीम के सिलसिले में कहा यह जाता है कि इतना समय लग गया यानी एक साल लग गया जब कि कुल ४, ५ महीने हुये हैं । यह स्कीम यों कि फेल हो गई है इसलिये गवर्नमेंट को इसे वापस ले लेना चाहिये । कुल ६ करोड़ रुपया वसूल हुआ है दो करोड़ को तो कोई गिनती ही नहीं है । कल मैंने अखबारों में पढ़ा श्री गोपाल नारायन साहब फरमाते हैं कि ४ करोड़ रुपया वसूल करने में खर्च हो गया है । जब कि २० करोड़ से ज्यादा रुपया वसूल हो चुका है उसको कह दिया जाता है केवल १८ करोड़ और जब बताया जाता है तो यह भी सही नहीं । कहा यह जाता है कि कुल ४, ५ करोड़ रुपया बना । इसके लिये गवर्नमेंट ने इतनी तवालत और समय खराब किया । फिर टारगेट (लक्ष्य) बना दिया जाता है १९० करोड़ । आज तो १८० करोड़ पर ज़ोर रहा । बतलाइये यह १८० करोड़ की फिगर्स (आंकड़े) कहां से आई । कुल १७० करोड़ रुपये से कम होता है उसमें भी फिक्स्ड रेट टेनेंट्स (काश्तकार शरह मुअय्यन) हैं । हमारी सारी वसूली का टारगेट करीब १६१ करोड़ रुपये के होता है उसमें ऐसे भी खाते हैं जो अरबन ऐरियाज़ (नगर प्रदेश) में हैं जहां पर यह बिल लागू नहीं होगा । ४, ५ करोड़ रुपया इस तरह से घट जाता है । ऐसे भी खाते हैं जो बाप ने बेटे को दे दिये हैं उनका रुपया भी आने वाला नहीं है । इसके अलावा ऐसी भी ज़मीन है जो शिकमी के पास है जिसे आज यह रुपया दाखिल करने का हक नहीं है । इस तरह से मुश्किल से टारगेट १४५ करोड़ बैठता है । जहां तक कंपन्सेशन देने की बात है वह १४६ करोड़ रुपया होता है । अगर इतना रुपया वसूल हो जाता है तो हम सब ज़मींदारों को एक एक पाई मुआविज़े का दे देंगे । हमारी

और इस सूबे की बदकिस्मती से जो प्रोपेगैंडा (प्रचार) होता है वह सही आंकड़ों का नहीं होता है। प्रोपेगैंडा हमेशा यह होता है कि बड़ी बेचैनी है, स्कीम फेल हो गई, ठोस बुनियाद पर नहीं रखी गई थी और यह कि किसी अच्छे इकोनोमिस्ट की राय नहीं ली गई। एक बात और कही जाती है कि ज़बरदस्ती वसूलयाबी हो रही है, और यह कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ज़राये इस्तेमाल किये थे वे ही ज़राये यहां पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कई बार और इनफारमेशन डिपार्टमेंट के ज़रिये से कई बार यह बात साफ कर दी गई है लेकिन फिर भी मुखालिफत में यही कहा जाता है। नारा लगाया जाता है "नहीं है रोटी कपड़ा और मकान, कैसे दें दस गुना लगान" हाथी उनके पास है और हाथी पर बैठ कर यह ऐलान किया जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। रोटी कपड़ा नहीं लेकिन हाथी है।

अब तीन बुनियादी सवाल उठते हैं। पहिला यह कि कोई मुआविज़ा दिया जाय या नहीं। दूसरा यह कि मुआविज़ा आयेगा कहां से। तीसरी बात यह कि वह कहीं से आये वह वसूल किस प्रकार किया जायगा। इन तीनों बातों को हमें दिमाग़ लगाकर एक बार साफ़ कर लेना चाहिये और जो अपोज़ीशन की बेंचेज पर बैठे हैं उन्हें एक राय कायम कर लेनी चाहिये। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है वह चाहती है कि यह पंचायती राज फूले फले, वह जनतंत्र की पूरी तरह से कामयाबी चाहती है। लेकिन जनतंत्र के भी कोई नियम होते हैं उसी तरह से जैसे फुटबाल या क्रिकेट के होते हैं और जिनको दोनों फरीकों को मानना होता है। ऐसा होने पर एक बेहतर प्रोग्राम लोगों के सामने रखा जा सकता है और एक सुन्दर सुझाव पेश किया जा सकता है। लेकिन लोगों की इरादतन यह कोशिश रहती है कि कन्फ्यूज़न क्रियेट (संभ्रम उत्पन्न) किया जाय। हां तो, पहिला सवाल यह है कि मुआविज़ा दिया जाय या नहीं। क्यों ? क्यों कि ऐज़ाज़ रसूल साहब या और कोई चाहे जो कहे लेकिन कांग्रेस ज़मींदारों को अपना भाई मानती है। उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। वह ज़मींदारी के खिलाफ़ है लेकिन ज़मींदारों के खिलाफ़ नहीं है। जब हम डाकू को भी जेलखाने में रखते हैं तो उसको भी खाना खिलाते हैं और खाली बैठाकर खाना खिलाते हैं। फिर ज़मींदारों का तो इतना बड़ा कसूर नहीं है गो कि उन्होंने एक प्रकार का डाका ही डाला है लेकिन उसने वही डाका डाला है जिसकी कि आज का कानून इजाज़त देता है। लेकिन जो आज के कानून की खिलाफ़वर्ज़ी करके जुर्म करता है, शासन का फर्ज यह है कि उसको भी रिहैबिलिटेट (पुनर्वासित) करे, उसको अपने पैरों पर खड़ा करे। ज़मींदार ने आज के कानून के खिलाफ़ कोई जुर्म नहीं किया है इसलिये हम उसे अपना भाई मान कर मौका देना चाहते हैं और उसके पैरों पर उसे खड़ा करना चाहते हैं ताकि वे अपने जीवन के दूसरे पन्नों को उलट सकें और अपने देश के अच्छे नागरिक बन सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिये हम मुआविज़ा देना चाहते हैं। इस वास्ते मुआविज़ा देना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि मुआविज़ा नहीं देना चाहिये। इसके लिये बहुत से आरगुमेंट (तर्क) दिये जा सकते हैं। वैसे आरगुमेंट तो हर चीज के लिये दिये जा सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ सीमा और सही कदम होना चाहिये जो किसी विचार के साथ उठाया जा सके। हमारे दोस्त कहते हैं कि मुआविज़ा नहीं देना चाहिये। फिर वह आगे

[श्री चरण सिंह]

यह भी सोच सकते हैं कि जो यह तहसीलदार है उसको मार डालना चाहिये । कल को वह यह सोच सकते हैं कि यह जो छोटे काश्तकार हैं इनसे भी ज़मीन छीन लेना चाहिये । फिर वह जाकर मज़दूरों से कहेंगे कि तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है तुम भी इसमें ज़बरदस्ती शामिल हो जाओ । फिर ऐसी हालत पैदा हो जायगी कि जहाँ पर आपको कोई लिमिटेशन दिखाई नहीं देगी । फिर यह लालटोपी दिखाई देती है और मैं अपने हाथ में घड़ी बांधे हुये हूं तो सड़क पर इसको भी कोई छीन लेगा । इस प्रकार से अगर आप इस पर विचार करके देखें तो आपको कहीं इसकी मर्यादा नज़र नहीं आयेगी और सोसाइटी के अन्दर एक प्रकार की उथल पुथल मच जायगी । इसलिये हमने अपने संविधान में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया है और हमारे लीडर और हमारा सारा आर्गेनाइज़ेशन (संघ) इस बात को मानता है कि मुआविज़ा देना चाहिये । इसके अलावा हम कोई अनोखा काम नहीं करना चाहते । आज तक किसी भी देश में किसी भी गवर्नमेंट ने अगर किसी की प्रापर्टी ली है तो उसका मुआविज़ा हमेशा दिया है । जिन बाहर वालों की किताब हमारे दोस्त यहां पर पढा करते हैं और जो इनके गुरु हैं हैरोल्ड लास्की उनकी सोशलिस्ट गवर्नमेंट है । उन्होंने अभी कोल माइन्स (कोयले की खानों) को लिया है तो उसका भी उनको मुआविज़ा भरना पड़ा है, रेलवे उन्होंने ली हैं तो उसका भी मुआविज़ा उन्होंने भरा है । इम्पीरिल बैंक को लिया है उसका भी मुआविज़ा भरा है । इस प्रकार से जितनी भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट हैं अगर उन्होंने कोई प्राइवेट प्रापरटी ली है तो उन सब का मुआविज़ा भरा है । हम तो अपने यहाँ नानवायलेंट (अहिंसात्मक) तरीके पर इसके ज़रिये से पीसफुल इकानामिक रेवोल्यूशन करना (शान्तिपूर्ण आर्थिक क्रान्ति) चाहते हैं । अगर ऐसा नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती छीन लेना चाहते हैं तो इससे और भी बहुत से ऐब पैदा होंगे और इसके नतीजे खराब होंगे जिससे डेमोक्रेसी (जनतन्त्र) कामयाब नहीं हो सकती । जहां पर बलपूर्वक राजनीति में रेवोल्यूशन हुआ है वहां पर डिक्टेटरशिप (तानाशाही) कायम हुई है चाहे उनकी ज़बान पर डिमोक्रेसी का नाम भले ही रहा हो । यही हमारे महात्माजी की पालिसी थी और उनके चरणों में ३० साल बैठकर जो उनसे पाया है और जो उनका कहना था उसी के अनुसार करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया गया है । जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया गया है लेकिन थोड़ा बहुत उनके सिद्धान्त के अनुसार उनके वचनों पर चलने की कोशिश की है उनको हम अपना गाईडिंग स्टार (पथप्रदर्शक नक्षत्र) मानते हैं । लिहाज़ा मुआविज़ा देना चाहिये यह निश्चित है । अगर इस चीज़ को इस प्रकार से दिमाग़ में साफ़ कर लिया जाय तो और बातें स्वयं खतम हो जायँगी । अब सवाल आता है कि साहब, मुआविज़ा आये कहां से ? एक साहब कहते हैं कि निज़ाम से ले लिया जाय । तो क्या निज़ाम साहब को देना पड़ेगा या नहीं और वह देना हमको ही है । कुछ साहब कहते हैं कि यहां पर २५ मार्च को जो किसानों का मार्च निकला था उसको देखकर माननीय पन्त जी रूड़की भाग गये और उनके नाम पर यहां कांउसिल हाउस के दरवाज़े पर एक समन चस्पां कर दिया गया । और फिर कहा गया कि साहब अगर मुआविज़ा देना ही है तो वह गवर्नमेंट अपने पास से दे । इस बात को राजनीति का जाननेवाला बच्चा भी जानता है कि गवर्नमेंट के

पास जो रुपया होता है वह किसका होता है और कहां से आता है। गवर्नमेंट के खजाने में अगर नकद है तो वह पब्लिक के पास से आया और अगर नकद नहीं है तो किसी से करजा लेके और फिर उसको मय सूद के अदा करना पड़ेगा जो कि हमसे और हमारी औलाद से गवर्नमेंट लेकर उसको बेबाक करेगी। तो वह मासेज (जनसाधारण) के पास से आया या नहीं ? हमारी मासेज कौन है। वही गरीब पीजेण्ट्री (किसान) है। तनख्वाह आप कहते हैं थोड़ी हैं तो क्या जो वैल्थ (सम्पत्ति) के प्रोड्यूसर (उत्पादक) हैं उनके ऊपर जाकर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। लिहाजा पीजेण्ट्री हमारी मासेज है। यह रुपया उनके पास से आना है। चूंकि हम उनके फायदे के लिये इस जमींदारी को खत्म कर रहे हैं, उनका ही इसमें सारा फायदा है, उनके ही कन्धों पर इसका बोझ पड़ना चाहिये। इसके अलावा और कुछ लोग यहां पर मोटे पेट वाले हैं। कितने पूंजीपति हैं, कितने सरमायेदार हैं जो दे सकते हैं और उनसे हम ले कैसे सकते हैं जब उन की फैक्टरीज खुद ही खत्म होने के दर्ज (किनारे) पर हैं। उनके पास १ अरब ३७ करोड़ रुपया कहां से आ जायगा ? अगर आप महज कहने के लिए या प्रोपेगैन्डा के लिए कहते हैं तब तो बात दूसरी है। बाकी ऐसा कोई सोर्स (साधन) नहीं है कि जहां से लेकर आप इतनी बड़ी रकम जमींदारों को अदा कर सकें। और यह अनजस्ट (अन्यायपूर्ण) भी है ही कि आप सेठों से वसूल करके उनको दें क्योंकि उनका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें काश्तकारों का ही इण्टरेस्ट (हित) है और यह उन्हीं को भला लग सकता है और उनका जाहिर है कि इससे फायदा होगा। इसलिए अन्ततोगत्वा मुआविजा देना काश्तकारों को ही है और मासेज को ही देना है, आप के मासेज काश्तकार हैं और गवर्नमेंट मासेज की रिप्रिजण्टेटिव (प्रतिनिधि) है, गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं है, न उसका किसी पर कर्जा है न उसको कोई गैब की आमदनी है और न वह रूस या अमरीका से कर्जा लेकर दे सकती है। यह सब आपके मासेज़ जो काश्तकार हैं उन्हीं को देना है।

तीसरा सवाल यह है कि पैसा आवे कहाँ से ? इसका एक तो रास्ता यह है कि काश्तकार जो लगान जमींदार को देते हैं वह सरकार को दिया करें। कुल रकम करीब १७ करोड़ के होती है जिसमें अबवाब मालगुजारी और ऐग्रीकलचरल इनकम टैक्स (कृषि आय कर) वगैरा निकाल कर कुल रकम जो जमींदारों की जेब में रह जाती है वह करीब ८ या साढ़े ८ करोड़ के होती है। यह जाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर काश्तकार सरकारी खजाने में मौजूदा लगान जमा करेंगे तो यह साढ़े ८ करोड़ की रकम सरकार के पास बचेगी। इस तरह से इस रकम से भी किश्तवार या बान्ड्स की शक्ल में मुआविजा दिया जा सकता है और इंटरमीजियरी या बिचौनी हट जायगा और सीधा ताल्लुक काश्तकार और सरकार का हो जायगा। इस तरह से बिचौनिया भी निकल जाता है, और कोई ऐसा आदमी भी नहीं रहता कि जो जमीन का मालिक न हो और न ज़िलेदार या कारिन्दों का उससे शादी व्याह या तीजत्योहार के मौके पर कोई उसको अपमान या परेशान करने की गुन्जायश बाकी रही। इसके अलावा हक मजरुआ और गैरमजरुआ जमीन में भी महफूज हो गया। एक रास्ता तो उसके लिए यह हुआ कि वह मौजूदा लगान देता रहे और इस तरह से जमींदारी भी खत्म हो गई और उसका सीधा ताल्लुक सरकार से हो जाता है।

इसी स्कीम के साथ हमने एक और स्कीम जोड़ दी और वह यह कि चाहे तो ४०

[श्री चरण सिंह]

साल तक वही लगान देता रहे या आगे हमने यह किया कि अगर कोई किसान नकद लगान देना चाहते हैं या वह राइट आफ ट्रान्सफर (हस्तान्तरण का अधिकार) वगैरा हासिल करना चाहते हैं तो वह नकद रुपया दे दें और उनकी मर्जी पर हमने यह छोड़ दिया कि अगर वह चाहें तो दसगुना देकर भूमिधर बन जायँ। कहा जाता है कि आपकी स्कीम फेल हो रही है। ७ जुलाई सन् ४६ को यह बिल पेश हुआ और तबसे अब तक हमने उसमें एक कामा तक नहीं बदला है और खास तौर से इस बिना पर कि पैसा आता है या नहीं आता है। हमने तो यह तै ही किया है कि किसी तरह से जमींदारी को खत्म किया जाय और यह भी निश्चित है कि हम जमींदारों को मुआविजा जरूर देंगे। अच्छी बात है सब भूमिधर बन जायँ, हमारे पास रुपया जमा हो जायगा हम नकद मुआविजा दे देंगे नहीं होगा तो किश्तों में देंगे या बांड्स की शक्ल में देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे स्कीम फेल हो सकती है। "Nobody is going to be taken by their subtrefuges" (इन बातों से कोई धोखे में आने वाला नहीं है।) यह भी निश्चित ही है कि मुआविजा हर हालत में किसानों की जेब से ही आना है और जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह किसान हमें अदा करेगा उसी तरह से हम जमींदारों को अदा करेंगे। स्कीम के फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। सारे के सारे भूमिधर बन जायँ बड़ा अच्छा, आधे बन जायँ तब भी अच्छा, एक भी न बने तब भी अच्छा। लेकिन जमींदार तो हर तरह से जा रहे हैं और उनके कूच का डंका तो बज ही चुका। हमारे वीरेन्द्र शाह साहब शायद यहाँ मौजूद नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र शाह—जी मैं यहाँ मौजूद हूँ।

श्री चरण सिंह—तो आप ओरई और जालौन वगैरा जिलों में जा जाकर यही कोशिश करते हैं कि कहीं बिरादरी के नाम पर और कहीं किसी तरीके से और यह कि गवर्नमेण्ट के पास मुआविजा देने के लिए रुपया ही न होगा तो वह जमींदारी कैसे खत्म कर सकती है। अभी तो १५ करोड़ इकठ्ठा हुआ है, अभी २० करोड़ इकठ्ठा हुआ है, १६० करोड़ इकठ्ठा करना है, जमींदारी खत्म कैसे होगी, तुम जानते हो, क्यों दे रहे हो ? क्या आपका वाकई यह ख्याल है कि अगर एक भी रुपया न आया तो जमींदारी बच जायगी ? जमींदारी तो बचती नहीं, वह तो गई। अर्थी उठ चुकी है, दाह संस्कार बाकी है। मेरा मतलब कहने का यह है कि तीन बातें तय हैं। किस तरीके से दें, वे दोनों रास्ते खुले रखे गये हैं। कुछ साहब यह कहते हैं कि गवर्नमेंट की बड़ी गरज है। गवर्नमेंट को कोई गरज नहीं है, हम बराबर किसान से यह कहते हैं कि उसको हजार बार गरज हो तो वह भूमिधर बने। हमारी गरज कितनी है वह इससे साबित हो जायगा कि ३० जून के बाद ११ गुना कर रहे हैं। अगर किसान को जाकर हमने समझाया और अपने अफसरों को उनके पास भेजा तो उसका मन्शा रुपया वसूल करने से कहीं ज्यादा था। किसान और अफसरों के बीच में अंग्रेजों के जमाने में एक खाई खुद गई थी। इन अफसरों को किसानों के पास भेजने से वह खाई पट गई। अंग्रेजों के चले जाने के बाद अफसरों की बहुत कमी हो गई। दो, दो और चार चार साल की नौकरी वाले डिप्टी कलेक्टर हो गये और उनको जो बीस साल में भी तजुर्बा नहीं होता वह आठ महीनों में हो गया। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा फायदा हुआ वह यह हुआ कि हमने जान बूझकर यह किया कि

किसान आज हमारा जाग जाय। पंचायत राज्य के लिए यह जरूरी है कि हर इंडिविजुअल (व्यक्ति) अपने हक को समझे। आज पास के सूबों में इतनी जागृति नहीं है जितनी हमारे देहातों के अन्दर है। अब तो हम ३० जून के बाद आफिशल ड्राइव (सरकारी प्रयत्न) भी खत्म कर रहे हैं।

श्री ऐजाज़ रसूल—३० जून के बाद आप क्या कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह – आफिशल ड्राइव खत्म कर रहे हैं। यानी ३० जून के बाद चाहे कोई जमा करे या न करे, हम उससे कहने नहीं जायँगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—कोई भी नहीं जमा करेगा।

श्री **चरण सिंह**—बड़ी अच्छी बात है। जमींदारी फिर भी जायगी। अब यह कहा जाता है कि बड़ी सीधी सी बात थी। काश्तकारों को यह कह देते कि जो दस गुना जमा करेगा उसकी जमींदारी खत्म होगी। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें आपका क्या फायदा था। पहली बात तो यह थी कि आपकी जो गैर-मजरुआ आराजी थी वह सब बच जाती। गैर-मजरुआ आराजी का कोई काश्तकार नहीं है, वह आपके पास रहती। तो नतीजा यह होता कि इन चमारों, काश्तकारों और हरिजन लोगों के बैलों और गायों के चरने के लिए जमीन नहीं निकलती। दूसरी बात यह है कि बड़े ज़मींदारों को ज्यादा रुपया मिलता और छोटे जमींदारों को कम मिलता, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा जमींदारी है उसको उतना ही ज्यादा रुपया मिलता। हमारी स्कीम में यह बात नहीं है। उसके लिहाज से तो जो जितना बड़ा जमींदार है उसको उतना ही कम और छोटे जमींदार को ज्यादा रुपया मिलेगा। तीसरी चीज यह थी कि जो हम रेलिजस (धार्मिक) और चेरिटेबुल (दातव्य वक्फ़) हैं उनकी मौजूदा आमदनी की गारंटी कर रहे हैं, लेकिन उनके काश्तकारों से जो दस गुना रुपया जमा होकर मिलता उसको अगर ये बैंक में जमा करते तो उतना प्रीमियम नहीं होता जितना आज मुमकिन है। इसके अलावा गैर मजरुआ जमीन को हमने पंचायत को यानी गाँव वालों को दिया। तो उस स्कीम से यह स्कीम लाख दर्जे अच्छी है, नहीं तो साफ बात है कि हम काश्तकारों से कह देते कि जो दस गुना देगा उसकी जमींदारी खत्म होगी। पहले मेरे जहन में खुद, मैं आपसे बताता हूँ, यही स्कीम थी, लेकिन जब गौर किया तो देखा कि यह स्कीम उससे बेहतर है।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि महज प्रोपेगेंडा के लिये कोई चीज कहना ठीक नहीं है। लोगों में यह भवना पैदा करना कि इसका नतीजा यह होगा कि एक्सप्रोप्रिएशन (साकितुल्मिल्कियत) बढ़ता चला जायगा और जमींदारी खत्म नहीं होगी इसलिए रुपया मत जमा करो, यह ठीक नहीं है। मैं अपने लाल टोपी वालों से कहूँगा कि अगर आप एक्सप्रोप्रिएशन की यह भावना फैलाते हैं तो पहले तो लीडर्स एक्सप्रोप्रिएट होंगे। उस वाइल्ड टाक (बकवास) का नतीजा यह होगा कि सब बड़े लीडर हो जायँ कोई छोटा रहे नहीं। आप कम्युनिज्म के हाथ में खेल रहे हैं। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आप में से बहुत से कम्यूनिस्ट हो जायँगे। बाकी और इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप मुख लिफत कीजिए, उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन वह उसूलों की बिना पर होनी चाहिये। परमात्मा न करे कि इस देश का दुर्भाग्य हो और आप यहाँ आ बैठें तो फिर आप भी इन चीजों को कर सकें। इन अल्फाज के साथ में इस अमेंडमेंट का

[श्री चरण सिंह]

सख्त विरोध करता हूँ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबेवाला, मुझे फख्र है, और मैं शुक्रगुजार हूँ, कि अपने फाजिल दोस्त, पड़ौसी और भाई चौधरी चरणसिंह साहेब की तकरीर के बाद मुझे अपने खयालात पेश करने का मौका मिला। चौधरी साहेब ने जिस काबलियत के साथ इस मसले को पेश किया है मैं वाकई उनकी दाद देता हूँ कि उन्होंने उस बात को जो बिलकुल मुर्दा बात थी और जिसके अन्दर कोई जान नहीं थी अपने जोरे-तकरीर से उसके अन्दर जान डालने की पूरी पूरी कोशिश की। किस हद तक वह इस कोशिश में कामयाब हुये, इसके मुताल्लिक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेम्बरान अपने दिल में खुद गौर कर लें। मैं अपने दोस्त चौधरी चरणसिंह साहेब की बाज बातों को मान भी लूं लेकिन इस चीज को मानने के लिये मैं कभी तैयार नहीं हो सकता कि जितनी दानिशमन्दी और अकलमन्दी है उसकी मौनोपाली (एकाधिकार) हमारे चौधरी साहेब को या इस गवर्नमेंट के रूक्न की आराजी हो गई है।

श्री चरण सिंह—ऐसा कभी दावा नहीं किया।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—चौधरी साहब ने अभी फरमाया था कि तरह तरह के उपदेश दिये जाते है और तरह तरह के तरीकों से अपने खयालात को उपदेश के रंग में पेश किया जाता है। आप उपदेश से क्यो घबराते हैं? वह कोई घबराने की चीज नहीं है। जो बात जिस वक्त भी जिसे अच्छी लगे, आपको निहायत खुले दिल के साथ इस चीज के लिये तैयार रहना चाहिये कि जो स्कीम आपने बिल की शक्ल में मुल्क के सामने, सदन के सामने, पेश की है उसे अपनी स्कीम में ले लें। आपको सच्चे सेवक की हैसियत से हमेशा तैयार रहना चाहिये कि अगर इसके अन्दर कोई गलती महसूस हो या इससे जनता का पूरा पूरा फायदा न हो या इससे कोई नुकसान हो तो आप उसे या इस स्कीम के उस जुज को वापिस लेने के लिये तैयार हैं या तरमीम करने के लिये तैयार हैं। मैंने चौधरी साहब की तकरीर के हर जुज को बड़ी गौर से सुना। मुझे यह खयाल हुआ कि चौधरी साहेब कोई भी बात, ख्वाह किसी भी पार्टी की जानिब से हो, सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। वह कोई ऐसी बात सुनना पसन्द नहीं करते जो इस स्कीम की मुखालिफत में कही जाय। आपका यह दावा कि हम जेड. ए. एफ. वसूल कर रहे हैं और बिलकुल आजादाना तरीकों से यह वसूल किया जा रहा है, किसी के साथ कोई सख्ती नहीं है, खुला बाजार है जिसका जी चाहे सौदा ले जिसका जी न चाहे न ले, ठीक नहीं है। मैं भले ही चौधरी साहेब की वजह से, चूंकि मुझे उनके जिले में रहने की इज्जत हासिल है, यह कह दूं कि बहुत अच्छा, आपका फरमाना सही होगा लेकिन मुझे आखिरकार फिर यह कहना पड़ेगा कि "मैं ज़बां से तुमको कहो सच्चा लाख बार कह दूं, इसे क्या करूँ कि दिल को ऐतबार नहीं होता।" मैं क्या अर्ज करूँ, वाकयात बिलकुल इसके खिलाफ हैं। जो दरख्वास्तें इस वक्त मुखतलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखनेवाले लोगों के पास आ रही हैं, उनमें पते दिये हैं और नाम दिये हैं और बताया है कि क्या क्या हालतें गुजरती हैं और सख्तियां की जाती हैं। उनका पूरा नाम, तहसील और गाँव वगैरह सब दर्ज है। पहले भी इस सदन के सामने इस किस्म की चीजें पेश की जा चुकी हैं और आज भी ऐसी

मिसालें कम नहीं हैं। आज भी ऐसी मिसालें पेश की जा सकती हैं कि कहां पर ज़ुल्म और ज्यादती हो रही है। आज का अखबार जिन साहबान को देखने का मौका मिला होगा उनको मालूम हुआ होगा कि आज भी क्या हो रहा है। इस सिलसिले में पहले जब जिक्र आया था तो मैंने यह अर्ज किया था और एक अखबार की खबर पेश की थी कि किसी जगह एक शख्स ने जज के सामने एक दरख्वास्त पेश की थी कि चूंकि दस गुना रुपया मैंने दाखिल कर दिया है, इसलिए मुझे इस जुर्म से बरी कर दिया जाय। गोया बअल्फाज दीगर गरीब लोगों को यह समझाया जाता है कि अगर तुमने भूमिधरी की सनद हासिल कर ली है तो तुम यह समझो कि तुमने हर किस्म का काम करने के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया है, यानी तुम जो चाहो वह करो और यह सनद तुम्हारे लिए ढाल का काम करेगी। मैंने यह अखबार में देखा कि आपके यहाँ का एक कारकुन जाता है जेड० ए० एफ० के लिए और जो निहायत गैर मामूली एनथ्युजियाज्म (उत्साह) से काम लेता है जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ झगड़ा हुआ और फसाद हुआ। मैं यह अर्ज करूँगा कि अगर आप यह समझते हैं कि कोएर्शन (दबाव) नहीं हो रहा है तो मैं कम अज कम ऐसा समझने से कासिर हूँ। मैं और ज्यादा साफ मिसालें इस सदन के सामने पेश कर सकता हूँ। चौधरी साहब ने निहायत जोर शोर के साथ यह कहा था कि हम जमींदारों के साथ कोई नामुनासिब बरताव जमींदारी खत्म होने के बाद करने के लिए तैयार नहीं है और न हम यह चाहते हैं कि उनकी हालत खराब या बदतर हो। बहरहाल हम डाकुओं के साथ कुछ न कुछ सलूक करते हैं और अपनी जेलों के अन्दर उनको भी खाना वगैरा देते हैं, फिर यह जमींदार क्यों समझ लेते हैं कि हम उनके खाने पीने का बन्दोबस्त नहीं करेंगे। इस मिसाल के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चौधरी साहब का यह जुमला इंडेक्स (सूचना) है इस बात का कि किताब की अव्वल सफा की फेरिस्त देखने के बाद मजमून का पता चल जाता है। चौधरी साहब की इस मिसाल से जो इधर के बैठने वाले हैं उन्होंने पता लगा लिया होगा कि चौधरी साहब किस किस्म का बरताव जमींदारों के साथ करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर चौधरी साहब की मिजाजी कैफियत देखना है तो वह उनकी किताब के अन्दर ही मौजूद है कि आज जिन जमींदारों के साथ वह डाकुओं के जैसा बरताव करने जा रहे हैं, आयंदा उन काश्तकारों के साथ भी जिनके पास जमीनें हैं यही बरताव होगा, जिसकी मिसाल मैं कल भी दे चुका हूँ कि चौधरी साहब ने अपनी किताब में एक स्लोगन की याद दिलाई है "लूट दैट व्हाट इज लूटेड"। (जो कुछ लुट गया था उसे छीन लो) इस स्लोगन की बार बार याद दिलाना इस बात की दलील है कि अगर आज वह जमीदारों के साथ वही बरताव करने के लिए तैयार हैं जो वह डाकुओं के साथ करते हैं, तो हमारे छोटे जमींदार या काश्तकार भी मुतमईन रहें कि कल उनको भी चौधरी साहब बख्शने के लिए तैयार नहीं होंगे।

श्री चरण सिंह—मैंने यह कहा था कि जो आज कानून शिकनी करते हैं वह भी सोसायटी से खाना पाने के मुस्तहक हैं और यह जमींदार जो हमारे भाई हैं यह डाकू नहीं हैं बल्कि यह जो कुछ कर रहे हैं वह आज के कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं और आज के कानून के मुताबिक ही दूसरों की कमाई खा रहे हैं। अगर आप इसको "लूट दैट व्हाट इज लूटेड" से मुशाबहत देते हैं, तो मैं इसके लिए अपनी ही अक्ल को दोष दे सकता हूँ

[श्री चरणसिंह]
और आपकी अक्ल को दोष नहीं दे सकता हूँ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ—अगर चिमगादड़ को दिन में नजर नहीं आता, तो यह क्या आफताब का कुसूर है ? यह आफताब का कुसूर नहीं है। बहर हाल आप जिस चीज को सुफेद देख रहे हैं वह मुझे काली दिखाई दे रही है। आप जिस चीज को काली देख रहे हैं, मुझे वह सफेद नजर आ रही है और जो आपको सफेद नजर आती है मैं उसे काली समझता हूँ। अक्ल व दानिश किसी खास शख्स का हिस्सा नहीं होता। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था और सोच सोच कर और खास तौर पर वह तमाम चीजें अर्ज कर रहा था जो चौधरी साहब से सुनीं। एक बात सुलतान आलम साहब की तकरीर के बाद चौधरी साहब ने फरमाई कि "क्या साहब आप चाहते हैं कि मुआविजा मिले और इतना मिले कि आपकी मोटरें सलामत रहें, आपके हाथी और किले और महलात मौजूद रहें और इसी तरह की जिन्दगी आप गुजारते रहें, क्या आपका मंशा यह है ?" जी नहीं, यह मंशा नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा था उसका मतलब था डीसेंट लिविंग (सुन्दर जीवन)। डीसेंट लिविंग के लिए आखिर कोई चीज सामने मौइयन करनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहते है यह डीसेंट और आनरेबिल लिविंग है और फकत अगर इतना लिविंग दे दिया जाय और इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले तो हम हर चीज कुरबान करने के लिये तैयार हैं। छोड़ दीजिये मिनिस्टर साहबान को, डिप्टी मिनिस्टर साहबान या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहबान का जो तरीकये रिहाइश है उसी की गारंटी कर दीजिये और हम इसके अलावा और मांगने के लिये तैयार नहीं है और हम अपने और अपने बच्चों के लिये डिप्टी मिनिस्टर साहबान या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहबान का जो लिविंग है उसको स्टेंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) मानते है।

श्री फतेह सिंह राणा—हम तो सबके लिये एक सा चाहते है।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ—सभी को मिलना चाहिये। मेरे दूसरे दोस्त चौधरी फतेह सिंह राणा साहब ने फरमाया कि सबके के लिये चाहते हैं। हम तो चाहते है सबके लिये लेकिन आप अपनी कहिये कि आप तो जो औरों के लिये रख रहे हैं वह स्टेंडर्ड लैंडलेस लेबर (भूमि रहित श्रमिक) के लिये, मजदूर के लिये नहीं रखते। आप को क्या हक है मुझसे पूछने का कि सबके लिये रखा जाय या न रखा जाय ? क्या इस बिल के जरिये से आप सबको वही लिविंग दे रहे हैं ? मैं कहता हूँ कि आप जिस तरह से इस पुराने जमींदारी निजाम को तावह और बरबाद करना चाहते हैं, वह स्विंग बाल (डोलती हुई गेंद) जो एक दफा रौल (चालू) हो चुकी है वह यहीं खत्म नहीं होती है। खुदा न ख्वास्ता अगर दूसरी बार आप यहाँ आते है तो दूसरा नम्बर इस मकतल के अन्दर उन काश्तकारों का होगा, उनकी खातिर जो लैंडलेस लेबरर्स है, क्योंकि वोट की तादाद उनकी ज्यादा हो जायगी। दिस इज नथिंग बट वोट कैचिंग डिवाइस (यह केवल वोट प्राप्ति की तरकीब है।) अगर जमींदारों की तादाद ज्यादा होती काश्तकारों से तो आपकी नज़रे इनायत उधर ज्यादा मसरूफ होती। तो चूंकि लैंडलेस लेबरर्स की तादाद ज्यादा होगी और राय ज्यादा होगी, मैं यकीन रखता हूँ कि आइंदा आपकी तलवार उनकी गरदनों पर चलेगी जिनके प्रोटेक्शन (रक्षा) की आप आज दुहाई देते है। इसके सिवा

और कोई सूरत नजर नहीं आती। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गयी। चौधरी साहब ने इन चीजों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बात तो फकत इतनी थी कि एक अमेंडमेंट पेश किया गया और वह अमेंडमेंट निहायत सीधा सादा और यह था कि इतना इसमें और जोड़ दिया जाय कि...

"As soon as may by after the commencement of this Act and after the notification declaring that any estate has vested in the State Government, all sirdars in that estate shall automatically become bhumidhars without any extra payment."

(इस ऐक्ट के आरम्भ हो जाने के बाद और यह घोषणा करने वाली विज्ञप्ति निकल जाने के बाद कि कोई आस्थान राज्य की सरकार के स्वत्वाधिकार में आ गया है, यथासम्भव शीघ्र ही, उस आस्थान के सब सीरदार, कोई अतिरिक्त रकम दिये बिना, आप ही आप भूमिधर बन जायेंगे।)

बात फकत इतनी थी। आपका कहना हमेशा यह रहा है कि हमें क्या जरूरत थी कोअर्स करने की, लोगों को परेशान करने की। हमें चूंकि मुआविजा देना है, उसके लिये, आपको देने के लिये रुपया दरकार है, लिहाजा हम यह १० गुना वसूली कर रहे है। अब इस तरमीम को पेश करके यह जाहिर किया गया कि ऐसे जिन कैसेज में, जिन हालात में और जिस वक्त आपको मुआविजा देने का कोई सवाल बाकी न रहे तो उन सीरदारों को क्यों न भूमिधार बनादें बिला मुआविजे के, जब आप वेस्ट करदें ! वेस्ट करने के बाद उन्हें बना दीजिये। आप किस गरज के लिये रुपया वसूल कर रहे हैं ? क्या जमींदारों को बदनाम करने के लिये ? आप नाम जमींदारों का लेते है कि उनके लिये हम ऐसा कर रहे हैं ? उनको चूंकि मुआविजा देना है, लिहाजा हम यह कह रहे हैं। सुल्तान आलम खां साहब ने मुख्तलिफ पैरेलल (समानान्तर) स्कीमें पेश कीं। आप पूँछते हैं कि रुपया कहाँ से आये ? उन्होंने इतनी डीसेंट स्कीम्स बताईं उनको आप सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं, समरिली डिसकस (संसारी विवाद) करने के लिये भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वालंटरी परचेज सिस्टम (ऐच्छिक क्रय प्रथा) क्यों नहीं इंट्रोड्यूस (चालू) करते ? उससे निहायत आसानी के साथ बिला जद्दोजहद तमाम चीजें हो जातीं। आपने इंग्लैंड की मिसालें दीं। मिसाल देते वक्त गौर कर लेना चाहिये जो मिसाल दे रहे हैं वह मुनाकिद भी होती है या नहीं। उनको जवाब देते वक्त उन्होंने कहा कि मुआविजा देंगे। लेकिन क्या मारकेट रेट (बाजार की दर) के मुताबिक मुआविजा देंगे ? जो कुछ आप दे रहे हैं क्या इसको मुआविजा कहा जा सकता है ? अगर इस सदन की तमाम इमारत का चार रुपया या चालीस रुपया मुआविजा दे दिया जाय तो क्या वह मुआविजा कहलायेगा ? इसी तरीके से अगर आप इंग्लैंड की मिसाल देते हैं तो खुदारा यह तो सोच लिया कीजिये कि फिर आपके लिये यह लाजिम हो जाता है कि जो मारकेट वैल्यू जमीनों की वह अदा करें। मैंने तो उस रोज अर्ज किया था कि भाई यह तो बतलाइये कि आप जो जमीनें ले रहे हैं उन्हें आप अक्वायर (प्राप्त) कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के उन हुकूक की बिना पर जो जो उसे हासिल हैं, जमीनें अक्वायर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कीमत दीजिये। अगर खरीद रहे हैं तो जिनकी जमीन हो उनसे सौदा कीजिये। यह आखिर क्या सूरत है ? बहरहाल कोई न कोई पोजीशन (स्थिति)

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

लेनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि चूंकि हम बरसरेइक्तदार हैं हम यह मुनासिब नहीं समझते कि जमींदारी का निजाम कायम रहे, हम जब्त कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे किसी दोस्त ने कहा था दो सतरों का बिल काफी था कि हम जमीनें जब्त कर रहे हैं इन दि इंटरेस्ट आफ दि स्टेट (राज्य के हित के लिये)। आई कुड अंडरस्टैंड दैट (वह बात मेरी समझ में आ सकती थी)। कोई न कोई पोजीशन आपको लेनी चाहिये जिसके मुताल्लिक कोई आदमी यह समझ सके कि यह सही पोजीशन है। अब मैं ज्यादा तकरीर न करूंगा और अर्ज करूंगा कि जो तरमीम यहाँ पेश की गयी है वह ऐसी है कि हमारे चौधरी साहब जो इतने बाशऊर, सलीकामन्द और सियासतदां हैं एक मिनट सोचे बगैर मंजूर कर लेंगे।

रुड़की यूनिसिटी सिनेट के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

उपाध्यक्ष—उठने से पहले मैं सदन को यह इत्तिला देना चाहता हूँ कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये माननीय स्पीकर ने आज १० बजे तक का समय निर्धारित किया था। इस समय के भीतर निम्नलिखित मताभिलाषियों के नामांकनपत्र हमें प्राप्त हुये हैं —

श्री फूलसिंह, श्री रामजी सहाय, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री वीरेंद्रशाह, श्री असरार अहमद।

यह पांच नाम हैं और चार लेने हैं और नाम वापस लेने की तारीख १२ जून, सन् १९५० ई० को दिन के १० बजे तक है। अगर उस समय तक कोई नाम वापस नहीं हुआ तो १३ जून, १९५० को दिन के ९ बजे से १२ बजे तक चुनाव रीडिंग रूम में होगा।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इण्डियन मेड़िसिन के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

उपाध्यक्ष—इसी तरीके से उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में काम करने के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामांकन-पत्र आने की तारीख आज १० बजे तक थी उस समय के भीतर ये ४ नाम आये हैं —

श्री बशीर अहमद अंसारी, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री जयपाल सिंह, श्री असरार अहमद।

जैसा मैंने बताया है ३ स्थान हैं और ४ नाम हैं। इसके लिये १२ जून १९५० के १० बजे दिन तक वापसी का समय है। अगर उस समय तक कोई नाम वापस न हुआ तो १३ जून १९५० को ९ बजे से १२ बजे के भीतर रीडिंग रूम में निर्वाचन होगा।

(इसके बाद सदन ११ बजकर ३४ मिनट पर सोमवार, १२ जून, सन् १९५० ई० को प्रातःकाल ७ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
९ जून, सन् १९५० ई०

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ...पर)

अक्टूबर १९४९ ई० में नियुक्त किये गये विक्रेताओं की सूची

तहसील हरदोई

१. श्री सोमनाथ सूरी
२. मेसर्स कल्लूमल राम प्रताप
३. मेसर्स लालता प्रसाद बाबूराम
४. श्री सूबेदार
५. श्री सरदार बहादुर सिंह
६. मेसर्स हेतराम सिरीशचन्द्र
७. श्री राधेश्याम बाजपेई
८. श्री राम गोपाल गुप्ता
९. श्री चन्द्र भाल सिंह
१०. मेसर्स भम्मालाल मैकूलाल
११. मेसर्स हामिद हुसेन सरवर हुसेन
१२. श्री काशीराम
१३. मेसर्स राम गोपाल गुमानी राम

तहसील संडीला

१. श्री मदारी लाल
२. श्री मूल चन्द
३. श्री मोहन लाल
४. श्री गयादीन
५. मेसर्स मोतीराम जस्सा राम
६. श्री अमरनाथ
७. श्री कैलाश नाथ
८. श्री छेदीलाल
९. श्री तुफैल अहमद
१०. श्री लालता प्रसाद
११. श्री त्रिवेनी प्रसाद
१२. श्री श्यामलाल
१३. श्री बलदेव प्रसाद
१४. श्री महराज सिंह
१५. श्री कमालुद्दीन

तहसील शाहाबाद

१. श्री तुलसी राम
२. श्री जाफर हुसेन

३. श्री रूप नरायन
४. मेसर्स राम अधार रामअवतार
५. श्री भोलानाथ
६. श्री गोकरन नाथ
७. श्री चिरन्जी लाल
८. श्री राज बहादुर
९. श्री रामविलास
१०. श्री साधोराम
११. श्री मनोहर लाल
१२. श्री इनायत उल्लाह
१३. सुगर डीलर्स एसोसियेशन, शाहाबाद

तहसील बिलग्राम

१. मेसर्स छेदाशाह मुन्नालाल
२. श्री बालक राम
३. श्री शिवराम सिंह
४. श्री राज कुमार
५. श्री कामता प्रसाद
६. श्रीमती शान्ती देवी

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

जिले में दी गयी चीनी का ब्यौरा

तहसील हरदोई

जो चीनी दी गयी

क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	सितम्बर ४९ में	अक्टूबर, ४९ ई० में
१.	श्री बलराम टंडन	५ बोरे	१३ बोरे
२.	श्री बृजमोहन सरन	५ ,,	१३ ,,
३.	श्री जयदेव कपूर	५ ,,	१८ ,,
४.	मेसर्स जीवन राम सुंदरलाल	५ ,,	८ ,,
५.	साबिर हुसेन अब्दुल अजीज	५ ,,	१३ ,,
६.	श्रीहाफिज अहमद हसन		१३ ,,
७.	श्री दीप नरायन	५ ,,	१३ ,,
८.	श्री सेवाराम मिश्रा	५ ,,	२४ ,,
९.	श्री महादेव तेवारी		७ ,,
१०.	श्री हरनरायन पाँडे	५ ,,	२४ ,,
११.	श्री अकबर हुसेन	५ ,,	१५ ,,
१२.	श्री विश्वम्भरदयाल		१० ,,
१३.	श्री यादअली		१५ ,,

१४.	श्री राजाराम		१८ ,,
१५.	श्री मनीराम	५ ,,	१३ ,,
१६.	श्री रवीन्द्रनाथ		१२ ,,
१७.	श्री सिराजुद्दीन	५ ,,	१८ ,,
१८.	श्री इम्तियाज अली	५ ,,	१८ ,,
१९.	कोआपरेटिव यूनियन रेलवेगंज		४५ ,,
२०.	,, ,, हरदोई	१३३ ,,	५८ ,,
२१.	,, ,, जवां	१० ,,	१५ ,,
२२.	,, ,, हुसियापुर		१५ ,,
२३.	,, ,, मदैइचा		१५ ,,
२४.	,, ,, मानटैरा		१५ ,,
२५.	,, ,, आहरोरीं		१५ ,,
२६.	,, ,, ग्रोपार		
२७.	श्री सोमनाथ सूरी		१० ,,
२८.	मेसर्स करल्लूल रामप्रताप		५ ,,
२९.	श्री लालताप्रसाद बाबूराम		५ ,,
३०.	श्री सूबेदार		५ ,,
३१.	श्री सूबेदार बहादुर सिंह		५ ,,
३२.	मेसर्स हेतराम सिरीशचन्द्र		५ ,,
३३.	श्री राधेश्याम बाजपेई		५ ,,
३४.	श्री रामगोपाल गुप्ता		५ ,,
३५.	श्री चन्द्रभाल सिंह		५ ,,
३६.	मेसर्स भय्यालाल मैकूलाल		५ ,,
३७.	मेसर्स हामिदहुसेन सरवरहुसेन		५ ,,
३८.	श्री काशीराम		५ ,,
३९.	मेसर्स रामगोपाल गुमानीराम		
४०.	अदालती सरतंत्र द्वारा		
४१.	सरपंच, बयान	१०	१६३ ,,

तहसील बिलग्राम

१.	कोआपरेटिव यूनियन बिलग्राम	४५	३३ ,,
२.	,, ,, माधोगंज	२५	१५ ,,
३.	,, ,, मल्लांवा	३०	१५ ,,
४.	मेसर्स छोटेलाल कन्हैयालाल	१५	१५ ,,
५.	कोआपरेटिव यूनियन (सांडी)	२५	२० ,,
६.	श्रीमती शान्तीदेवी		१० ,,
७.	श्री नसीर अहमद		१५ ,,
८.	श्री कामताप्रसाद		१५ ,,

९.	श्री सीताराम			१५	,,
१०.	श्री उमाप्रसाद			२२	,,
११.	श्री रामशंकर			२२	,,
१२.	मेसर्स लाधोराम सुंदरलाल			२२	,,
१३.	श्री राजकुमार			१५	,,
१४.	श्री शिवराम सिंह			१०	,,
१५	श्री ईश्वरीप्रसाद			१५	,,
१६.	श्री छेदालाल			१५	,,
१७.	श्री बालकराम			१५	,,
१८.	श्री कामताप्रसाद			८	,,
१९.	श्री फकीर मोहम्मद			१५	,,

तहसील साहाबाद

१.	कोआपरेटिव यूनियन शाहाबाद	१००	,,	८४	,,
२.	,, ,, पाली	५	,,	१५	,,
३.	,, ,, पिहानी			४५	,,
४.	,, ,, फतेहपुर घाजी			१०	,,
५.	,, ,, परेली			१०	,,
६.	श्री गोकरन प्रसाद			१०	,,
७.	श्री भोला नाथ			१०	,,
८.	रिटेलर्स एसोसियेशन शाहाबाद			६८	,,
९.	अदालती सरपंचों द्वारा			२९	,,

तहसील संडीला

१.	श्री नानक प्रसाद	१५	,,
२.	श्री चौधरी मोहीम उल्लाह	१५	,,
३.	श्री कमख्यादीन	१५	,,
४.	श्री गजाधर प्रसाद	१०	,,
५.	श्री राघेलाल	१५	,,
६.	श्री गंगाप्रसाद	...	,,
७.	कोआपरेटिव यूनियन बेनीगंज	४०	,,
८.	,, ,, गोनी	१५	,,
९.	,, ,, उमरारी	....	,,
१०,	,, ,, कच्छन्द	....	,,
११.	,, ,, कासिमपुर	१५	,,
१२.	,, ,, संडीला	३२	,,
१३.	,, ,, घोसगंज	१५	,,
१४.	,, ,, बालामऊ	१०	,,
१५.	,, ,, महगाँवा	१५	,,

१६.	,, ,, दलेलनगर	१२	,,
१७.	,, ,, मारावन	....	,,
१८.	,, ,, कछउना	१५	,,
१९.	कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, संडीला	२३	,,
२०.	श्री मदारी लाल	१५	,,
२१.	श्री मूलचन्द्र	....	,,
२२.	श्री मोहन लाल	३	,,
२३.	श्री गयादीन	...	,,
२४.	श्री मेसर्स मोतीराम जस्सा राम	४	,,
२५.	श्री अमर नाथ	४	,,
२६.	श्री कैलाश नाथ	४	,,
२७.	श्री छेदी लाल	४	,,
२८.	श्री तुफैल अहमद	३	,,
२९.	श्री लालता प्रसाद	४	,,
३०.	श्री त्रिवेनी प्रसाद	५	,,
३१.	श्री श्यामलाल	...	
३२.	श्री बलदेव प्रसाद	...	
३३.	श्री महाराज सिंह	...	
३४.	श्री कमालुद्दीन	३	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १३ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर)

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited in connection with the printing of electoral rolls prepared under the New Constitution according to the Specifications enclosed herewith (marked "A") which should be read carefully, before submitting the tender.

Tenders on the form marked "A" should reach the District Election Officer latest by 26-10-1949 upto 2 P M.

Form "O" should be returned duly filled by the tenderers within 3 days of its receipt from the District Election Officer.

Tenders received within the specified time will be duly opened by the undersigned at 11 A M, on 27-1?-1949 at his residence.

Cover should be marked **"Tender-Printing of Electoral Rolls."**

Sd/-I. D. N. Sahi, I. C. S.,
District Officer,
Farrukhabad.
13. 10. 1949.

To

Shri...

Proprietor.

....Press,

....

नत्थी 'घ'

सूची नं० १

देखिये—तारांकित प्रश्न १३ (ग) का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर

प्रेस उनकी छपाई की क्षमता तथा उनके लिथो और टाइप की दरें जो उनके द्वारा टेण्डर की गई उनकी सूची।

छापेखानों के नाम	स्थान जहाँ पर प्रेस हैं	लिथो ग्राफिक		लैटर प्रेस		प्रेसों द्वारा दिए गए टेण्डर में प्रति दिन छपाई के पन्ने
		हैंड प्रेस	मशीन	हैंड प्रेस	मशीन	
१	२	३	४	५	६	७
		१७"×२७"	१७"×२७"	१७"×२७"	१७"×२७"	
१. सावधान	कन्नौज			एक	एक	१६ लिथो और टाइप दोनों में
२. चिन्तमनी	फर्रुखाबाद	२		दो	एक	लिथो और टाइप दोनों में ३० और ४० के बीच
३. लालमनी	,,	एक		एक	एक	२० लिथो और टाइप दोनों में
४. मशहूर जंत्री	,,	१८×२२			दो	५० लिथो और टाइप दोनों में
५. फर्रुखसियर	,,	दो	एक			१२ केवल लिथो में
६. नया युग	,,	दो			दो	१२ केवल टाइप में
७. सुल्तान	फतेहगढ़	३				१० केवल लिथो में
८. शान्ती	,,	२				२० लीथो और टाइप दोनों में
९. अधिकारी	,,			२	१ ट्रेडिल	६ केवल टाइप में
१०. प्रकाश	फर्रुखाबाद					विशेष प्रस्तावन केवल ७० पन्ने छपे
११. अग्रवाल	,,					विशेष प्रस्तावन केवल ८ पन्ने छपे

सावधान प्रेस का टेण्डर जो कि १७-१०-४९ की टेण्डरों की लेनगी तारीख के बहुत बाद में मिला था किन्तु फिर भी इस प्रेस को छपाई का एक मौका दिया गया।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

विभाग के तमाम मौजूदा कर्मचारी जिनमें कि एकाउन्टेन्टस, मिनिस्टीरियल और इंफीरियर नौकरियाँ भी शामिल हैं इन तीन भागों में बटे हुए हैं । सन्तोषजनक, सुधर

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

विभाग के तमाम मौजूदा कर्मचारी जिनमें कि एकाउन्टेन्टस, मिनिस्टीरियल और इंफीरियर नौकरियाँ भी शामिल हैं इन तीन भागों में बटे हुए हैं। सन्तोषजनक, सुधर सकने योग्य और असंतोष जनक।

सुधर सकने योग्य भाग में आने वाले लोगों की उनकी कमियाँ बता दी जाती हैं और समय समय पर उनकी परीक्षा भी ली जाती है। यदि वे काम में कोई सुधार नहीं दिखाते हैं तो वे असन्तोषजनक भाग में कर दिये जाते हैं। वे लोग जो कि असन्तोषजनक भाग में हैं और उनकी अवस्था पेन्शन पाने के लगभग है तो उन्हें इस बात का मौका दिया जाता है कि या तो वे तुरन्त पेन्शन ले लें या अयोग्यता के आरोपण पत्र (चार्ज सीट) का सामना करें। और दूसरे लोग जिनकी अवस्था ५० वर्ष की हो गई है या उन्हें काम करते २५ वर्ष हो गये हैं तो उन्हें अपनी इच्छा पर रिटायर होने की सलाह दी जाती है। बाकी लोगों पर सही आरोप (definite charges) लगा कर नौकरी से अलग कर दिया जाता है।

निसार अहमद शेरवानी,
कृषि सचिव

भारत प्रेस, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ७४

स्थानिक प्रश्न